

ध्वन्यालोकः

(प्रथम उद्योत)

श्रीमदानन्दवर्धनाचार्यविरचित-

ध्वन्यालोकः

[समीक्षात्मक भूमिका-भाषानुवाद व्याख्यात्मक
टिप्पणी सहित]

(प्रथम. द्वितीय उद्योत)

व्याख्याकार

डा० कृष्णकुमार

एम० ए०, साहित्याचार्य, पी एच० डी०

अध्यक्ष सस्कृत विभाग

ठा० देवसिंह विष्ट राजकीय महाविद्यालय

, नैनीताल

SPFCIMEN COPY
With Compliments of
the author & Publ. Co.

प्रकाशक

साहित्य भण्डार

सुभाष बाजार, मेरठ।

(Not for Sale)

दो शब्द

संस्कृत वाक्य साहित्य के समालोचना के क्षेत्र में 'ध्वन्यालोक' के महत्व को प्रतिपादित करना ऐसा ही है, जैसे सूर्य को दीपक दिखाना। यह ग्रन्थ संस्कृत साहित्यशास्त्र का आधारभूत ग्रन्थ है, जिसमें आचार्य आनन्दवर्धन ने समालोचना सम्बन्धी प्राचीन सिद्धान्तों में युगान्तरकारी परिवर्तन किया है और ध्वनि-सिद्धान्त की स्थापना करके उत्तरवर्ती साहित्यशास्त्रियों के मार्ग का निदेशन किया है।

छात्रुल्लिख सभ्य में इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि की खोज सबसे पहले डा० ब्रूकर ने की थी तथा इसका पहला प्रकाशन बम्बई में काव्यमाला सीरीज में १८९१ ई० में हुआ था। उस समय से अब तक 'ध्वन्यालोक' के अनेक संस्करण विभिन्न व्याख्याओं तथा टीकाओं के साथ प्रकाशित हो चुके हैं।

'ध्वन्यालोक' जैसे महनीय ग्रन्थ की व्याख्या करना स्वयं के लिये अनि दुस्साहस है, विशेष रूप में उस अवस्था में, जबकि इससे पूर्व महान् विद्वानों की अनेक व्याख्यायें उज्ज्वल रूप में प्रकाश में आ चुकी हों। तथापि विद्यार्थियों को सरलता से इसका उपदेश करने एवं मनस्तुष्टि के लिये यह व्याख्या लिखने की प्रेरणा उत्पन्न हुई है।

इस व्याख्या के लिखने की सामर्थ्य गुरुजनों के आशीर्वाद से उत्पन्न हुई है, जिनके चरणों में बैठकर साहित्यशास्त्र का अध्ययन सम्भव हो सका था। उनके प्रति लेखक का हृदय आदर और वृत्तज्ञता से भरा हुआ है। 'ध्वन्यालोक' की तथा अन्य बुद्ध ग्रन्थों की प्राचीन व्याख्याओं से लेखक ने लाभ उठाया है, अतः वह उनका ऋणी है। अन्त में लेखक साहित्य भण्डार, मेरठ के व्यवस्थापक श्री रतिराम शास्त्री के प्रति भी वृत्तज्ञ है, जिनकी प्रेरणा से वह इस व्याख्या को लिखने के लिये प्रवृत्त हुआ था और जिन्होंने इसको प्रकाशित करने का कष्ट किया है।

व्याख्या में गुणों का निधान गुरुजनों और प्राचीन व्याख्याकारों के अनुग्रह के कारण है तथा यदि कुछ दोष हैं, तो लेखक की अज्ञानता के कारण। व्याख्या के गुण-दोष का विवेचन विद्वान् पाठकों के आधीन है। यदि वे इसका धन सा भी समाहर करते हैं, तभी लेखक का यह प्रयत्न सफल है। साहित्यशास्त्र के प्रेमी विद्यार्थियों तथा मायाओं की सेवा में यह रत्न समर्पित है।

विषय-सूची

प्रस्तावना—

(१-६७)

पृष्ठ संख्या

| | | |
|-----|---|----|
| १. | ध्वन्यालोक का महत्व | १ |
| २. | आनन्दवर्धन का समय | ५ |
| ३ | आनन्दवर्धन की रचनायें | ७ |
| ४. | कारिकाकार और वृत्तिवार | १० |
| ५. | ध्वनिसिद्धान्त की प्राचीनता | २२ |
| ६. | ध्वनिविरोधी मत | २६ |
| ७ | ध्वनिविरोधी मतों का आनन्दवर्धन तथा उनके अनुयायियों द्वारा खण्डन | ३४ |
| ८ | ध्वनि की मूल प्रेरणा | ४३ |
| ९. | ध्वनि शब्द का अर्थ | ४७ |
| १०. | ध्वनिकाव्य का लक्षण | ४८ |
| ११ | ध्वन्यालोक ग्रन्थ का स्वरूप तथा इसका प्रतिपाद्य विषय | ५२ |
| १२. | परिवार, संग्रह और संक्षेप श्लोक | ५६ |
| १३ | ध्वन्यालोक की टीकायें | ५७ |
| १४. | ध्वन्यालोक का युगप्रवर्तन एवं परवर्ती साहित्यशास्त्र पर प्रभाव | ६१ |

प्रथम उद्योत

(१-११२)

| | | |
|--|--------------------------------------|----|
| | मङ्गलाचरण | १ |
| | ध्वनिविरोधी तीन मत [कारिका-१] | ३ |
| | अभाववादियों के विकल्प | ५ |
| | अभाववादियों का प्रथम विकल्प | ७ |
| | अभाववादियों का द्वितीय विकल्प | १० |
| | अभाववादियों का तृतीय विकल्प | ११ |
| | अभाववादियों के मतों का उपसंहार | १३ |
| | भक्तिवादियों के पक्ष का निरूपण | १४ |
| | अलक्षणीयतावादियों के पक्ष का निरूपण | १७ |
| | ध्वनि के निरूपण का प्रयोजन | १७ |
| | ध्वनि सिद्धान्त की भूमिका [कारिका-२] | २१ |

| | |
|---|----|
| अर्थ के वाच्य और प्रतीयमान का भेद | २१ |
| वाच्य अर्थ को प्रतिपादित न करने का हेतु [कारिका-३] | २४ |
| प्रतीयमान अर्थ का वाच्य अर्थ से व्यतिरिक्तत्व [कारिका-४] | २५ |
| प्रतीयमान अर्थ व वस्तु अलङ्कार और रसादि तीन भेद | २७ |
| वस्तुध्वनि का वाच्य स स्वरूप द्वारा भेद | २७ |
| वस्तुध्वनि का वाच्य से विषय द्वारा भेद | २४ |
| वाच्य एवं प्रतीयमान अर्थ के भेद के हेतु | ३६ |
| अभिधा द्वारा प्रतीयमान अर्थ के बोध का निवारण | ३८ |
| अभिहितान्वयवादिमा के मत का निवारण | ३८ |
| अन्विताभिधानवादिया के मत का निवारण | ३९ |
| नैमित्तिकवादी नैमित्तिका के मत का निवारण | ३९ |
| भट्टलोल्लट के मत का निवारण | ४० |
| लक्षणावादिया के मत का निराकरण | ४३ |
| वैमाकरणां और वेदान्तियों के मत का निराकरण | ४५ |
| अनुमानवादियों का खण्डन | ४६ |
| अलङ्कारध्वनि का वाच्य से भेद | ४८ |
| रसादि ध्वनि का वाच्य से भेद | ४९ |
| प्रतीयमान अर्थ ही वाच्य की आत्मा है [कारिका-५] | ५२ |
| वाल्मीकि के श्लोक का काव्यरूप में परिणत होना | ५२ |
| महाकवियों की प्रतिभा का द्योतक प्रतीयमान अर्थ [कारिका-६] | ५४ |
| सहृदया द्वारा ही प्रतीयमान अर्थ का सवेद्यत्व [कारिका ७] | ५६ |
| स्वर और श्रुति के लक्षण | ५७ |
| महाकविया के लिये व्यङ्ग्य-व्यञ्जक का प्रत्यभिज्ञेय होना [कारिका ८] | ५८ |
| प्रत्यभिज्ञा का परिचय | ५८ |
| व्यङ्ग्य बोध के लिये वाच्य का उपादान [कारिका-९] | ६० |
| प्रतीयमान अर्थ का वाच्याधपूर्वक जाना [कारिका-१०] | ६१ |
| वाच्यार्थ के प्रथम प्रतीत होने पर भी व्यङ्ग्यवाच्य का प्राधान्य [कारिका-११-१२] | ६२ |
| ध्वनि वाच्य का लक्षण [कारिका १३] | ६३ |
| अलङ्कारों से ध्वनि के विषय का पृथक्त्व । अभाववादियों के प्रथम विकल्प का खण्डन | ६५ |
| अभाववादिया के दूसरे विकल्प का खण्डन | ६६ |
| अभाववादिया के तीसरे विकल्प का खण्डन | ६७ |
| समासात्मिक आदि अलङ्कारों में ध्वनि के अन्तर्भाव का खण्डन | ६८ |

| | |
|---|-----|
| समासोक्ति अलङ्कार में ध्वनि के अन्तर्भाव का निषेध | ६६ |
| आक्षेप अलङ्कार में ध्वनि के अन्तर्भाव का निषेध | ७१ |
| वाच्य और व्यङ्ग्य में प्राधान्य का आधार चारुत्व का उत्कर्ष | ७३ |
| दीपक और अपह्लाति में पूर्वोक्त अलङ्कारों के समान ही ध्वनि का निराकरण | ७४ |
| अनुत्तनिमित्ता विशेषोक्ति में ध्वनि के अन्तर्भाव का खण्डन | ७५ |
| पर्यायोक्त अलङ्कार में ध्वनि के अन्तर्भाव का निषेध | ७७ |
| अपह्लाति और दीपक अलङ्कार में ध्वनि के अन्तर्भाव का निषेध | ७९ |
| सकर अलङ्कार में ध्वनि के अन्तर्भाव का निषेध | ७९ |
| अप्रस्तुत प्रशंसा अलङ्कार में ध्वनि का निषेध | ८३ |
| पूर्वोक्त विषयो का सक्षप से प्रतिपादन | ८७ |
| अलङ्कारों में ध्वनि के अन्तर्भाव के निषेध का प्रवारान्तर से बचन 'सूरिभि कथित' की व्याख्या | ८९ |
| ईपावरणों के अनुसार ध्वनि एवं वाच्यवाचिकयो द्वारा उनका अनुकरण | ९० |
| अभाववादियों के खण्डन का उपसंहार | ९४ |
| ध्वनि के दो प्रमुख भेद | ९५ |
| अविवक्षितवाच्य ध्वनि का उदाहरण | ९६ |
| विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि का उदाहरण | ९६ |
| भक्तिवादियों के मत के खण्डन का प्रारम्भ | ९७ |
| भक्ति और ध्वनि के एकत्व का खण्डन [कारिका-१४] | ९८ |
| भक्तिवाद के तीन विकल्प | ९८ |
| उपचार | ९९ |
| भक्ति के ध्वनि का लक्षण होने का खण्डन | १०० |
| उक्तयन्त्र से आशक्य चारुत्व का व्यञ्जक शब्द ध्वनि का विषय है [कारिका-१५] | १०४ |
| रूढ शब्दों में ध्वनि के विषयत्व का खण्डन [कारिका-१६] | १०४ |
| प्रयोजनवती लक्षणा में प्रयोजन की प्रतीति लक्षणा द्वारा नहीं होती [कारिका-१७] | १०६ |
| लक्षणा का आशय वाचकत्व तथा ध्वनि का मूल व्यञ्जकत्व [कारिका- ८] | १०८ |
| भक्ति को ध्वनि का लक्षण मानने में अव्याप्ति दोष | १०८ |
| भक्ति के किसी ध्वनि भेद का उपलक्षण होने पर भी उसमें ध्वनि के अन्तर्भाव का निषेध [कारिका-१९] | १०९ |
| अलक्षणीयतावादियों का खण्डन | ११० |

द्वितीय उद्योत [११३-२२७]

पृष्ठ सख्या

| | |
|--|------------|
| अविवक्षितवाच्य ध्वनि के भेद [कारिका-१] | ११३ |
| अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्य के उदाहरण | ११५ |
| अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य के उदाहरण | ११७ |
| विवक्षितान्यपरवाच्य के दो भेद [कारिका-२] | ११७ |
| असलक्ष्यब्रमव्यङ्ग्य ध्वनि के रसादि भेद [कारिका-३] | ११८ |
| रसप्रश्रिया | ११९ |
| भरत का रससूत्र | १२० |
| भट्टलोल्लट का मत | १२१ |
| श्री शङ्कुक का मत | १२१ |
| भट्टनायक का मत | १२२ |
| अभिनवगुप्त का मत | १२३ |
| विभाव | १२५ |
| अनुभाव | १२५ |
| व्यभिचारी भाव | १२६ |
| स्थायीभाव | १२७ |
| रसा की सत्या | १२७ |
| रसो मे प्रधानता | १२९ |
| रसो वा परस्पर विरोध एव असका परिहार भाव | १३० १३१ |
| रसाभास और भावाभास | १३२ |
| भावशान्ति, भावोदय, भावसन्धि और भावशबलता | १३२ |
| रसवद् अलङ्कार से रसादि ध्वनि का पृथक्त्व [कारिका-४] | १३४ |
| रसवदलङ्कार का विषय [कारिका ५] | १३५ |
| रसवदलङ्कार के दो भेद—शुद्ध और सङ्कीर्ण | १३५ |
| शुद्ध रसवदलङ्कार का उदाहरण | १३६ |
| सङ्कीर्ण रसवदलङ्कार का उदाहरण | १३७ |
| चेतन अचेतन वस्तुओं के वाक्यार्थोभास के आधार पर रसादिध्वनि एव रसवदलङ्कार के विषयत्व का खण्डन | १३९ |
| गुण और अलङ्कार का भेद [कारिका-६] | १४२ |
| माधुर्य गुण का आश्रयशृङ्गार [कारिका-७] | १४५ |
| एव पद के तीन अर्थ | १४६ |
| विप्रलम्भ शृङ्गार और वरुण में माधुर्य का प्रवर्ण [कारिका-८] | १४७ |

| | |
|--|-----|
| ध्वनि के भेदों का चार्ट | १७८ |
| शब्दशक्त्युद्भव ध्वनि का स्वरूप [कारिका-२१] | १७९ |
| अनेकार्थक शब्दों में आक्षेप होने पर शब्द शक्तिमूल व्यङ्ग्य अर्थ एवं अभिधा के नियन्त्रण के हेतु | १८० |
| श्लेष अलङ्कार का विषय | १८१ |
| श्लेष अलङ्कार का उदाहरण | १८२ |
| शब्द शक्तिमूल विरोधालङ्कार ध्वनि का उदाहरण | १८३ |
| शब्द शक्तिमूल विभिन्न अलङ्कार ध्वनियों का उदाहरण एवं उनका विवेचन | १८४ |
| अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि का स्वरूप [कारिका-२२] | १८५ |
| व्यङ्ग्य अर्थ के शब्दार्थशक्ति से आक्षिप्त होने पर भी ध्वनि नहीं [कारिका-२३] | १८८ |
| शब्दशक्ति से व्यङ्ग्य अर्थ के आक्षिप्त होने पर ध्वनि के अभाव का उदाहरण | १९९ |
| अर्थशक्ति से व्यङ्ग्य अर्थ के आक्षिप्त होने पर ध्वनि के अभाव का उदाहरण | २०० |
| उभयशक्ति (शब्द और अर्थ) से व्यङ्ग्य अर्थ के आक्षिप्त होने पर ध्वनि के अभाव का उदाहरण | २०० |
| अर्थ शक्त्युद्भव ध्वनि के भेद [कारिका-२४] | २०१ |
| कविप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीर अनुरणनरूप व्यङ्ग्य अर्थ का उदाहरण | २०२ |
| कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिनिष्पन्नशरीर अनुरणनरूपव्यङ्ग्यध्वनि के उदाहरण | २०२ |
| स्वत सम्भवी अनुरणनरूप व्यङ्ग्य ध्वनि के उदाहरण | २०३ |
| अर्थशक्त्युद्भव अलङ्कार ध्वनि [कारिका-२५] | २०४ |
| वाच्य अलङ्कार का बाहुल्य से व्यङ्ग्यत्व [कारिका-२६] | २०५ |
| वाच्य अलङ्कार से प्रकारान्तर से व्यङ्ग्य रूप से प्रतीत होने पर भी उसके प्राधान्यतया विवक्षित न होने पर ध्वनि का अभाव [कारिका-२६] | २०६ |
| रूपक ध्वनि के उदाहरण | २०८ |
| उपमा ध्वनि के उदाहरण | २१० |
| अर्थान्तरन्यास ध्वनि के उदाहरण | २११ |
| धृतिरेख ध्वनि का उदाहरण | २१३ |
| उत्प्रेक्षा ध्वनि के उदाहरण | २१३ |
| श्लेष ध्वनि का उदाहरण | २१५ |
| मयासस्य ध्वनि का उदाहरण | २१६ |
| अलङ्कार ध्वनि की प्रयोजनयत्ता [कारिका-२८] | २१८ |

| | |
|--|-----------------|
| वस्तुमात्र से अलङ्कार व्यङ्ग्य होने पर ध्वनित्व का निश्चय | [कारिका-२६] २२० |
| अलङ्कार से अलङ्कारान्तर के व्यङ्ग्य होने पर चारुत्व के उत्कर्ष के आधार पर ध्वनित्व [कारिका-३०] २२० | |
| विवक्षितवाच्यध्वनि का आभासत्व (गुणीभूत व्यङ्ग्यत्व) [कारिका-३१] २२२ | |
| विवक्षितवाच्य गुणीभूतव्यङ्ग्य के उदाहरण | २२३ |
| अविवक्षितवाच्य ध्वनि का आभासत्व (गुणीभूतव्यङ्ग्य) [कारिका-३२, २२७] | |
| व्यङ्ग्य अर्थ के प्रधानतया विवक्षित हान पर ही ध्वनि [कारिका-३३] २२७ | |
| परिशिष्ट-१ ध्वन्यालोचनत कारिकापं सूची | २२८-२३० |
| परिशिष्ट-२ ध्वन्यालोचनवृत्तिमतकारिकासूची | २५६ |
| परिशिष्ट-३ ध्वन्यालोचनगतोदाहरणशतानुक्रमणिका | २३० |
| परिशिष्ट-४ ध्वन्यालोचनव्याख्या म उद्धृत अन्य लेखिका की कारिकायें | २६३-२६६ |
| परिशिष्ट-५ ध्वन्यालोचनव्याख्या म उद्धृत उदाहरण शतक सूची | २७८-२७९ |

प्रस्तावना

१. ध्वन्यालोक का महत्त्व

भारतीय साहित्यशास्त्र के इतिहास में 'ध्वन्यालोक' एक युगान्तरकारी ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ के द्वारा ध्वनि-सिद्धान्त की उद्भावना और प्रतिष्ठा करके आनन्द-वर्धन ने साहित्यशास्त्र के क्षेत्र में महनीयतम अजर और अमर स्थान प्राप्त किया। आनन्दवर्धन के पश्चाद्वर्ती साहित्यशास्त्रियों—अभिनवगुप्त, मम्मट, विश्वनाथ, पण्डितराज जगन्नाथ आदि ने आनन्दवर्धन की साहित्यिक मान्यताओं को स्वीकार करके उनके मत का पोषण किया। साहित्यशास्त्र के क्षेत्र में आनन्दवर्धन की वही स्थान प्राप्त है, जो व्याकरणशास्त्र के क्षेत्र में आचार्य पाणिनि की एव वेदान्त के क्षेत्र में शंकराचार्य को प्राप्त हुआ है। आचार्य आनन्दवर्धन ने अपने से प्राचीन युग की साहित्यशास्त्रीय मान्यताओं और आलोचना के सिद्धान्तों के मार्ग को मोड़ कर एक नया मार्ग प्रशस्त किया था। पण्डितराज जगन्नाथ ने यह ठीक ही कहा है कि ध्वनिकार ने आलङ्कारिकों का मार्ग व्यवस्थित एवं प्रतिष्ठित कर दिया था।

भारतीय साहित्यशास्त्र का प्रारम्भ अति प्राचीन युग में ही, ६०० ई० पू० से पहले ही हो चुका था। तथापि इनका व्यवस्थित रूप आचार्य भरत के 'नाट्यशास्त्र' से प्रारम्भ होता है। भरत ने भी साहित्यिक आलोचना को अधिक महत्त्व न देकर नाट्य रचना और अभिनय का ही मुख्य रूप में वर्णन किया है, यद्यपि रस अलङ्कार, आदि का भी इन्होंने प्रसंगवश संकेत किया था। भरत के अनन्तर आनन्दवर्धन तक अनेक आचार्य भामह, उद्भट, दण्डी, वामन आदि हुये, जिन्होंने साहित्यिक आलोचना के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया, परन्तु इन आचार्यों ने आलोचना का जो मार्ग प्रतिपादित किया था, आनन्दवर्धन ने उसको एक नई दिशा प्रदर्शित की। भामह आदि आचार्यों ने काव्य के शरीर को शब्दार्थ रूप में प्रतिपादित करके 'इनको अलङ्कृत करने वाले शब्दालङ्कारों और अर्थालङ्कारों को', गुणों को, वृत्तियों को और रीति को' काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिपादित किया था। इस प्रकार इन आचार्यों ने काव्य के स्थूल शरीर शब्द-अर्थ का प्रतिपादन किया और उसी में काव्य का वास्तविक सौन्दर्य माना। परन्तु काव्य के आन्तरिक सौन्दर्य को, काव्य के आत्मतत्त्व को वे उद्भावित नहीं कर सके थे। जिस प्रकार चार्वाक मतावलम्बी इस स्थूल शरीर की ही आत्मा मानकर स्थूल शरीर में चेतना का आधान करने

१. ध्वनिकृतमालङ्कारिकसरणिष्ववस्थापकत्वात्—पण्डितराज जगन्नाथ।

२. शब्दार्थो सहितौ काव्यम्—भामह।

३. काव्यं ग्राह्यमलङ्कारात् सौन्दर्यमलङ्कारः—वामन।

४. रीतिरात्मा काव्यस्य—वामन।

वाले आत्मतत्त्व की पृथक् सत्ता स्वीकार नहीं करते, उसी प्रकार की स्थिति भामह आदि आलङ्कारिकों की थी। इनके सम्बन्ध में अभिनवगुप्त ने ठीक ही लिखा है जिस प्रकार चार्वाक मतावलम्बी स्थूल शरीर से पृथक् आत्मतत्त्व को स्वीकार करने में विप्रतिपत्ति करते हैं, उसी प्रकार वाच्य अर्थ की वासना से विमोहित हृदय वाले ये आलङ्कारिक प्रतीयमान अर्थ को वाच्य अर्थ से पृथक् मानने में आपत्ति करते हैं^१।

जबकि भारतीय साहित्यशास्त्र के क्षेत्र में काव्य के स्थूल शरीर को ही, वाचक शब्द और वाच्य अर्थ को ही सजाने सवारने में काव्यत्व की प्रतिष्ठा समझी जानी थी, आचार्य आनन्दवर्धन ने यह प्रतिपादित किया कि वाच्य में दो प्रकार के अर्थ सहृदयश्लाघ्य होते हैं—वाच्य और प्रतीयमान^२। वाच्य अर्थ उपमा आदि अलङ्कारों द्वारा प्रसिद्ध हो चुका है^३। प्रतीयमान अर्थ महानवियों की वाणी में उसी प्रकार विलक्षण सौन्दर्य का आधान करता हुआ रहता है, जिस प्रकार अङ्गनामों में लावण्य^४। यह प्रतीयमान अर्थ ही वाच्य की आत्मा है^५। जिस वाच्य में प्रतीयमान अर्थ का सौन्दर्य मुख्य रूप से होता है, वह वाच्य सबसे श्रेष्ठ है, उसी को ध्वनि-वाच्य कहते हैं^६।

आनन्दवर्धन द्वारा ध्वनि शब्द का प्रयोग और ध्वनि सम्प्रदाय की स्थापना एक नवीन अद्वितीय महत्त्वशाली कार्य था। ध्वनि की स्थापना का आधार व्यञ्जना वृत्ति द्वारा प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति है। प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति आनन्दवर्धन से पूर्वकाल में न मानी गई हो, ऐसी बात नहीं है। आनन्दवर्धन से पूर्व भी आलङ्कारिकों ने वाच्य में वाच्य अर्थ में भिन्न प्रतीयमान अर्थ के अस्तित्व को स्वीकार किया था और इस प्रकार उन्होंने ध्वनि के मार्ग का स्पर्श कर लिया था। परन्तु ध्वनि के मार्ग का स्पर्श करने भी उन्होंने उमड़ी दृष्ट्या नहीं की और यह कार्य आनन्दवर्धन को करना पड़ा। आनन्दवर्धन ने इस तथ्य को अपने ग्रन्थ में इस प्रकार लिखा है—

“यद्यपि ध्वनि शब्द सकृत्तेनेन वाच्यलक्षणविधायिभिर्गुणवृत्तिरन्यो वा न कश्चित् प्रकारः प्रकाशितः, तथापि अमुत्पन्न्या वाच्येषु व्यवहार दर्शयता ध्वनिमार्गो मनाक् स्पृष्टोऽपि न लक्षितः”^७

१. वाच्यसंबलनाविमोहितहृदयस्तु तत्पृथग्भावे विप्रतिपद्यते, चार्वाकैरिवात्म-पृथग्भावे द्रव्यालोक १ २ की लोचनटीका से।
२. वाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्मृतौ ॥ध्वन्यालोक १.२॥
३. तत्र वाच्य प्रसिद्धो यः प्रकाररूपमादिभिः ॥ध्वन्यालोक १.३॥
४. प्रतीयमान पुनरन्यदेव वस्तुन्ति वाग्यापु महाकवीनाम् ।
यत्तत्प्रमिद्धावयवानिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाङ्गनाम् ॥ध्वन्यालोक १.४॥
५. वाच्यस्यात्मा न एवार्थं ॥ध्वन्यालोक १.५॥
६. ध्वन्यालोक १ १ की वृत्ति में।

यद्यपि वाक्य के लक्षण का निर्माण करने वाले प्राचीन आचार्यों ने ध्वनि शब्द का ब्यक्त करके गुणवृत्ति या अर्थ किसी वाक्य के प्रकार को प्रदर्शित नहीं किया तथापि अगुण्य वृत्ति के द्वारा वाक्यों में व्यवहार का प्रदर्शन करते हुये उन्होंने ध्वनि के मार्ग का बुद्ध्य स्पर्श तो किया था, परन्तु उसका लक्षण नहीं किया।

प्राचीन आचार्यों ने जिन आक्षेप, समासोक्ति, विशेषोक्ति पर्यायोक्त, अपह्नूति, दीनक, अप्रस्तुत प्रशंसा, अर्थान्तरन्यास, सङ्कर आदि अलङ्कारों का विवेचन किया था, उन अलङ्कारों में वाच्य अर्थ से अतिरिक्त प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति भी होती है। इस प्रकार इन आचार्यों ने इन अलङ्कारों का प्रतिपादन करते हुये प्रतीयमान अर्थ के अस्तित्व को स्वीकार करके ध्वनि की सत्ता स्वीकार कर ली, परन्तु उन्होंने ध्वनि शब्द का प्रयोग नहीं किया। पण्डितराज जगन्नाथ ने पर्यायोक्त अलङ्कार के विवेचन में इस तथ्य को स्पष्ट किया है—

ध्वनिवार से प्राचीन भामह, उद्भट आदि आचार्यों ने अपने ग्रन्थों में कहीं भी ध्वनि, गुणीभूतव्यङ्ग्य आदि शब्दों का प्रयोग नहीं किया, इतने से ही प्राधुनिक आलोचकों का यह कहना है कि उन्होंने ध्वनि आदियों को स्वीकार नहीं किया, उचित नहीं है। क्योंकि समासोक्ति, व्याजस्तुति, अप्रस्तुत प्रशंसा आदि अलङ्कारों का निरूपण करने में उन्होंने कितने ही गुणीभूतव्यङ्ग्य वाक्यों का निरूपण किया है। इसके अतिरिक्त व्यङ्ग्य अर्थ का सादा विस्तार पर्यायोक्त अलङ्कार की कुक्षि में निवेशित कर दिया है। अनुभव सिद्ध अर्थ का बालक भी छिपा नहीं सकता। परन्तु उन्होंने ध्वनि आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया, परन्तु इतने से ही उनके द्वारा ध्वनि की अस्वीकृति नहीं कही जा सकती।^१

आचार्य आनन्दवर्धन का यह ब्यक्त था कि यद्यपि प्राचीन आचार्यों ने समासोक्ति, आक्षेप, पर्यायोक्त आदि अलङ्कारों का विवेचन करके और उनमें प्रतीयमान अर्थ के अस्तित्व को स्वीकार करके ध्वनि के मार्ग का स्पर्श तो किया है, परन्तु ध्वनि का अन्तर्भाव इन अलङ्कारों में नहीं किया जा सकता। इसका कारण यह है कि ध्वनि वहाँ होती है, जहाँ वाच्य अर्थ की अपेक्षा प्रतीयमान अर्थ की प्रधानता हो। परन्तु इन अलङ्कारों में प्रतीयमान अर्थ प्रधान रूप से विवक्षित ही ही, ऐसा सदा नहीं होता। परन्तु जिन अलङ्कारों में प्रतीयमान अर्थ की विवक्षा प्रधान रूप से होती है, जैसा कि सभी पर्यायोक्त आदि अलङ्कारों में देखा जाता है, वहाँ ध्वनि

१. ध्वनिवारात् प्राचीनैर्भामहोद्भटप्रमृतिभि स्वग्रन्थेषु कुत्रापि ध्वनिगुणीभूतव्यङ्ग्यादिशब्दा न प्रयुक्ता इत्येतदवतैव तैर्ध्वन्यादयो न स्वीक्रियन्त इत्याधुनिकानां वाचोमुक्तिरयुक्तैव। यत समासोक्तिव्याजस्तुत्यप्रस्तुतप्रशंसाअलङ्कारनिरूपणो क्रियन्तोऽपि गुणीभूतव्यङ्ग्यपभेदास्तैरपि निरूपिता अपरश्च सर्वोऽपि व्यङ्ग्यप्रपञ्च पर्यायोक्तकुक्षी निक्षिप्तः। न ह्यनुभवसिद्धोऽर्थो बालेनाप्यपह्नोषु गव्यते। ध्वन्यादिशब्दैः परव्यवहारो न कृतः। न ह्येतावतानङ्गीकारो भवति—पण्डितराज जगन्नाथ।

प्रथम्य होगी परन्तु ध्वनि का उनमें अन्तर्भाव नहीं होगा। क्योंकि ध्वनि तो महाविषय है और उमका अङ्गी रूप से प्रतीपादन अभीष्ट है।^१

आनन्दवर्धन से पूर्व ध्वनि का उत्तरेख साहित्यशास्त्रियों में न होता रहा हो, ऐसा नहीं है। उनसे पूर्व भी ध्वनि को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिपादित किया जाने लगा था। स्वयं आनन्दवर्धन ने यह लिखा है कि ध्वनि को काव्य की आत्मा के रूप में मानने का सिद्धान्त प्राचीन विद्वान् प्रतीपादित करते आये हैं^२। परन्तु 'ध्वन्यालोक' से पूर्ववर्ती किसी ग्रन्थ में इस प्रकार का प्रतिपादन नहीं मिलता और नाही इससे पूर्व का ध्वनि-सिद्धान्त प्रतिपादक कोई ग्रन्थ इस समय उपलब्ध है। सम्भव है कि ध्वनि के सिद्धान्त की चर्चा समालोचना जगत् में मौखिक रूप से प्रचलित रही और आनन्दवर्धन ने इस ध्वनि सिद्धान्त को मुख्यवस्थित रूप में ग्रन्थ के रूप में प्रतिष्ठित किया। अभिनवगुप्त का वचन है कि यह ध्वनि सिद्धान्त विद्वानों द्वारा अविच्छिन्न रूप से प्रतिपादित किया जाता रहा था, परन्तु विशिष्ट पुस्तकों में इसका प्रतिपादन नहीं हुआ^३।

ऊपर के विवरण से साहित्यशास्त्र की परम्परा में आचार्य आनन्दवर्धन का एव उनके 'ध्वन्यालोक' का महत्त्व सुस्पष्ट है। उन्होंने अलंकारिकों को एव नये मार्ग की दिशा का उपदेश दिया और ध्वनि की स्थापना करके समालोचना के मार्ग का समुन्मीलन किया। यदि आनन्दवर्धन को समालोचना के मार्ग का केन्द्रबिन्दु कहा जावे, तो यह अनुचित नहीं होगा। आनन्दवर्धन से पूर्ववर्ती भामह, उद्भट, रुद्रट, दण्डी, वामन आदि आचार्यों ने समालोचना के मार्ग की रचना आरम्भ की थी और आनन्दवर्धन ने उस मार्ग को नई दिशा प्रदान की। आनन्दवर्धन के उत्तरवर्ती आचार्यों-अभिनवगुप्त, मम्मट, विश्वनाथ, हेमचन्द्र पण्डितराज जगन्नाथ आदि ने इस ध्वनि-सिद्धान्त का प्रतिपादन करके इसको अन्तिम निरुपेक्षात्मक रूप से सुप्रतिष्ठित कर दिया। काव्य में ध्वनि को आत्मा प्रतिपादित करते हुये भी आनन्दवर्धन ने काव्य के ग्रन्थ-उपादानों—अलङ्कारों, गुणों, रीतियों वृत्तियों आदि की भी उपेक्षा नहीं की। उन्होंने इनकी भी अपनी काव्य समालोचना पद्धति में समुचित स्थान दिया। इसके परिणाम-स्वरूप आनन्दवर्धन पहले समालोचक साहित्यशास्त्री हैं जिनका 'ध्वन्यालोक' ग्रन्थ काव्य समालोचना के सभी अङ्गों को यथोचित रूप और अनुपात में प्रस्तुत करने वाला पहला ग्रन्थ है और इनको साहित्यशास्त्र की परम्परा में महनीयतम स्थान दिलाने में समर्थ है।

१ पर्यायोक्तेऽपि यदि प्राधान्येन व्यङ्ग्यत्व तद् भवतु नाम तस्य ध्वनावन्तर्भाव, न तु ध्वनेऽन्तर्भावः । तस्य महाविषयत्वेन अङ्गित्वेन च प्रतिपादयिष्यमाणत्वात् ।

ध्वन्यालोक—१ १३ की वृत्ति में ।

२ काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुद्ध्यं समाम्नातपूर्वं । ध्वन्यालोक १.१ ।

३ अविच्छिन्नेन प्रवाहेण तैरेतदुक्त विनाऽपि विशिष्ट पुस्तकेषु विनिवेशनादित्यभिप्राय । ध्वन्यालोक १ १ की लोचन टीका से ।

२. आनन्दवर्धन का समय

‘ध्वन्यालोक’ के रचयिता आनन्दवर्धन काश्मीर के निवासी थे। ये कवि, सम-लोकक और दार्शनिक थे। अपनी विद्वत्ता के कारण इन्होंने राजानक उपाधि प्राप्त की थी।

आनन्दवर्धन का समय बहुत कुछ निश्चित है। प्रसिद्ध काश्मीरी इतिहासकार कन्हूए ने ‘राजतरङ्गिणी’ में आनन्दवर्धन का उल्लेख इस प्रकार किया है—

मुक्ताकण शिवस्वामी कविरानन्दवर्धनः ।

प्रया रत्नाकरश्चागात् साम्राज्येऽवान्तिवर्मण ॥^१

अवन्तिवर्मा के साम्राज्य में मुक्ताकण, शिवस्वामी और आनन्दवर्धन कवि प्रसिद्धि को प्राप्त हुये।

इनका अभिप्राय यह है कि अवन्तिवर्मा के समय में आनन्दवर्धन एक कवि के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। बुहलर और जैकोबी ने अवन्तिवर्मा का समय ८५५-८८३ ई० निर्धारित किया है। यद्यपि आनन्दवर्धन के समय का निश्चित तिथि के रूप में निर्धारित करना कठिन है, तथापि कन्हूए के इस श्लोक से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे ८५५-८८३ ई० के मध्य में अवश्य रहे होंगे।

कुछ विद्वानों के अनुसार अवन्तिवर्मा के पुत्र शङ्करवर्मा (८८३-९०२ ई०) के समय में भी आनन्दवर्धन रहे थे। आनन्दवर्धन ने ‘ध्वन्यालोक’ में यशोवर्मा के द्वारा रचित ‘रामाभ्युदय’ नाटक के एक श्लोक को^२ आशिक रूप से उद्धृत किया है^३। इन विद्वानों के अनुसार शङ्करवर्मा का ही दूसरा नाम यशोवर्मा था^४। ‘व्यायमञ्जरी’ का लेखक जयन्तभट्ट शङ्कर वर्मा का समकालीन था।

१. राजतरङ्गिणी ५.३४

२. तत्र शुद्धस्योदाहरण यथा रामाभ्युदये—‘कृतकवृत्तित्’ इत्यादि श्लोकः । ध्वन्यालोक ३ ३-४ की वृत्ति से।

३. ‘रामाभ्युदय’ के इस पद्य को अभिनवगुप्त ने इस प्रकार तोचनटीका में पूर्य किया है—

कृतकवृत्तित्वाप्याम्भोभि सदैवविलोकिनै-

वर्नमपि गता यस्य प्रीत्या धृत्वात्र तथाम्बया ।

नवजलधरस्यामाः पश्यन् दिशो भवती विना

कठिनहृदयो जीवत्येव प्रिये स तव प्रियः ॥

४. कवि एम० रामकृष्ण भट्ट ने अपने लेख—‘जयन्त एण्ड यशोवर्मन् आफ काश्मीर’ में जो कि आचार्य पुष्पाञ्जलि बोथूम, बलकृष्ण १९४० में प्रकाशित हुआ, यशोवर्मा एवं शंकरवर्मा के एतत्त्व को सिद्ध किया है।

मुनीलचन्द्र राय के लेख—“दी आइस्टिट्टी आफ दी यशोवर्मन् आफ सप्त मिडोविमल वायन्ग” में, जो जर्नल आफ दी एशियाटिक सोसाइटी—वो० XVII, न० ३.१५१ में प्रकाशित हुआ, यशोवर्मा और शंकरवर्मा के एतत्त्व को प्रतिपादित किया गया है।

उसने ध्वनिमिद्धान्त की जिस ढंग से आलोचना की है, उससे वह आनन्दवर्धन का समकालीन प्रतीत होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि आनन्दवर्धन इन दोनों ही राजाओं—अर्थात् वर्मा और शङ्करवर्मा के समकालीन रहे होंगे। इन्होंने अर्थात् वर्मा के समय में कवि के रूप में प्रसिद्धि पाई होगी और जीवन के उत्तरकाल में समालोचक के रूप में प्रसिद्ध हुए होंगे।

आनन्दवर्धन के समय के सम्बन्ध में जैबोवी महोदय ने एक अन्य सम्भावना प्रकट की है। बल्हण ने 'राजतरङ्गिणी' में जयापीड और ललितापीड के समकालीन मनोरथ नामक कवि का उल्लेख किया है। यह श्लोक इस प्रकार है—

मनोरथ शब्ददत्तश्चटक सन्धिमास्तथा ।

चभूयुः वधयस्तस्य वामनाचार्य मन्त्रिणः ॥ राजतरङ्गिणी ४.४६७॥

अभिनवगुप्त ने लोचनटीका में 'ध्वन्यालोक' के वृत्ति भाग के 'अन्येन कृत-एवात्र श्लोक' की अन्येन पद की व्याख्या इस प्रकार की है—“तथा चान्येनेति । अन्यकृतसमानवाचभाविना मनोरथनाम्ना कविना ।” इस प्रकार अभिनवगुप्त के अनुसार आनन्दवर्धन और मनोरथ समकालीन थे। जयापीड के उत्तराधिकारी ललितापीड का समय ७८०-८१३ ई० रहा। अतः आनन्दवर्धन को इसी समय होना चाहिये।

परन्तु जैबोवी का यह तर्क सर्वथा असंगत है। बल्हण ने ही अनुसार आनन्दवर्धन अर्थात् वर्मा के समकालीन थे। उनको ललितापीड के समकालीन पहुँचना सर्वथा असंगत है और परम्पराओं को भंग करना है। इसी श्लोक में वामन का उल्लेख है, जो कि निश्चित रूप से आनन्दवर्धन से प्राचीन है। 'राजतरङ्गिणी' के इस श्लोक में मनोरथ के उल्लेख का स्पष्टीकरण अनेक प्रकार में हो सकता है—(१) बल्हण ने जयापीड और ललितापीड के राज्यकाल में मनोरथ का निर्देश करने में गलती की होगी। (२) अभिनवगुप्त ने मनोरथ को आनन्दवर्धन का समकालीन कहने में गलती की होगी। (३) 'राजतरङ्गिणी' में उद्धृत यह मनोरथ एक अभिनवगुप्त द्वारा निर्दिष्ट मनोरथ दो भिन्न व्यक्ति रहे होंगे।

१. न्यायमञ्जरी की आलोचना इस प्रकार है—

एतेनशब्दसामर्थ्यमहिम्ना सोऽपि वाङ्मि ।

यमन्य पण्डितम्मन्य प्रपेदेकञ्चन ध्वनिम् ॥

विद्येनिषेधावगतिविधिबुद्धिनिषेधतः ।

यथा—मम धम्मिय वीसरथो मास्मपान्यगृह विश ।

मानान्तरपरिच्छेद्यवस्तुस्योपदेशिनाम् ॥

शब्दानामेव सामर्थ्यं तत्र तत्र तथा तथा ।

अथवा नेदृशी चर्चा कविभि सह शोभते ।

विद्वानसोऽपि विगुह्यन्ति वाक्यार्थगहनेऽध्वनि ॥

न्यायमञ्जरी पृ० ४५ (काशी संस्कृत सीरीज)

वाह्य प्रमाणों से भी आनन्दवर्धन का यही समय सिद्ध होता है। आनन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक में उद्धृत का उल्लेख किया है। उद्धृत का समय वा ८०० ई० के लगभग का है। राजशेखर ने आनन्दवर्धन की प्रशंसा की है। राजशेखर का समय ६०० ई० के लगभग का है। अतः आनन्दवर्धन के समय को नवीं शताब्दी के मध्य से लेकर समाप्ति तक का सरलता से कहा जा सकता है और विष्णुपद भट्टाचार्य का यह कथन ठीक प्रतीत होता है कि आनन्दवर्धन का अन्तिम समय ६०२ ई० समझा जा सकता है^१।

आनन्दवर्धन के वंश एवं जीवन वृत्तान्त के सम्बन्ध में कोई सामग्री प्राप्त नहीं होती। केवल यही जाना जा सकता है कि वे नोण या नोणोपाध्यय के पुत्र थे। 'ध्वन्यालोक' की एक पाण्डुलिपि में तीसरे उद्योत के अन्त में उन्होंने अपने को नोणमुत्त कहा है। 'काव्यानुशासन' में, हेमचन्द्र ने टीका करते हुए आनन्दवर्धन के 'देवीशतक' का उल्लेख किया है और इनकी नोणमुत्त कहा है। देवीशतक के १०१ वें श्लोक में आनन्दवर्धन ने स्वयं को नोणमुत्त कहा है^२।

३. आनन्दवर्धन की रचनायें

'ध्वन्यालोक' के रचयिता आनन्दवर्धन न केवल समालोचक ही थे, ध्वनितु कवि और दार्शनिक भी थे। इन्होंने काव्यों और दर्शन-ग्रन्थों की रचना भी की थी।

आनन्दवर्धन ने तीन काव्य लिखे थे—देवीशतक, विषमवाणलीला और भर्जुन-चरित। आनन्दवर्धन का 'देवीशतक' भगवती दुर्गा की आराधना के लिये लिखा गया काव्य है। यह काव्य आनन्दवर्धन के विरोधी चरित को प्रस्तुत करता है। ध्वनिकार ने एक और यह लिखा है कि रस से आदिप्त होकर त्रिन भलद्वारों का नियोजन बिना किसी पृथक् यत्न के हो सके, ध्वनि में उनका ही निवेश होना चाहिये, तथा यमक आदि भलद्वारों का नियोजन पृथक् यत्न से करना पठता है^३ जिस पर टीका करते हुए अभिनवगुप्त का कथन है कि योर, अद्भुत आदि रसों में भी यमक आदि का नियोजन

१. ध्वनिनास्तिगभीरेण वाच्यतरुनिवेशिना ।

आनन्दवर्धन. कस्य नासीदानन्दवर्धनः ॥

जह्णुषु की 'मूर्तिमुक्तावली' राजशेखर के नाम से उद्धृत ।

२. विष्णुपद भट्टाचार्य वृत्त ध्वन्यालोकाध्याय्या की प्रस्तावना पृष्ठ १५ ।

३. देव्या स्वप्नापद्मादिष्टदेवीशतकसंग्रहा ।

देवितानुपमामापादती नोणमुत्तोनुनिम् ॥ वाच्यमाता भाग ६॥

४. रमादिप्ततया यस्य बन्ध' नक्षत्रविषो भवेत् ।

अपृथग्यनरिवर्त्यः गोऽनद्वारो ध्वनी मनः ॥

यमके च प्रवर्धेन बुद्धिपूर्वक विषमाणो नियमेनैव ध्वन्यान्तरपरिग्रहं प्रापतति इन्द्रविशेषा-वेषरूपः ॥ ध्वन्यालोक द्वितीय उद्योत कारिका—१६ एवं उसकी वृत्ति ॥

रसविघ्नकारी है'। दूसरी ओर ध्वनिकार ने स्वयं 'देवीशतक' में शब्दालङ्कारों यमक, मुरजबन्ध, गोमूत्रिकाबन्ध, सर्वतोभद्र, प्रहेलिका, चतुरर्थ, श्लेष आदि अलङ्कारों का नियोजन किया है। इससे इन समालोचकों की कथनी और करनी के भेद का स्पष्टीकरण होता है। हो सकता है कि अलङ्कारवादी आचार्यों को समालोचकों की आलोचना से दुःख होकर उन्होंने अपने पाण्डित्य का प्रदर्शन किया हो अथवा यह भी हो सकता है कि 'देवीशतक' की रचना इनके प्रारम्भिक जीवन में हुई हो तथा प्रौढ अवस्था में ध्वनि सिद्धान्त को मान्यता देने पर इन्होंने ध्वन्यालोक की रचना की हो। महिमभट्ट ने 'व्यक्तिविवेक' में आनन्दवर्धन की इस प्रवृत्ति की कटु आलोचना की है।

आनन्दवर्धन की दो अन्य काव्य रचनाओं का संबंध भी मिलता है— 'विपमबाणलीला' और 'अर्जुनचरित'। इनकी इन्होंने स्वयं 'ध्वन्यालोक' में उद्धृत किया है। 'विपमबाणलीला' को द्वितीय उद्योत में तथा 'अर्जुनचरित' को तीसरे उद्योत में उद्धृत किया गया है।

आनन्दवर्धन दार्शनिक भी थे। इन्होंने दशम ग्रन्थों की रचना भी अवश्य की होगी। इनकी एक कृति का संकेत 'ध्वन्यालोक' के तीसरे उद्योत की ४७ वारिका की वृत्ति में मिलता है, जो कि लक्षण के अनिर्देश्यत्व के प्रसङ्ग में है। बौद्ध दशन क्षणभङ्गवादी दशन है। बौद्ध सब पदार्थों को क्षणिक मानते हैं अतः उनके अनुसार किसी भी पदार्थ का लक्षण नहीं किया जा सकता तथा वह अनाद्यपेय, अनिर्देश्य है। इसका उत्तर ध्वनिकार देते हैं— बौद्धों के मत में जो सभी पदार्थों के लक्षण को अनिर्देश्य कहा गया

१. तेन धीराद्भूतादिरसेष्वपि यमकादि बन्धे प्रतिपत्सुश्च रसविघ्नकार्यैव सर्वत्र । ध्वन्यालोक उद्योत—२ वारिका—१६ की लोचन टीका ॥

२ स्वकृतिध्वनिघनित बधमनुशित्यादयमयमिति न वाच्यम् ।
वारयति भिषगपथ्यादितरान् स्वयमाचरन्नि तत् ॥ व्यक्तिविवेक ॥

३ यथा च ममैव विपमबाणलीलायाम्—

साता जाग्रन्ति गुणा जाला दे सहिप्रएहिं षेपन्ति ।

रदित्तरणानुगहिप्राई होन्ति वमनाई वमलाई ॥

ध्वन्यालोक २१ की वृत्ति म ॥

यथा वा ममैव विपमबाणलीलायामसुरपराङ्मये कामदेवस्य—

त ताण सिरिसहोप्रररप्रणाहरणाम्मि हिप्रममेवतरमम् ।

विम्बाहरे विप्राण शिवेभिप्र कुमुमवारोण ॥

ध्वन्यालोक २२७ की वृत्ति में ॥

४ एतच्च मदीयेऽर्जुनचरितेऽर्जुनस्य पातालावतरणप्रसङ्गे वैशेष्येन प्रदर्शितम् ।

ध्वन्यालोक ३.२५ की वृत्ति म ॥

इस पर अभिनवगुप्त की टीका है—

प्रदर्शितमिति । 'समुत्थिते घनुर्वन्तो भयावहे निरोटिनो महानुपपन्नोऽम्बुपुरे-
पुरन्दरद्विपाम्' ॥

है, उनके मत की परीक्षा दूसरे ग्रन्थ में करेंगे। अभिनवगुप्त के अनुसार यह दूसरा ग्रन्थ धर्मोत्तर की विनिश्चयटीका की टीका है। प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य धर्मकीर्ति ने बौद्ध दर्शन पर 'प्रमाणविनिश्चय' ग्रन्थ लिखा था। इस पर आचार्य धर्मोत्तर ने 'प्रमाणविनिश्चयटीका' लिखी। आनन्दवर्धन ने इस टीका पर टीका लिखी होगी। वे धर्मकीर्ति से निश्चित रूप से परिचित रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने उनके श्लोक को ध्वन्यालोक में उद्धृत किया है।

आनन्दवर्धन की एक ग्रन्थ रचना 'नत्वालोक' का उल्लेख अभिनवगुप्त ने सोचन टीका में किया है। प्रतीत होता है कि ग्रन्थ अद्वैतवेदान्त दर्शन पर होगा। आनन्दवर्धन ने कुछ और भी दार्शनिक रचनाएँ एवं काव्य लिखे होंगे, जिनके नाम हमको विदित नहीं हैं। उन्होंने 'ध्वन्यालोक' में ही कुछ श्लोक उदाहरणों के रूप में ऐसे लिखे हैं जिनको वे अपनी रचना बताते हैं। सुभाषितावतियों में भी आनन्दवर्धन के नाम से कुछ श्लोक उद्धृत किये गये हैं।

१. यत्किन्दिश्यत्क सर्वलक्षणविषय बौद्धानां प्रसिद्ध तत्तन्मतपरीक्षायां ग्रन्थान्तरे निरूपयिष्यामः । ध्वन्यालोक ३.४७ की वृत्ति में ।

२. ग्रन्थान्तर इति । विनिश्चयटीकायां धर्मोत्तर्यां या विवृतिरमुना ग्रन्थकृता कृता तत्रैव उद् व्याख्यातम् । उपरोक्त पर सोचनटीका ।

३. सावर्ण्यद्रविणध्ययो न गणितः बलेशोमहान् स्वीकृतः
स्वच्छन्दस्य सुख जनस्य वसतश्चिन्तानलो दीपितः ।
एणापि स्वयमेव तुल्यरमणाभावाद्दराकी हता
योऽंशचेतसि वेधता विनिहितरतन्व्यास्तनु तन्वता ॥

इत्यत्र ध्याजस्तुतिरलङ्कार.....तथा चाप धर्मकीर्तेः श्लोक इति प्रगिति ।
ध्वन्यालोक ३.४० की वृत्ति में ॥

४. वेऽप्यविभक्त स्फोट वाच्य तदर्थं चाहुः, तैरप्यविचारपदनिर्तैः गर्वेवमनु-
सारणीया प्रक्रिया । तदुत्तीर्णत्वेनमर्षं परमेश्वरादयं ब्रह्मैत्यस्मच्छास्त्रकारेण न विदिता
तत्त्वालोकग्रन्थ विरचयतेत्यस्ताम् । कारिका १ ३ की वृत्ति पर सोचन टीका से ।

शास्त्रनय इति । तत्रान्वादयोगाभावे पुराणेष्वप्येत इत्ययमेव व्यापदेशः साक्षरः,
चमत्कारयोगे तु रमध्यपदेश -इति भावः । एतच्च ग्रन्थकारेण तत्त्वज्ञाने विवृतयोक्तम्
इह त्वस्य न मुद्योऽवसर इति नास्माभिस्तद् दक्षितम् । कारिका ४.५ की वृत्ति पर
सोचनटीका से ॥

५. यथा मर्षव—

या व्यापारयन्ती रतान् रमयितुं वाचिन् वचोर्ना नरा,
दृष्टिर्मात्ररिचिन्तितार्थविषयोमेवा च वैरिचिन्ती ।
ते द्वे अर्थवत्तन्व्य विश्वमनिर्गं निर्बलंयन्तो ययं,
धान्या नैव च तस्यमभियतया । तदुभयित्तुत्वं मुक्तम् ॥

ध्वन्यालोक ४.४४ की वृत्ति से ।

ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट है कि आनन्दवर्धन एवं और जहाँ प्रखर समालोचक थे और उन्होंने 'ध्वन्यालोक' जैसा सर्वाङ्गपूर्ण समालोचना गन्य लिखा, दूसरी ओर वे न कि और 'दार्शनिक' भी थे तथा उन्होंने वाक्यों और दर्शन ग्रन्थों की रचना की थी।

४. कारिकाकार और वृत्तिकार

'ध्वन्यालोक' गन्य की रचना के सम्बन्ध में प्राथमिक समालोचकों ने एक विवाद उपस्थित किया है। 'ध्वन्यालोक' के तीन भाग किये जा सकते हैं—कारिकायें, वृत्ति और उदाहरण। इनमें वृत्ति की रचना और उदाहरणों का संग्रह तो निर्विवाद रूप से आनन्दवर्धन की कृति समझे जाते हैं। परन्तु कारिकाओं की रचना के सम्बन्ध में विवाद है। कुछ आलोचकों के अनुसार ये कारिकायें आनन्दवर्धन की ही रचनायें हैं तथा कारिकाकार और वृत्तिकार एक ही है। कुछ आलोचकों का विचार है कि कारिकायें आनन्दवर्धन से पूर्व किसी अन्य विद्वान् ने लिखी थी तथा आनन्दवर्धन ने उन कारिकाओं पर वृत्ति की रचना की। इस प्रकार ये विद्वान् कारिकाकार और वृत्तिकार को भिन्न व्यक्ति मानते हैं।

संस्कृत साहित्य की प्राचीन परम्पराओं के अनुसार कारिकाओं तथा वृत्ति के रचयिता एक ही व्यक्ति आनन्दवर्धन हैं। उत्तरवर्ती प्रायः सभी आचार्यों व प्रति-हारेन्दुराज, वृत्तिक, महिमभट्ट, क्षेमेन्द्र, मम्मट, राजशेखर आदि के वाक्य कारिकाओं तथा वृत्ति का रचयिता आनन्दवर्धन को ही मानते हैं। परन्तु अभिनवगुप्त की लोचनटीका व कुछ ग्रंथों ने यह शङ्का उपस्थित की कि कारिका एवं वृत्ति के रचयिता भिन्न व्यक्ति हैं। इन विद्वानों के अनुसार लोचनटीका में कारिकाकार के लिये मूल-ग्रन्थवृत्त तथा वृत्तिकार के लिये ग्रन्थवृत्त पदों का प्रयोग हुआ है। इस प्रश्न को सबसे पहले डा० ब्रह्मर ने उठाया था तथा कारिकाकार एवं वृत्तिकार के भिन्न व्यक्ति होने की बात कही थी तथा बाद में ब्रह्मर के कथन का समर्थन प्रो० सोमानी, पी० पी० ब्राह्मण, एस० के० डे०, शिवप्रसाद भट्टाचार्य आदि विद्वानों ने किया। डा० पी० पी० काणे ने 'संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास' पुस्तक में अभिनवगुप्त की लोचनटीका के उन महत्वपूर्ण स्थलों को, जिनसे कारिकाकार एवं वृत्तिकार का भेद प्रकट होता है, इस प्रकार सगृहीत किया है—

(१) भतएव भूजकारिका साक्षात्तन्निराकरणे न श्रूयते। वृत्तिवृत्तु निराट्टनमपि

१. "From अभिनवगुप्त's tika it appears that verses (कारिका) are the composition of some older writer whose name is not given. But it is remarkable that they contain no मङ्गलाचरण। पी० पी० भट्टाचार्य।

२ संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास—प्रथम संस्करण (मोतीलाल बनारसी-दास) १९६६ पृ० २०६-२१०।

प्रमेयसख्या पूरणाय कण्ठेन तद्वक्ष्यमानुद्य निराकरोति येऽपीत्यादिना । तेनात्र प्रयगो-
द्योते ध्वने सामान्यलक्षणमेव कारिकाकारेण वृत्तम् द्वितीयोद्योते कारिकाकारोऽवान्तर-
विभाग विशेषलक्षणं च विदधदनुवादमुखेन मूलविभाग द्विविध सूचितवान् । तदाशया-
नुसारेण वृत्तिवृद्धौद्योते मूलविभागमवोचत् इत्यादि । (लोचन पृ० ७१ ७२) ।

(२) न चेतन्मयोक्तम् अपितु कारिकाकाराभिप्रायेणेत्याह इति । भवति मूलतो
द्विभेदत्व कारिकाकारस्यापि सम्मतमेवेति भावः । (पृ० ७३) ।

(३) उक्तमेव ध्वनिस्वरूपं तदाभासविवेकहेतुतया कारिकाकारोऽनुवदतीत्यभि-
प्रायेण वृत्तिवृद्धुपस्वारं ददाति । (पृ० १४६) ।

(४) एतत्तावत् द्विभेदत्व न कारिकाकारेण वृत्तं वृत्तिकारेण तु दक्षिणं न
चेदानीं वृत्तिकारो भेदप्रकटनं करोति । ततश्चेद वृत्तमिदं त्रिभेदं इति वृत्तभेदे वा
सङ्गतिः । (पृ० १५०-१५१) ।

(५) कारिकाकारेण पूर्वं व्यतिरेक उक्तः । न च सर्वेषु च कर्तव्योऽपि तु
वीभत्सादौ कर्तव्य एवेति पश्चादन्वयः । वृत्तिकारेण तु अन्वयपूर्वको व्यतिरेक इति
शैलीमनुसर्तुमन्वयः पूर्वमुपात्तः । (पृ० १६०) ।

(६) प्रतिपादिनमवैयामालम्बनम् (ध्व० पृ० १६६) पर लोचनकार वा कथन
है—प्रस्मन्मूलग्रन्थवृत्तत्वर्थं ।

(७) एतन्मादी च विषये यथोचित्यत्यागस्तथा दक्षिणमेवाप्रे (ध्व० पृ० १६६-
१७०) पर लोचनकार वा कथन है—दक्षिणमेवेति कारिकाकारेण प्रतिभूतप्रत्ययः ।

(८) घटितम पाठ वा यह अर्थ है—यदि कारिका तथा वृत्ति वा रचयिता
एव ही होना तो वह आगे चर्चा किये जाने वाले प्रसङ्ग के विषय दक्षिणतम् के स्थान पर
भविष्यत् काल वा प्रयोग करता । किन्तु कारिकाप्रो वा रचयिता वृत्तिकार मे भिन्न
एव पूर्ववर्ती है, अतएव वृत्तिकार ने दक्षिणमेवाप्रे (कारिकाकारेण) कहा है ।

(९) दक्षिणलोच ४३ की वृत्ति एव लोचनकार वा कथन है—यद्यप्यर्थानन्वय-
मात्रे हेतुवृत्तिकारेणोक्तस्तथापि कारिकाकारेण लोचन इति ।

इन उद्धरणों को तथा लोचनटीका के कुछ अन्य वाक्यों को भी उद्धृत करने
वाले महोदय ने प्रतिपादित किया है कि लोचन की दृष्टि में वृत्ति के रचयिता
घानन्दवर्धन हैं और वे मूलकारिकाकार से भिन्न हैं । इस प्रसंग में विद्वान् समानोक्त
ने कारिकाकार और वृत्तिकार को अन्वयमात्रे प्रतिपादित करने वाले तर्कों का सूक्ष्म
कारके दोनों का पृथक्-पृथक् प्रतिपादन किया है ।

दा० ए० के० डे० ने भी प्रथम मन्थने में कारिकाकार और वृत्तिकार को
भिन्नता को प्रतिपादित किया । प्राचीन लेखकों तथा परम्परा पर टिप्पणी करते हुए
वे निम्नलिखित हैं—

“Indeed, it seems that Anandavardhan in his classical writte
attempted to build up a more or less complete system of poetics upon
the loosely joined ideas and materials supplied by the brief karikas,

and his success was probab'ly so marvellous that in course of time, the karikakar receded to the back ground completely overshadowed by the more important figure of his formidable expounder, and people considered as the Dhvanikar not the author of the few memorial verses but the commentator Anandvardhan himself, who for the first time fixed the theory in its present form. The term 'Dhvanikar' itself came gradually to be used in the generic sense of the creator of the Dhvani school', and therefore indiscriminately applied by later writers, to Anandvardhan, who, though not himself the founder of the system, came to receive that credit for having first victoriously introduced it in the struggle of the school.

कारिकाकार एव वृत्तिकार की भिन्नता को प्रतिपादित करने के लिये डा० पी० वी० वाणो, सोबानी, डा० एस० वे० डे आदि विद्वानों ने अनेक तर्क विस्तार से प्रस्तुत किये हैं, परन्तु इस स्थल पर उन सबको विस्तृत रूप से देना सम्भव नहीं होगा। तथापि संक्षेप में उनके कुछ तर्कों को प्रस्तुत किया जा सकता है—

(१) डा० वाणो का कथन है कि प्राचीन काल में ग्रन्थों में जहाँ कारिकाएँ एव वृत्ति के रचयिता एक ही हैं, उन्होंने अपने ग्रन्थों में इसका प्रायः निर्देशवाद दिया है। 'ध्वन्यालोक' से लगभग १०० वर्ष पूर्व के वामन ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि सूत्र और वृत्ति दोनों उसने लिखे हैं। हेमचन्द्र ने भी इसी प्रकार किया है। अथशास्त्र के अन्त में विष्णुगुप्त ने भी यह बात प्रकट की है।*

(२) ध्वन्यालोक में अनेक परिवार श्लोक हैं, जिनमें से कुछ श्लोक कारिकाओं से भी अधिक सारगर्भित हैं। जैसे—

(क) विच्छित्तिशोभिर्वेन भूपणेनव कामिनी ।

पदद्योत्येन मुकुवेर्ध्वनिः भाति भारती ॥ ध्वन्यालोक ३१ की वृत्ति में ॥

(ख) अयुत्तत्तितृती दोष शक्या सह्यते कवे ।

यस्त्वशक्तिकृतिस्तस्य स भटित्येषवभासत ॥

ध्वन्यालोक ३६ की वृत्ति में ॥

(ग) अनौचित्याहते नान्यद् रसभगस्य कारणम् ।

प्रसिद्धौचित्यत्रयस्तु रसस्योपनिषत् परा ॥

ध्वन्यालोक ३१४ की वृत्ति में ॥

यदि कारिकाओं एव वृत्ति का रचयिता एक ही व्यक्ति होता, तो वह इन श्लोकों को अप्रधान स्थिति में न रखकर कारिकाओं के अंतर्गत क्यों नहीं रखता।

* विष्णुगुप्त भट्टाचार्य कृत ध्वन्यालोक की अंग्रेजी व्याख्या की प्रस्तावना के पृष्ठ XXXII से उद्धृत।

२. स्वयमेव विष्णुगुप्तत्रयकार सूत्र भाष्य च।

ग्रन्थ ग्रन्थकारो—मम्मट आदि ने, जो कारिकाकार भी हैं तथा वृत्तिकार भी है, ऐसा नहीं किया। अतः कारिकाकार और वृत्तिकार अलग अलग व्यक्ति है।

(३) 'ध्वन्यालोक' की कारिका २.२३ से पूर्व आये 'तथा च' पद की व्याख्या आभनवगुप्त ने इस प्रकार की है—

प्रकान्तप्रकारद्वयोपसंहार तृतीयप्रकारसूचन चैनेनैव यत्नेन करोमीत्याशयेन साधारणमवतरणपद प्रक्षिपति वृत्तिकृत्-तथा चेति ।

भाव यह है कि कारिकाकार ने तो शब्दशक्तिमूल एव अर्थशक्तिमूल दो ही प्रकार की ध्वनि का निर्देश किया था, परन्तु वृत्तिकार तीसरे प्रकार की ध्वनि उभयशक्तिमूल की सूचना देने के लिये साधारण अवतरण पद को दे रहे हैं। बाणो महोदय का कहना है कि यदि कारिकाकार एव वृत्तिकार एक ही होते तो यहाँ मूल कारिका में ही ध्वनि के इन तीनों भेदों की गणना कर ली जाती। यहाँ वृत्ति में तीन भेदों की गणना करने से वृत्तिकार पर जो उत्सूत्र व्याख्यान का दोष लगता है, वह भी नहीं लगता।

(४) 'ध्वन्यालोक' की कारिकाओं से पूर्व मङ्गल श्लोक का न होना कारिकाकार और वृत्तिकार की एवता का प्रतिपादन नहीं करता। यद्यपि प्राचीन ग्रन्थकार ग्रन्थ के प्रारम्भ में मङ्गलाचरण की परम्परा का पालन प्रायः किया करते थे, तथापि सभी प्राचीन लेखकों ने इस प्रथा का सर्वत्र पालन किया हो ऐसा नहीं है। अनेक ग्रन्थकारों ने अपनी रचना के प्रारम्भ में मङ्गलाचरण नहीं किया। उदाहरण के लिये शबर ने जैमिनीय सूत्रों के भाष्य के प्रारम्भ में, शङ्कराचार्य ने ब्रह्मसूत्रों के भाष्य के प्रारम्भ में, वात्स्यायन ने न्यायसूत्रों के भाष्य के प्रारम्भ में, उद्योतकर ने न्याय-वातिकों के भाष्य के प्रारम्भ में और मण्डन मिथ ने 'विधिविवेक' के भाष्य के प्रारम्भ में मङ्गलाचरण नहीं किया।

मङ्गलाचरण के सम्बन्ध में साहित्यशास्त्र के ग्रन्थों में भी विभिन्न परम्परायें रही हैं। वासन ने सूत्रों के प्रारम्भ में मङ्गल नहीं किया, अपितु वृत्ति के प्रारम्भ में किया है। मम्मट ने कारिकाओं के प्रारम्भ में मङ्गल कारिका लिखी, परन्तु वृत्ति के प्रारम्भ में नहीं लिखी। उद्भट ने अपना अलङ्कार ग्रन्थ 'कव्यालङ्कार' बिना मङ्गल के ही लिखा। 'अलङ्कार सर्वस्व' के सूत्रों के प्रारम्भ में मङ्गल नहीं है, अपितु वृत्ति के प्रारम्भ में है। हेमचन्द्र ने सूत्र और वृत्ति दोनों के प्रारम्भ में मङ्गल रखा है। अतः ग्रन्थ के प्रारम्भ में मङ्गलाचरण का कोई निश्चित अनिवार्य नियम प्राचीनकाल में नहीं था। जैसे पाणिनि ने सूत्रों के प्रारम्भ में 'वृद्धि' पद का प्रयोग करके मङ्गलाचरण कर दिया था, उसी प्रकार कारिकाकार के 'काव्यस्यात्मा' पद ही मङ्गलवाची हो गये। अतः मङ्गलाचरण के साधारण पर कारिकाकार एव वृत्तिकार में अन्तर्भाव का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता।

१. शब्दाशंशकत्याक्षिप्तोऽपि व्यङ्ग्योऽर्थो कविना पुनः ।

यत्राविच्छिद्यते श्लोक्या सा यैवालङ्कृतिर्दने ॥

(५) 'स्वेच्छाकेसरिण'० मगल श्लोक की टीका करते हुए अभिनवगुप्त इसको वृत्तिकार की रचना बताते हैं, 'जबकि पहली कारिका उनके अनुसार आदि वाक्य है'। इससे सिद्ध है कि उनके अनुसार 'काव्यस्यात्मा०' कारिकाकार की प्रथम कारिका है और 'स्वेच्छाकेसरिण'० वृत्तिकार का मगल श्लोक है तथा कारिका एव वृत्ति के रचयिता भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं।

जबकि डा० वाणेश्वर आदि विद्वानों ने कारिकाओं और वृत्ति के रचयिताओं को पृथक् माना है तो कारिकाकार कौन था? यह प्रश्न उत्पन्न होता है। वृत्ति के रचयिता आनन्दवर्धन हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है। अतः कारिकाओं के रचयिता के नाम पर ही विचार करना शेष रह जाता है। परन्तु इससे भी पहले ग्रन्थ के नाम को लेकर कुछ विवेचन आवश्यक है, जिससे इस प्रश्न पर भी प्रकाश पड़ता है।

प्राचीन हस्तलिखित पुष्पिकाओं में इस ग्रन्थ को 'काव्यालोक', 'सहृदयालोक' काव्यालकार, ध्वनि आदि अनेक नामों से कहा गया है। लोचनकार ने इसको 'काव्यालोक' कहा है तथा यह तथ्य लोचनटीका के प्रारम्भिक तथा अन्तिम श्लोकों से स्पष्ट होता है। 'भरतनाट्यशास्त्र' की 'अभिनवभारती' टीका में अभिनवगुप्त ने इस ग्रन्थ को 'सहृदयालोक' कहा था। 'ध्वन्यालोक' की चतुर्थ उद्योत की वृत्ति के अन्तिम से पहले श्लोक के अनुसार 'मूल ग्रन्थ का नाम काव्य' या ध्वनि' रहा होगा' तथा

१. स्वयमव्युच्छिन्नं परमेश्वरसामुख्य करोति वृत्तिकार ।

२. अथ प्राधान्येन प्रयोजनं च सामर्थ्यात् प्रकटयन्नादिवाक्यमाह काव्य-
स्यात्मेति ।

३. भट्टेन्दुराजचरणाञ्जकृताधिवास-

हृद्यश्रुतोऽभिनवगुप्तदाभिधोऽहम् ।

यत्किञ्चिदप्यनुरणन् स्पुटयामि काव्या

श्लोक स्वलोचननियोजनया जनस्या ॥

लोचनटीका प्रस्तावना दूसरा श्लोक ॥

आनन्दवर्धनविवेकविकासिकाव्या-

श्लोकार्यतत्त्वघटनादनुमेयसारम् ।

यत्प्रोन्मिपत्सकलमद्विपयप्रकाशि-

व्यापायताभिनवगुप्तविलोचनं तत् ॥ लोचनटीका के अन्तिम श्लोकों में ॥

४ स्वशब्दानाभिधेयत्वं हि रसादीनां ध्वनिवारादिभिर्दशितम् । तच्च मदीया-
देव तद्विवरणाय सहृदयालोकलोचनादवधारणीयम् । भरत ना० शा० व प्र० ७ भाग
१ पद अभिनवगुप्त की टीका ।

५ इत्यक्लिष्टरसाश्रयोचितगुणालङ्कारशाभाभूतो

यस्माद्वस्तु समीहितं मुहुतिभिः सर्वं समासाद्यन ।

काव्याख्यं स्मिन्सौख्यधाम्नि विबुधोद्याने ध्वनिर्दशित

सायं रूपरूपमानमहिमा भोग्योऽस्तु भव्यात्मनाम् ॥

उसकी व्यख्या करने के आधार पर प्रस्तुत ग्रंथ का नाम 'वाच्यलोक' या ध्वन्यालोक रखना ठीक होगा। राघवभट्ट ने 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' की टीका में इस ग्रंथ को 'सहृदयहृदयालोक' कहा था।^१

कारिकाभा के रचयिता का नाम 'सहृदय' था, ऐसी कल्पना डा० बागे, सोबानी आदि विद्वानों ने की है। डा० सोबानी ने इस कल्पना का आधार 'सहृदया लोक' नाम को लिया है। क्योंकि आनन्दवधन की वृत्ति का नाम 'सहृदयालोक' है, अतः मूल कारिकाभा के लेखक का नाम सहृदय हो सकता है। लोचनटीका के मंगल श्लोक में आये पद 'कवि सहृदयाख्यम्'^२ के आधार पर भी वे कारिकाभा के लेखक का नाम सहृदय प्रतिपादित करते हैं।

डा० काणे का कथन है कि कारिकाधार का नाम सहृदय था, इसको प्रतिपादित करने के लिये तथ्य अपर्याप्त हैं तथा प्रो० सोबानी ने जिस आधार पर इसको प्रमाणित किया है, उनसे उनका मन्तव्य निश्चित रूप से सिद्ध नहीं होता। कारिकाधार का नाम अभी तक निश्चित नहीं किया जा सका।^३ तथापि उन्होंने इसके लिये कुछ और प्रमाण प्रस्तुत किये—

(१) 'अभिधामानुकावृत्ति' की रचना मुकुलभट्ट ने अभिनवगुप्त से लगभग १०० वर्ष पहले की थी। उसमें लिखा है—

(क) 'लक्षणामार्गावगाहित्व तु ध्वने सहृदयैर्नूतनतयोपवर्णितस्य विद्यत इति दिशमुमोलयितुमिदमत्रोक्तम्।'^४

अर्थात् आदरणीय सहृदय द्वारा नूतन रूप से प्रतिपादित ध्वनि का अन्तर्भाव लक्षणा में ही हो जाता है।

(ख) 'तथाहि तत्र विवक्षितान्यपरता सहृदयै काव्यवत्तमनि निरूपिता।'^५

आदरणीय सहृदय ने काव्य के माग में विवक्षितान्यपरता का निरूपण किया था।

इससे सिद्ध है कि मुकुलभट्ट से पूर्व सहृदय ने ध्वनि के नये सिद्धान्त को प्रवर्तित किया था।

(२) मुकुल के शिष्य प्रतिहारेदुराज ने लिखा है—

ननु यत्र काव्ये सहृदयहृदयाह्लादिन प्रधानभूतस्य स्वशब्दव्यापारास्पृष्टत्वेन प्रतीयमानैकरूपस्याथस्य सद्भावस्तत्र तथाविधार्थाभिव्यक्तिहेतु काव्यजीवितभूत केशिचत् सहृदयैर्ध्वनिर्नाम व्यञ्जकत्वभेदात्का काव्यधर्मोऽभिहित।'^६

इन वाक्यों से प्रतीत होता है कि ध्वनि के सिद्धान्त का मूल प्रतिपादक सहृदय रहा होगा तथा कारिकाभा की रचना उसने ही की होगी।

१ यदुक्त राजानकानन्दवधने सहृदयहृदयालोके • निवन्धनम्।

२ सरस्वत्यास्तत्त्ववधिसहृदयाख्यविजयत। लोचनटीका का मंगल श्लोक।

३, डा० पी० वी० बाणे—संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास पृ० २४५।

(३) 'ध्वन्यालोक' में स्थान-स्थान पर सहृदय का नाम आदर से लिया गया है। 'सहृदयमनःप्रतीये' की वृत्ति में आनन्दवर्धन ने "सहृदयानामानन्दो मनसि लभता प्रविष्टाम्" पद लिखकर सहृदय के प्रति आदर व्यक्त किया है। इससे अनुमान लगाया गया है कि आनन्दवर्धन के गुरु सहृदय थे, जिन्होंने कारिकाग्रो की रचना की एवं आनन्दवर्धन ने उन पर वृत्ति की रचना की।

प्रो० काणे आदि के मत का अन्य समालोचको ने प्रबल विरोध किया है। डा० शंकरन्, डा० सतकारी मुखर्जी, डा० कृष्णमूर्ति आदि विद्वानों का मन्तव्य है कि कारिकाकार एवं वृत्तिकार एक ही व्यक्ति आनन्दवर्धन थे तथा उनमें भेद मानने का कोई औचित्य नहीं है। इनके मतों और युक्तियों की विस्तृत विवेचना यहाँ सम्भव नहीं होगी, तथापि संक्षेप से अभिन्नता की युक्तियों को निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है—

(१) संस्कृत साहित्यकार की प्राचीन परम्परा 'ध्वन्यालोक' के कारिकाकार एवं वृत्तिकार को एक ही व्यक्ति मानती है। प्राचीनकाल में भारतवर्ष में, विशेष रूप से वाशमीर में यह परम्परा रही कि एक विद्वान् अपने सिद्धान्तों को प्रतिपादन करने हुए पहले सूत्र या कारिका की रचना करता था तथा उसको समझाने के लिए वाक्य में वृत्ति लिखता था। आनन्दवर्धन ने भी इस परम्परा का पालन किया था।

२ कारिकाकार एवं वृत्तिकार में व्यक्तिभिन्नता का प्रतिपादन मुख्य रूप से अभिनवगुप्त की लोचन टीका के कुछ अंशों के आधार पर किया जाता है। परन्तु अभिनवगुप्त ने ही 'ध्वन्यालोक' की लोचन टीका में तथा 'नाट्यशास्त्र' की अभिनव-भारती टीका में ऐसी पवित्रयाँ लिखी हैं, जो कारिकाकार एवं वृत्तिकार के एकत्व को प्रतिपादित करती हैं। जैसे—

(क) "एव कारिका व्याख्याय तदसङ्गृहीतमलक्ष्यमव्यङ्ग्यं प्रपञ्चितुमाह भस्त्विति।" ध्वन्यालोक ३.२ कारिका की लोचन टीका।

(ख) "एव व्यङ्ग्यस्वरूप निरूप्य सवथा यत्तच्छून्यं तत्र वा वार्तेति निरूपयितु-
माहप्रधानेत्यादिना कारिकाद्वयेन।" ध्वन्यालोक ३.४१ कारिका की लोचन टीका।

(ग) स्वशब्दानभिधेयत्व हि रसादीना ध्वनिकारादिभिर्दणितम्। तच्च मदीयादेव तद्विवरणत् सहृदयालोकलोचनादवधारणीयमिह तु यथावसर वक्ष्यते एव।" म० ना० शा० अ० ७ भा० १ पर अभिनवभारती टीका।

(घ) "एतमेवार्थं सम्पगानन्दवर्धनाचार्योऽपि विविच्य न्वरपयत्। 'ध्वन्यात्मभूते०' (ध्व० २.१७) इत्युक्तत्वा क्रमेण 'विवक्षा तत्परत्वेन०' (ध्व० २.१८) इत्यादिना ग्रन्थसन्दर्भेण सीदाहरणेन। तच्चात्माभि सहृदयालोकलोचने तद्विवरणे विस्तरतो व्याख्यातम्।"

इन वाक्यों से यह स्पष्ट है कि ध्वनिकार आनन्दवर्धन न ही है तथा कारिकाग्रो की रचना भी उन्होंने ही की थी।

(३) यदि यह मान भी लिया जावे कि अभिनवगुप्त काविकाकार और वृत्तिकार को भिन्न भिन्न व्यक्ति मानते थे, तो भी इससे उसका भेद सिद्ध नहीं हो जाता। अभिनवगुप्त का समय अथवा अवधि व लगभग १२० वर्ष बाद का था। हो सकता है कि काविकाकार एवं वृत्तिकार की भिन्नता को प्रतिपादित करने में वे गलत रहे हों। अभिनवगुप्त से पूर्ववर्ती साहित्यशास्त्रियों ने और बाद के साहित्यशास्त्रियों ने काविकाकार एवं वृत्तिकार को एक ही माना है। स्वयं अभिनवगुप्त के शिष्य धम्मद्र के अनुसार काविकाकार एवं वृत्तिकार एक ही हैं। इनके मतों को प्रायः बहाल आ रहा है।

(४) धम्मद्रवधन ने कही भी काविकाकार के नाम का स्वयं उल्लेख नहीं किया। नाहीं अभिनवगुप्त ने स्वयं काविकाकार के नाम का उल्लेख किया है जब कि यह धम्मद्रवधन का नाम ध्वनिहार के रूप में प्रारंभ से लता है। यदि काविकाकार एवं ध्वनिहार भिन्न भिन्न होते तो धम्मद्रवधन या अभिनवगुप्त काविकाकार का नाम अवश्य उद्धृत करते। यदि काविकाकार का रचयिता धम्मद्रवधन से अतिरिक्त कोई अन्य है और वे उसका नाम उद्धृत नहीं करते हैं तो उन पर साहित्यिक चोरी का शक लगाया जा सकता है।

(५) धम्मद्रवधन ने स्वयं अपने को ध्वनि का प्रतिष्ठाता कहा है और किसी अन्य का नाम नहीं लेते। ध्वन्यालोक की एक प्रति में निम्न श्लोक मिलता है—

इति काव्याद्यविवक्षो योऽयं नेतश्चमत्कृतिविधायी ।
सूरिभिरनुगृह्यमाणैरस्मदुपनो न निरगाथ्य ॥

इस श्लोक के अनुसार यह ध्वन्यालोक सम्पूर्ण रूप में धम्मद्रवधन की उपजा है अर्थात् उन्होंने ही इसकी प्रतिलिपि की है। इसमें अतिरिक्त धम्मद्रवधन का नाम भी नहीं है।

संवाच्यतस्त्वविषय स्फुरितप्रमुत्त-
वप मासु परिपश्यधियां यथासीत् ।
तद् व्याकरोत् सहृदयो यथाभट्टेना-
धम्मद्रवधन इति प्रथिताभिधान ॥

से भी यही सिद्ध होता है कि सम्पूर्ण ध्वन्यालोक का (काविका और वृत्ति का) रचयिता धम्मद्रवधन ही है।

(६) डॉ० व० सी० गार्डल का कथन है कि अभिनवगुप्त के गुरु उत्तानदेव ने 'ईश्वरप्रथमिणा नामक ग्रन्थ की रचना काविकाकार की थी तथा उस पर स्वयं वृत्ति भी लिखी थी। इस पर अभिनवगुप्त ने किमिन्नी नामक टीका लिखी। इस टीका में अभिनवगुप्त ने कही भी यह बात नहीं लिखी कि काविकाकार और वृत्तिकार एक ही व्यक्ति को रचना है। इस कारण से ही धम्मद्रवधन के अनुसार ध्वन्यालोक की काविकाकार और वृत्तिकार रचयिता को भिन्न भिन्न माना गया है।

(७) एक प्रश्न यह भी उपस्थित होता है कि अभिनवगुप्त ने लोचनटीका क्या सम्पूर्ण 'ध्वन्यालोक' पर, कारिका और वृत्ति दोनों पर लिखी थी, या केवल वृत्ति पर लिखी थी? यदि लोचनटीका कारिका और वृत्ति दोनों पर लिखी गई है तो इनको एक व्यक्ति की रचना मानने में आपत्ति नहीं होनी चाहिये। लोचनटीका को देखने में स्पष्ट रूप में प्रतीत होता है कि ये दोनों ही भाग इस टीका में व्याख्या किये गये हैं। अतः कारिका और वृत्ति एक ही व्यक्ति की रचना हैं। इस सम्बन्ध में डा० कारे का कथन है कि अभिनवगुप्त ने केवल वृत्ति भाग की ही व्याख्या की है। वे अपनी टीका 'काव्यालोकलोचन' या सहृदयालोकलोचन कहते हैं जो कि वृत्ति भाग का ही निर्देश करते हैं। यदि कारिकाओं का वही व्याख्यान है, तो वह निर्देशमात्र है। परन्तु कारे महोदय का यह तर्क कुछ जमता नहीं। लोचनटीका दोनों ही भागों की व्याख्या करती है।

(८) एक प्रश्न और भी उपस्थित किया गया है। प्राचीन भारत में ग्रन्थ रचना के सम्बन्ध में परम्परा थी कि सबसे पहले मगलाचरण किया जावे और उसके पश्चात् मूलग्रन्थ को आरम्भ किया जाये। ध्वन्यालोक के वृत्ति भाग में तो 'स्वेच्छाकेसरिणः' के रूप में मगलाचरण है परन्तु कारिका भाग के आरम्भ में नहीं है। इससे सिद्ध है कि ये दोनों भाग एक ही व्यक्ति की वृत्ति हैं तथा आनन्दवर्धन ने मगलाचरण करके कारिकाओं की तथा तदनन्तर वृत्ति की रचना आरम्भ की थी।

(९) यदि कारिकाओं और वृत्ति की रचना भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने की थी, तो कारिकाकार का नाम जानना भी अनिवार्य है। डा० कारे, प्रो० सोवानी आदि समालोचकों के अनुसार कारिकाओं के रचयिता का नाम सहृदय था। परन्तु साहित्यशास्त्र में सहृदय व्यक्तिवाचक नहीं है, अपितु विशेषण है। अतः आचार्यों ने सहृदय शब्द के अर्थ को स्पष्ट किया है। लोचनकार ने सहृदय पद की व्याख्या इस प्रकार की है—

“सहृदयानामिति । येषां वाङ्मानुशौलनाभ्यासवशाद् विचारीभूते मनोमुकुटे वरुणीयतन्मयीभवनयोग्यता ते सहृदयसंवादभाज सहृदया ।”

अर्थात् काव्यों के अनुशीलन का अभ्यास हो जाने से जिनके मन रूपी दरुण स्वच्छ हो जाते हैं, उन मनो में वरुणीय वस्तु के साथ भिन्नी तन्मय हो जाने की योग्यता हो जाती है, अपने हृदय के साथ संवाद (तन्मयता के कारण आनन्द की स्थिति) रखने वाले ये सहृदय हैं।

आनन्दवर्धन ने स्वयं सहृदय पद का प्रयोग काव्यरसज्ञों के लिये किया है—
“वैकटिका एव हि रसतत्त्वविदा, “सहृदया एव हि वाङ्माना रसज्ञा इति कस्यात्र विप्रतिपत्तिः” ।”

आनन्दवर्धन ने सहृदय वाक्यरसिणों के आनन्द की प्राप्ति के लिये इन श्रुतियों की रचना की तथा इसी विशेषता के कारण अभिनवगुप्त ने इनको 'सहृदयचक्रवर्ती'

की उपाधि से विभूयित किया^१। इस प्रकार कारिकाकार को 'सहृदय' नाम देना उचित नहीं है और इस आधार पर इनके व्यक्तित्व को भिन्न भी नहीं माना जा सकता।

(१०) राजशेखर ने काव्यमीमांसा में आनन्दवर्धन को उद्धृत करते हुये लिखा है -

प्रतिमाध्युत्पत्त्यो प्रतिभा श्रेयसी इत्यानन्द । सा हि कवेरध्युत्पत्तिवृत्त दोष-
भशेदमाच्छादयति । तत्राह—“अभ्युत्पत्तिवृत्तो दोष. शक्त्या सन्नियते कवेः । यस्त्वशक्ति-
वृत्तस्तस्य भगित्येवावभासते” ॥

अनन्दवर्धन के नाम से उद्धृत यह पद्य ध्वन्यालोक ३.६ की वृत्ति में है।

इसके साथ ही जहलण की सूक्ति मुक्तावली में राजशेखर के नाम से एक पद्य है।

ध्वनिनातिगभीरेण काव्यतत्त्वनिवेशिना ।

आनन्दवर्धनः कस्य नासीदानन्दवर्धन ॥

इससे स्पष्ट है कि राजशेखर के समय में आनन्दवर्धन ध्वन्यालोक की वृत्ति के रचयिता के रूप में तो प्रसिद्ध हो ही चुके थे, वे ध्वनिकार के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे।

(११) मूलभक्त के शिष्य प्रतिहारेन्दुराज ने ध्वनि का समावेश अलङ्कारों में प्रतिपादित किया है। उसने ध्वनि के तीन भेदों—वस्तु, अलङ्कार रस को बताकर कहा है कि ये अलङ्कार ही हैं। प्रतिहारेन्दुराज का कहना है कि 'ध्वन्यालोक' में इन ध्वनियों के जो उदाहरण दिये गये हैं, वे वास्तु अलङ्कारों के हैं। इस तथ्य का प्रतिपादन करके वे लिखते हैं—

(क) तत्र हि प्रतीयमानैरुत्पत्त्य वस्तुनैविध्यं तैरुक्ता (तै = सहृदयं), वस्तु-
मात्रालङ्काररसादिभेदेन । तत्र वस्तुमात्र तावत्प्रतीयते यथा चत्राभिघातप्रमभाजयैव ।

(ख) वाच्यशक्त्याश्रय (व्यञ्जकत्वम्) तु रसादिवस्तुमात्रालङ्काराभिव्यक्ति-
हेतुत्वात् त्रिभिः । तत्र यत्तावद् वाचकशक्त्याश्रयं व्यङ्ग्यभूतालङ्कारैरनियतं शब्द-
शक्तिमूलानुरणनरूपव्यभक्तय सहृदयैर्व्यञ्जकत्वयुक्तं “सर्वैश्शरणाभक्षयम्” इत्यादौ, तत्र
शब्दशक्त्या ये प्रतीयन्ते विरोधादयोऽलङ्कारास्ततस्त्वैतत्त्वभाव वाच्यमवगम्यते ।
अतस्तत्र वाच्यस्य विवक्षैव ।

(ग) अत एव सहृदयैर्मत्र वाच्यस्य विवक्षितत्वं तत्रैव वस्त्वलङ्कारयोः प्रतीय-
मानयोर्वाच्येन सह अत्रव्यवहारः प्रवर्तितोऽयंशानि मूलानुरणनरूपव्यभक्तौ ध्वनिरित्युक्तं न
तु वाच्यविक्षायामपि । यत्र च वाच्यस्याविवक्षा पूर्वमुक्ता रामोऽस्मीति सुवर्णपुष्पा-
मिति च तत्र वषमविवारापेतप्रस्तुतार्थानुबन्धवस्तूपनिबन्धनादप्रस्तुतप्रशसाभेदत्वमेव
न्याय्यं मन्यामहे ।

१ यथा मनसि प्रतिष्ठा एव विषयस्य मन. सहृदयचक्रवर्ती खल्वय ग्रन्थदिति
र वत् । ध्वन्यालोक ११ की वृत्ति पर लोचनटीका ।

प्रतिहारैन्दुराज के इन वचनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि वे कारिका और वृत्ति दोनों का रचयिता सहृदय को मानते थे तथा कारिकाकार और वृत्तिकार एक ही थे। सहृदय पद का प्रयोग घानन्दवर्धन के लिये ही था।

(१२) चक्रोक्तिश्लेषित' म कुन्तक ने वृत्तिकार को ध्वनिकार के नाम से ही सम्बोधित किया है एवं उनसे एक पद्य को रुढिव्यङ्गता के रूप में प्रस्तुत करके लिखा है—

ध्वनिकारेण व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावोऽत्र सुतरा समर्थितं किं पीनस्वत्वेन ।

अतः कुन्तक घानन्दवर्धन को ध्वनिकार मान कर कारिकाकार एवं वृत्तिकार के एकत्व को प्रतिपादित करते हैं।

(१३) काश्मीर निवासी महिमभट्ट लोचनकार अभिनवगुप्त के सगुण समकालीन थे। उन्होंने ध्वनिकार के मत का खण्डन करने के लिये ही 'व्यक्तिविवेक' नामक ग्रन्थ की रचना की थी। महिमभट्ट ने कारिका एवं वृत्ति का रचयिता एवं ही व्यक्ति को माना है। उन्होंने "यत्रार्थं शब्दो या०" (ध्व० ११३) कारिका को उद्धृत करके उसे ध्वनिकार की रचना बताया है और साथ ही अन्य स्थल पर वृत्ति को उद्धृत करके उसको भी ध्वनिकार की रचना बताया है। इस प्रकार महिमभट्ट कारिकाकार और वृत्तिकार एक ही व्यक्ति को मानते हैं।

(१४) जयन्तभट्ट ने 'न्यायमञ्जरी' में ध्वनिसिद्धान्त की प्रालोचना की है। जयन्त राजा शङ्करवर्मा की राजसभा में थे, जैसा कि 'राजतरङ्गिणी' के एक श्लोक से स्पष्ट है। यह शङ्करवर्मा घानन्दवर्धन का माथयदाता ध्वनिवर्मा का उत्तराधिकारी था। अतः जयन्तभट्ट या तो घानन्दवर्धन का समकालीन था, या उनका तुरन्त बाद हुआ था। इनकी इस प्रालोचना को पृष्ठ ६ पर उद्धृत किया जा चुका है। इस प्रालोचना में जयन्तभट्ट ने ध्वन्यालोक की वृत्ति में से एक 'भ्रम धम्मिप्र०' पद्य का निर्देश किया है। इससे यह प्रतीत होता है कि जयन्त की दृष्टि में ध्वनिसिद्धान्त को स्थापित करने वाला तथा 'भ्रम धम्मिप्र०' उदाहरण को प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति एक ही है। अतः कारिकाकार और वृत्तिकार को भिन्न मानने का कोई प्रोचित्य नहीं है।

(१५) क्षेमेन्द्र ने, जो कि अभिनवगुप्त का ही शिष्य था, 'प्रोचित्यविचारपर्याय' की रचना की थी उसमें ध्वन्यालोक की निम्न कारिका को घानन्दवर्धन के नाम से उद्धृत किया है—

"विरोधी या विरोधी या रसाङ्गिनि रसान्तरे ।...विरोधिता ॥"

क्षेमेन्द्र, जो कि अभिनवगुप्त का ही शिष्य था, उनका कथन को अभिनवगुप्त का ही मत समझा जा सकता है। इस आधार पर भी कारिकाकार और वृत्तिकार दोनों घानन्दवर्धन ही हो सकते हैं।

१ ध्वन्यालोक में यह कारिका इस प्रकार है—

प्रविरोधी विरोधी वा रसाङ्गिनि रसान्तरे ।

परिपोष न नानस्तथा स्यादविरोधिता ॥ ३२४ ॥

(१६) हेमचन्द्र ने 'काव्यानुशासन' में 'ध्वन्यालोक' की कुछ कारिकाओं को आनन्दवर्धन के नाम से उद्धृत किया है। ये कारिकायें प्रतीयमान पुनरन्यदेव० (१/४) ३.३० तथा ३.३६ हैं। अतः हेमचन्द्र की सम्मति में आनन्दवर्धन ही कारिका और वृत्ति दोनों के रचयिता थे।

(७) उदयोत्तुंग ने 'ध्वन्यालोक' की लोचनटीका की चौमुदी नामक टीका लिखी थी। इस टीका में लोचन के मङ्गल श्लोक के अन्तिम चरण "सरस्वत्यास्तस्व [कविसहृदयाख्य विजयते" की एक व्याख्या उसने इस प्रकार की है—

"यदि वा कविशब्देन सर्वेऽपि कवय सहृदया गृहीता सहृदयशब्देनानन्दवर्धनाचार्यं ततश्च देवतात्मत्वे गुरुमस्कारोऽपि अनुसहितो भवति।"

इससे प्रतीत होता है कि वे सहृदय पद को आनन्दवर्धन का द्योतक समझते थे और उनकी सम्मति में कारिकाओं का लेखक अन्य कोई सहृदय नहीं है। अतः कारिकाकार और वृत्तिकार को भिन्न मानने में कोई औचित्य नहीं है।

(१८) विश्वनाथ कविराज ने "साहित्य दर्पण" में ध्वन्यालोक की कारिकाओं १.१ एवं २.१२ को ध्वनिकृत के नाम से उद्धृत किया है। इसके साथ ही उसने वृत्ति के भाग "न हि कवेरितिवृत्तमात्रनिर्वाहेण" को भी ध्वनिकारकृत बताया है। अतः वे कारिकाओं और वृत्ति का रचयिता एक ही व्यक्ति को मानते हैं।

(१९) पंडितराज जगन्नाथ ने भी आनन्दवर्धन को ही ध्वनि के सिद्धान्त की स्थापना करने वाला प्रतिपादित किया है। वे लिखत हैं—

'ध्वनिकृतमालङ्कारिकसरणिष्ववस्थापकत्वात्'।

इस प्रकार आनन्दवर्धन के बाद से लेकर विश्वनाथ कविराज तक जितने भी समालोचक और विद्वान् हुये, उन्होंने कारिकाकार एवं वृत्तिकार में भेद का प्रतिपादन नहीं किया और वे आनन्दवर्धन को ही कारिकाओं और वृत्ति का रचयिता मानते रहे। अभिनवगुप्त की लोचनटीका का प्रमाण भी इस भिन्नता को प्रतिपादित करने के लिये असन्दिग्ध नहीं है। इस अवस्था में भारतीय परम्परा के अनुसार आनन्दवर्धन को कारिका एवं वृत्ति दोनों का रचयिता मानने में विशेष दोष दृष्टिगोचर नहीं होता।

इतना होते हुये भी, कारिकाकार और वृत्तिकार को भिन्न मानने वालों की मुक्तियाँ सर्वथा निस्सार नहीं हैं। इसलिये नितान्त सन्देह रहित होकर किसी पक्ष में निर्णय देना सम्भव नहीं है। 'ध्वन्यालोक' की व्याख्या के सम्बन्ध में दो ग्रन्थों का उल्लेख प्राचीन साहित्य में मिलता है—'ध्वन्यालोक' की चन्द्रिका व्याख्या एवं भट्टनायक का 'हृदयदर्पण'। अभिनवगुप्त से पूर्व 'ध्वन्यालोक' की चन्द्रिकाटीका लिखी जा चुकी थी तथा इसका उल्लेख अभिनवगुप्त ने अपनी लोचनटीका में भी किया है। परन्तु इस उल्लेख से कारिकाकार एवं वृत्तिकार के भेद-प्रभेद का स्पष्ट निर्णय नहीं होता, यद्यपि डा० पी० वी० काणे ने उसको अपने पक्ष में लाने का प्रयत्न किया है। भट्टनायक ने 'हृदयदर्पण' में, जिनको 'सहृदयदर्पण' भी कहा गया है, ध्वनिसिद्धान्त की

प्रखर आलोचना की थी। अभिनवगुप्त ने भट्टनायक के सिद्धान्तों का 'ध्वन्यालोक' की लोचनटीका में और 'नाट्यशास्त्र' की अभिनवभारती टीका में सफ़टन किया है। परन्तु वर्तमान समय में यह चन्द्रिकाटीका तथा 'हृदयदर्पण' दोनों ही उपलब्ध नहीं हैं। यदि ये ग्रन्थ उपलब्ध हो जावें तो 'ध्वन्यालोक' के कारिकाकार एवं वृत्तिकार के भेद-अभेद पर और अधिक प्रकाश पड़ कर इनका निर्णय निस्सन्दिग्ध रूप में सम्भव हो सकता है। जब तक निस्सन्दिग्ध निर्णय न हो, सम्प्रतः साहित्यशास्त्र के समाज में पूर्व परम्परा के अनुसार आचार्य आनन्दवधन को ही कारिकाओं और वृत्ति दोनों का रचयिता समझा जाता रहा है तथा रहेगा।

इसके साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य है कि यदि किसी भी प्रकार यह मान भी लिया जावे कि कारिकाकार और वृत्तिकार भिन्न व्यक्ति हैं और कारिकाओं की रचना किसी अज्ञात मनीषी ने वृत्तिकार आनन्दवधन से पहले की थी, तथा पि ध्वनिकार का आदरणीय पद आनन्दवधन को ही दिया जाता है। ध्वनि के सिद्धान्त की निस्सन्दिग्ध और व्यवस्थित स्थापना निर्विवाद रूप से आनन्दवधन ने ही की थी तथा उत्तरवर्ती मनीषियों ने इन्हीं को ध्वनिकार या ध्वन्याचार्य की आदरणीय उपाधि से सुशोभित किया था।

५ ध्वनि-सिद्धान्त की प्राचीनता

ध्वनि के सिद्धान्त की चर्चा का प्रारम्भ 'ध्वन्यालोक' की रचना से पूर्व ही समालोचकों में हो चुका था। इस बात को स्वयं आनन्दवधन ने स्वीकार किया है। यद्यपि उत्तरवर्ती आचार्यों ने आनन्दवधन को ध्वनिकार या ध्वन्याचार्य का पद प्रदान किया, परन्तु उन्होंने स्वयं अपने आपको ध्वनि का प्रतिष्ठाता नहीं कहा। 'ध्वन्यालोक' की कारिकाओं और वृत्ति में स्थान-स्थान पर इस प्रकार के वाक्य हैं जो यह प्रतिपादित करते हैं कि ध्वनि के सिद्धान्त का आविर्भाव आनन्दवधन से पूर्व ही हुआ था।

'ध्वन्यालोक' की पहली कारिका का पहला पद है—

"वाग्परयात्मा ध्वनिरिति बुधैर्यं समाभ्यातपूर्वं"

अर्थात् वाक्य की आत्मा ध्वनि है, इस तथ्य को विद्वानों ने, वाक्य के तत्त्व को जानने वालों ने पहले ही प्रकट कर दिया था।

इस अंश पर वृत्ति लिखने हुए आनन्दवधन कहते हैं—

"बुधैर् वाक्यतत्त्वविद्भिः, वाक्यस्यात्मा ध्वनिरिति तज्ज्ञित, परम्परया यः समाभ्यातपूर्व सम्यक् सा समन्ताद् भ्यात प्रकटित ।"

बुधो अर्थात् वाक्य के तत्त्व को जानने वालों ने वाक्य की आत्मा को ध्वनि यह नाम दिया था और जिसकी परम्परा से बार-बार प्रकाशित किया था।

इस प्रसङ्ग में अभिनवगुप्त ने निम्न प्रकार से व्याख्या की है—

"बुधैरित्येव प्रामादिकमपि तथाभिधानं स्यात्, न तु भूयसा तदनुत्तम् । तेन बुधैरिति बहुवचनम् । तदेव व्याचष्टे-परम्परयेति । प्रविच्छिन्नेन प्रवाहेण तैस्तैः विनाऽपि

विशिष्टपुस्तकेषु विनिवेशनादित्यभिप्राय । न च युधा भूयासोऽनादरणीय वस्त्वा-
दरेणोपदिशेयु, एतत्त्वादरेणोपदिष्टम् । तदाह—सम्यागाम्नापूर्वं इति । पूर्वग्रहणेनेदम्प्रथ-
मता नान सम्भाव्यते इत्याह, व्याचष्टे च—सम्यगासमन्ताद् म्नात. प्रकृतित इत्यनेन ।”

ध्वनिकार ने 'युध' म बहुवचन का प्रयोग इसलिये किया है, क्योंकि एक युध का वचन प्रमादयुक्त भी हो सकता था, किन्तु बहुत युधों के वचन म वह प्रमाद नहीं हो सकता और उनके कथन को हल्केपन से नहीं लिया जा सकता । पुन उसी की व्याख्या करते हैं—परम्परा से । इसका अभिप्राय यह है कि उन विद्वानों ने उस काव्य की आत्मा ध्वनि की कभी विच्छिन्न न होने वाले प्रवाह के ब्रम से कहा है, यद्यपि उसका विशेष ध्वनिप्रतिपादक पुस्तको मे विनिवेशन नहीं किया है । बहुत से युध जन किसी अनादरणीय वस्तु का आदर से उपदेश नहीं करते, और इसका तो उन्होंने आदर से उपदेश किया है । उसी को कहते हैं—पहले से समाग्नात किया है । यहाँ पूर्व पद का ग्रहण करने से अभिप्राय है कि ध्वनिकार इसका पहले पहले कथन कर रहे हैं, ऐसा सम्भावना नहीं करनी चाहिये । इसकी व्याख्या करते हैं—जिसको कि उन विद्वानों ने अच्छी प्रकार से प्रकट किया है ।

'ध्वन्यालोक' की इस कारिका और वृत्ति से तथा इस पर अभिनवगुप्त की टीका से यह स्पष्ट है कि आनन्दवर्धन से पूर्व भी विद्वान् समालोचको मे ध्वनि की चर्चा की और वे ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकार करते थे । परन्तु उनम पहले किसी ने पुस्तक के रूप म इस सिद्धान्त की स्थापना नहीं की । आनन्दवर्धन ने इन विद्वानों की मान्यताओं को पुस्तक के रूप मे सम्पादित करके ध्वनि के सिद्धान्त की स्थापना की ।

'ध्वन्यालोक' की कारिकाओं और वृत्ति से अन्य स्थलों पर भी ध्वनि की प्राचीनता लक्षित होनी है । एक स्थान पर यह शब्दा उठाई गई है कि ध्वनि का लक्षण तो पहले ही किया जा चुका है, पुन यहाँ लक्षण करने स क्या लाभ है ? इसका उत्तर ध्वनिकार ने दिया है—

“लक्षणैर्गम्यं वृत्ते चास्य पक्षसिद्धिरिव न. ।”

यदि अन्य प्राचीन विद्वानों ने ध्वनि का लक्षण कर दिया है, तो उससे हमारे पक्ष की सम्यक् प्रकार से सिद्धि ही होती है ।

आनन्दवर्धन के अनुसार रसध्वनि का सङ्केत भरत के 'नाट्यशास्त्र' म भी है, जबकि वे कहन हैं कि रस आदि की योजना क तात्पर्य से काव्य का निरन्धन करना भरत आदि प्रणीत 'नाट्यशास्त्र' आदि मे भी अच्छी प्रकार प्रसिद्ध है । यह रसध्वनि

१ ध्वन्यालोक १. १६ ॥

२. एतच्च रसादितात्पर्येण काव्यनिरन्धनं भरतादावपि सुप्रसिद्धमेव ।
ध्वन्यालोक ३.३७ की वृत्ति ।

सबसे अधिक स्पष्ट है और काव्य निर्माण की कला की आत्मा है। ध्वनिकार ने बताया कि रीतिवादी आचार्यों को भी काव्य की इस ध्वनिरूप आत्मा का अस्फुट रूप से आभास था परन्तु वे इसकी व्याख्या नहीं कर सके तथा उन्होंने रीतियों को प्रवर्तित कर दिया। रीतिवादियों को यह काव्य तत्त्व अस्पष्ट रूप से आभासित अवश्य था, हमने उसको स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर दिया है, अतः रीतियों का लक्षण करने की आवश्यकता नहीं है।

आनन्ददर्वन का कथन है कि ध्वनि से केवल समालोचक ही परिचित नहीं थे, अरिस्तु महान् कवि वाल्मीकि, व्यास, कालिदास आदि भी ध्वनि के तत्त्व से परिचित थे वयं कि उनके काव्यों में ध्वनि तत्त्व सबत्र लक्षित है।^१

ध्वनि का आधार प्रतीयमान अर्थ है। इस प्रतीयमान अर्थ से प्राचीन अलङ्कारवादी आचार्य सुपरिचित थे। जिन आचार्यों ने अलङ्कारों को ही काव्य की शोभा का आघातक तत्त्व स्वीकार किया है, जैसे कि भामह, उन्होंने भी अनेक अलङ्कारों में, पर्यायोक्त, अप्रस्तुतप्रशंसा आदि में प्रतीयमान अर्थ के सौन्दर्य को स्वीकार किया है। इस आधार पर अलङ्कारवादियों ने ध्वनि को अलङ्कारों में अन्तर्भावित करने का प्रयास किया था, परन्तु वे इसमें मुख्य समस्या का समाधान नहीं कर पाये थे।^२ उद्भट ने भी

१ अस्फुटरस्फुरित वाव्यतत्त्वमेतद् यथोदितम् ।

अश्वनुवद्भिः प्रकृतुं रीतयः सम्प्रवर्तिता ॥

ध्वन्यालोक ३ ४७

इस पर वृत्ति—एतद् ध्वनिप्रवर्तनेन निर्णयितं वाव्यतत्त्वमस्फुटस्फुरित सदश्वनुवद्भिः प्रतिपादयितुं बंदर्भा गौडी पाञ्चाली चेति रीतयः सम्प्रवर्तिता । रीतिलक्षणविधायिना हि वाव्यतत्त्वमेतदस्फुटतथा मनाक स्फुरितमासीदिति लक्ष्यते । तदत्र स्फुटतया सम्प्रदर्शितेनान्येन रीतिलक्षणान्न विच्छिद्यत् ।

२ तस्य हि ध्वने स्वरूपसञ्जनसत्कविनाश्लेषोपनिपद्भूतम्, अतिरमणीयम्, अणीयसीभिरपि चिरन्तनवाच्यलक्षणविधायिना बुद्धिभिरनुगमीलितपूर्वम् । अथ च रामायण महाभारत प्रभृतिनि लक्ष्ये सर्वत्र प्रसिद्धोपवहार लक्षयता सद्दयानाम् आनन्दो मनसि लभता प्रतिष्ठासिति प्रकाशयते । ध्वन्यालोक १.१. की वृत्ति से ।

३ पर्यायोक्तेऽपि यदि प्राधान्येन व्यञ्जयन्व तद् भवतु नाम तस्य ध्वना-वन्तर्भावः । न तु ध्वनेरतन्नान्तर्भावः । तस्य महाविषयत्वेनाङ्गित्वेन च प्रतिपादयिष्यमाणत्वात् । ध्वन्यालोक १ १३ की वृत्ति से ।

इस पर अभिनवगुप्त की निम्न टीका है—

• • तत्रति सादृशीजलङ्कारत्वेन विशेषितस्तादृशे ध्वनिर्नान्तर्भवति । न तादृशभा-भिर्ध्वनिर्लक्ष्यते । ध्वनिर्हि महाविषयः सर्वत्र भावाद् व्यापकः, समस्त प्रतिष्ठास्थान-त्वाच्चाङ्गी । न चालङ्कारो व्यापकोऽचालङ्कारवत् । न चाङ्गी, अलङ्कार्यन्त्रवत् । अथ व्यापकत्वाङ्गित्वे तस्योपगम्येते, त्यज्यते चालङ्कारता, तर्हि अस्मिन्व्य, एवापमवलम्ब्यते केवल मास्तर्यग्रहात् पर्यायोक्तत्वाचेतिभावः ।

रस आदि ध्वनियों को रसवत्, प्रेय, ऊर्जस्वि, आदि अलङ्कारों में अन्तर्भावित करने का प्रयास किया था ।

ध्वनि की चर्चा आनन्दवर्धन से पहले समालोचकों में प्रतिष्ठा को प्राप्त हो चुकी थी, यह तथ्य इससे भी व्यक्त होता है, क्योंकि ध्वनिकार ने अपने ग्रन्थ में ध्वनि विरोधी मतों का उल्लेख करके उनका खण्डन किया है । आचार्य ने 'ध्वन्यालोक' की पहली ही कारिका में ध्वनि विरोधियों के तीन मतों का— अभाववादी, भक्तिवादी और अलक्षणीयतावादी का उल्लेख किया, तदनन्तर इनकी युक्तियों को प्रस्तुत करके उनका खण्डन किया । इस सम्बन्ध में ध्वनिकार ने किसी अन्य कवि के श्लोक को उद्धृत किया है, जो कि ध्वनि का प्रबल विरोधी था । आचार्य अभिनवगुप्त के अनुसार इस श्लोक के लेखक का नाम मनोरथ था ।^१ प्राचीन साहित्य के अनुसार मनोरथ का समय निश्चित सा है । कहलूण ने 'राजतरङ्गिणी' में मनोरथ का उल्लेख किया है । 'राजतरङ्गिणी' के श्लोक ४.४६७ के अनुसार वह राजा जयापीड का मन्त्री था और श्लोक ४.६७१ के अनुसार उसने जयापीड के उत्तराधिकारी ललितापीड का उसकी कामोन्मत्तता के कारण परित्याग कर दिया था । अतः मनोरथ का समय ८०० ई० के लगभग रहा होगा । अभिनवगुप्त ने मनोरथ को जो आनन्दवर्धन का समकालीन बताया है, इसमें उसको भ्रम रहा होगा । मनोरथ के इस श्लोक में ध्वनि का विरोध होने से और ध्वनि विरोधियों का ध्वनिकार द्वारा उल्लेख होने से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि आनन्दवर्धन से बहुत पहले ध्वनिसिद्धान्त का प्रवर्तन हो चुका था । यदि कारिकाकार और वृत्तिकार को एक ही माना जावे, तो भी ध्वन्यालोक की रचना से बहुत पहले ध्वनि की चर्चा आरम्भ हो गई सिद्ध होती है । यदि कारिकाकार और वृत्तिकार के व्यक्तित्व को भिन्न भी माना जावे तो भी कारिकाकार की रचना से पहले ध्वनि का प्रवर्तन हो चुका था, यह निश्चित है ।

ध्वनिकार से पूर्व ही ध्वनि सिद्धान्त के प्रचलित होने पर भी यह निश्चित है कि इसको व्यवस्थित और निस्सन्दिग्ध रूप से प्रतिपादित करने का श्रेय आनन्दवर्धन को ही है । ध्वनिकार ने पहले तो कारिकाकारों में ध्वनि का अति सक्षिप्त परिचय दिया तथा इसके बाद वृत्ति और उदाहरण देकर ध्वनि के विस्तृत स्वरूप की विस्तृत व्याख्या की । ध्वनिकार ने 'ध्वन्यालोक' की वृत्ति के अन्तिम श्लोकों में स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने ध्वनि के मार्ग का निर्माण नहीं किया । इसको अपितु दिखाया भर

१. यस्मिन्नस्ति न वस्तु विञ्चन मन प्रह्लादि सालङ्कृति
द्युत्पन्नं रचित न चैव वचनैश्चक्रोक्तिशून्य च यत् ।
वाच्य तद् ध्वनिना समन्वितामिति प्रीत्या प्रशसन् जडो
नो विघोऽभिदधाति किं सुमतिना पृष्ट स्वरूप ध्वने ॥

ध्वन्यालोक १.१ की वृत्ति से ।

२. अग्येनेति । ग्रन्थवृत्तमानकालभावित्वा मनोरथनाम्ना कविना ।

है तथा उसने ध्वनि के तत्त्व की कल्पना या की है। परन्तु उसकी यह व्याख्या इतनी सम्पन्न और युक्तिसंगत है कि ग्रान्दवधन वा ही ध्वनिकार एव ध्वन्याचार्य के पद की प्रतिष्ठा प्राप्त हुई।

६ ध्वनिविरोधी मत

ग्रान्दवधन ने ध्वनि व सिद्धांत की निम्न तत्त्व में स्थापना की थी। परन्तु ध्वनि व सिद्धांत का विरोध ग्रान्दवधन व पक्ष भी होता रहा और बाद में भी हुआ। ग्रान्द स पूव के ध्वनिविरोधियों की युक्तियों का समाधान तो आचार्य ग्रान्द वधन ने स्वयं ही कर दिया था परन्तु उनके पश्चात् जि हान ध्वनि सिद्धांत का संपन्न किया उनकी युक्तियों का उत्तर गणितवगुप्त एव मम्मट ने दिया तथा इसके पश्चात् ध्वनि सिद्धांत सर्वमाय सा हो गया। ध्वनि विरोधियों के मतों का दण्ड करने के लिये उनके दोषों में बाटा जा सकता है—ग्रान्दवधन स पूव के ध्वनि विरोधी मत और ग्रान्दवधन के बाद के ध्वनि विरोधी मत।

ग्रान्दवधन के पूव के ध्वनिविरोधी मत—

ग्रान्दवधन ने ध्वन्यालोक के प्रथम उद्यान की पक्षी वारिका में ही ध्वनि के विरोधी मतों का उल्लेख करके अपनी युक्ति में उनकी युक्तियाँ प्रस्तुत की हैं। उस समय तक ध्वनिविरोधियों ने जो युक्तियाँ दी थीं। उनको उसने तीन वर्गों में विभक्त करके ध्वनिविरोधियों के तीन मतों की कल्पना की—प्रभाववादी मत्तिवादी और अनशरीरतावादी।^१ यद्यपि ध्वन्यालोक की व्याख्या के प्रथम में इनकी युक्तियाँ तथा

१ इयं क्विचिद् रसाश्रयोचितगुणानुद्धारणोभासृता ।
यस्मान् वस्तु तभीहितं मुक्तिभिः तव समागाद्यते ।
वाक्याद्ये स्तितगोपधाम्नि विद्युत्तान ध्वनिदग्धित
सोऽयं कल्पनरूपमात्मन्नि भाग्योऽस्तु मन्वात्मनाम् ॥

२ सत्त्वा यनरवायनगनिरप्रगुण
कल्प मनसु परिपक्वधिया यन्मोत् ।
तद् व्याकरोत सहृदयोऽयनाभट्टो—
राज इवधत इति प्रथिगभिधान ॥

३ ध्वन्यस्यापि ध्वनिरिति त्रयस्य सप्तसप्तशत
रसस्वाभाव जगदुरपत् भावना मन्मथ व ।
कच्चिदावा स्थितगविपे न यमूत्तुनीय
तन भ्रूम सहृदयमा मीनय तत्त्वम् ॥

ध्वन्यालोक ११ ॥

उनके खण्डन का विस्तृत विवेचन है तथापि महा सक्षेप से इन तीनों ध्वनिविरोधिया का पक्ष उपस्थित करना उपयोगी होगा ।

(क) अभाववादी—अभाववादी वे हैं जो ध्वनि के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते । उनका कहना है कि वाक्य में ध्वनि का नाम तत्त्व है ही नहीं । ध्वनिकाद ने अभाववादियों को भी तीन पक्ष प्रस्तुत किये हैं—

(1) पहले अभाववादियों का कथन है कि वाक्य के शरीर की रचना शब्द अथ से होती है । अतः इनके सौंदर्य के आधमक तत्त्व ही वाक्य की आत्मा ही बनने हैं । शब्द के सौंदर्य को प्रकट करने वाले अनप्राप्त आदि अलङ्कार हैं तथा अथ के सौंदर्य को प्रकट करने वाले उपमा आदि अलङ्कार हैं । ये अलङ्कार प्राचीन आचार्यों द्वारा प्रसिद्ध किये जा चुके हैं । अर्थात् और सघटना व सी द्य का प्रतिपादित करने वाले माधुय आदि गुण भी कहे जा चुके हैं । इसके अतिरिक्त उपमागणिका आदि वृत्तियों का और अदर्भा आदि रीतियों को भी बयन हा चुका है । वाक्य में सौंदर्य का आधान करने वाले यही तत्त्व हैं तथा इनसे भिन्न अथ को ध्वनि नामक तत्त्व काव्य के चारुत्व का हेतु नहीं है ।

(2) दूसरे अभाववादियों ने परम्परा का सहारा लिया है । उनका कथन है कि सहृदयों व हृदयों को आह्लादिन करने वाले शब्द और अथ ही वाक्य की रचना करते हैं । इस प्रकार से वाक्य की रचना एवं सौंदर्य का यहाँ मात्र प्राचीन परम्परा से प्रतिष्ठित रहा है । ध्वनि की कल्पना तो अभी ही ध्वनिवादियों ने की है परन्तु प्राचीन काल से सहृदय जन वाक्य के रम का आस्वादन शब्द और अर्थों के चारुत्व से करते रहे हैं । इस भाग से भिन्न किसी अथ मात्र काव्य का चारुत्व सम्भव नहीं होगा । यदि कोई ध्वनि को मानने वाले दुराग्रही वाक्य में ध्वनि के चारुत्व का अवेषण भी करें तो भी सभी विद्वान् उनको स्वीकार नहीं करेंगे ।

(3) तीसरे अभाववादियों का कहना है कि ध्वनि नाम का कोई तथा पक्ष नहीं है । यदि ध्वनि नाम का कोई पदार्थ है और वह काव्य के चारुत्व का हेतु है तो उसका अस्तित्व पहले कहे गये अलङ्कार आदि चारुत्व के हेतुओं में किया जा सकता है । अर्थात् यह ध्वनि नाम का एक अलङ्कार होगा, जो कि वाक्य के चारुत्व का हेतु होगा । उन चार व के हेतुमूल अलङ्कारों में से किसी एक का नाम ध्वनि रना देना से कोई विशेष बात नहीं हो जावगी । यह तो बड़ी तुच्छ सी बात होगी । प्राचीन अलङ्कारिकों ने वाणी के भेद के अनुसार ही से अनेक प्रकार के अलङ्कारों का प्रदर्शित किया है । यदि उ होने किसी अलङ्कार विशेष का नाम भी रखा हो और उसको ध्वनिवादी ध्वनि नाम दे दें तो कोई बड़ो बड़ी बात नहीं है । इतनी सी तुच्छ बात को लेकर ध्वनि ध्वनि का कोनाहन करना कोई बड़ी बात तो नहीं है ।

अभाववादियों के इन तीनों मतों तथा उनकी युक्तियों का सारांश यही है कि वे अभिधा या वाच्यार्थ में ही व्यञ्जना या ध्वनि का अस्तित्व मानते हैं । उनका

अनुसार अभिधा के द्वारा ही सब अर्थों की प्रतीति हो जाती है अर्थात् शब्द से प्रतीत होने वाले सभी अर्थ वाच्य होत हैं ।

आनन्दवर्धन ने इन अभाववादियों के मन का उपसंहार करते हुये एक श्लोक दिया है, जो निम्नी अर्थ्य कवि का लिखा है । अभिनवगुप्त के अनुसार इसका रचयिता मनोरथ नाम का कवि है ।

(ख) भक्तियादी—ध्वनि विरोधी दूसरा मत भक्तिवादियों का है । ये ध्वनि को लक्षणा के अन्तर्गत स्वीकार करते हैं । इनके अनुसार व्यञ्जनावादियों के व्यञ्ज्य अर्थ की प्रतीति लक्षणा द्वारा ही हो जाती है । इनके सम्मन्य में ध्वनिकार का कथन है कि दूसरे विद्वान् उस ध्वनिवाच्य का भाक्त या गुणवृत्ति कहते हैं । यद्यपि लक्षणावादियों ने ध्वनि शब्द का उच्चारण करके भाक्त या गुणवृत्ति आदि पद उसके लिये नहीं कहे हैं, तथापि उन्होंने वाच्यो में लक्षणा व्यापार के व्यवहार का प्रदर्शन करके ध्वनि के माग का कुछ स्पष्ट अर्थ दिया है । इस प्रकार लक्षणा के व्यवहार का प्रदर्शन करके उन्होंने व्यञ्जनावादियों के प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति लक्षणा द्वारा, यद्यपि प्रतिपादित की है इसलिये ध्वनिकार ने उनके मत को इस प्रकार उपस्थित किया है कि वे ध्वनि को भाक्त मानते हैं ।

(ग) अलक्षणीयतावादी—ध्वनिवादियों का तीसरा मत अलक्षणीयतावादियों का है । इनका कथन है कि ध्वनि के तत्त्व की वाणी से व्याख्या नहीं की जा सकती । वह सहृदयों के हृदयों द्वारा केवल संवेद्य ही हैं । अतः ध्वनि की परिभाषा करना उचित नहीं है ।

ध्वनिकार के समय में ध्वनि विरोधियों के जो मत थे, इनकी जो युक्तियाँ थी, उनका उन्होंने तीन विभागों में समूह किया और उनका ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत में समुचित उत्तर दिया । इनमें अभाववादियों के तीन मत, भाक्तों का एक मत और अलक्षणीयतावादियों का एक मत, इस प्रकार कुल पाँच ध्वनिविरोधी मत हुये ।

आनन्दवर्धन द्वारा ध्वनिविरोधी युक्तियों का उत्तर देकर ध्वनि के सिद्धान्त का समुचित प्रतिपादन कर देने पर इसका विरोध अभी तक शान्त नहीं हुआ था । ध्वनि के सिद्धान्त का उत्तरवर्ती अनेक आचार्यों ने विरोध किया । उनके पक्ष को यहाँ उपस्थित करना उपयोगी होगा ।

आनन्दवर्धन के पश्चात् के ध्वनि विरोधी मत—

आनन्दवर्धन के पश्चात् भी अनेक समालोचकों ने ध्वनि के सिद्धान्त का विरोध किया था । इन परवर्ती विरोधियों में प्रमुख थे—भट्टनायक, कुन्तक, महिम भट्ट और क्षेमेन्द्र । ये सब वाग्मारी थे । इनके पक्ष को संक्षेप से प्रस्तुत किया जा रहा है—

(१) भट्टनायक—भट्टनायक का समय आनन्दवर्धन के बाद का और अभिनवगुप्त से पहले का है । इन्होंने 'हृदयदर्पण', जिसको कि कहीं कहीं 'सहृदयदर्पण' भी

कहा गया है, नाम का ग्रन्थ लिखा था। इस ग्रन्थ में भट्टनायक ने ध्वनि-सिद्धान्त का खण्डन किया था। 'हृदयदपण' का उल्लेख अभिनवगुप्त की रचनाओं में यत्र तत्र मिलता है, तथा इन्होंने भट्टनायक के मत-त्रयो का खण्डन किया है। व्यक्तिविवेककार महिमभट्ट भी 'हृदयदपण' से परिचित थे और वे जानते थे कि इसमें ग्रान्दबधन के ध्वनिसिद्धान्त का खण्डन किया गया था। वे लिखते हैं कि दपण को देख बिना ही वे ध्वनि का खण्डन कर रहे हैं तथा उनकी प्रवृत्ति सहमा यथा की ओर प्रवृत्त हो गई है—

सहसा यशोऽभिससु^१ समुत्तारादृष्टदर्पण मय धी ।

स्वालङ्कारविवल्पप्रवल्पने वेत्ति कथमिवावयम् ॥

व्यक्तिविवेककार ने स्पष्ट रूप में लिखा है कि 'हृदयदर्पण ग्रन्थ में ध्वनि का प्रबलता से खण्डन है तथा यह ग्रन्थ ध्वनि का ध्वंस करने वाला है।' लोचन टीका में भी इस तथ्य की पुष्टि की गई है, जबकि अभिनवगुप्त ने भट्टनायक के 'भम घम्मिघ्न०' पद पर व्यक्त किये गये विचारों का खण्डन करते हुये लिखा है—'वस्तुध्वनि को तो ये दूषित करते हैं एक वस्तुध्वनि व अनुप्राहक रसध्वनि का ये समर्थन करते हैं, तब तो यह खूब ध्वनि का ध्वंस है।'²

भट्टनायक ने व्यञ्जना वृत्ति को स्वीकार नहीं किया था। वे रस के आस्वादन को तो स्वीकार करते थे, परन्तु इसके लिये वे व्यञ्जना वृत्ति की आवश्यकता नहीं समझते थे। काव्य में उन्होंने केवल अभिधा वृत्ति की आवश्यकता समझी तथा इसके आस्वादन के लिये भावकत्व और भोजकत्व की शक्ति की उद्भावना की। उनके अनुसार भावकत्व शक्ति से काव्य के पात्रों का साधारणीकरण होता है और भोजकत्व शक्ति के सामर्थ्य से सामाजिक, रस का आस्वादन करता है। भट्टनायक के उत्तरवर्ती आचार्यों ने उनके इस मन्तव्य का खण्डन किया। अभिनवगुप्त ने साधारणीकरण के सिद्धान्त को स्वीकार करके भी भावकत्व और भोजकत्व शक्तियों का खण्डन किया तथा व्यञ्जना व्यापार से ही रस की प्रतीयमानता तथा आस्वाद्यमानता प्रतिपादित की।

(२) महिमभट्ट—ग्रान्दबधन के आलोचकों में महिमभट्ट का स्थान प्रमुख है। इन्होंने व्यञ्जना वृत्ति की आवश्यकता को मानने का खण्डन किया और ध्वनि-वादियों के प्रतीयमान ग्रन्थ की प्रतीति अनुमान द्वारा प्रतिपादित की। इन्होंने 'व्यक्ति-विवेक' नामक ग्रन्थ की रचना इसीलिये की, जिससे कि वे ध्वनि का अतर्भाव अनुमान में प्रतिपादित कर सकें।³

१ दपणो हृदयदपणाख्यो ध्वनिध्वंसग्रन्थोऽपि—व्यक्तिविवेक ।

२ किं च वस्तुध्वनि दूषयता रसध्वनिस्तदनुप्राहक समर्थत इति सुतरा ध्वनिध्वंसोऽयम् । अभिनवगुप्त ।

३ अनुमानेऽतर्भाव सवस्यं ध्वन प्रशणयितुम् ।

व्यक्तिविवेक कुरत प्रसृम्य महिमा परा वाचम् ॥

ध्वनि के विरोधियों का खण्डन करते हुये आनन्दवर्धन ने 'ध्वन्यालोक' के प्रथम उद्योत में अनुमितिवादियों का उल्लेख नहीं किया है, तथापि तीसरे उद्योत में व्यञ्जनावृत्ति की अनिवायता की प्रतिपादित करते हुये उन्होने प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति का अनुमान प्रतीति से भिन्न प्रतिपादित करके अनुमितिवाद का खण्डन अवश्य किया है।^१

महिमभट्ट अभिधावादी थे और उन्होने ध्वनिवादियों के प्रतीयमान अर्थ को प्रामुख्य सिद्ध किया था। उन्होने व्यञ्जनव्यञ्जकभाव के स्थान पर लिङ्गलिङ्गिभाव का सम्पन्न किया। महिमभट्ट ने आनन्दवर्धन द्वारा प्रदर्शित ध्वनि के उदाहरणों को अनुमान द्वारा सिद्ध करने का प्रयत्न किया तथा "भग धम्मिप्र०" उदाहरण में विषेधरूप अर्थ की प्रतीति अनुमान द्वारा सिद्ध की।

महिमभट्ट ने सबसे पहले आनन्दवर्धन की ध्वनि की परिभाषा "यत्रार्थं शब्दो या०"^२ को लिया और उसके एक एक पद की बड़ी आलोचना की।^३

यद्यपि 'व्यतिविवेक' ग्रन्थ की रचना में बुद्धि की प्रौढ़ता स्पष्ट रूप से प्रतिपादित होती है, तथापि इसको विद्वत् समाज में वह प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हुई जो कि आनन्दवर्धन को हुई थी। अनुमिति के सिद्धांत का प्रतिपादित करने में महिमभट्ट झपके रहे गये तथा अन्य समालोचकों का समर्थन वे प्राप्त नहीं कर सके। स्वयं 'व्यतिविवेक' के टीकाकार रघुव न अपने अलङ्कारसर्वस्व' ग्रन्थ में महिमभट्ट के मतपर का खण्डन किया था और व्यतिविवेककार पर बटाक्ष किया था।^४

महिमभट्ट को मायता एवं समर्थन न मिलने के दो कारणों को विष्णुपद भट्टाचार्य ने अपनी ध्वन्यालोक की व्याख्या की प्रस्तावना में प्रस्तुत किया है—प्रथम तो यह कि इनको आनन्दवर्धन जैसे प्रसिद्ध समालोचक की आलोचना की थी और दूसरा यह कि इनकी भाषा अत्यधिक बड़बुद तथा बठोर की तथा इसमें आनन्दवर्धन

१ अस्त्यतिसन्ध भागसर — व्यञ्जकत्व शब्दाना गमकत्व तच्च लिङ्गत्वम्, धनश्च व्यञ्जयतीति लिङ्गप्रतीतिरवति लिङ्गलिङ्गिभाव एव तेषा व्यञ्जकव्यञ्जकभावो नापर कश्चित् ।

२. ध्वन्यालोक १.१३ ॥

३. एतच्च विविच्यमानमनुमानस्यैव सगच्छने नान्यस्य । तथाहि अर्थस्य तावद् उपसर्जनीकृताः मत्वमनुपादेयमेव । तस्य अर्थान्तरप्रतीत्यर्थमुपास्य तद् व्यभिचाराभावात् । अ हि अन्यादिसिद्धौ धुमादिरूपादीयमानो गुरातामतिवर्तत ॥ व्यतिविवेक प्रथम विमर्श ।

४. अस्तु व्यतिविवेककारो ब्राह्मणः प्रतीत्यस्तु प्रतीतिङ्गित्याप्यनुमानप्लभ्यमाह्वयत् तद् वाच्यस्य प्रतीयमानत सह तादात्म्यतद्भुत्वभावत् प्रविचारिताभिधानम् । उदेतत् कुशाग्रीपधिष्णौ क्षोदनीपमतिगूनम्—इति नेह प्रतन्यते ॥ अलङ्कारसर्वस्व ॥

५. तदव महाविदुषा मार्गमनुगृत्य महदयशिक्षादराद्य विचारयतोऽस्य महामने न विश्विन् पर्यानुयोगलेशस्याप्यवसर इत्यलमभिप्रमङ्गेन ।

व्यतिविवेक पर रघुव की टीका ॥

एव अभिनवगुप्त की भाषा जैसी सरलता एव ग्राह्यता नहीं थी। तथापि उनका यह कहना ठीक ही प्रतीत होता है कि 'यन्मिमंभट्टो यदि अभिनवगुप्त जैसा व्याख्याकार मिल जाता तो उनकी ग्रन्थस्था कुछ भिन्न ही होती'।

(३) कुन्तक—कुन्तक न 'वक्रोक्तिजीवित नामक ग्रन्थ लिखा था। यह ग्रन्थ भी ध्वनि की स्थापना के विरोध में लिखा गया था। इस ग्रन्थ का उद्देश्य ध्वनि का खण्डन करना इतना नहीं था जितना कि वक्रोक्ति का खण्डन करना था। आनन्दवर्धन की इन्होंने आलोचना नहीं की और ध्वनिसिद्धांत से परिचित होकर इन्होंने सभी प्रकार की ध्वनियाँ की वक्रोक्ति के अंतर्गत प्रतिपादित किया था। उनके अनुसार ध्वनि स्वतन्त्र वाच्य नहीं है, अपितु वक्रोक्ति का ही एक भेद है।

कुन्तक का वक्रोक्ति सिद्धान्त 'वाच्यालंकार' के रचयिता भामहू के ही सिद्धांत का २ विशद प्रतिपादन है। उसके अनुसार अतक रूप वक्रोक्ति ही काव्य का जीवित है। वह वक्रोक्ति को शब्द और अर्थ से भिन्न कोई अलग महनीय पदार्थ नहीं मानता, जैसे कि अर्थानकार रसध्वनि या अर्थकारध्वनि को मानते हैं। उससे अनुसार कवि की विदग्धता, काव्यबौशल द्वारा वक्रोक्ति शब्द और अर्थ में व्याप्त रहती है तथा उसको छलन नहीं किया जा सकता। अतः कुन्तक वक्रोक्ति को काव्य का प्राण प्रतिपादित करता है।^१ कोई भी काव्य बिना वक्रोक्ति के वाच्य नहीं हो सकता। उसकी दृष्टि में 'काव्यस्यासम् छलङ्कार', इस प्रकार का प्रयोग अयुक्तियुक्त होगा, क्योंकि इसमें यह अभिप्राय निबल सकता है कि वाच्य छलङ्कार या वक्रोक्ति के बिना भी रह सकता है।

ध्वनिकार ने काव्य के दो मुख्य भेद—ध्वनि और गुणीभूतव्यङ्ग्य किये थे। तीसरे भेद चित्र को वे वास्तविक वाच्य नहीं मानते थे, अपितु उसको काव्य की अगुट्टिमात्र समझते थे।^२ काव्य में रस के चमत्कार को स्वीकार करते हुये भी कुन्तक ने उसको ही काव्य का प्राण नहीं माना, किंतु रस को भी वक्रोक्ति में सम्मिलित करके छलङ्कार मान लिया। उसके अनुसार वाच्य में रस भी उसी प्रकार चमत्कार उत्पन्न करता है, जिस प्रकार अन्य अलङ्कार करते हैं।

१ विष्णुपद भट्टाचार्य कृत ध्वन्यालोक की श्रेणी व्याख्या की प्रस्तावना पृ० Lix ॥

२ सैवा सर्वैव वक्रोक्तिरन्वयार्थो विभाव्यते।

यत्तोऽस्या कविना कार्यं बोधोऽङ्कारोऽन्या विना ॥ वाच्यालंकार २८५ ॥

३ वक्रोक्ति वाच्यजीवितम्। वक्रोक्ति वा लक्षण—वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्यभङ्गी-भणितिरच्यते। इस पर वृत्ति—वक्रोक्ति प्रसिद्धाभिधानव्यतिरिक्ती विचित्रैवाभिधा। वैदग्ध्य कवि बौशल तस्य भङ्गी विचित्रि।^३

४. रसभावादितान्यं रहितं व्यङ्ग्यार्थविशेषप्रमाणांशूप च वाच्य केवलवाच्य-वाचकवैचित्र्यमात्राश्रयोपनिबद्धमालेखप्रदस्य यदाभासते तच्चित्रम्। न तमुच्य काव्य काव्यानुवारी एसी ॥

ध्वन्यालोक २४३ की वृत्ति ये।

कुन्तक ने रस के महत्त्व को अवश्य स्वीकार किया और कहा कि बवियों की पालियाँ बेशक पद्यामात्र पर ही आश्रित नहीं हैं, अपितु रस की निर्भरता पर आश्रित होने जीवित रहती हैं परन्तु उगने अनुमार वाच्य में रस की स्थिति वक्रता से भिन्न नहीं है । कुन्तक ने आनन्दवर्धन की लक्षणा मूलध्वनि के दो भेदों—प्रत्यन्तरिस्तृतवाच्य और अर्थांतरसमिन्वाच्य को उपचारवक्रता में प्रन्तर्भावित किया है ।^१

कुन्तक ने ध्वनि या व्यञ्जना की स्वतन्त्र सत्ता का खण्डन किया है और वह प्रतीयमान अर्थ को स्वीकार नहीं करता । उसके अनुसार वाच्य अर्थ और वाचक शब्द ही वाच्य में प्रसिद्ध होने हैं और यही परमार्थ रूप से वाच्य का निर्माण करते हैं । व्यङ्ग्य अर्थ भी वस्तुतः वाच्य ही होता है ।^२

(४) क्षेमेन्द्र—वाच्य के समालोचकों में क्षेमेन्द्र का भी बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है । यह प्रसिद्ध समालोचक और टीकाकार अभिनवगुप्त का ही शिष्य था । उसने श्रोचित्य को वाच्य का प्राण माना । श्रोचित्य को उसने 'रसजीवितभूत' कहा ।

श्रोचित्य का प्रतिपादन क्षेमेन्द्र ने ही सबसे पहले किया हो ऐसा नहीं है । क्षेमेन्द्र से पूर्व आनन्दवर्धन ने और महिमभट्ट आदि ने अपनी रचनाओं में श्रोचित्य का प्रतिपादन किया था और कहा था कि इसी सम्यक् अभिव्यञ्जना के लिये अनुभाव, विभाव और रथायी भावों के यथन में श्रोचित्य का ध्यान रखना चाहिये । श्रोचित्य के अभाव में रसभङ्ग का दोष उत्पन्न हो जाता है ।^३

क्षेमेन्द्र ने श्रोचित्य के सिद्धान्त का जो प्रतिपादन किया, उसकी विशेषता यह नहीं है कि उसने वाच्य में श्रोचित्य को प्रधानता दी, परन्तु उसकी मुख्य देन यह है कि उसने वाच्य के सभी सौन्दर्याधायक तत्वों—गुण, अलङ्कार, रस आदि का श्रोचित्य के अन्दर समावेश कर लिया । उसने श्रोचित्य को ही वाच्य का जीवित सर्वस्य माना । श्रोचित्य की परिभाषा उसने इस प्रकार की है—

१ यत्र दूरा तरेऽयस्मात् सामान्यमुपचर्यते ।

लेशेनापि भवत् काचित् वक्तुमुद्विक्तवृत्तिताम् ॥

यन्मूला सरसोत्लेखा रूपकादिरलङ्कृति ।

उपचारप्रधानामो वक्रता काचिदुच्यते ॥ वक्रात्तिजीवित २-१३-१७ ॥

२. वाच्योऽर्थो वाचकः शब्द प्रसिद्धमिति यद्यपि ।

तथापि वाच्यमार्गोऽस्मिन् परमार्थोऽयमेतयो ॥

इस पर वृत्ति-ननु च श्रोतव्यव्यञ्जनावपि शब्दो सभवत्, तदसग्रहान्ना-
ध्याप्ति । यस्माद् अथप्रतीतिवारित्वसामान्यादुपरातावपि वाचकादेव । एव द्योत्य-
व्यङ्ग्ययोरर्धयो प्रत्येयत्वसामान्यादुपचार । वक्रोत्तिजीवित १.१ ॥

३ अनौचित्यादृते नाग्यद् रसभङ्गरय कारणम् ।

प्रसिद्धौचित्यद्वयस्य रसस्योपनिषत् परा ॥ ध्वन्यालोक ३.१४ की वृत्ति से

उचित प्राहुराचार्या सहश किल यस्य यत् ।

उचितस्य च योभावस्तदोचित्य प्रचक्षत ॥^१

उसका कथन है कि जिस प्रकार भौतिक अलङ्कार उचित अङ्गो म पहने जाकर शरीर का सौन्दर्य बढ़ाते हैं तथा अनुचित अङ्गो पर धारण करने पर कुरूपता उत्पन्न करते हैं । उसी प्रकार काव्यगत गुण और अलङ्कार वाच्य की शोभा के आधायक तभी होते हैं, जब वे उचित रूप से नियोजित किये गये हों ।^२

इस प्रकार क्षेमन्द्र ने काव्य में औचित्य को सबसे अधिक महत्त्व दिया और उसको वाच्य का प्राण माना ।

ध्वनि सिद्धांत पर अनेक आक्षेप समय समय पर किये जाते रहें होंगे, परन्तु उनके विस्तृत विवरण हमें प्राप्त नहीं है । विरोधिया क आक्षेपों का सकलन जयरथ ने रूप्यककृत 'अनुकार सर्वस्व' की टीका में किया है । इसको इस प्रकार से सक्षेप से देखना चाहिये । जयरथ ने किसी प्राचीन लेखक की कारिकाओं को इस प्रकार उद्धृत किया है—

तत्प्रयोज्यशक्तिरभिधा लक्षणानुमिती द्विधा ।

अर्थापत्तिश्चचित्तन्व समाप्तोक्त्याद्यलङ्कृति ॥

रसस्य कार्यता भोगो व्यापारान्तरवाधनम् ।

द्वादशैतथ्य ध्वनेरस्य स्थिता विप्रतिपत्तय ॥

ध्वनि के सम्बन्ध में १२ प्रकार की विप्रतिपत्तियाँ कही जाती हैं । इनका विवरण निम्न प्रकार से है—

(१) तात्पर्य—यह अभिहितान्वयवादी मीमांसकों का मत है ।

(२) अभिधा—यह अवितानिधानवादी मीमांसकों का मत है ।

(३, ४) लक्षणा—लक्षणा के दो भेद जहत्स्वाया और अजहत्स्वार्या ।

(५, ६) अनुमिति—अनुमान के दो भेद ।

(७) अर्थापत्ति—यह अनुमान पक्ष का ही परिवार है ।

(८) तन्त्र—श्लेषालङ्कार के सहश यह कोई पक्ष है ।

(९) समाप्तोक्ति आदि अलङ्कार—ये प्राचीन अलङ्कारवादी हैं, जिनका खण्डन आचार्य आनन्दवदन ने स्वयं 'ध्वन्यलोक' के प्रथम उद्योत में किया है ।

(१०) रसकार्यता—यह प्राचीन रसवादी भट्टलोल्लट आदि आचार्यों की मान्यता है, जिसका खण्डन अभिनवगुप्त ने किया है । ये रस को उत्पत्ति मानते हैं ।

(११) भोग—यह भोगवादी आचार्य भट्टनाया का पक्ष है, जो रस को भोग्य मानते हैं । इनका खण्डन भी अभिनवगुप्त ने किया है ।

१. औचित्यविचार—कारिका ७ ॥

२. उचितस्थानविषयामादन्त ध्वनिरनङ्गुनि

ध्वनित्यादङ्गुता नित्य गुणा एव गुणा सदा ॥

(१२) श्यायारान्तरबाधन—यह पक्ष किसका है, इसमें मतभेद है। डा० राघवन् का विचार है कि यह पक्ष वक्रोक्तिवादियों का है। परन्तु प्रो० एम० एम० कुण्डु-स्वामी शास्त्री का कथन है कि वक्रोक्ति तो अलङ्कार में ही सम्मिलित है। पुनः 'वक्रोक्तिजीवित' तो ध्वनि को स्वीकार करता है, यद्यपि काव्य की आत्मा के रूप में नहीं करता। अतः शास्त्री महोदय का विचार है कि वह अनिर्वचनीयतावादियों के पक्ष का सूत्रक है।

इस प्रकार ध्वनि के विरोधी इन पक्षों को देखकर यह विदित होता है कि ध्वनिकार आनन्दवर्धन से पूर्व और उनके समय में ध्वनि का प्रबलता से विरोध होता रहा। ध्वनिकार ने इन विरोधी मतों को सक्षिप्त करके उनका समुचित रूप में खण्डन किया और ध्वनि के सिद्धान्त की स्थापना की। ध्वनिकार के पश्चात् भी अनेक समालोचकों ने ध्वनि के सिद्धान्त के विरोध में अन्य सिद्धान्त प्रचलित करने का प्रयत्न किया, परन्तु वे अपने प्रयत्नों में सफल नहीं हो सके। आनन्दवर्धन के अनुयायी अभिनवगुप्त, मम्मट आदि आचार्यों ने इन ध्वनिविरोधी पक्षों का प्रबलता में खण्डन करके ध्वनि के सिद्धान्त को निरन्तर और निर्विवाद रूप में प्रस्थापित कर दिया।

७. ध्वनिविरोधी मतों का आचार्य आनन्दवर्धन तथा उनके अनुयायियों द्वारा खण्डन

ऊपर ध्वनि के विरोधी जिन पक्षों का वर्णन किया गया है, उनका यदि सम्यक् रूप से विवेचन किया जावे तो वे तीन वर्गों में विभाजित किये जा सकते हैं। पहले पक्ष के वे समालोचक हैं, जो ध्वनिवादियों के प्रतीयमान धर्म की प्रतीति अभिधा द्वारा मानते हैं और उनको वाच्य कहते हैं। दूसरे वे हैं, जो इन प्रतीयमान धर्म की प्रतीति लक्षणा द्वारा प्रतिपादित करते हैं। तीसरे वे हैं, जो अभिधा वृत्ति के द्वारा प्रतीति मानते हैं। आचार्य आनन्दवर्धन तथा उनके बाद अभिनवगुप्त और मम्मट ने विशद रूप से मुक्तिदा देकर इन ध्वनि विरोधी समालोचकों के पक्ष का खण्डन किया इसकी विषय विवेचना 'ध्वन्यालोक' की व्याख्या में उस प्रसङ्ग में की गई है, जहाँ ध्वनिकार ने अभाववादियों के मतों की समालोचना की है। यहाँ प्रतीयमान धर्म और ध्वनि के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए सामान्य रूप से कुछ मुक्तिदा प्रस्तुत की जा रही है।

(१) ध्वनि के मुख्य रूप से दो भेद हैं—अविवक्षितवाच्य और विवक्षितान्यपरवाच्य। इनमें अविवक्षितवाच्य ध्वनि लक्षणाभूमि एवं विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि अभिधाभूमि है। यदि प्रतीयमान धर्म की भी वाच्य मान लें तो अविवक्षितवाच्य ध्वनि पर इसमें समावेश नहीं हो सकता, क्योंकि अभिधा का विफल हो जाने पर लक्षणा द्वारा लक्ष्य धर्म का बोध होकर प्रतीयमान धर्म की प्रतीति होती है। अतः ध्वनि की अभिधा शक्ति के अन्तर्गत नहीं मान सकते। इसकी लक्षणा के अन्तर्गत भी नहीं माना जा सकता क्योंकि विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि में अभिधा के विफल न होने से लक्षणा के प्रयोग का प्रथम ही उपस्थित नहीं होता।

(वाच्य और प्रतीयमान का भेद)

(२) वाच्य अर्थ और प्रतीयमान अर्थ एक नहीं होते । अनेक हेतुओं के कारण वे एक दूसरे से भिन्न होते हैं । यह भेद बौद्धा, स्वरूप, सख्या, निमित्त, कार्य, प्रतीति, काल, आश्रय और विषय आदि के भेद के कारण होता है ।^१ इन हेतुओं की विवेचना इस प्रकार है—

(क) बौद्धा—बौद्धा के भेद से वाच्य और प्रतीयमान अर्थ भिन्न होते हैं । वाच्य अर्थ का बोध तो शब्द और अर्थ का अनुशासन करने वाले कोश, व्याकरण आदि के ज्ञान से ही हो सकता है, परन्तु प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति काव्य के मर्म को जानने वाले सहृदयों को ही होती है ।^२

(ख) स्वरूप—वाच्य अर्थ के विधिरूप होने पर भी कही व्यङ्ग्य अर्थ निषेध रूप होता है । वही वाच्य अर्थ के निषेध रूप होने पर व्यङ्ग्य अर्थ विधि रूप होता है । कही वाच्य के विधि या निषेध रूप होने पर व्यङ्ग्य अर्थ अनुभव रूप होता है । वाच्य अर्थ के सहायतात्मक होने पर व्यङ्ग्य अर्थ निश्चयात्मक होता है ।

(ग) सख्या—वाच्य अर्थ सभी श्रोताओं के लिये एक ही होता है, परन्तु व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति विभिन्न श्रोताओं के लिये अलग अलग हो सकती है । वाच्यार्थ के सकेतित होने के कारण इसका स्वरूप और स्वभाव नियत है, परन्तु प्रकरणादि के कारण व्यङ्ग्य अर्थ अनियत स्वभाव और अनियत स्वरूप होता है ।

(घ) निमित्त—वाच्य अर्थ का बोध शब्दज्ञान से और प्रकरण आदि की सहायता से हो जाता है, परन्तु व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति विशिष्ट प्रतिभा की निमलता से होती है ।^३

(ङ) कार्य—वाच्य अर्थ का कार्य केवल वस्तु का ज्ञानमान कराना है, परन्तु व्यङ्ग्य अर्थ से आनन्द रूप चमत्कार का आस्वादन होता है ।

(च) प्रतीति—वाच्य अर्थ की प्रतीति केवल शाब्दबोध मात्र है । परन्तु व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति शाब्दमय होने के साथ ही चमत्कारमय भी होती है ।

(छ) काल—वाच्य अर्थ की प्रतीति पहले और व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति बाद में होती है । यह कालभेद विद्यमान अवश्य होना है, चाहे वह सलक्ष्य हो या असलक्ष्य ।

१. बौद्धस्वरूपसख्यानिमित्तकार्यप्रतीतिकालानाम् ।

आश्रयविषयादीना भेदाद् भिन्नोऽभिधेयतो व्यङ्ग्यः ॥

साहित्यदर्पण ५.२ ॥

२. काव्यार्थशासनज्ञानमात्रेणैव न वेद्यते ।

वेद्यते स तु काव्यार्थतत्त्वज्ञरेव नैवलम् ॥

ध्वन्यालोक १.७ ॥

३. तद्वत् सचेतसा सोऽर्थो वाच्यार्थविमुखात्मनाम्

बुद्धौ तत्त्वार्थदर्शिन्या भटित्येवावभासते ॥

ध्वन्यालोक १.१२ ।

(ज) आश्रय—वाच्य अर्थ वा आश्रय शब्द या पद होता है, परन्तु व्यञ्ज्य अर्थ वा आश्रय शब्द, शब्द का अर्थ, शब्द का एक अर्थ, वरुण, सरचना आदि सभी हो सकते हैं ।

(झ) विषय—वाच्य अर्थ वा विषय नियत होता है । वह सवोध्य व्यक्तिके लिये ही होता है । परन्तु व्यञ्ज्य अर्थ वा विषय नियत भी हो सकता है, अनियत भी हो सकता है और सम्बद्ध भी हो सकता है ।

इस प्रकार वाच्य और व्यञ्ज्य अर्थ इन हेतुओं के कारण एक नहीं हो सकते, वे भिन्न ही होते हैं । अतः ध्वनि का समावेश अभिधा के अन्तर्गत नहीं हो सकता ।

(३) अभिधा द्वारा अश्रित वाच्य अर्थ का ही बोध होता है, अनन्वित का नहीं । परन्तु प्रतीयमान अर्थ अनन्वित भी हो सकता है । जैसे 'रवि कुरु' पद में अनन्वित वाच्य अर्थ सर्वथा दोष रहित है, परन्तु पदों के मध्य में 'चिकु' पद से अनन्वित अश्रित अर्थ का बोध होता है जो प्रतीयमान है ।

(४) सयोग आदि द्वारा अभिधा का नियन्त्रण होने से अनेकाधिक शब्दों के एक ही अभिधेय अर्थ का बोध होता है । परन्तु अनेक बार दूसरे अर्थ की भी प्रतीति होती है । यह दूसरा अर्थ व्यञ्जना से प्रतीत होने के कारण व्यङ्ग्य हाता है ।^१ भर्तृहरि न सयोग आदि की गणना इस प्रकार की है —

सयोग विप्रयोगश्च साहचर्य विरोधिता ।

अथ प्रकरण लिङ्ग शब्दस्यान्यस्य सन्निधि ॥

सामर्थ्यमोचिती देश कालो व्यक्ति स्वरादयः ।

शब्दार्थस्यानवच्छेद विशेषस्मृतिहेतव ॥

(क) सयोग सयोग का अर्थ है प्रसिद्ध सम्बन्ध । जैसे—हरि शब्द का प्रयोग विष्णु, यम, वायु शुक, वापि, इन्द्र सिंहा आदि अनेक अर्थों में होता है । परन्तु 'सशस्त्र-चक्र हरि' में हरि के साथ शस्त्र और चक्र का सयोग होने से इसका वाच्य अर्थ विष्णु ही होगा ।

(ख) विधोग—विधोग का अर्थ है प्रसिद्ध सम्बन्ध का अभाव । 'अशकचक्र-हरि' में भी हरि का वाच्य अर्थ विष्णु ही होगा, क्योंकि शस्त्र और चक्र का विधोग विष्णु से ही हो सकता है ।

(ग) साहचर्य—सदा साथ रहना । 'रामलक्ष्मणी' पद में राम और लक्ष्मण से दशरथ पुत्र वाच्य अर्थ होंगे । राम के अनेक अर्थ—बलराम, परशुराम, सुन्दर, और दशरथ पुत्र राम हैं । लक्ष्मण के भी अनेक अर्थ—दुर्गन्धन पुत्र लक्ष्मण, सारस और दशरथ पुत्र लक्ष्मण हैं । परन्तु दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण का साहचर्य प्रसिद्ध होने से वे ही वाच्य अर्थ के रूप में ग्रहण होंगे ।

१ अनेकाधिक शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते ।

सयोगादीरवाच्यार्थधीकृद् व्यापृतिरञ्जनम् ॥

(घ) विरोधिता—प्रसिद्ध वर सम्बन्ध । 'रामार्जुनगतिस्तयो' म राम और अर्जुन के अनेक अर्थ होने पर भी यहाँ परशुराम और कातवीर्य अर्जुन का वर सम्बन्ध प्रसिद्ध होने से वाच्य अर्थ के रूप में वे ही ग्रहण किये जायेंगे ।

(ङ) अथ—अनन्ययासाध्य फल । 'स्याणु भज भवच्छिदे' में ससार की बाधा का हरण शिव द्वारा ही सम्भव होने से स्याणु के अनेकाथक होने पर भी इसका वाच्य अर्थ शिव ग्रहण होगा ।

(च) प्रकरण—वक्ता और श्रोता की बुद्धि में किसी बात का स्थित रहना । 'सर्व जानाति देव' वाक्य में देव शब्द के अनेकाथक होने पर भी प्रकरण के कारण इसका वाच्य अर्थ सम्मुख स्थित राजा ही होगा, क्योंकि यह अर्थ ही वक्ता और श्रोता की बुद्धि में स्थित है ।

(छ) लिङ्ग—असाधारण धम । 'बुधिनोमकरध्वज' वाक्य में मकरध्वज के अनेकाथक होने पर भी इसका वाच्य अर्थ कामदेव होगा, क्योंकि कामदेव की ध्वजा में मकर का चिह्न प्रसिद्ध है । कोप कामदेव में ही सम्भव हो सकता है, मकरध्वज के दूसरे अर्थ समुद्र में नहीं ।

(ज) अन्य शब्द की सन्निधि—अनेकार्थक शब्द किसी अर्थ का वाचन करने वाले अर्थ शब्द का समीप होना । 'देवस्य पुराराति' में देव अनेकाथक है । पुराराति शब्द का अर्थ शिव नियत है । अतः पुराराति शब्द के सान्निध्य के कारण देव का वाच्य अर्थ शिव होगा ।

(झ) सामर्थ्य—कारणता या समर्थता । 'मधुना मत्त कोकिल' में मधु पद के अनेक अर्थ हैं । परन्तु कोकिल को मत्त करने की समर्थता या कारणता केवल वसन्त ऋतु में है । अतः यहाँ मधु का वाच्य अर्थ वसन्त ऋतु होगा ।

(ञ) औचित्य—औचित्य या योग्यता । 'पातु वो दयितामुखम्' वाक्य में मुख पद के अनेकार्थक होने पर भी इसका वाच्य अर्थ अनुकूलता ही होगा, क्योंकि प्रियतमा की अनुकूलता ही इस प्रेमी की रक्षा करने की योग्यता रखती है ।

(ट) देश—स्थान विशेष का नाम । 'भास्वन्न परमेश्वर' वाक्य में परमेश्वर शब्द के अनेकाथक होने पर इसका वाच्य अर्थ राजा होगा क्योंकि अत्र पद द्वारा निदिष्ट राजधानी में राजा ही शोभायमान हो सकता है ।

(ठ) काल—दिन, रात्रि आदि समय विशेष । 'चित्रभानु पद अनेकार्थक है । परन्तु 'चित्रभानुविभाति' वाक्य को यदि दिन में कहा जावे तो इस पद का वाच्य अर्थ सूर्य तथा रात्रि में कहा जावे तो वाच्य अर्थ अग्नि होगा ।

(ड) ध्यक्ति—पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग । मित्र पद के अनेक वाच्य अर्थ हैं । परन्तु इसका 'मित्रोभाति' इस प्रकार पुल्लिङ्ग में प्रयोग करने पर सूर्य अर्थ होगा तथा 'मित्र भाति' इस प्रकार नपुंसकलिङ्ग में प्रयोग करने पर वाच्य अर्थ सुहृद् होगा ।

(ण) स्वर—उदात्त अनुदात्त और स्वरित । 'इन्द्रशत्रु' पद को यदि प्राणदात्त

रूप से पढ़ा जावे तो इसका वाच्य अर्थ 'इन्द्रःशत्रुं शातयिष्या यस्य' होगा। अन्तोदात्त रूप से पढ़ा पर इस पद का वाच्य अर्थ तत्पुरुष समास में 'इन्द्रस्य शत्रु' होगा।

इस प्रकार प्रत्यय धादि द्वारा अभिधा के नियन्त्रित हो जाने से अनेकार्थक शब्दों में वाच्य अर्थ निर्गमन हो जाता है, परन्तु व्यञ्जना का नियन्त्रण नहीं होता और इससे दूसरे अर्थ की प्रतीयमान रूप में प्रतीति हो जाती है। इसलिये ध्वनि का समावेश अभिधा के अन्तर्गत नहीं लिया जा सकता।

(५) ध्वनि का अन्तर्भाव लक्षणा में भी नहीं हो सकता, क्योंकि व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति लक्षणा द्वारा नहीं हो सकती। प्रयोजनवन्ती लक्षणा में फलरूप अर्थ की प्रतीति के लिये लक्षणा का प्रयोग किया जाता है। जैसे 'गङ्गाया घोष' पद का वाच्य अर्थ 'गंगा का प्रवाह' बाधित है, क्योंकि घोष की स्थिति गंगा के प्रवाह में नहीं हो सकती। अतः वाच्य अर्थ का बाधित होना पर लक्षणा द्वारा 'गंगायाम्' का अर्थ 'गंगातटे' करते हैं। यहाँ गंगातट न बहकर 'गंगायाम्' बहने का तथा लक्षणा प्रयोग करने का एक विशेष प्रयोजन है कि घोष में गंगा के धर्म शीतलत्व, पावकत्व आदि की प्रतीति हो। इस वाक्य में गंगा पद का गंगातट अर्थ तो लक्षणा द्वारा विदित होता है परन्तु शीतलत्व आदि धर्मों की प्रतीति लक्षणा द्वारा नहीं होती, यह व्यञ्जना द्वारा ही होती है। अतः लक्षणा का प्रयोग सदा प्रयोजन की प्रतीति के लिये होता है तथा यह प्रतीति व्यञ्जना द्वारा होती है।

यह प्रतीति अभिधा द्वारा नहीं हो सकती, क्योंकि गंगा पद शीतलत्व आदि धर्मों का साक्षात् सबैत नहीं करता। शीतलत्व आदि धर्मों के बाधित न होना से तथा हेतुमय के विद्यमान न होना से उनकी प्रतीति लक्षणा द्वारा भी नहीं हो सकती। यदि यही प्रयोजन आदि को लक्ष्य अर्थ मान भी लिया जावे, तो अन्य प्रयोजनों की कल्पना करने पर भी और इससे अनवस्था दोष होगा। कुछ समालोचक कह सकते हैं कि प्रयोजन से विशिष्ट लक्ष्य अर्थ का बोध लक्षणा द्वारा हो सकता है। इस प्रकार व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति की लक्षणा द्वारा ही जान से ध्वनि का अन्तर्भाव लक्षणा में हो सकेगा। इसका उत्तर ध्वनिवादी देते हैं—प्रयोजन से मुक्त लक्ष्य अर्थ की प्रतीति लक्षणा द्वारा नहीं हो सकती, क्योंकि यह नियम है कि ज्ञान का फल तथा ज्ञान का विषय एक नहीं

१. यस्य प्रतीतिमाधातु लक्षणा समुपास्यते ।

पले शब्दैकगम्येऽथ व्यञ्जनान्नापरा क्रिया ॥ का० प्र० २.१५-१५ ॥

२. नाभिधा समवाभावाद् हेत्वभावान्न लक्षणा ।

लक्ष्य न मुख्य नाप्यत्र बाधो योग्य फलेन नो ।

न प्रयोजनमेतस्मिन् न च शब्द स्खलद्गति ॥ का० प्र० २.१५-१६ ॥

३. एवमप्यनवस्था स्याद् या मूलक्षयकारिणी ॥ का० प्र० २.१७ ॥

होते, परन्तु अलग-अलग होते हैं। जिस प्रकार घट ज्ञान का विषय है तथा उसमें उत्पन्न ज्ञातता या सवित्ति ज्ञान का फल है और ये दोनों अलग अलग हैं, इसी प्रकार लक्षणा का विषय लक्ष्य अर्थ है और इसका फल प्रयोजन है। ये लक्ष्य और प्रयोजन क्योंकि अलग अलग होते हैं। इसलिये प्रयोजन से विशिष्ट लक्ष्य अर्थ का बोध लक्षणा द्वारा नहीं हो सकता। अत्र, ध्वनि का अन्तर्भाव लक्षणा में नहीं हो सकता।

(लक्ष्य और व्यञ्ज्य अर्थ का भेद)

(६) लक्ष्य अर्थ और व्यञ्ज्य अर्थ एक नहीं होते, अर्थात् इनमें भेद होता है। इनका भेद इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है—

(क) यद्यपि लक्ष्य अर्थ व्यञ्ज्य अर्थ के समान अनेक प्रकार का होता है, तथापि वह वाच्य अर्थ से सम्बद्ध होता है। वाच्य अर्थ से अनियत—सम्बन्ध लक्ष्य अर्थ का बोध नहीं हो सकता। परन्तु व्यञ्ज्य अर्थ वाच्य अर्थ से नियतसम्बन्ध, अनियत-सम्बन्ध और सम्बद्धसम्बन्ध हो सकता है।

(ख) मुख्यायं वाधा होने पर ही लक्षणा से लक्ष्य अर्थ का प्रतीति होती है, परन्तु व्यञ्ज्य अर्थ की प्रतीति मुख्यायं वाधा और लक्षणा के अभाव में भी हो सकती है।

(ग) लक्षणा के व्यापार में प्रयोजन की प्रतीति के लिये व्यञ्जना का सहारा लेना पड़ता है, परन्तु व्यञ्जना के व्यापार में व्यञ्ज्य अर्थ की प्रतीति के लिये किसी अन्य शक्ति का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होती।

(घ) जिस प्रकार अभिधा सङ्केत पर निर्भर होती है, उसी प्रकार लक्षणा को मुख्यायं वाधा आदि तीन हेतुओं की अपेक्षा होती है। परन्तु व्यञ्जना से व्यञ्ज्य अर्थ की प्रतीति के लिये किसी अन्य हेतु की अपेक्षा नहीं है।

(ङ) लक्षणा व्यापार से व्यञ्जना व्यापार सर्वथा भिन्न होता है। व्यञ्ज्य अर्थ की प्रतीति लक्ष्य अर्थ के बोध के अनन्तर होती है। परन्तु यह आवश्यक नहीं कि व्यञ्ज्य अर्थ की प्रतीति लक्ष्य अर्थ के बोध के अनन्तर ही हो, क्योंकि अभिधा के आश्रय से भी, बिना लक्षणा के ही व्यञ्जना व्यापार से व्यञ्ज्य अर्थ की प्रतीति हो सकती है। लक्षणा और अभिधा के बिना भी, धवाचक वर्णों से व्यञ्ज्य अर्थ की प्रतीति हो जाती है तथा वर्णों के बिना भी कटाक्ष आदि संकेतों से व्यञ्ज्य अर्थ की प्रतीति हो जाती है।

इस प्रकार लक्षणा व्यापार एवं लक्ष्य अर्थ के व्यञ्जना व्यापार एवं व्यञ्ज्य अर्थ से सर्वथा भिन्न होने के कारण ध्वनि का अन्तर्भाव लक्षणा के अन्तर्गत नहीं हो सकता।

(७) रस आदि का अनुभव अभिधा तथा लक्षणा द्वारा नहीं हो सकता। इसके अनुभव के लिये व्यञ्जना वृत्ति को स्वीकार करना ही होगा। अभिधा और लक्षणा से

१. प्रयोजनेन सहित लक्षणीय न युग्यते ।

ज्ञानस्य विषयो ह्यन्य, फलमन्यदुदाहृतम् ॥ का० प्र० २ १७-१८ ॥

उन्हीं वस्तुओं का ज्ञान हो सकता है, जो प्रत्यक्ष घाटि के अनुभव से पूर्वसिद्ध हो। परन्तु रसाध्य वस्तु के अनुभव में पहले विद्यमान न होने से उसमें पूर्वसिद्धता न होने के कारण शक्य बोध अभिधा और लक्षणा से नहीं हो सकता। लक्षणा से भी केवल उसी अवस्था में लक्ष्य बोध का बोध होता है, जब मुख्यार्थ बाधा हो। रस की प्रतीति में मुख्य अर्थ की बाधा न होने से लक्षणा का प्रयोग नहीं हो सकता। अतः अभिधा या लक्षणा में ध्वनि का अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता।

(८) ध्वन्यय अर्थ की प्रतीति अनुमान द्वारा भी नहीं की जा सकती। अर्थात् प्रतीयमान अर्थ अनुमेय नहीं हो सकता। अनुमिति र पक्ष का प्रतिपादन महिमभट्ट ने किया था। उनके अनुसार ध्वनि-आदियों का प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति अनुमान द्वारा हो जाती है, अतः ध्वनि का अन्तर्भाव अनुमान में हो जाता है। इसी को सिद्ध करने के लिये अपने 'व्यक्तिविवेक' नामक ग्रन्थ लिखा था।^१ उसमें कहा कि ध्वनिवादी आचार्यों ने प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति के लिये जिस व्यञ्जकता सामग्री को स्वीकार किया था, वही सामग्री अन्तर्भावत्वा अनुमिति के पक्ष में सिद्ध होती है।

महिमभट्ट ने ध्वनिधार के 'भय घम्मिणं' उदाहरण में निषेधरूप अर्थ का प्रतिपादन अनुमान के द्वारा किया। इसमें 'गोदावरी तीर' पक्ष 'भीरुभ्रमण का निषेध' साध्य और 'भय के कारण सिंह की उपलब्धि' हेतु है। महिमभट्ट ने कहा कि 'भय के कारण सिंह की उपलब्धि रूप हेतु से 'गोदावरी तीर' पर धार्मिक के भ्रमण के निषेध रूप' साध्य का अनुमान हो सकता।

परन्तु महिमभट्ट का यह पक्ष स्वयं सङ्घटित हो जाता है। वही हेतु अपने साध्य का सिद्ध कर सकता है, जो कि एकान्तिक हो, अविच्छेद हो, नियत हो और सिद्ध हो। 'भय के कारण सिंह की उपलब्धि रूप' हेतु में अनेकान्तिकता, विरुद्धता, अनियता और असिद्धता दोषों के होने के कारण इस हेतु से साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती और इस प्रकार प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति अनुमान द्वारा सिद्ध नहीं हो सकती। उसके लिये व्यञ्जना व्यापार को स्वीकार करना होगा।

साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ का कथन है कि व्यञ्जना वृत्ति से प्रतीत होने वाले ध्वन्यार्थ रस आदियों की प्रतीति कराने में अनुमान समर्थ नहीं है। रस के अनुमेय होने में अनुमितिवादियों ने जो हेतु दिये हैं, वे हेतु नहीं हैं, अपितु हेतुभावन हैं। रस की स्मृति का विषय भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्मृति तो पूर्व अनुभव का संस्कार रूप प्रबोध है तथा रस साक्षात्स्वरूप होते हैं।

१ प्रागसत्त्वाद्रमादिर्नो बोधिके लक्षणाभिधे ।

विचि मुप्यार्थबाधस्य विरहादपि लक्षणा ॥ सा० द० ५.३ ॥

२. अनुमानेऽन्तर्भाव सर्वस्यैव ध्वनेः प्रकाशयितुम् ।

व्यक्तिविवेकं वृत्ते प्रणम्य महिमा परा वाचम् ॥ व्यक्तिविवेक ॥

३. याऽर्थांतराभिव्यक्ती व. सामग्रीप्टा निबन्धनम् ।

संवानुमितिपक्षे नो गमकत्वेन समता ॥ व्यक्तिविवेक ।

४. नानुमान रसादीना व्यञ्जयाना बोधनश्रमम् ।

आभासत्वेन हेतूना स्मृतिर्न च रसादिधी. ॥ सा० द० ५.४

प्रतीयमान अर्थ को अनुमान में अन्तर्भावित करने का पहला प्रयत्न महिमभट्ट का ही नहीं था। ध्यानन्दवर्धन से पूर्व या उनके समय में भी यह प्रश्न उठा था कि प्रतीयमान अर्थ अनुमेय ही सकता है। ध्वनिकार ने तृतीय उद्योत में इस प्रश्न को उठाकर इसका समाधान किया है। वे प्रश्न उठाते हैं—

यहाँ व्यञ्जकत्व को अस्वीकार करने का अवसर है। शब्दों का जो व्यञ्जकत्व है, वह ही गमकत्व है और वह लिङ्गत्व है। अतः व्यञ्ज्य अर्थ की प्रतीति लिङ्गी की प्रतीति है। अतः यहाँ शब्द और अर्थ में लिङ्गलिङ्गभाव है। व्यञ्ज्यव्यञ्जकभाव नहीं है। क्योंकि ध्वनिकार द्वारा वक्ता के अभिप्राय की अपेक्षा से व्यञ्जकत्व प्रतिपादित किया गया है और वह वक्ता का अभिप्राय अनुमेय ही होता है।”

इसका ध्वनिकार उत्तर देते हैं—“यदि ऐसा भी है तो हमारा क्या बिगड़ गया। अभिधा और लक्षणा से अतिरिक्त व्यञ्जना नाम का व्यापार है, यह हमने स्वीकार किया है। उसको चाहे व्यञ्जकत्व कहलो या लिङ्गत्व कह लो। प्रसिद्ध अभिधा और लक्षणा से विलक्षण वह शब्द-व्यापार है। अतः हमारा और आपका इस विषय में विवाद नहीं है।

परन्तु यह उत्तर तो वास्तविक नहीं हुआ। वास्तविक उत्तर ध्वनिकार इस प्रकार देते हैं—“यह बात तथ्य नहीं है कि सब स्थानों पर व्यञ्जकत्व लिङ्गत्व ही हो और व्यञ्ज्य की प्रतीति लिङ्ग की प्रतीति हो। हमने जो यह कहा कि वक्ता का अभिप्राय ही व्यञ्ज्य की प्रतीति है तथा आपने हमारे उस कथन का अनुवाद कर दिया, तो इस विषय में स्थिति इस प्रकार है—

शब्दों के विषय दो प्रकार के होते हैं—अनुमेय और प्रतिपाद्य। इन अनुमेय विवक्षारूप है और यह विवक्षा दो प्रकार की होती है—शब्द के स्वरूप के प्रकाशक की इच्छा और शब्द से अर्थ के प्रकाशक की इच्छा। इनमें पहली विवक्षा के शब्द का व्यवहार (शाब्दबोध) की अंग नहीं है। प्राणित्वमात्र की प्रतिपत्ति ही उसका फल है। दूसरी विवक्षा शब्द विशेष (वाचक आदि शब्द) के अवधारण से व्यवसित (समाप्त) एवं व्यवहित होने पर भी शाब्दबोध के व्यवहार का अङ्ग होती है। शब्दों के ये दोनों विषय अनुमेय होते हैं।

प्रतिपाद्य विषय है—प्रयोक्ता की अर्थप्रतिपादन की इच्छा का विषयीभूत अर्थ। वह दो प्रकार का होता है—वाच्य और व्यञ्ज्य। प्रयोक्ता कभी तो अपने वाचक शब्द से अर्थ को प्रकाशित करना चाहता है और कभी किसी प्रयोजन विशेष के कारण अपने शब्द से अर्थ को प्रकाशित करना चाहता है और कभी किसी प्रयोजन विशेष के कारण अपने शब्द से अर्थ को प्रकाशित करना चाहता है। शब्दों का यह दोनों प्रकार का प्रतिपाद्य विषय अनुमेय रूप से स्वतः प्रकाशित नहीं होता, अपितु कृत्रिम सङ्केतादि रूप से और अकृत्रिम अभिधा व्यञ्जना रूप से प्रकाशित होता है। शब्दों के द्वारा इस अर्थ का विवक्षा विषयत्व तो अनुमेय रूप में प्रतीत हो सकता है, परन्तु इस अर्थ का स्वरूप अनुमेय रूप से प्रतीत नहीं होता।

यदि अर्थ के विषय में शब्दों का व्यापार अनुमान के रूप से हो, तो शब्दों के अर्थ बनने में सम्पूर्ण मिथ्या आदि प्रतीति का विवाद प्रवर्तित न हो, जिस प्रकार धूम से अग्नि के अनुमान करने में अर्थ प्रवर्तित नहीं होते। परन्तु क्योंकि वे विवाद होते हैं। अतः शब्दों के अर्थ सदा अनुमेय नहीं होते।^१

व्यङ्ग्य अर्थ वाच्य के सामर्थ्य से आक्षिप्त होने के कारण वाच्य के समान ही शब्द का भी सम्बन्ध होता है। यह सम्बन्ध साक्षात् रूप से या असाक्षात् (परम्परा) रूप से हो सकता है। व्यञ्जकत्व का आश्रय वाच्यवाचकभाव होता है। जब यह सम्बन्ध साक्षात् रूप से है, तब अर्थ अनुमय हो सकता है, जब सम्बन्धान्तर हो तो यह व्यङ्ग्य ही होगा।

१. ब्रूयात् । अस्त्यतिसंघानावसर । व्यञ्जकत्व शब्दानां गमकत्व तच्च लिङ्गत्वम् । अतश्च व्यङ्ग्यप्रतीतिलिङ्गिप्रतीतिरवति लिङ्गलिङ्गिभाव एव तेषाम्, व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावोनापर कश्चित् । अतश्च नश्चश्यमव बोद्धव्यं यस्माद्वक्त्रभिप्रायापेक्षया व्यञ्जकत्वमिदानीमव त्वया प्रतिपादितम् । वक्त्रभिप्रायश्चानुमेयस्य एव ।

अत्रोच्यते । नन्वेवमपि यदि स्यात् तात्कन्नेच्छित्तम् । वाचकत्वगुणवृत्ति-व्यतिरिक्तो व्यञ्जकत्वलक्षण शब्दव्यापारास्तीत्यस्यमाभिरभ्युपगतम् । तस्य चैवमपि न काचित् क्षति । तद्वि व्यञ्जकत्व लिङ्गत्वमस्तु अन्यथा । सवया प्रसिद्धशाब्दप्रकार-विलक्षणत्व शब्दव्यापारविषयत्व तस्यास्तीति नास्त्येवावयोविवाद ।

न पुनरयं परमार्थो यद् व्यञ्जकत्व लिङ्गत्वमेव सवत्र, व्यङ्ग्यप्रतीतिश्च लिङ्ग-प्रतीतिरेवेति ।

यदपि स्वपक्षसिद्धयेऽस्मदुक्तमनूदितम्, त्वया वक्त्रभिप्रायस्य व्यङ्ग्यत्वेनाभ्युपगमात् तत्प्रकाशने शब्दानां लिङ्गत्वमेवेति तदेतद् यथास्माभिरभिहितं तद्विभज्य प्रतिपाद्यते ।

द्विविधो विषयः शब्दानाम् । अनुमेय प्रतिपाद्यश्च । तत्रानुमेयो विवशालक्षण । विवक्षा च शब्दस्वरूपप्रकाशनेच्छा शब्दार्थप्रकाशनेच्छा चेति द्विप्रकाराः । तत्राद्या न शाब्दव्यवहारज्ञम् । सा हि प्राणित्वमात्रप्रतिपत्तिफला । द्वितीया तु शब्दविशेषावधारण-व्यवसितव्यवहितापि शब्दकरणव्यवहारनिबन्धनम् । ते तु द्वे अप्यनुमेयो विषय-शब्दानाम् ।

प्रतिपाद्यस्तु प्रयोक्तुरर्थप्रतिपादनसमीहाविषयीकृतोऽर्थः । स च द्विविधो वाच्यो व्यङ्ग्यश्च । प्रयोक्ता हि कदाचित् स्वशब्देनार्थं प्रकाशयितुं समीहते, कदाचित् स्वशब्दानभिधेयत्वेन प्रयोजनापेक्षया कदाचित् । स तु द्विविधोऽपि प्रतिपाद्यो विषयः शब्दानां न लिङ्गीतया स्वरूपेण प्रकाशते, अपितु वृत्तिमैलावृत्तिमैल वा सम्बन्धान्तरेण । विवक्षा-विषयत्व हि तस्यार्थस्य शब्दलिङ्गीतया प्रतीयते न तु स्वरूपम् ।

यदि हि लिङ्गीतया तत्र शब्दानां व्यापार स्यात् तच्छब्दार्थे सम्पद्मिथ्या-त्यादिविवादा एव न प्रवर्तन्ते, धूमादितिङ्गानुमितानुमेयान्तरत्वं ।

द्वन्द्वालोक १.१३ की वृत्ति से ।

वाक्यो मे व्यङ्ग्य की प्रतीति होने पर उसके मत्व और असत्य की परीक्षा, असत्य प्रमाणों से नहीं की जाती। अतः लिङ्गी की प्रतीति ही सब स्थानों पर व्यङ्ग्य की प्रतीति है, ऐसा कहना उचित नहीं है।^१

शब्दों की व्यञ्जकता अनुमेय रूप व्यङ्ग्य वा विषय है, यह बात ध्वनि के व्यवहार की प्रयोजक नहीं है। इसके अतिरिक्त शब्द-ग्रथ के सम्बन्ध को श्रोतृपत्तिक (नित्य) मानने वाले मीमांसकों को भी शब्दों के व्यञ्जकत्व रूप व्यापार को स्वीकार करना चाहिए। यह व्यञ्जकत्व कभी तो लिङ्गीरूप से और कभी अन्य रूप से (अभिव्यक्ति रूप से) वाचक और अवाचक सभी शब्दों का होता है, इसे हमको स्वीकार करना चाहिये।

इस प्रकार आनन्दवर्धन ने 'ध्वन्यालोक' में प्रतीयमान ग्रथों को अनुमेय प्रतिपादित करने का खण्डन किया। आनन्दवर्धन के पश्चात् महिमभट्ट ने जो अनुमान के अन्तर्गत ध्वनि को प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया था, उसका खण्डन मम्मट, विश्वनाथ आदि आचार्यों ने किया। इस प्रकार आनन्दवर्धन ने काव्य की समालोचना में जिस ध्वनि के मार्ग को प्रवर्तित किया था, उसका समर्थन तथा उनके विरोधियों का खण्डन होकर ध्वनि के सिद्धान्त को सर्वसम्मत रूप से स्वीकार कर लिया गया।

५. ध्वनि की मूल प्रेरणा

ध्वनि के सिद्धान्त की मूल प्रेरणा ध्वनिकार ने वैयाकरणों के स्फोट सिद्धान्त से प्रेरण की थी। ध्वनि के लक्षण (१.१०) में 'सूरिभि कथित' पदों की व्याख्या करते हुए आनन्दवर्धन का कहना है कि यह ध्वनि का सिद्धान्त यो ही अप्रामाणिक रूप से प्रचलित नहीं हो गया है, परन्तु विद्वानों ने इस उक्ति को प्रारम्भ किया था। सबसे प्रधान विद्वान् वैयाकरण है। वे सुनाई देने वाले वरुणों में ध्वनि सज्ञा का व्यवहार करते हैं। वैयाकरणों के मत का अनुसरण करने वाले काव्यायतत्वविद् समालोचकों ने उनके अनुसार ही वाच्य, वाचक, सम्मिश्र (व्यङ्ग्य ग्रथ), व्यञ्जना व्यापार (शब्दात्मा) और काव्य इन सबको ध्वनि कहा है।^२

वैयाकरणों से ही ध्वनिवादिधो ने ध्वनि के सिद्धान्त को ग्रहण किया था,

१ काव्यविषये च व्यङ्ग्यप्रतीतिना सत्यासत्यनिरूपणस्याप्रयोजकत्वमेवेति तत्र प्रमाणांतरव्यापारपरीक्षोपहासायैव सम्पद्यते। तस्माल्लिङ्गीप्रतीरेव सर्वत्र व्यङ्ग्यप्रतीतिरिति न शक्यते वक्तुम्।

ध्वन्यालोक ३.३३ की वृत्ति से।

२ सूरिभि कथित इति विद्वदुपज्ञेयमुक्ति, न तु यथाकथञ्चिद् प्रवृत्तेति प्रतिपाद्यते। प्रथमे हि विद्वानो वैयाकरणा, व्याकरणमूलत्वाद् सर्वविद्यानाम्। ते च श्रयमाणेषु वरुणेषु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति। तथैवान्यैस्तन्मतानुसारिभि काव्यतत्त्वार्थ-दग्निभिर्वाच्यवाचकसम्मिश्र शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेश्यो व्यञ्जकत्वसाम्याद् ध्वनिरित्युक्त। ध्वन्यालोक १.१३ की वृत्ति से।

इसकी पुष्टि आचार्य मम्मट ने 'काव्यप्रकाश' में की थी। 'बुधै वक्षित' की व्याख्या करते हुये उन्होने लिखा—बुध का अभिप्राय वैयाकरणों से है। उन्होंने प्रधानभूत स्फोटरूप व्यञ्जघ को व्यञ्जित करने वाले शब्द को ध्वनि कहा। तदनन्तर उनका मत का अनुसरण करने वाले दूसरे साहित्यशास्त्रियों ने भी वाच्य अर्थ का तिरस्कार करने वाले व्यञ्जघ अर्थ के व्यञ्जक शब्दार्थयुगल को ध्वनि कहा।^१

प्राचीन काल से ही व्याकरण का सब शास्त्रों का मूल कहा जाता रहा है और किसी भी शास्त्र का अध्ययन करने से पूर्व व्याकरण का अध्ययन अनिवार्य रहा है। भृशुहरि ने अनुसार व्याकरण सब शास्त्रों का दीपक है।^२ इन वैयाकरणों ने सुनाई देने वाले शब्दों का ध्वनि माना तथा ध्वनिवादियों ने शब्दाथयुगल को।

ध्वनि का आधार 'स्फोटवाद' से प्रारम्भ होता है। स्फोट पद की व्युत्पत्ति है—'स्फुटयति अर्थं अस्मादिति स्फोटः' अर्थात् जिससे अर्थ स्फुटित होता है, वह स्फोट है। स्फोटवाद एक दशन कहा जाता है। इससे प्रारम्भ को निश्चय से नहीं कहा जा सकता। तथापि पाणिनि की 'अष्टाध्यायी' के सूत्र "अवङ्स्फोटायनस्य" (६.१.१२३) के द्वारा स्फोटायन आचार्य को इसका प्रथम प्रतिपादक कहा जाता है। स्फोटायन की व्याख्या 'काशिका' की 'पदमञ्जरी' टीका में हरदत्त ने इस प्रकार की है—“स्फोटोऽयं पारायणस्य स स्फोटायनस्फोटप्रतिपादनपरो वैयाकरणाचार्यः।”

स्फोटवाद के अनुसार शब्द नित्य है तथा पाणिनि, यास्क, वात्स्यायन और पतञ्जलि ने भी शब्द की नित्यता को स्वीकार किया है वैयाकरण शब्द को नित्य, एक और अखण्ड मानते हैं।^३

पतञ्जलि के अनुसार शब्दों का ग्रहण बुद्धि द्वारा होता है और श्रोत्र के द्वारा प्राप्य होता है जो कि आकाश का स्थान है।^४ हमारे कर्णप्रदेश में जो आकाश है, उसी में शब्द की प्राप्ति होती है। परन्तु इस प्रसङ्ग में एक प्रश्न उत्पन्न होता है। किसी भी शब्द की रचना वर्णों द्वारा होती है। शब्द का उच्चारण करने पर क्रमशः वर्णों का उच्चारण होता है और वे वर्ण क्रमशः कर्ण के आकाश देश में पहुँचते हुये

१. काव्यप्रकाश १४॥

२. इदमितिकाव्यबुधैर्वैयाकरणैः प्रधानभूतस्फोटरूपव्यञ्जघव्यञ्जकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः । ततस्तन्मतानुसारिभिरन्यैरपि न्यग्भावितवाच्यव्यञ्जघव्यञ्जनशमस्य शब्दाथयुगलस्य । का० प्र० १.४ की वृत्ति ॥

३. उपासनीय यत्नेन शास्त्र व्याकरणं महत् ।

प्रदीपभूत सर्वासां विद्यया मदवस्थितम् ॥ वाक्यपदीय ॥

४. नित्याश्च शब्दाः । महाभाष्ये आह्निक-२ ॥

५. श्रोत्रोत्पत्तिबुद्धिनिर्वाहः । प्रयोगेणाभिज्वलित आकाशदेशे शब्दः ।

; च पुनराकाशम् । महाभाष्ये आह्निक-२ ॥

प्रस्तावना

बुद्धि द्वारा गृहीत होते हैं। परन्तु प्रथम वर्ण के पहुँचने के पश्चात् द्वितीय वर्ण के पहुँचने पर प्रथम वर्ण नष्ट होता जाता है। इस प्रकार शब्द का उच्चारण करने पर अन्तिम वर्ण ही शेष रह जाता है। इस अन्तिम वर्ण से शब्द के अर्थ की प्रतीति कैसे हो ? यदि यह कहा जाये कि इस अन्तिम वर्ण से ही अर्थ की प्रतीति होती है, तो पूर्व वर्णों की व्यर्थता मिट्ट होती है, तथा यह कहा जावे कि सभी वर्णों के समुदाय से अर्थ की प्रतीति होती है, तो शब्द का उच्चारण करने पर सब वर्ण उपस्थित नहीं रहते। उदाहरण के रूप में 'गौ' शब्द को ले सकते हैं।

'गौ' पद में तीन वर्ण हैं—'ग', 'औ' और 'विसर्ग (:)। उच्चारण करने पर इनकी स्थिति एक साथ नहीं हो सकती। 'ग' का उच्चारण करने के बाद 'औ' वर्ण का उच्चारण करने पर 'ग' वर्ण नष्ट हो जाता है तथा विसर्ग (.) का उच्चारण करने पर 'औ' वर्ण नष्ट हो जाता है। इस विसर्ग से अर्थ की प्रतीति कैसे हो सकती है ? इसका उत्तर 'स्फोटवाद' द्वारा दिया गया है। शब्द क्योंकि बुद्धि से ग्रहण किये जाते हैं, अतः 'ग' और 'औ' का उच्चारण करने के अनन्तर 'विसर्ग (.)' का उच्चारण करने पर इन पहले वर्णों के नष्ट हो जाने पर भी इनका सस्कार बुद्धि में बना रहता है। अन्तिम वर्ण का अनुमान पूर्व वर्णों के सस्कारों के साथ मिल कर सम्पूर्ण शब्द को उपस्थित करके अर्थ को अभिव्यक्त कर देता है। पतञ्जलि के अनुसार यह शब्द स्फोट है तथा ध्वनि उसका गुण है। आचार्य भट्टहरि ने ग्रहीत शब्दों में दो शब्द माने हैं, एक तो निमित्त है तथा दूसरा अर्थ को प्रयुक्त करता है।

अभिप्राय यह है कि श्रोता की बुद्धि में अन्तिम वर्ण सहित सम्पूर्ण शब्द स्फोट रूप में विद्यमान रहता है, यह ध्वनि रूप शब्द का उपादान कारण है, यह ध्वनि स्फोट की व्यञ्जक है और अर्थ बोध करती है। स्फोट व्यञ्ज्य होता है तथा ध्वनि व्यञ्जक है। यदि इसको सूक्ष्मता से देखा जावे तो अन्तिम वर्ण का अनुरणन ही ध्वनि है, जो कि पूर्व वर्णों के सस्कार सहित अन्तिम वर्ण के उच्चारण के साथ सम्पूर्ण शब्द के अर्थ का बोध करती है।

स्फोट और ध्वनि के स्वरूप को भट्टहरि ने और भी अधिक स्पष्ट किया है—
 "जो इन्द्रियो के (जिह्वा आदि के) सयोग और वियोग से उत्पन्न होता है, वह शब्द स्फोट है और इस स्फोट रूप शब्द से उत्पन्न शब्द ध्वनि कहनाते हैं।"

इसको हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। शब्दों की उत्पत्ति इन्द्रियो के सयोग या वियोग से होती है। मुख में जिह्वा, तानु, होठ आदि इन्द्रियो के परस्पर टकराने या अलग होन से शब्द उच्चरित होते हैं। परन्तु जिस शब्द का उच्चारण

१. द्वावुपादानशब्देप् शब्दो शब्दविदा विदुः ।

एवा निमित्त शब्दानामपरोऽर्थो प्रयुज्यते ॥

२. य सयोगविभागाभा वरणेष्वप्ययते ।

किया जाता है, वह श्रूयमाण नहीं होता। उच्चरित शब्द उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाता है, परन्तु नष्ट होने से पूर्व यह तरङ्गों के रूप में एक नये शब्द को उत्पन्न कर देता है, जो कि चारों ओर फैल जाती है। यह शब्द नष्ट होकर और अधिक व्यापक शब्द तरङ्गों को उत्पन्न करता है। इस प्रकार इन शब्द तरङ्गों का विस्तार क्रमशः बढ़ता जाता है, जो कि अन्त में श्रोता के कर्णविवर में प्रवेश करती है। यह स्थिति उसी प्रकार की है, जैसे जलाशय में पत्थर फेंकने पर एक जलतरङ्ग का घेरा उत्पन्न होता है, वह घेरा और बड़ी जलतरङ्ग के घेरे को उत्पन्न करता है, और अन्त में बतुलाकार जलतरङ्ग सम्पूर्ण सरोवर को व्याप्त कर लेती है। इसको 'बीबीसन्तानन्याय' कहते हैं। इस प्रकार से घण्टे के अनुकरण रूप यह ध्वनि स्फोट रूप शब्द के अर्थ को प्रकट करती है। इसी को भर्तृहरि ने और भी स्पष्ट किया है—

अनिर्वचनीय, एव व्यक्तरूप स्फोट के ग्रहण के अनुक्ल प्रत्ययो से ध्वनि के द्वारा स्फोट रूप शब्द के प्रकाशित हो जाने पर उसके स्वरूप का अवधारण किया जाता है^१।

अभिप्राय यह है कि स्फोट श्रूयमाण वर्णरूप ध्वनियों से ग्रहण के अनुकुल है और अनिर्वचनीय प्रत्ययो द्वारा ग्रहण करके प्रकाशित किया जाता है और इससे स्फोट के स्वरूप का अवधारण होता है। इस प्रकार वैयाकरण स्फोट के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले शब्द को ध्वनि कहते हैं। स्फोट व्यञ्जक है एव ध्वनि व्यञ्जक है। इनके अनुकरण में आलङ्कारिक शब्द और अर्थ दोनों के व्यञ्जक होने के कारण दोनों को ध्वनि कहते हैं।

स्फोट की स्थिति बुद्धि में उसी प्रकार रहती है, जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि स्थित रहती है। जिह्वा, कण्ठ, तालु आदि इन्द्रियों के संयोग एव वियोग से अभिव्यक्त होकर यह ध्वनि की स्थिति में आता है। जिस प्रकार वायु की रगड़ से उत्पन्न अग्नि स्वयं को प्रकाशित करता हुआ अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार ध्वनि द्वारा व्यञ्जित स्फोट अपने को प्रकाशित करके अर्थ को भी प्रकाशित करता है। स्फोट और ध्वनि में तादात्म्य है, इसीलिये विशिष्ट ध्वनि से विशिष्ट स्फोट रूप शब्द का प्रकाशन होता है। स्फोट में स्वयं में अर्थ तथा भेद नहीं होता इसमें अर्थ और भेद की प्रतीति ध्वनि द्वारा होती है।

वैयाकरणों ने ध्वनि के दो भेद किये हैं प्राकृत- और वृद्धत। प्राकृत ध्वनि शौरिक ध्वनि है तथा वृद्धत ध्वनि उत्तर अनुकरण रूप है। प्राकृत ध्वनि में यणों के लृस्व, दीर्घ, प्लुत, आदि स्वरूप रहते हैं, परन्तु उसमें कालभेद का आरोप वृद्धत ध्वनि में होता है। कभी शब्दों को तीव्र गति से (द्रुत), कभी मध्यम गति से (मध्य) और कभी धीरे धीरे (विलम्बित) पढ़ा जाता है। ये द्रुत, मध्य और विलम्बित

१ प्रत्ययानुप-ध्वन्यग्रहणानुगुणंस्तथा।

ध्वनिप्रकाशिते शब्दे स्वरूपमवधार्यते ॥ वाक्यपदीय ॥

गतियाँ वैकृत ध्वनि के रूप में होती हैं। प्राकृत ध्वनि से स्फोट का ग्रहण होता है, जो कि काल भेद से रहित है तथा इसको स्फाट का प्रतिबिम्ब कहा गया है। प्राकृत ध्वनि के पश्चात् उ पन होने वाली कान भेद से युक्त वैकृत ध्वनि उत्पन्न होती है^१।

इस प्रकार वैयाकरणों ने स्फोट रूप शब्द को अभिव्यक्त करने वाले ध्वनि रूप शब्द को जो कि प्राकृत और वैकृत दो प्रकार का है ध्वनि कहा। उनका अनुकरण करत हुए वैयाकरणों ने प्रसिद्ध अभिधा एव लक्षणा नामक व्यापारा से भिन्न प्रतीयमान अर्थ के अभिव्यञ्जक व्यञ्जना व्यापार को ध्वनि कहा, इसके साथ ही वाचक शब्द वाच्य अर्थ एव व्यञ्ज्य अर्थ द्वारा भी प्रतीयमान अर्थ की अभिव्यञ्जना करने के कारण इनको ध्वनि कहा। काव्य में क्योंकि ये सभी तत्त्व समुदाय रूप में रहते हैं अतः उसको भी ध्वनि कहा गया।

६ ध्वनि शब्द का अर्थ

ध्वनि शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की जा सकती है—

- (१) ध्वनति इति ध्वनि ।
- (२) ध्वन्यते इति ध्वनि ।
- (३) ध्वान ध्वनि ।

प्रथम व्युत्पत्ति के अनुसार प्रतीयमान अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वाचक शब्द और वाच्य अर्थ ध्वनि कहनाते हैं। दूसरी व्युत्पत्ति के अनुसार व्यञ्ज्य अर्थ ध्वनि है और तीसरी व्युत्पत्ति के अनुसार व्यञ्जना व्यापार ध्वनि है। ये चारों प्रकार की ध्वनियाँ क्योंकि काव्य में रहनी हैं अतः काव्य को भी ध्वनि कहा जाता है। आनन्दवर्धन ने इन पाँचों को ध्वनि नाम दिया है^२।

इन पाँच प्रकार की ध्वनियों की व्याख्या अभिनवगुप्त ने इस प्रकार की है—

इसलिय वाच्य अर्थ भी ध्वनि है और वाचक शब्द भी ध्वनि है, क्योंकि दोनों का व्यञ्जकत्व ध्वनन व्यापार करता है। विभाव अनुभाव आदि के सवलन से जो सम्मिश्रित होता है वह व्यञ्ज्य अर्थ भा ध्वनि है क्योंकि वह ध्वनित किया जाता है। शब्दन शब्द अर्थात् शब्द का व्यापार भी ध्वनि है जो कि अभिधा आदि के स्वरूप जाना नहीं है, अपितु आत्मगत है। काव्य नाम वाला पदार्थ भी ध्वनि है क्योंकि उसमें पूर्वोक्त ध्वनि के चारों प्रकार निहित रहते हैं^३।

१ स्फाटस्य ग्रहणे हतु प्राकृतो ध्वनिरिष्यते ।

वृत्तिभेदे निमित्तैव वैकृत प्रतिपद्यते ॥ वाक्यपदीय ॥

२ वाच्यवाचकसम्मिश्र शब्दामा वाच्यतिति व्यपदेश्यो व्यञ्जकत्वसाम्याद् ध्वनिरित्युक्तः । ध्वन्याशोक १ १३ की वृत्ति से ।

३ तत्र वाच्योऽपि ध्वनि वाचकऽपि शब्दोऽध्वनि द्वयोरपि व्यञ्जकत्व ध्वनतीति कृत्वा । सम्मिश्रयत विभावानुभावसवलनयेति व्यञ्ज्योऽपि ध्वनि ध्वन्यत इति कृत्वा । शब्दन शब्द शब्दव्यापार न चासावभिधायक अपिवाच्यमृत, सोऽपि ध्वनि । वाक्यमिति व्यपदेश्यश्च योऽपि ध्वनि उक्तप्रकारध्वनिततुल्यमयत्वान् ॥ ध्वन्याशोक १ १३ की वृत्ति की लोचनशैली से ॥

इस प्रकार यहाँ ध्वनि की संज्ञा केवल काव्य को नहीं, अपितु शब्द, अर्थ, व्यङ्ग्य अर्थ व्यञ्जना व्यापार और काव्य इन पाँचों को ही गई है। आचार्य विश्वेश्वर ने इन पाँचों में ध्वनित्व की व्युत्पत्ति इस प्रकार दिखाई है—

(१) ध्वनति ध्वनयति वा यः स व्यञ्जकः शब्दः ध्वनिः—जो ध्वनित करे या कराये वह व्यञ्जक शब्द ध्वनि है।

(२) ध्वनति ध्वनयति वा यः स व्यञ्जकोऽर्थः ध्वनिः—जो ध्वनित करे या कराये, वह व्यञ्जक अर्थ ध्वनि है।

(३) ध्वन्यते इति ध्वनिः—जो ध्वनित किया जावे वह ध्वनि है। इसमें रस, अलङ्कार और वस्तु—व्यङ्ग्य अर्थ के ये तीनों रूप ध्रा जाते हैं।

(४) ध्वन्यते अनेन इति ध्वनिः—जिसके द्वारा ध्वनित किया जावे, वह ध्वनि है। इससे शब्द अर्थ के व्यापार व्यञ्जना आदि शक्तियों का बोध होता है।

(५) ध्वन्यतेऽस्मिन्निति ध्वनि — जिसमें वस्तु, अलङ्कार, रसादि ध्वनित हो, उस काव्य को ध्वनि करते हैं।

शब्द, अर्थ, व्यङ्ग्य अर्थ, व्यञ्जना व्यापार और काव्य इन पाँचों को ध्वनि संज्ञा से व्यवहृत करते हुये भी ध्वनिकार ने ध्वनि की परिभाषा में काव्य को मुख्य माना है। इसका कथन है कि जहाँ वाचक शब्द स्वयं को और अपने अर्थ को तथा वाच्य अर्थ स्वयं को गुणीभूत करके उस प्रतीयमान अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं, उस काव्य को ध्वनि कहते हैं। ध्वनिकार के इस प्रतिपादन का समर्थन उत्तरवर्ती मम्मट, विश्वनाथ आदि आचार्यों ने किया था। इन आचार्यों के अनुसार ध्वनि वह काव्य होता है, जहाँ वाच्य अर्थ की अपेक्षा प्रतीयमान अर्थ का अतिशय होता है। ध्वन्यालोक के ध्वनिकाव्य के लक्षण (१.१३) की व्याख्या करते हुये अभिनवगुप्त ने भी काव्य को ही मुख्य रूप से ध्वनि प्रतिपादित किया है।

इस प्रकार ध्वनिकार के अनुसार वाचक शब्द, वाच्य अर्थ, व्यङ्ग्य अर्थ, व्यञ्जना व्यापार और काव्य इन पाँचों को ध्वनि कहा गया है और इनमें भी काव्य को मुख्य रूप से ध्वनि कहा गया है।

१०. ध्वनिकाव्य का लक्षण

ध्वनिकाव्य की परिभाषा सबसे प्रथम आनन्दवर्धन ने की थी। यह इस प्रकार है—

१. आचार्य विश्वेश्वरकृत ध्वन्यालोक टीका की भूमिका पृ० ३ ॥

२. यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थो ।

व्यक्त काव्यविशेषः स ध्वनिरिति गूरिभिः कथितः ॥ ध्वन्यालोक १.१३ ॥

३. अर्थो वा शब्दो वा व्यापारो वा । अर्थोऽपि वाच्यो वा ध्वनतीति, शब्दोऽप्येवम् । व्यङ्ग्यो वा ध्वन्यते इति व्यापारो वा शब्दार्थयोर्ध्वननमिति । कारिकाया तु प्राधान्येन समुदाय एव वाच्यरूपो मुख्यतया ध्वनिरिति प्रतिपादितम् ।

ध्वन्यालोक १.१३ कृति लाचनटीका से ।

यत्रार्थं शब्दो वा तमर्थमूपमज्जनीकृतस्वाधौ ।

व्यङ्ग्यं काव्यविशेषे स ध्वनिरिति सूरिभिर्वाचित ॥

इसी की भाँसे वे व्याख्या करने हैं यत्रार्थो वाच्यविशेष, वाचकविशेष शब्दो वा, तमर्थं व्यङ्ग्यं स काव्यविशेषो ध्वनिरिति ।

जहाँ वाचक शब्द अपने भाषको तथा अपने अर्थ को और वाच्य अर्थ अपने अर्थ को गुणीभूत करके उस प्रतीयमान अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं, उस काव्य विशेष को ध्वनि कहा जाता है ।

आचार्य आनन्दवर्धन के अनुसार ध्वनि का लक्षण प्रतीयमान और वाच्य अर्थ के प्रतिशय के आधार पर किया जाना चाहिये । काव्य में दो प्रकार के मुख्य अर्थ होने हैं—वाच्य और प्रतीयमान । यदि वाच्य अर्थ की अपेक्षा प्रतीयमान अर्थ प्रतिशयित है, तब वह काव्य ध्वनि होगा । यदि वह प्रतिशयित नहीं है तब वह काव्य ध्वनि नहीं होगा, उसकी गुणीभूत व्यङ्ग्य काव्य कहेंगे । यद्यपि वाच्य और प्रतीयमान दोनों ही अर्थ सहृदय श्लाघ्य हैं तथापि इन दोनों में प्रतीयमान अर्थ का अधिक महत्त्व है और यह काव्य के प्रसिद्ध अंग शब्द और अर्थ से भिन्न कोई अलौकिक ही वस्तु है, जो कि काव्य में उसी प्रकार निहित रहता है, जिस प्रकार छगनामो में लावण्य निहित रहता है ।^१

वाच्य अर्थ की अपेक्षा व्यङ्ग्य अर्थ के प्रतिशयित होने का अभिप्राय यह है कि जहाँ वाच्य अर्थ की अपेक्षा व्यङ्ग्य अर्थ में चमत्कार का चाहत्व का प्रतिशय होता है । इसको ध्वनिकार ने इस प्रकार स्पष्ट किया है—

‘वाच्यो कर्पनिवन्धना दि वाच्यव्यङ्ग्ययो प्रधान्यविवक्षा ।’

वाच्य और व्यङ्ग्य अर्थों में प्रधानता या अनिशयता उनके चाहत्व के प्रतिशय के कारण होती है । अर्थात् जहाँ वाच्य अर्थ का चाहत्व अधिक हो वहाँ वाच्य अर्थ प्रतिशयित होता है और जहाँ व्यङ्ग्य अर्थ का चाहत्व अधिक हो, वहाँ व्यङ्ग्य अर्थ प्रतिशयित होता है ।

ध्वनिकार ने इस प्रकार प्रतीयमान अर्थ के प्रतिशय के आधार पर काव्य के दो मुख्य भेद किये थे—ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य । उन्होंने यह भी बताया कि जिस काव्य में प्रतीयमान अर्थ की विवक्षा नहीं है, अपितु शब्दालङ्कारो या अर्थालङ्कारो का चमत्कार प्रदर्शित करने के लिये कवि काव्य की रचना करता है, वह चित्र काव्य होता

१. प्रकाराऽयौगुणीभूतव्यङ्ग्य वाच्यस्य दृश्यते ।

यत्र व्यङ्ग्यप्रायमे वाच्यचाहव स्यात् प्रवर्षवत् ॥ ध्वन्यालोक ३.३५ ॥

२. योऽयं सहृदयश्लाघ्य काव्या मेति व्यवस्थित ।

वाच्यप्रतीयमानाद्यो तस्य भेदानुबो स्मृतौ ॥ ध्वन्यालोक १.३ ॥

३. प्रतीयमान पुनरन्यदेव वस्तवस्ति वाणीषु महाकवीनाम् ।

यत्तत् प्रतिष्ठाविषयतिरिक्त विभाति साव्यपिवाङ्मनाम् ॥

है। वाच्य अन्वयार्थन चित्र वाच्य को वाच्य की मत्ता नहीं देना चाहते, उनको वे वाच्य की अनुकृतिमान समझते हैं तथा एवनि और गुणीभूतव्यग्य की ही वाच्य प्रतिपादित करने हैं।

वाच्यार्थन में त्रिग प्रकार एवनि वा सहाय किया था, उत्तरवर्ती एवनिवादी धारार्थों में उनका प्रायः अनुकरण किया। इनमें मम्मट ने एवनि वा सहाय इस प्रकार किया—

इदनुत्तममतिमतिनि व्यग्यं वाच्येण एवनिर्बुधं वक्षितः । वा० प्र० १.२५॥

यह वाच्य धय की धपशा व्यग्य धय धनिर्बुध होता है, तो यह उत्तमवाच्य कहलाता है तथा इसी को विज्ञान् मनुष्य एवनि करने हैं। इसकी व्याख्या करते हुये वे कहते हैं—“व्यग्यार्थनवाच्यव्यग्यव्यग्यज्जन्तव्यग्य वरशाधंयुगलस्य एवनिरिति शब्दहारः कृतः”। धर्मात् वाच्य धयं को निरन्तृत करने वाले व्यग्य धयं को व्यञ्जित करने में समर्थ वाच्यार्थयुगल को एवनि कहा जाता है।

प्रतीयमान धय के प्रतिशय व आधार पर ही मम्मट ने वाच्य के तीन भेद किये हैं। जहाँ वाच्य धय की धपशा प्रतीयमान धयं प्रतिशयित है, वह उत्तम, एवनि वाच्य है। जहाँ वाच्य धय की धपशा प्रतीयमान धय प्रतिशयित नहीं होता, धर्मात् वाच्य धयं वा वाच्य धयिध है या दोनों धयों का चारत्व समान है, वह मध्यम, गुणीभूतव्यग्य वाच्य है। जहाँ प्रतीयमान धय की विवशा नहीं है शब्दात्कार या धर्मात्कार के चमत्कार की प्रवर्णित किया गया है, उसको चित्रवाच्य कहते हैं, जो शब्दचित्र एवं वाच्यचित्र दो प्रकार का है और प्रथम कहा गया है।

इस प्रकार मम्मट ने प्रतीयमान धयं के आधार पर वाच्य के स्पष्ट रूप से तीन भेद—एवनि (उत्तम वाच्य), गुणीभूतव्यग्य (मध्यम वाच्य) तथा चित्र (प्रथम) वाच्य स्वीकार किये हैं।

पण्डितराज जगन्नाथ ने वाच्य के भेद प्रदर्शित करने में प्रतीयमान धयं का आधार लेकर मम्मट का अनुसरण तो किया, परन्तु कुछ भेद भी कर दिया है। उन्होंने वाच्य के तीन के स्थान पर चार भेद किये। जहाँ शब्द और धयं धपने की प्रविश्यात् करने हैं, वह प्रथम उत्तमोत्तम एवनि वाच्य है। जहाँ व्यग्य धयं धपदान रहकर ही चमत्कार को उत्पन्न करता है, वह दूसरा उत्तम गुणीभूत व्यग्य वाच्य है। जहाँ व्यग्य के चमत्कार वा समानाधिकरण न होकर वाच्य धपत्कार चमत्कृति का हेतु है, वह तीसरा मध्यम धयंचित्र वाच्य है। जहाँ धयं के चमत्कार से उपस्कृत

१. ततोऽप्यदरसभावादित्वात्पर्यरहित व्यग्यार्थविशेषप्रकाशनशक्तिसून्यं च वाच्यं वेवसवाच्यवाच्यमात्राश्रयेणोपनिबद्धमालेख्यप्रख्य यदाभासते तच्चित्रम् । न तन्मुद्य वाच्यम् । वाच्यानुवारी ह्यसौ ॥ दण्ड्यालोच ३.४३ की वृत्ति से ।

२. अताहणि गुणीभूतव्यग्य व्यग्यं तु मध्यमम् ॥ का० प्र० १.५॥

३. शब्दचित्र वाच्यचित्रमव्यग्य स्ववर स्मृतम् ॥ वा० प्र० १.५ ॥

शब्दालंकार की चमत्कृति है, वह चौथा अथम शब्दचित्र काव्य है' ।

विश्वनाथ ने भी काव्य के भेद प्रतिपादित करने में आनन्दवर्धन का अनुकरण करते हुये प्रतीयमान अर्थ को आधार बनाया । उसने अनुसार उत्तम काव्य वह है, जहाँ व्यङ्ग्य अर्थ वाच्य अर्थ की अपेक्षा अतिशयित होता है । उमी को ध्वनि कहते हैं' । दूसरा काव्य गुणीभूत व्यङ्ग्य है, जहाँ कि व्यङ्ग्य अर्थ वाच्य अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारकारी नहीं है' ।

विश्वनाथ ने काव्य के दो ही भेद स्वोका- किये हैं— ध्वनि और गुणीभूत- व्यङ्ग्य । विश्वनाथ के अनुसार काव्य वह वाक्य है, जो रसात्मक है' । चित्रकाव्य में अलङ्कारों का ही चमत्कार होने के कारण रसात्मकता नहीं होती । अतः उन्होंने चित्र- काव्य में काव्यत्व नहीं माना होगा । परन्तु ध्वनि और गुणीभूतव्यङ्ग्य, इन दोनों प्रकार के काव्यों में रस के व्यङ्ग्य होने से रसात्मकता विद्यमान रहती है, अतः इन दोनों में काव्य व निहित रहता है । इस प्रकार काव्य के ध्वनि और गुणीभूतव्यङ्ग्य, इन दो भेदों के करने में विश्वनाथ ने ध्वनिकार का ही आशय लिया है ।

विश्वनाथ ने रसात्मक काव्य को काव्य कहा है तथा उसके ध्वनि और गुणी- भूत-व्यङ्ग्य दो भेद किये हैं । अर्थात् इन दोनों ही काव्यों में रसात्मकता होती है । इस पर यह आक्षेप किया जाता है कि जिस काव्य में वाक्य का जीवनापायक तत्त्व रस है, उसमें व्यङ्ग्य के वाच्य की अपेक्षा अतिशयित होने या न होने की बात निस्सार सी है । यह काव्य स्वयं ही रसाभिव्यञ्जक होने के कारण चाहे ध्वनि कहा जावे या गुणीभूत- व्यङ्ग्य कहा जावे सहृदयान्नादक होगा । अतः विश्वनाथ द्वारा काव्य के इन दो भेदों का प्रतिपादन प्राचीनकाव्यशास्त्र की परम्परा का अनुसरण मात्र ही है । वस्तुतः रस आदि के तात्पर्य से जब काव्य का निवन्धन किया जाता है तब गुणीभूत-व्यङ्ग्य और ध्वनि व व्य में भेद ही क्या रह जाता है रसादि के तात्पर्य की दृष्टि में गुणीभूत-व्यङ्ग्य काव्य को भी आनन्दवर्धन ने ध्वनि रूप ही कहा है' । ध्वनि के तीन भेद हैं— वस्तुध्वनि, अलङ्कारध्वनि और रसध्वनि । आनन्दवर्धन की दृष्टि में काव्य के ध्वनि और गुणी- भूतव्यङ्ग्य भेद वस्तुध्वनि और अलङ्कारध्वनि से ही हो सकते हैं । जहाँ रसध्वनि है, अर्थात् जिस काव्य की रचना रसादि के तात्पर्य से नियोजित होती है, वह सदा ध्वनि होता है ।

१. शब्दाद्यो यत्र गुणीभावितात्पानो वचनार्थमभिव्यञ्जस्तदात्मम् । यत्र व्यङ्ग्यम- प्रधानमेव सूच्यमत्कारकारणं तद् द्वितीयम् । यत्र व्यङ्ग्यमत्कारासमानाधिकरणो वाच्य- चमत्कारस्तद् तृतीयम् । यत्रार्थमत्कृत्युपस्थितो शब्दचमत्कृतिः प्रधानं तदथमं चतुर्थम् । रसार्थापरं प्रथमं आननं ॥

२. वाच्यादतिशयिनि व्यङ्ग्ये ध्वनिस्तत्काव्यमुत्तमम् ॥ सा० ६० ४.१ ॥

३. अपरं तु गुणीभूतव्यङ्ग्यं वाच्यादनुत्तमं व्यङ्ग्ये ॥ सा० ६० ४.१३ ॥

४. वाक्यं रसात्मकं वाक्यम् ॥ सा० ६० १.३ ॥

५. प्रसारोऽयं गुणीभूतव्यङ्ग्योऽपि ध्वनिरूपताम् ।

घटे रसादितात्पर्यार्थतोषनया पुनः ॥ ध्वन्यालोक ३.५१ ॥

शानन्दवर्धन ने ध्वनिकाव्य का जो लक्षण किया, उसी का अनुसरण उत्तरवर्ती प्राचार्यों ने किया तथा उनके अनुसार ध्वनिकाव्य वह है, जिस काव्य में वाच्य अर्थ की अपेक्षा व्यञ्ज्य अर्थ का अतिशय अभिव्यञ्जित होता है। यह अतिशय चारुत्व के उत्कृष्ट की अपेक्षा से विवक्षित होता है। जहाँ वाच्य अर्थ की अपेक्षा व्यञ्ज्य अर्थ का चारुत्व अधिक है, वह काव्य ध्वनिकाव्य कहलाता है। परन्तु जो काव्य रसादि के तात्पर्य से निबन्धित होता है वह सदा ध्वनिरूप ही होता है।

११. ध्वन्यालोक ग्रन्थ का स्वरूप तथा इसका प्रतिपाद्य विषय

'ध्वन्यालोक' ग्रन्थ को चार विभागों (उद्योतों) में विभक्त किया गया है। विषय के प्रतिपादन के लिये इसका लेखन तीन प्रकार से है—कारिकायें वृत्ति और उदाहरण। 'ध्वन्यालोक' में बितनी कारिकायें हैं यह विवादास्पद है। काव्यमाला प्रथम संस्करण के अनुसार इसमें १२६ कारिकायें हैं। परन्तु चौखम्बा संहृत सीरीज के संस्करण में ११६ कारिकायें ध्यवस्थित की गई हैं। इनमें चौखम्बा संस्करण अधिक शुद्ध और मान्य रहा है। इसके अनुसार प्रथम उद्योत में १६, द्वितीय उद्योत में ३३, तृतीय उद्योत में ४७ तथा चतुर्थ उद्योत में १७ कारिकायें हैं।

'ध्वन्यालोक' में मूल सिद्धान्त कारिकाओं में दिये गये हैं। इन सिद्धान्तों की व्याख्या तथा विवेचना वृत्ति में दी गई है और उनको उदाहरणों द्वारा पुष्ट किया गया है। वृत्ति भाग में कुछ स्थानों पर परिकर श्लोक, संक्षेप श्लोक और सग्रह श्लोक भी हैं। इनमें वृत्ति भाग के व्याख्यात अर्थ को पुनः कहा गया है।

'ध्वन्यालोक' में अनेक पाठभेद मिलते हैं। कारिका और वृत्ति के शुद्ध पाठों के सम्बन्ध में मतभेद है। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वान् 'ध्वन्यालोक' की सम्पूर्ण कारिकाओं की रचना एक साथ नहीं मानते। प्रो० शिवप्रसाद भट्टाचार्य का कथन है कि चतुर्थ उद्योत की कारिकायें बाद में जोड़ी गई हैं। प्रस्तुत व्याख्या में पाठभेदों पर प्रकाश नहीं डाला गया, क्योंकि उन पर विचार करना अधिक महत्वपूर्ण नहीं समझा गया। इसमें चौखम्बा सीरीज के पाठ को शुद्ध मानकर उसी का प्रयोग किया गया है।

'ध्वन्यालोक' ग्रन्थ का मुख्य उद्देश्य ध्वनि के सिद्धान्त की स्थापना करना है। इसमें ध्वनिकार ने काव्य के एक सार्वभौम सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। उन्होंने ध्वनि के सिद्धान्त में उपस्थित हो सक्ने वाली सभी प्राप्तियों का निवारण करके ध्वनि के सिद्धान्त की स्थापना की। उनकी मान्यता है कि काव्य में वाच्य और प्रतीयमान नाम के दो अर्थ होने हैं। काव्य में वास्तविक सौन्दर्य प्रतीयमान अर्थ का है जहाँ वाच्य अर्थ की अपेक्षा प्रतीयमान अर्थ में अतिशय चारुत्व की निश्चयिता होती है, वह काव्य ध्वनि कहलाता है। इस ग्रन्थ में ध्वनिकार ने ध्वनि के लक्षण तथा भेदों-प्रभेदों का विस्तृत वर्णन किया है, तथा बताया है कि यह ध्वनिकाव्य ही महदर्थों के हृदयों को आकर्षित करने वाला है।

ध्वनि की स्थापना करते हुए ध्वनिकार ने इस काव्य में प्रसङ्ग से प्राप्त कुछ अन्य प्रसङ्गारशास्त्रीय सिद्धान्तों—गुण, रीति, अलङ्कार, पदसंघटना आदि पर भी

विचार क्रिया है। इस स्थान पर उद्योत क्रम से ध्वन्यालोक के प्रतिपाद्य विषय पर विचार करना उपयोगी होगा।

‘ध्वन्यालोक’ के प्रथम उद्योत में ध्वनिवार ने ध्वनि की स्थापना करने के लिये सबसे पहले ध्वनि को काव्य की आत्मा बताकर ध्वनिविरोधियों के तीन मुख्य पक्षों को प्रस्तुत किया—भ्रभाववादी, भक्तिवादी और अलक्षणीयतावादी। पुनः भ्रभाववादियों के तीन पक्ष बड़े गये हैं। ध्वनि के इन विरोधियों की युक्तियों को कह कर ध्वनिकार ने उनका खण्डन किया है और बताया है कि ध्वनि वा अन्तर्भाव अभिधा में, अलङ्कारों में, या लक्षण में नहीं किया जा सकता। ध्वनि वा क्योकि लक्षण किया गया है। अतः इसको अलक्षणीय या अनिर्देश्य भी नहीं कह सकते।

काव्य में दो प्रकार के अर्थ होते हैं—वाच्य और प्रतीयमान। वाच्य अर्थ का बोध शब्दशास्त्र के ज्ञान से होता है तथा प्रतीयमान अर्थ सहृदयसंबन्ध है। यह अर्थ ही काव्य में अधिक चारुत्व का हेतु है। जिस काव्य में प्रतीयमान अर्थ वाच्य अर्थ की अपेक्षा प्रधान, प्रतिशयित या चारुत्व के आधिक्य से युक्त होता है, उस काव्य को ध्वनि कहते हैं। प्रतीयमान अर्थ तीन प्रकार का होता है—वस्तु अलङ्कार, और रस। यद्यपि अनेक अलङ्कार ऐसे हैं, जिनमें प्रतीयमान अर्थ भी होता है, परन्तु ध्वनि का अन्तर्भाव उनमें नहीं हो सकता। उन समासोक्ति, आक्षेप, अप्रस्तुतप्रशंसा, विशेषोक्ति आदि अलङ्कारों में प्रतीयमान अर्थ ब होते हुये भी वाच्य अर्थ की प्रधानता होती है, अतः वहाँ ध्वनि नहीं होती। यदि किसी अलङ्कार में प्रतीयमान अर्थ की प्रधानता ही भी, जैसे कि पर्यायोक्त अलङ्कार में कभी होती है, तो उसका ध्वनि में अन्तर्भाव हो सकता है, परन्तु ध्वनि वा उसमें नहीं।

ध्वनिवाच्य के दो मुख्य भेद हैं—प्रविवक्षितवाच्य और विवक्षितान्यपरवाच्य। प्रविवक्षितवाच्य लक्षणामूल ध्वनि है, जहाँ वाच्य अर्थ विवक्षित नहीं होता। विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि अभिधामूल है। इसमें वाच्य अर्थ विवक्षित होने पर भी अन्य प्रतीयमान अर्थ का प्रधान रूप से बोध कराता है।

द्वितीय उद्योत में ध्वनि के भेदों का स्वरूप उदाहरण सहित बताया गया है। प्रविवक्षितवाच्य ध्वनि के दो भेद होते हैं—अर्थान्तरमक्रडम्बित और अत्यन्ततिरस्कृत। इसी प्रकार विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि के दो भेद मुख्य भेद हैं—अमलद्वयक्रमव्यङ्ग्य और सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य।

असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावशान्ति, भावोदय, भावसन्धि और भावशबलता के भेद से अनेक प्रकार की है। इनमें भी रसों और भावों के भेद से यह पुनः असंख्य प्रकार की हो जाती है। इसी प्रसङ्ग में अर्थकार ने गुणों और अलङ्कारों के स्वरूप को बताकर उनके भेद को भी बताया है।

इस प्रकार में आनन्दवर्धन ने प्राचीन गुणसम्बन्धी मन्तव्यों का तिरस्कार करने गुणों की सध्या तीन निर्धारित की और इनको रसों का आश्रित एवं उपकारक

प्रतिपादित किया। उहोंने यह भी बताया कि कौनसा गुण किस रस के आश्रित रहता है।

ध्यानकार के अनुसार जब रसादि प्रधान रूप से अभिव्यक्त होते हैं तो वहाँ रसादि ध्वनि होती है और जब ये अप्रधान या अङ्गरूप होते हैं तो रसवदादि अलङ्कार होते हैं। रसादि ध्वनि के प्रसङ्ग में ही यह भी बताया गया है कि इनकी योजना में अलङ्कारों का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिये।

असलक्ष्यमव्यङ्ग्य ध्वनि का निरूपण करके सलक्ष्यमव्यङ्ग्य ध्वनि का निरूपण किया गया है। यह दो प्रकार की होती है—शब्दशक्त्युद्भव और अर्थशक्त्युद्भव। उत्तरवर्ती आचार्यों ने उभयशक्त्युद्भव ध्वनि का भी संयोजन इसमें किया, परन्तु आनन्दवदन ने सलक्ष्यमव्यङ्ग्य ध्वनि के ये ही दो मूल भेद बताये। परन्तु कारिका २२३ में तथा उसकी वृत्ति में उभयशक्त्युद्भव ध्वनि का संकेत अवश्य है। शब्दशक्त्युद्भव ध्वनि में आचार्य ने अनेक अलङ्कारध्वनियों के उदाहरण दिये हैं, परन्तु वस्तुध्वनि का निर्देश नहीं किया। उत्तरवर्ती आचार्यों ने शब्दशक्त्युद्भव के दो भेद—वस्तुध्वनि एवं अलङ्कार ध्वनि किये।

अर्थशक्तिमूल के प्रमुख भेद है—प्रौढोक्तिमात्र निष्पन्न शरीर और स्वतन्त्र सम्भवी। प्रौढोक्तिमात्र निष्पन्न भी दो प्रकार का है—कविप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्न शरीर और कवित्ववदवक्तृप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीर। इनके भी वस्तुध्वनि और अलङ्कारध्वनि भेद से दो दो भेद हो सकते हैं।

सलक्ष्यमव्यङ्ग्य ध्वनि के प्रसङ्ग में अर्थकार ने श्लेष और शब्दशक्तिमूल ध्वनि का भेद प्रदर्शित किया है और सभी ध्वनियों की सोदाहरण व्याख्या की है।

ध्वनिकार ने तृतीय उद्योत में ध्वनि के भेदों की व्याख्या व्यञ्जक के भेद से की है जबकि द्वितीय उद्योत में व्यङ्ग्य के भेद से की थी। आश्रितध्वनि वाच्य ध्वनि के दो भेद हैं पदप्रकाश्य और वाक्यप्रकाश्य। इसी प्रकार विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि में सलक्ष्यमव्यङ्ग्य ध्वनि के दो भेद हैं—पदप्रकाश्य और वाक्यप्रकाश्य।

असलक्ष्यमव्यङ्ग्य की अभिव्यक्ति वगैरे पद वाच्य, सघटना और प्रबन्ध से होती है। यहाँ यह बताया गया है कि किस प्रकार के वर्णों से पदों से, पदों के अवयवों से तथा वाक्यों से रसादि की अभिव्यक्ति होती है।

अथ ध्वनिकार ने सघटना व्यञ्जकता का विस्तार से बयान किया है। सघटना तीन प्रकार की होती है—असमासा, मध्यमसमासा और दीघसमासा। यह सघटना गुणों का आश्रय लेकर स्थित होती हुई रसों को अभिव्यक्त करती है। यहाँ आचार्य ने बताया है कि गुणों और सघटनाओं का क्या सम्बन्ध है तथा सघटना

१ शब्दावशक्त्याक्षिप्ताऽपि व्यङ्ग्योऽप्ये क्विना पुनः ।

यत्राविच्छिद्यने स्वोक्त्या सार्व्यवालङ्कितध्वने ॥ ध्वन्यालोक २.२३॥

उभयशक्त्या यथा । २.२३ की वृत्ति स ।

का आधार वक्ता, अर्थ, विषय तथा रस की अनुरूपता है। ध्वनिकार के अनुसार रस-
बोध वा श्रोचित्य सबत्र आवश्यक है।

सघटना की प्रकाश्यता का वर्णन करके प्रबोध की प्रकाश्यता का विस्तार से
वर्णन है। रस आदि की व्यञ्जकता के अनुसार प्रबोध रूप अलक्ष्यक्रमव्यञ्जक ध्वनि
का नियोजन किस प्रकार करना चाहिये इस तथ्य को यहाँ भली प्रकार समझाया
गया है। इस प्रकरण में रसो की अभिव्यक्ति तथा चवणा विभिन्न रसों के सहायक
अलङ्कार कथावस्तु और उसका रस के साथ सम्बन्ध विभक्ति क्रिया, बचन सम्बन्ध
(पठ्ठी विभक्ति) कारक कृद तद्धित और समास की अलक्ष्यक्रमद्योतयता, रसाभि-
व्यक्ति के विरोध का परिहार काव्य में एक रस का प्रधान होना तथा अर्य रसो का
उससे अङ्ग रूप में रहना तथा रस क अनुगुण शब्दाद्य योजना करना, इन विषयों
का सम्यक् प्रकार से प्रतिपादन किया गया है।

ध्वनिकार ने अब रस आदि अनुगुण वृत्तियों के प्रयोग का वर्णन किया है।
ये दो प्रकार की होती हैं। वाच्य अर्थ क आश्रय से कौशिकी आदि वृत्तियाँ रहनी है
तथा वाचक शब्द के आश्रय से उपनागरिका आदि वृत्तियों का नियोजन किया जाता
है। इसी प्रसङ्ग में गुणवृत्ति और व्यञ्जक में भेद की तथा व्यञ्जकव्यञ्जकभाव और
अनुमान में भेद की व्याख्या की गई है।

ध्वनिकाव्य का विस्तार से वर्णन करके आचार्य ने गुणीभूत व्यञ्जक काव्य की
व्याख्या की है। वाच्य अर्थ की अपेक्षा व्यञ्जक अर्थ का अतिशय होने पर ध्वनिकाव्य
होता है और अतिशय होने पर गुणीभूतव्यञ्जक काव्य होता है। ध्वनिकार का इस
प्रसङ्ग में यह भी कथन है कि यदि गुणीभूतव्यञ्जक काव्य की योजना रसादि के
सात्त्विक से की जाती है तो यह भी ध्वनि रूप ही होता है।

ध्वनि और गुणीभूतव्यञ्जक काव्य का विशद चित्रण करके चित्रकाव्य का
निर्देशन किया गया है। यह दो प्रकार का होता है—शब्द चित्र और अर्थचित्र। जहाँ
व्यञ्जक अर्थ की प्रधानता या अप्रधानता हो वहाँ ध्वनि एवं गुणीभूतव्यञ्जक काव्य
होते हैं परन्तु जहाँ व्यञ्जक अर्थ की विवक्षा न हो केवल शब्दालङ्कारों या अर्था-
लङ्कारों का वैचित्र्य हो, वहाँ चित्रकाव्य होता है। आचार्य ने अनुसार काव्य वस्तुन-
ही ही प्रकार के—ध्वनि और गुणीभूतव्यञ्जक होते हैं। चित्रकाव्य वस्तुतः काव्य नहीं
है, अपितु वह काव्य की अनुवृत्तिमात्र है।

ध्वनि गुणीभूतव्यञ्जक तथा चित्रकाव्यों के स्वरूप का निरूपण करते आचार्य
ने बताया है कि इन काव्यों के परस्पर मिश्रण से ध्वनि के असह्य भेद और प्रभेद हो
सकत हैं तथा सत्काव्य को जानने के लिये ध्वनि का स्वरूप जानना आवश्यक है।
तदनन्तर रीतियों और वृत्तियों के सम्बन्ध में संक्षेप से ध्वनिकार का मत है।

षट्पद्य उद्योत में ध्वनिकार ने प्रतिभा के आन्तरिक का विस्तार से वर्णन किया
है। साधारण वस्तु भी कवि की कल्पना के चमत्कार में अपूर्व नवीन रूप धारण
कर लेती है। यद्यपि व्यञ्जक व्यञ्जक भाव भवन प्रकार का है तथापि कवि को

रसादिमय काव्य की रचना करने में सावधान रहना चाहिये। रामायण करण रम प्रधान काव्य है। महाभारत में शास्त्रत्व और काव्य व दोनों निहित हैं तथा उनमें शात रस की प्रधानता है। यद्यपि परम्परा से असत्य काव्यों की रचना होती आई है तथा कविता का क्षत्र अग्रन्त है। कवियों के काव्यों में सवाद (साम्य) भी हो सकता है जो कि तीन प्रकार का होता है—प्राणियों के प्रतिविम्ब के समान चित्र आकार के समान और तल्पशरीरी के समान। इनमें प्रथम दो प्रकार का साम्य श्याज्य होता है तथा अन्तिम प्रकार का ग्राह्य होता है। अक्षर वे ही हैं। नवीन अक्षरों की योजना वाचस्पति भी नहीं कर सकते। नवीन काव्य में वे ही अक्षर और पद नवीनता का घाघ न करते हैं।

अतः ध्वनिकार यह कह कर कि भगवती सरस्वती हो कवि की सहायक होती है और उन्होंने सहृदयों की उन्नति के लिये उत्तम काव्य की रचना के लिये ध्वनि के मार्ग का उमीलन किया है, इस ग्रन्थ को समाप्त करते हैं।

१२ परिकर सग्रह और सक्षप श्लोक

ध्वन्यालोक में कारिकाओं के अतिरिक्त कुछ व्याख्यातात्मक पद्य हैं जो कि वृत्ति के भाग में दिये गये हैं। इनको ध्वनिकार न परिकर सग्रह और सक्षप श्लोक कहा है। परिकर शब्दों का उपयोग ध्वनिकार ने कारिकाओं के विषय की व्याख्या कराने के लिये तथा उनसे अधिक अर्थ का बोध कराने के लिये किया है। अभिनवगुप्त ने परिकर श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है—

परिकरार्थं कारिकायास्याधिनावाप ननु श्लोक परिकरश्लोकः।

परिकर के लिये अर्थात् कारिका के अर्थ का अधिक विस्तार करने के लिये कारिका से अधिक अर्थ बहने के लिये जिस श्लोक की रचना की जाती है वह परिकर श्लोक कहा जाता है। यह श्लोक वृत्ति के अन्तर्गत मूल की व्याख्या करता है जैसे तृतीय उद्योत में निम्न परिकर श्लोक है—

अध्वुत्पत्तिर्दोष शक्या सन्निवृत्ते च वे ।

यस्त्वशक्तिकृतस्तय म भटित्यवभासत ॥'

अध्वुत्पत्ति के कारण रूपान दोष कवि की शक्ति (प्रतिभा) के द्वारा दूर जाता है परन्तु अशक्ति के कारण जो दोष उत्पन्न होता है वह तुरन्त प्रतीत हो जाता है। ध्वनिकार इस प्रकारण में सघटना में उत्पन्न दोषों की व्याख्या कर रहे हैं कि दोष दो प्रकार का होता है अध्वुत्पत्तिवृत्त और अशक्तिकृत। काव्य की रचना में कवि की शक्ति (प्रतिभा) मुख्य है। कारिका में इस बात को नहीं कहा गया था। अतः कारिका के अर्थ से अधिक अर्थ को प्रकट करने वाला यह श्लोक परिकर श्लोक है।

परिकर श्लोक व अतिरिक्त कुछ सग्रह तथा सक्षप श्लोक हैं। ध्वनिकार ने कारिकाओं तथा वृत्ति में विस्तार में दिन तथा और युक्तियों को कहा उनको एक साथ सक्षप से सग्रहित करने इन श्लोकों की रचना की गई जम कि प्रथम उद्योत में

मलङ्कारों में ध्वनि का अन्तर्भाव नहीं हो सकता इसकी विवेचना करके निम्न श्लोकों में ध्वनिकार ने सम्पूर्ण विवेचना को सक्षप स प्रस्तुत कर दिया—

व्यङ्ग्यस्य यत्राप्राधाय वाच्यमात्रानुयायिन ।
समासोक्त्यादयस्तत्र वाच्यालोकृतय स्फुटा ।
व्यङ्ग्यस्य प्रतिभाभात्र वाक्यार्थानुपमर्शय वा ।
न ध्वानयन वा तस्य प्राधाय न प्रतीयत ॥
तत्परावेव शब्दार्थो यत्र व्यङ्ग्य प्रतिस्थितौ ।
ध्वनं स एव विद्यते मत्तव्य सङ्करोञ्जित १

परिक्लृप्त, एक सग्रह श्लोकों के आधार पर विष्णुपद भट्टाचार्य ने ध्वनि कारिकाओं के लेखकत्व पर भी विचार किया है। उनका कहना है कि ध्वन्यालोक' की वृत्ति में श्रायें सक्षप श्लोक वृत्तिकार की रचना है। सग्रह श्लोकों में से कुछ के पहले वृत्तिकार ने 'मया उक्तम्' कहा है। तथा कुछ से पहले नहीं कहा। तिनसे पहले 'मया उक्तम्' कहा है, उनके विषय में अभिनवगुप्त की टिप्पणी है कि ये वृत्तिकार की स्वयं की रचना हैं। जिनके पहले इस प्रकार नहीं कहा गया, उनके सम्बन्ध में अभिनवगुप्त मौन रहते हैं। इसी प्रकार से परिक्लृप्त श्लोकों के लेखकत्व के सम्बन्ध में अभिनवगुप्त कोई टिप्पणी नहीं करता इससे प्रतीत होता है कि सग्रह श्लोकों में से कुछ की रचना वृत्तिकार की है, तथा कुछ की नहीं है। इसके प्रतिरिक्त परिक्लृप्त श्लोकों की रचना भी वृत्तिकार की नहीं है। यह सिद्ध होता है कि इन श्लोकों की रचना वृत्तिकार से भिन्न किसी अन्य विद्वान् ने की होगी। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि कारिकाकार और वृत्तिकार के मध्य लम्बे समय का व्यवधान रहा होगा और इस बीच में किसी अन्य विद्वान् ने इनकी रचना की होगी।^२

विष्णुपद भट्टाचार्य का यह कथन अत्यधिक आसक्त ही है। कारिकाकार और वृत्तिकार का भिन्न व्यक्ति मानकर ही यह अनुमान लगाया गया है। पहले तो यही सिद्ध करना है कि कारिकाकार और वृत्तिकार भिन्न व्यक्ति थे। जब तक यह सिद्ध नहीं होता, तब तक इन सग्रह श्लोकों तथा परिक्लृप्त श्लोकों को किसी अन्य विद्वान् की रचना कैसे कहा जा सकता है ?

१३ ध्वन्यालोक की टीकायें

'ध्वन्यालोक' की रचना के अनन्तर इसने विषय के गाम्भीर्य की व्याख्या करने के लिये अनेक टीकायें और व्याख्यायें प्राचीन काल से लिखी जाती रही हैं। इनके विषय में सन्निप्त परिचय देना यहाँ उपयोगी होगा।

(२) आचार्य अभिनवगुप्त की लोचनटीका—

ध्वन्यालोक की टीकाया म मयने प्रसिद्ध और प्रामाणिक टीका अभिनवगुप्त

१ ध्वन्यालोक १-१३ की वृत्ति से।

२ विष्णुपद भट्टाचार्य का ध्वन्यालोक की अनेको व्याख्या की भूमिका पृ०

की लोचनटीका समझी जाती है। हस्तलिखित प्रतियों में इस टीका के अनेक नाम मिलते हैं—सहृदयालोचनलोचन, ध्वन्यालोचनलोचन, अथवा वाच्यलोचनलोचन, परवर्ती आचार्यों ने अभिनवगुप्त की लोचनकार के नाम से स्मरण दिया है। साहित्यशास्त्र में 'ध्वन्यालोक' पर 'लोचन टीका' का वही महत्त्व है, जो पाणिनीय 'श्रुत्याध्यायी' पर 'महामाष्य' का है तथा ब्रह्मसूत्रों पर शाङ्करभाष्य का है। आचार्य अभिनवगुप्त ने स्वयं इस टीका का 'लोचन' नाम दिया और इसको ध्वन्यालो० (आलोक) के रहस्य का उन्मीलन करने वाला बताया।^१

अभिनवगुप्त—आचार्य अभिनवगुप्त यद्यपि काश्मीर के थे, तथापि इनके पूर्वजों का मूल स्थान काश्मीर नहीं था। अभिनवगुप्त का समय ६५० ई० से १०२५ ई० तक निश्चित किया गया है। इससे लगभग २०० वर्ष पूर्व आठवीं शताब्दी में इनके पूर्वज कन्नोज से काश्मीर गये थे। राजतरङ्गिणी के अनुसार आठवीं शताब्दी में कन्नोज का राजा यशोवर्मा (७३०-७४०) था और काश्मीर का राजा मुक्तापीड या ललितादित्य (७२५-७६१) था। दोनों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें कन्नोज का राजा पराजित हुआ। उस समय अन्तर्वेदी (गङ्गा-जमुना के मध्य का देश) में अभिनवगुप्त नाम का विद्वान् था। उनकी विद्वत्ता से ललितादित्य बहुत प्रभावित हुआ तथा उनको उसने काश्मीर में बसाया।

अभिनवगुप्त के अन्य पूर्वजों का उल्लेख नहीं मिलता। अभिनवगुप्त के दादा वराहगुप्त थे। वराहगुप्त के पुत्र नृसिंहगुप्त हुए तथा नृसिंहगुप्त के पुत्र अभिनवगुप्त थे। अभिनवगुप्त के चाचा का नाम वामनगुप्त था। अभिनवगुप्त के अनेक चचेरे भाई क्षेमगुप्त, उत्पलगुप्त, अभिनवगुप्त, चक्रवर्गुप्त और पद्मगुप्त थे। इनकी माता का नाम विमला या विमलाकला था।

अभिनवगुप्त की प्रतीभा बहुमुखी थी। इन्होंने विविध प्रकार की रचनाओं का निर्माण किया। इनकी कुछ रचनाओं को तन्त्रों के वर्ग में, कुछ को रत्नोत्तों के वर्ग में, कुछ को काव्यशास्त्र एवं नाट्यशास्त्र के वर्ग में तथा कुछ को शैवाद्वैतदर्शन (प्रत्याभिज्ञादर्शन) के वर्ग में रखा जा सकता है। अपने विभिन्न ग्रन्थों में अभिनवगुप्त ने अपने अनेक गुरुओं का श्रद्धापूर्वक उल्लेख किया है। विभिन्न गुरुओं से इन्होंने विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन किया था। इनके साहित्यशास्त्र के गुरु भट्टेन्दुराज थे, जिनका इन्होंने बहुत आदर के साथ उल्लेख किया है। सम्भवतः भट्टेन्दुराज ने ही अभिनवगुप्त को 'ध्वन्यालोक' की शिक्षा दी थी। 'लोचन टीका' में अभिनवगुप्त ने जिस प्रकार भट्टेन्दुराज का स्मरण किया है, इससे कुछ समालोचकों ने यह अनुमान किया है कि भट्टेन्दुराज ने भी 'ध्वन्यालोक' पर कोई टीका लिखी होगी।

अभिनवगुप्त के साहित्यशास्त्र के गुरु भट्टेन्दुराज भी थे। इनसे इन्होंने

१. किं लोचन विनालोको भाति चान्द्रिकयापि हि ।

तेनाभिनवगुप्तोऽत्र लोचनोन्मीलन व्यधात् ॥

नाट्यशास्त्र का अध्ययन किया था। नाट्यशास्त्र की अभिनवभारती टीका के अंत में इन्होंने अपने गुरु का स्मरण किया है। भट्टराज ने 'कायकोतुक' नामक ग्रंथ भी लिखा था जिस पर अभिनवगुप्त ने विवरण नाम से टीका लिखी थी। इसका उल्लेख उन्होंने लोचन टीका में शांत रस के नियोजन की उपयोगिता को बतलाते हुये किया है।

प्रतीत होता है कि अभिनवगुप्त आजीवन ब्रह्मचारी रहे। इन्होंने अपने परिवार का कोई उल्लेख नहीं किया। वे शिव के परम भक्त थे तथा इन्होंने उत्पन्नगुप्त द्वारा प्रतिपादित प्रत्यभिज्ञादणन का विकास किया था। काशी की एक पारम्परिक के अनुसार अभिनवगुप्त अपने १२०० शिष्यों सहित भैरवी स्तोत्र का पाठ करते हुये एक गुफा में प्रविष्ट हुए तथा अन्तर्धान हो गये। डा० प्रियसन के अनुसार यह गुफा श्रीनगर से १३ मील दक्षिण पश्चिम की ओर है और बीरु नामक स्थान (प्राचीन नाम बहुरूपा) में स्थित है।

अभिनवगुप्त के जीवन और कृतित्व के सम्बन्ध में बहुत विस्तृत सामग्री उपलब्ध है। परंतु इस प्रकरण में उसके अधिक उपयोगी न होने से उसको प्रस्तुत नहीं किया गया। इस विषय पर श्री जे० सी० चटर्जी लिखित 'काश्मीर शैविज्म' डा० भाण्डारकर लिखित 'वैष्णवविज्म तथा शैविज्म' और डा० के० सी० पाण्डे लिखित शोधप्रबंध 'अभिनवगुप्त को विस्तृत विवेचन के लिये देखा जा सकता है।

'ध्वन्यालोक' पर लोचनटीका से उसका रहस्य की तथा मतधर्मों की समुचित रूप से व्याख्या होती है। इसमें अभिनवगुप्त ने अनेक आचार्यों तथा कवियों का उल्लेख किया है। टीका के अंत में उन्होंने यह टीका ही लिखा है—'भानुदवर्धन के विवेक' से विस्तृत काव्यालोक व अर्थों के तत्त्वों की घटना करने में जिसके सार का अनुमान किया जा सकता है, जो प्रकाशमान सम्पूर्ण विषयों को प्रकाशित करने वाला है वह अभिनवगुप्त का विशिष्ट 'लोचन व्यापारित हुमा है।'

(२) चन्द्रिकाटीका—

अभिनवगुप्त में पूर्व ध्वन्यालोक पर चन्द्रिका नाम की एक व्याख्या लिखी जा चुकी थी। अभिनवगुप्त ने लोचनटीका में कई स्थानों पर इस टीका का उल्लेख

१ द्विजवरतोत्तरं निरूपितसद्यःध्यायाद्यतत्त्वघटनेयम् ।

अभिनवगुप्तेन कृता निवचरणाग्माजमयुपन ॥

२ मीमांसनत्वेन चाप परमद्वयपापनिवृत्त्यासवरमेभ्य प्रधानतम । स पापमस्मदुपाध्यायमदृतीतन काश्चकौतुके अस्मानिभश्च तद्विराणे वद्वतरकृतनिर्णयपूर्व-पत्र सिद्धा न इत्यन बहुना । ध्वन्यालोक ३ २६ पारिका की वृत्ति की लोचन टीका से ।

३ भानुदवर्धनविवेकविकारिकाव्या—

सायायात्त्वघटतादनुमेपसारम् ।

यत्प्रोति मरुततमरुद्विषयप्रकाश—

व्यपार्यताभिनवगुप्तविलोचन तत् ॥

किया है। इन उल्लेखों से यह भी प्रतीत होता है कि यह टीका इन के किसी पूर्वज ने लिखी होगी। ये उल्लेख डा० काणे द्वारा इस प्रकार उद्धृत किये गये हैं—

(१) यस्तु व्याचष्टे... इत्यल निरूपयंजसमोर्न साक विवादेन। पृष्ठ—
(१५०-१५१)।

(२) न्यस्तु व्याचष्टे... एतच्चापेलिकभिरयादिग्रन्थो... इत्यल पूर्ववश्यं. सह बहुधा सलापेन। (पृष्ठ २१६-२१७)।

(३) यत्तु त्रिष्वपि लोकेषु प्रतीयमानस्यैव रमाङ्गस्य व्याचष्टे म्म सदेव विज्ञीय तद् यात्रोत्सवमकार्षीत्। इत्यल पूर्ववश्यं सह विवादेन। (पृष्ठ २६६)।

अभिनवगुप्त द्वारा प्रथम तथा तृतीय उद्योत के ग्रन्थ में जो श्लोक लिखा गया है, उससे भी यह प्रतीत होता है कि उसने लोचन टीका को लिखने में चन्द्रिका टीका की सहायता ली थी। यह इस प्रकार है—

किं लोचनं विनालोकं भाति चन्द्रिकयापि हि।

जिस प्रकार चादनी के होने हुए भी चन्द्रमा बिना आँखों के प्रकाशित नहीं होता, उसी प्रकार चन्द्रिका तम की टीका से शोभित होत हुए भी यह 'ध्वन्यालोक' लोचनटीका से बिना शोभायमान नहीं होता।

लोचनकार के इस वाक्य से यह स्पष्ट है कि उनसे पूर्व चन्द्रिका नाम की टीका उनके किसी पूर्वज ने की थी। अभिनवगुप्त ने इस टीका से सहायता लेते हुये भी अनेक स्थानों पर अपनी मतभेद प्रकट किया है।

चन्द्रिका टीका से 'व्यक्तिविवेक' के रचयिता महिममट्ट जो कि अभिनवगुप्त से पहले हुये, परिचित रहें होंगे। उन्होंने अपने ग्रन्थ में इस टीका का उल्लेख प्रस्तावना के पाठ्यश्लोक में किया है।^१ अतः चन्द्रिका टीका की रचना का समय ६००-६५० ई० के मध्य माना जा सकता है।

(३) कौमुदी टीका—प्राचीन टीकाओं में कौमुदी नामक टीका भी प्रसिद्ध है। यह टीका माधवात् स्व से 'ध्वन्यालोक' पर न लिखी जाकर 'ध्वन्यालोक' की लोचन टीका पर लिखी गई है। इस टीका को केरल निवासी उदयोत्तुङ्ग नामक विद्वान् न लिखा था। यह टीका केवल प्रथम उद्योत तक ही उपलब्ध होती है, जिनको सबसे पहले महामहोपाध्याय मुष्पुस्वामी तथा उनके दो सहयोगियों ने मिलकर १६४४ ई० में प्रकाशित कराया था। कौमुदीकार ने 'मयूर सन्देश' नामक काव्य की भी रचना की थी। इसके आधार पर रामालोचको ने उदयोत्तुङ्ग का समय १४८० ई० निर्धारित किया है।

(४) रत्नाकर ने अपनी 'चन्द्रिकापाणिनिप्रकाश' में 'ध्वन्यालोक' की प्राचीन गाथाओं की व्याख्या की है। रत्नाकर का समय अभिनवगुप्त के बाद का रहा होगा,

१. सस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास—पी० धी० काणे (१९६६) पृ० २५८॥

२. ध्वनिवत्संन्यतिगहने स्तलिन पाष्या पदे पदे मुलभम् ।

रभसेन मत्प्रवृत्ता प्रकाशक चन्द्रिकाउद्घट्टवैव ॥२॥

मयोकि इन्होंने इस व्याख्या में अभिनवगुप्त का अनुकरण किया है। 'ध्वन्यालोक' में ४६ प्राकृत गाथाएँ हैं।

ध्वन्यालोक की कुछ प्राधुनिक टीकायें इस प्रकार हैं—

(५) डा० जैकोबी ने 'ध्वन्यालोक' को तृतीय उद्योत तक जर्मन भाषा में अनुवाद करके प्रकाशित कराया था।

(६) चौखम्बा संस्कृत सोरिजा बनारस से सम्पूर्ण 'ध्वन्यालोक' एवं उसकी 'लोचनटीका' प्राधुनिक बालप्रिया एवं दिव्याञ्जना टीका सहित १९४० ई० में प्रकाशित हुआ था। इसका सम्पादन श्री पट्टाभिराम घास्त्री ने किया था। पुनः इसी प्रकाशन से पं० बदरीनाथभा की दोषिती टीका केवल मूल 'ध्वन्यालोक' पर प्रकाशित हुई थी।

(७) डा० के० कृष्णमूर्ति ने 'ध्वन्यालोक' का अंग्रेजी अनुवाद भूमिका सहित किया था, जो कि १९५५ ई० में पूना से प्रकाशित हुआ।

(८) डा० विष्णुगुप्त भट्टाचार्य ने इस ग्रन्थ का अंग्रेजी अनुवाद विस्तृत व्याख्या सहित किया, जिसमें लोचनटीका तथा कौमुदीटीका का पूरा उपयोग किया गया है। इसमें विस्तृत भूमिका भी दी गई है इसके प्रथम उद्योत का पहला संस्करण १९५६ में प्रकाशित किया गया।

(९) आचार्य विग्नेश्वर ने ध्वन्यालोक की व्याख्या भूमिका सहित लिखी। इसका प्रकाशन ज्ञानमण्डल लिमिटेड वाराणसी द्वारा किया गया। प्रथम संस्करण २०१९ वि० में प्रकाशित हुआ।

(१०) 'ध्वन्यालोक' की अन्य व्याख्याएँ भी लिखी गईं और प्रकाशित हुईं। इनमें आचार्य जगन्नाथ पाठक की व्याख्या प्रसिद्धी है, जो कि 'ध्वन्यालोक' एवं 'लोचन टीका' दोनों पर है। इसका प्रथम संस्करण २०२१ वि० में चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी से हुआ।

१४. 'ध्वन्यालोक' का युगप्रवर्तन एवं परिधर्त साहित्यशास्त्र पर प्रभाव

साहित्यशास्त्र के इतिहास में 'ध्वन्यालोक' एक युगप्रवर्तक ग्रन्थ रहा। संस्कृत के समालोचना जगत में इस ग्रन्थ ने आसूलपुन परिवर्तन उपस्थित किया और प्राचीन काल से जमी धा रही समालोचनागत भङ्गियों और मिथ्यात्वों को नये सिधे में हल किया। आनन्दबर्धन ने समालोचना के जिन सिद्धान्तों को निरर किया था, उत्तरवर्ती आचार्यों ने उनको स्वीकार करके उन्हीं के आधार पर अपने ग्रन्थों को रचना की आनन्दबर्धन ने ध्वनि के सिद्धान्त को स्पष्टता की थी। 'ध्वन्यालोक' की आरिकाओं के अनुसार यह मस्य है कि ध्वनिकार से पूर्व भी ध्वनि की विद्वानों में चर्चा हुआ करती थी और इन सिद्धान्त को कुछ समालोचकों ने स्वीकार कर लिया था, तथापि आनन्दबर्धन ही पहले आचार्य थे, जिन्होंने व्यवस्थित रूप में इन सिद्धान्त को ग्रन्थ के अन्दर निबद्ध किया। आनन्दबर्धन ने इसमें भी बड़कर एक काम यह किया कि अपने से पहले प्रचलित बाल्मीकीय समालोचना के सिद्धान्तों का पुनर्मूल्यांकन

रिया घोर घलहार, गुण, गीत, वृत्ति, टोप, रस आदि से सम्बन्धित विचारधाराओं को ध्वनि के सिद्धान्त के अन्तर्गत समाविष्ट कर लिया। इन पर एक-एक करके विचार करना उपयोगी होगा।

‘ध्वन्यालोक’ की रचना से पहले काव्यों में इसको बहुत महत्व दिया गया था। भरत में नाट्यशास्त्र में लिखा था—‘न हि रसाद् न त कश्चिदर्थं प्रवर्तते’। इसके बिना कोई भी अर्थ प्रवर्तित नहीं होता। ‘ध्वन्यालोक’ की रचना के पश्चात् भी काव्य में रस का महत्व व्यापक एवं अमन्दिम्य रूप से स्पष्ट रहा। ध्वनिधार ने रस का समावेश ध्वनि के अन्तर्गत कर लिया। उसने कहा कि ध्वनि तीन प्रकार की है यस्तु ध्वनि, घलहारध्वनि और रस ध्वनि।

परन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि ध्यानन्दवर्धन ने इसके महत्व को कुछ कम कर दिया। यस्तुन ये इस सिद्धान्त के सबसे प्रबल समर्थक थे। इसको प्रतीयमान अर्थ का ही एक रूप देखकर उन्होंने रस की अद्वितीयता प्रतिपादित की। भरत ने काव्यों में रस की अनिवार्यता तो प्रतिपादित की, परन्तु यह नहीं बताया कि काव्य में उसका नियोजन किस प्रकार करना चाहिये। ध्यानन्दवर्धन ने यह निर्दिष्ट किया कि रस को स्पष्टवाच्य न होकर प्रतीयमान अर्थ के रूप में होना चाहिये। यह ही रस ध्वनि होती है और यह ही मुख्य रूप में काव्य की आत्मा है।

रस का ध्वनि में समावेश करने और ध्वनि के तीन भेद करके भी ध्यानन्दवर्धन ने रसध्वनि को सबसे अधिक महत्व दिया था और उसी को मुख्य रूप से काव्य की आत्मा कहा था। उनका मतलब था कि यस्तु और घलहार ध्वनियाँ भी रस के प्रति पर्यवसित होती हैं। अतः सामान्यतः जब ध्वनि को वाक्य की आत्मा कहा गया है तो यस्तुत रसध्वनि ही काव्य की आत्मा है। गुणीभूतव्यंग्य काव्य का लक्षण करते हुये ध्यानन्दवर्धन ने अपने इस अभिप्राय को अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है जबकि ये वक्त्रे हैं कि रसादि के तात्पर्य से नियोजित किये जाने पर गुणीभूतव्यंग्य काव्य भी ध्वनिरूप होता। रसादि की योजना काव्य में न होने पर ये उस रचना को काव्य ही नहीं मानते। इस कारण उ होने विप्रकाश न कहकर काव्य की अनुवृत्ति कहा।

१. यस्तु स्वप्नेऽपि न स्वप्नस्वप्नवाच्यो न लौकिकव्यवहारवर्तित, किन्तु शब्द-सामर्थ्यात्तद्व्यंग्यस्यैवमुन्दरविभाषानुभावसमुचितप्राग्विनिश्चितं यदापि वा नानुराग-सूत्रमारम्भनयित्वा नन्दवर्धनाभ्यापाररसनीयरूपो रसः स वाक्यव्यापारैकगोचरो रसध्वनि-रीति, स च रसध्वनिरेवेति, च एव सूचयतयामेति।

२. प्रकारोऽयं गुणीभूतव्यंग्यव्यंग्यध्वनिरूपताम्।

यत्ते रसादिहात्पर्यपर्यालोचनया पुन ॥ ध्वन्यालोक ३.४१

३. यत्त रसादीनामविवयत्यर्थं स काव्यप्रकारो न सम्भवत्येव। यस्मादयस्तुसत्य-मिता काव्यस्य भोगपद्यते। यस्तु च सर्वमेव जगद्गतमवयय कस्यचिद् रसस्य भावस्य वाङ्मत्व प्रतिपद्यते। ध्वन्यालोक ३.४३ की वृत्ति से।

४. न तन्मुख्य काव्यम्। काव्यानुकारो ह्यसौ। ध्वन्यालोक ३.४३ की वृत्ति से।

आनन्दवर्धन से पूर्व काव्यों में अलङ्कारों को अधिक महत्त्व प्राप्त था। अलङ्कारवादियों ने रस आदि को भी अलङ्कारों में अन्तर्भावित करके रसबदलङ्कार आदि का प्रतिपादन किया था। उनके अनुसार काव्य में जब रस की स्थिति है तो रसबदलङ्कार है तथा भाव की स्थिति होने पर प्रेयोऽलङ्कार होता है। आनन्दवर्धन ने रस को अलङ्कारों की जकड़ से मुक्त किया और कहा कि जहाँ काव्य की रचना रस के तात्पर्य से होती है और रस प्रधान होता है, वहाँ रसध्वनि होती है और जहाँ रस अप्रधान रूप से रहता है, वहाँ रसवदादि अलङ्कार होते हैं।^१

आनन्दवर्धन ने छरति सिद्धान्त में अलङ्कारों का भी समावेश कर लिया था। उन्होंने कहा कि उपमा, रूपक आदि अलङ्कारों का काव्य में नियोजन रस की अपेक्षा से करना चाहिये। जो अलङ्कार बिना किसी अन्य प्रयास के स्वाभाविक रूप से आधिष्ठ विभाव आदि की रचना में आ जाता है, यह ही अलङ्कार मान्य होना है।^१ इससे भिन्न अलङ्कार की योजना काव्य नहीं है, अपितु उक्तिर्विच्यमात्र है। इसी कारण उन्होंने चित्रकाव्य को नहीं माना। द्वितीय उद्योत में ध्वनिकार ने ध्वनिकाव्य में अलङ्कारों की योजना के कुछ विशेष नियमों का निर्देश किया है।^१

रसों की योजना के अनुसार ही अलङ्कारों का निवेदन करना चाहिये तभी ये काव्य के सौन्दर्य के हेतु होते हैं, यह ध्वनिकार का मन्तव्य था। उन्होंने यमक आदि क्लिष्ट और प्रयत्नसाध्य अलङ्कारों के नियोजन का ध्वनिकाव्य में निषेध किया था।^१ इस प्रकार भामह आदि अलङ्कारियों ने जिन अलङ्कारों को काव्य सौन्दर्योपायक आत्मतत्त्व के रूप में निश्चित किया। उसने कहा कि ये अलङ्कार काव्य के शरीर शब्द-अर्थ को उगी प्रकार मृगोभित करते हैं, जिस प्रकार युवती के शरीर को कुण्डल आदि

१. वाच्यवाचकचारुत्वहेतूनां विविधात्मनाम् ।

रसादिपरता यत्र सध्यनेदिययोभवेत् ॥ ध्वन्यालोक २.४ ॥

२. प्रधानेऽन्यत्र भावपार्थे यत्राङ्गं तु रसादयः ।

काष्ठे तस्मिन् अलङ्कारों रसादिरिति मे मतिः ॥ ध्वन्यालोक २.५ ॥

३. रसाधिष्ठतया यस्य सन्धः शक्यक्रियो भवेत् ।

अपृथग्यस्तनिर्वर्त्यः सोऽलङ्कारो ध्वनी मतः ॥ ध्वन्यालोक २.१६ ॥

४. विवक्षा तत्परत्वेन भाङ्गित्वेन कदाचन ।

काले च प्रहृणत्यागौ नातिनिर्वहणोपिता ॥

निर्धूँहावपि चाङ्गत्वे यत्नेन प्रत्यवेक्षणम् ।

रूपकादिरलङ्कार वर्गस्याङ्गत्वसाधनम् ॥ ध्वन्यालोक २.१८-१९ ॥

५. ध्वन्यात्मभूते शङ्कारे यमकादिनिबन्धनम् ।

शाक्तावपि प्रमादित्वं विप्रलम्भे विशेषतः ॥ ध्वन्यालोक २.१५ ॥

तेन शोराङ्ग तादिरसेष्वपि यमकादि कवेः प्रतिपत्तुश्च रमविघ्नकार्यम् ।

ध्वन्यालोक २.१६ पर लोचनटीका ।

घलकार गुणोभित करते हैं। धानकारो के सम्बन्ध में धानन्दबधेन की इस स्थापना को उत्तरवर्ती प्राचार्यों ने स्वीकार कर लिया।

गुणों के सम्बन्ध में भी ध्वनिकार ने नई दिशा प्रदर्शित की। प्राचीन घलकार-वादी प्राचार्यों—दण्डी, भामह, धामन आदि ने गुणों को वाच्य में यद्यपि महत्त्वपूर्ण स्थान दिया था, तथापि वे घलकारो से अधिक भिन्न नहीं समझे गये थे। वे मन्द और धर्य के सौन्दर्य में उसी प्रकार से वृद्धि करते थे जिस प्रकार घलकार। यद्यपि कठर में उनका घलकारो की प्रवेश अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध समझा गया था।

वाच्य में घलकारो और गुणों के परस्पर सम्बन्ध के विषय में प्राचीन काल से विवाद चलता आता था। भामह ने घलकारो एव गुणों के इस सम्बन्ध पर विचार किया था और कहा कि इनको बहुत भिन्न नहीं समझना चाहिये। धीज आदि गुण तथा धनुप्रास एव उपमा आदि घलकार इनकी स्थिति वाच्य में समवाय रूप से ही रहती है। दोनों में भेद का कहना ठीक नहीं। भेदचाल के कारण ही लोगो ने इनमें भेद कहना प्रारम्भ कर दिया है। इसी प्रकार धामन ने घलकारो और गुणों का सम्बन्ध इस प्रकार बताया कि वाच्य में सौन्दर्य का आधान करने वाले घलकार हैं, तथा सौन्दर्य का प्रतिपद्य करने वाले गुण हैं।

ध्वनिकार न प्राचीन प्राचार्यों के इन महत्वो का लण्डन किया। उनमें कहा कि घलकार तो वाच्य के सौन्दर्य के बाह्य उपादान है, तथा गुण अन्तरग उपादान है गुण तो प्रधानभूत रस का आश्रय लेकर स्थित रहते हैं और घलकार अङ्गभूत शब्द और धर्य का आश्रय लेते हैं। जिस प्रकार शरीर में शीर्य आदि गुण आत्मा के आश्रय से कहते हैं, उसी प्रकार वाच्य में रस आदि अङ्गी का आश्रय लेकर गुणों की स्थिति होती है और जिस प्रकार शीर के अङ्गो की शोभा बढ़ाने वाले घलकार उन अङ्गो के आश्रय में रहते हैं, उसी प्रकार घलकार वाच्य के अंग शब्द-धर्य का आश्रय लेकर रहते हैं।

१. तमर्थमवलम्बन्ते येऽङ्गिन ते गुणा स्मृता ।

अङ्गाधितास्त्वलंकारा मन्तव्याः कटकादिवत् ॥ ध्वन्यालोक २.६ ॥

२. भामह के काव्यालंकार पर भट्टोज्जुट की विवरण टीका को उद्धृत करते हुये मम्मट ने हम प्रकार लिखा—“एव च समवायवृत्त्या शीर्यादय सयोगवृत्त्या च हारादय इत्यस्तु गुणालंकाराणां भेदः, धीज प्रभतीनामनुप्रासोपमादीनां चोपयोपामयि समवायवृत्त्या स्थितिरिति गडडलिकाप्रवाहेषां भेदः, इत्यभिधानमसत् ।

वाच्यप्रकाश ८.६७ की वृत्ति ।

३. वाच्यशोभाया कर्तारो गुणास्तदतिशयहेतवस्त्वलंकारा — धामन ।

४. तमर्थमवलम्बन्ते येऽङ्गिन ते गुणाः स्मृता ।

अङ्गाधितास्त्वलंकारा मन्तव्याः कटकादिवत् ॥ ध्वन्यालोक २.६ ॥

ये तमर्थं रसादिलक्षणमङ्गिन सन्तमवलम्बन्ते ते गुणा शीर्यादिवत् । वाच्य-वाचकमध्याग्यङ्गानि ये पुनस्तदाधितास्तेऽलंकारा मन्तव्याः कटकादिवत् । उपरोक्त की वृत्ति ।

गुणों और अलङ्कारों के इस सम्बन्ध को मम्मट ने भी स्वीकार किया । उसने कहा कि गुण तो काव्य के आत्मरूप अङ्गी रस के धर्म हैं तथा उसका निश्चय रूप से उत्कर्ष करते हैं । काव्य में इनकी स्थिति इसी प्रकार है, जैसे शरीर में शौर्य की ।^१ इसके विपरीत अलङ्कार काव्य के शरीर शब्द-अर्थ के आश्रय से रहते हैं वे रस का उपकार भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते । परन्तु जब उपकार करते हैं तो शब्द के द्वारा ही करते हैं । काव्य में उनकी स्थिति इसी प्रकार है, जैसे शरीर पर हार आदि अलङ्कारों की होती है^२ । 'साहित्यदर्पण' में भी गुणों और अलङ्कारों के इसी सम्बन्ध को स्वीकार किया गया है ।

काव्य में गुणों की स्थिति का प्रतिपादन करके आनन्दवर्धन ने यह भी बताया कि किस गुण का आश्रय कौन सा रस है । इनकी स्थिति इस प्रकार है—

मधुर—सयोग और विप्रलम्भ शृङ्गार; करुण और शान्त^३ ।

श्लोक—रोद्र आदि^४ (रोद्र, वीर और अद्भुत) ।

प्रसाद—सभी रस^५ ।

उत्तरवर्ती भाषायों ने गुणों के इस रसाश्रयत्व को स्वीकार किया था । आनन्दवर्धन ने न केवल गुणों और अलङ्कारों के परस्पर सम्बन्ध तथा गुणों के आश्रयत्व पर ही नवीन सिद्धान्त स्थिर किये, अपितु गुणों की संख्या पर भी विचार किया । उसने गुणों की संख्या केवल तीन निर्धारित की—माधुर्य, श्लोक और प्रसाद गुणों की संख्या को निर्धारित करने में आनन्दवर्धन ने भामह का अनुसरण किया था^६, यद्यपि गुणों की प्रकृति के निर्धारण में भामह से उनका मतभेद था । वासन ने दस शब्दगुण और दस अर्थगुण बताये थे, परन्तु ध्वनिकार ने काव्य में तीन गुण

१. ये रसस्याङ्गनोधर्माः शौर्यादय इवात्मनः ।

उत्कर्षहेतवस्ते स्युश्चलित्यतयो गुणाः ॥ काव्यप्रकाश ८.६६ ॥

२. उपकुर्वन्ति त सन्त येऽङ्गद्वारेण जातुचित् ।

हारादिवदलङ्कारास्तेऽनुप्रासोपमादयः ॥ काव्यप्रकाश ८.६७ ॥

३. शृङ्गार एव मधुरः परः प्रह्लादनो रसः ।

तन्मयं काव्यमाश्रित्य माधुर्यं प्रतिष्ठति ॥

शृङ्गारे विप्रलम्भात्पे करुणे च प्रकथं वत् ।

माधुर्यमाद्रंतां याति यतस्तत्राधिक मनः ॥ ध्वन्यालोक २.७-८ ॥

४. रोद्रादयो रसा दीप्या लक्ष्यन्ते काव्यवतिनः ।

तदव्यक्तिहेतू शब्दार्थाश्रित्यौजो व्यथस्थितम् ॥ ध्वन्यालोक २.६ ॥

५. समर्पकत्वं काव्यस्य यत्तु सर्वरसान् प्रति ।

स प्रसादो गुणो ज्ञेयः सर्वसाधारणत्रियः ॥ ध्वन्यालोक २.१० ॥

६. एवं माधुर्योः प्रसादा एव त्रयो गुणा उपपन्ना भामहानिप्रायेण । ते च प्रतिपन्नास्वादमयाः तव आस्वाद्ये उपचारिता रसे तत्रस्तद्व्यञ्जकयोः शब्दार्थयोरिति तात्पर्यम् ॥

ध्वन्यालोक २.१० पर भोचनटीका ।

ही माने । याद में मम्मट ने वामन के दश ग्रंथगुणो वा राग्यन निया और दस शब्दगुणो को इन तीन गुणो में ही प्रतिपादित किया^१ ।

मानन्दवर्धन ने दोष, रीति, वृत्ति आदि काव्य-तत्त्वो पर भी नवीन दृष्टिकोण से विचार किया था । प्राचीन भामह आदि आचार्यों ने दोषो के जा दो विभाग-नित्यदोष और अनित्यदोष किये थे, मानन्दवर्धन के अनुसार यह विभाजन रसध्वनि के आधार पर ही हो सकता है । वामन ने रीति को काव्य की आत्मा स्वीकार किया था । उसने वैदर्भी, गौड़ी और पाञ्चाली तीन तीन रीतियाँ प्रतिपादित करके उनमें गुणो को स्थिति सिद्ध की थी ।^२ परन्तु ध्वनिवार ने कहा कि रीतियाँ काव्य का बहिरंग तत्व हैं । इनका नियोजन रस की दृष्टि से करना चाहिये । प्राचीन वामन आदि आचार्य इस ध्वनिरूप काव्यतत्त्व की ठीक प्रकार से व्याख्या नहीं कर पाये थे, अतः उन्होंने रीतियो को प्रवर्तित किया था ।^३ अब काव्य के तत्त्व को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया जाने के कारण रीतियो का लक्षण देने की आवश्यकता नहीं है ।

‘ध्वन्यालोक’ से पूर्व काव्यो में वृत्तियो का भी महत्त्व प्रतिपादित किया गया था । ये दो प्रकार की थी—प्रपञ्चवृत्तियाँ और शब्दवृत्तियाँ । भरत ने ‘नाट्यशास्त्र’ में भारती, भारभटी, सात्वती और कंशिकी, ये चार प्रकार की वृत्तियाँ बताई हैं, जो कि अभिनयात्मक होती हैं । दशरूपककार के अनुसार पात्रों का व्यवहार वृत्ति है । ध्वनिकार ने भी व्यवहार को वृत्ति कहा है ।^४ इन वृत्तियो का सम्बन्ध रस से है, अतः इनको अर्थाश्रित वृत्ति कहा गया है । उद्भूट आदि विद्वानो ने उपनागरिका आदि चार प्रकार की वृत्तियाँ प्रतिपादित की हैं, जिनका सम्बन्ध शब्दयोजना से है । मानन्दवर्धन ने इनको शब्दाश्रित वृत्ति माना है । इन दोनों प्रकार की वृत्तियो के सम्बन्ध में उनका कहना है कि इनकी पृथक् रूप से व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है । वृत्तियो की व्याख्या करने का प्रयोजन यही था कि सहृदयो के हृदयो में चमत्कारविशेष का अनुभव उत्पन्न हो सके । परन्तु उस समय तक ध्वनि के सिद्धान्त का स्पष्ट रूप से प्राविर्भाव नहीं हो सका था । ध्वनि का प्रयोजन भी यही है । अतः काव्य के लक्षणरूप इस

१. माधुयीजाप्रसादाख्यास्त्रयस्ते न पुनर्दश ॥ का० प्र० ८ ६८ ॥

केचिदन्तर्भवन्त्येपु दोषत्याग त्परेथिता ।

अग्ये भजन्ति दोषत्व पुत्रचिन्न ततो दश ॥

तेन नायगुणा वाच्या ॥ का० प्र० ८ ७२-७३ ॥

२. रीतिरात्मा काव्यस्य ॥ विशिष्टा पदरचना रीति ॥ विशेषो गुणात्मा ॥ सा त्रिधा—वैदर्भी गौडीया पाञ्चाली च ॥ समग्रगुणोपेता वैदर्भी ॥ प्रोज कान्तिमती गौडीया । माधुर्वसौकुमार्योपपन्ना पाञ्चाली ॥ वामन ॥

३. अस्फुटस्फुरित काव्यतत्त्वमेतद्व्यथोदितम् ।

शशकनुवद्भिर्भ्याकुं रीतय सम्प्रवर्तिता ॥ ध्वन्यालोक ३ ४७ ॥

४. व्यवहारी हि वृत्तिरित्युच्यते ॥ ध्वन्यालोक ३ ३३ की वृत्ति ॥

ध्वनि के जान लेने पर शब्दाश्रित एवं अर्थाश्रित वृत्तियों के स्वरूप की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं रही, वे स्वयं प्रकाशित हो जाती है।^१

ध्वनिकार ने ध्वनि के सिद्धान्त की स्थापना करके पूर्ववर्ती समालोचकों की मान्यताओं और सिद्धान्तों का अन्तर्भाव ध्वनि में ही कर लिया था। रस का प्रतीयमान प्रतिपादित करके उन्होंने इसका अन्तर्भाव भी यद्यपि ध्वनि के अन्तर्गत किया था, प्रथमपक्ष वे भरत के रससिद्धान्त के सबसे बड़े समर्थक थे। ध्वनि के तीन भेदों—वस्तुध्वनि, अलङ्कार-ध्वनि और रसध्वनि का विभाजन करके भी उन्होंने रसध्वनि को ही सबसे मुख्य काव्य की आत्मा माना। वस्तुध्वनि एवं अलङ्कारध्वनि की योजना भी रस के अभिप्राय से ही होती है, ऐसा उनका मत था।

ध्वनिसिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुये ध्वनिकार ने जिन मन्तव्यों का प्रतिपादन किया, रस, अलङ्कार, गुण, दोष, रीति, वृत्ति आदि के सम्बन्ध में उन्होंने जो धारणाएँ स्थिर की, उत्तरवर्ती आचार्यों—अभिनवगुप्त, मम्मट, विश्वनाथ, पण्डितराज जगन्नाथ आदि ने उनका समर्थन किया और अपने समालोचना ग्रन्थों में उनको आधार बनाया। 'ध्वन्यालोक' की रचना के बाद भी ध्वनि के सिद्धान्त पर अनेक आपत्तियों का निवारण करके ध्वनि-सिद्धान्त की निर्विघ्न तथा निस्सन्दिग्ध स्थापना की। पण्डितराज जगन्नाथ ने सत्य ही उनको आलङ्कारिकों के ध्वनि मार्ग की व्यवस्था करने वाला कहा है।

१. शब्दतत्त्वाश्रयाः काश्चिदर्थतत्त्वयुजोऽपराः।
वृत्तयोऽपि प्रकाशन्ते ज्ञातेऽस्मिन् काव्यलक्षणे ॥

श्रीमदानन्दवर्धनाचार्यप्रणीतो

ध्वन्यालोकः

प्रथम उद्योतः

स्वेच्छाकेसरिणः स्वच्छस्वच्छायायासितेन्दवः
त्रायन्तां वो मधुरिपोः प्रपन्नार्तिच्छिदो नखाः ॥

भारतीय परम्परा के अनुसार किसी भी शुभ कार्य के प्रारम्भ में मङ्गलाचरण के रूप में भगवान् का स्मरण किया जाता है। किसी भी ग्रन्थ के लिखने का प्रारम्भ करना अतिशुभ कार्य है। ग्रन्थ के लिखने में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित न हो तथा ग्रन्थ की समाप्ति निर्विघ्न रूप से हो सके। इस उद्देश्य से लेखक ग्रन्थ के प्रारम्भ में अपने इष्टदेव भगवान् का स्मरण करता है। संस्कृत साहित्य में यह परम्परा अति प्राचीन काल से चली आ रही है कि लेखक ग्रन्थ की रचना को प्रारम्भ करते हुये सबसे प्रथम भगवान् का स्मरण करे। वह स्वयं भगवान् का आशीर्वाद प्राप्त करे तथा पाठकों के लिये मङ्गलकामना करे। संस्कृत के सभी ग्रन्थों में इस परम्परा का पालन किया गया है।

यह मङ्गलाचरण तीन प्रकार से किया जा सकता है—आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक अथवा वस्तुनिर्देशात्मक। 'ध्वन्यालोक' के रचयिता आचार्य आनन्दवर्धन ने अपने ग्रन्थ की रचना को प्रारम्भ करते हुये प्राचीन परम्परा का पालन करके "आपनी रक्षा करें", इत्यप्रकार आशीर्वादात्मक मङ्गलाचरण किया है और अपने इष्टदेव नरसिंहायतारुधारी भगवान् विष्णु का स्मरण किया है।

ग्रन्थ—स्वेच्छाकेसरिणः मधुरिपोः स्वच्छस्वच्छायायासितेन्दवः प्रपन्नार्तिच्छिदः नखाः वः त्रायन्ताम् ।

हिन्दी अर्थ—अपनी इच्छा से ही सिंह (नृसिंह) का रूप धारण करने वाले मधु नामक असुर के शत्रु भगवान् विष्णु के, अपनी निर्मल कान्ति से चन्द्रमा को सज्जित कर देने वाले और शरण में आने वालों के कर्त्यों को काट देने वाले, -नाश्रुत मुम रायकी, ध्यायताओं और श्रोताओं की रक्षा करें।

स्वेच्छाकेसरिणः—स्वयं इच्छया केसरिणः ।

स्वच्छाद्यच्छायायासितेन्दवः—स्वच्छया स्वस्य छायाया आयासित इन्दु यं ते ।

मधुरिपो—मधो एवन्नाम्नोसुरस्य रिपो ।

प्रयःनार्तिच्छिद्व—प्रयन्नानाम् अर्ति छिन्दन्ति इति ते ।

इस मङ्गलाचरण रूप श्लोक की व्याख्या करते हुए लोचनवार अभिनवगुप्त का कथन है कि आचार्य आनन्दवर्न ने यहाँ तीनो प्रकारो के प्रतीयमान अर्थो—रस, वस्तु और प्रलवार को ध्वनित किया है । इनकी स्थिति यहाँ इस प्रकार है—

रस—मधुरिपोनेमा यो युष्मान् व्याम्याश्रुतोऽश्रायन्ताम्, तेषामेव सम्बोधन-योग्यत्वात् । सम्बोधनसारे हि युष्मदर्थ । नाण चाभीष्टलाभ प्रति साहायकाचरणे, तच्च प्रतिद्वन्द्विविघ्नायसारणादिना भवतीति, द्यदन त्राण विवक्षितम् । नित्योद्योगि-नश्च भगवतोऽसम्मोहाध्यावसाययोगित्वेन उत्साहप्रतीतेर्वाररसो ध्वन्यते ।

मधु नामक असुर का निनाश करने वाले भगवान् विष्णु के नख तुम सब व्याख्याताओ और श्रोताओ की रक्षा करे । ये ही सम्बोधन के योग्य हैं । 'युष्मद्' का अर्थ सम्बोधन का सार है । अभीष्ट के लाभ के प्रति 'रक्षा करना' महायत्ना करता है, और वह रक्षा प्रतिद्वन्द्वी विष्णो को दूर कर देने चादि से होती है, तथा यही रक्षा यहाँ विवक्षित है । नित्य उद्योग करने वाले भगवान् विष्णु के सम्मोह से रहित होने और अध्यवसाय से युक्त होने के कारण यहाँ उत्साह की प्रतीति होती है और इससे वीर रस ध्वनित होता है ।

वस्तु—नखाना प्रहरणत्वेन प्रहरणेन च रक्षणे कर्तव्ये नखानामव्यतिरिक्तत्वेन वरणत्वाद् सातिशयशक्तिता वतृत्वेन सूचिता, ध्वनितश्च परमेश्वरस्य व्यतिरिक्त-करणापेक्षारिहं । मधुरिपोरित्यनेन तस्य रसैव जगत्त्रामापसारणोद्यम उक्तः । वीदृशस्य मधुरिपो ? स्वेच्छयावेसरिणः, न तु कर्मपारस्तन्येण नाप्यन्यदीयेच्छया । अपितु विशिष्ट-दानहननोचिततयाविधेच्छापरिगृहीचित्वादेव स्वीकृतसिद्धरूपस्येत्यर्थः । वीदृशा नखा ? प्रयन्नानामर्ति ये छिन्दन्ति । नखाना छेदकत्तमुचितम् । अर्तो पुनश्छेदत्व नखान्प्रत्य-सम्भावनीयमपि तदीयाना नखाना स्वेच्छानिर्माणोचित्वात्सम्भाव्यत एवेति भावः ।किं च ते नखा स्वच्छेन स्वच्छागुणेन नैर्मरत्येन, स्वच्छमृदुप्रभृतयो हि भुग्यतया भाववृत्तय एव, स्वच्छयया च यद्ब्रह्मरूपयाऽऽहृत्याऽऽयासित श्वेदित इन्दुर्यं । अत्र अर्थशक्तिभूतेन ध्वनिना वातचन्द्रत्व ध्वन्यते ।

नख प्रहार करने के साधन हैं और प्रहार का साधन रक्षा के कर्तव्य की पूरा करता है, अतः नख नियत रूप से रक्षा के साधन है । इससे उनमें शक्ति वा अतिशय सूचित होता है । इससे यह भी सूचित होता है कि भगवान् विष्णु को अपने से भिन्न किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है । मधुरिपो शब्द से यह व्यक्त होता है कि भगवान् विष्णु सदा ही रागार के प्राय को दूर करी में उद्यमशील रहते हैं । स्वेच्छा के सरिण शब्द से व्यक्त होता है कि भगवान् विष्णु ने न तो कर्मों के बन्धनों के कारण और नहीं किसी अन्य की इच्छा से मृगिह रूप धारण किया था, अपितु उन्होंने विशेष दानः हिरण्यवशिषु का वध करने के लिये योग्य प्रकार के मिह के रूप

काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति दुर्धर्यः समाम्नातपूर्वं—
स्तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तन्मये ।
केचिद् वाचां स्थितमविपये तत्त्वमूचुस्तदीयं
तेन ब्रूमः सहृदयमनः प्रीतये तत्स्वरूपम् ॥१॥

को स्वीकृत किया था। नाचून कैसे है? जो कि शरण में आये हुएों के कपटों को काटते हैं। नाचूनों में छेदकता का कथन करता ही योग्य है। यद्यपि कपटों को काटना, यह कथन सम्भावित है, तथापि उन चमों के अपनी इच्छा से निर्मित होने के औचित्य से यह सम्भावित हो सकता है।.....क्योंकि वे नख अपनी निर्मलता से, यक और सुन्दर रूप वाली आकृति से चन्द्रमा को तज्जित करते हैं, अतः यहाँ अर्थ-शक्तिमूल ध्वनि से चन्द्रमा का वास्तव ध्वनित होता है।

अलङ्कार—किञ्चाहं पूर्वमेव एव असाधारणवैशद्यहृद्याकारयोगात् समस्त-जनाभिलषणीयताभाजनमभवम्, यद्य पुनरवविद्या नया दश बालचन्द्राकराः सन्तापाति-च्छेदकुशलाश्वेति तानेव मोरुने बालेन्दुबहुमानेन पश्यति, न तु मामित्याकलयन् बालेन्दुरवि-रतमायाममनुभवतीवेत्युत्प्रेक्षागङ्गातिध्वनिगपि ।

पहले मैं मोरुने ही असाधारण स्वच्छता और सुन्दरता के कारण सभी मनुष्यों की अभिलाषाओं का पात्र था, आज पुनः इस प्रकार के ये दम नया, जो कि बालचन्द्र के आकार के हैं तथा दुःखों और कपटों को काटने में कुशल हो गये हैं, और संसार उनका ही बालचन्द्र के रूप में बहुत आदर करता है, भेरा नहीं, इस प्रकार बालचन्द्रमा निरन्तर मेद का अनुभव करता है। इस प्रकार यहाँ उत्प्रेक्षा और अणुत्व की ध्वनि है।

इस प्रकार अभिनवगुप्त का कथन है कि इस श्लोक में हमारे गुण जी ने वस्तु, अलङ्कार और सा भेद से तीन प्रकार की ध्वनि की व्याख्या की है।

अन्वय—काव्यस्य आत्माध्वनिः इति दुर्धर्यः यः नमाम्नातपूर्वं; अपरे तस्य अभावं जगदुर; अन्ये तं भाक्तम् आहुः; केचित् तदीयं तत्त्वं वाचाम् अविपये स्थितम् ऊचुः । तेन सहृदयमनःप्रीतये तत्स्वरूपं ब्रूमः ।

हिन्वी अर्थ—काव्य की आत्मा ध्वनि है, इस प्रकार विद्वानों ने जिन ध्वनि का पहले कथन किया था, दूसरे विद्वान् उम ध्वनि का अनाप करते हैं। अन्य विद्वान् उम ध्वनि को असा (असाधारण) कहते हैं। कुछ विद्वानों का कथन है कि उम ध्वनि का तत्त्व वाणी का विषय नहीं है। इस कारण वे सहृदयों के मन की प्रसन्नता के लिये उम ध्वनि के स्वरूप को कहते हैं ॥१॥

समाम्नातपूर्वं—अम् = अमन्, मा = ममन्ता, म्नातः प्राटितः पूर्व यः सः । इस पद में यह विनि होता है कि आनन्दार्थन ने ध्वनि के विद्वान् को करने से पूर्वर्ती शीघर किया है। परन्तु आनन्दार्थन में पूरे यह विद्वान् विमी प्राचीन अर्थ में उपाय नहीं है। इसमें यह प्रतीत होता है कि आनन्दार्थन में पहले ध्वनि

बुधैः काव्यतत्त्वविद्भिः काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति संज्ञितः, परम्परया यः समाम्नातपूर्वः सम्पक् आ समन्ताद् म्नातः प्रकटितः, तस्य सहृदयजन मनः प्रकाशमानस्याप्यभावमन्ये जगद्गुः ।

तदभाववादिनां चामी विकल्पाः सम्भवन्ति ।

भक्ति ही ध्वनि है । यदि व्यङ्ग्य अर्थ है भी तो वह अभिधा वृत्ति से आक्षिप्त अर्थ के सामर्थ्य से आकृष्ट होता है, इस कारण भाक्त (गौण, लक्षणागम्य) है ।

(३) अलक्षणीयतावादी—अनिर्वाच्योध्वनिरिति । तदनाक्षिप्तमपि धा न वक्तुं शक्यं कुमारीध्विव भर्तृमुखमतद्विस्तु । ध्वनि अनिर्वाच्य है । यदि वह आक्षिप्त न भी माना जावे तो भी वाणी द्वारा उसी प्रकार नहीं कहा जा सकता, जिस प्रकार कुमारी कन्याये पति के मुख के विषय में नहीं कह सकती ।

आनन्दवर्धन ने ध्वनिविरोधियों के मतों को इन तीन वर्गों में विभक्त करके उनका खण्डन किया है । परन्तु जयरथ ने कव्यककृत 'अलङ्कारसर्वस्व' ग्रन्थ की अपनी किमशिनी नामक टीका में लिखा है कि ध्वनिकार के समय में ध्वनिविरोधी १२ मत प्रचलित थे । ध्वनिकार ने अपने ग्रन्थ की इस पहली कारिका में केवल तीन मतों को इसलिये उद्धृत किया, क्योंकि ये तीन मत ही सबसे प्रमुग्य थे । जयरथ के अनुसार ध्वनिविरोधी १२ मत इस प्रकार थे—

१. -तात्पर्यशक्तिरभिधा लक्षणाऽनुमिती द्विधा ।
- अर्थापत्तिः क्वचित्त्रन्त्रं समासोक्त्याद्यलंकृतिः ॥
- रसस्य कार्यताभोगो व्यापारान्तरवाधनम् ।
- द्वादशैत्यं ध्वनेरस्य स्थिता विप्रतिपत्तयः ॥

आनन्दवर्धन द्वारा कहे गये ध्वनिविरोधी मतों में पहला मत विषयवमूलक है, दूसरा मत सन्देहमूलक है और तीसरा मत अज्ञानमूलक है । इनमें पहले मत में ध्वनि का सर्वथा अभाव कहा गया है अतः यह सबसे निकृष्ट है । दूसरे मत में लक्षणा के द्वारा ध्वनि का स्पर्श तो किया है, परन्तु उसका स्पष्ट लक्षण नहीं किया गया, अतः यह मध्यम पक्ष है । तीसरा पक्ष ध्वनि को स्वीकार तो करता है, परन्तु उसका लक्षण नहीं करता, अतः यह सबसे कम दोगयुक्त है । ध्वनिकार ने इसी अम से इन मतों का उल्लेख करके आगे वृत्ति में इनका खण्डन किया है ।

हिन्दी अर्थ—बुधों ने अर्थात् काव्य के तत्व को जानने वालों ने काव्य की आत्मा आधारभूत तत्व को ध्वनि यह संज्ञा दी है और जिसको परम्परा से पहले ही समाम्नात किया है अर्थात् अरुणो प्रकार से विशद रूप से पुनः पुनः प्रकट किया है, सहृदय व्यक्तियों के मतों में प्रकाशित होते हुये भी उस ध्वनि का कुछ विद्वानों का कथन है कि अभाव है ।

तो अभाववादियों के ये तीन विकल्प हो सकते हैं ।

आचार्य आनन्दवर्धन के इस वाक्य से यह सिद्ध हो जाता है कि उनसे पूर्व यद्यपि ध्वनि की चर्चा होने लगी थी और इसको अनेक विद्वान् काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार कर चुके थे, तथापि इस विषय पर किसी सिद्धान्त ग्रन्थ की रचना नहीं हुई थी। सहृदय मनुष्यों के मन में यह सिद्धान्त प्रकाशित हो चुका था तथा आनन्दवर्धन ने सबसे पहले इस विषय पर ग्रन्थ की रचना की। 'व्यक्तिविवेक' में काव्य के दोषों के उदाहरण के रूप में महिममट्ट न निम्न श्लोक दिया है—

सत्काव्यतत्त्वमयदत्तमचिरप्रसुप्त-
 कल्प मन मु परिपक्ववियया यदासीत् ।
 तद् व्याकरोत् सहृदयोदयलाभहतो-
 आनन्दवधन इति प्रथिताभिधान ॥

महिममट्ट के अनुसार यह वारिका चतुर्थ उदात्त के अन्त में है। इससे प्रतीत होता है कि ध्वनि सिद्धान्त यद्यपि आनन्दवधन से पूर्व प्रचलित हो चुका था तथापि उसको ग्रन्थ के रूप में उसने ही सबसे प्रथम निबद्ध किया।

सहृदयजनमन प्रकाशमानस्य—सहृदयानां जनानां मन मु प्रकाशमानस्य । 'ध्वन्यालोक' ग्रन्थ में सहृदय शब्द का प्रयोग अत्र स्थाना पर किया गया है। इमं प्रो० सोवानी ने यह अनुमान लगाया कि इस ग्रन्थ की वारिकाओं की रचना सहृदय नामक किसी विद्वान् न की थी तथा वृत्ति की रचना आनन्दवधन ने की परन्तु यह अनुमान भ्रामक है। वास्तव में सहृदय जनरो कहा गया है, जो कि काव्य के मर्म की अच्छी प्रकार से अनुभव कर सकत है। इसको अभिनवगुप्त ने इस प्रकार स्पष्ट किया है—येषां काव्यानुशीलनाभ्यासवशाद् विशदीभूत मनोमुक्तुर् वरुणीयतन्मयीभवनयोग्यतां ते स्वहृदयसवादभाज सहृदयाः । यथोक्तम्—

योऽयं हृदयमवादी तस्य भावो रसोद्भवः ।
 शरीर व्याप्यते तेन शुष्कं काष्ठमिवाग्निना ॥

अर्थात् काव्या के अनुशीलन का अभ्यास करने के कारण जिनके स्वच्छ हृदये मन रूपी दर्पण में वर्णनीय वस्तु के साथ तन्मय हो जाने की योग्यता हो जाती है, अपने हृदय के साथ सवाद (आनन्द की स्थिति) का प्राप्त कर लेने वाले व्यक्ति सहृदय हैं। जैसा कि कहा गया है—

जो अर्थ हृदय के माध्यम से प्राप्त करने वाला है, उगवा ही भाव रस रूप अभिव्यक्ति को प्राप्त होता है। वह सहृदय के शरीर को उगी प्रकार व्याप्त कर लेता है, जिस प्रकार सूते काष्ठ को अग्नि व्याप्त करती है।

तत्र केचिदाक्षरीन् शब्दार्थशरीरं तावत् काव्यम् । तत्र च शब्दगता-
श्चारुत्वहेतवोऽनुप्रासादयः प्रसिद्धा एव । अर्थगताश्चोपमादयः । वर्ण-
संघटनाधर्माश्च ये माधुर्यादयस्तेऽपि प्रतीयन्ते । तद्वनतिरिक्तवृत्तयो वृत्तयोऽपि
याः कैश्चिदुपनागरिकाद्याः प्रकाशिताः, ता अपि गता-श्रवणगोचरम् ॥
रीतयश्च वैदर्भीप्रभृतयः । तद्व्यतिरिक्तः कोऽयं ध्वनिनिमित्तः ।

ध्वनि क विरोधी मतों को ध्वनिवार न तीन वर्णों में विभक्त किया है ।
उनमें पहला मत अभाववादियों का है । ध्वनिकार के अनुसार अभाववादियों के तीन
विकल्प हो सकते हैं । पहला विकल्प इस प्रकार है—

हिन्दी अर्थ—इस विषय में कुछ अभाववादी कह सकते हैं कि काव्य का
शरीर शब्द और अर्थ से निर्मित है । उसमें सौन्दर्य के हेतु अनुप्रास आदि अलङ्कार
प्रसिद्ध ही हैं । अर्थगत सौन्दर्य के हेतु उपमा आदि अलङ्कार प्रसिद्ध हैं । वर्णों को
संघटना के धर्म जो माधुर्य आदि गुण हैं, वे भी प्रतीत होते हैं । उन अलङ्कारों और
गुणों से अभिन्न रहने वाली जो उपनागरिका आदि वृत्तियाँ सिन्हीं विद्वानों द्वारा
प्रकाशित की गई हैं, वे भी श्रवणगोचर हुई हैं । वैदर्भी आदि रीतियाँ भी प्रसिद्ध
हैं । इन सबसे भिन्न ध्वनि नाम वाली यह कौन सी नई वस्तु हो सकती है ?

अभाववादियों के तीन विकल्प ध्वनिकार ने प्रस्तुत किये हैं—(१) काव्य का
सौन्दर्य अलङ्कार, गुण, वृत्ति और रीति द्वारा ही प्रकट हो जाता है । काव्य की शोभा
का अन्य कोई हेतु नहीं है । (२) काव्य के सौन्दर्य के जिन हेतुओं की गणना हो चुकी
है, उनसे भिन्न अन्य कोई हेतु नहीं हो सकता । (३) यदि अन्य कोई हेतु हो भी तो
उसकी गणना भी इन अलङ्कार आदि हेतुओं में हो जावेगी । इस प्रकार ध्वनि नाम
की कोई अपूर्व पृथक् वस्तु नहीं है, ऐसा अभाववादियों का मत है ।

ध्वनिकार ने अभाववादियों के प्रथम मत को इस प्रकार स्पष्ट किया है काव्य
का तत्व उसमें निहित सौन्दर्य ही है । काव्य का शरीर शब्द और अर्थ से निर्मित होता है,
अतः शब्द और अर्थ के सौन्दर्य के हेतु ही काव्य के तत्व या आत्मा होंगे । शब्दों का
सौन्दर्य अनुप्रास आदि अलङ्कारों से होना है और अर्थों का सौन्दर्य उपमा आदि
अलङ्कारों को काव्य की आत्मा कहा जाना चाहिये । शब्दों की रचना वर्णों से होती है
और वर्णों का सौन्दर्य माधुर्य आदि गुणों से है । अतः माधुर्य आदि गुणों को काव्य
की आत्मा कहा जा सकता है । कुछ समालोचकों ने उपनागरिका आदि तीन वृत्तियों
को, जो कि वर्णों के सौन्दर्य को ही दर्शाते हैं, काव्य की आत्मा माना है । अन्य
विद्वानों ने रीतियों को काव्य की आत्मा माना है । इस प्रकार आनन्दवर्धन ने अभाव-
वादियों के प्रथम विकल्प के चार मत प्रस्तुत किये हैं—अनुप्रासवादी, गुणवादी,
3 वृत्तिवादी तथा रीतिवादी । इन विद्वानों के अनुसार इनमें ही काव्य की आत्मा
स्वीकार करना चाहिये । इनसे भिन्न ध्वनि नाम की कोई वस्तु नहीं है ।

काव्य का शरीर—अधिकांश समालोचकों ने शब्द और अर्थ दोनों को अथवा
अर्थ से युक्त शब्द को काव्य स्वीकार किया है । जैसे दण्डी ने—“शरीर तावदिष्टा-

बंधवच्छिन्ना पदावली" और पण्डितराज जगन्नाथ ने—“रमणीयार्थप्रतिपादक शब्द काव्यम्” कहकर अर्थ से युक्त शब्द को काव्य माना है। भामह ने—“शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्” और मम्मट ने—“तददोषो शब्दार्थौ सगुणावनलवृत्तौ पुन क्वापि” कह कर शब्द और अर्थ दोनों को काव्य का शरीर स्वीकार किया है। इसमें आनन्दवर्धन को भी कोई आपत्ति नहीं है, जो कि तावन् शब्द से स्पष्ट है।

अलंकारवादी—दण्डी आदि विद्वान्ना ने शलकारों को काव्य की शोभा का आधायक माना है—

✓काव्यशोभाकरान् धर्मानलङ्कारान् प्रवक्षते ।

ते चाद्यापि विबल्यन्ते वस्तान् वात्स्येन वक्ष्यति ॥

वाश्विन्मागविभागाथमुक्ता प्रागप्यलङ्कारिया ।

साधारणमलकारजातमन्यन् प्रदर्शयते ॥

इस प्रकार अलंकार ही काव्य की शोभा के आधायक हैं तथा ये शब्द और अर्थ की शोभा को प्रकट करते हैं।

गुणवादी—बुद्ध आचार्यों का कथन है कि काव्य में गुण चमत्कार के आधायक हैं। प्राचीन आचार्यों में चामन ने २० गुणों की (१० शब्दगत गुण और १० अर्थगत गुण) गणना की थी। भोज ने २४ गुण बताये। परन्तु मम्मट ने इन सब गुणों को माधुर्य, श्लोक और प्रसाद में अन्तर्भावित करके तीन गुण कहे। शब्दों का सघटन वर्णों से होता है तथा वर्णों का सौन्दर्य गुणा द्वारा प्रकट होता है। दशमिलिय आनन्दवर्धन ने इनको वर्णसघटनाधर्म कहा। उद्भट, भामह आदि न गुण और अलङ्कार में साम्य बताकर इनमें भेद का खण्डन किया था, परन्तु मम्मट ने इनकी उक्ति का निम्न शब्दों से बहुर साम्य का खण्डन करके दोनों की अलग-अलग स्थिति बताई—

‘एव च समवायवृत्त्या शीर्षादय सयोगवृत्त्या हारादय इत्यस्तु गुणालङ्काराणां भेद । श्लोकप्रभृतीनामनुप्रास प्रभृतीनां च उभयेषां समवायवृत्त्या स्थिति— इत्यभिधानमसत्’ ।

मम्मट ने अलङ्कारों की शब्द और अर्थ में तथा गुणों की रसों में स्थिति प्रतिपादित की है। परन्तु प्राचीन अलङ्कारवादी आचार्यों गुणों को शब्दों का, जो कि वर्णों से निर्मित हैं, धर्म मानते हैं। वे इन्हीं को काव्य का चमत्कार-आधायक तत्त्व स्वीकार करते हैं।

वृत्तिवादी—बुद्ध प्राचीन आचार्यों ने वृत्तियों का काव्य की आत्मा प्रतिपादित किया है। ये वृत्तियाँ तीन हैं—शरणा, उपनागरिका और श्राम्या। इन्हीं को नागरिका, सलिता या कोमला कहा गया है। उद्भट के अनुसार इन वृत्तियों के लक्षण इस प्रकार हैं—

पर्या—शरणा रभयर्णप्टवर्णेष च योजिता ।

पर्या नाम वृत्ति म्यान् हल्लहार्यश्च समुता ॥

उपनागरिका—सरूपसयोगयुता मुद्घिन वर्गात्त्ययागिभि ।
स्पर्शयुता च मग्नने उपनागरिका बुधा ॥

ग्राम्या—शेषैर्वर्णयथायोग कथिता कोमलाख्यया ।
ग्राम्या वृत्ति प्रशसन्ति काव्योप्वाद्दतबुद्धय ॥

रुद्रट ने 'काव्यालङ्कार' में पाँच प्रकार की वृत्तियाँ कही हैं तथा उनको अनुप्रास का ही भेद कहा है—

“अनुप्रासस्य पञ्चवृत्तयो भवन्ति । मधुरा, प्रौढा, परया, ललिता, भद्रेति वृत्तय पञ्च ।

आनन्दवर्धन का कथन है कि ये वृत्तियाँ अलकारा और गुणो से पृथक् नहीं हैं । 'तदनतिरिक्तवृत्तय' पद के द्वारा उन्होंने वृत्तियो तथा अलकारा में एकता प्रतिपादित की है । अभिनवगुप्त का भी कथन है—

नैव वृत्तिरातीना तद्ध्यतिरिक्तत्व सिद्धम् । तथाहि अनुप्रासानामेव दीप्तममृण-
मध्यमवर्णनीयोपयोगितया परपत्वममृणत्वमध्यमत्वस्वरूपविवेचनाय वर्गत्रय सम्पादनार्थं
तिस्रोऽनुप्रासजातयो वृत्तय इत्युक्ता, वर्तन्तेऽनुप्रासभेदा आसु इति । यदाह—

सरूपव्यञ्जनन्यास तिमृष्वेतासु वृत्तिषु ।
पृथक्पृथगनुप्रासमुशन्ति क्वच्य सदा ॥

वृत्तिया और रीतियो की उनसे भिन्नता सिद्ध नहीं होती । जैसे कि अनुप्रास आदि अलङ्कारो में कठोर, कोमल और मध्यम वर्णों का उपयोग होन के अनुसार परपत्व, ललितत्व और मध्यमत्व स्वरूप का विवेचन करने के लिये तीन वर्गों का सम्पादन करने के लिये तीन वृत्तियाँ, जो कि अनुप्रास की जाति की हैं, कही गई हैं । इनम अनुप्रास के भेद ही वर्तमान हैं । क्योंकि कहा गया है—

इन तीन वृत्तियो में सजातीय व्यञ्जनों को समायोजित किया गया है । अतः कवि सदा इनमें पृथक्-पृथक् अनुप्रास को चाहते हैं । अर्थात् नागरिका वृत्ति में परप अनुप्रास है, उपनागरिका वृत्ति में ललित अनुप्रास है और ग्राम्यावृत्ति में कोमल अनुप्रास है । इस प्रकार वृत्तियाँ अनुप्रास की जाति की ही हैं । कुछ आचार्य इन वृत्तियाँ को ही काव्य का चमत्कार-प्राधायन तत्व मानते हैं । उनके अनुसार ध्वनि नाम का कोई पदायं नहीं है ।

रीतिवादी—वामन आदि आचार्यों ने रीति को काव्य की आत्मा प्रतिपादित किया है । वामन का कथन है—“रीतिरामा काव्यस्य” । अर्थात् रीति ही काव्य की आत्मा है । रीति का लक्षण वे करते हैं—“विशिष्टपदरचनारीणि” । पदा का विशिष्ट रचना ही रीति है । वामन ने तीन रीतियाँ प्रतिपादित की—वैदर्भी, गौडी और पाञ्चाली । दण्डी ने भी 'काव्यादर्श' में इनका संकेत किया है । परन्तु वह इनको रीति न कहकर मार्ग कहता है । उत्तरकाल में चार रीतियाँ—वैदर्भी, गौडी, पाञ्चाली और साटी कहा गईं । रीतिवादियो का कथन है कि काव्य की आत्मा रीति ही है तथा

अन्ये ब्रूयु—नास्त्येव ध्वनिः । प्रसिद्धप्रस्थानव्यतिरेकिणः काव्य-
प्रकारस्य काव्यत्वहाने । सहृदयहृदयाह्लादिशब्दार्थमयत्वमेव काव्य-
लक्षणम् । न चोक्तप्रस्थानातिरेकिणो मार्गस्य तत् सम्भवति । न च
तत्समयान्तः पातिनः सहृदयान् फाडिचत् परिकल्प्य तत्प्रसिद्ध्या ध्वनी
काव्यव्यपदेश. प्रवर्तितोऽपि सकलविद्वन्मनोग्राहितामवलम्बते ।

ध्वनि नाम की अन्य कोई वस्तु नहीं है । आनन्दवर्धन ने रीति को भी शब्दों तथा
वर्णों का धर्म कहकर इनका अन्तर्भाव शब्दालंकारों तथा गुणों में माना है ।

आनन्दवर्धन के अनुसार अभाववादियों के प्रथम विवल्प में चार मत हैं—
अलंकारवादी, गुणवादी, घृतिवादी और रीतिवादी । इनका मन्तव्य है कि काव्य की
आत्मा ये तत्व ही हैं सबते हैं । इनसे भिन्न ध्वनि नाम की अन्य कोई वस्तु नहीं है,
जिसको काव्य की आत्मा माना जा सके ।

हिन्दी अर्थ—दूसरे अभाववादी कह सकते हैं—ध्वनि निश्चित रूप से नहीं है ।
प्रसिद्ध प्रस्थान (काव्य का मार्ग) का उल्लंघन करने वाले काव्य के प्रकार में काव्यत्व
की हानि होगी । जो शब्द और अर्थ सहृदयों के हृदयों को आह्लादित करते हैं उनसे
निमित्त होना ही काव्य का लक्षण है । और इस बड़े गये मार्ग का उल्लंघन करने
वाले काव्य के मार्ग में यह काव्य का लक्षण सम्भव नहीं हो सकता । और उस
सम्प्रदाय के अन्तर्गत ही यदि किन्हीं को सहृदय मानकर उनको अनुसार प्रसिद्ध करके
ध्वनि में काव्य नाम का प्रचलन भी किया जावे तो वह सभी विद्वानों के मतों का
स्वीकार नहीं हो सकता ।

अभाववादियों के प्रथम विवल्प का कथन करके ध्वनिवार ने दूसरे विवल्प
का कथन किया है । दूसरे विद्वानों का कथन है कि ध्वनि को किसी भी प्रकार
स्वीकार नहीं किया जा सकता । काव्य के लक्षण प्राचीन आचार्यों ने किये हैं तथा
उन्होंने अलंकार आदियों को काव्य की आत्मा, चमत्कार आपायक तत्व सिद्ध किया
है । काव्य का यही मार्ग प्रसिद्ध है । इस प्रसिद्ध मार्ग का उल्लंघन करने अन्य किसी
वस्तु ध्वनि में काव्यत्व को स्वीकार नहीं किया जा सकता । काव्य शब्द और अर्थ से
निमित्त है । जो शब्द और अर्थ सहृदयों के हृदयों को आह्लादित करते हैं, उन्हीं में
काव्यत्व होता है । इसी मार्ग को स्वीकार करना चाहिये । इनसे भिन्न मार्ग में
काव्यत्व ही नहीं सकता । यदि बुद्ध व्यक्ति ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं
और अपने को सहृदय समझते हैं तथा इस प्रकार से प्रसिद्ध करके ध्वनि को काव्य
का नाम देते हैं, तो इस नाम को प्रचलित कर देने पर भी सभी विद्वानों को उनका
यह मतव्य स्वीकार नहीं हो सकता ।

प्रसिद्धप्रस्थानव्यतिरेकिण —प्रतिपन्ते परम्परया व्यवहरन्ति येन मार्गेण तत्
प्रस्थानम् । प्रसिद्ध सखललोकविदिन यन् प्रस्थान मार्गं शब्दाधी तद्गुणानन्दारश्चेति
तस्य व्यतिरेकिण अतित्रमण बुवर्णस्य ।

पुनरपरे तस्याभावमन्यथा कथयेयु न सम्भवत्येव ध्वनिर्नामापूर्वः कश्चित् । काननीयकमनतिवर्तमानस्य तस्योक्तेष्वेव चारुत्वहेतुष्वन्तर्भावात् । तेषामन्यतमस्यैव वा अपूर्वसमाख्यामात्रकरणे यत्किंचन कथन स्यात् ।

सहृदयहृदयाह्लादि—सहृदयानां काव्यरसभिज्ञाना जनानां हृदयानि ग्राह्यादयति इति तत् ।

उक्तप्रस्थानातिरेकिणः—उक्तस्य पूर्वम् अलङ्कारादिरूपण कथितस्य प्रस्थानस्य काव्यमार्गस्य अतिरेकिणः ।

तत्समयान्त पातिन—तस्य ध्वनिवादिभि कथितस्य समयस्य सवेतितस्य ध्वनिमार्गस्य अन्त पातिन अन्तवर्तिन ।

काव्यव्यपदेश—काव्यस्य व्यपदेश नामकरणम् ।

सकलविद्वग्मनोग्राहिताम्—सकलेषां विदुषा मनोभि ग्राहिताम् ।

ध्वनिवार द्वारा अभाववादियों के दूसरे विवल्प का कथन इस वाक्य में किया गया है । प्राचीन आचार्यों—दण्डी, भामह, रदट, वामन आदि विद्वानों ने अलङ्कार आदि में काव्यत्व को स्वीकार किया है । काव्य का सौन्दर्य—अलङ्कार, गुण, वृत्ति और रीतियों से निष्पन्न होता है । जहाँ इनका अस्तित्व होगा, वहीं काव्यत्व होगा । इनसे भिन्न स्थान पर काव्यत्व नहीं होगा । यदि वहाँ काव्य माना भी जायेगा, तो इससे काव्यत्व की हानि होगी । जैसे कि "गतोऽस्तमर्क" वाक्य में वाच्य की अपेक्षा व्यङ्ग्य अर्थ प्रधान है और ध्वनिवादियों के अनुसार यह ध्वनि है । इसमें अलङ्कार आदि के न होने पर भी ध्वनिवादियों के अनुसार काव्यत्व मानना होगा । परन्तु वस्तुतः यहाँ काव्यत्व नहीं है । यह तो वार्तामात्र है, यदि ध्वनिवादी इसमें काव्यत्व को स्वीकार भी करेंगे, तो भी अन्य सब विद्वान् इसमें काव्यत्व को किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं कर सकते । अतः ध्वनि को किसी भी प्रकार नहीं माना जा सकता ।

हिन्दी अर्थ—अन्य तीसरे अभाववादी उस ध्वनि के अभाव का अन्य प्रकार से कह सकते हैं । ध्वनि नाम को किसी अपूर्व वस्तु का होना सम्भव नहीं है । क्योंकि यह ध्वनि कमनीयता का अतिप्रमण नहीं करती, इसलिये उसका अन्तर्भाव प्राचीन आचार्यों द्वारा पहले कहे गये गुण, अलङ्कार आदि चारुत्व के हेतुओं में ही हो जायेगा । उन गुण, अलङ्कार आदि में से किसी एक का ही अपूर्व नामकरण—ध्वनि के रूप में कर देने मात्र से कौन सा कथन होगा । अर्थात् यह बड़ा तुच्छ सा कथन होगा ।

अभाववादियों के दो विवल्पा का कथन करके आचार्य आनन्दवदन ने तीसरे विवल्प का कथन किया है कि तीसरे अभाववादी ध्वनि के अभाव को अन्य प्रकार में कहते हैं । वे ध्वनि का अन्तर्भाव गुण या अलङ्कार में ही कर लेते हैं । उनका कहना है कि काव्य की आत्मा वही है, जो कि उसमें चारुत्व या कमनीयता का आधान कर सके । ध्वनिवादी भी इसको स्वीकार करते हैं । जबकि अलङ्कार आदि नत्व कमनीयता के हेतु हैं तथा ध्वनि भी कमनीयता की हेतु है, तो ध्वनि का अन्तर्भाव भी अलङ्कार

किं च वाग्विकल्पानामानन्त्यात् सम्भवत्यपि वा कस्मिच्चित् काव्य-
लक्षणविधायिभिः प्रसिद्धैरप्रदाशिते प्रकारलेशे ध्वनिध्वनिरिति यदेतदलीक-
सहृदयत्वभावनामुकुलितलोचनं नृत्यते, तत्र हेतुं न विद्मः । सहस्रशो हि
महात्मभिर्न्यैरलङ्कारप्रकारा प्रकाशिता प्रकाश्यन्ते च । न च तेषामेषा दशा
श्रूयते । तन्यैरस्मात् प्रवादमात्रं ध्वनि । न त्वस्य क्षोदक्षम तत्त्वं किञ्चि-
दपि प्रकाशयितुं शक्यम् ।

आदि चारुत्व हेतुआ मे हो जावगा । यह कोई नया पदार्थ नहीं है । प्राचीन आचार्यों न
अनेक अलङ्कारों का नामकरण किया है । उनमें यदि ध्वनि को नहीं गिनाया है तो
इस नये नामकरण को करने में, जिसका कि अन्तर्भाव अलङ्कार आदि चारुत्व हेतुओं
में है, कौन सा विशेष बचन हो जायेगा । अतः ध्वनि को पृथक् रूप से मानना आवश्यक
नहीं है ।

अभाववादियों के तृतीय विवरण के पक्ष को अभिनवगुप्त ने इस प्रकार
उठाया है—

ननु भवत्वसौ चारुत्वहेतु शब्दाद्यगुणालङ्कारान्तर्भूतश्च । तथापि ध्वनिरित्यमुया
भाषया जीवितमित्यसौ न केनचिदुक्त इत्यभिप्रायमाशङ्क्य तृतीयमभाववादमुपन्यस्यति ।
अर्थात् माना कि वह ध्वनि चारुत्व का हेतु हो सकता है, और वह शब्दगत और
अशब्दगत गुणा और अलङ्कारों के अन्तर्भूत है । तथापि वह 'ध्वनि' इस नाम के द्वारा
काव्य का जीवित है, ऐसा किसी ने नहीं कहा । इस अभिप्राय की आशङ्का करके
अभाववादियों के तीसरे पक्ष को प्रस्तुत करते हैं । भाव यह है कि तीसरे अभाववादी
ध्वनि को काव्य की कमनीयता का हेतु स्वीकार तो करते हैं, परन्तु उसका अन्तर्भाव
गुणों और अलङ्कारों में करते हैं ।

हिन्दी अर्थ— कवय की शैलियों के अनन्त होने के कारण, लोक में प्रसिद्ध
काव्य लक्षणकारों के द्वारा जिसको प्रकाशित नहीं किया गया, ऐसे तुच्छ में प्रकार
के सम्भव होने पर भी, यह ध्वनि है यह ध्वनि है, इस प्रकार से यह जो आप मिया
सहृदयत्व को भावना से आँसों को बन्द करके नाच रहे हैं, इसका हम कोई कारण
नहीं जान रहे हैं । महात्मा विद्वानों ने हजारों अलङ्कारों के प्रकार निश्चय ही प्रकाशित
किये हैं और प्रकाशित कर रहे हैं । परन्तु उनकी ऐसी दशा नहीं सुनी जा रही । इस
कारण से यह ध्वनि प्रवादमान है । इस ध्वनि में विचार करने योग्य कुछ भी तत्त्व
ऐसा नहीं है, जिसको प्रकाशित किया जा सके ।

वाग्विकल्पानाम्—वक्ति इति वाक् = शब्द । उच्यते इति वाक् = अर्थः । उच्यते-
जना इति वाक् = अभिधाव्यापार । वाक् शब्द से शब्द, अर्थ और अभिधा वृत्ति इन
तीनों का ग्रहण होता है । तात्पर्य यह है कि वाणी की, शब्द-अर्थ अभिधाव्यापार की
शैलियाँ अनन्त होती हैं ।

तथा चान्येन कृत एवात्र श्लोक —

यस्मिन्नस्ति न वस्तु किञ्चन मन प्रह्लादि सालकृति
 ध्युत्पन्नं रचितं चैव वचनैवक्रोक्तिशून्यं च यत् ।
 काव्यं तदध्वनिना समन्वितमिति प्रीत्या प्रशसन् जडो
 नो द्विद्योऽभिवधाति किं सुमतिना पृष्टं स्वरूप ध्वने ॥

अलीकसहृदयत्वभावनामुकुलितलोचन — अलीकस्य सहृदयत्वस्य भावनाया मुकु-
 नितानि नोचनाणि यथा तै ।

सहस्रशो हि अलङ्कारप्रकारा प्रकाशिता — आचार्यों का कथन है कि अलङ्कारों
 के अनक भद हैं जिनमें से कुछ कह दिय हैं कुछ की स्वयं कल्पना करनी चाहिए ।
 जैसे—

दण्डी— काव्यशोभाकरान् धर्मानलङ्कारान् प्रवक्षते ।
 ते चाद्यापि विकल्प्यन्ते कस्तान् कात्स्न्येन वक्ष्यति ॥

भामह— इति निगदितास्तास्ता वाचामन्तवृत्तयो मया ।
 बहुविधवृत्तीह पृथाऽप्येवा स्वयं परितक्य च ॥

प्रवादमात्र ध्वनि — इस शब्द के द्वारा आचार्य ने अभाववादिया के कथन का
 उपसंहार किया है कि वे ध्वनि को बसवास मात्र समझते हैं और यह आलोचना की
 कसौटी पर नहीं ठहर सकती । इगम जरा सी भी तत्त्व की बात नहीं है जिसको वि-
 प्रकाशित किया जा सके ।

हिदी अर्थ— और किसी दूसरे ने इस प्रकार से श्लोक को रचना की है—
 जिस काव्य में अलङ्कारों से युक्त और मन को अलङ्कारित करने वाली कोई वस्तु
 (काव्य तत्व) नहीं है जो काव्य ध्युत्पन्न वचनों से नहीं रचा गया है और जो वक्रोक्ति
 से रहित है वह काव्य ध्वनि से युक्त है इस प्रकार स प्रम स प्रशंसा करते हुए मूल
 से यदि कोई बुद्धिमान मनुष्य ध्वनि का स्वरूप पूछे तो वह क्या कहेगा यह हम नहीं
 जानते ।

अयेन कृत — अभिनवगुप्त का कथन है कि यह अर्थ 'न' वा अभिप्राय
 मनोरथ नाम के कवि से है । यह शब्द आनन्दवचन व समवाचीन कवि मनारथ की
 रचना है । वे निश्चित हैं—

तथा चावनेति । अथवृत्समानवाचभाविना मनारथनाम्ना कविना ।

सालकृति— इस पद से अर्थानलङ्कार का अभाव कहा गया है ।

ध्युत्पन्नं वचन — इन पदों से अर्थानलङ्कार का अभाव कहा गया है ।

वक्रोक्तिशून्यम्— वक्रोक्ति उच्यते सघटना । इग पद र शब्द और अर्थ व
 गुणा का अभाव कहा गया है ।

भाक्तमाह्वस्तमन्ये । अन्ये तं अ्यनिसंज्ञितं फ्राध्यात्मानं गुणवृत्ति-
रित्याहुः ।

हिन्दी अर्थ—दूसरे विद्वान् उस ध्वनि को भाक्त कहते हैं । अर्थात् अन्य विद्वान् ध्वनि नाम वाली वाक्य की आत्मा गुणवृत्ति है, इस प्रकार से कहते हैं ।

आहु—ध्वनिवार ने कारिका में अभाववादियों के लिये 'जगद्' तथा अक्ष-
णीयतावादियों के लिये 'अनु', इस प्रकार श्रुतवाचक वाक् लकार का प्रयोग किया
है, परन्तु भक्तिवादियों के लिये वतमानवाचक वाक् लट् लकार का प्रयोग किया है ।
इसका अभिप्राय यह है कि अभाववादी तथा अक्षणीयतावादी, ये दोनों पक्ष सम्भावित
पक्ष हैं, जिनका विवेचन अन्य ग्रन्थों में नहीं है । परन्तु भक्तिवादी पक्ष अविच्छिन्न रूप
से पुरतका में, भागहट 'वाव्यालवार', उद्धट 'भागहट विवरण' आदि ग्रन्थों में
अविच्छिन्न रूप से निरूपण है । अतः इसका लिये लट् लकार का प्रयोग उचित है ।
इस सम्बन्ध में अभिनवगुप्त ने लिखा है—

'अभाववादस्य सम्भावनाप्राणत्वेन भूतत्वयुक्तम् । भाक्तवादस्त्वविच्छिन्नं पुस्तकेषु
रूपभिप्रायेण 'भाक्तमाहुरिति नित्यप्रवृत्तन्तमानापक्षतयाभिधानम् ।

भाक्तम्—भाक्त पद की व्युत्पत्ति अभिनवगुप्त ने इस प्रकार की है—

"भज्यत राव्यत पदारथेन प्रसिद्धतयात्प्रेक्ष्यत इति भक्तिधर्मं अभिधेयेन सामी-
प्यादि, तत आगतो भाक्ता लाक्षणिकोऽयम् ।

जो पद के अर्थ के द्वारा सेवित होता है, प्रसिद्ध होने के कारण उत्प्रेक्षित होता
है, यह भक्ति है, वह अभिधावृत्तिप्रतिपाद्य अर्थ के द्वारा बोधित सामीप्य आदि धर्म है ।
अभिधावृत्तिपाद्य अर्थ में प्रतीत वह लाक्षणिक अर्थ भाक्त है । यह लक्षणा पाँच प्रकार
की है—

अभिधेयन सामीप्यात्सारूप्यात्समवायत ।

वैपरीत्यात्त्रियायोगाल्लक्षणा पञ्चधा मता ॥

अभिधेय व द्वारा सामीप्य सम्बन्ध से, सारूप्य सम्बन्ध से, समवाय सम्बन्ध से,
वैपरीत्य सम्बन्ध से और त्रिया के योग के सम्बन्ध से लक्षणा पाँच प्रकार की होती है ।

आलवारिका के अनुसार लक्षणा वहाँ होती है, जहाँ मुख्यार्थवाच, मुख्यार्थयोग
तथा प्रयोजन ये तीन स्थितियाँ विद्यमान हैं । उदाहरण के लिये 'गगाया घोष' पद
है । यहाँ 'गगायाम्' पद का मुख्य अर्थ (अभिधेय) गगा का प्रवाह है । गगा के प्रवाह
में घोष की स्थिति असम्भव होने से मुख्यार्थवाच होता है, अतः इस पद का अर्थ
गगातट किया जाता है, जो कि मुख्य अर्थ गगा के प्रवाह के समीप होने से उससे
सम्बन्धित है । अतः मुख्यार्थयोग की स्थिति है । 'गगातटे न क्ववर 'गगायाम्' बहने
का प्रयोजन यह है कि घोष में गंगा के पावनत्व आदि गुणों की प्रतीति हो सके । इस
प्रकार इस पद में मुख्यार्थवाच, मुख्यार्थयोग और प्रयोजन इन तीन स्थितियों के होने
के कारण 'गगायाम्' पद से अभिधा द्वारा मुख्य अर्थ 'गगा का प्रवाह' बोधित न होकर
लक्षणा द्वारा लक्ष्य अर्थ 'गगातट' बोधित होता है ।

आलवारिकों ने लक्षणा दो प्रकार की कही है—शुद्ध और गौणी । जहाँ

सामीप्य आदि सम्बन्ध होता है वहाँ-शुद्धा लक्षणा होती है । अन्यत्र गौणी लक्षणा होती है । 'गगाया घोष' में सामीप्य सम्बन्ध के होने से शुद्धा लक्षणा है । 'गौर्वाहीक' पद में गौणी लक्षणा है । यहाँ वाहीक को गौ कहा गया है । यहाँ 'गौ' के मुख्य अर्थ 'गौ' नामक पशु' के वाधित होने के कारण गोगत जडत्व आदि अर्थ का बोध होता है, जिनकी प्रतीति वाहीक में होती है ।

मीमांसको ने गौणी वृत्ति को अलग रूप से स्वीकार किया है । भक्तिवाद में प्रयुक्त 'भक्ति' पद से आलकारिका की लक्षणा वृत्ति (शुद्धा और गौणी) का तथा मीमांसका की गौणी वृत्ति का, दोना का ग्रहण होता है । लक्षणा के लिये तीन स्थितियाँ अनिवार्य होनी हैं 'भक्ति' पद की व्याख्या तीन प्रकार से की गई है—

(१) मुख्यार्थस्य भङ्ग भक्ति । मुख्य अर्थ का वाधित होना भक्ति है । इससे मुख्यार्थवाध सूचित होता है ।

(२) भज्यते सेव्यते पदारथेन इति समीप्यादिधर्मं भक्ति । पद के अर्थ के द्वारा सामीप्य आदि धर्म का संवित होना भक्ति है । इससे मुख्यार्थयोग सूचित होता है ।

(३) प्रतिपाद्यो सामीप्यतैःश्रद्धादौ श्रद्धातिशय भक्ति । प्रतिपादनीय सामीप्य, तीक्ष्णता आदि धर्म में श्रद्धातिशय श्रद्धा का होना भक्ति है । इससे प्रयोजन सूचित होता है ।

इस प्रकार 'भक्ति' पद से लक्षणा के लिये तीनों अनिवार्य अवस्थाएँ मुख्यार्थ-वाध, मुख्यार्थ योग और प्रयोजन सूचित हो जाती हैं । तदनन्तर 'भाक्त' पद की व्युत्पत्ति है—

‘तत आगत भाक्त’

जो अर्थ भक्ति से अर्थात् मुख्यार्थवाध, मुख्यार्थयोग एवं प्रयोजन से प्रतीत हो, वह भाक्त है । लक्षणावादी विद्वान् ध्वनि का अन्तर्भाव लक्षणा के अन्तर्गत कर लेते हैं, अतः वे ध्वनि को भाक्त कहते हैं ।

ध्वनि—जिस प्रकार भक्ति पद की व्युत्पत्ति तीन प्रकार से की गई है, उसी प्रकार ध्वनि पद की व्युत्पत्ति तीन प्रकार से की गई है—

(१) ध्वनि इति ध्वनि । इमते व्यञ्जन शब्द सूचिन होता है ।

(२) ध्वन्यते इति ध्वनि । इमते व्यञ्जना अर्थ सूचिन होता है ।

(३) ध्वन्यते अनया इति ध्वनि । इमते व्यञ्जना वृत्ति सूचित होती है ।

इस प्रकार ध्वनि पद—व्यञ्जक शब्द, व्यञ्ज्य अर्थ और व्यञ्जना व्यापार तीनों का सूचक है । जिस वाक्य में इस ध्वनि का प्राधान्य होता है । उस वाक्य को ध्वनि नाम दिया गया है ।

काव्यात्मानम्—ध्वनिवार ने वाक्य में ध्वनि को सर्वथेष्ट माना है, अतः वह इमते वाक्य की आत्मा कहते हैं ।

गुणवृत्तिम्—जिस प्रकार भक्ति और ध्वनि पद शब्द, अर्थ एवं व्यापार तीनों के सूचक हैं, उसी प्रकार गुणवृत्ति पद भी तीनों का सूचक देता है—

(१) गुणं सामीप्यादिभिस्तैःश्रद्धादिभिर्बोधापर्यन्तर वृत्तियंस्य म गुणवृत्ति शब्द । जो शब्द सामीप्य आदि या तैःश्रद्धादि उक्त्या म इमते अर्थ का बोध कराता है वह गुणवृत्ति शब्द है ।

यद्यपि ध्वनिशब्दसंकीर्तनेन काव्यलक्षणविधायिभिर्गुणवृत्तिरन्यो
या न कश्चित् प्रकारः प्रकाशित, तथाऽपि अमुख्यवृत्त्या काव्येषु व्यवहारं
दर्शयता ध्वनिमार्गो मनाक् स्पृष्टोऽपि न लक्षित इति परिकल्प्यं च मुक्तम्,
भावतमाहुस्तमन्ये ।

(२) तैरपायं शब्दस्य वृत्तिर्यत्र सोऽर्थो गुणवृत्ति । जो अर्थ इन सामीप्य
आदि और तैदृष्य आदि उपायो से बोधित होता है, वह गुणवृत्ति अर्थ है ।

(३) गुणद्वारेण वर्तनं वा गुणवृत्तिरमुख्योऽभिधाव्यापार । जो व्यापार गुण के
द्वारा प्रवर्तित होता है, वह आमुख्य अभिधा व्यापार गुणवृत्ति है ।

इस प्रकार लक्षणवादी विद्वान् व्यङ्ग्य अर्थ को लक्षण द्वारा ही बोधित मान-
कर ध्वनि को लक्षणप्रतिपाद्य सिद्ध करते हैं ।

इस वाक्य में 'भाक्तम्' और 'त ध्वनिसंज्ञित काव्यात्मानम्' पदा में समान
विभक्ति-वचन-लिङ्ग का प्रयोग करके इनको समानाधिकरण रखा गया है । इन पदों
में समानाधिकरण रखने का अभिप्राय यह है कि भक्तिवादी भक्तिप्रतिपाद्य अर्थ तथा
ध्वनि का तादात्म्य या अभेद रूप से प्रतिपादित करते हैं । जिस प्रकार 'नीलम्
उत्पलम्' का समान अधिकरण में कहने से नील और उत्पल में अभेद या तादात्म्य
प्रतिपादित होता है, उसी प्रकार भाक्तम् और ध्वनिसंज्ञित काव्यात्मानम् को समान
अधिकरण में कहने से इनमें अभेद और तादात्म्य का प्रतिपादन भक्तिवादियों के अनुसार
सिद्ध होता है । ध्वनिवार का सिद्धांत पक्ष इनके तादात्म्य का खण्डन करता है ।
यद्यपि कुछ स्थानों पर लक्षण और ध्वनि दोनों साथ-साथ हो सकते हैं, तथापि अन्य
स्थानों पर लक्षण के अभाव में भी ध्वनि होती है । ध्वनिवार का कथन यही है कि
लक्षण और ध्वनि दोनों एक नहीं हैं अपितु अलग-अलग हैं ।

हिन्दी अर्थ—यद्यपि काव्य का लक्षण करने वाले विद्वानों ने ध्वनि शब्द का
उल्लेख करके 'गुणवृत्ति' अथवा अन्य किसी प्रकार के वाक्य को प्रकाशित नहीं किया
है, तो भी उन्होंने काव्यों में अमुख्य वृत्ति (गुणवृत्ति) का व्यवहार प्रदर्शित करके
ध्वनि के मार्ग का थोड़ा सा स्पष्ट करके भी उसका लक्षण नहीं किया । इस प्रकार
की कल्पना करके ही हमने कहा—दूसरे इस ध्वनि को भाक्त कहते हैं ।

यहाँ ध्वनिवार के कहने का अभिप्राय यह है कि प्राचीन आचार्यों ने भट्टोद्भट
वामन आदि ने अपने ग्रन्थों में ध्वनि का उल्लेख नहीं किया है तथा ध्वनि काव्य
गुणवृत्ति काव्य है इस प्रकार नहीं कहा है । तथापि इन्होंने यह स्वीकार किया है
कि काव्यों में मुख्य अभिधा व्यापार के अतिरिक्त एक अन्य अमुख्य व्यापार गुणवृत्ति
व्यापार भी है । भामह ने "शब्दाशब्दोऽभिधानार्था" की व्याख्या के प्रसङ्ग में
अमुख्य वृत्ति को स्वीकार किया है । भट्टोद्भट ने "शब्दानामभिधानमभिधाव्यापारो
मुख्यो गुणवृत्तिश्च" कहकर यह प्रतिपादित किया है कि शब्दों का अर्थ मुख्य अभिधा
व्यापार में तथा अमुख्य गुणवृत्ति में किया जाता है । वामन ने भी कहा है—
'सादृश्यान्वयप्रणा वक्रोक्ति' । सादृश्य से जो लक्षणा होती है, वह वक्रोक्ति कहानी है ।

केचित् पुनर्लक्षणकरणशालीनबुद्धयो ध्वनेस्तत्त्वं गिरामगोचरं सहृदय-
हृदयसवेद्यमेव समाख्यातवन्तः ।

प्रयोजन-नेनैवंविधासु विमतिषु स्थितासु सहृदयमनःप्रोतये तत्स्वरूपं ब्रूम. ।

इस प्रकार ये आचार्य वाक्यो म अभिधा व्यापार मुख्यवृत्ति से आगे गुणवृत्ति अमुक्य व्यापार तक पहुँच गये थे तथा इन्होंने ध्वनि के मार्ग का कुछ स्पर्श करके उसका कुछ उन्मीलन किया था । परन्तु वे ध्वनि का लक्षण नहीं कर पाये । इसवे विपरीत वे लक्ष्य ग्रथ के आगे प्रनीत होने वाले ग्रथ का व्यङ्ग्य ग्रथ (ध्वनि) का विरोध करने लगे । जिस प्रकार नारियल की गिरि को प्राप्त करने के लिये पहुँचे नारियल के ऊपर की छाल को छीलकर तदनन्तर खोल को फोड़ देना पडता है, तदनन्तर ही अन्दर की गिरि प्राप्त होती है । केवल छाल को छील देने से कोई लाभ नहीं है । इस प्रकार से भक्तिवादियो न अमुक्य व्यापार लक्षणा को तो स्वीकार कर लिया, परन्तु उससे आगे के व्यञ्जना व्यापार का विरोध किया और ध्वनि के मार्ग का यत्किञ्चित् स्पर्श करके भी वे उसका लक्षण नहीं कर सके । वे ध्वनि को लक्षणा-वृत्ति प्रतिपाद्य अर्थात् भाक्त कहने लगे ।

हिन्दी ग्रथ—वाक्य का लक्षण करने में अग्रगल्भ बुद्धि वाले कुछ विद्वानो ने कहा कि ध्वनि का तत्त्व वाणी से अगोचर है । ये केवल सहृदयो के हृदय द्वारा सवेद्य है ।

इस कारण से इसप्रकार को विभिन्न विपरीत मतियो के स्थित होने पर हम सहृदयों के मनो की प्रसन्नता के लिये उस ध्वनि के स्वरूप को कहते हैं ।

ध्वनि विरोधियो ने अभाववादी तथा भक्तिवादी मतों को प्रस्तुत करके ध्वनि-कार ग्रथ तीमरे पक्ष अलक्षणीयतावादियो को प्रस्तुत करते हैं । इनका कहना है कि ध्वनि नामक तत्त्व है तो, पर वाणी द्वारा उसका लक्षण या व्याख्या नहीं की जा सकती । सहृदय व्यक्तियो के हृदय उसका अनुभव मात्र कर सगते हैं । अत ध्वनि का लक्षण करने या प्रयास व्यर्थ है ।

इस प्रकार ध्वनिकार ने ध्वनिविराधियो के तीन मत—अभाववादी, भक्तिवादी और अलक्षणीयतावादी प्रस्तुत किये हैं । अभिनवगुप्त का कथन है कि इनमे पहले की अपेक्षा बाद का मत अधिक श्रेष्ठ है । व निवने है—

“एते च त्रय उत्तरोत्तर भव्यबुद्धय । प्राच्या हि विपर्यस्ता एव सर्वया । मध्य-
मास्तु तद्रूप जानाना अपि सन्देहेनापह्नवने । ध्वन्याम्बवपह्नवाना अपि लक्षयितु न
जानन् इति त्रमेण विपर्यामसन्देहाज्ञानप्राधान्यमतेषाम्” ।

अर्थात् ये तीनों मत उत्तरोत्तर अधिक श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं । पहले अभाववादी विपर्यय बुद्धि वाले है अर्थात् वे ध्वनि के तत्त्व को जानते ही नहीं हैं । दूसरे भक्तिवादी ध्वनि के रूप को जानते तो हैं, परन्तु मद्देह व कारण उसको छिपाने हैं । तीमरे अलक्षणीयतावादी ध्वनि का छिपाने तो नहीं, परन्तु उसका लक्षण करना नहीं जानते । इस प्रकार इन तीना मतों में त्रमण विपर्यय, सन्देह और अज्ञान का प्राधान्य है ।

✓ तस्य हि ध्वनेः स्वरूपं सप्तसत्पाधिषाध्योपनिषद्भूतम्, अति-
रमणीयम्, अणीयसीभिरपि चिरन्तरैरेवाध्यतक्षणविधायिनां बुद्धिभिरनुन्मी-
तितपूर्वम् । अथ च रामायणमहाभारतप्रभृतिनि लक्ष्ये सर्वत्र प्रसङ्ग-
ध्यवहारं लक्षयतां सहृदयानाम्, आनन्दो मनसि तभतां प्रतिष्ठाति
प्रकाशयते ॥१॥

ध्वनिवार ने ध्वनिपरिधीया न विभिन्न मता को प्रस्तुत करते वहा कि
वास्तुत वाच्य की आमा ध्वनि ही है । म ध्वनि वा स्वरूप हम यहाँ बता रहे हैं ।
ध्वनि के स्वरूप को बताने वा प्रयोगन यह है कि सहृदयो में प्रगल्भता वा उद्बुध हो
सते ।

तेन—ज्यादि ध्वनि के सम्बन्ध म अथ विप्रतिपत्तियां हैं, अत यहाँ बहुरचन
अपेक्षित था । परन्तु ध्वनि के सम्बन्ध म उमरी तीनों विप्रतिपत्तिया वा उल्लेख
करके ध्वनिवार ने ध्वनि के प्रतिपादन के निय सीना को एव एव करने हेतु माना
है, अत 'तेन' मे एव वान वा प्रयोग किया गया है ।

विमतिषु—विरुद्धा मति विप्रतिपत्ति सशय विमति तामु । ध्वनि वा विरोध
करने वाले अनेक विरोधी सशयात्मक मत विद्यमान है, अत ध्वनिवार अपने मत को
प्रस्तुत करने से पूर्व उन सशयात्मक मता को प्रस्तुत करते हैं । 'नैयायिकों के अनुसार
किसी भी सिद्धान्त की परीक्षा के लिये पहले उमसे सम्बन्धित सशयात्मक मता की
परीक्षा करनी चाहिये । जैसे कि न्यायसूत्र म कहा गया है—

यत्र तत्र सशयपूर्विका परीक्षा शास्त्रे यथाया वा, तत्र तत्रैव सशये परेण प्रति-
पिद्धे समाधिर्वाच्य इति । अत सर्वपरीक्षाव्यापित्वात् प्रथम सशय परीक्षित इति ।
न्यायसूत्र २ १ ७ वा वात्सायन भाष्य ।

इस विचारसरणी वा अनुसरण करते हुये ध्वनिवार ने अपने पक्ष को प्रस्तुत
करने से पहले इससे सम्बन्धित सशय पक्षों को प्रस्तुत किया है, जिनवा कि आगे चल
कर वे खण्टन करेगे ।

विमतिषु स्थितानु—यहाँ 'यतश्च निर्धारणम् मे सप्तमी विभक्ति वा प्रयोग हुआ
है । यहाँ निर्धारण म सप्तमी है ।

सहृदयमन प्रीतये—वाच्य के अनेक प्रयोजनों मे सत्य परनिर्वृति, आनन्द की
प्राप्ति सबसे मुख्य प्रयोजन माना गया है । अत ध्वनि के स्वरूप वा निरूपण करने
में ध्वनिवार का उद्देश्य सहृदयों के मनों मे प्रगल्भता वा आधान करना है ।

हिन्दी अर्थ—उस ध्वनि का स्वरूप निरचय से सभी श्रेष्ठ कवियों के काव्यों
का परम रहस्य है, अत्यधिक रमणीय है और प्राचीन काव्य लक्षणकारों की अतिसूक्ष्म
बुद्धियों द्वारा भी उसका पहले उन्मूलन नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त रामायण
और महाभारत आदि लक्ष्य ग्रन्थों मे सभी स्थानों पर इसका ध्यवहार हुआ है । इसको
लक्षित करने वाले सहृदयों के मन मे आनन्द प्रतिष्ठा को प्राप्त करे, इस उद्देश्य से
ध्वनि के स्वरूप को प्रकाशित किया जा रहा है ॥१॥

उपनिषद्भूतम्—इस शब्द का अर्थ है—सभी काव्यों का जो सारभूत छिपा हुआ तत्त्व है। इस शब्द की व्याख्या 'वालप्रिया' टीका में इस प्रकार की गई है— 'उपनिषद्भूतेति । काव्यतत्त्वानभिर्नैदुं ज्ञेयत्वादतिरहस्यभूतेत्यथ " । 'उपनिषद्भूत' पद का अभिप्राय है कि जो काव्य तत्त्व से अनभिज्ञ व्यक्तियों के निये बढिनाई से जाना जा सकने के कारण अत्यधिक रहस्यभूत है।

सक्षयताम्—लक्षणद्वारेण निरूपयताम् । लक्षण के द्वारा जिन सहृदयों ने ध्वनि का निरूपण किया है, उनका । लक्ष्यनेऽनेति लक्ष लक्षणम् । लक्षण निरूपयन्ति लक्षयन्ति इति तेषाम् लक्षणद्वारेण निरूपयताम् ।

आनन्द मनसि प्रतिष्ठा लभताम्—'आनन्द' पद में श्लेष है। इसका पहला अर्थ है सहृदयों के मन में काव्य रचना का आनन्द प्रतिष्ठित होवे। काव्य के अनेक उद्देश्य हैं, इनमें आनन्द की प्राप्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। वह आनन्द सहृदयों को तभी प्राप्त होता है, जबकि वे ध्वनि का मर्म का समझन में समर्थ होते हैं। यह आनन्द जीवन के चार पुरुषार्थों—धर्म—अर्थ—वाम माक्ष स भी चमत्कारी है। 'बत्रोत्तिजीवित' में कहा गया है—

चतुर्वर्गपत्रस्वादमप्यतिब्रम्य तद्विदाम् ।

वाव्यामृतरसेनान्तश्चमत्कारो वितन्यते ॥१५॥

भामहू के काव्यालंकार में लिखा है—

✓धर्मार्थवाममोक्षेषु वैचक्षण्य क्लामु च ।

करोति कीर्ति प्रीति च साधुवाव्यनिपेवणम् ॥१२॥

इन प्रयोजना में भी प्रीति को सबसे प्रधान कहा गया है।

कवि कण्ठपुर ने काव्यकौस्तुभ में लिखा है—

यथा प्रभृयेव फत्र नास्य केचनमिप्यते ।

निर्माणकाले श्रीकृष्णमुणनावण्यवेतिषु ॥

चित्तस्याभिविबेधेन सान्दानन्दलपन्तु य ।

स एव परमा लाभ स्वादवाना तथैव स ॥१७॥

२ आनन्द पद में दूसरा अभिप्राय यह है कि ध्वनि तीन प्रकार की है—वस्तु ध्वनि, अलङ्कार ध्वनि और रसध्वनि। इन तीनों में आनन्दरूप रसध्वनि सबसे प्रधान है।

३ आनन्द पद से तीसरा अभिप्राय ग्रन्थ के रचयिता से है। इस ग्रन्थ में ध्वनि के स्वरूप का प्रतिपादन करने के अलावा आनन्दवर्धन सहृदयों के मन में प्रतिष्ठित होकर शाश्वत यश को प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि यह कहा गया है—

{उपयुगामपि दिव सन्निवघविघापिनाम् ।

आमत् एव निरातङ्क वात काव्यमय वपु ॥

उत्तम निबन्धा की रचना करने वाले कवियों के स्वरों में पहुँच जाने पर भी उनका काव्यमय शरीर बिना कष्ट के विद्यमान रहता ही है।

ध्वनिकार ने इस वाक्य के द्वारा ध्वनिविरोधियों के मतों का निराकरण भी किया है। ध्वनिकार ने ध्वनिविरोधियों के ५ मत-तीन अभाववादियों के, एक भक्तिवादियों का और एक असक्षणीयतावादियों का प्रस्तुत किये हैं। "तस्य हि ध्वने स्वरूपम्....." इस वाक्य से ध्वनि का जो रूप प्रस्तुत किया गया है, उससे इन पाँचों मतों का निराकरण होता है। यह इस प्रकार से है—

(१) 'सकल' और 'राकवि' शब्द के द्वारा उन अभाववादियों के मत का खण्डन होता है जो कि 'कस्मिश्चित् प्रकार लेशो' पक्ष के हैं।

(२) 'अतिरमणीयम्' पद से भक्तिवादियों के मत का खण्डन किया गया है। लक्ष्य अर्थ से व्यङ्ग्य अर्थ अधिक रमणीय होता है।

(३) 'उपनिषद्भूतम्' पद से अभाववादियों के इस मत का खण्डन किया गया है जो कि 'अपूर्वसमाख्यामात्रकरणे' की युक्ति पर आधारित है।

(४) 'अणीयसीभिरिवरन्तनवाव्यलक्षणविधायिना बुद्धिभिरनुन्मीलितपूर्वम्' पदों से उन अभाववादियों के मत का खण्डन किया गया है, जो ध्वनि को गुण-अलङ्कार आदि में अन्तर्भावित करते हैं।

(५) 'अथ चसर्वत्र प्रसिद्धव्यवहार लक्षयताम्' पदों से असक्षणीयतावादी मत का खण्डन किया गया है।

ध्वनि का लक्षण करने से पूर्व आनन्दवर्धन ने जो यह प्रसङ्ग भूमिका के रूप में प्रस्तुत किया है, इससे अनुबन्ध-चतुष्टय का बोध भी होता है। अन्य में आरम्भ में अनुबन्ध-चतुष्टय का प्रयोजन, विषय अधिनारी और सम्बन्ध का बचन किया जाता चाहिये, जैसे कि श्लोक बार्तव में किया है—

सिद्धार्थं सिद्धसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते ।

शाम्भ्रादौ तेन वक्तव्यं सम्बन्धं सप्रयोजनं ॥१.१७॥

भारतीय शास्त्र रचना प्रक्रिया के अनुसार अनुबन्ध-चतुष्टय का बचन अन्य के आरम्भ में होना चाहिये। आनन्दवर्धन ने भी इस परम्परा का पालन करते हुए अनुबन्ध-चतुष्टय को सूचित किया है। ये इस प्रकार हैं—

(१) प्रयोजन—"विमतिषु ग्मिनामु महृदयमन प्रीतये" । इन पदों से स्पष्ट है कि अन्य का प्रयोजन विमतियाँ को दूर करना तथा महृदयों के मन को प्रमत्त करना है।

(२) विषय—"तस्मैव रूपं ब्रूमः" । इन पदों से स्पष्ट है कि ध्वनि के स्वरूप का वर्णन करना इस अन्य का विषय है।

(३) अधिनारी—"महृदयानामानन्दा मनसि यमता प्रतिष्ठाम्" । इन पदों में यह सूचित होता है कि महृदय जन इस अन्य के अध्ययन के अधिनारी हैं।

(४) सम्बन्ध—इस अन्य में शम्भ्र और विषय का प्रतिपाद-प्रतिपादक सम्बन्ध है तथा शास्त्र और प्रयोजन का माध्य-साधन सम्बन्ध है ॥१॥

तत्र ध्वनेरेव लक्षयितुमारब्धस्य भूमिका रचयितुमिदमुच्यते—

योऽर्थः सहृदयश्लाघ्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः ॥

वाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्मृतौ ॥२॥

काव्यस्य हि ललितोद्धितसन्निवेशाचारणः शरीरस्यैवात्मा शाररूप-
तया स्थितः सहृदयश्लाघ्यो योऽर्थः तस्य वाच्यः प्रतीयमानश्चेति द्वौ
भेदौ ॥२॥

हिन्दी अर्थ—जिस ध्वनि का हम लक्षण करना आरम्भ कर रहे हैं, उसकी
भूमिका की रचना करने के लिये ही यह कहा जाता है—

अन्वय—य अर्थ सहृदयश्लाघ्य काव्यात्मा इति व्यवस्थित, तस्य
वाच्यप्रतीयमानाख्यौ उभौ भेदौ स्मृतौ ।

जो अर्थ सहृदयों के द्वारा प्रशंसित है तथा जो काव्य की आत्मा के रूप में
प्रतिष्ठित है, उसके वाच्य और प्रतीयमान से दो भेद कहे गये हैं ॥२॥

काव्य का जो ललित (गुण और अलङ्कारों से सुन्दर) तथा उचित रसादि
के योग्य) रचना के कारण रमणीय, शरीर में आत्मा के समान सार रूप में स्थित
एवं सहृदयों द्वारा प्रशंसित अर्थ है, उसके वाच्य और प्रतीयमान इस प्रकार से दो
भेद हैं ॥२॥

इस कारिका में ध्वनिकार में काव्य में दो प्रकार के अर्थों का कथन किया है
तथा दोनों अर्थों को वाच्य की आत्मा रूप तथा सहृदयों से प्रशंसित बताया है। इस
प्रकार ध्वनिकार के कथन में ही परस्पर विरोध प्रतीत होता है। ध्वनिकार पहले तो
कहते हैं कि ध्वनि, जो कि प्रतीयमान अर्थ है, वाच्य की आत्मा है (काव्यस्यात्मा
ध्वनि) तथा अब वे वाच्य अर्थ को भी वाच्य की आत्मा कह रहे हैं। इस प्रकार
ध्वनिकार के पहले कथन 'तेन ब्रूम सहृदयमन प्रीतये तत्स्वरूपम्' और इस कारिका
में परस्पर असङ्गति उत्पन्न हो जाती है। विश्वनाथ ने 'साहित्यदर्पण' में इस असङ्गति
को उठाकर इस प्रकार आपत्ति की है—

“यच्चध्वनिकारेणोक्तम्—

अर्थ सहृदयश्लाघ्य काव्यात्मा यो व्यवस्थित ।

वाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्मृतौ ॥

तत्र वाच्यस्यात्मत्व 'काव्यस्यात्मा ध्वनि' इति स्ववचनविरोधादेवापास्तम्” ।

परन्तु यह असङ्गति, जो कि विश्वनाथ द्वारा भी प्रदर्शित की गई है, वास्तविक
नहीं है। ध्वनिकार ध्वनि को ही वाच्य का सारभूत तत्व मानते हैं। वाच्य का यहाँ
जो उन्होंने कथन किया है, वह ध्वनि के लक्षण की भूमिका को बनाने के लिये किया
है। ध्वनिकार स्वयं वृत्ति में यह कहते हैं कि इस कारिका की रचना ध्वनि के लक्षण
की भूमिका बनाने के लिये की गई है। 'ध्वनरेव' में 'एक' पद इस तथ्य को स्पष्ट कर
देता है कि यह कारिका केवल भूमिका के रूप में है। वाच्य अर्थ के बिना व्यङ्ग्य
अर्थ की प्रतीति नहीं होती। क्योंकि व्यङ्ग्य अर्थ के बोध के लिये पहले वाच्य अर्थ

का जानना अभिप्राय है इसलिये ध्वनिवार न वाच्य अथ वा यही उद्देश्य किया है। इसको अभिनवगुप्त ने इस प्रकार स्पष्ट किया है—

ननु ध्वनिस्वरूप ब्रूम इति प्रतिपाद्य वाच्यप्रतीयमानाशयो द्वौ भेदावधस्येति वाच्याभिधाने वा समति कारिकाया इयाशङ्क्य समति क्तुमवतरणिका करोति ध्वनेरेवति ।

भूमिकाम—भूमिरिव भूमिका (नाचनटीका)। भूमिका भूमि (नीव) के समान होती है। जिस प्रकार किसी प्रासाद की रक्षा करने से पूर्व उसकी मजबूत भूमि (नीव) बनाई जाती है उसी प्रकार प्रतीयमान अथ वा विवेचन करने के लिये उसकी भूमि के रूप में वाच्य अथ वा निरूपण आवश्यक है। वाच्य अथ वा अर्थी प्रकार से बोध होने पर ही प्रतीयमान अथ वा विवेचन सम्भव होगा। यहाँ प्रतीयमान के साथ वाच्य को इसलिये रखा गया है कि वहाँ उसका वाच्य में अपह्नव (निषेध) न कर दिया जावे।

वाच्यप्रतीयमानाद्यौ—वाच्यश्च प्रतीयमाश्च। द्वन्द्व समास। द्वन्द्व समास उभयपदप्रधान है। इससे सिद्ध है कि वाच्य में वाच्य और प्रतीयमान दोनों का अस्तित्व रहता है। किसी का भी अपह्नव (निषेध) नहीं किया जा सकता।

स्मृतौ—स्मृतौ पद से यह अभिप्राय है कि ध्वनिवार में विषय में कोई नई बात नहीं कह रहे अपितु प्राधान्य वान से वाच्य में प्रतीयमान अथ माना जाता रहा है। इससे ध्वनिवार में सम्मानातपूर्व कथन की भी पुष्टि होती है।

सहृदयशरीर—पहन कटा गया है—शब्दायशरीर वाच्यम्। वाच्य का शरीर शब्द और अर्थ से निर्मित है। अर्थ वा सहृदया से शाश्वतीय वाच्य की धामा के रूप में कहा गया है। इसमें भी असंगति प्रतीत होती है। वस्तुतः शब्द शरीर का सहृदय है। इसका सभी व्यक्ति अनुभव कर सकते हैं। परन्तु अर्थ का पान सब मनुष्यों को नहीं होता। अर्थ वा विशेष रूप से प्रतीयमान अर्थ वा वाच्य सहृदयजन ही कर पाते हैं। अतः सहृदयशरीर अर्थ प्रतीयमान ही है। उसको दो विभागा वाच्य और प्रतीयमान में करने का यही अभिप्राय है कि प्रतीयमान अर्थ वा जानन के लिये वाच्य अर्थ वा भी जानना चाहिए।

ललितोच्चित्तसन्निवेशचारुण—ललित उच्चित्त च मन्निवेशन चारुण। यहाँ ललित का अभिप्राय गुणानुसारयुक्त रचना से है और उच्चित्त शब्द से रसविषयक शौचिक का ग्रहण किया जाता है जैसा कि अभिनवगुप्त का कथन है—

ललितगन्धेन गुणानुवाराऽनुपहृमाह । उच्चित्तशब्देन रसविषयमशौचिक भवतीति दशयन् रसध्वनयोच्चित्तव सूचयति । तदभास हि विषयव्ययमशौचिक नाम सर्वत्र उद्घोष्यते इति।

अथान् ललित पद से गुणा और अर्थद्वारा का अनुपहृ (महायत्न) कहा है। उच्चित्त शब्द से रसविषयक शौचिक ही हाटा है इस प्रकार प्रदर्शित करके रूप

रसध्वनि वाक्य का जीवन है यह सूचित करते हैं। उस रस के अभाव में किस अपेक्षा से सब स्थानों पर औचित्य को उद्घोषण किया जा सकता है।

ध्वनि सिद्धान्त के अनुसार वाक्य की आत्मा रस है तथा गुण अलंकार, औचित्य आदि सब रस के अंगभूत हैं। परन्तु क्षमेन्द्र ने औचित्यत्रिचरचर्चा में यह प्रतिपादन किया है कि वाक्य की आत्मा औचित्य है तथा वाक्य के अन्य उपकरण उसकी तुलना में गौण हैं। परन्तु आनन्दवधन ने अपने ग्रन्थ में अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए ध्वनि को मुख्य कह कर भी औचित्य का महत्त्व का समर्थन किया है। उनका कहना है कि रस का सन्निवेश करते हुए औचित्य का ध्यान रखना चाहिये। औचित्य का न रहने पर रस का भंग हो जाता है। व निश्चित है—

अनौचित्यादृते नायद् रसभंगस्य कारणम् ।

प्रसिद्धीचिन्त्यव्यस्तु रसस्योपनिपत परा ॥ तृतीय उद्योत ॥

औचित्य के अतिरिक्त रस के भंग का दूसरा कारण नहीं है। प्रसिद्ध औचित्य का नियोजन ही रस का परम रहस्य है।

औचित्य को महत्त्व दत्त हुये भी आनन्दवधन ने उसको रस के ऊपर प्रस्थापित नहीं किया। उसने रसध्वनि को ही वाक्य का परमत्व माना है—

व्यङ्ग्यव्यञ्जक भावेऽस्मिन् विविध सम्भवत्यपि ।

रसादिभ्य एवस्मिन् कवि स्यादवधानवान् ॥४५॥

इस व्यङ्ग्य व्यञ्जकभाव के अनेक प्रकार के सम्भव होने पर भी कवि को चाहिये कि वह एक रसादिभ्य भेद में ही ध्यान देने वाला हो।

आनन्दवधन का यह भी कहना है कि जब वाक्य और वाचक में औचित्य का नियोजन किया जाता है तो वह भी रस आदि विषय की दृष्टि से ही होता है—

वाच्याना वाचकाना च यदौचित्येन योजनम् ।

रसादिविषयेऽतत कम मुख्य महावचे ॥३३२॥

रसाद्यनुगुणत्वेन व्यवहारोऽयशब्दयो ।

औचित्यवान् यस्ता एता वृत्तयो द्विविधा स्मृता ॥३३३॥

रस के नियोजन में अनौचित्य की कड़ी आलोचना ध्वनिकार ने की है। इस सम्बन्ध में वे बालिदास को भी नहीं छोड़ते। एक ओर तो बालिदास ने शिव और पावती की ससार के माता पिता के रूप में बन्दना की है (जगत पितरौ बन्दे पावती परमेश्वरी ॥रघुवण १ १॥) दूसरी ओर उन्होंने कुमारसम्भव में उनके नग्न शृङ्गार का चित्रण किया है।

तथाहि महाकवीनामप्युत्तमदेवताविषय प्रसिद्ध सभागशृङ्गारनिबधनाद्यनौचित्य शक्तिस्फूर्तत्वात् ग्राम्यत्वेन न प्रतिभासत। यथा कुमारसम्भवे देवीसम्भोगवर्णनम् ॥ध्वन्यालोक कारिका ६ की वृत्ति ॥

महाकविया का भी उत्तम देवता विषय प्रसिद्ध सभाग शृङ्गार का नियोजन अनौचित्य की शक्ति से तिरस्कृत हो जाने के कारण ग्राम्यत्व दोष से युक्त हो जाता है

तत्र वाच्य. प्रसिद्धो यः प्रकारैरुपमादिभिः ।

बहुधा व्याकृतः सोऽन्यैः,

काव्यलक्ष्मविधायिभिः ।

ततो नेह प्रतन्यते ॥३॥

केवलमनूद्यते पुनर्यथोपयोगम् ॥३॥

और वह प्रतिभासित नहीं होता । जैसा कि 'कुमारसम्भव' में देवी पार्वती के सम्भोग का वर्णन है ।

आनन्दवर्धन ने रस के औचित्य के लिये विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी-भावों में भी औचित्य का प्रतिपादन किया है—

विभावानुभावसचायौचित्यचारण ।

विधि कथाशरीरस्य ॥३१०॥

शृङ्गार रस के स्थायिभाव रति के औचित्य के सम्बन्ध में वे लिखते हैं—
रतिर्हि भारतवर्षोचितेनैव व्यवहारेण दिव्यानामपि वर्णनीयेति स्थिति ।।।।
तवाहि अथमप्रवृत्त्यौचित्येनोत्तमप्रवृत्ते शृङ्गारोपनिबन्धने वा भवेन्नोपहास्यता ।।।।
सत्पदाभिनेयार्थेऽभिनेयार्थे वा वाक्ये यदुत्तमप्रवृत्ते राजादेश्चोत्तमप्रवृत्तिभिर्नायिवाभि-
सह भ्राम्यसम्भोगवर्णनं तत् पित्रो सम्भोगवर्णनमिव सुतरामभ्यम् । तथैवोत्तमदेवतादि-
विषयकम् । यत्वेवनिधे विषये महावचीनामप्यसमीक्ष्यकारिता लक्ष्ये दृश्यते स दोष एव ।
स तु शक्तिरिस्कृतत्वात् न लक्ष्यत इत्युक्तमेव ।

इस प्रकार 'ललितोचितसन्निवेशचारण' पद से आनन्दवर्धन का अभिप्राय है कि वाक्य को गुणों और अलंकारों में विभूषित होना चाहिये तथा उसमें रस के औचित्य का समायोजन होना चाहिये । तभी वह वाक्य चार होता है ॥३॥

अन्वय—तत्र यः वाच्यः उपमादिभिः प्रकारैः प्रसिद्धः, स अन्यैः बहुधा व्याकृतः ।

हिन्दी अर्थ—उन दोनों प्रकारों के अर्थों में जो वाच्य अर्थ उपमा आदि प्रकारों के द्वारा प्रसिद्ध है, उसकी अन्य आचार्यों ने अनेक प्रकार से व्याख्या की है ।

अन्वय का अभिप्राय है वाक्य का लक्षण करने वाले आचार्यों ने ।

इसलिये उसका विस्तार में प्रतिपादन नहीं कर रहे ॥३॥

अर्थात् वह वाच्य अर्थ यहाँ आवश्यकता के अनुसार केवल अनूदित किया जा रहा है ॥३॥

प्रतन्यते, अनूद्यते—अज्ञान अर्थ का ज्ञान अर्थान् उसने लक्षण का प्रतिपादन प्रदान बहलाना है (अज्ञानज्ञानलक्षण प्रतिपादन हि प्रतननम्) और दूसरे प्रमाणों से अज्ञान अर्थ का शब्दों के द्वारा ज्ञान करना अनुवाद कहना है (प्रमाणान्तरावगतार्थस्य शब्दा सचीर्तनमात्रमनुवादः) ।

प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्तुवस्ति वाणीषु महाकवीनाम् ।

यत्तत् प्रसिद्धावयवातिरिक्त विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु ॥४॥

प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वाच्याद् वस्तुवस्ति वाणीषु महाकवीनाम् ।
यत् तत् सहृदयमुप्रसिद्धं प्रसिद्धेभ्योऽलङ्कृतेभ्यः प्रतीतेभ्यो वाऽवयवेभ्यो
व्यतिरिक्तत्वेन प्रकाशते लावण्यमिवाङ्गनासु । यथा ह्यङ्गनासु पृथङ्
निर्वर्ण्यमानं निखितावयवव्यतिरेकि किमप्यन्यदेव सहृदयलोचनामृतं
तत्त्वान्तर तद्देव सोऽर्थः ।

लोचनकार का भाव यह है—वाच्य अथ जो वि उपमा आदि अलंकारो से
विशिष्ट है, उसका विस्तृत वर्णन प्राचीन आचार्यों ने किया है । अतः उसको
प्रतिपादित करने की हम आवश्यकता नहीं है । हम उसको उसी प्रकार से स्वीकार
करते हैं तथा उसका प्रतिपादन करने केवलमात्र कथन करते हैं ।

प्रसिद्ध—प्रसिद्ध का अर्थ लौकिक है । 'वनितावदनीचानेन्दूदयादिवल्लोकिव
एवेत्यर्थं' (लोचन) । भाव यह है कि वाच्य अर्थ को ध्वनिकार ने वनिता का मुख,
उद्यान, चन्द्रोदय आदि के समान लौकिक कहा है तथा व्यङ्ग्य रस को अलौकिक
माना है ।

प्रकाररूपमादिभिः—वाच्य अर्थ की शोभा अलंकारो से होती है । इनमें उपमा
सबसे प्रमुख है । जैसा कि वामन का कथन है—सम्प्रत्यर्थालङ्काराणां प्रस्तावं । तन्मूल
चोपमा इति । सैव विचार्यते ॥काव्यालंकारसूत्रवृत्ति ४ २ १॥

इसी तथ्य की पुष्टि अप्ययदीक्षित ने 'चित्रमीमांसा' में की है—

उपमैका शैलूपी सम्प्राप्ता चित्रभूमिकाभेदान् ।

रञ्जयति वाव्यरङ्गे नृत्यन्ती तद्विदा चेत् ॥२॥

अन्य—ध्वनिकार का अन्य पद से अभिप्राय प्राचीन अलंकारवादी आचार्यों—
भामह, दण्डी, उद्भट आदि से है ॥३॥

अन्वय—महाकवीनाम् वाणीषु तत् प्रतीयमान पुनः अन्यद् एव वस्तु
अस्ति । यत् प्रसिद्धावयवातिरिक्तम् अङ्गनासु लावण्यम् इव विभाति ।

हिन्दी अर्थ—महाकवियों की वाणियों में वह प्रतीयमान अर्थ पुनः कुछ और
ही वस्तु है, जो कि प्राचीन आचार्यों द्वारा प्रसिद्ध काव्य-अवयवों, गुणालंकार आदि
से भिन्न है और काव्यों में उसी प्रकार शोभायमान है जिस प्रकार अङ्गनाओं में
लावण्य शोभायमान होता है ॥४॥

पुनः यह प्रतीयमान अर्थ महाकवियों की वाणी में वाच्य अर्थ से भिन्न अन्य
और कोई ही वस्तु है । यह प्रतीयमान इस प्रकार का है, जो कि सहृदय जनों में
प्रसिद्ध है, और लोकप्रसिद्ध अलंकारो से तथा प्रतीत होने वाले अथ काव्य अवयवों
से भिन्न होता हुआ उसी प्रकार प्रकाशित होता है, जिस प्रकार अङ्गनाओं में लावण्य
प्रकाशित होता है । जिस प्रकार अङ्गनाओं में पृथक् रूप से दिखाई देना हुआ सौन्दर्य
उसके समीप गो से पृथक् होकर सहृदयों की भाँखों के लिये अमृत रूप कोई और ही
दूसरा सत्य है, उसी प्रकार यह प्रतीयमान अर्थ है ।

ध्वनिवार का अभिप्राय यह है कि प्रतीयमान अर्थ वाच्य अर्थ से सर्वथा भिन्न है और यही अर्थ काव्य का सारभूत तत्व है। उन्होंने काव्य की उपमा नारी से दी है। जिस प्रकार नारी के शरीर के विभिन्न अंग दोपरहित होते हैं तथा विभिन्न अलंकारों से अलंकृत होते हैं तथा वह इस कारण आकर्षक प्रतीत होती है। परन्तु इन सबसे भिन्न उसका लावण्य पृथक् रूप से शोभा का आधायक होकर सहृदय जनो के मन को आह्लादित करता है, उसी प्रकार से काव्य दोपरहित होकर और गुण-अलंकारों से अलंकृत होकर आकर्षक तो होता है, परन्तु इनसे भिन्न प्रतीयमान अर्थ यदि उसमें है तो वह सहृदय जनो के मन को आह्लादित करने वाला होता है।

महारुचीनाम्—यहाँ बहुवचन के प्रयोग का अभिप्राय यह है कि प्रतीयमान अर्थ सभी महाकवियों के व्यास, वाल्मीकि, कालिदास आदि के वाच्यों में व्यापक रूप में विद्यमान है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जिन कवियों में प्रतीयमान अर्थ व्यापक रूप से रहता है, उनको ही महाकवि कहा जा सकता है।

प्रसिद्धावयवातिरिक्तम्—प्रसिद्धेभ्यः सबलोकप्रतीतेभ्यः अवयवेभ्यः वाच्यार्थ-भूतेभ्यः गुणालंकारप्रभृतिभ्यः अतिरिक्तं पृथग्भूतं सत्। वह प्रतीयमान अर्थ लोकप्रसिद्ध वाच्य के अवयव गुण-अलंकार आदि से भिन्न है।

विभाति—ध्वनिवार प्रतीयमान अर्थ के अस्तित्व (सत्ता) को सिद्ध करना चाहते हैं, इसलिये उन्होंने विभाति पद का प्रयोग किया है। दर्शनशास्त्र के अनुसार जिस वस्तु का अस्तित्व है उसका भान होता है तथा जिस वस्तु का अस्तित्व नहीं है, उसका भान नहीं होता। इसी को लोचनवार ने इस प्रकार कहा है—

“मदेवविधमस्ति तद्भानि। न ह्यत्यन्तासतो भानमुपपन्नम्।...तेन यद् भाति तदस्ति तथेत्युक्तं भवति।”

जो इस प्रकार की वस्तु है, उसका भान होता है। क्योंकि अत्यन्त असत् का भान उपपन्न नहीं होता। इसलिये जिसका भान होता है, उसका अस्तित्व है, यह अर्थ कहा गया है।

सत्ता और भान में अविनाभाव सम्बन्ध है। जिसका भान होता है, उसकी सत्ता होती है और जिसकी सत्ता है उसका भान होता है। इस प्रकार क्योंकि प्रतीयमान अर्थ का भान होता है, अतः उसकी सत्ता है और प्रतीयमान अर्थ की सत्ता है, अतः उसका भान होता है।

लावण्यम्—ध्वनिवार ने प्रतीयमान अर्थ को अद्भुताद्या के लावण्य के समान बताया है। यह लावण्य एक ओर तो अद्भुता के आभूषणों से पृथक् होता है और भारीरिक्त दोषों से विमुक्त होता है। अभिनवगुप्त ने लावण्य की परिभाषा इस प्रकार की है—

“लावण्यं हि नामावयवमस्यानामिष्यद्गुणमत्रयत्रव्यतिरिक्तं धर्मान्तरमेव। न चावयवानामेव निर्दोषता वा भूषणयोगो वा लावण्यम्। पृथङ्निर्वर्ण्यमानवाणादिदोष-

स ह्यर्थो वाच्यसामर्थ्याक्षिप्त वस्तुमात्रम्, अलङ्काररसादयश्चेत्यनेक-
प्रभेदप्रभिनो दर्शयिष्यते । सर्वेषु च तेषु प्रकारेषु तस्य वाच्यादन्यत्वम् ।
तथाहि, आद्यस्तावत् प्रभेदो वाच्याद् दूर विभेदवान् । स हि कदाचिद्
वाच्ये विधिरूपे प्रतिषेधरूपः । यथा—

शून्यशरीरावयवयोमिन्यामप्यलङ्काराणामपि लावण्यशून्येयमिति, अतथाभूतायामपि वस्या-
न्निचलावण्यामृतचन्द्रियेयमिति सहृदयानां व्यवहारात् ।”

लावण्य तो शरीर के अङ्गों के सघटन से अभिव्यक्त होने वाला, परन्तु अङ्गों से भिन्न
कोई दूसरा ही धर्म है । अवयवों का दोषरहित होना या अलङ्कारों से युक्त होना ही
लावण्य नहीं है । पृथक् दिखाई देते हुये बाणत्व आदि दोषों से रहित तथा अङ्गों में
अलङ्कारों से युक्त हानी हुई भी अङ्गना लावण्य से रहित हो सकती है तथा इस
प्रकार की न होती हुई भी कोई अङ्गना सहृदयों के लिये लावण्य रची अमृत की
चन्द्रिका हो सकती है ।

‘शब्दकल्पद्रुम’ में लावण्य का लक्षण इस प्रकार किया गया है—

मुक्ताफलेपुच्छायायास्तरलत्वमिवान्तरा ।

प्रतिभाति यदङ्गेषु तल्लावण्यमिहोच्यते ॥

परन्तु कुन्तक ने आनन्दवर्धन द्वारा दी गई लावण्य-प्रतीयमान अर्थ की समानता
का विरोध किया है । उसने वाच्य के तीन मार्ग बताये हैं—सुकुमार, विचित्र और
मध्यम । उसने अनुसार लावण्य तो सुकुमार का एक भुज है । उसने लावण्य की
परिभाषा इस प्रकार की है—

वर्णान्वियासविच्छित्ति पदसन्धानसम्भवा ।

स्वल्पया वन्धसौन्दर्यं लावण्यमभिधीयते ॥

वक्रोक्तिजीवित ६१.३२ ॥

हिन्दी अर्थ—वाच्य के सामर्थ्य से आक्षिप्त वह प्रतीयमान अर्थ वस्तुमात्र,
अलङ्कार और रस आदि के भेद से अनेक प्रकार का दिखाया जायेगा इन सभी
प्रकारों में यह प्रतीयमान अर्थ वाच्य से भिन्न होता है । जैसेकि, पहला वस्तुमात्र
नामक भेद (वस्तुध्वनि) वाच्य अर्थ से अत्यधिक भिन्न है । क्योंकि वह कभी तो
वाच्य अर्थ के विधि रूप होने पर भी प्रतिषेध रूप होता है । जैसेकि—

ध्वनिकार के कथन का अभिप्राय यह है कि प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति
यद्यपि वाच्य अर्थ के माध्यम से होती है, वाच्य अर्थ के ज्ञात होने पर ही तदनन्तर
प्रतीयमान अर्थ का बोध होता है, तथापि वह वाच्य अर्थ से भिन्न है । इस प्रतीयमान
अर्थ के ध्वनिकार ने तीन मुख्य भेद किये हैं—वस्तु, अलङ्कार और रस आदि । इन
तीनों भेदों के पुनः अनेक भेद हो सकते हैं, जिनका कि ध्वनिकार आगे वर्णन करेगा ।
ये सभी भेद वाच्य अर्थ से अतिरिक्त होते हैं । प्रतीयमान अर्थ की वाच्य अर्थ से
भिन्नता आचार्य मम्मट ने इस प्रकार से प्रतिपादन की है—

“नाभिधा समयभावात्” ।

वाच्य अर्थ का बोध संकेत के द्वारा अभिधा व्यापार से होता है। प्रतीयमान अर्थ में संकेत का अभाव होने से उसकी प्रतीति अभिधा द्वारा नहीं हो सकती।

इस प्रतीयमान अर्थ के भेदों की व्याख्या अभिनवगुप्त ने इस प्रकार से की है—

तत्र प्रतीयमानस्य तावद् द्वौ भेदो—लौकिक वाच्यव्यापारैरुगोचरश्चेति। लौकिको य स्वशब्दवाच्यता कदाचिदधिरोते, स च विधिनिषेधाद्यनेकप्रकारो वस्तुशब्देनोच्यते। सोऽपि द्विविध—य पूर्वं क्वापि वाक्यार्थेऽलङ्कारभावमुपमादिरूपतयान्वभूत्, इदानीं त्वनलङ्काररूप एवान्यत्र गुणीभावाभावत्। स पूर्वप्रत्यभिज्ञानबलादलङ्कारध्वनिरिति व्यसिदश्यते ब्राह्मणश्रमणन्यायेन। तद्रूपताभावेन तूपलक्षित वस्तुमात्रमुच्यते। मात्र-ग्रहणेन हि रूपान्तर निराकृतम्। यस्तु स्वप्नेऽपि न स्वशब्दवाच्यो न लौकिकव्यवहार-पतित, किन्तु शब्दसमर्प्यमाणहृदयसंवादासुन्दरविभावानुभावसमुचितप्राग्बिनविष्ट-रत्यादिवासनानुरागसुनुभारस्वमविदानन्दचर्वणाव्यापाररसनीयरूपो रस। स वाच्य-व्यापारैरुगोचरो रसध्वनिरिति। स च ध्वनिरेवति। स एव मुख्यतयात्मेति।

✓ प्रतीयमान अर्थ के दो भेद हैं—लौकिक और एवमात्र वाच्य के व्यापारों से गोचर होने वाला। लौकिक प्रतीयमान अर्थ वह है, जो कभी-कभी स्वशब्दवाच्यता को प्राप्त करता है और वह विधि, निषेध आदि के भेद से अनेक प्रकार का होता हुआ वस्तु शब्द के नाम से कहा जाता है। वह भी दो प्रकार का होता है। एक तो वह, जो पहले कही किसी वाक्यार्थ में उपमा आदि के रूप में अलङ्कारभाव को प्राप्त हो चुका है और अब अनलङ्काररूप ही है, क्वापि अन्यत्र (वाक्यार्थ में) जो उसका गुणीभाव हो जाता था, अब वह नहीं है। पूर्व प्रत्यभिज्ञान के कारण ब्राह्मणश्रमण न्याय से उसको अलङ्कार ध्वनि के नाम से कहा जाता है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार किसी ब्राह्मण के बौद्ध भिक्षु (श्रमण) हो जाने पर वह ब्राह्मण नहीं रह जाता, परन्तु पूरे पहचान के कारण उसको ब्राह्मण श्रमण कह देते हैं, इसी प्रकार प्रतीयमान होने पर उपमा आदि रूप अलङ्कार नहीं रह जाते, परन्तु पुरानी पहचान के कारण उनको अलङ्कार कह दिया जाता है। जहाँ उपमा आदि अलङ्कारों का रूप उपलक्षित नहीं होता, उसको वस्तुमात्र कहा जाता है। वस्तु के माय मात्र पद का प्रयोग करने से यह स्पष्ट है कि अलङ्कार आदि के रूप को वस्तुध्वनि नहीं कहेंगे। जो प्रतीयमान अर्थ स्वप्न में भी स्वशब्दवाच्य नहीं होता और जो लौकिक व्यवहार के अन्तर्गत नहीं आता, अपितु शब्दों के द्वारा समर्पित किये जाने वाले और सहृदयों के हृदयों के साथ समति रखने वाले सुन्दर विभावा और अनुभावा के द्वारा समुचित रूप से पहले से ही हृदयों में निविष्ट इत्यादि वामनाथा के द्वारा मुकुमार महृदयों के मन्त्रिन् (मन) में आनन्दमय चर्वणा (आस्वादन) रूप व्यापार से आस्वादन के योग्य है, वह रस है। वह एवमात्र वाच्य के व्यापारों द्वारा गोचर होता है, और उसको रसध्वनि कहते हैं। वह रसध्वनि ही होता है और वह ही मुख्य रूप में वाच्य की आत्मा है।

भम धम्मिअ वीसत्थो सो सुणओ अज्ज मारिओ देण ॥
 गोलाणइकच्छकुञ्जवासिणा दरिअसीहेण ॥
 (भ्रम धार्मिक विस्त्रब्धः स धुनकोऽद्य मारितस्तेन ।
 गोदानदीकच्छकुञ्जवासिना दृप्तसिहेन ॥)

इस प्रकार अभिनवगुप्त ने वस्तुध्वनि और अलङ्कारध्वनि को लौकिक सिद्ध करने रसध्वनि को ही मुख्य रूप से काव्य की आत्मा कहा है ।

इस सम्बन्ध में प्रश्न उठता है कि यदि रसध्वनि को ही प्रमुख रूप से काव्य की आत्मा मानना है तो वस्तुध्वनि तथा अलङ्कारध्वनि को मानने की क्या आवश्यकता है ? इस सम्बन्ध में ध्वनिवादियों का कथन है कि वाच्य अर्थ उतना मनोरञ्जक नहीं होता, जितना प्रतीयमान अर्थ । जैसे कि आनन्दवर्धन ने कहा है—

“वाच्योऽर्थो न तथा स्वदते प्रतीयमान स एव यथा ।”

तदनन्तर आचार्य मम्मट ने ‘काव्यप्रकाश’ में ध्वनिवार को उद्धृत करते हुए अलङ्कारो वा ध्वनि होना सिद्ध किया है—

व्यज्यन्ते वस्तुमानेण यदालङ्कृतयस्तदा ।

ध्रुव ध्वन्यङ्गता तासा वाच्यवृत्तैस्तदाश्रयात् ॥ ध्वन्यालोक २-२६ ॥

इस प्रकार ध्वनिवादी वस्तु और असकार को भी ध्वनि में परिगणित करते हैं । प्रतीयमान अर्थ के तीन भेदों का कथन करने ध्वनिवार इनका वाच्य अर्थ से भ्रमण विभेद प्रदर्शित करने हैं । पहली वस्तुध्वनि वाच्य अर्थ से विलकुल भिन्न है ।

यद्यपि वाच्य और प्रतीयमान अर्थ की भिन्नता के अनेक हेतु हैं तथापि इस प्रसंग में ध्वनिवार स्वरूप के भेद से प्रतीयमान वस्तुध्वनि का वाच्य अर्थ से भेद प्रदर्शित कर रहे हैं । किन्हीं स्थलों पर वाच्य अर्थ के विधि रूप होने पर भी उसमें आक्षिप्त प्रतीयमान अर्थ निषेध रूप हो सकता है । यथा—

हिन्दी अर्थ—हे धार्मिक पुरुष ! अब तुम यहाँ निश्चिन्त होकर भ्रमण करो क्योंकि गोदावरी नदी के किनारे के कुञ्जों में रहने वाले मदमत्त सिंह ने आज उस कुत्ते को मार डाला है ।

हाल की गाथासप्तशती की इस गाथा का अभिप्राय यह है—गोदावरी नदी का तट किसी पुश्तनी नायिका का सनेत स्थान है, जहाँ सि वह अपने प्रेमी से मिलने के लिये जाया करती है । उस स्थल की मनोरमता के कारण एक धार्मिक पण्डित वहाँ सन्ध्योपासना या भ्रमण के लिये जाने लगा और वहाँ पून-पतियाँ तोड़ने लगा । इससे उस पुश्तनी नायिका के प्रेम मिलन में विघ्न उत्पन्न होने लगा और वह चाहने लगी कि यह धार्मिक यहाँ न आया करे । उस स्थान पर एक कुत्ता आया करता था, जिसने कि वह धार्मिक व्यक्ति दुसी था । धार्मिक को गोदावरी के तट पर आने से रोपने के लिये उस पुश्तनी ने उससे इस प्रकार कहा—अब उम कुत्ते को गोदावरी नदी के किनारे के कुञ्ज में रहने वाले मदमत्त सिंह ने मार डाला है, घन आप यहाँ निश्चिन्त

होकर भ्रमण कीजिये । वह पुश्चली यह जानती है कि यह धार्मिक व्यक्ति, जो कि एन वृत्त से भी डरता है, सिंह का नाम सुनकर अवश्य डर जायगा, तथा भविष्य में उस सिंह के भय से गोदावरी के तट पर नहीं आयेगा । इससे उसके प्रेम मिलन में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित नहीं होगा । सिंह की भयकरता के अतिशय को प्रदर्शित करने के लिये वह 'कच्छुज्जवासिना' तथा 'दृप्त' पदा का प्रयोग करती है । अर्थात् सिंह उसी कुञ्ज में रहता है, जहाँ कि वह धार्मिक भूमता है और पत्र-पुष्प तोड़ता है और वह सिंह दृप्त है । उसको किसी प्रकार हटाया नहीं जा सकता ।

इस वाक्य में 'भ्रम' पद का वाच्यार्थ विधि रूप है । वह पुश्चली उस धार्मिक व्यक्ति को निश्चिन्त होकर भ्रमण करने के लिये कहती है । परन्तु उस पुश्चली का कहने का अभिप्राय यही है कि वह धार्मिक पुरुष वहाँ भ्रमण न करे । सिंह की भयकरता धार्मिक व्यक्ति के वहाँ भ्रमण करने का निषेध करती है । यह प्रतीयमान अर्थ निषेध रूप है । विधि और निषेध परस्पर भिन्न होते हैं, अतः वाच्य विधि अर्थ और प्रतीयमान निषेध अर्थ भी परस्पर भिन्न हाने ।

संस्कृत भाषा में लिङ्, लोट् और तव्यत् आदि वृत्त्य प्रत्यय विधि प्रत्यय कहलाते हैं । इससे प्रयोग से यह प्रतीत होता है कि कहने वाला सुनने वाले को कार्य में प्रवृत्त करा रहा है । श्रोता को कार्य में प्रवृत्त करना ही वक्ता का अभिप्राय है । परन्तु यहाँ यह पुश्चली धार्मिक को आदेश नहीं दे रही कि वह भ्रमण करे । उसका भ्रमण करना तो स्वतः सिद्ध है । पुश्चली तो धार्मिक व्यक्ति के उस भय को दूर कर रही है, जो कि वृत्ते के कारण उत्पन्न हुआ है । अतः विधि यहाँ प्रतिषेध का अभाव रूप या अतिप्रसव रूप है । इस प्रकार यहाँ लोट् लकार का प्रयोग "प्रीपातिसंगंप्राप्तवानेषु वृत्त्याश्च" (पा० ३-३-१०२) सूत्र से अतिसर्ग (वामाचार, स्वेच्छाचार) और प्राप्तवान् अर्थ में हुआ है, आदेश देने के अर्थ में नहीं ।

कुछ समाचारिका का कथन है कि यहाँ 'भ्रम' शब्द के वाच्य और निषेध दोनों अर्थ वाच्य मान जा सकते हैं । परन्तु अभिनवगुप्त का कथन है कि विधि और निषेध अर्थ परस्पर विरोधी हैं अतः ये न तो एक साथ और नाही ब्रमण वाच्य हो सकते हैं—

'तत्र भावनदभावयोर्मिरोचाद् द्वयोस्तावन्न युगपद्वाच्यता, न प्रमेण, विरम्य व्यापाराभावात् । "विशेष्य नाभिधागच्छेत्" इत्यादिनाभिधाव्यापारम्य विरम्य व्यापारासभवाभिधानात् ।'

विधि और निषेध में परस्पर विरोध होने के कारण ये दोनों न तो एक साथ वाच्य हो सकते हैं और न ब्रमण वाच्य हो सकते हैं, क्योंकि अभिधा का एक बार विराम हो जाने के पश्चात् पुनः व्यापार नहीं होता । यहाँ अभिधा का वाच्य अर्थ को संकेतित करने के पश्चात् विराम हो जाता है और क्षीणगति होने में उमका पुनः प्रतीयमान अर्थ का बोध कराने के लिये व्यापार नहीं हो सकता ।

कचिद वाच्ये प्रतिषेधरूपे विधिरूपो यथा—

अत्ता एत्थ णिमज्जइ एत्थ अह दिअसअ पलोएहि ।

मा पहिअ रत्तिअन्धअ सेज्जाए मह णिमज्जहिसि ॥

✓ (श्वशूरत्र निमज्जति अत्राह दिवसक प्रलोकप ।

मा पधिक राअधक शय्याया मम निमक्षयसि ॥)

महिमभट्ट न व्यञ्जना व्यापार का प्रबन्ध शब्दा म खण्डन किया है। उसका कथन है कि व्यञ्जना वृत्ति के द्वारा जिन प्रतीयमान अर्थ का बोध होता है उसका बोध अनुमान के द्वारा ही हा जाता है। महिमभट्ट ने इस गायी की व्याख्या की है और इस प्रतिषेध रूप अर्थ की प्रतीति को अनुमान के द्वारा सिद्ध किया है। इसका अतिरिक्त महिमभट्ट ने 'व्यक्तिद्विक' म ध्वनि व अन्व उच्चारणा को अनुमान द्वारा सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। अनुमान के तीन मुख्य अंग हैं—साध्य व्याप्ति और हेतु। इस गायी म गोदावती का भीरुभ्रमणायोग्यत्व साध्य है। यत्र-यत्र सिद्धत्व तत्र तत्र भीरुभ्रमणायोग्यत्वम यह व्याप्ति है तथा सिद्धत्वात् हेतु है। इस प्रकार यह अनुमान निष्पन्न होता है—गोदावरीतीर धार्मिकभीरुभ्रमणायोग्य सिद्धत्वात्। यत्रैव तत्रैव यथा गृहम।

परन्तु उत्तरवर्ती आचार्यों मम्मट विश्वनाथ आदि ने उचित तर्क देकर महिमभट्ट की इस मायता का खण्डन किया है। इसके विषय म अगले प्रसंग म कहा जायगा।

हिंदी अर्थ—कहाँ वाच्यार्थ के निषेधरूप होने पर व्यञ्जय अर्थ विधिरूप होता है। जैसे—

हे पथिक ! मेरी सास यहाँ सोती है और मैं यहाँ सोता हूँ यह बात दिन में अच्छी प्रकार से देख लो। रात्रि में अंध (रतींधी से पीड़ित) तुम वहीं मेरी शय्या पर ही न गिर जाना।

यह आर्या गायीसप्तशती (७ ६७) की है। एव विवाहित महिना का पति परदेस गया हुआ है। उसने घर एव पथिक अतिथि रूप म आता है। उस महिना क प्रति वह आवर्षित होता है तथा वह महिना भी पथिक म मितन के नियम उभुक्त है। परन्तु महिना की सास की उपस्थिति उतने मितन म बाधक है। इस गायी के रूप म वह महिना उम पथिक को रात्रि म मितने व नियम निमन्त्रण दती है। वह दिन म उद्यम परिश्रम का, कपली, कपली, कपली, कपली की, कपली की, कपली कपली देती है। इसका साथ ही वह निमज्जति पद व द्वारा यह भी सूचित करती है कि यह बूढ़ा साग रात्रि म गहरी गान्ध म मितन हो जाती है। वह मितन का समय रात्रि का सूचित करती है कि रात्रि म तुम मुझम मितन। यहाँ मम शय्याया मा निमक्षयसि मरा शय्या म मत गिर जाना यह वाच्य अर्थ प्रतिषेध रूप है। परन्तु इसम प्रतीयमान अर्थ है—रात्रि म मेरी शय्या म शय्य गिर जाना। यह अर्थ विधि रूप है। इसका वाच्य प्रतिषेध रूप अर्थ म प्रतीयमान विधि रूप अर्थ मितन निष्पन्न है।

क्वचिद् वाच्ये विधिरूपेऽनुभयरूपो यथा—

वच्च मह विवन्न एककेइ होन्तु णीसासरोइअच्चाइं ।

मा तुज्झ वि तीअ विणा दक्खिण्णअस्स जाअन्तु ॥

(अज ममैवंकस्या भवन्तु निःश्वासरोदितव्यानि ।

मा तथापि तथा विना दाक्षिण्यहतस्य जनिपत ॥)

इसकी व्याख्या अभिनवगुप्त ने इस प्रकार की है—

“क्वचित् प्रोपितपतिवा तरणीभवलोच्य प्रवृत्तमदनाङ्कुर सम्पन्न पान्थोज्जेन निपेधद्वारेण तथाऽभ्युपगम्यते इति निपेधभावोऽन विधि । न तु निमन्त्रणरूपोऽप्रवृत्तप्रवर्तनास्वभाव सांभार्याभिमानखण्डनप्रसङ्गात् । अत एव राज्यन्वेति समुचिनसमयसभाव्यमानविकाराहुलितत्व ध्वनितम् । भावतदभावयोश्च साक्षाद् विरोधाद् वाच्याद् व्यङ्ग्यस्य स्पुटमेवान्यत्वम् ।”

जिसी प्रोपित पतिवा (जिसका पति परदेस चला गया है) तरणी को देखकर कोई पथिक विशेष रूप से काम से आसक्त हो गया । उस समय इस निपेध के द्वारा उस तरणी ने उस पथिक को रात्रि में मिलने के लिये वचन दिया । इस प्रकार यहाँ निपेधाभाव रूप विधि है । अप्रवृत्त में प्रवृत्त होने के स्वभाव का नियन्त्रण रूप नहीं है । क्योंकि इससे उस तरणी के सांभार्य के अभिमान का खण्डन हो सकता है ‘राश्रय्य’ पद के द्वारा उस पथिक के मन का उस समय के योग्य सभावित विचारों से व्यातुल होना ध्वनित होता है । भाव और अभाव इन दोनों में साक्षात् विरोध होने के कारण वाच्य और व्यङ्ग्य का भिन्नत्व स्पष्ट ही है ।

हिन्दी अर्थ—यहाँ वाच्य अर्थ के विधि रूप होने पर प्रतीयमान अर्थ अनुभयात्मक (न विधिरूप और न निपेधरूप) होता है । जैसे—

तुम जाओ । मैं अनेकों ही निःश्वासों और रुदनो को भोगूंगी । दाक्षिण्य के खबर से पड़े हुए तुमको भी यहाँ उसके विरह में ये सब न भोगने पड़े ।

एक नायिका का प्रेमी विगी दूसरी तरणी ने भी प्रेम करता है और उमने मिलने के लिये जाता रहता है । परन्तु वह अपनी पहली प्रेमिका के प्रति भी बठोर आचरण न करने प्रेम प्रदर्शित करता है । दूसरी प्रेयमी ने मिनकर नह जन पहली प्रेमिका के पाम छाता है, तो उमके शरीर पर मम्भोग के चिह्न स्पष्ट हैं, जिनको देखकर वह राण्डिता नायिका उम प्रकार बहती है कि तुम अब वही जाओ । मेरे भय्य के रो, नि, फसलो, को, वेला, और रोमा रो, निज्जा ही है । उमको मैं भोगूंगी, ही, वही ऐसा न हो कि तुम मेरे प्रति अनुत्तना दिखाने रहो और इस अपनी प्रेयमी के विरह में नि श्वासो और रोने का बध्द भोगो ।

यहाँ ‘अज’ का वाच्य अर्थ विधि रूप है । परन्तु प्रतीयमान अर्थ नायिका का प्रगाड मन्तु प्रनीत होना है, जो न तो जाने के अभावक्य निपेध को और नाही जाने रूप विधि की प्रदर्शित करता है । अत यह अनुभव रूप है ।

क्वचिद् वाच्ये प्रतिषेधरूपेऽनुभयरूपो यथा—
 दे आ पसिअ णिवत्तसु मुहससिजोह्लाविलुत्ततमणिवहे ।
 अहिसारिआणं विघं करोसि अण्णाणं वि हआसे ॥
 (प्राप्ये तावत् प्रसीद निवर्तस्व मुखशशिज्योत्स्नाविलुप्तमो निवहे ।
 अभिसारिकाणां विघ्नं करोष्यन्यासामपि हताशे ॥)

इस गायी की व्याख्या अभिनवगुप्त ने इस प्रकार की है—

“अत्र व्रजेति विधि । न प्रमादादेव नायिकान्तरसंगमन तव, अपितु गाढानुरागात्, येनान्याहृद् मुखराग गोत्रस्खलनादि च । केवलं पूर्ववृत्तानुपालनात्मना दाक्षिण्येनैव रूप-त्वाभिमानेनैव त्वमत्र स्थित । तत्सर्वथा शटोऽसीति, गाढमन्युरूपोऽय खण्डितनायिकाभिप्रायोऽत्र प्रतीयते । न चाऽनौ व्रज्याभावरूपे निषेध, नापि विध्यन्तरमेवान्य-निषेधाभाव ।”

यहाँ 'जाग्रो' यह विधि है । दूसरी नायिकाआ से तुम्हारा मिलना प्रमादवश ही नहीं है, अपितु प्रगाढ अनुराग के कारण है, क्योंकि तुम्हारे मुख का राग कुछ दूसरी प्रकार का है और तुम नाम के उच्चारण में स्थलित हो रहे हो । पहले किये गये वचन का पालन करने रूप एवमान दाक्षिण्य के अभिमान के कारण तुम यहाँ आ गये हो । तो तुम सर्वथा दूत हो । इस प्रकार यहाँ खण्डिता नायिका का प्रगाढ ब्रौवरूप प्रतीयमान अर्थ है । न तो यह गमन का अभावरूप निषेध अर्थ है और नहीं विधि-निषेध का अभाव एव विधि ही है ।

खण्डिता नायिका—पाश्वमेति प्रियो यस्या अन्यसम्भोगचिह्नित ।
 सा खण्डितेति कथिता धीरैरीर्ष्याकपायिता ॥

दक्षिण नायक—अनेक महिलासमरागो दक्षिण वथित ।

हिन्दी अर्थ—वहाँ वाच्य अर्थ के प्रतिषेधरूप होने पर प्रतीयमान अर्थ अनुभव-रूप होता है । जैसे—

मैं प्रार्थना करता हूँ । तुम प्रसन्न हो जाग्रो । लौट आग्रो । मुख रूसी चन्द्रमा की ज्योत्स्ना से अन्धकार के समूह को नष्ट करने वाली हे हताशे ! तुम दूसरी अभि-सारिकाओं के कार्य में भी विघ्न उत्पन्न कर रही हो ।

इस गायी की व्याख्या तीन प्रकार से की जा सकती है—

(१) नायिका अपने प्रेमी के घर आई । परन्तु नायक के गोनस्खलन आदि किसी अपराध से नाराज होकर वह लौटने के लिये उद्यत हुई, तब नायक उसके रूप की प्रशंसा करके उसको लौटाने के लिये इस प्रकार कहता है—तुम्हारा मुख चन्द्रमा के समान आलायित है । इससे तुम न केवल अपने मुख में ही विघ्न डाल रही हो, अपितु अन्य अति सारिकाओं के भी मुख में विघ्न डाल रही हो । यहाँ नायक का नायिका प्रति चाटुविशेष व्यङ्ग्य है । इस प्रकार वाच्य अर्थ 'मत जाग्रो निषेधरूप होने पर भी प्रतीयमान अर्थ न तो निषेधरूप है और न विधि रूप है ।

(२) दूसरी व्याख्या के अनुसार यह उक्ति नायिका की सखी ने उससे कही है । नायिका अभितार के लिये जाना चाहती है । सखी उसे मममानी है । परन्तु 'सखी द्वारा मममाने पर भी जब नायिका जान को उद्यत होती है, तो वह उसमें कहती है—

बवचिद् वाच्याद्विभिन्नविषयत्वेन व्यवस्थापितो यथा—

कस्त वा ण होइ रोसो दट्ठण पियाएँ सव्वण अहरम् ।

सभमरपउमग्घाइणि वारिअवामे सहसु एल्लिम् ॥

(कस्या वा न भवति रोषो दृष्ट्वा प्रियायाः सव्रणमधरम् ।

सभ्रमरपद्माद्राविणि वारितवामे सहस्वेदानीम् ॥

तुम अपने मुखचन्द्र की ज्योत्स्ना से अन्धकार का विनाश करके न केवल अपने ही सुख में विघ्न डाल रही हो; अपितु अन्य अभिसारिकाओं के कार्य में भी विघ्न डाल रही हो। इस प्रकार यह सखी का नायिका के प्रति चातुर्विशेष व्यङ्ग्य है। 'मत जाओ' इस वाच्य अर्थ के निषेधरूप होने पर भी यह व्यङ्ग्य अर्थ न तो निषेधरूप है और न विधिरूप।

(३) आचार्य अभिनवगुप्त ने इस गाथा की ऊपर कही गई दोनों व्याख्याएँ प्रस्तुत की हैं। परन्तु वे इनको ध्वनि का उचित उदाहरण नहीं मानते। उनका कथन है—

“अत्र तु व्याख्यानद्वयेऽपि व्यवसितात् प्रतीमगमनात् प्रियतमगृहगमनाच्च निवर्तस्वेति पुनरपि वाच्य एव विश्रान्तेर्गुणीभूतव्यङ्ग्यभेदस्य प्रेयोरसवदलकारारमो-दाहरणमिदं स्यात् न ध्वने ।”

भाव यह है कि पहली व्याख्या में नायकगत चातु अभिप्राय और दूसरी व्याख्या में सखीगत चातु अभिप्राय व्यङ्ग्य है। परन्तु पहली व्याख्या में पुन प्रियतम के घर के प्रति गमन करना और दूसरी व्याख्या में प्रियतम के घर जाने से लौट आना। इन वाच्य अर्थों में ही व्यङ्ग्य अर्थ विश्रान्त हो जाता है। अर्थात् व्यङ्ग्य अर्थ की अपेक्षा वाच्य अर्थ अधिक मनोप्राप्ती होने से यह उदाहरण गुणीभूतव्यङ्ग्य के प्रेयोजल-ङ्कार का तथा रसवदलवार का उदाहरण हो सकता है। इस अवस्था में यह ध्वनि का उदाहरण नहीं होगा। इसलिये इस गाथा की व्याख्या इस प्रकार करनी चाहिये—

कोई नायिका अपने प्रियतम के घर की ओर तेजी से जा रही है। उसी समय नायक भी अपनी प्रियतमा के घर की ओर आ रहा है। वह नायिका को न पहचानने के बहाने से उसकी इस प्रकार से प्रशंसा करता है और अपनी पहचान कराने के लिये 'हतामे' पद का प्रयोग करता है। वह कहता है कि जब तुम दूसरी अभिसारिकाओं के लिये विघ्न उत्पन्न कर रही हो, तो तुम्हारी आमा वैस पूरी होगी। इतनाच तुम लौट चलो (मत जाओ)। यहाँ लौट चलने से अभिप्राय है कि या तो तुम मेरे घर चलो या हम दोनों तुम्हारे घर चलें। यहाँ यही अर्थ व्यङ्ग्य है। यह न तो विधिरूप है और न निषेधरूप। इस प्रकार वाच्य अर्थ प्रतिषेधरूप है और प्रतीयमान अर्थ अनुभयरूप है, अतः दोनों अत्यन्त भिन्न हैं।

हिन्दी अर्थ—कहाँ पर व्यङ्ग्य अर्थ वाच्य अर्थ से भिन्न विषय में व्यवस्थित हो सकता है। जैसे—

अथवा प्रिया के व्रण से युक्त अक्षर को देखकर किससे क्रोध उत्पन्न नहीं होता। अरी धरम से युक्त कमल को सूँघने वाली और रोक्ने पर भी विषरोन आचरण करने वाली अब तू इसको सहन कर ।

पिछले चारों उदाहरणों में वाच्य और प्रतीयमान अर्थ दोनों ही एक विषय में, श्रोता में सम्बन्ध रखने हैं जो कि क्रमशः धार्मिक, पवित्र, प्रियतम और अभिसारिका

के लिये हैं। इस प्रकार इन चारो उदाहरणों में ध्वनिवार ने विषय का एक्य होते हुये भी स्वरूप के भेद से वाच्य और प्रतीयमान अर्थ की भिन्नता प्रदर्शित की है। अब इस उदाहरण में उन्होंने यह दिखाया है कि विषय के भेद से भी वाच्य और प्रतीयमान अर्थ में भिन्नता हो सकती है। अर्थात् वाच्य अर्थ किसी एक व्यक्ति के प्रति है और प्रतीयमान अर्थ किसी अन्य व्यक्ति के लिये हैं। अतः वाच्य और व्यङ्ग्य दोनों भिन्न हैं।

एक दुराचारिणी नायिका किसी परपुरुष से रति बरके छाई है तथा इस कारण उसने अधर म व्रण हो गया है। जब उसका पति यह देखेगा तो वह समझ जायेगा कि इमने दुराचरण किया है और वह अप्रसन्न होगा। नायिका की सखी उसके पति को वही समीप जानकर यह वाक्य उस दुराचारिणी से इस प्रकार बहती है कि उसका पति भी इसे सुन ले। इससे वह यह समझेगी कि मेरी पत्नी का अधर भ्रमर से दृष्ट है किसी परपुरुष से नहीं और वह उसने प्रति रष्ट नहीं होगा।

इस उदाहरण में वाच्य अर्थ दुराचारिणी नायिका के प्रति है कि मैंने इस प्रकार की घृष्टता करने के प्रति तुमको अनेक बार रोका, परन्तु तुम नहीं मानी। अब अपनी घृष्टता का फल भोगे। परन्तु प्रतीयमान अर्थ का विषय नायिका का पति है जिसने प्रति वह इस व्यङ्ग्य अर्थ को बोधित कराती है कि तुम्हारी पत्नी का अधर भ्रमर के द्वारा दृष्ट है, किसी परपुरुष द्वारा नहीं। अतः तुम इसकी निरपराध समझे। इस प्रकार वाच्य अर्थ का विषय नायिका और प्रतीयमान अर्थ का विषय उसका पति है, इसलिये ये दोनों अर्थ नितराम् भिन्न हैं।

इस उदाहरण में प्रतीयमान अर्थ के प्रतिवेशी, सपत्नी, स्वयं नायिका, नायिका का जात, तटस्थ विदग्ध जन आदि अनेक विषय हो सकते हैं। इनके प्रति व्यङ्ग्य अर्थ इस प्रकार होगा—

प्रतिवेशी के प्रति—सखी प्रतिवेशियों को यह जताना चाहती है कि यदि नायिका का पति नायिका को बहुत अधिक उलाहना दे तो भी इनका गाराध नहीं समझना चाहिये।

सपत्नी के प्रति—ईर्ष्या करने वाली सपत्नी को यह सखी यह जताना चाहती है कि इमका अधर प्रियतम ने उड़ी बाटा, धनितु अमर ने बाटा है, अतः तुमको इमसे शोभाय से ईर्ष्या नहीं करने चाहिये। साथ में 'प्रियाया.' पद का प्रयोग करने उसने अपनी मरती के शोभाय अतिशय को सपत्निका में प्रभावित किया है।

स्वयं नायिका के प्रति—यह नायिका को यह जतानी है कि आज तो इस प्रकार मैंने तुम्हारी रक्षा कर ली, परन्तु भविष्य में तुम ऐसा कार्य मत कराओ।

नायिका के जात के प्रति—यह नायिका के जात को यह जतानी है कि आज तो तुम्हारी इस गुण प्राप्तिनी की मैंने रक्षा करली, परन्तु भविष्य में तुम कभी इमके अधर को रष्ट रू से मत काट लेना।

तटस्थ विदग्ध जन के प्रति—तटस्थ विदग्ध जनों को यह अपनी चतुराई प्रदर्शित करती है कि मैंने तिम प्रकार मूढ़ बोलार अपनी सती को रक्षा करली है।

इस प्रकार प्रतीयमान अर्थ के अनेक अनेक विषय और भी हो सकते हैं। इनविषे नितराम् म भी प्रतीयमान अर्थ वाच्य अर्थ में भिन्न है।

अन्ये चैवं प्रकाराः वाच्याद्विभेदिनः प्रतीयमानभेदाः सम्भवन्ति ।
तेषां दिङ्मात्रमेतत्प्रदाशतम् ।

हिन्दी अर्थ—इस प्रकार के प्रतीयमान अर्थ के और भी अनेक भेद वाच्य अर्थ से भिन्न हो सकते हैं । यहाँ उनका यह दिग्दर्शनमात्र किया है ।

स्वरूप और विषय के भेद से प्रतीयमान अर्थ का वाच्य अर्थ से विभेद ध्वनिकार ने यहाँ प्रदर्शित किया है । तदनन्तर उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के प्रतीयमान अर्थ के अनेक भेद वाच्य अर्थ से भिन्न हो सकते हैं । उत्तरवर्ती आचार्यों ने इस भिन्नता के अनेक हेतुओं का परिगणन किया है । आचार्य विश्वनाथ के अनुसार यह भिन्नता निम्न हेतुओं से हो सकती है—

बोद्धस्वरूपसख्यानिमित्तकार्यप्रतीतिकालानाम् ।

आशयविषयादीना भेदाद् भिन्नोऽभिधेयतो व्यङ्ग्य ॥ साहित्यदर्पण ५ २ ॥

बोद्ध, स्वरूप, सख्या, निमित्त, कार्य, प्रतीति, काल, आशय, विषय आदि के भेद से व्यङ्ग्य अर्थ अभिधेय अर्थ से भिन्न होता है ।

इस प्रकारण में इन हेतुओं का संक्षेप से स्पष्टीकरण उपयोगी होगा—

(१) बोद्धरूप—वाच्यार्थ को जानने वाले व्यक्तियों से व्यङ्ग्य अर्थ को जानने वाले व्यक्ति भिन्न ही होते हैं । वाच्य अर्थ को जानने की निपुणता पद और उसके अर्थ को जानने वाले वैयाकरणों में होती है, परन्तु व्यङ्ग्य अर्थ का बोध काव्य-भावना में निपुण सहृदयों को ही होता है । जैसे कि ध्वनिकार ने एव कारिका में कहा है—

शब्दायं शासनज्ञानमात्रेणैव न वेद्यते ।

वेद्यते स तु काव्यायंतत्त्वज्ञैरेव केवलम् ॥१७॥

(२) स्वरूप भेद—प्रतीयमान और वाच्य अर्थ के स्वरूप से भेद के उदाहरण ध्वनिकार ने अनेक दिये हैं । वही वाच्य अर्थ के विधिरूप होने पर प्रतीयमान अर्थ निषेधरूप होता है, कही वाच्य अर्थ के निषेध रूप होने पर प्रतीयमान अर्थ विधिरूप होता है, वहीं वाच्य अर्थ के विधिरूप होने पर प्रतीयमान अर्थ अनुभय रूप होता है और वहीं वाच्य अर्थ के निषेधरूप होने पर प्रतीयमान अर्थ अनुभय रूप होता है ।

(३) सख्या भेद—एव वाक्य का वाच्य अर्थ एव ही होता है, जबकि प्रतीयमान अर्थ अनेक प्रकार का हो सकता है । 'गतोऽस्तमर्क' वाक्य का वाच्य अर्थ एव ही है—सूर्य अस्त हो गया है, परन्तु इसका प्रतीयमान अर्थ विभिन्न धोताघा के त्रये विभिन्न प्रकार का है । जैसे, दुकानदारों के लिये—विक्रय वस्तुओं को समेट लो, अभिसारिका के लिये—प्रिय मिलन का समय आ गया है, अमिका के लिये—व्यायं बरने का समय पूरा हो गया है, धार्मिक के लिये—सन्ध्यावन्दन का समय उपस्थित हो गया है, ग्वाले के लिये—गौघों की घर लौटा ले चलो, घूप से पीड़ित के लिये—अथ मत्तान नहीं रहेगा, प्रोषित पति का के लिये—सुम्हारा प्रियतम आज भी नहीं आया, इस प्रकार यह व्यङ्ग्य अर्थ अनेक प्रकार का है ।

(४) निमित्त भेद—वाच्य अथ वा बोध शब्द के उच्चारणमात्र से होता है, परन्तु व्यङ्ग्य अथ वा बोध सहृदया की निमल प्रतिभा के द्वारा होता है। इस सम्बन्ध में ध्वनिकार स्वयं कहते हैं—

तद्वत् सचेतसा सौख्यं वाच्यायविमुखात्मनाम् ।

बुद्धौ तत्त्वाधर्दशिन्या भटित्येवावभासते ॥११२॥

मम्मट ने भी कहा है—

शब्दानुभासनज्ञानेन प्रकरणादिसहायप्रतिभानैमल्पसहितेन तेन चावगम इति निमित्तस्य । काव्यप्रकाश पञ्चम उल्लास ।

(५) कार्यभेद—वाच्य अथ वा काय केवल अथ वा की प्रतीति करना है परन्तु व्यङ्ग्य अथ वा काय चमत्कार को उत्पन्न करता है ।

(६) प्रतीति भेद—वाच्य अथ की प्रतीति केवल शब्दबोधरूप है परन्तु व्यङ्ग्य अथ की प्रतीति चमत्कृतिमय होती है ।

(७) काल भेद—वाच्य अथ का बोध पहले होता है और व्यङ्ग्य अथ की प्रतीति सदा उसके बाद होती है ।

(८) आशय भेद—वाच्य अथ वा आशय केवल शब्द ही है परन्तु व्यङ्ग्य अथ वा आशय शब्द शब्द वा एक भाग (प्रकृति प्रत्यय) शब्द का अथ वण और सघटना है । इसी को मम्मट ने इस प्रकार कहा है—

शब्दाश्रयत्वेन शब्दतदेकदेशतदथवणसघटनाश्रयत्वेन च आशयस्य । काव्य प्रकाश, पञ्चम उल्लास ।

(९) विषय भेद—वाच्य अथ का विषय सम्मुख उपस्थित श्रोता होता है, जबकि व्यङ्ग्य अथ अप्रत्यक्ष श्रोताओं के प्रति है । जैसा कि ध्वनिकार ने 'वस्स वा ण होइ रोसो उदाहरण में स्पष्ट किया है कि वाच्य अथ का विषय नायिका है परन्तु व्यङ्ग्य अथ के विषय उस नायिका का पति सपनी गुप्त प्रणयी आदि अनेक हैं ।

इस प्रकार वाच्य अथ से प्रतीयमान अथ की भिन्नता अनेक हेतुओं से स्पष्ट होती है ।

प्रतीयमान अथ की वाच्य अथ से भिन्नता प्रदर्शित करते हुये अभिनवगुप्त ने तथा उत्तरवर्ती अनेक आचार्यों ने उन अनेक मता का खण्डन किया है जो प्रतीयमान अथ की प्रतीति अथ किसी शब्दशक्ति से या अनुमान प्रमाण आदि से करते हैं । ध्वनिकार के कथन को तथा उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों को समझने के लिये यह आवश्यक है कि व्यञ्जना का खण्डन करने वाले इन मतों को सक्षम से समझकर उनकी विवेचना की जाव ।

वाच्यशास्त्र के आचार्यों ने तीन शब्दशक्तियाँ स्वीकार की हैं—अभिधा लक्षणा और व्यञ्जना । कुछ आचार्य तात्पर्या शक्ति (वृत्ति) का भी प्रतिपादन करते हैं । अनेक आचार्यों का कथन है कि व्यञ्जना शक्ति को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है,

क्योंकि ध्वनिवादियों के प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति अभिधा से, लक्षणा से, तात्पर्या से या अनुमान से हो सकती है। यहाँ कुछ विवादास्पद मतों को प्रस्तुत करके उनका समाधान किया जा रहा है—

(१) अभिधा से प्रतीयमान अर्थ के बोध का निवारण—

कुछ आचार्यों का कथन है कि 'भ्रम धार्मिक विस्रब्ध मे ध्वनिवादियों के प्रतीयमान अर्थ का बोध अभिधा से ही हो जाता है, अतः पृथक् रूप से व्यञ्जना वृत्ति तथा व्यङ्ग्य अर्थ को मानने की आवश्यकता नहीं है।

'भ्रम धार्मिक विस्रब्ध' मे वाच्य अर्थ विधिरूप है और प्रतीयमान अर्थ निपेधरूप है। यदि दोनों ही अर्थों का अभिधा वृत्ति से निष्पन्न मानें, तो यह दो प्रकार से हो सकता है। या तो ये दोनों अर्थ अभिधावृत्ति से एक साथ बोधित होते हैं, अथवा अभिधा वृत्ति से पहले विधिरूप अर्थ निष्पन्न होता है और तदनन्तरनिपेधरूप अर्थ का बोध होता है। इनमे पहली अवस्था इसलिये नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों अर्थ परस्परविरोधी हैं तथा परस्परविरोधी अर्थ एक साथ एक वृत्ति से बोधित नहीं हो सकते। दूसरी अवस्था भी नहीं हो सकती। सिद्धान्त है—'शब्दवर्माणं विरम्य व्यापाराभाव'। शब्द के कायों का विराम हो जाने पर फिर उनका व्यापार नहीं होता। एक वाच्य अर्थ को बोधित करके अभिधा का विराम हो जाता है, तथा उसने पश्चात् दूसरे अर्थ को बताने के लिये उसका व्यापार नहीं होगा। दूसरा सिद्धान्त यह है कि "विशेष्य नाभिधा गच्छेत् क्षीणशक्तिविशेषणं"। विशेषण का बोध कराने के अनन्तर अभिधा की शक्ति क्षीण हो जाती है और वह विशेष्य का बोध नहीं करा सकती। प्रस्तुत वाक्य मे विधिरूप अर्थ विशेषण एक निपेधरूप अर्थ विशेष्य है। वाच्यार्थ विधिरूप अर्थ का बोध कराने के अनन्तर प्रतीयमान निपेध रूप अर्थ का बोध कराने की सामर्थ्य अभिधा मे नहीं है। अतः प्रतीयमान अर्थ के बोध के लिये अन्य वृत्ति व्यञ्जना को मानना होगा।

अभिधा सदा सवेतित अर्थ का ही बोध कराती है। प्रस्तुत वाक्य मे विधिरूप अर्थ ही सवेतित अर्थ है, निपेधरूप अर्थ नहीं। अतः निपेध रूप अर्थ की प्रतीति के लिये व्यञ्जना को स्वीकार करना ही होगा।

(२) अभिहितान्वयवादियों के मत का निवारण—कुमारिल भट्ट के अनुयायी अभिहितान्वयवादी मीमांसकों का कथन है कि वाक्य का अर्थ करने के लिये तात्पर्या वृत्ति की आवश्यकता है। उनका मत है कि भावाशा, योग्यता और सन्निधि से युक्त पदों का समूह वाक्य कहलाता है। (आकाशायोग्यतासन्निधिमना पदानां समूह वाक्यम्)। किसी वाक्य का उच्चारण करने पर उस वाक्य के पदों का वाच्यार्थ अभिधा शक्ति से विदित होता है। जैसे—'गौ गच्छति' वाक्य मे 'गौ' का अर्थ 'प्राणिविशेष' और 'गच्छति' का अर्थ 'वर्तमानकालीन गमन क्रिया' है। इनका बोध अभिधा वृत्ति से होता है। परन्तु ये दोनों पद क्योंकि भावाशा योग्यता और सन्निधि से युक्त होने के

कारण वाक्य की रचना करते हैं, प्रत ये परस्पर अन्वित हैं। अर्थात् 'गौ' यह कर्ता 'गमनक्रिया' से अन्वित है 'गमनक्रिया' 'गौ' से अन्वित है। इनका परस्पर अन्वित होना ही वाक्य का अर्थ है, जो कि अभिधा वृत्ति से विदित नहीं होता। इस अर्थ का बोध कराने के लिये तात्पर्या वृत्ति को स्वीकार करना चाहिये। ये मीमांसक अभिहितान्वयवादी कहलाते हैं। (अभिहितानाम् अभिधया प्रतिपादितानाम् अर्थानां पश्चात् अन्वय ये वदन्ति ते अभिहितान्वयवादिनः)

अभिहितान्वयवादियों का कथन है कि ध्वनिवादियों के प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति अभिधा से ही हो जाती है उसके लिये व्यञ्जना को मानना आवश्यक नहीं है।

इस सम्बन्ध में व्यञ्जनाववादियों का कथन है कि जो अभिहितान्वयवादी वाक्य के सामान्यभूत पदों के अर्थों के अन्वय (विशिष्टता) को भी अभिधा से प्रतिपादित नहीं कर सकते, वे अतिविशेषभूत प्रतीयमान अर्थ को अभिधा से प्रतिपादित कर सकें, यह क्षमता उनमें वहाँ से ही सबती है। अतः प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति अभिधा से नहीं हो सकती।

१(३) अन्विताभिधानवादियों के मत का निवारण—प्रभाकर भट्ट के अनुयायी-मीमांसक अन्विताभिधानवादी कहलाते हैं। प्रभाकर भट्ट कुमारिल भट्ट के शिष्य थे, परन्तु विद्वान्नाम वे अपने गुरु को भी अतिशयित कर गये थे। उनका मत 'गुरुमत' के नाम से प्रसिद्ध है। कुमारिल भट्ट ने जिन सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया था, प्रभाकर भट्ट ने उनका खण्डन किया। कुमारिल भट्ट के अनुसार वाक्य का अर्थ तात्पर्या वृत्ति से होता है, परन्तु प्रभाकर भट्ट ने इसका खण्डन किया और कहा कि वाक्य के अर्थ को बोधित करने के लिये तात्पर्या वृत्ति की आवश्यकता नहीं है, अभिधा वृत्ति से ही यह कार्य निष्पन्न हो सकता है। इनको अन्विताभिधानवादी कहा जाता है (अन्वित अर्थ अभिधया एव निष्पद्यते इति ये वदन्ति ते अन्विताभिधानवादिनः)।

अन्विताभिधानवादियों के अनुसार बालक अपने अनुभव से अखण्ड वाक्य के अखण्ड अर्थ का बोध करता है। अर्थात् वह विशेषान्वित पद के अर्थ का बोध करता है। तदनन्तर वह अपने अनुभव से भिन्न भिन्न पदों के भिन्न भिन्न अर्थों का बोध करता है और वाक्य में सामान्यान्वित पदों के अर्थों का ज्ञान प्राप्त करता है। 'ये पदों के अर्थ सामान्य से अवच्छादित होने हैं और इस सामान्यान्वित अर्थ का पर्यावसान अन्वित विशेष में होता है। इस प्रकार अन्विताभिधानवादियों के मत में अन्वितविशेष तब ही अभिधा की गति रहती है। व्यञ्ज्य अर्थ, जो अतिविशेषरूप है, उसका बोध अभिधा द्वारा नहीं हो सकता। उसके लिये व्यञ्जना वृत्ति को स्वीकार करना होगा।

(३) नैमित्तिकवादी मीमांसकों के मत का निवारण—बुद्ध मीमांसकों का मत है कि व्यञ्ज्य अर्थ की प्रतीति नैमित्तिक है अर्थात् यह प्रतीति किसी निमित्त से होती है। इस प्रतीति का निमित्त शब्द को ही मानना चाहिये, क्योंकि शब्द के श्रवण के

अनन्तर ही उस अर्थ की प्रतीति होती है। शब्द की निमित्तता किसी वृत्ति द्वारा ही होगी और वह वृत्ति अभिधा ही हो सकती है। अतः प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति अभिधा द्वारा हो सकती है। उसके लिये पृथक् व्यञ्जना वृत्ति मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहा गया है—'नैमित्तिकानुसारेण निमित्तानि कल्पन्ते'। नैमित्तिक (कार्य = प्रतीयमान अर्थ) के अनुसार निमित्त (कारण = शब्द) की कल्पना की जाती है।

व्यञ्जनावादियों के अनुसार मीमांसकों की यह युक्ति तर्कसंगत नहीं है। निमित्त दो प्रकार का होता है—कारक और जापक। शब्द क्योंकि अर्थ का प्रकाशक है, अतः कारक नहीं हो सकता। अर्थ का जापक (प्रकाशक) भी वह तभी होता है, जब कि वहाँ साक्षात् सकेत होता है। प्रतीयमान अर्थ में शब्द सकेतित नहीं होता, अतः उससे प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति अभिधा द्वारा नहीं हो सकती।

(४) मट्ट लोल्लट के मत का निवारण—भट्ट लोल्लट ने प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति अभिधा द्वारा सिद्ध की थी। 'ध्वन्यालोक' की लोचन टीका में तथा 'वाच्य-प्रकाश' में इनके मत का खण्डन किया गया है। इन्होंने प्रतीयमान अर्थ को अभिधेय सिद्ध करने के लिये दो युक्तियाँ दी हैं—“यत्पर शब्द स शब्दार्थ” और “सौम्यमिपोरिव दीर्घदीर्घतरो अभिधाव्यापार”। अभिनवगुप्त ने इनके मत को “योऽप्यन्विताभिधान-वादी 'यत्पर शब्द स शब्दार्थ' इति हृदये गृहीत्वा शरवदभिधाव्यापारमेव दीर्घदीर्घ-मिच्छति” लिखकर अन्विताभिधानवादी बताया है। परन्तु 'वाच्य प्रकाश' के टीका-कारों ने 'भट्टमतोपजीविना लोल्लटप्रभृतीना मते' लिखकर इनको अभिहितान्वयवादी कहा है। इस सम्बन्ध में दूसरा मत ही अधिक ग्राह्य प्रतीत होता है। भट्टलोल्लट की पहली युक्ति 'यत्पर शब्द स शब्दार्थ' है, जिससे सूचित होता है कि वे तात्पर्य शक्ति को मानते थे। तात्पर्य शक्ति को अभिहितान्वयवादियों ने ही स्वीकार किया है, अतः उनको अभिहितान्वयवादी मान लेने में आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

प्रतीयमान अर्थ को अभिधेय सिद्ध करने के लिये ऊपर जो दो युक्तियाँ—“यत्पर शब्द स शब्दार्थ” तथा “सौम्यमिपोरिव दीर्घदीर्घतरो अभिधा व्यापार” दी गई हैं, इनका अलग अलग निवेदन करना उपयोगी होगा।

(क) पहली युक्ति है—“यत्पर शब्द स शब्दार्थ” जिस तात्पर्य से शब्द का प्रयोग किया जाता है, वह ही उस शब्द का अर्थ होता है। यदि किसी वाक्य में व्यञ्ज्य अर्थ की प्रतीति के लिये शब्दों का प्रयोग है, तो वह व्यञ्ज्य अर्थ ही उन शब्दों का अर्थ होगा। इस कारण व्यञ्ज्य अर्थ को अभिधेय मानना चाहिये।

आचार्य मम्मट का कथन है कि ये मीमांसक तात्पर्य वृत्ति को तो मानते हैं, परन्तु इस कथन के तात्पर्य को नहीं जानते और भ्रम हैं। इस युक्ति का प्रयोग उन्होंने ठीक अर्थ में नहीं किया। वस्तुतः यह वाक्य यज्ञीय प्रसंगों में प्रयुक्त हुआ है। इस वाक्य का तात्पर्य यह है कि जब एक वाक्य में कुछ सिद्ध (भूत, कारक) और

बुद्ध साध्य (भव्य क्रिया) पदा का उच्चारण होता है तो उनम कारक पदाथ क्रिया पदार्थ के साथ अचित्त होकर साध्य क्रिया को सिद्ध करते हैं। अर्थात् उस वाक्यो म साध्य क्रिया पदार्थ ही विधय होता है। सिद्ध कारक पदार्थ तो पहले ही सिद्ध हो चुका है। इसका अभिप्राय यह है कि किसी भी वाक्य के उच्चारण म जो वस्तु साध्य है या अप्राप्त है उसी को सिद्ध करने या प्राप्त करने के तात्पर्य से वह वाक्य प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए— अग्निहोम जुहुयात् स्वग वाम वाक्य का तात्पर्य होम का विधान करना है। यदि यह होमक्रिया प्रमाणातर से प्राप्त है अर्थात् सिद्ध है तो उसके निये यह वाक्य नहीं होगा। जैसे— दध्ना जुहोति वाक्य म होम क्रिया के प्रमाणातर से प्राप्त होने के कारण दधि का केवल करणत्वमात्र विवक्षित है। सोमेन यजेत वाक्य मे सोम का वरणत्व और होमक्रिया दोनों के अप्राप्त होने से दोनों ही विवक्षित हैं। इसीलिये कहा गया है— भूतभव्यसमुच्चारण भूत भव्यायोपदिश्यते। जहाँ भूत (सिद्ध) और भव्य (साध्य) दोनों का उच्चारण किया जाता है, वहाँ भूत पदार्थ भव्य क्रिया का अङ्ग हो जाता है। इस प्रकार यत्पर शब्द स शब्दार्थ का अभिप्राय यह है कि वाक्य म जिस क्रिया के साधन के लिये शब्द का प्रयोग होता है उसी को सम्पन्न करने के लिये शब्द का अर्थ ग्रहण करना चाहिये। इन मीमांसको ने इस पक्ति का तात्पर्य ठीक से नहीं समझा और इसक द्वारा व्यञ्जना वृत्ति का विरोध करने लगे जो कि उचित नहीं है। इसलिये प्रतीयमान अर्थ वाच्य अर्थ स भिन्न है तथा वह व्यञ्जना वृत्ति से बोधित होता है।

(ख) भट्ट लोल्लट की दूसरी युक्ति है— सोऽग्निपोरिव दीपनीषतरोऽभिधा-
व्यापारः। यह अभिधा का व्यापार बाण के समान लम्बा और लम्बा होता है। इसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार कि शक्तिशाली धनुषर द्वारा फका गया एव ही बाण शत्रु के कवच को काट देता है उसके मम को भेद देता है और प्राणो का हरण कर देता है इसी प्रकार सुत्रवि द्वारा प्रयुक्त एव ही शब्द अभिधा नामक व्यापार स वाक्य अर्थ का बोध कराता है, पदार्थों का अर्थ करना है और व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति कराता है। अतः प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति अभिधा द्वारा हो जान से इनको वाच्य ही समझना चाहिये।

ध्वनिवादिया के अनुसार भट्ट लोल्लट की यह युक्ति तब की बसोटी पर श्रेष्ठ नहीं, उत्तरनी। इसके खण्डन के लिये ध्वनिवादिया ने निम्न तर्क प्रस्तुत किये हैं—

(१) भट्ट लोल्लट का यह अभिधा का व्यापार, जो बहुत दीघ है क्या एव ही है? यदि वह एव ही है तो भिन्न प्रवृत्ति वाले वाच्य और प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति उमसे किस प्रकार हो सकती है? क्योंकि वाच्य और प्रतीयमान अर्थ परस्पर विरोधी या भिन्न विषय वाले हो सकते हैं। यदि उग व्यापार का एव न मानकर अनेक माना जाय तो इनम व्यञ्जनावादिया का ही पक्ष सिद्ध होगा क्योंकि व शब्दवृत्तिया की अनङ्गता की स्थापना करत है।

(ii) अभिहितान्वयवादी वाक्यार्थ बोध के लिये वेतात्पर्या वृत्ति को स्वीकार करते हैं। यदि अभिधा के दीर्घदीर्घतर व्यापार से प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति हो सकती है तो इससे वाक्यार्थ की प्रतीति क्यों नहीं हो सकेगी, जो कि वाक्यार्थ व्यञ्ज्य अर्थ की अपेक्षा पदों के अर्थ के अधिक समीप है। इससे अभिहितान्वयवादियों का पक्ष ही अधिक दुर्बल होता है।

(iii) मीमांसक लक्षणा वृत्ति को स्वीकार करते हैं—

मानान्तरविरुद्धे तु मुर्यार्थस्य परिग्रहे ।

अभिधेयाविनाभूतप्रतीतिलक्षणोच्यते ॥

लक्ष्यमाणगुर्णैर्योगाद् वृत्तेरिष्टा तु गौणता ॥

यदि दीर्घदीघतर अभिधा व्यापार के द्वारा प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति हो सकती है तो उसके द्वारा लक्ष्यार्थ का बोध भी हो सकता है। अतः मीमांसका को लक्षणा वृत्ति मानने की भी क्या आवश्यकता है? इस प्रकार 'दीर्घदीघतर व्यापार' को स्वीकार करना स्वयं मीमांसकों के पक्ष को दुर्बल करता है।

(iv) यदि प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति दीघदीघतर अभिधा व्यापार के द्वारा होती है तो "ब्राह्मण पुत्रस्ते जात", "ब्राह्मण कन्या ते गर्भिणी" आदि वाक्यों में हर्ष, शोक आदि वाच्य हो जावेंगे। इन वाक्यों से प्रतीत हर्ष, शोक आदि को मीमांसक भी वाच्य नहीं मानते। उनके अनुसार ये वाक्य हर्ष, शोक आदि भावों की उत्पत्ति के कारण हैं जापक नहीं हैं। इनका ज्ञान शब्द द्वारा न होकर मुख के विकारा से होता है। यदि शब्द के उच्चारण के पश्चात् प्रतीत होने वाले सभी अर्थ अभिधा व्यापार से उपस्थित माने जायेंगे तो इन हर्ष, शोक आदि को भी अभिधेय मानना होगा, जिसको कि मीमांसक स्वयं नहीं मानते।

(v) मीमांसा दर्शन का एक प्रमुख सिद्धान्त है—“श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थान-समाख्याना समवाये पारदौर्बल्यम् अर्थविप्रकर्षात् (पूर्वमीमांसा ३ ३ १४)। मीमांसा दर्शन में चार प्रकार की विधि मानी गई हैं—उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिनार विधि और प्रयोग विधि। इनमें विनियोग विधि के प्रसंग में यह सूत्र है। विनियोग का निष्पत्ति करने के लिये श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या ये ६ प्रमाण दिये गये हैं। इन प्रमाणों में दो या अधिक का समवाय होना पर पूर्व प्रमाण की अपेक्षा पर प्रमाण दुर्बल होता है।

व्यञ्जनाववादियों का तर्क है कि यदि भट्टलोल्लट के 'दीर्घदीघतर व्यापार' के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया जावे तो श्रुति आदि प्रमाणों से जिन-जिन अर्थों की उपस्थिति को प्रमाणित करना है, वह व्यर्थ हो जावेगा। इन प्रमाणों में परस्पर दुर्बलता तथा बलवत्ता मानना व्यर्थ होगा, क्योंकि 'दीर्घदीघतर' व्यापार के सिद्धान्त से अभिधा द्वारा अभीष्ट अर्थ की सिद्धि स्वतः हो जावेगी। इस प्रकार भट्टलोल्लट का यह सिद्धान्त मीमांसा दर्शन की परम्परा को तथा जैमिनि ऋषि के कथन को भंग कर

देगा। यह बात स्वयं उनको ही ब्राह्म नहीं होगी। अतः 'दीर्घदीघतर व्यापार' के सिद्धान्त को मानना उचित नहीं है और प्रतीयमान अर्थ को वाच्य अर्थ से भिन्न व्यञ्जनावृत्ति से प्रतिपाद्य मानना चाहिये।

(५) लक्षणावादियों का निराकरण—प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति लक्षणा से या विपरीतलक्षणा से हो जाती है, ऐसा अनेक आचार्यों का मत है। आचार्य मम्मट ने लक्षणावादियों के इन तर्कों को प्रबलता से खण्डित किया है।

लक्षणा के सम्बन्ध में मम्मट का कहना है—

मुप्यार्थसाधे तद्योगे रुढितोऽथप्रयोजनात् ।

अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्सालक्षणारोपिता क्रिया ॥

काव्यप्रकाश २९ ॥

जहां मुख्य वाच्य अर्थ वाचित हो, परन्तु लक्ष्य अर्थ का मुख्य अर्थ से सम्बन्ध हो और रुढि या प्रयोजन हो, वहां लक्षणा द्वारा अन्य अर्थ लक्षित होता है। आचार्य मम्मट का कथन है कि लक्षणा द्वारा लक्ष्य अर्थ के लक्षित होने के अनन्तर जो प्रयोजन या फल की प्रतीति होती है, वह व्यञ्जना द्वारा ही होती है। वह प्रयोजन या फल रूप अर्थ व्यञ्ज्य है, वाच्य या लक्ष्य नहीं है। लक्षणावादी आचार्य प्रयोजन या फल को लक्षणाप्रतिपाद्य सिद्ध करन का प्रयत्न करते हैं। परन्तु मम्मट इसको स्वीकार नहीं करते। इन सम्बन्ध में अभिनवगुप्त आदि प्राचीन आचार्यों ने तथा मम्मट ने जो युक्तियाँ उपस्थित की हैं, उनको मम्मट ने काव्यप्रकाश की निम्न कारिकाओं में सप्रहीत कर दिया—

यस्य प्रतीतिमाघातु लक्षणा समुपास्यते ॥१४॥

फले शब्दैकगम्येऽत्र व्यञ्जनात्ता परा क्रिया

नाभिधा समयाभावात् हेत्वभावात् लक्षणा ॥१५॥

लक्ष्य न मुख्य नाप्यत्र बाधो योग फलेन नो

न प्रयोजनमेतस्मिन् न च शब्दः स्वलिद्गति ॥१६॥

एवमप्यनवस्था स्याद् या मूलक्षयकारिणी

प्रयोजनेन सहित लक्षणीय न युज्यते ॥१७॥

ज्ञानस्य विषयो ह्यन्य फलमन्यदुदाहृतम् ॥१८॥

काव्यप्रकाश २-१४-१८॥

'गगाया घोष' आदि वाक्यों में शीतलत्व, पावनत्व आदि प्रयोजन की प्रतीति कराने के लिये लक्षणा का उपयोग किया जाता है। यहाँ उस प्रयोजन की प्रतीति शब्द से गम्य है और उसका बोध व्यञ्जना के अतिरिक्त अन्य किसी व्यापार से नहीं हो सकता।

प्रयोजन की प्रतीति अभिधा से नहीं हो सकती, क्योंकि गगा आदि पद शीतलत्व आदि प्रयोजन के लिये संकेतित नहीं हैं। इनकी प्रतीति लक्षणा से भी नहीं हो सकती,

क्योंकि लक्षणा के लिये मुख्यार्थ वाधा आदि तीन हेतु चाहिये । यदि शीतलत्व आदि को लक्ष्य अर्थ मानें तो तट को मुख्य अर्थ मानना होगा, जो कि मुख्य अर्थ नहीं है । यदि इसको मुख्य अर्थ मान भी ले तो इस अर्थ के करने में वाधा नहीं होगी । शीतलत्व को लक्ष्य अर्थ मानने पर किसी अन्य प्रयोजन की कल्पना करनी पड़ेगी, जो कि सम्भव नहीं है । यदि किसी अन्य प्रयोजन की कल्पना कर भी ली जावे तो उसे लक्ष्य मानने के लिये किसी और प्रयोजन की कल्पना करना पड़ेगी, जिससे अन्वयवस्था उत्पन्न हो जावेगी । अतः प्रयोजन की प्रतीति लक्षणा द्वारा नहीं हो सकती ।

यदि यह कहा जावे कि प्रयोजन से विशिष्ट लक्ष्य अर्थ की प्रतीति लक्षणा द्वारा होती है, तो यह भी ठीक नहीं है । लक्ष्य अर्थ की प्रतीति प्रयोजन के साथ नहीं होती । जिस प्रकार ज्ञान का विषय ज्ञान के फल से भिन्न है, उसी प्रकार लक्ष्य अर्थ प्रयोजन से भिन्न है । अतः प्रयोजन से विशिष्ट लक्ष्य अर्थ की प्रतीति लक्षणा द्वारा नहीं हो सकती ।

दार्शनिकों का यह सिद्धान्त है कि ज्ञान का विषय और फल अलग-अलग होते हैं । घट को देखने के अनन्तर 'अथ घट' इस प्रकार वह घट ज्ञान का विषय होता है । तदनन्तर देखने वाले में 'घटज्ञानवानहम्' इस प्रकार की अनुभूति या ज्ञातता उत्पन्न होती है । इसको नैयायिक अनुव्यवसाय कहते हैं । नैयायिकों के अनुसार यह 'घट' 'ज्ञान' का विषय है और ज्ञान का फल आत्मा में उत्पन्न 'ज्ञातता' नाम का धर्म है । 'ज्ञान' का विषय 'घट' और ज्ञान का फल 'ज्ञातता' दोनों पृथक् धर्म हैं तथा उनका ग्रहण एक काल में नहीं हो सकता । मीमांसक इस फल को ज्ञातता न कहकर सञ्चिति कहते हैं और यह घट रूप पदार्थ में रहती है । परन्तु दोनों ही ज्ञातता या सञ्चिति को ज्ञान का फल तथा घट को ज्ञान का विषय मानते हैं और ज्ञान के विषय एवं ज्ञान के फल को पृथक् स्वीकार करते हैं ।

भम्मट का कथन है कि जिम प्रकार ज्ञान का विषय और ज्ञान का फल पृथक्-पृथक् धर्म हैं, उसी प्रकार लक्षणा का विषय लक्ष्य अर्थ और फल प्रयोजन हैं । ये दोनों अलग हैं । प्रयोजन से विशिष्ट लक्ष्य अर्थ की प्रतीति लक्षणा द्वारा नहीं हो सकती । प्रयोजन की प्रतीति के लिये व्यञ्जना स्वीकार ही करनी होगी । इस प्रकार प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति लक्षणा द्वारा नहीं हो सकती और लक्ष्य तथा प्रतीयमान अर्थ भिन्न होंगे ।

आचार्य भम्मट ने लक्ष्य और प्रतीयमान अर्थ में और भी भेद प्रस्तुत किये हैं—

(i) लक्ष्य अर्थ नियत सम्बन्ध होना है । अर्थात् वाच्य अर्थ से सम्बद्ध अर्थ ही लक्ष्य अर्थ हो सकता है । परन्तु प्रतीयमान अर्थ इससे भिन्न है । प्रकरण आदि के द्वारा वही तो वह वाच्य अर्थ से नियत सम्बन्ध वाला, वही अनियत सम्बन्ध वाला और वही सम्बद्ध सम्बन्ध वाला होना है ।

(ii) लक्षणा का प्रयोग सदा व्यञ्ज्य अर्थ की प्रतीति के लिये किया जाता है ।

अर्थात् जहाँ लक्ष्य होगा, वहाँ व्यङ्ग्य अर्थ अवश्य होगा। परन्तु व्यङ्ग्य अर्थ लक्षणा के बिना भी हो सकता है। अभिधामूल ध्वनि में लक्ष्य अर्थ नहीं होता।

(iii) लक्षणा के लिये मुख्यार्थवाचा, मुख्यार्थयोग और रुद्धि या प्रयोजन इन तीनों हेतुओं का होना अनिवार्य है। परन्तु व्यञ्जना के लिये उसकी आवश्यकता नहीं है।

(iv) क्रम के अनुसार लक्ष्य अर्थ की प्रतीति पहले और व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति बाद में होती है।

(v) लक्ष्य अर्थ की प्रतीति वाचक शब्द से वाच्य अर्थ की प्रतीति के अनन्तर होती है। परन्तु व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति अवाचक वर्णों से और अशब्दात्मक शरीर व्यापारों से भी हो सकती है।

इन कारणों से लक्ष्य और व्यङ्ग्य अर्थ को एक नहीं समझा जा सकता, वे भिन्न-भिन्न हैं।

(६) वैयाकरणों और वेदान्तियों के अखण्डार्थतावाद का निवारण—व्याकरण दर्शन में स्फोट रूप शब्द ब्रह्म का सिद्धान्त है, जिसके अनुसार वाक्य और वाक्यार्थ अखण्ड होते हैं। अखण्ड वाक्य से अखण्ड अर्थ का बोध होता है तथा अकेला शब्द अर्थरहित है। इसी प्रकार वेदान्ती भी अखण्ड वाक्य एवं उसके अखण्ड अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। जैसे 'तत्त्वमसि' आदि अखण्ड वाक्य को वे अखण्ड ब्रह्म का द्योतक मानते हैं। उसके अनुसार अखण्ड वाक्य का अर्थ वाच्य होता है तथा वह वाक्य वाचक होता है। इसलिये सभी अर्थ वाच्य होंगे, प्रतीयमान अर्थ मानने की आवश्यकता नहीं है।

अभिनवगुप्त और मम्मट ने वैयाकरणों और वेदान्तियों के इस तर्क को स्वीकार तो कर लिया, परन्तु उनका कहना है कि जब ये सांसारिक व्यवहार की दशा में रहते हैं तो वे पद एवं पदार्थ की कल्पना करते ही हैं। जब यह पृथक् पृथक् पद और पदार्थ की कल्पना होगी, तो प्रतीयमान अर्थ को भी स्वीकार करना होगा। इसको अभिनवगुप्त ने इस प्रकार स्पष्ट किया है—

‘धेऽप्यविभक्तं स्फोटं वाक्यं तदर्थं चाहुः, तैरप्यविद्यापदपतितं सर्वैयमनुसरणीया प्रक्रिया। तदुत्तीर्णत्वे तु सर्वं परमेश्वराद्वय ब्रह्मेत्यस्मच्छास्त्रकारेण न विदितं तत्त्वा-लोकग्रन्थं विरचयतेत्यास्ताम्’।

जो विद्वान् वाक्य और वाक्यार्थ को अखण्ड स्फोट रूप कहते हैं, उनको भी सांसारिक व्यवहार की दशा में इस सब प्रक्रिया का अनुसरण करना ही होगा। सांसारिक अवस्था (अविद्या का व्यवहार) से ऊपर उठ जाने पर तो सब कुछ अद्वैत परमेश्वरमय ब्रह्म हो जाता है यह तथ्य 'तत्त्वालोक' नामक ग्रन्थ की रचना करने वाले हमारे शास्त्रकार आनन्दवर्धन की विदित न हो, ऐसा नहीं है। अतः समार में रहते हुये पद एवं पदार्थ की कल्पना एवं प्रतीयमान अर्थ की स्वीकार करना ही होगा।

८ (७) अनुमानवादियों का खण्डन—महिमभट्ट ने ध्वनिवादियों के प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति को अनुमान द्वारा सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। उसके अनुसार व्यञ्जना वृत्ति को मानने की आवश्यकता नहीं है। सभी प्रकार के प्रतीयमान अर्थ—वस्तु, अलङ्कार और रस अनुमान से ही निष्पन्न हो सकते हैं। 'व्यक्तिविवेक' ग्रन्थ में उन्होंने इसका विशद विवेचन किया है। वे लिखते हैं—

अनुमानेऽन्तर्भाव सर्वस्यैव ध्वनेः प्रकाशयितुम् ।
व्यक्तिविवेकं कुरते प्रणम्य महिमा परा वाचम् ॥
याऽर्थांतराभिव्यक्ती व सामग्रीष्टा निबन्धनम् ।
सैवानुमितपक्षे नो गमकत्वेन सम्मता ॥

याऽपि विभावादिभ्यो रसादीनां प्रतीतिं सानुमान एवान्तर्भयितुमर्हति ।

विभावानुभावव्यभिचारिप्रतीतिर्हिरसादिप्रतीते साधनमिष्यते ॥

इस प्रकार महिमभट्ट सभी प्रकार की ध्वनि को अनुमान के द्वारा सिद्ध करते हैं। वे रसादि की प्रतीति में विभाव आदि को हेतु मानते हैं। रस की सिद्धि के लिये उनका अनुमान वाक्य इस प्रकार होगा—

'राम सीताविषयकरतिमात् तत्र विलक्षणस्मितवन्नाक्षवत्यात् । यो नैव यथा लक्ष्मणः' ।

परन्तु ध्वनिवादियों ने विभाव आदि को रस के हेतु रूप में स्वीकार नहीं किया। उनके अनुसार रस तक का विषय नहीं है अपितु यह सहृदयों के हृदयों में उद्भूत अपूर्व अलौकिक आनन्द या भाव है। यह सहृदयसंवेद्य ही है तथा इसे अनुमान का विषय नहीं बनाया जा सकता।

आनन्दवर्धन के उदाहरण 'ध्रमधार्मिक विलम्ब' में महिमभट्ट ने निषेधरूप प्रतीयमान अर्थ की सिद्धि अनुमान द्वारा की है। उत्तरवर्ती आचार्यों—मम्मट, विश्वनाथ आदि ने महिमभट्ट का प्रबल खण्डन किया है। इस स्थिति का सनिष्पन्न निरूपाण यहाँ किया जा रहा है—

महिमभट्ट का कथन है कि वाच्य अर्थ से अराम्बन्ध व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति नहीं होती, क्योंकि यदि ऐसा होने लग तो किसी भी शब्द से किसी भी अर्थ की प्रतीति होने लगेगी। इस प्रकार व्यङ्ग्यव्यञ्जक भाव ध्वनिग्रहण (गतिबन्ध = व्याप्ति। अप्रतिबन्ध = जहाँ व्याप्ति नहीं है) निश्चित रूप से नहीं होता, नियत (विषय में न रहना) है और धर्मनिष्ठ (पक्ष में रहना) है। इस प्रकार तीन रूप वाले चिह्न से निमित्त जो अनुमान है, यह व्यङ्ग्यव्यञ्जकभाव उस रूप में परिणत हो जाता है।

दाशनिवो वा अनुमान इस प्रकार है—पर्वत वह्निमात् घृमात् । यत्र यत्र घूमस्तत्र तत्र वह्नि यथा महान्ते । यत्र यत्र वह्नुपभाव तत्र तत्र घृमाभाव यथा जनानये । पर्वते सम्यग् स्थिति घन म अग्निमात् । इयं अनुमान वाक्य में पर्वत पक्ष है, महान्तम सगल है, जनानय विपक्ष है, घूम चिह्न है और अग्नि

साध्य है। लिङ्ग के तीन रूप हैं—(१) वह सपक्ष में नियत रूप से रहता है (व्याप्ति) (२) विपक्ष में नहीं रहता और (३) पक्ष में रहता है। अतः उस धूम से पक्ष में साध्य वह्नि का अनुमान किया जाता है। इसी प्रकार व्यञ्जक रूप लिङ्ग से व्यङ्ग्य रूप अर्थ का काव्य में अनुमान किया जाता है। व्यङ्ग्य अर्थों के स्थल में व्यञ्जकरूप शब्द अवश्य रहता है (व्याप्ति, सपक्षसत्त्व), वाच्य आदि अर्थों में व्यञ्जक शब्द नहीं रहता (नियतत्व, विपक्षसत्त्व) और जिज्ञासित व्यङ्ग्य स्थल में व्यञ्जक विद्यमान है (धर्मनिष्ठत्व, पक्षसत्त्व)। इस प्रकार तीन रूप वाले लिङ्ग व्यञ्जक शब्द से व्यङ्ग्य अर्थ का अनुमान होता है। अतः व्यङ्ग्यव्यञ्जक भाव को अनुमायनुमापक भाव समझना चाहिये।

‘ध्रम धार्मिक’ गाथा में निषेधरूप अर्थ का अनुमान इस प्रकार होगा गोदावरीतीर भीरुध्रमणायोग्य भयकारण सिहोपलब्धे। यत्र यत्र भीरुध्रमणायोग्यत्व तत्र तत्र भयकारणभाव, यथा वनम् (व्याप्ति, सपक्षसत्त्व)। यत्र यत्र भयकारणभाव तत्र तत्र भीरुध्रमणायोग्यत्वम्, यथा गृहम् (नियतत्व, विपक्षसत्त्व)। गोदावरीतीर भयकारण-निहोपलब्धिद्युक्तम्, अतः भीरुध्रमणायोग्यम्।

अर्थात् यहाँ गोदावरीतीर पक्ष, वन सपक्ष, घर विपक्ष, भयकारणसिहोपलब्धि लिङ्ग और भीरुध्रमणायोग्यत्वसाध्य है। भयकारणसिहोपलब्धि लिङ्ग के तीन रूप हैं—वह मपक्ष वन में नियत रूप से रहता है, (सपक्षसत्त्व), गृह में नहीं रहता (विपक्षसत्त्व), गोदावरीतीर पर है (पक्षसत्त्व)। इन प्रकार इस तीन रूप वाले लिङ्ग से गोदावरीतीर पर इस भीरु धार्मिक के ध्रमण के निषेध का अनुमान हो जायगा। यह व्यञ्जना मानने की आवश्यकता नहीं है।

आचार्य मम्मट ने महिमभट्ट के अनुमान का खण्डन इस प्रकार किया है—

इस स्थल में ‘भयकारणसिहोपलब्धि’ को हेतु (लिङ्ग) माना गया है। हेतु अपने साध्य को तभी सिद्ध कर सकता है, जबकि वह दोनों से रहित है। दोषयुक्त होने पर वह हेतु न होकर हेत्वाभास होता है। महिमभट्ट द्वारा कथित हेतु में तीन दोष हैं—अनैकान्तिकता, विरुद्धता और असिद्धता। भीरु व्यक्ति भी अपने गुरु या स्वामी के आदेश से, प्रिया के प्रति अनुराग से, अथवा अन्य किसी कारण से भय का कारण होने पर भी ध्रमण कर सकता है, अतः यह हेतु अनैकान्तिक है। धार्मिक पुरुष यदि वीर है तो कुत्ते से डरते हुये भी सिह से भयभीत नहीं हो सकता, अतः यह हेतु विरुद्ध भी है। गोदावरीतीर पर सिह की उपलब्धि भी किसी प्रत्यक्ष या अनुमान आदि प्रमाणों से निश्चित नहीं हुई है, अपितु एक पुरुषवली के वचन से हुई है तथा उसका वचन प्रामाणिक नहीं है। इस प्रकार पक्ष में हेतु का होना असिद्ध भी है। इस प्रकार हेतु में अनैकान्तिकता, विरुद्धता और असिद्धता इन तीन दोषों के होने के कारण गोदावरीतीर पर उस धार्मिक के ध्रमण के निषेध का अनुमान नहीं किया जा सकता। यह अर्थ निश्चित रूप से व्यञ्जना द्वारा प्रतिपादित प्रतीयमान अर्थ होगा। ध्रम प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति व्यञ्जना द्वारा ही होती है और वह वाच्य, लक्ष्य, तात्पर्य या अनुमाप्य नहीं हो सकता। इसको सक्षेप में मम्मट ने इस प्रकार कहा है—

द्वितीयोऽपि प्रभेदो वाच्याद् विभिन्नः सप्रपञ्चमग्रे दर्शयिष्यते ।
 1974 तृतीयस्तु रसादिलक्षणः प्रभेदो वाच्यान्नामर्थ्याक्षिप्तः प्रकाशते, न तु
 साक्षाच्छब्दव्यापारविषय इति वाच्याद् एव । तथाहि, वाच्यत्वं तस्य
 स्वशब्दनिवेदितत्वेन वा स्यात्, विभावादिप्रतिपादनमुखेन वा । पूर्वस्मिन्
 पक्षे स्वशब्दनिवेदितत्वाभावे रसादीनामप्रतीतिप्रसङ्गः । न च सर्वत्र तेषां
 स्वशब्दनिवेदितत्वम् । यत्राप्यस्ति तत्, तत्रापि विशिष्ट विभावादिप्रति
 पादनमुखेनैवैषां प्रतीतिः । स्वशब्देन सा केवलमनूयते, न तु तत्कृता
 विषयान्तरे तथा तस्या घदर्शनात् । न हि केवलं शृङ्गारादिशब्दमात्रभाजि
 विभावादिप्रतिपादनरहिते काव्ये मनागपि रसतत्त्वप्रतीतिरस्ति । यतश्च
 स्वाभिधानमन्तरेण केवलोभ्योऽपि विभावादिभ्यो विशिष्टेभ्यो रसादीनां
 प्रतीतिः । केवलाच्च स्वाभिधानादप्रतीतिः । तस्मादाद्य व्यतिरेकाभ्याम-
 भिधेयसामर्थ्याक्षिप्तः एवमेव रसादीनाम् । न त्वभिधेयत्व कथञ्चित् । इति
 तृतीयोऽपि प्रभेदो वाच्याद् भिन्न एवेति स्थितम् । वाच्येन त्वस्य सहेव
 प्रतीतिरित्यग्रे दर्शयिष्यते ॥४॥

इति अभिधातात्पर्यलक्षणात्मकव्यापारभयातिवर्ती ध्वननादिपर्यायो व्यापारो-
 ऽनपलपनीय एव । वाच्य प्रकाश पञ्चम उल्लास ।

हिन्दी अर्थ—ध्वनि का दूसरा भेद (अलङ्कारध्वनि) भी वाच्य अर्थ से भिन्न है,
 इसको विस्तार के साथ आगे (द्वितीय उद्योत में) दिखायेंगे ।

अलङ्कार ध्वनि वाच्य अर्थ से भिन्न है, इस तथ्य को ध्वनिकार प्रतिपादित
 करना चाहते हैं । परन्तु जिस प्रकार वस्तुध्वनि को विधि, निषेध, एव विधिनिषेधानु-
 भय रूप से यहाँ संक्षेप से बहू दिया गया है, इस प्रकार अलङ्कारध्वनि को नहीं बहू
 जा सता । वस्तुध्वनि की अपेक्षा अलङ्कारध्वनि के भेद बहुत अधिक हैं, तथा बहू
 अधिक जटिल है, इसलिये इसको विस्तार से बहूना होगा । इसका विस्तृत वर्णन
 ध्वनिकार ने द्वितीय उद्योत में किया है ।

हिन्दी अर्थ—ध्वनि का तीसरा रसादि लक्षण रूप भेद वाच्य अर्थ के सामर्थ्य
 से भाक्षिप्त होकर प्रकाशित होता है, यह साक्षात् शब्द के व्यापार (अभिधा) का
 विषय नहीं है । इसलिये यह वाच्य अर्थ से भिन्न ही है, क्योंकि यदि उसको वाच्य
 मान भी लिया जाये तो उसकी वाच्यता दो प्रकार से हो सकती है—या तो यह
 स्वशब्द वाच्य हो, अर्थात् उसको रस आदि शब्दों से या शृङ्गार आदि शब्दों से कहा
 जावे, अथवा विभाव आदि के द्वारा उसका प्रतिपादन किया जावे । पहले पक्ष में
 स्वशब्द निवेदितत्व का अभाव होने पर, अर्थात् रस आदि या शृङ्गार आदि शब्दों का
 प्रयोग न किया जाने पर रस आदियों की प्रतीति न होने का प्रसङ्ग प्राप्त होगा, रस
 आदियों की अनुभूति नहीं होगी । परन्तु जहाँ रस आदियों की प्रतीति होती है, वहाँ
 सब स्थानों पर ये स्वशब्द निवेदित नहीं हैं और जहाँ स्वशब्द निवेदित होने पर भी इनकी

विभाव आदि द्वारा प्रतिपादित होने पर ही होती है। स्वशब्द से अर्थात् रस, शृङ्गार आदि पदों से तो वह केवल अनुदित होती है, तत्कृत नहीं होती। क्योंकि दूसरे स्थानों पर, जहाँ केवल स्वशब्द का प्रयोग है और विभाव आदि नहीं हैं, इस रसादि को प्रतीति का दर्शन नहीं होता। क्योंकि जिस काव्य में केवल शृङ्गार आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है, परन्तु विभाव आदि का प्रतिपादन नहीं है, वहाँ रसवत्ता को प्रतीति थोड़ी सी भी नहीं होती। इस कारण अन्वय और व्यतिरेक से यह सिद्ध होता है कि रस आदि अभिप्रेत (वाच्य अर्थ) के सामर्थ्य से आक्षिप्त होते हैं, ये किसी भी प्रकार अभिप्रेत नहीं होते। इस प्रकार ध्वनि का तीसरा भेद रसादि ध्वनि भी वाच्य से भिन्न है, यह निश्चित है। वाच्य के साथ इसकी प्रतीति जिस प्रकार होती है, उसको आगे दिखाया जाएगा।

यहाँ ध्वनिकार ने वस्तुध्वनि और अलङ्कारध्वनि से रसादिध्वनि का भेद दिखाया है। रसध्वनि वाच्य अर्थ के सामर्थ्य से आक्षिप्त होती है और यह कभी भी वाच्य नहीं होती, अभिप्रेत के व्यापार का विषय नहीं होती। इससे ध्वनिकार यह कहना चाहते हैं कि वस्तु और अलङ्कार तो कभी वाच्य हो सकते हैं, परन्तु रस कभी वाच्य नहीं होता। इसी तथ्य को 'वाच्यप्रनाश' ग इन प्रकार स्पष्ट किया गया है—

“सङ्कलनेन पुनरस्य ध्वनेस्त्रयो भेदा व्यङ्ग्यस्यत्रिरूपत्वात् । तथाहि—किञ्चिद्वाच्यता सहने किञ्चित्त्वन्वया । तत्र वाच्यतासहमविचित्र विचित्र चेति । अविचित्र वस्तुमात्रम्, विचित्र त्वलङ्काररूपम् । यद्यपि प्राधान्येन तदलङ्कार्यं, तथापि ब्रह्मण्यथमन्वायेन तयोच्यते । रसाक्लिरुपासर्थं स्वप्नेऽपि न वाच्य । सहि रसादिशब्देन शृङ्गारादिशब्देन वाऽभिधीयते । न चाभिधीयते तत्प्रयोगे पि विभाववाद्यप्रयोगे तस्मात्प्रतिपत्तेस्तदप्रयोगेऽपि विभावादिप्रयोगे तस्य प्रतिपत्तेश्चेत्तन्वयव्यतिरेकाभ्यां विभावाद्यभिधानद्वारेणैव प्रतीयते इति निश्चीयते । तेनाऽसी व्यङ्ग्य एव ।

सक्षेप से इस ध्वनि के तीन भेद हैं, क्योंकि व्यङ्ग्य अर्थ तीन प्रकार का होता है। जैसे कि—कोई व्यङ्ग्य वाच्यता को सहन करता है, कोई नहीं करता। वाच्यतासह व्यङ्ग्य दो प्रकार का है—अविचित्र और विचित्र। अविचित्र व्यङ्ग्य वस्तुमात्र है तथा विचित्र व्यङ्ग्य अलङ्काररूप है। यद्यपि अलङ्कारध्वनि अलङ्कार नहीं है, अलङ्कार्य है, तथापि ब्रह्मण्यथमण न्याय से उमको अलङ्कारध्वनि कर दिया जाता है। रसादि अलङ्काररूप व्यङ्ग्य अर्थ रूप से भी वाच्य नहीं होता। इससे रसादि शब्द से या शृङ्गारादि शब्द से कहा जाता है। परन्तु अभिप्रेत द्वारा उमकी प्रतीति नहीं होती। क्योंकि रस आदि शब्दों का प्रयोग होने पर एव विभाव आदि का प्रयोग न होने पर रस की प्रतीति नहीं होती और रस आदि शब्दों का प्रयोग न होने पर एव विभाव आदि का प्रयोग होने पर रस की प्रतीति होती है। इस प्रकार अन्वय और व्यतिरेक द्वारा यह निश्चय किया जाता है कि रस की प्रतीति विभाव आदि द्वारा ही होती है। अन्वय रस आदि ध्वनि व्यङ्ग्य ही है।

स्वभाव—यहाँ स्वन्द का अभिप्राय शृङ्गारादि है। अभिनवगुण का कथा है—

‘स्वन्देति । शृङ्गारादिना नन्देनाभियास्यापारम्यदेव निवेदितत्वेन ।’

उद्भूट ने ‘वाय्यालङ्कारसारग्रह’ में रस को स्वन्दवाच्य भी कहा है। उद्भूट के इस मत को सिन्धुपद भट्टाचार्य ने ‘ध्वजशास्त्र’ की टीका में स्पष्ट किया है—

यह सत्य प्रदर्शित करता रोचक होगा कि जबकि ध्वजिवादी रसभाव आदि को सदा वाच्य मानते हैं, ‘वाय्यालङ्कारसारग्रह’ के सादरणीय लेखक रस को स्वन्दवाच्य भी मानते हैं। उद्भूट के अनुसार रस की प्रतीति पाँच प्रकार से हो सकती है—स्वन्द, स्याविभाव, सचारिभाव, विभाव और अभिनय। उनसे अनुसार यदि किसी रस को रस शब्द द्वारा या शृङ्गार, वरण आदि शब्द द्वारा प्रकट किया जाता है, तो उसमें रस की प्रतीति में बाधा नहीं होती। उनका कथा है—

रसवर्णितस्पष्टशृङ्गारादिरसादयम् ।

स्वशब्दस्याभिसञ्चारिविभावाभिनयात्पदम् ॥

शृङ्गारहास्यवरणरीडवीरभयानना ।

बीभत्साद्भूतशास्त्रात् नव नाट्ये रसा मृता

॥ वाय्यालङ्कारसारग्रह ५ ३-४ ॥

इसने उदाहरण के रूप में उद्भूट ने अपने ‘भुमारसम्भव’ (जो कि अब उपलब्ध नहीं है) से यह उदाहरण दिया है—

इति भावयतस्तस्य समस्तान् पार्वतीगुणान् ।

सम्भृतानल्पसबल्यं वन्दर्पं प्रवचोऽभवत् ॥

स्विद्यताऽपि स गात्रेण वभार पुत्रोत्तरम् ।

वदम्यवलिवासीशनेसरप्रवरोपमम् ॥

क्षणमौत्सुक्यगर्भिण्या चिन्तानिश्चयया क्षणम् ।

क्षण प्रमोदानसया दृशाऽस्यास्यमभूप्यत ॥

यहाँ भगवान् शिव का पार्वती विषयक विप्रलम्भ शृङ्गार अभिव्यक्त हुआ है। यह रतिविशेष वाचक वन्दर्प शब्द स्याविभाव का स्वशब्द है। मौत्सुक्य, चिन्ता, हर्ष आदि सञ्चारिभाव स्वशब्द वाच्य हैं। स्वेद रोमाञ्च आदि सात्त्विक अनुभाव स्वशब्दवाच्य हैं। ‘भावयत’ और ‘पार्वतीगुण’ पदों से विभाव निदिष्ट है। अपाङ्ग आदि का अभिनय निदिष्ट है। इस प्रकार पाञ्च प्रकार से शृङ्गार रस अभिव्यक्त हुआ है।

परन्तु गुन्तक ने ‘व्यक्तिविवेक’ में उद्भूट के इस मत का, रस आदि की स्वशब्द वाच्यता का प्रबल शब्दों में खण्डन किया है और कहा है कि रस आदि कभी भी स्वशब्द वाच्य नहीं हो सकते। ‘वाच्यप्रकाश’ के रचयिता मम्मट ने तथा उत्तरवर्ती आचार्यों ने रस आदि की निष्पत्ति में स्वशब्दवाच्य को दोष माना है—

व्यभिचारिरसस्याभिवाना शब्दवाच्यता ॥ वाच्यप्रकाश ७ ६० ॥

क्योकि उद्भूत का यह कथन ध्वनिवादियों के मत के सर्वथा विपरीत जाता है। अतः यह सम्भव है कि ध्वनिकार यहाँ उद्भूत के मत का खण्डन करने के लिये ही यह कहा है कि रस आदि कभी भी स्वशब्द से अभिधेय नहीं होते।

विशिष्टविभावादिप्रतिपादनमुखेन—विशिष्ट विभावादिभिः प्रतिपादनमुखेन। सभी आलोचक यह स्वीकार करते हैं कि रस की प्रतीति विभाव आदि द्वारा होनी है। इस सम्बन्ध में पहला सूत्र भरतमुनि का है—

‘विभावानुभावव्यभिचारिसयोगाद् रसनिष्पत्तिः’।

विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से इसकी निष्पत्ति होती है।

इस सूत्र को और भी अधिक स्पष्ट करते हुये मम्मट ने लिखा है -

कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च।

रत्यादे स्यायिनो लोके तानि चेन्नाट्यभाव्यो ॥

विभावा अनुभावास्तत् कथ्यन्ते व्यभिचारिणः।

व्यक्तं स तद्विभावार्थं स्यायीभावो रस स्मृतः ॥

लोक में रति आदि स्थायी भावों के जो कारण, कार्य और सहकारी भाव हैं, उनको नाट्य और काव्य में क्रमशः विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव कहा जाता है। इन विभाव आदियों से व्यक्त स्थायी भाव रस कहलाता है।

शृङ्गारविशब्दभाजि—शृङ्गारादीन् शब्दमात्रान् भजने इति तस्मिन्। काव्य और नाटक में शृङ्गार आदि नौ रस कहे गये हैं—

शृङ्गारहास्यवर्णरौद्रवीरभयानका।

वीरत्साद्गुणशान्ताश्च नाट्ये नव रसाः स्मृताः ॥

अभिनवगुप्त, मम्मट आदि नाट्य में रस मानते हैं तथा शान्त रस को नाट्य से भिन्न काव्यों का रस स्वीकार करते हैं।

याच्येन त्वस्य सहेव प्रतीतिरप्रोदसंविष्यते—अभिधामूल ध्वनि दो प्रकार की वही गई है—सलक्ष्यव्यङ्ग्यत्रय और असलक्ष्यत्रयव्यङ्ग्य। इनमें पहली ध्वनि के अन्तर्गत वस्तुध्वनि एवं अलङ्कारध्वनि और दूसरी ध्वनि के अन्तर्गत रसादि ध्वनि है। व्यङ्ग्य अर्थ वाच्य अर्थ से आश्रित होता है अतः दोनों में त्रय है। वाच्य अर्थ पहले तथा व्यङ्ग्य अर्थ बाद में प्रतीत होता है। सलक्ष्यव्यङ्ग्य त्रय ध्वनि में वाच्य और व्यङ्ग्य का यह त्रय लक्षित हो जाता है। परन्तु असलक्ष्यत्रयव्यङ्ग्य त्रय यह त्रय लक्षित नहीं होता। व्यङ्ग्य अर्थ वाच्य अर्थ के साथ ही निष्पन्न होता हुआ प्रतीत होता है। ‘सहेव’ की धारणा अभिनवगुप्त ने इस प्रकार की है—

सहेवेति। इव शब्देन विद्यमानोऽपि ब्रह्मो न सलक्ष्यते इति तद्दर्शयतिप्रथम इति। द्वितीयोद्योते।

ध्वनिवार ने दूमरे उद्योत में कहा है—

रमभाषतदाभासत प्रशान्त्यादिरत्रम।

ध्वनेरात्माऽङ्गभावेन भाममानो ध्यवस्थितः ॥२-३॥

काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा ।

कौञ्चद्वन्द्ववियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः ॥५॥

विविध वाच्यवाचकरचनाप्रपञ्चचारुणः काव्यस्य स एवार्थः सार-
भूतः । तथा चादिकवेर्बाल्मीकेर्निहतसहचरीविरहकातरकौञ्चाकन्दजनितः
शोक एव श्लोकतया परिणतः ।

रसादिरर्थो हि सहेव वाच्येनावभासते । स चाङ्गित्वेनावभासमानो ध्वनेरात्मा ।

इस तथ्य को मम्मट ने इस प्रकार कहा है—न खलु विभावानुभावव्यभिचारिण
एव रस, अपि तु रसस्तीरित्यस्ति श्रम, स तु साधवान्न लक्ष्यते । काव्यप्रकाश द्वितीय
उल्लास ॥४॥

अन्वय—काव्यस्य आत्मा स एव अर्थः । तथा च आदिकवेः कौञ्चद्वन्द्व-
वियोगोत्थः श्लोक श्लोकत्वम् आगतः ।

हिन्दी अर्थ—काव्य का आत्मा वह ही प्रतीयमान अर्थ है । जैसा कि प्राचीन
काल में आदि कवि बाल्मीकि का कौञ्च युगल के वियोग से उत्पन्न शोक (करण रस
का स्यायो माय) श्लोक (काव्य) के रूप में परिणत हो गया था ॥५॥

अनेक प्रकार के वाच्य अर्थ, वाचक शब्द और रचना के प्रपञ्च से सुन्दर काव्य
का सारभूत तत्त्व वह प्रतीयमान अर्थ ही है । जैसे कि—मारो गई सहचरी के वियोग
से विह्वल कौञ्चपक्षी के करुण रदन से उत्पन्न आदि कवि बाल्मीकि का शोक श्लोक के
रूप में परिणत हो गया था ।

काव्यस्यात्मा स एवार्थः—वह ध्वनि ही काव्य की आत्मा है । स एव इस पद
से स्पष्ट है कि ध्वनिकार ने तीन प्रकार की ध्वनियों में रसध्वनि को ही सबसे श्रेष्ठ
सारभूत काव्य की आत्मा स्वीकार किया है ।

शोकः श्लोकत्वमागतः—इस पद के द्वारा ध्वनिकार ने रसध्वनि के उदाहरण
के रूप में आदि कवि की रचना 'रामायण' को प्रस्तुत किया है । इससे यह भी प्रकट
होता है कि ध्वनिकार सभी रसों में करुण रस को सबसे श्रेष्ठ मानते थे तथा उनके
अनुसार रामायण करुणरसप्रधान काव्य है । उन्होंने लिखा है—

“रामायणे हि करुणो रसः स्वयमादिबिना मूर्च्छित—“शोक श्लोकत्वमागत”
इत्येवंवादिना । निर्व्यूढश्च स एव सीमात्यन्तवियोगपर्यन्तमेव स्वप्रबन्धमुपरचयता ।”
चतुर्थ उद्योत ॥

इस शोक के सम्बन्ध में अभिनवगुप्त का कथन है कि यह शोक मुनि का नहीं
समझना चाहिये, क्योंकि इस प्रकार पक्षी के दुःख से सन्तप्त होने पर मुनि द्वारा
श्लोक-रचना अस्वाभाविक प्रतीत होती है । इससे रस की आत्मता की अवस्था भी
नहीं हो सकेगी । इसकी प्रकिया इस प्रकार होगी—शोक ऋषि द्वारा आस्त्राजमान
होकर अलौकिक हो गया और ऋषि ने उसको चित्तद्रुति के द्वारा करुण रस की स्थिति
में अनुभव किया, जो सर्वथा ध्यानन्दमयता की स्थिति है । इसके अनन्तर वह करुण रस
छन्दोमयी वाणी में प्रकट हुआ ।

भा निपाद प्रतिष्ठा स्वसगम. शाश्वतीः समाः ।

यत्क्रौञ्चमियुनादेकमवधोः काममोहितम् ॥

शोको हि कर्णरसस्थायिभाव. । प्रतीयमानस्य चान्यभेददर्शनेऽपि
रसभावमुखेनैवोपलक्षण प्राधान्यात् ॥५॥

विविधवाच्यवाचकरचनाप्रपञ्चचारुण—विविधाना वाच्याना वाचकाना रच-
नाना च प्रपञ्चेन चारुण । इस पद से ध्वनिकार यह सूचित करना चाहते हैं कि काव्य
में प्रतीयमान अर्थ के सारभूत होने पर उसमें अर्थलिकारो, शब्दालिकारो और सपटना
का भी सौन्दर्य होना चाहिये । इनसे विभूषित रस और भी अधिक आह्लादक
होता है ।

निहतसहचरीविरहकातरक्रौञ्चाक्रन्दजनित —निहता या सहचरी तस्या विरहेण
कातरस्य क्रौञ्चस्य आक्रन्देन जनित ।

हिन्दो अर्थ—हे बहेलिये ! तू अनन्त काल तक कमी प्रतिष्ठा को प्राप्त मत
हो, क्योंकि तूने क्रौञ्च पक्षियों के जोड़े में से एक क्रौञ्च को, जो कि काम से मोहित
था, मार डाला है ।

कहण रस का स्थायी भाव शोक है । यद्यपि प्रतीयमान अर्थ के अन्य भी अनेक
भेद (वस्तु और शलकार) दिखाये गये हैं, तथापि रसभाव द्वारा यहाँ जो उपलक्षण
किया गया है, वह रसध्वनि के सबसे प्रधान होने के कारण किया गया है ।

आनन्दवर्धन ने यहाँ क्रौञ्चवध की जिस घटना के द्वारा रामायण काव्य के
उद्भव का संकेत किया है, वह घटना इस काव्य के प्रारम्भ में है । ध्वनिकारकृत
क्रौञ्चवध की घटना की व्याख्या "निहतसहचरीविरहकातरक्रौञ्चाक्रन्दजनित" से यह
प्रतीत होता है कि निपाद ने मादा क्रौञ्ची पक्षी का वध किया था और उसके
विरह में क्रौञ्च पक्षी रदन कर रहा था । अभिनवगुप्त की टीका "क्रौञ्चस्य द्वन्द्व-
वियोगेन सहचरीहननोद्भूतेन०" से भी मादा पक्षी के वध की सूचना मिलती है ।
इसके साथ ही राजशेखर की 'वाच्यामीमासा' में "निपादनिहतसहचरीक क्रौञ्चयुवानम्"
पद के द्वारा क्रौञ्ची के वध का उल्लेख किया गया है ।

क्रौञ्ची के वध का यह उल्लेख 'वाल्मीकि रामायण' के विरुद्ध है, क्योंकि उसमें
नर क्रौञ्च पक्षी के वध का वर्णन है तथा उसके विरह में मादा क्रौञ्ची रदन करती
है । क्रौञ्च का यह वध अगले श्लोक से और भी स्पष्ट हो गया है—

त शोणितपरीताङ्ग चेष्टमान महीतले ।

हृष्ट्वा क्रौञ्ची दरोदार्ता वरण से परिभ्रमा ॥

इस समस्या का रामायण विभिन्न विद्वानों ने इस प्रकार किया है—

(१) 'रामायण' से विरोध होने पर भी ध्वनिकार का पाठ ही ठीक है । 'ध्वया-
नोर' ध्वनिप्रधान अर्थ है, अतः इसमें रामायण की वया की भावना अभिव्यक्त की गई
है । क्रौञ्चयुवक से राम और नीता का युगत ध्वनि होना है, निपाद पद में राम

सरस्वती स्वादुतर्ध्वस्तु निःश्वन्दमाना महतां कवीनाम् ।
अलोकसामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम् ॥६॥

ध्वनित होता है। निपाद द्वारा क्रीञ्ची के वध से रावण द्वारा सीता का हरण घोषित होता है तथा विरहकातर क्रीञ्च के रदन से विरहकातर राम का रदन ध्वनित होता है।

(२) दीधितिकार ने ध्वनिकार एक लोचनकार के पाठों को ही परिवर्तित कर दिया है। उनका पाठ है—“निहतसहचरविरहक्रीञ्च्यात्रन्दजनित ।”

(३) कुक्ष विद्वानो ने मूल में परिवर्तन न करके ध्वनिकार के पद की व्याख्या इस प्रकार की है—“निहत सहचरीविरहकातर च य क्रीञ्च, तदुद्देश्यक क्रीञ्ची-कृतं य आत्रन्द तज्जनित शोक ।” इस व्याख्या में क्रीञ्च के दो विशेषण—“निहत और सहचरीविरहकातर” हो गये हैं। इस व्याख्या से रामायण के विरोध का परिहार भी हो जाता है तथा मूल पाठ में परिवर्तन भी नहीं करना पड़ता।

प्रतीयमानस्य*प्राधान्यात्—प्रतीयमान अर्थ के दो अन्य भेद वस्तु और अलङ्कार हैं तो, परन्तु ध्वनिकार काव्य में रस-भाव आदि को ही प्रधान मानते हैं। यहाँ रसभाव पद से रसाभास, भावाभास आदि भी ग्रहण किये जाते हैं। आलंकारिकों द्वारा प्राचीन काल से ही रस को काव्य में सबसे अधिक महत्त्व दिया जाता रहा है। इसकी पुष्टि ध्वनिकार ने चतुर्थ उद्योत में पुनः की है—

व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावेऽस्मिन् विविधे सम्भवत्यपि ।

रसादिमय एकस्मिन् कवि स्यादवधानवान् ॥४५॥

वे कहते हैं कि कवियों का रस आदि के अतिरिक्त अन्य में तात्पर्य नहीं होता—
“यत् परिपाकवता कवीना रसादितात्पर्यविरहे व्यापार एव न शोभते ।”

भरत नाट्यशास्त्र की ६४२ कारिका की व्याख्या में अभिनवगुप्त ने रस को ही सब भावों का मूल कहा है—

यया धीजाद् भवेद् वृक्षो वृक्षात् पुष्प फल तथा ।

तथा मूल रसा सर्वे तेभ्यो भावा व्यवस्थिता ॥५॥

अन्वय—स्वादु तर्ध्वस्तु निःश्वन्दमाना महता कवीना सरस्वती अलोक-सामान्य परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम् अभिव्यनक्ति ।

हिन्दी अर्थ—आस्वादमय रसभाव रूप उस अर्थरूप तत्त्व को प्रवाहित करने वाली महाकवियों की वाणी अलौकिक और परिस्फुरित होती हुई प्रतिभा के विशेष को अभिव्यक्त करती है ॥६॥

अर्थवस्तु—लोचनकार के अनुसार यहाँ वस्तु शब्द अर्थ की व्याख्या करता है और तत्त्व शब्द अर्थ की व्याख्या है। भाव यह है वस्तु, अलङ्कार और रसमय अर्थों में जो तत्त्व रूप है।

परिस्फुरन्तम् अभिव्यनक्ति—इसका भाव अभिनवगुप्त ने इस प्रकार स्पष्ट

तद्वस्तुत्त्वं निप्यन्दमाना महता कवीना भङ्गुती अलोलुप्तामन्य प्रतिभाविशेष परिस्फुरन्तमभिव्यनक्ति । येनास्मिन्नतिविचित्रकविपरम्परा-चाहिनि ससारे फालिदासप्रभृतयो द्वित्रा. पञ्चपा वा महाकवय इति गण्यन्ते ॥६॥

किया है—सहृदयो में वह प्रतिभा अनुमीयमान नहीं होती, अपितु उसके आवेश से भासित होती है। अर्थात् नायक, कवि और श्रोता सभी को उसका समान रूप से अनुभव होना है।

प्रतिभाविशेषम्—अभिनव गुप्त ने प्रतिभा की व्याख्या इस प्रकार की है—

“प्रतिभा अप्रयवस्तुनिर्माणशमा प्रज्ञा, तस्या विशेषो रसानेशर्वशद्यसौन्दर्य सौन्दर्य काव्यनिर्माणशमत्वम्” ।

अपूर्व वस्तु के निर्माण में समर्थ प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं। उसका विशेष है— रस के आवेश से उत्पन्न विशदता से युक्त सौन्दर्य रूप काव्य के निर्माण की क्षमता।

प्रतिभा का लक्षण किया गया है—“प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा विदुः” ।

यामन ने प्रज्ञा और प्रतिभा में इस प्रकार विभेद किया है—

द्वे ब्रह्मणी गिरा देव्या शास्त्र च कविकर्म च ।

प्रज्ञोपज्ञ तयाराद्य प्रतिभोद्भवमन्तिमम् ॥

इस प्रकार उसके अनुसार प्रज्ञा से शास्त्रों की रचना होती है और प्रतिभा से काव्य की।

भट्टटील ने इस सम्बन्ध में स्मृति, मति, बुद्धि, प्रज्ञा और प्रतिभा के लक्षण परके उनमें भेद बताकर प्रतिभा को काव्य का हेतु कहा है—

स्मृतिव्यंतीतविषया मतिरागामिगोचरा ।

बुद्धिस्तात्त्वानिक्ती श्रोक्ता प्रज्ञा वैवातिक्ती मता ॥

प्रज्ञा न नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता ।

सदनुप्राणनाग्जीवद्वर्णनानिपुण कवि ॥

तस्य कम स्मृत काव्यम् . . . ॥

भूतबान का स्मरण कराने वाली स्मृति है, भविष्य का बोध मति से होता है। तत्त्वान् ज्ञान बुद्धि से होता है और प्रज्ञा से चीनों का बोध होना है। नव नव ज्ञान को उन्मेषित करने वाली प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं। उस प्रतिभा से अनुप्राणित होकर वर्णन करने में निपुण व्यक्त कवि होता है तथा उस कवि का कार्य काव्य कहलाता है।

हिन्दो धर्म—उक्त वस्तुत्त्वं को प्रमाहित करने वाली महान् कवियों की शक्ति परिस्फुरित होते हुए प्रतिभा के विशेष को अभिव्यक्त करती है। जिससे कारण इस प्रतिभाविचित्र कवियों को परम्परा को चलाने वाले ससारे में वातिदान प्रादि शो-सीन या पाञ्च, ए: हो महाकवि गिने जाते हैं ॥६॥

इदं चापरं प्रतीयमानस्यार्थस्य सद्भावसाधनं प्रमाणम्—

शब्दार्थशासनज्ञानमात्रेणैव न वेद्यते ।

वेद्यते स तु काव्यार्थतत्त्वज्ञं रेव केवलम् ॥७॥

सोऽर्थो यस्मात् केवलं काव्यार्थतत्त्वज्ञं रेव ज्ञायते । यदि च वाच्यरूप एवासावर्थः स्यात्, तद् वाच्यवाचकस्वरूपपरिज्ञानादेव तत्प्रतीतिः स्यात् । अथ च वाच्यवाचकलक्षणमात्रकृतश्रमाणां काव्यतत्त्वार्थभायनाविमुखानां स्वरश्रुत्यादिलक्षणमिवाप्रगीतानां गान्धर्वलक्षणबिबामगोचर एवासावर्थः ॥७॥

कालिदासप्रभृतयो.....गण्यन्ते—कालिदास की महुकवि रूप में प्रशंसा प्राप्त सभी समालोचकों और कवियों ने की है और उनका उल्लेख बहुत आदर से किया है । समालोचकों का कथन है कि कालिदास के समान दूसरा कवि आज तक नहीं हुआ है । इस सम्बन्ध में एक सूक्ति है—

पुरा कवीना गणनाप्रसङ्गे वनिष्ठिकाऽधिष्ठितकालिदासा ।

अद्यापि तत्तुल्यवचरभावादनामिका सायंवती बभूव ॥

द्वित्राः पञ्चपाः—द्वयो वा त्रयो वा द्वित्रा । पञ्च वा षड् वा पञ्चपाः । यहाँ "सख्ययाऽव्ययासन्नाद्राधिकसंख्या सख्येये" (पा० २ २ २५) से बहुव्रीहि समास होकर "बहुव्रीही सख्येये डज्वहुगणात्" (पा० ५ ४ ७३) सूत्र से डच् प्रत्यय हुआ ॥६॥

हिन्दी अर्थ—प्रतीयमान अर्थ की सत्ता को सिद्ध करने वाला यह दूसरा और प्रमाण है—

अन्वय—स शब्दार्थशासनज्ञानमात्रेण एव न वेद्यते, तु केवलं काव्यार्थ-तत्त्वज्ञः एव वेद्यते ।

हिन्दी अर्थ—वह प्रतीयमान अर्थ केवलमात्र शब्दशास्त्र (व्याकरण) भाषा और अर्थशास्त्र (कोश आदि) के जानने से ही विदित नहीं होता, अपितु केवल काव्य के अर्थ के तत्त्व को जानने वालों को ही विदित होता है ॥७॥

क्योंकि इस प्रतीयमान अर्थ को केवल काव्य के अर्थ के तत्त्व को जानने वाले ही जान सकते हैं । यदि वह अर्थ वाच्य रूप ही होता, तो वाच्य और वाचक के स्वरूप के ज्ञान से ही उसकी प्रतीति हो जाती । और नही, केवलमात्र वाच्य (अर्थ) एवं वाचक (शब्द) के लक्षण को जानने में ही परिश्रम करने वाले तथा काव्य के तत्त्व रूप प्रतीयमान अर्थ की भावना से विमुख रहने वाले व्यक्तियों को वह प्रतीयमान अर्थ उसी प्रकार अविदित रहता है, जिसप्रकार उत्कृष्ट गाने का अभ्यास न करने वाले एवं सङ्गीतशास्त्र (गान्धर्वशास्त्र) के लक्षणों का अध्ययन न करने वाले व्यक्तियों को स्वर, ध्रुति आदि के लक्षण (रहस्य) अविदित रहते हैं ।

अप्रगीतानाम्—उत्कृष्ट गीत गाने वाला प्रगीता । न प्रगीता अप्रगीता । तेषाम् । जिनका गाना उत्कृष्ट नहीं है ।

कुछ सस्करणो मे 'प्रगीतानाम्' पाठ है। इसको व्युत्पत्ति इस प्रकार होगी-
गानु प्रारब्धा प्रगीता । जिन्होंने अभी गाना प्रारम्भ ही किया है। यहाँ "भादि
मेंणि क्त कर्तरि च" (पा० ३४७१) सूत्र से क्त प्रत्यय हुआ।

स्वरश्रुत्यादिलक्षणम्—स्वर और श्रुति गान्धर्वशास्त्र के पारिभाषिक श
हैं। स्वर की व्युत्पत्ति है—'स्वत सहकारिकारणनिरपेक्ष रञ्जयति श्रोतुश्चित्त
अनुरक्तं वरोतीति स्वर ।' जो अन्य सहकारी कारण की अपेक्षा किये बिना
श्रोताओ के मन को अनुरञ्जित करता है, वह स्वर है।

स्वरो की सख्या सात गिनार्द गई है—“स्वरा षड्जादय सप्त ।” भरत ने
सात स्वर इस प्रकार कहे हैं—

षड्जश्च ऋषभश्चैव गान्धारो मध्यमस्तथा ।

पञ्चमो धैवतश्चैव निषाद सप्त ते स्वरा ॥

'सगीतरत्नाकर' के अनुसार इन सात स्वरो का अभ्यास तथा उच्चारण 'स
ग म प ध नी' इस प्रकार से किया जाता है।

स्वर के प्रथम अक्षर को श्रुति कहते हैं। अभिनवगुप्त ने इसकी व्याख्या इस
प्रकार की है—

“श्रुतिर्नाम शब्दस्य विलक्षण्यमात्रकारि यद्द्रूपान्तर तत्परिमाणास्वरतदन्तर
लोभयभेदकल्पिता द्वाविंशतिधा” शब्द का जो विलक्षणतामात्र उत्पन्न करने का
रूपान्तर है, उसके परिमाण की श्रुति होती है। वह स्वर, स्वर के अन्तराल और
उभयभेद से २२ प्रकार की होती है। स्वर और श्रुति के लक्षण के सम्बन्ध में 'सङ्ग
तरत्नाकर' में इस प्रकार कहा गया है—

प्रथमश्रवणाच्छन्द श्रूयते ह्रस्वमात्रकः ।

स श्रुति सम्परिज्ञेया स्वरात्रयबलक्षणा ॥

श्रुत्यन्तरभावी य स्निग्धो नुरणनात्मकः ।

स्वतो रञ्जयति श्रोतुश्चित्त स स्वर उच्यते ॥

श्रुतिभ्य स्यु स्वरा षड्जर्यभगान्धारमध्यमा ।

पञ्चमो धैवतश्चाथ निषाद इति सप्त ते ॥

तेषा सज्ञा स रि ग म प ध नीत्यपरामता ।

द्वाविंशति केचिदुदाहरन्ति श्रुती श्रुतिज्ञानविचारदशा ।

षट्पट्टिभिन्ना खलु केचिदाप्तमानन्त्यमेध प्रतिपादयन्ति ॥

स्वरश्रुत्यादि में ऋदि पद से लोचनकार ने गान्धर्वशास्त्र के जात्यशक, ग्राम
राग, भाषा, विभाषा, आन्तरभाषा, देशी, मार्ग आदि पारिभाषिक शब्दों का सवेत
किया है।

काव्यतत्त्वायंभावनाविमुखानाम्—वाच्यस्य तत्त्वभूतोऽर्थस्तस्य भावना वाच्या-
तिरेकेणानवरतचर्वणा तत्र विमुखानाम् । यहाँ भावना का अभिप्राय है—वाच्य के
अतिरिक्त प्रतीयमान अर्थ का निरन्तर भास्वादन करना ॥७॥

एवं वाच्यव्यतिरेकिणो व्यङ्ग्यस्य सद्भाव प्रतिपाद्य प्राधान्य तस्यैवेति दर्शयति—

सोऽर्थस्तद्व्यक्तिसामर्थ्ययोगी शब्दश्च कश्चन ।

यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयौ तौ शब्दार्थौ महाकवे ॥८॥

स व्यङ्ग्योऽर्थस्तद्व्यक्तिसामर्थ्ययोगी शब्दश्च कश्चन न शब्द-
मात्रम् । तावेव शब्दार्थौ महाकवेः प्रत्यभिज्ञेयौ । व्यङ्ग्यव्यञ्जकाम्यामेव
ही सुप्रयुक्ताभ्यां महाकवित्वलाभो महाकवीनाम्, न वाच्यवाचकरचनामा-
त्रेण ॥८॥

हिन्दी अर्थ—इस प्रकार वाच्य से अतिरिक्त व्यङ्ग्य अर्थ के अस्तित्व का प्रतिपादन करके यह प्रदर्शित करते हैं कि वाच्य में प्रधानता भी इस व्यङ्ग्य अर्थ की ही है—

अन्वय—सः अर्थ तद्व्यक्तिमामर्थ्ययोगी च कश्चन शब्द. तौ शब्दार्थौ महाकवेयै प्रत्यभिज्ञेयौ ।

हिन्दी अर्थ—वह प्रतीयमान अर्थ और उस प्रतीयमान अर्थ को अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य से युक्त जो कोई विशेष शब्द है । इन दोनों शब्द और अर्थ को पहचानना चाहिये ॥८॥

वह व्यङ्ग्य अर्थ है और उस व्यङ्ग्य अर्थ को अभिव्यक्त करने में समर्थ कोई विशेष शब्द है, केवल शब्दमात्र नहीं है । उन दोनों ही शब्द और अर्थ को महाकवि को पहचानना चाहिये । उत्तम प्रकार से प्रयुक्त किय गये व्यङ्ग्य अर्थ और व्यञ्जक शब्द से ही महाकवियों को महाकवित्व की प्राप्ति होती है, केवल वाच्य और वाचक की रचनामात्र से नहीं ।

पूर्व वारिका में ध्वनिकार ने अन्तिम रूप से वाच्य से अतिरिक्त प्रतीयमान अर्थ की सत्ता को प्रमाणित किया है । इस वारिका में उनका कथन है कि वाच्य में प्रतीयमान अर्थ ही प्रधान होता है । उस प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति व्यञ्जक शब्द से होती है । अतः महाकवि को चाहिये कि वह व्यञ्जक शब्द और व्यङ्ग्य अर्थ को भली प्रकार पहचान ले । वाच्य में व्यङ्ग्य और व्यञ्जक का सुन्दर प्रयोग करने से ही महाकवि को महाकवित्व की प्राप्ति होती है ।

प्रत्यभिज्ञेयौ—इस प्रसङ्ग में 'प्रत्यभिज्ञेय' पद के प्रयोग पर विशेष ध्यान देना अपेक्षित है । अभिनवगुप्त ने प्रत्यभिज्ञेय पद की जो टीका की है, उसको आधार मानकर इसकी व्याख्या निम्न प्रकार से की जा सकती है—

(१) "प्रत्यभिज्ञेयावित्यर्थाँ कृत्य । सर्वो हि यथा यतते इतीयता प्राधान्ये लोकासिद्धत्व प्रमाणमुक्तम्" । "प्रत्यभिज्ञेय" पद में अर्हं अर्थ में 'कृत्य' प्रत्यय हुआ है । इससे अर्थ बोधित होता है कि सब महाकवियों को व्यङ्ग्य-व्यञ्जक को जानने का यत्न करना चाहिये, क्योंकि इनकी प्रधानता होने पर ही इसको सहृदयों ने सिद्धप्रमाण

कहा है। कवि को सहृदय जन तभी महाकवि कहते हैं, जबकि वह काव्य में व्यङ्ग्य-व्यञ्जक भाव की प्रधानता देकर उनका सुन्दर प्रयोग करता है।

(२) “नियोगार्थेन च कृत्येन शिक्षाक्रम उक्त”। कृत्य प्रत्यय का प्रयोग नियोग अर्थ में भी हो सकता है। इस अवस्था में ‘प्रत्यभिज्ञेय’ पद का अर्थ होगा कि आचार्य कवि को व्यङ्ग्य-व्यञ्जक भाव की शिक्षा देता है तथा कवियों को आचार्य से उसकी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिये। यद्यपि आचार्यों द्वारा यह कहा गया है—

“काव्य तु जातु जायेत वस्यचित्प्रतिभावत”

यद्यपि काव्य कवि के हृदय में स्वयं परिस्फुरित होता है, तथापि शिक्षा प्राप्त करने से यह सहस्र शाखाओं के समान विकसित होता है।

(३) प्रत्यभिज्ञा पद काश्मीर के प्रसिद्ध ‘प्रत्यभिज्ञा दर्शन’ का भी उद्योत है। इसका विशेष प्रतिपादन अभिनवगुप्त के गुरु उत्पलपादाचार्य ने किया था। प्रत्यभिज्ञा का लक्षण है—‘तत्तेदन्तावगाहिनी प्रतीति प्रत्यभिज्ञा। तत्ता अर्थात् तद्देशीय और तत्कालीन एव इदन्ता अर्थात् एतद्देशीय और एतत्कालीन सम्बन्ध का अवगाहन कराने वाली प्रतीति प्रत्यभिज्ञा है। जैसे—‘सोऽयं देवदत्त’ पद में ‘स’ पद तत्ता और ‘अयम्’ पद इदन्ता के बोधक हैं। देवदत्त में इन दोनों के बोधन से यह प्रतीति प्रत्यभिज्ञा है। दार्शनिकों ने इस प्रत्यभिज्ञा का प्रयोग परब्रह्म के साक्षात्कार में किया है और इसके अनुसार ‘सोऽहम्’ एव “तत्त्वमसि” आदि पदों की व्याख्या की है। परब्रह्म के साक्षात्कार के लिये ‘प्रत्यभिज्ञा’ के प्रयोग के सम्बन्ध में उत्पलाचार्य का कथन है—

तैस्तैरप्युपमाचितैरुपनतस्तन्व्या स्थितोऽप्यन्तिके
कान्तो लोवसमान एवमपरिज्ञातो न रन्तु यथा ।
लोकस्यैष तथानवेक्षितगुण स्वान्मापि विश्वेश्वरो
नैवाल निजवैभवाय तदिय तत्प्रत्यभिज्ञोदिता ॥

जिस प्रकार से कोई रमणी अनेक प्रकार की प्रार्थनाओं से समीप आये हुये और पास में स्थित होते हुये भी पति को पति के रूप में नहीं पहचान पाने और अन्य पुरुषों के समान समझने के कारण रमण का मुख प्राप्त नहीं कर पाती, उसी प्रकार ससार के अपने आत्मभूतविश्वेश्वर परमात्मा का भी हम तब तक आनन्दानुभव नहीं कर सकते, जब तक कि उसको पहचान न लें। तो उस परमात्मा की पहचान के लिये यह प्रत्यभिज्ञा दर्शन कहा गया है।

इस प्रकार इस प्रसङ्ग में ध्वनिकार ने यह कहा है कि व्यङ्ग्य-व्यञ्जक की प्रत्यभिज्ञा से महाकवि पद प्राप्त होता है ॥८॥

इदानीं व्यङ्ग्यव्यञ्जकयोः प्राधान्येऽपि यद् वाच्यवाचकादेय प्रथम-
मुपाददते कवयस्तदापि युक्तमेतेत्याह—

आलोकार्थी यथा दीपशिखायां यत्नवान् जनः ।

तदुपायतया तद्वदर्थं वाच्ये तदादृत ॥६॥

यथा आलोकार्थी सन्नपि दीपशिखायां यत्नवान् जनो भवति,
तदुपायतया । नहि दीपशिखामन्तरेण आलोकः सम्भवति । तद्वद् व्यङ्ग्य-
मर्थं प्रत्यादृतो जनो वाच्येऽर्थं यत्नवान् भवति । अनेन प्रतिपादकस्य कवेर्व्यं-
ङ्ग्यमर्थं प्रति व्यापारो दर्शितः ॥६॥

हिन्दी अर्थ—अब इस स्थिति में व्यङ्ग्य और व्यञ्जक के काव्य में प्रधान होने पर भी जो कविगण वाच्य और वाचक का ग्रहण पहले करते हैं, वह भी ठीक है, क्योंकि यह कहा गया है—

अन्वय—आलोकार्थी जन यथा तदुपायतया दीपशिखाया यत्नवान्,
तद्वत् तदादृत वाच्ये अर्थे ।

हिन्दी अर्थ—प्रकाश को चाहने वाला व्यक्ति, जिस प्रकार उसका उपाय होने के कारण दीपक की शिखा के लिये प्रयत्न करता है उसी प्रकार उस प्रतीयमान अर्थ के प्रति आदर से युक्त कवि उसका उपाय होने के कारण, वाच्य अर्थ का उपादान करने के प्रति आदरवान् होता है ॥६॥

जिस प्रकार प्रकाश को इच्छा करता हुआ भी व्यक्ति दीपक की शिखा के लिये प्रयत्न करता है, क्योंकि प्रकाश का उपाय दीपक की शिखा से है । दीपक की शिखा के बिना प्रकाश का होना सम्भव नहीं है । उसी प्रकार से व्यङ्ग्य अर्थ के प्रति आदर से युक्त होता हुआ भी व्यक्ति वाच्य अर्थ के लिये प्रयत्न करता है । इसके द्वारा प्रतिपादक कवि का व्यङ्ग्य अर्थ के प्रति व्यापार दिखाया है ।

इस प्रसङ्ग में यह शङ्का हो सकती है—जिसका प्रथम कथन किया जाता है, वह प्रधान होता है और जिसका कथन बाद में किया जाता है, वह अप्रधान है । यहाँ वाच्य का प्रथम कथन करने से उसने प्राधान्य की आशंका उत्पन्न हो सकती है । उसी प्रश्न का उत्तर इस कारिका में ध्वनिवार ने दिया है—यद्यपि व्यङ्ग्यव्यञ्जक भाव काव्य में प्रधान होता है, तथापि उमका बोध क्योंकि वाच्य-वाचक भाव से होता है अतः कविजन उपाय के रूप में वाच्य-वाचक भाव का उपादान पहले करते हैं । यह स्वाभाविक नियम है कि उपाय और उपेय में उपेय प्रधान है । परन्तु उपाय के बिना उपेय की प्राप्ति नहीं हो सकती, अतः उपाय को पहले प्रस्तुत करना पड़ता है ।

इसकी पुष्टि ध्वनिवार ने आनोक और दीपशिखा के उदाहरण में की है । जिस प्रकार आलोक (प्रकाश) की उपनधि दीपशिखा के बिना नहीं हो सकती, अतः आलोक को प्राप्त करने के लिये पहले दीपशिखा को प्राप्त करना पड़ता है, उसी प्रकार व्यङ्ग्य-व्यञ्जक की उपनधि वाच्य-वाचक भाव से होती है । इस कारण काव्य में

प्रतिपाद्यस्यापि त दर्शयितुमाह—

यथा पदार्थद्वारेण वाक्यार्थः सम्प्रतीयते ।

वाच्यार्थपूर्विका तद्वत् प्रतिपत्तस्य वस्तुनः ॥१०॥

यथा हि पदार्थद्वारेण वाक्यार्थविगमस्तथा वाच्यार्थप्रतीतिपूर्विका
व्यङ्ग्यार्थस्य प्रतीतिः ॥१०॥

कवि वाच्य-वाचक भाव का उपादान पहले करता है । 'आलोक' पद की व्याख्या अभिनवगुप्त ने इस प्रकार की है—

“आलोक आलोकनम् । वनितावदनारविन्दादिविलोकनमित्यर्थ । तत्र चोपायो दीपशिखा ।” देखना ही आलोक है । अर्थात् वनिता के मुखरूपी कमल आदि का देखना और उसके लिये उपाय दीपशिखा है । इसका भाव यह है अंधेरे में अपनी प्रेमिका के मुन्दर मुख कमल को देखने के लिये कोई व्यक्ति पहले दीपक की शिखा प्रज्वलित करता है । उस समय यद्यपि प्रेमिका के मुख का देखना ही प्रमुख है, दीपक की शिखा अग्रधान है, तथापि उपाय होने से दीपक की शिखा का उपादान पहले करना पड़ता है, उसी प्रकार वाच्यवाचकभाव के अग्रधान तथा व्यङ्ग्यव्यञ्जकभाव के प्रधान होने पर भी वाच्यवाचक का उपादान इस कारण पहले किया जाता है, क्योंकि उसके द्वारा ही व्यङ्ग्यव्यञ्जकभाव की प्रतीति हो सकती है ।

इस प्रकार इस कारिका द्वारा ध्वनिकार ने यह प्रदर्शित कर दिया है कि कवि की दृष्टि में व्यङ्ग्य अर्थ का महत्व सदा ही वाच्य अर्थ के प्रति अधिक होता है ।

आहत—आदरवान् । यहाँ ‘कर्तृकर्मणो क्तः’ नियम से क्त प्रत्यय है ।

“आहतौ सादराचितौ” इत्यमर ॥६॥

हिन्दी अर्थ—प्रतिपाद्य (वाच्यार्थ) के भी उस व्यापार को प्रदर्शित करने के लिये कहते हैं—

अग्वय—यथा पदार्थद्वारेण वाक्यार्थः सम्प्रतीयते, तद्वत् तस्य वस्तुनः
प्रतिपत्त्वाच्यार्थपूर्विका ।

हिन्दी अर्थ—जिस प्रकार पदों के अर्थों के द्वारा वाक्य के अर्थ की प्रतीति होती है, उसी प्रकार उस प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति वाच्य अर्थ के ज्ञानपूर्वक होती है ॥१०॥

इस प्रसङ्ग में आनन्दवर्धन यह प्रतिपादित करना चाहते हैं कि यद्यपि वाच्य अर्थ की प्रतीति पहले और व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति बाद में होती है, इतने प्रकार उनमें क्रम है, तथापि सहृदय द्वारा वाच्य अर्थ के तुरन्त बाद व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति में वह क्रम बोधित नहीं होता । इस तथ्य को उन्होंने पदार्थ और वाक्यार्थ के उदाहरण से स्पष्ट किया है । इसकी व्याख्या अभिनवगुप्त ने इस प्रकार की है—

“अनेन श्लोकेन अत्यन्तसहृदयो यो न भवति तस्यैप स्फुटसंवेद्य एव क्रमः । यथाऽत्यन्तशब्दवृत्तशो यो न भवति तस्य पदार्थवाक्यार्थक्रमः । वाष्ठाप्राप्तसहृदयभावस्य

इदानीं वाच्यार्थप्रतीतिपूर्वकत्वेऽपि तत्प्रतीति, व्यङ्ग्यस्यास्य प्राधान्यं यथा न विलुप्येत तथा दर्शयति—

स्वसामर्थ्यदर्शनेनैव वाक्यार्थं प्रथयन्नपि ।

यथा व्यापारनिष्पत्ती पदार्थो न विभाव्यते ॥११॥

यथा स्वसामर्थ्यदर्शनेनैव वाक्यार्थं प्रथयन्नपि पदार्थो व्यापारनिष्पत्ती न भाव्यते विभक्ततया ॥११॥

तद्वत् सचेतसां सोऽर्थो वाच्यार्थविमुखात्मनाम् ।

बुद्धौ तत्त्वार्थदर्शिन्या भटित्येवावभास्ते ॥१२॥

तु वाक्यवृत्तबुशलस्येव सन्नपि त्रमोऽभ्यस्तानुमानाविनाभावस्मृत्यादिवदसवेच इति दर्शितम्” ।

भाव यह है कि सहृदय व्यक्ति को वाच्य और व्यङ्ग्य अर्थ में क्रम होते हुये भी लक्षित नहीं होता । जिस प्रकार, जो पदों के अर्थों को अच्छी प्रकार से नहीं जानता है, वह पहले पदों का अर्थ करके बाद में वाक्य का अर्थ करता है, और उसने लिये पदार्थ और वाक्यार्थ में क्रम लक्षित होता है, परन्तु जो पदों के अर्थों के ज्ञान में कुशल है, उसने लिये पदार्थ और वाक्यार्थ में क्रम होते हुये भी यह क्रम लक्षित नहीं होता, उसी प्रकार, जो सहृदय है, उनके लिये वाच्य और व्यङ्ग्य की प्रतीति में क्रम होते हुये भी यह क्रम लक्षित नहीं होगा, तथा उनके लिये यह वाक्य अत्रम है । परन्तु जो सहृदय नहीं है, उनको वाच्य और व्यङ्ग्य की प्रतीति में क्रम लक्षित होता है ॥१०॥

हिन्दी अर्थ—उस प्रतीयमान अर्थ के वाच्यार्थपूर्वक प्रतीति होने पर भी वहाँ व्यङ्ग्य अर्थ की प्रधानता लुप्त न होवे उसको दिखाने हैं—

अन्वय—यथा पदार्थं स्वव्यापारवशेन एव वाक्यार्थं प्रथयन् अर्थि व्यापारनिष्पत्ती न विभाव्यते ॥११॥

हिन्दी अर्थ—जिस प्रकार पदों का अर्थ अपने व्यापार द्वारा ही वाक्य के अर्थ को प्रकट करता हुआ भी व्यापार के निष्पन्न हो जाने पर इन से अलग प्रतीति नहीं होता है ॥११॥

जिस प्रकार पदों का अर्थ अपने सामर्थ्य (आकांक्षा, योग्यता, तन्निधि) द्वारा ही वाक्य के अर्थ को प्रकट करता हुआ भी व्यापार के निष्पन्न हो जाने पर पृथक् रूप से प्रतीति नहीं होता ॥११॥

अन्वय—तद्वत् स अर्थं वाच्यार्थविमुखात्मना सचेतना तत्त्वार्थदर्शिन्या बुद्धौ भटिति एव अवभास्ते ॥१२॥

हिन्दी अर्थ—उसी प्रकार वह प्रतीयमान अर्थ वाच्य अर्थ से विमुख रहने वाले सहृदयों की तत्त्वार्थ का दर्शन करने में समर्थ बुद्धि में तुरन्त ही प्रकाशित हो जाता है ॥१२॥

एवं वाच्यव्यतिरेकिणो व्यङ्ग्यार्थस्य सद्भावं प्रतिपाद्य प्रकृत
उपयोजयन्नाह—

यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृत स्वाथो ।

व्यङ्ग्यतः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥१३॥

यत्रार्थो वाच्यविशेषः, वाचकविशेष शब्दो वा, तमर्थं व्यङ्ग्यतः,
स काव्यविशेषो ध्वनिरिति ।

प्राधान्य यथा न विलुप्यते—यह सत्य है कि वाच्याय वा कथन पहले होता है और व्यङ्ग्य अर्थ उसका अनुसरण करता है, परन्तु सहृदयो को यह नम अव-
भासित नहीं होता । सहृदयो का हृदय व्यङ्ग्य अर्थ के प्रति रणरणक (उत्सुक)
रहता है और यही उत्सुकता व्यङ्ग्य अर्थ की प्रधानता को प्रतिपादित करती है ।
इसको अभिनवगुप्त इस प्रकार स्पष्ट करते हैं—

“प्राधान्यादेव हि तत्पर्यन्तानुसरणरणकत्वारिता मध्ये विश्रान्ति न कुर्वते इति
क्रमस्य सतोऽप्यलक्षणं प्राधान्ये हेतु ।”

व्यङ्ग्य अर्थ के प्राधान्य के कारण ही उस व्यङ्ग्य अर्थ पर्यन्त अनुसरण करने
के रणरणक (उत्सुकता) से त्वरित होते हुये सहृदय जन बीच में विश्राम नहीं करते ।
इस प्रकार क्रम के होते हुये भी वह लक्षित नहीं होता, यही व्यङ्ग्य अर्थ के प्राधान्य
का हेतु है ।

स्वसामर्थ्यबशेन—स्वसामर्थ्यमाकाङ्क्षायोग्यतासन्निधय । योग्यता, आकाक्षा
और सन्निधि से युक्त पदों का समूह वाक्य कहलाता है । इनके अभाव में पदसमूह
वाक्य नहीं कहलायेगा । पदों का वाच्यार्थ होने पर भी इनका परस्पर अन्वय आकाक्षा,
योग्यता और सन्निधि से होकर वाक्य का अर्थ सगत होता है । अतः पदार्थ के
स्वसामर्थ्य का अर्थ है—आकाक्षा, योग्यता और सन्निधि के द्वारा ।

न विभाव्यते—न विभक्ततया प्रतीयते । पदों का अर्थ वाक्य के अर्थ से विभक्त
रूप से प्रतीत नहीं होता । यद्यपि पदों का अर्थ अलग है और वाक्य का अर्थ अलग है,
तथापि आकाक्षा, योग्यता और सन्निधि के कारण वे अलग-अलग प्रतीत नहीं होते ।

भट्टित्येवावभासते—इस से यह सूचित किया गया है कि यद्यपि वाच्य अर्थ
व्यङ्ग्य अर्थ से भिन्न है और उनमें पूर्वपश्चाद्भाव का क्रम विद्यमान है, तथापि वाच्य
के अर्थ के तुरन्त बाद ही व्यङ्ग्य अर्थ के अवभासित हो जाने के कारण यह नमलक्षित
नहीं होता ॥१२॥

हिन्दी अर्थ—इस प्रकार वाच्य अर्थ से अतिरिक्त व्यङ्ग्य अर्थ के सद्भाव
(अस्तित्व और प्रधानता) का प्रतिपादन करके प्रकृत में उसका उपयोग दिसलाते हुये
कहते हैं—

अन्वय—यत्र अर्थ शब्द वा उपसर्जनीकृतस्वाथो तम् अर्थ व्यङ्ग्यतः,
स काव्यविशेषः सूरिभिः ध्वनिः इति कथितः ।

हिन्दी अर्थ—जहाँ अर्थ अपने को और शब्द अपने अर्थ को गुणीभूत करके
उस प्रतीयमान अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं, उस विशेष काव्य को विद्वान् लोग
ध्वनि इस प्रकार से कहते हैं ॥१३॥

जहाँ अर्थ वाच्यविशेष या शब्द वाचकविशेष उम प्रतीयमान अर्थ को
अभिव्यक्त करते हैं, वह विशेष काव्य ध्वनि है ।

सद्भावम्—अभिनवगुप्त ने सद्भाव का अर्थ दो प्रकार से किया है—

“सद्भावमिति । सत्ता साधुभावं प्राधान्यं चेति । द्वयं हि प्रतिपादयिष्यते ।”

सद्भाव के यहाँ दो अर्थ हैं—सत्ता अर्थात् अस्तित्व और साधुभाव अर्थात् प्राधान्य । ध्वनिकार इन दोनों को ही यहाँ प्रतिपादित करने की इच्छा रखते हैं ।

प्रकृते—प्रकृत का अभिप्राय प्रस्तुत ध्वनि के लक्षण से है । ध्वनिवाच्य का लक्षण करने में ध्वनिकार व्यङ्ग्य अर्थ का उपयोग कर रहे हैं ।

उपसर्जनोक्तस्वाधौ—उपसर्जनीकृत स्व स्वार्थश्च याभ्यां तौ । ऋजिन्होकि अपने को और अपने अर्थ को गुणीकृत कर दिया है, अप्रधान बना दिया है । भाव यह है कि अर्थ अपने स्वयं को गुणीकृत करता है और शब्द अपने अर्थ को गुणीकृत करता है । जिस काव्य में वाच्य अर्थ की अपेक्षा व्यङ्ग्य अर्थ अधिक चमत्कारी होता है वह ध्वनि काव्य होता है । ध्वनि काव्य का लक्षण प्रस्तुत करते हुये मम्मट ने भी यही कहा है—

“इदमुत्तममतिशयिनि व्यङ्ग्ये वाच्याद्ध्वनिवुं धै कथित ।

काव्य में जब वाच्य अर्थ की अपेक्षा व्यङ्ग्य अर्थ का अधिक चमत्कार होता है, तो इसको उत्तम काव्य कहते हैं तथा विद्वाना द्वारा यह ध्वनि कहा गया है ।

• ध्वनि के इस लक्षण में यह भी कहा गया है कि अर्थ अपने को या शब्द अपने अर्थ को उपसर्जनीकृत करते हैं । इससे स्पष्ट है कि व्यङ्ग्य की प्रतीति शब्द और अर्थ दोनों से होती है । लक्षणाभूत ध्वनि (अविवक्षितवाच्य) में मुख्य रूप से शब्द के द्वारा व्यङ्ग्य की प्रतीति होती है । अभिधामूलध्वनि (विवक्षितवाच्यपर-वाच्य) में मुख्य रूप अर्थ द्वारा व्यङ्ग्य की प्रतीति होती है । शब्द और अर्थ से ध्वनि की प्रतीति होती है, इस दृष्टि से ध्वनि को शब्दशक्तिमूल और अर्थशक्तिमूल इन दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं । कौनसी ध्वनि शब्दशक्तिमूल है और कौनसी अर्थशक्तिमूल है, इसका निश्चय अन्वयव्यतिरेक से किया जा सकता है । यदि किसी विशेष शब्द को हटा देने से व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति न होने लगे, तो वह शब्द-शक्तिमूल ध्वनि है, अन्यथा अर्थशक्तिमूल है ।

व्यङ्ग्यः—‘व्यङ्ग्य’ में द्विवचन है । इस पर आपत्ति यह की जाती है कि यदि शब्द या अर्थ इन दोनों में से कोई एक ही व्यङ्ग्य अर्थ का व्यञ्जक है, जैसेकि कारिका के ‘वा’ पद से प्रवृत्त है, तो यहाँ द्विवचन क्यों है ? ‘व्यनति’ इस प्रकार एकवचन ही होना चाहिये । यहाँ इस द्विवचन के द्वारा ध्वनिकार यह कहना चाहते हैं कि यद्यपि शब्द से या अर्थ से व्यङ्ग्य अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, तथापि शब्द को व्यङ्ग्य अर्थ की अभिव्यञ्जना के लिए अर्थ की तथा अर्थ का व्यङ्ग्य अर्थ की अभिव्यञ्जना के लिये शब्द ही सहायकी रूप से अपेक्षा होती है । अतः यहाँ द्विवचन का प्रयोग है । इस तथ्य को ‘साहित्यदर्पण’ में इस प्रकार लिखा गया है—

शब्दोभयो व्यनक्यर्थं शब्दोऽप्यर्थान्तराश्रय ।

एकस्य व्यञ्जवत्त्वं तदन्यस्य सहायिका ॥२१८॥

मम्मट ने भी ‘काव्यप्रवाह’ में व्यञ्जवत्त्व में शब्द की तथा शब्द के व्यञ्ज-वत्त्व में अर्थ की सहायिका को स्वीकार किया है—

शब्दप्रमाणवेतोऽर्थो व्यन्यर्थान्तरं यत ।

अर्थस्य व्यञ्जवत्त्वं तच्छब्दस्य सहायिका ॥ काव्यप्रवाह ॥ ३३ ॥

अनेन वाच्यवाचकचारुत्वहेतुभ्य उपमाद्वियोऽनुप्रासादिभ्यश्च विभवत्
एव ध्वनेविषय इति दर्शितम् ।

यदप्युक्तम्—'प्रसिद्धप्रस्थानातिश्रमिणो मार्गस्य काव्यत्वहानेर्ध्वनि-
र्नास्ति' इति, तदप्युक्तम् । यतो लक्षणकृतमेव स केवल न प्रसिद्धः, लक्ष्ये
तु परीक्ष्यमाणे स एव सहृदयहृदयाह्लादि काव्यतत्त्वम् । ततोऽन्यच्चित्रमेवे-
त्यग्रे दर्शयिष्यामः ।

तद्युक्तो व्यञ्जक शब्द यत्सोऽर्थात्तरयुक्तया ।

अर्थोऽपि व्यञ्जकस्तत्र महारितया मत ॥२१५॥

हिन्दी अर्थ—ध्वनि के इस लक्षण द्वारा यह प्रदर्शित कर दिया है कि वाच्य
अर्थ और वाचक शब्द के चारुत्व के हेतु उपमा आदि तथा अनुप्रास आदि अलंकारों से
ध्वनि का विषय भिन्न है ।

आनन्दबर्धन ने पिछले प्रकरण में यह प्रतिपादित किया था कि वस्तु (वाच्य-
अर्थ) से प्रतीयमान अर्थ भिन्न है । अब इस वाक्य को लिखने का उनका यह प्रयोजन
है कि इस लक्षण के द्वारा वाच्य अर्थ को अलङ्कृत करने वाले उपमा आदि अलंकारों
तथा वाचक शब्द को अलङ्कृत करने वाले अनुप्रास आदि अलंकारों को भी ध्वनि से
पृथक् रूप बना ही समझना चाहिये । उपमा आदि एवं अनुप्रास आदि अलंकार केवल
वाच्य और वाचक को अलङ्कृत करते हैं । परन्तु ध्वनि का स्थान इनसे उच्च है और
अलंकारों के अन्तर्गत ध्वनि का ग्रहण नहीं किया जा सकता । इससे ध्वनिकार ने ध्वनि-
विरोधी अभाववादियों के इस प्रथम मत का खण्डन किया है कि ध्वनि का विषय
प्राचीन प्रसिद्ध अर्थालंकारों और शब्दालंकारों से अतिरिक्त नहीं हो सकता ।

स काव्यविशेष—वारिषा में 'स' पद की व्याख्या अभिनवगुप्त ने विशेष रूप
से की है । इन पद का अर्थ है—प्रथो वा नौ वा व्यापारो वा । अर्थात् व्यञ्जक अर्थ,
व्यञ्जक शब्द और व्यञ्जना व्यापार, ये तीनों ही ध्वनि हैं । यद्यपि ये तीनों पृथक् पृथक्
रूप से भी ध्वनि हैं, तथापि वारिषा में इन तीनों के समुदाय रूप वाच्य को ध्वनि कहा
गया है । इस प्रकार अभिनवगुप्त का मत म 'ध्वनि' सजा का प्रयोग निम्न के लिये किया
जा सकता है—(१) व्यञ्जक शब्द, (२) व्यञ्जक अर्थ, (३) व्यञ्जना व्यापार और
इनका समुदाय रूप वाच्य ।

ध्वनेविषय—ध्वनि का विषय । 'विषय' शब्द की निष्पत्ति 'विम् वन्धने'
धानु से है । "विशेषेण सिनोति वध्नाति स्वसम्बन्धिन पदार्थमिति विषय" । जो अपने
से सम्बन्धित पदार्थ को विशेष रूप से बाँध लेता है वह विषय है । इस व्युत्पत्ति से
वाच्यवाचकचारुत्वहेतुग्रा स ध्वनि को पृथक् कह दिया गया है ।

हिन्दी अर्थ—यह जो कहा गया है—प्रसिद्ध प्रस्थान (प्राचीन प्रसिद्ध शब्दार्थ-
शरीर काव्यम वात्सा भाग) को अतिश्रम करने वाले मार्ग में काव्यत्व की हानि
होती है, इसलिये ध्वनि नहीं है, यह कहना भी ठीक नहीं है । क्योंकि यह ध्वनि का
मार्ग केवल लक्षण करने वालों के लिये ही प्रसिद्ध नहीं है, अपितु लक्ष्य ध्वनिकाव्य
की परीक्षा करने पर यह गिद्ध होना है कि यह ध्वनि ही सहृदय को आह्लादित करने
वाला वाच्य का सारतन्त्र्य है । उससे भिन्न वाच्य जो कि ध्वनि से रहित है, केवल
चित्ररूप ही है, इस बात को आगे दिखाने ।

यद्युक्तम्—“कामनीयकमनतिवर्तमानस्य तस्योक्तालङ्कारादिप्रका
रेण्वन्तर्भावः” इति, तद्व्यसनीचीनम् । वाच्यवाचकमात्राभयिण प्रस्थाने
व्यङ्ग्यव्यञ्जकसमाश्रयेण व्यवस्थितस्य ध्वनेः ऋयमन्तर्भावः । वाच्यवाचक-
चास्त्वहेतवो हि तस्याङ्गभूता, स त्वङ्गिरूप एवेति प्रतिपादयिष्यमाण
त्वात् । परिकरश्चात्रलोकः—

व्यङ्ग्यव्यञ्जकसम्बन्धनिबन्धनतया ध्वनेः ।

वाच्यवाचकचास्त्वहेतवन्त पातिता कुतः ॥

पहले वाक्य में अभाववादिया के प्रथम मत का खण्डन करके ध्वनिवार अब
उनके दूसरे मत का खण्डन कर रहे हैं, जो कि यह कहते हैं कि प्राचीन प्रसिद्ध अलवार,
रीति, गुण आदि मार्गों से भिन्न अन्य कोई मार्ग काव्य का नहीं हो सकता । इस
सम्बन्ध में ध्वनिवार ने अभाववादियों की उन शक्तिशा का खण्डन किया है, जो यह
कहते हैं कि ध्वनि का सिद्धान्त केवल काल्पनिक है, तथा उसका प्रत्यक्ष अस्तित्व नहीं
है । आनन्दवर्धन का कहना है कि ध्वनि का लक्षण करने वाले आचार्य ही उस
ध्वनि को नहीं अनुभव करते, परन्तु उत्तम ध्वनि काव्यों, रामायण आदि की इस दृष्टि
से परीक्षा करने पर यह सिद्ध होता है कि उनमें ध्वनि ही काव्य का सारभूत तत्व है,
जो सहृदय जनों के हृदयों को आह्लादित करने वाला है । इससे भिन्न जिन काव्यों
में ध्वनि नहीं है, केवल अलवारा का धोम है, उनको चित्रवाक्य कहा जाता है, जिनका
वर्णन ध्वनिवार ने आगे तीसरे उद्योत में किया है ।

चित्रमेव—व्यङ्ग्य अर्थ से रहित अलङ्कारमात्र की शोभा से युक्त काव्य को
चित्रवाक्य कहा गया है । यह दो प्रकार का है—अर्थालङ्कारों से युक्त अर्थचित्र और
शब्दालङ्कारों से युक्त शब्दचित्र । इनको ध्वनिवार ने इस प्रकार कहा है—

प्रधानगुणभावाभ्या व्यङ्ग्यस्यैत्र व्यवस्थिते ।

वाक्ये उभे ततोऽप्यद्यत् तच्चित्रमभिधीयते ॥

चित्रशब्दार्थभेदेन द्विविधं च व्यवस्थितम् ।

तत्र निर्विच्छेदचित्रं वाच्यचित्रमन परम् ॥

ध्वन्यालोक ३ ४२-४३ ॥

आचार्य मम्मट ने भी चित्रवाक्य का लक्षण इस प्रकार किया है—

शब्दचित्रं वाच्यचित्रमव्यङ्ग्यं त्ववर स्मृतम् ॥

वाक्यप्रवाश १ ५ ॥

हिन्दी अर्थ—और यह जो कहा गया है—कामनीयता का अतिशय न करने
वाले उस ध्वनि का पहले कहे गये अलङ्कार आदि के प्रकारों में ही अन्तर्भाव हो
जाता है, यह बात भी ठीक नहीं है । अलङ्कार आदि का मार्ग केवलमात्र वाच्य और
वाचक के आश्रय से होता है और ध्वनि की स्थिति व्यङ्ग्य और व्यञ्जक के आश्रय
से होती है, तो उस मार्ग में ध्वनि का अन्तर्भाव कैसे हो सकता है? इसके विपरीत

वाच्य और वाचक के चास्त्व के हेतु अलङ्कार तो उस ध्वनि के अङ्गभूत हैं तथा वह ध्वनि अङ्गीरूप है, इस तथ्य को हम आगे प्रतिपादन करेंगे। इस सम्बन्ध में यह परिकर श्लोक है—

ध्वनि का निबन्धन व्यङ्ग्यव्यञ्जक भाव के सम्बन्ध से होने के कारण उसका अन्तर्भाव वाच्य और वाचक के चास्त्व के हेतुओं, अलङ्कार आदियों में कैसे हो सकता है।

अभाववादिया के पहने दो मता का खण्डन करके ध्वनिकार अथ तीसरे मत का, जो कि ध्वनि का समावेश अलङ्कार आदि में करते हैं, खण्डन कर रहे हैं।

उपमा और अनुप्रास आदि अलङ्कार सदा वाच्य और वाचक को ही अलङ्कृत करते हैं। अर्थात् उनके आश्रय से रहते हैं, परन्तु ध्वनि की स्थिति वाच्य वाचक के आश्रय से न होकर व्यङ्ग्य-व्यञ्जक के आश्रय से रहती है। व्यङ्ग्य अर्थ की अभिव्यक्ति सदा व्यञ्जना व्यापार से होती है। इसलिये ध्वनि का अन्तर्भाव अलङ्कारों में किसी भी प्रकार नहीं हो सकता। ध्वनिवाच्य में ध्वनि सदा अङ्गीरूप (आत्मतत्त्व के रूप में प्रधानभूत) होती है तथा उपमा एव अनुप्रास आदि अलङ्कार वाच्य एव वाचक को अलङ्कृत करके ध्वनि के अङ्गीरूप में (गुणीभूत रूप में) रहते हैं। अतः ध्वनि का अन्तर्भाव अलङ्कारों में कैसे हो सकता है ?

अङ्गाङ्गिभाव—वाच्य में जो प्रधान है, आत्मतत्त्व के रूप में है, उसको 'अङ्गी' कहते हैं। जो वस्तु उम आत्मतत्त्व को अलङ्कृत करने वाली है, गौणरूप में है, उसको 'अङ्ग' कहते हैं।

ध्वनिकार के इस कथन का समर्थन विद्यानाथ ने 'एकावली' में इसप्रकार किया है—

"गुरोपु न तावद् ध्वनेरन्तर्भावः । नाप्यलङ्कारेषु । वाच्यमात्रविधान्तेषु श्लेषादिषु व्यभिचारात् ।"

'अलङ्कारसर्वस्व' में दृश्यक भी इस कथन का समर्थन करते हैं—

"रसान्नाद्विषय एव व्यङ्ग्यचमामा जीवितत्वेन वक्तव्यः । यस्य गुणालङ्काररहित-परिग्रहसाम्राज्यम् । रसान्मस्तु जीवितभूता नालङ्कारत्वेन वाच्याः । अलङ्काराणामुप-स्वारत्वात् रसानां च प्राधान्येन उपस्कार्यत्वात् । प्रतिपादित्यमाप्तत्वात्—आगे प्रतिपादित किया जाने के कारण। ध्वनिकार ने कारिका म २५ में इस तथ्य का प्रतिपादन किया है।

परिकर श्लोक—जिस अर्थ का कारिका में अधिक स्पष्टीकरण नहीं है, उस अपेक्षित अर्थ को कहने वाला श्लोक परिकर श्लोक कहा जाता है। इसका स्पष्टीकरण अभिनवगुप्त ने इस प्रकार किया है—

"परिस्वार्थं कारिकायस्य अधिकावाप वतुं श्लोकं परित्श्लोकम् ।"

परिकर व लिये, कारिका के अर्थ का अधिक आश्रय करने के लिये जो श्लोक होता है, वह परिकर श्लोक है।

ननु यत्र प्रतीयमानार्थस्य वंशद्येनाप्रतीति, स नाम सा भूद्ध्वनेविषयः यत्र तु प्रतीतिरस्ति यथा समासोक्त्याक्षेपानुक्तनिमित्तविशेषोक्तिपर्यायोक्ताप-
ह्नुतिदीपकसङ्करालङ्कारादौ, तत्र ध्वनेरन्तर्भावो भविष्यति, इत्यादि निरा-
कृतुमभिहितम् "उपसर्जनीकृतस्वार्थो" इति । अर्थो गुणीकृतारमा, गुणीकृता-
भिधेयः शब्दो वा यत्रार्थान्तरमभिव्यनक्ति स ध्वनिरिति । तेषु कथं तस्या-
न्तर्भावः । व्यङ्ग्यप्राधान्ये हि ध्वनि । न चैतत् समासोक्त्यादित्विति ।

हिन्वी अर्थ—कुछ विद्वान् यह कह सकते हैं कि जहाँ प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति स्पष्ट रूप से नहीं होती, वह ध्वनि का विषय न माना जावे, परन्तु जहाँ प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति है, जैसे कि समासोक्ति, आक्षेप, अनुक्तनिमित्त, विशेषोक्ति, पर्यायोक्त, अपह्नुति, दीपक, सङ्कर, अलङ्कार आदि में हैं, वहाँ ध्वनि का अन्तर्भाव हो जायेगा । इस मत के निराकरण करने के लिये ध्वनि के लक्षण में लिखा है—'उपसर्जनीकृत-स्वार्थो' । जहाँ अर्थ स्वयं को गुणीभूत करके या शब्द अपने अर्थ को गुणीभूत करके दूसरे अर्थ प्रतीयमान को अभिव्यक्त करता है वह ध्वनि है । इसलिये इन अलङ्कारों में ध्वनि का अन्तर्भाव कैसे हो सकता है । ध्वनि निश्चय से वहाँ होती है, जहाँ व्यङ्ग्य अर्थ की प्रधानता हो । परन्तु समासोक्ति आदि अलङ्कारों में ऐसा नहीं है ।

ध्वनि विद्वान्त का विरोध करने वाले यह युक्ति दे सकते हैं—प्राचीन भामह, उद्भट आदि विद्वानों ने अपने ग्रन्थों में ध्वनि या गुणीभूतव्यङ्ग्य का उल्लेख नहीं किया है, इससे यह सिद्ध नहीं हो जाता कि वे ध्वनि या व्यङ्ग्य अर्थ से परिचित नहीं थे । उनके द्वारा प्रतिपादित समासोक्ति, आक्षेप, विशेषोक्ति, पर्यायोक्त, अपह्नुति, दीपक, सङ्कर आदि अलङ्कारों में प्रतीयमान अर्थ स्पष्ट रूप से अवभासित होता है, जो कि वस्तु, रस या अलङ्कार के रूप में हो सकता है । अतः ध्वनि का अन्तर्भाव इन अलङ्कारों में ही मानना चाहिये, इसका पृथक् रूप में मानने की आवश्यकता नहीं है । इस युक्ति का खण्डन करने के लिये ही ध्वनिवार ने ध्वनि के लक्षण में 'उपसर्जनीकृत-स्वार्थो' पद लिखा है ।

ध्वनिवार के इस लेखन का अभिप्राय यह है कि प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति होने पर भी ध्वनि वही होती है, जहाँ वाच्य अर्थ स्वयं को गुणीभूत करके या वाचक शब्द अपने अर्थ को गुणीभूत करके प्रतीयमान अर्थ को व्यक्त करते हैं । अर्थात् प्रतीयमान अर्थ के प्रधान होने एवं वाच्यवाचक के गुणीभूत होने पर ही वाच्य ध्वनिवाच्य होगा । यदि प्रतीयमान अर्थ के होने पर भी वाच्य में वाच्य-वाचक की प्रधानता है, अर्थ की विश्रान्ति वाच्य-वाचक में ही होती है, वहाँ गुणीभूतव्यङ्ग्य वाच्य होगा । इस प्रकार ध्वनिवार के अनुसार प्राचीन आचार्यों द्वारा प्रतिपादित अलङ्कार दो प्रकार के हो सकते हैं—एक तो वे जिनमें प्रतीयमान अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं है । दूसरे अलङ्कार वे हैं, जिनमें प्रतीयमान अर्थ भी अभिव्यक्त होता है, परन्तु राम यह अर्थ प्रधान न होकर गौण रूप में रहता है । समासोक्ति, आक्षेप आदि अलङ्कार इस वर्ग के हैं । ध्वनि-

समासोक्तौ तावत्—

उपोढरागेण विलोलतारक तथागृहीत शशिना निशामुखम् ।

यथा समस्त तिमिराशुक् तथा पुरोऽपि रागादगलित न लक्षितम् ॥

इत्यादौ व्यङ्ग्येनानुगत वाच्यमव प्राधान्येन प्रतीयते । समारोपित
नायिकानायकव्यवहारयोर्निशाशशिनोरेव वाक्याथत्वात् ।

कार का क्यन है कि इन अलङ्कारो मे हम ध्वनि नही मान सकते अपितु इनको गुणी भूतव्यङ्ग्य कहा जा सकता है । इन अलङ्कारो की गुणीभूतव्यङ्ग्यता ध्वनिकार ने तीसरे उद्योत की ३७वा कारिका मे इन पक्तिया मे प्रतिपादित की है—

येषु चानङ्कारेषु सादृश्यमुखेन तत्रप्रतिगम्भ यथा रूपरूपमातल्ययोगिता निदशनादिषु तपु गम्यमानधममुखनव यसादृश्य तदेव शोभातिशयशाति भवतीति ते सर्वस्य चारुवातिशययोगिन सन्तो गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य स्वव विषया । समासोक्तयाक्षेपपर्यायोक्तादिषु तु गम्यमानाशाविनाभावेनव तत्त्वव्यवस्थानाद् गुणीभूतव्यङ्ग्यता निर्विवादव । यथा व्याजस्तुते प्रयोनङ्कारगभवे । केपाञ्चिदलङ्कारविशेषगभताया नियम । यथा मुपमागभवे । केपाञ्चिदलङ्काराणा परस्परगभतापि सम्भवति यथा दीपकोपमयो । तत्र दीपकमुपमागभवेन प्रसिद्धम् । इयमापि कदाचिदीपकच्छायानुवायिनी । यथा मालोपमा । तथाहि— प्रभामहया शिखयेवदीप , इयादौ स्पुटव दीपकचया लक्ष्यते । तदेव व्यङ्ग्याशसस्पर्शे सति चारुवातिशययागिनो रूपकादयोऽलङ्कारा सब एव गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य माग । गुणीभूतव्यङ्ग्यव च तथा तथाजातायाना सर्वोपामेवोक्तानामनुक्ताना सामायम् ।

इस प्रकार ध्वनिकार ने उन अलङ्कारा को जिनमे प्रतीयमान अथ अभिव्यक्त तो हुआ है परन्तु वह प्रधा नही है गुणाभूत वाच्य के अतगत स्वीकार किया है । अब ध्वनिकार समासोक्ति आभ्य आदि अलङ्कारा मे ध्वनि मे अन्तर्भाव का खण्डन कर रहे हैं ।

समासोक्ति अलङ्कार मे ध्वनि का निराकरण—

समासोक्ति मे तो—

अवयव—उपोढरागेण शशिना विनालतारक निशामुख तथा गृहीत यथा रागात् तथा पुर अपि गन्तित समस्त तिमिराशुक् न लक्षितम् ।

हिंदी अर्थ—सध्याकालीन लालिमा को धारण करने बाल चंद्रमा ने चन्द्रवल तारो से युक्त रात्रि के मुख (प्रारम्भ) को इस प्रकार ग्रहण कर लिया कि लालिमा के कारण उस रात्रि ने पूव दिशा मे ढल हुये मी अपने तिमिर के वस्त्र को लक्षित नहीं किया ।

इस पद्य मे प्रस्तुत निशा और शशि क वक्तात् से किसी नायिका और नायक का अस्तित्व वक्तात् भी अभिव्यक्त हो रहा है । वह इस प्रकार है—

हिंदी अर्थ—इयादि काव्य मे व्यङ्ग्य से अनुगत वाच्य अथ ही प्रधान रूप से प्रतीत हो रहा है क्योंकि तिन पर नायिका और नायक के व्यवहार का आरोप किया गया है वे निशा और शशि ही वाच्य के अर्थ हैं ।

जिसका राग (प्रेमोन्माद) बहुत अधिक बढ़ा हुआ है ऐसे शशि नामक नायक ने चञ्चल ताराग्रो (पुतलियो) वाली निशा नामक नायिका के मुख को इस प्रकार पकड़ लिया (चुम्बन के लिये) कि प्रमोन्माद (राग) के कारण उस नायिका ने सामने भी मिरे हुये अपने तिमिर सदृश नील वस्त्र को लक्षित नहीं किया।

इस पद्य में समान विशेषणों के द्वारा प्रस्तुत शशि एवं निशा के वृत्तान्त से प्रेमोन्माद नायक-नायिका वृत्तान्त अभिव्यक्त होने से समासोक्ति अलङ्कार है। समासोक्ति अलङ्कार का लक्षण भामह ने इस प्रकार किया है—

यद्योक्तौ गम्यतेऽन्योऽर्थस्तत्समानविशेषण ।

मा समासोक्तिरदिता सक्षिप्तार्थतया कुर्यात् ॥ वाव्यालङ्कार ७ ७६ ॥

जिस उक्ति में समान विशेषणों के कारण प्रस्तुत अर्थ के द्वारा अन्य अप्रस्तुत अर्थ की प्रतीति होती है, विद्वाना द्वारा उसको समासोक्ति अलङ्कार कहा गया है। संक्षेप से कहा जान के कारण यह समासोक्ति है।

प्रस्तुत उदाहरण में कवि ने रात्रि के प्रारम्भ के समय के चन्द्रोदय का वर्णन किया है। इसलिये यहाँ कवि का शशि और निशा का वर्णन करना अभिप्रेत है। परन्तु शशि और निशा के वाच्य के रूप में जिन विशेषणों 'उपोदरागेण, निशामुग्गम्, विलोचन-तारकम्, रागान्, तिमिराशुक्म्' का वर्णन किया गया है वे सब श्लिष्ट हैं, इनके सामर्थ्य से निशा और शशि में समान विज्ञ वाच्य नायिका एवं नायक का व्यवहार व्यञ्जना वृत्ति द्वारा व्यञ्जित हो जाता है। उपोदरागेण = उपोड राग गान्धर्वो, रणिमा प्रेम च यस्य तेन। विलोचनतारकम् विलोला तारका ज्योतीपि तारके वनीनिने वा यस्य तादृशम्। निशामुग्गम् = निशाया राश्या एतदुपलक्षण भूताया नायिकाया वा मुख प्रारम्भ वदन वा। यथा भटिति प्रेम रगभरण वा। रागान् साग्ध्यारण्यान् स्नेहाद् वा। पुर पूर्वस्या दिशि अग्रे वा। तिमिराशुक् चन्द्ररश्मिसवन्नि तम नीलवस्त्रं वा। गतित प्रशान्त पतित वा।

रात्रि का प्रारम्भ होने ही पूर्व दिशा में चन्द्रमा का उदय हुआ, उस समय आकाश में तारे भिन्नभिला रहे थे। अन्धकार में चन्द्रमा की चिरणों का गम्भीरपण होने से पूर्व दिशा में तानिमा छाने लगी और यह विदिन ही नहीं हुआ कि जिस समय रात्रि के अन्धकार का आवरण टन गया। कवि यहाँ इस प्रकार चन्द्रोदय के वर्णन के प्रति उत्सुक है। परन्तु कवि के इस कथन में समान विशेषणों द्वारा यह अर्थ भी व्यञ्जित होना प्रतीत होता है—

श्रिय मे मित्रे के लिये निशा नाम की नायिका उपाख्यान हुई। प्रेम में उन्मत्त नायक ने चुपके में आवर नायिका के मुख को घामरर चुम्बन करना प्रारम्भ कर दिया। नायिका भी प्रेमरग में विभोर हो गई। उसके मुख का नीला आवरण सामने ही नीचे गिर गया। परन्तु प्रेमरगविभोर नायिका ने यह जाना ही नहीं कि उमका आवरण कब गिरा।

आक्षेपेऽपि व्यङ्ग्यविशेषाक्षेपिणोऽपि वाच्यस्यैव चास्त्वं प्राधान्येन वाक्यार्थं आक्षेपोक्तिसामर्थ्यदिव ज्ञायते । तथाहि तत्र शब्दोपाखण्डो विशेषाभिधानेच्छाया प्रतिषेधरूपो य आक्षेपः स एव व्यङ्ग्यविशेषमाक्षिपन् मुख्य काव्यशरीरम् ।

यद्यपि इस काव्य में निशा शशि वाच्य अर्थ द्वारा नायिका नायक वा व्यवहार भी व्यञ्जित होता है, परन्तु यहाँ कवि रात्रि के प्रारम्भ में चन्द्रोदय वा वर्णन करने के लिये ही उत्सुक है और यह वर्णन ही प्रधान है अत व्यङ्ग्य अर्थ यहाँ गुणीभूत होगा । वाच्य अर्थ के प्रधान होने तथा व्यङ्ग्य अर्थ के गुणीभूत होने से यह काव्य गुणीभूतव्यङ्ग्य कहनायेगा । इसी को ध्वनिार ने वृत्ति में इस प्रकार कहा है—

आक्षेप अलङ्कार में ध्वनि के अन्तर्भाव का निषेध—

हिन्दी अर्थ—आक्षेप अलङ्कार में जो व्यङ्ग्य विशेष का आक्षेप करने वाला होते हुये भी वाच्य अर्थ की ही चाहता है, क्योंकि प्रधान रूप से वाक्य का अर्थ है, यह तम्य आक्षेप की उक्ति के सामर्थ्य से जान लिया जाता है । क्योंकि वहाँ आक्षेप अलङ्कार में विशेष बात की अभिधा द्वारा कहने की इच्छा से प्रतिषेध रूप जो आक्षेप है, वह ही व्यङ्ग्यविशेष को आक्षिप्त करता है और वह मुख्य काव्यशरीर है ।

ध्वनि को अलङ्कार के अन्तर्गत सिद्ध करने के लिये दूसरा उदाहरण आक्षेप अलङ्कार का दिया गया है । भामह ने आक्षेप अलङ्कार का लक्षण इस प्रकार दिया है—

प्रतिषेध इवेष्टस्य यो विशेषाभिधित्तया ।

वक्ष्यमाणोक्तविषय स आक्षेपो द्विधा मत ॥ वाच्यशरीर २६८ ।

जहाँ किसी विशेष बात को कहने की इच्छा से दृष्ट वस्तु का निषेध किया जाता है, वहाँ आक्षेप अलङ्कार होता है । यह दो प्रकार का होता है—(१) वक्ष्यमाण, प्रागे कही जान वाली बात का पहले ही निषेध कर देना और (२) उक्तविषय, पहले कही गई बात का पीछे निषेध कर देना । वक्ष्यमाण का उदाहरण भामह ने निम्न दिया है—

एह त्वां यदि नेधेय क्षणमप्युगुरा तत ।

इयदैवाम्यतोऽप्येव निमुक्तेनाप्रियेण ते ॥ वाच्यशरीर २६९ ।

नायिका नायक से प्राणी प्रेमभावना का निवेदन कर रही है—यदि मैं तुमको क्षण भर के लिये भी न देखूँ तो उच्युत्त होनी हुई । तब नायक कहता है—इतना ही रहने दो । इतना बाद की हुई प्रिय बात को कहने से क्या लाभ है ?

नायिका नायक से यह कहना चाहती है कि यदि मैं तुम्हो दानभर के लिये भी नहीं देखूँगी तो मर जाऊँगी । इस प्रकार "मर जाऊँगी" यह वक्ष्यमाण विषय है । इस वक्ष्यमाण विषय का नायक द्वारा निषेध कर दिया जाने से यहाँ आक्षेप अलङ्कार है । अलङ्कारवादियों का बचन है कि यह वक्ष्यमाणविषय प्रतीयमान अर्थ है, अतः ध्वनि का अन्तर्भाव अलङ्कारो म हो जायगा ।

इस सम्बन्ध में ध्वनिवार का उत्तर वही है, जो समासोक्ति अलङ्कार में दिया गया है । ध्वनि वही होती है, जहाँ वाच्य की अपेक्षा व्यङ्ग्य अर्थ की प्रधानता हो । यहाँ व्यङ्ग्य अर्थ तो है, परन्तु वह प्रधान नहीं है । यह वाच्य अर्थ को अलङ्कृत करके उसकी चारुता को प्रतिपादित करता है । अतः इसको गुणीभूत व्यङ्ग्य माना जा सकता है ।

अभिनवगुप्त ने उक्तविषय आक्षेप का निम्न उदाहरण दिया है—

भो भो निमवाण्ड एव पतितस्त्व पान्य कान्या गति-
स्तलाट्टितृपितस्य म खलमति सोऽय जल गूहते ।
अस्थानोपनतामकालमुनभा तृप्णा प्रति ब्रुध्य भो-
स्त्रैलोक्यप्रथितप्रभाव महिमा मार्गं पुनर्मारव ॥

हे पथिक ! तुम तो अयोग्य स्थान पर क्यों आ पहुँचे हो ? उस प्रकार से प्यास से व्याकुल होते हुये मैं और क्या करता ? यह दुष्टबुद्धि वाला तो जल का छिपा लेता है । तुम गलत स्थान पर उत्पन्न होने वाली और अममय में मुलभ प्यास के प्रति शोध करो । पुनः, इस मरुभूमि के मार्ग व प्रभाव की महिमा तो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है ।

कोई सेवक अपने वज्रुम स्वामी के पास प्राप्तव्य धन को पाने की आशा से पहुँचता है । इमने द्वारा देने से निषेध करने पर अन्य व्यक्ति इम आक्षेप द्वारा उमको प्रतिबोधित करता है । इम पुरुष की सेवा करना व्यर्थ है, इम निषेध रूप आक्षेप के द्वारा वाच्य का ही चमत्कारित्व प्रपान रूप से है, जो कि दुष्ट पुरुष की सेवा और इसकी विफलता से उत्पन्न उद्वेग के रूप में है तथा शान्त रम के स्थायी भाव निर्वेद के विभाव के रूप से चमत्कारी है ।

वामन ने आक्षेप का लक्षण दिया है—“उपमानाक्षेपश्चाक्षेप” (वाव्यानकार-सूत्र ४.३.२७) । इस सूत्र की व्याख्या दो प्रकार से की गई है—(१) उपमानस्य आक्षेपः प्रतिषेध उपमानाक्षेप । उपमान का प्रतिषेध करना उपमानाक्षेप है । (२) उपमानस्य आक्षेपेन प्रतिपत्तिः । आक्षेप द्वारा उपमान का बोध होना उपमानाक्षेप है । इन दोनों के उदाहरण प्रमत्तः निम्न है—

(१) तस्याश्चन्मुग्धमगति सोम्यमुभय कि पारंगनन्तुना
सौन्दर्यस्य पद दृशो च यदि चेन् कि नाम नीचां पदे ।
कि वा कोमलकान्तिभिः किमनर्थं म देव तत्रापदे
हा धानु पुरस्तरन्तुरत्वनारम्भेऽपूर्वो ग्रह ॥

चास्त्योत्कर्षनिबन्धना हि वाच्यव्यङ्ग्ययोः चास्त्यविवक्षा यथा—

अनुरागवती सन्ध्या विद्यस्तत्पुरःसरः ।

अहो देवगतिश्चित्रा तथापि न समागम ॥

अत्र सत्यामपि व्यङ्ग्यप्रतीती वाच्यस्यैव चास्त्यमुत्कर्षवदिति तस्यैव प्राधान्य विवक्षा ।

यदि उसरा सौम्य और सुन्दर मुख हैं, तो पूर्णिमा के चन्द्रमा से क्या लाभ ? यदि सोन्दर्य के रवानभूत उमरी दोना अन्ति है, तो नील कमला से क्या लाभ ? यहाँ उसने अघर के होने पर बामल कान्ति बाल निसलयो से क्या लाभ ? हाय ! एव बार निर्मित वस्तुयो का दुवारा बनाना आरम्भ करने में विधाता का अपूर्व आग्रह है । यहाँ उपमान 'पार्वणेन्दु' आदि के निषेध द्वारा उपमा यद्यपि व्यञ्जित होती है, तथापि यह वाच्य अर्थ की ही उपकारक है । यहाँ यह आशेष वाच्य होकर ही चमत्कार का आधायक है ।

(२) ऐन्द्र धनु पाण्डुपयोधरेण शब्द दधानाद्भंगक्षताभम् ।

प्रसादयन्ती सन्नद्धमिन्दु ताप सेरभ्याधिक चकार ॥

पाण्डु वर्ण के मेघ के द्वारा ताजे नखधत की आभा वाले इन्द्रधनुष को धारण करती हुई और बलङ्क युक्त चन्द्रमा को प्रसन्न करती हुई शब्द ऋतु ने सूर्य के ताप को और भी अधिक बढ़ा दिया ।

यहाँ आशेष द्वारा शब्द से नायिका, इन्दु से नायक और रवि से सतनायक इन उपमानों की अभिव्यक्ति होती है । इस प्रकार इन आशेष में प्रतीयमान अर्थ है । परन्तु यह प्रतीयमान अर्थ वाच्य अर्थ की ही अलङ्कृत करता है, अत्र इगमे ध्वनि का समावेश नहीं हो सकता । इसको अभिनवगुप्त ने इस प्रकार स्पष्ट किया है—

इत्यत्रैव्यव्यक्तुपितनायकान्तरमुपमानमाक्षिप्तमपि वाच्यार्थमेवालङ्करोति इत्येषा तु समासोक्तिरेव ।

इस उदाहरण में वामन के अनुमार आशेष अलङ्कार है, परन्तु भामह ने तथा उत्तरवर्ती अलङ्कारियों ने इसमें समासोक्ति अलङ्कार माना है । वामन के द्वारा प्रतिपादित प्रथम प्रकार के आशेष को उत्तरवर्ती अलङ्कारियों ने प्रतीय अलङ्कार माना है और दूसरे प्रकार के आशेष में भामह के सदृश ही समासोक्ति अलङ्कार माना है ।

इस प्रकार ध्वनिार ने समासोक्ति और आशेष अलङ्कारों में व्यङ्ग्य अर्थ के रहने पर भी उसने प्रधान रूप से चमत्कारी न होने एव वाच्य अर्थ के प्रधान होने के कारण इनको ध्वनि स्वीकार नहीं किया । ध्वनिार का कथन है कि वाच्य में वाच्य और व्यङ्ग्य अर्थों में जो अर्थ वाच्य अर्थों में ही प्रतीयमान होते हैं । इसको वे इस प्रकार से स्पष्ट करते हैं—

हिन्दी अर्थ—वाच्य और व्यङ्ग्य अर्थों में प्राधान्य की विवक्षा उनके वाच्य के उत्कर्ष के आधार पर ही होती है । जैसे—

सन्ध्या (सन्ध्यावात अथवा सन्ध्या नाम की नायिका) अनुरागवती (सन्ध्या-वालीन सतिमा से युक्त अथवा प्रेम से भरी हुई) है और दिवस (दिन या दिवस नाम का नायक) तत्पुरसर उम सन्ध्या के सम्मुख था रहा है । अहो, भाग्य की गति कौसी विचित्र है कि तो भी उनका मिलन नहीं होता ।

यथा च दीपवापह्नुत्यादौ व्यङ्ग्यत्वेनोपमायाः प्रतीताद्यपिप्राधान्येनाविषयक्षितत्वात् न तथा व्यपदेशरतद्ब्रह्मत्वापि द्रष्टव्यम् ।

यहाँ घट्टरागदत्तो मन्था एव पुष्पसारदिवस च वृत्तान्त मे नायक नायिका वा वृत्तान्त व्यञ्जित होता है । मन्था का घोर दिग्म वा मिलन तो प्राकृतिक कारण से नहीं होता, परन्तु नायिका और नायक वा मिश्रन गुरुजना के वन्दन के कारण नहीं हो रहा । यहाँ यद्यपि व्यङ्ग्य अथ की प्रतीति तो है, परन्तु वाच्य अथ तो वास्तव अर्थ ही प्रधान अथ से विवक्षित है । अतः यह वाच्य ध्वनि नहीं होता ।

इस स्थान की ध्वन्यात् प्रसङ्ग म अतिनिरगुप्त वा वचन है कि वाग्मि के अनुसार यहाँ अज्ञान अन्तर्द्वार है और भामह च अनुसार समासोक्ति । रग आशय को मन म रगत समासोक्ति एव आशय दाना म ही एव साथ ध्वनि वा सञ्जन करने के नियम ध्वनिवार न यह उदाहरण दिया है । इमम अज्ञानद्वारा चाह समासोक्ति माने या आशय मात्र, इससे कुछ नहीं होता । अन्यवार का ता बचन यह सिद्ध करना है कि अलङ्कारों म ध्वनि वा अन्तभाव नहीं होता और यह तथ्य हमसे सिद्ध हो जाता है ।

दीपक एव अपह्नुति अलङ्कारों के समान ही पूर्वोक्त अलङ्कारों म ध्वनि का निराकरण—

हिन्दी अर्थ—जिस प्रकार दीपक एव अपह्नुति अलङ्कारों में व्यङ्ग्य रूप में उपमा की प्रतीति होने पर भी उसके प्रधान रूप से विवक्षित न होने के कारण दीपक एवं अपह्नुति की भी प्रधानता होती है, उसी प्रकार यहाँ समासोक्ति और आशय अलङ्कारों में व्यङ्ग्य अर्थ की प्रधानता से विवक्षा न होने से वाच्य अर्थ की ही प्रधानता होती है, ऐसा समझना चाहिये ।

दीपक—‘वाच्यप्रकाश’ म दीपक का लक्षण इस प्रकार किया गया है—

“सृष्टवृत्तिस्तु धर्मस्य प्रकृताप्रकृतात्मनाम् ।

सैव त्रियागु बह्वीषु कारकस्यति दीपकम् ॥ वाच्यप्रकाश १० १०३ ॥

जहाँ उपमेय और उपमान में एक धर्म के सम्बन्ध का वर्णन किया जावे अथवा अनेक त्रियागु म एक कारक कहा जावे, वहाँ दीपक अलङ्कार है ।

सौचनवार ने दीपक का भामहवृत्त लक्षण दिया है—

“आदिमध्यान्तविषय त्रिधा दी (कमिष्यते ॥” वाच्यप्रकाश २ ११ ॥

आदिविषय, मध्यविषय और अन्तविषय के भेद से दीपक तीन प्रकार का है । इसका निम्न उदाहरण अतिनिरगुप्त ने दिया है—

अनुक्तनिमित्तायामपि विशेषोक्ती—

आहूतोऽपि सहायैः श्रौमित्युक्त्वा विमुक्तनिद्रोऽपि ।

गन्तुमना अपि पथिकः सङ्कोचं नैव शिथिलयति ॥

इत्यादौ व्यङ्ग्यस्य प्रकरणसामर्थ्यात् प्रतीतिमात्रम् । न तु तत्प्र-
तीतिनिमित्ता काचिच्चारत्यनिष्पत्तिरिति न प्राधान्यम् ।

मणि शाणाल्नीढ समरविजयी हृतिदलित

कलाशेषश्चन्द्र सुरतमृदिता बालरलना ।

मदक्षीणो नाम शरदि सरिदाश्वानपुत्रिना

तनिम्ना शोभन्ते गणितविभवाश्चाथिपु जना ॥

सान पर निखारी हुई मणि, शस्त्रा से घायल युद्धविजयी, कलामान श्वशिश्ट
चन्द्रमा, सुरत म मसली गई निखारी, मद के बहन स क्षीण हाथी, शरद् ऋतु में सूखे
पुलिन वाली नदी और याचका को दान दान के कारण क्षीण धन बाल मनुष्य अपनी
वृशता से ही शोभित हाते हैं ।

यहाँ 'क्षीणविभव पुत्र' प्रवृत्त तथा 'शाणाल्नीढमणि' आदि अप्रवृत्त हैं । इन
प्रकृत-अप्रवृत्ता म एक ही धर्म का सम्बन्ध 'तनिम्ना शोभन्ते' का बचन किया जान से
दीपक असम्भार है । यद्यपि इस अलङ्कार म प्रवृत्त एव अप्रवृत्त से उपमान उपमेय
व्यङ्ग्य है, तथापि दीपक का अधिक चारुत्व होने से वह ही प्रधान है ।

अपह्नुति—अभिनवगुप्त न भामहवृत्त अपह्नुति का यह लक्षण, उद्धृत किया
है—

"अपह्नुतिरभीष्टम्य किञ्चिदन्तगतोपमा" वाक्यान्कार ३२१ ॥

अभीष्ट का निषेध करना, जिसम कि उपमा कुछ अन्तर्गत होती है, अपह्नुति
अलङ्कार है । जैसे—

नेय विरोति भृङ्गाती मदेन मुखरा मुहु ।

अयमावृष्यमाणस्य वन्दपंघनुषो ध्वनि ॥

यह मद से मुखर भोरा की पक्ति गुञ्जार नहीं कर रही, अपितु यह सींचे
जाते हुये कामदेव के धनुष की ध्वनि है ।

यद्यपि यहाँ भोरों के गुञ्जन एव कामदेव के धनुष की ध्वनि में उपमान-
उपमेयभाव व्यङ्ग्य है, तथापि अर्थ का चमत्कार वाच्य अपह्नुति अलङ्कार म ही है ।

इस सम्बन्ध में ध्वनिकार का बचन है कि जिम प्रकार दीपक और अपह्नुति
अलङ्कारों में उपमा के व्यङ्ग्य होने पर भी वाच्य दीपक एव अपह्नुति अलङ्कारों को
ही उनके चारुत्व के कारण प्रधानता है, उगी प्रकार में सामासिक और आशेष
अलङ्कारों में भी व्यङ्ग्य के होने पर भी उन वाच्य अलङ्कारों की प्रधानता है । ध्वन-
ध्वनि का अन्तर्भाव इन अलङ्कारों म नहीं किया जा सकता ।

अनुक्तनिमित्ता विशेषोक्ति में ध्वनि के अन्तर्भाव का लक्षण—

हिन्दो अर्थ—अनुक्तनिमित्ता विशेषोक्ति में नो—

सहायको द्वारा पुकारा जाता हुआ भी, 'हां' इस प्रकार कह कर नौद को त्याग देने पर भी, जाने की इच्छा वाला भी पयिक अपने सकोच को छोड़ ही नहीं रहा है ।

इत्यादि उदाहरणों में प्रकरण के सामर्थ्य से व्यङ्ग्य की प्रतीतिमात्र है । परन्तु उस प्रतीति के निमित्त से किसी चाष्टव की निष्पत्ति नहीं होती । इसलिये यहाँ उस व्यङ्ग्य अर्थ की प्रधानता नहीं है ।

अभिनवगुप्त ने विशेषोक्ति का भावकृत लक्षण उद्धृत किया है—

एरुदशस्य विगमे वा गुणान्तरसस्तुति ।

विशेषप्रथनावासी विशेषोक्तिरिति स्मृता ॥

भाव्यालकार ३२२

एक देश के न रहने पर विशेष अर्थ को प्रसिद्ध करने के लिये जो गुणान्तर का कथन किया जाता है वह विशेषोक्ति अलकार कहा गया है ।

उत्तरवर्ती आचार्यों ने विशेषोक्ति का लक्षण भिन्न प्रकार से दिया है । आचार्य मम्मट कृत लक्षण इस प्रकार से है—

“विशेषोक्तिरखण्डेषु कारणेषु फलावच ।” काव्यप्रकाश १० १०६ ॥

सम्पूर्ण कारणों के विद्यमान रहने पर भी फल का कथन न करना विशेषोक्ति है । यह विशेषोक्ति तीन प्रकार की है—अचिन्त्यनिमित्ता, उक्तनिमित्ता में व्यङ्ग्य अर्थ ही नहीं होता, अतः उनके ध्वनि होने का प्रश्न ही नहीं है । जैसे—

अचिन्त्यनिमित्ता विशेषोक्ति का उदाहरण—

स एवस्त्रीणि जयति जगन्ति कुसुमायुध ।

हरतापि तनु यस्य शम्भुना न हत धलम् ॥

वह कामदेव अकेला ही तीनों लोका को जीत लेता है, शिवजी न जिस कामदेव के शरीर को नष्ट करके भी बल को नष्ट नहीं किया । इस विशेषोक्ति में अशरीरी कामदेव द्वारा तीनों लोकों को जीत लेने के निमित्त को 'उसके बल का हरण न किया जाना' अचिन्त्य रूप से कह देने से यहाँ व्यङ्ग्य अर्थ नहीं है ।

उक्तनिमित्ता विशेषोक्ति का उदाहरण—

वपूर द्रव दग्धोऽपि शक्तिमान् यो जने जन ।

नमोऽस्त्ववायं गीषाणि तस्मै मकरनेतरे ॥

वपूर के समाप्त जना हुआ भी जो कामदेव जन जन के प्रति शक्तिमान् है, अवायं पराक्रम वाले उस कामदेव के लिये नमस्कार है ।

इस उक्तनिमित्ता विशेषोक्ति में भी व्यङ्ग्य अर्थ का अस्तित्व नहीं है । विशेषोक्ति के इन दोनों भेदों में व्यङ्ग्य अर्थ के अस्तित्व के न रहने के कारण

— पर्यायोक्तेऽपि यदि प्राधान्येन व्यङ्ग्यत्वं तद् भवतु नाम तस्य ध्वना-
वन्तर्भावः, न तु ध्वनेस्तत्रागतर्भावः । तस्य महाविषयत्वेन, अङ्गित्वेन
च प्रतिपादयिष्यमाणत्वात् । न पुन पर्यायोक्ते भामहोदाहृतसदृशे व्यङ्ग्य-
रथेन प्राधान्यम् । वाच्यस्य तत्रोपसर्जनीभावेनाविवक्षितत्वात् ।

ध्वनिवार ने इन उदाहरण प्रस्तुत नहीं किये, अपितु ध्वङ्गव अथ के विद्यमान
रहन के कारण अनुक्तनिमित्त विशेषोक्ति वा ही उदाहरण प्रस्तुत किया है ।

अनुक्तनिमित्त विशेषोक्ति व उदाहरण “आहूताऽपि सहायं” मे सङ्कोच के
शिवित न करने के निमित्त की कल्पना व्यङ्ग्य है । इस सम्बन्ध मे भट्टोद्भट ‘शीत
के आधिक्य’ को निमित्त माना है । परन्तु दूसर रमिर इसम निमित्त की इसप्रकार
कल्पना करते हैं—

वह पयिक प्रिया से मिलने के लिये जा रहा है । परन्तु गमन की अपेक्षा
स्वप्न मे प्रियामिलन की सुगम उपाय समझकर वह सङ्कोच को नहीं छोड़ रहा है
और सिवुडा हुआ शय्या पर पड़ा है ।

अभिनवगुप्त वा कथन है कि इनमे से चाहे किसी को भी निमित्त समझा
जावे, वह चारुत्व वा हेतु नहीं है । ध्वनिवार के अनुसार प्रकरण के सामर्थ्य से इस
व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति ही जाती है, परन्तु इस प्रतीति के द्वारा किसी चारुत्व की
निष्पत्ति नहीं होती । अतः यहाँ व्यङ्ग्य अर्थ की प्रधानता न होने से ध्वनि नहीं हो
सकती ।

पर्यायोक्त अलङ्कार मे ध्वनि के अन्तर्भाव का निषेध—

हिन्दी अर्थ—पर्यायोक्त अलङ्कार मे भी यदि व्यङ्ग्य अर्थ की प्रधानता है
तो उसका ध्वनि अन्तर्भाव हो सकता है, परन्तु ध्वनि का उसमे अन्तर्भाव नहीं हो सक-
ता, क्योंकि ध्वनि तो महाविषय एवं अङ्गी रूप है, इसको प्रतिपादित किया जायेगा ।
पुन, भामह ने जो पर्यायोक्त का उदाहरण दिया है, उसमे व्यङ्ग्य अर्थ की प्रधानता
है ही नहीं । यहाँ वाच्य अर्थ का उपसर्जनीभाव (गौणत्व) विवक्षित नहीं है । अर्थात्
यहाँ वाच्य अर्थ की प्रधानता होने से उसको ध्वनि नहीं कहा जा सकता ।

पर्यायोक्त का भामहृत्न उदाहरण इस प्रकार है—

पर्यायोक्त यदयेन प्रारंभानभिधीयते ।

वाच्यवाचनगुक्तिभ्या श्रूयेतावगमागता ॥ वाच्यप्रमाण ३८ ॥

जब किसी अन्य प्रकार मे, जहाँ वाच्य-द्वारा व्यापार न हो, कथन किया जाता है
तो वहाँ पर्यायोक्त अलङ्कार होता है । ‘कार्त्तियदर्पण’ एव वाच्यप्रमाण मे भी पर्या-
योक्त के लक्षण इसी प्रकार दिये गए हैं—

‘पर्यायोक्त यदा भङ्गपा न्यमेवाभिधीयते’ ॥ कार्त्तियदर्पण १०६० ॥

पर्यायोक्त विना वाच्यवाचकत्वेन यद्भव ॥ वाच्यप्रमाण १०११५ ॥

जब प्रकारानुसार मे वाच्य-वाचकत्व के विना कोई कथा किया जाता है, तो
उसको पर्यायोक्त अलङ्कार कहते हैं । यही प्रमाण यह है कि जब प्रकारानुसार मे ध्वनि
अर्थ को कथित किया जाता है वहाँ पर्यायोक्त अलङ्कार होता है । अन्ते—

शनुच्चेददृढेच्छस्य भुनेरुपयगामिन ।

रामस्यानेन धनुषा देशिता धर्मदेशना ॥

शत्रु का विनाश करने की दृढ इच्छा वाले और उच्छ्रल मार्ग पर गमन करने वाले परशुराम के लिये इस (भीष्म के) धनुष ने धर्म का उपदेश दे दिया ।

यहाँ 'भीष्म ने युद्ध में परशुराम को पराजित कर दिया,' यह अर्थ व्यङ्ग्य है । प्रकारान्तर से गम्यमान इस अर्थ को कवि ने दूसरे प्रकार से कहा है, अतः यहाँ पर्यायोक्त अलङ्कार है । इस पर्यायोक्त में व्यङ्ग्य अर्थ तो है, परन्तु यह प्रधान नहीं है और वाच्य को ही अलङ्कृत करता है । इसलिये यहाँ ध्वनि नहीं हो सकती ।

पर्यायोक्त अलङ्कार के सम्बन्ध में ध्वनिवार का बचन है कि इसमें दो प्रकार की स्थितियाँ हो सकती हैं—(१) इसमें व्यङ्ग्य अर्थ की प्रधानता हो सकती है (२) व्यङ्ग्य अर्थ गौण रूप से निहित होकर वह वाच्य का उपनारव हो सकता है । पहले प्रकार की स्थिति में पर्यायोक्त अलङ्कार का ध्वनि में अन्तर्भाव हो जायगा । परन्तु ध्वनि का अन्तर्भाव पर्यायोक्त में नहीं होगा । कारण यह है कि जहाँ जहाँ ध्वनि हो, वहाँ वहाँ पर्यायोक्त अलङ्कार भी हो, ऐसा नहीं है, इसके विपरीत व्यङ्ग्य-अर्थ-प्रधान पर्यायोक्त में ध्वनि हो सकती है । अतः व्यङ्ग्यार्थ प्रधान पर्यायोक्त का अन्तर्भाव तो ध्वनि में ही हो सकता है, ध्वनि का अन्तर्भाव पर्यायोक्त में नहीं हो सकेगा । ध्वनिवार ने ध्वनि को महाविषय—व्यापक रूप में और अङ्गीरूप में प्रतिपादित किया है ।

ध्वनिवार का यह भी बचन है कि अलङ्कार के कुछ उदाहरणों में व्यङ्ग्य अर्थ अवश्य ही प्रधान रूप से निहित रहता है, परन्तु सब उदाहरणों में ऐसा नहीं है । स्वयं भामह द्वारा उदाहृत पद्य में व्यङ्ग्य अर्थ की प्रधानता नहीं है ।

पर्यायोक्त अलङ्कार के उदाहरण के रूप में "ध्रम धार्मिक विराट्प." उदाहरण भी दिया गया है । इस उदाहरण में निश्चय रूप से निषेध रूप व्यङ्ग्य अर्थ की प्रधानता है । अतः इसमें ध्वनि का उदाहरण कहा गया है । भामह ने पर्यायोक्त अलङ्कार का निम्न उदाहरण दिया है—

गृहेष्वध्वगु वा नान्न भुञ्जते यदधीनिन ।

विप्रा न मुञ्जते तच्च रमदाननिवृत्तये ॥

राधाप्य करने वाले ब्राह्मण जिम अन्न को नहीं खाने, हम घरों में एवं मार्गों में रमदान (रिषदान) की निवृत्ति के लिये उम अन्न को नहीं खाने हैं ।

यह वृष्ण की शिष्टुपाद के प्रति उक्ति है । जिसका भाव यह है कि हम ब्राह्मणों को भोजन कराये जिना भोजन नहीं करते हैं । यहाँ रमदाननिवृत्ति पद से विषदाननिवृत्ति अर्थ व्यङ्ग्य रूप में प्रतीत होता है । परन्तु यह व्यङ्ग्य-अर्थ-प्रधान नहीं है । इन व्यङ्ग्य अर्थ के द्वारा वाच्य अर्थ 'ब्राह्मणों को भोजन कराये बिना भोजन न करना या उदाहरणों में मात्र अर्थ ही प्रमाण होगा । उसमें उमर्बन्धी-
-- की कहा जा सकता है ।

अपह्नुतिदीपकयोः पुनश्चाद्यस्य प्राधान्यं व्यङ्ग्यस्य चानुयायित्वं प्रसिद्धमेव ।

सङ्करालङ्कारेऽपि यदाऽत्यङ्कारोऽत्यङ्कारान्तरच्छायामनुगृह्णति, तदा व्यङ्ग्यस्य प्राधान्येनाविवक्षितत्वान्न ध्वनिविषयत्वम् । अलङ्कारद्वयसम्भावनायान्तु वाच्यव्यङ्ग्ययोः समं प्राधान्यम् । अथ वाच्योपसर्जनोभावेन व्यङ्ग्यस्य तत्रोपस्थानं तदासौऽपि ध्वनिविषयोऽस्तु, न तु स एव ध्वनिरिति वस्तुं शक्यम् । पर्यायोक्तनिदिष्टन्यायात् । अपि च सङ्करालङ्कारेऽपि च क्वचित् सङ्करोक्तिरेव ध्वनिसम्भावनां निराकरोति ।

इम कारण पर्यायोक्त अलंकार मे जहाँ व्यङ्ग्य अर्थ की प्रधानता है । जैसे— 'अम धामिन् विस्रब्ध' मे, वहाँ ध्वनि हो सकती है । परन्तु जहाँ व्यङ्ग्य अर्थ वाच्य अर्थ वा उपकारक होगा और वाच्य अर्थ की प्रधानता होगी, वहाँ वाच्य पर्यायोक्त अलंकार हो होगा ।

अपह्नुति और दीपक अलंकार मे ध्वनि के अन्तर्भाव का निषेध—

हिन्दी अर्थ—अपह्नुति और दीपक अलङ्कारो मे पुनः वाच्य अर्थ की प्रधानता और व्यङ्ग्य अर्थ का वाच्यानुयायी होना प्रसिद्ध हो है ।

अपह्नुति और दीपक अलङ्कारो का उल्लेख पीछे किया जा चुका है—यथा च दीपकापह्नुत्यादौ व्यङ्ग्यत्वेनोपमाया प्रतीतावपि प्राधान्येनाविवक्षितत्वान्न तथा व्यपदेशान्तरद्वयापि द्रष्टव्यम् । इस प्रसङ्ग मे ध्वनिवार यह प्रतिपादित कर चुके हैं कि दीपक और अपह्नुति मे यद्यपि उपमा व्यङ्ग्य है, तथापि उसमे चात्र्य की विधाति न होने से वह प्रधान रूप से विवक्षित नहीं है, अतः उन अलङ्कारो मे ध्वनि नहीं है । पहले इन अलङ्कारो का उल्लेख करने पर भी यहाँ पुन उल्लेख प्रम से प्राप्त होने के कारण किया गया है, क्योंकि "समासोपमाशेषानुक्तनिमित्त-विशेषोत्पत्तिपर्यायोक्तापह्नुतिदीपकसङ्करालङ्कारादौ" वाक्य मे पर्यायोक्त अलङ्कार के बाद अपह्नुति और दीपक अलङ्कार का बचन किया गया है ।

सङ्कर अलङ्कार मे ध्वनि के अन्तर्भाव का निषेध—

हिन्दी अर्थ—सङ्कर अलङ्कार मे भी जब एक अलङ्कार दूसरे अलङ्कार के साथ ईर्ष की पुष्ट करना है, तब व्यङ्ग्य अर्थ के प्रधान रूप से विवक्षित न होने के कारण यह ध्वनि का विषय नहीं हो सकता । दो अलङ्कारों की सम्भावना होने पर वाच्य और व्यङ्ग्य की प्रधानता समान होती है, अतः वहाँ भी ध्वनि नहीं हो सकती । यदि इसमे वाच्य के जागजंभीमूत (गुणीभूत) होकर व्यङ्ग्य की स्थिति हो (व्यङ्ग्य प्रधान रूप से हो), तो यह भी ध्वनि का विषय हो सकता है । परन्तु वह ही ध्वनि है, यह नहीं कहा जा सकता, जैसे कि पर्यायोक्त अलङ्कार के दिवेचन मे प्रतिपादित किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त एक बात यह है कि सङ्कर अलङ्कार मे वही भी (जब स्थायी दर) सङ्कर मन्त्र का बचन ही ध्वनि की सम्भावना का निराकरण कर देता है ।

लक्षण ग्रन्थो मे पृथक् पृथक् अलङ्कारो वे पृथक्-पृथक् लक्षण बहे गये है । परन्तु अनेक बार ये परस्पर मिश्रित भी हो सकते हैं । यह स्थिति दो प्रकार से हो सकती है—सृष्टि और सवर, जैसा कि विश्वनाथ ने लिखा है—

यद्यंत एवालङ्कारा परस्परविमिश्रिता ।

तदा पृथगलङ्कारो सगृष्टि सवरस्तथा ॥ साहित्यदर्पण १० ६७॥

सङ्कर अलङ्कार के तीन भेद अलङ्कारिका ने किये हैं—अङ्गाङ्गिभाव सङ्कर, एवाश्रयानुप्रवेश सङ्कर और सन्देहसङ्कर । भामह आदि ने एवाश्रयानुप्रवेश सङ्कर के पुन दो भेद किये हैं—एकवाक्यप्रवेश और एकवाक्याश प्रवेश । ध्वनिवार ने इनमें ध्वनि का निषेध किया है, केवल अङ्गाङ्गिभाव सवर म ही वही-वही ध्वनि का विषय सम्भव माना है । इन अलङ्कारों में व्यङ्ग्य की स्थिति एवं उनमें ध्वनि का निषेध या प्रतिपादन इस प्रकार है—

(१) सन्देह सवर—

सन्देह सङ्कर का लक्षण भामह ने इस प्रकार दिया है—

विरुद्धालङ्कारयोस्त्वैवे सम तद्वृत्त्यसम्भवे ।

एकस्य च ग्रहे न्यायदोषाभावे च सङ्कर ॥

परस्पर विरुद्ध दो अलङ्कारों के उपस्थित होने पर और दोनों की उपस्थिति साथ सम्भावित न होने पर किसी एक के ग्रहण करने एवं दूसरे को छोड़ने में युक्ति या दोष न होने पर सङ्कर (सन्देह सङ्कर) अलङ्कार होना है ।

इसके उदाहरण के रूप में साचनवार ने स्वरचित श्लोक दिया है—

शशिवदनाऽमितमरमिजनयनासितकुमुदशनपत्तिरियम् ।

गगनजनरथसम्भवहृथावारा वृत्ता विधिना ॥

चन्द्रमुखी, नीलवमल गयनी और शुभ्रकुमुदशनावली इस नायिका को विधाता ने धावाश, जल और स्थान में उतारन होने वाले मुन्दर पदार्थों के धावार वाला बनाया है ।

इस श्लोक में नायिका व 'शशिवदना' आदि विशेषण बहे गये हैं । इसमें "शशी एवं वदन यस्या सा शशिवदना" और "शशी इव वदन यस्या सा", इस प्रकार दो प्रकार से विग्रह करने पर एक या उपमा अलङ्कार हो सकता है । यहाँ इन दोनों अलङ्कारों में से किस अलङ्कार की उपस्थिति मानी जाय, इस सम्बन्ध में युक्तियों और दोषों के अभाव के कारण निश्चय नहीं हो सकता । अतः रूपक और उपमा दोनों अलङ्कारों की समाप्ति रूप से प्रधानता है । यह निश्चय करना भी कठिन है कि इन दोनों में से कौनसा अलङ्कार व्यङ्ग्य है और कौन सा वाच्य है । इस कारण यह सन्देहसङ्कर अलङ्कार ध्वनि का विषय नहीं हो सकता । सन्देहसङ्कर अलङ्कार में ध्वनि का निषेध करने के लिये ही ध्वनिवार ने लिखा—'अलङ्कारद्वयसम्भावनाया तु वाच्य-व्यङ्ग्ययो मम प्राधान्यम्' ।

(२) एकाश्रयानुप्रवेश संकर—

जहाँ एक ही स्थल में दो अलंकार रहते हैं, वह एकाश्रयानुप्रवेश संकर है ।
‘मामह ने इसके दो भेदों का वर्णन किया है—

शब्दार्थवर्त्यलंकारा वाक्य एवत्र वृत्तिन ।

सङ्करपदैकवाक्याशप्रवेशाद्वाभिधीयते ॥

शब्दालंकार और अर्थालंकार जहाँ एक ही वाक्य में स्थित हों, तब एकवाक्य-
प्रवेश और एकवाक्याशप्रवेश के भेद से दो प्रकार का सङ्कर होता है ।

एकवाक्यप्रवेश का उदाहरण—

“स्मर स्मरमिव प्रिय रमयसे यमालिङ्गतात् ।”

कामदेव के सदृश उस प्रिय का स्मरण करो, जिसके आलिङ्गन से तुम रमण
करती हो ।

यहाँ ‘स्मर, स्मर’ पद की आवृत्ति से यमक अलंकार है और ‘स्मरमिव’ में
उपमा अलंकार है । इन दोनों अलंकारों की स्थिति एक वाक्य में होने से यह एकवा-
क्यप्रवेश सङ्कर है । इस सङ्कर में कोई भी अलंकार प्रतीयमान नहीं है, दोनों ही
वाक्य हैं । अतः इनमें गौण या प्रधान का भाव न होने से ध्वनि नहीं हो सकती ।

एकवाक्याशप्रवेश का उदाहरण—

तुल्योदयावसानात्वाद् गतेऽस्त प्रति भास्वति ।

वासाय यानर वलान्तो विगतीव तमोगुहाम् ॥

सूर्य और दिन का उदय और अवनयन तुल्य होने के कारण सूर्य के अस्त हो
जाने पर खिन्न होगा हुआ दिन निवास करने के लिये मानी अन्धकार रूपी गुफा में
प्रवेश कर रहा है ।

यहाँ ‘इन’ पद से उत्प्रेषा अलंकार है और ‘तमोगुहाम्’ पद में एवदेशविवर्ति
रूप अलंकार है । यह अलंकार “सूर्य की विपत्ति में दिन का अन्धकार रूपी गुफा में
प्रवेश, स्वामि की विपत्ति में समुचित व्रतग्रहण में प्रमत्तशील कुलपुत्र” का रूपण करता
है । यहाँ उत्प्रेषा और रूपक दोनों के वाक्य होने से ध्वनि नहीं हो सकती ।

(३) अङ्गाङ्गिभाव सङ्कर—

जहाँ अलंकार परस्पर एक दूसरे का उपकार करने स्थित होते हैं, वह
अङ्गाङ्गिभाव सङ्कर है । अभिनवगुप्त ने इसके चोखा प्रकार बरने लिखा है
(चतुर्थंशु प्रागो यत्र) । मामह ने इसका लक्षण दस प्रकार दिया है—

परस्परोपकारेण यत्रानवृत्तय रियाग ।

स्वानन्द्येणामनाम नो सभन्ने सोऽपि सङ्कर ॥

जहाँ घोर अलंकार परस्पर उपकार के भाव में स्थित होते हैं और स्वतन्त्र
रूप में आमनाम प्राप्त नहीं करने, वह भी सङ्कर है ।

जैसे—

प्रवासीतोपचरितरिणेन धर्मीरविप्रेक्षितमापनारथा ।

गता दृष्टि नु मृगाङ्गनाम्नगनो दृष्टी नु मृगाङ्गनाभि ॥

यह 'कुमारसम्भव' का श्लोक (१ ८६) है। उम दीर्घ लोचनो वाली पार्वती ने तेज वायु से हिलते दृये नील कमलो के सहज अधीर दृष्टिपात को क्या मृगाङ्गनाभो से ग्रहण किया था, अथवा मृगाङ्गनाभ्रा न पार्वती से उसे ग्रहण किया था ?

यहाँ सन्देह अलङ्कार वाच्य है तथा उससे पार्वती की दृष्टि एव मृगाङ्गनाभ्रो की दृष्टि, यह उपमा व्यङ्ग्य होती है। परन्तु यह उपमाजनित चमत्कार सन्देह की शोभा का ही पोषण करता है। अत व्यङ्ग्य उपमा के गुणीभूत हो जाने से यहाँ ध्वनि नहीं है।

इस प्रकार ध्वनिवार ने यह प्रदर्शित किया है कि सङ्घर अलङ्कार के किसी भी भेद में ध्वनि नहीं होती। परन्तु यदि कहीं वाच्य अलङ्कार गुणीभूत होकर व्यङ्ग्य अलङ्कार प्रधान रूप से स्थित हो, तो वहाँ ध्वनि हो सकती है। जैसे—

होइ ण गुणाणुराभ्रो खनाण णवर पसिद्धिमरणाणम ।

किर पट्टिणसइ समिमण चन्दे पिघामुहे दिट्ठे ॥

(भवति न गुणानुराग खलाना केवल प्रसिद्धिशरणाणाम् ।

कि प्रसूति शशिमणि चन्द्रे न प्रियामुखे दृष्टे ॥)

केवल प्रसिद्धि को ही चाहने वाले दुष्ट मनुष्यों को गुणों के प्रति अनुराग नहीं होता। चन्द्रकांत मणि चन्द्रमा को देखकर ही द्रवित होता है प्रिया के मुख को देखकर नहीं।

इस पद्य में अर्थान्तरन्यास अलङ्कार वाच्य है एव व्यतिरेक और अपह्नुति अलङ्कार व्यङ्ग्य है। व्यङ्ग्य अलङ्कारों के अतिशय चत्वार जनन होने से यहाँ ध्वनि होगी।

जिन स्थलों में व्यङ्ग्य अलङ्कारों की प्रधानता होगी वहाँ ध्वनि होगी, इसकी पुष्टि ध्वनिवार ने "सोऽपिध्वनिविषयोऽन्तु" कह कर की है। परन्तु सङ्घर में सब स्थानों ध्वनि उसी प्रकार से नहीं हो सकती, जैसा कि पर्यायोक्त अलङ्कार के प्रसङ्ग में प्रतिपादित किया जा सकता है। ध्वनि के महाविषय होने के कारण और अङ्गी होने के कारण इस प्रकार के सङ्घर के स्थलो में ध्वनि तो हो सकती है, परन्तु उमम ध्वनि वा अन्तर्भाव नहीं हो सकता।

ध्वनिवार की यह भी मान्यता है कि सङ्घरानङ्कार में ध्वनि की स्थिति नहीं भी नहीं हो सकती। इसमें सङ्घर शब्द की उपस्थिति ही ध्वनि का निराकरण कर देती है। सङ्घर्षाता वा अभिप्राय लोचनीभाव अथवा परस्पर मित्रता एवानार हो जाता है। तो उनमें गुणप्राधान्यभाव नहीं हो सकता और किसी अन्वय के गौण या प्रधान न रहने के कारण ध्वनि भी नहीं हो सकती। 'होइ ण गुणाणुराभ्रा' जैसे उदाहरणों में सङ्घर में ध्वनि प्रदर्शित की गई है। परन्तु इनमें सङ्घर वा उदाहरण समाभूता ही उचित नहीं है। यह ध्वनि के दूसरे भेद अलङ्कारध्वनि वा उदाहरण है।

अप्रस्तुतप्रशंसायामपि यदा सामान्यविशेषभावान्निमित्तनिमित्ति-
भावाद्वा अभिधीयमानस्याप्रस्तुतस्य प्रतीयमानेन प्रस्तुतेनभिसम्बन्धस्तदा-
ऽभिधीयमानप्रतीयमानयोः सममेव प्राधान्यम् । यदा तावत् सामान्यस्या-
प्रस्तुतस्य अभिधीयमानस्य प्राकरणिकेन विशेषेण प्रतीयमानेन सम्बन्ध-
स्तदा विशेषप्रतीतौ सत्यामपि प्राधान्येन तत्सामान्येनाविनाभावात्
सामान्यस्यापि प्राधान्यम् । यदापि विशेषस्य सामान्यनिष्ठत्वं तदापि
सामान्यस्य प्राधान्ये सामान्ये सर्वविशेषाणामन्तर्भावाद् विशेषस्यापि
प्राधान्यम् । निमित्तनिमित्तिभावे चायमेव न्यायः ।

यदा तु सारूप्यमात्रवशेनाप्रस्तुतप्रशंसायामप्रकृतप्रकृतयोः सम्बन्ध-
स्तदाध्यप्रस्तुतस्य सारूप्यस्याभिधीयमानस्य प्राधान्येनाविवक्षायां ध्वनावैवा-
न्तःपातः । इतरथात्वलङ्कारान्तरमेव ।

अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार में ध्वनि का निषेध—

हिन्दी अर्थ—अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार में भी जब सामान्य-विशेषभाव से
अथवा निमित्त-निमित्तिभाव से अभिधीयमान अप्रस्तुत का प्रतीयमान प्रस्तुत से सम्बन्ध
होता है, तब अभिधीयमान अप्रस्तुत एवं प्रतीयमान प्रस्तुत दोनों की प्रधानता
समान होती है । और जब अभिधीयमान सामान्य अप्रस्तुत का प्रतीयमान विशेष
प्रस्तुत के साथ सम्बन्ध होता है, तब विशेष की प्रतीति की प्रधानता होने परभी
उस विशेष का सामान्य के साथ अविनाभाव सम्बन्ध होने के कारण सामान्य का भी
प्राधान्य होता है । जब विशेष सामान्यनिष्ठ होता है, तब सामान्य के प्राधान्य होने
पर भी, समस्त विशेषों का अन्तर्भाव होने के कारण विशेष की भी प्रधानता होती
है । निमित्तनिमित्तिभाव में भी यह नियम रहता है ।

जब सादृश्यमूलक अप्रस्तुतप्रशंसा में अप्रस्तुत और प्रस्तुत का सम्बन्ध होता है,
तब अभिधीयमान सादृश अप्रस्तुत के प्राधान्य की विकृता न होने पर इतना अन्तर्भाव
ध्वनि में ही जाना है । अन्यथा (प्राधान्य की विवक्षा होने पर) यह एक प्रकार का
अलंकार ही होगा ।

यद्यपि पहले वृत्ति में ध्वनिार ने अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार का उल्लेख नहीं
किया था, तथापि 'सङ्करालङ्कारादी' पद में ध्वनि पद में अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार
का ग्रहण करते वे इस अलंकार में ध्वनि के अन्तर्भाव का निषेध कर रहे हैं ।
अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार में वाच्य अप्रस्तुत के द्वारा ध्वन्यध्वन्य प्रस्तुत का आरोप किया
जाने से इस अलंकार में प्रतीयमान अर्थ निषेध रूप से रहता है ।

अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार का ग्रहण भागह ने निम्न किया है—

अधिताराद्येतस्य वस्तुनोऽयस्य वा श्रुतिः ।

अप्रस्तुतप्रशंसा वा विविधा परिवर्तिता ॥

अधिकार (प्रस्तुतत्व) से रहित अन्य (अप्रस्तुत) वस्तु का जब कथन होता है, उसे अप्रस्तुतप्रशसा कहते हैं। यह अप्रस्तुतप्रशसा तीन प्रकार की होती है— सामान्य विशेष भाव से, निमित्तनिमित्त भाव (कारणकार्यभाव) से और साहचर्य से। इसकी व्याख्या अभिनवगुप्त ने इस प्रकार की है—

“अप्रस्तुतस्य वर्येण प्रस्तुताक्षेपिण इत्यर्थे । स चाक्षेपस्त्रिविधो भवति— सामान्यविशेषभावात्, निमित्तनिमित्तभावात्, साहचर्याच्च ।

इनमें सामान्यविशेषभाव के दो भेद हैं—(१) अप्रस्तुत सामान्य से प्रस्तुत विशेष का आक्षेप और (२) अप्रस्तुत विशेष से प्रस्तुत सामान्य का आक्षेप ।

निमित्तनिमित्तभाव के भी दो भेद होते हैं—(१) अप्रस्तुत निमित्त से प्रस्तुत निमित्ती का आक्षेप और (२) अप्रस्तुत निमित्ती से प्रस्तुत निमित्त का आक्षेप ।

साहचर्य के तीन भेद होते हैं—(१) श्लेषनिमित्त, (२) समारोहनिमित्तक और (३) सादृश्यमाननिमित्तक । परन्तु साहचर्य भेद से अप्रस्तुतप्रशसा के भेद कम ही प्रदर्शित किये जाते हैं। अतः अप्रस्तुतप्रशसा के मुख्य रूप से निम्न पाँच भेद किये गये हैं—

- (१) अप्रस्तुत सामान्य से प्रस्तुत विशेष का आक्षेप ।
- (२) अप्रस्तुत विशेष से प्रस्तुत सामान्य का आक्षेप ।
- (३) अप्रस्तुत निमित्त से प्रस्तुत निमित्ती का आक्षेप ।
- (४) अप्रस्तुत निमित्ती से प्रस्तुत निमित्त का आक्षेप ।
- (५) अप्रस्तुत सदृश वस्तु से प्रस्तुत सदृश वस्तु का आक्षेप ।

आचार्य मम्मट ने अप्रस्तुतप्रशसा का लक्षण बरते हुए ऊपर बड़े गये प्रकार से ही इस अलंकार के भेद प्रदर्शित किये हैं—

अप्रस्तुतप्रशसा या सा सैव प्रस्तुताश्रया ॥

कार्ये निमित्ते सामान्ये विशेषे प्रस्तुते यदि ॥

तदन्यस्य वचस्तुन्ये तुल्यस्येति च पञ्चरा ।

वाक्यप्रकाश १०-६८-६९ ॥

अप्रस्तुत अर्थ द्वारा प्रस्तुत अर्थ का आक्षेप करने पर अप्रस्तुतप्रशसा अलंकार होता है। वह पाञ्च प्रकार का होता है—(१) अप्रस्तुत निमित्त से प्रस्तुत कार्य का आक्षेप, (२) अप्रस्तुत कार्य से प्रस्तुत निमित्त का आक्षेप, (३) अप्रस्तुत विशेष से प्रस्तुत सामान्य का आक्षेप, (४) अप्रस्तुत सामान्य से प्रस्तुत विशेष का आक्षेप और प्रस्तुत तुल्य से प्रस्तुत तुल्य का आक्षेप ।

आचार्य आनन्दवर्धन ने अप्रस्तुतप्रशसा के पढ़ने चारों भेदों सामान्य और विशेष, एव निमित्त और निमित्ती में वाच्य और व्यङ्ग्य अर्थ में सम प्राधान्य मान कर इनमें ध्वनि के विषयत्व का स्पष्टन किया है। परन्तु सामान्य भेद में यदि व्यङ्ग्य अर्थ में अधिक चम्पत्कार है तो वह ध्वनि का विषय ही बनता है, और यदि उगम वाच्य अर्थ की अपेक्षा अधिक चम्पत्कार नहीं है, तो वह अलंकारमान है ।

अप्रस्तुत प्रशंसा के इन भेदों के उदाहरण देकर उनमें ध्वनि के विषयता की विवेचना की जाती है ।

(१) अप्रस्तुत सामान्य से प्रस्तुत विशेष का आक्षेप—

अहो संसारनैर्धृष्यमहो दौरात्म्यमापदाम् ।

अहो निसर्गजिह्वास्य दुरन्ता गतयो विधेः ॥

संसार की निर्दयता आश्चर्यजनक है । आपत्तियों की दुष्टता आश्चर्यजनक है, स्वभाव से कुटिल विधाता की गतियों का पार न पा सकना आश्चर्यजनक है ।

‘सर्वत्र विधि का ही प्राधान्य है ।’ इस अप्रस्तुत सामान्य से किसी प्रस्तुत विनाशरूप विशेष वस्तु का आक्षेप होता है । यहाँ अप्रस्तुत वाच्य सामान्य और प्रस्तुत प्रतीयमान विशेष, इन दोनों अर्थों के समप्राधान्य होने से यह ध्वनि का विषय नहीं है ।

(२) अप्रस्तुत विशेष से प्रस्तुत सामान्य का आक्षेप—

एतत्तस्यमुक्तात् क्रियत्कमलिनीपत्रे कर्णं वारिणो

यन्मुक्तामणिरित्यमस्त स जडः शृण्वन्यदस्मादपि ।

अङ्गुल्यप्रलपुक्रियाप्रविलयिन्यादीयमाने जनैः ।

कुत्रोड्डीय ममेत्यनुदिनं निद्राति नान्तःशुचा ॥

उसके मुग से यह कितनी सी बात निकली थी कि उस मूर्ख ने कमलिनी के पत्र पर पड़े हुए पानी के कण को मोती समझ लिया था । अब उससे आगे की बात भी सुनो । उस मोती को जब वह धीरे से अङ्गुली के मजले भाग से उठाने लगा और उस क्रिया से वह मोती विलुप्त हो गया, तो मेरा वह मोती उड़कर न जाने कहाँ चला गया है, अन्तःकरण के इस शोक से उसको नींद नहीं आती है ।

यहाँ अप्रस्तुत वाच्य जलविन्दु में ‘मोती की सम्भावना’, इस विशेष से प्रस्तुत-प्रतीयमान ‘अयोग्य स्वान पर महत्व की सम्भावना—इस सामान्य का आक्षेप होता है । परन्तु वाच्यविशेष और प्रतीयमान सामान्य दोनों के समप्राधान्य होने से यहाँ ध्वनि नहीं है ।

(३) अप्रस्तुत निमित्त में प्रस्तुत निमित्तों का आक्षेप—

ये यान्त्यभ्युदये प्रीतिं नोज्ज्वन्ति व्यसनेषु च ।

ते गन्धवास्ते गुह्यो लोकः स्वार्थपरोऽपरः ॥

जो उन्नति होने पर प्रसन्न होते हैं और आपत्ति आने पर छोड़ते नहीं हैं, वे ही बन्धु हैं और वे ही मित्र हैं । हमारे लोग स्वार्थी हैं ।

यहाँ अप्रस्तुत ‘गुह्यद्वान्ध्वनरूप निमित्त’ से प्रस्तुत ‘मग्ननों के मोख के प्रति श्रद्धारूप कार्य’ की अभिव्यक्ति होती है । इन दोनों वाच्य निमित्त तथा प्रतीयमान कार्य के समप्राधान्य होने से यहाँ ध्वनि नहीं है ।

(४) अप्रस्तुत निमित्तों से प्रस्तुतनिमित्त का आक्षेप—

रागं अपारिजाप बन्धुहृन्विद्धरहिष मृमृत्सम उरम् ।

मुमरामि महणपुरषो ममुद्धमन्दं च हरजडावन्वारम् ॥

स्वर्गं पारिजातं त्रीन्भुवनभूरीरहितं मधुसूदारय उर ।

स्मरामि गन्तारिषोरमुपचन्द्रं च हृजटापभारम् ॥

समुद्रगन्धन म पूर्ण के पारिजात मे रहित स्वर्ग को, त्रीन्भुव एव पदमी से रहित विष्णु के यक्ष म्वन को तथा सुन्दर चन्द्रमा से रहित शिव की जटाघ्रा के भार को मैं स्मरण करता हूँ ।

यहाँ अप्रस्तुत वाच्य 'त्रीन्भुव, लक्ष्मीरहितं त्रिणु के यक्ष स्थान आदि' वायों के द्वारा जाम्बवान् न प्रस्तुत प्रतीयमान कारण 'मन्त्रिषु व के त्रिय उपादेय गुणो-वृद्ध-सेवा, चिरजीवितव, व्यवहारयोग्य आदि का यणन किया है। इस पद्य मे अप्रस्तुत वाच्य कार्य एव प्रस्तुत प्रतीयमान कारण, इन दोनों के समान रूप से चमत्कारी होने के कारण ध्वनि नहीं है ।

(५) अप्रस्तुत सदृश वस्तु से प्रस्तुत सदृश वस्तु का आक्षेप—

अप्रस्तुत प्रथमा के सारथ्य भेद म ध्वनिहार व अनुगार दो स्थितियाँ हो सकती हैं। यदि प्रस्तुत प्रतीयमान अथ म अप्रस्तुत वाच्य अर्थ की अपेक्षा से प्रधानता नहीं है, तो यहाँ ध्वनि नहीं होगी। यदि अप्रस्तुत वाच्य अर्थ की अपेक्षा प्रस्तुत प्रतीयमान अथ अधिच चमत्कारी है, तो यह ध्वनि का विषय होगा। दोनों के उदाहरण प्रथम दिये जाने हैं—

प्राणा येन समर्पितास्तव वलाद्येन त्वमुच्चापित
स्वन्दे यस्य चिर स्थिनोऽसि विदध यस्ते सपर्यामिणि ।
तस्यास्य स्मितमात्रनेण जनयन् प्राणापहारत्रिया
भ्रात प्रत्युपकारिणा धुरि पर वताल लीलायसे ॥

हे भाई वेताल! जिसने तुम्हारे म प्राणों को अर्पित किया था, जिसने अपने बल से तुमको उठाया था, जिसके बन्धे पर तुम देर तक बैठे रहे थे, जिसने तुम्हारी पूजा की थी, उस प्रवार के इस व्यक्ति के प्राणों को स्मितमात्र से अपहृत करते हुये तुम प्रत्युपकार करने वालों के सबसे आगे शोभित होते हो ।

यहाँ अप्रस्तुत वेताल के वृत्तान्त के सादृश्य से किसी दूसरे प्रस्तुत वृत्तध्न का वृत्तान्त आक्षिप्त होता है। परन्तु उस प्रस्तुत प्रतीयमान वृत्तध्न के वृत्तान्त की अपेक्षा यहाँ अप्रस्तुत वाच्य वेताल का वृत्तान्त ही अधिच चमत्कारी है। अतः यहाँ ध्वनि न होकर शलङ्कार मात्र है। यह पद्य अभिनवगुप्त के गुरु भट्टेन्दुराज की रचना है। अथवा—

भावदानहृडाञ्जनस्य हृदयान्यानम्य यन्तर्तया
भङ्गीभिर्विधाभिरात्महृदय प्रच्छाद्य सङ्घ्राडम् ।
स त्वामाह जड तत सदृशमन्यवदु शिथिनो
मन्यमुप्य जडामा स्तुतिपद त्वत्साम्यगम्भारान् ॥

सौन्दर्य के आकर चन्द्रमा आदि हे पदार्थतमूह ! तुम विविध प्राण की भङ्गीमात्रों से अपने हृदय ने रहस्य तो छिपाकर जो लोगों के हृदयों की वलपूर्वक

तदयमत्र संक्षेपः—

व्यङ्ग्यस्य यत्राप्राधान्यं वाच्यमात्रानुयायिनः ।
समासोक्त्यादयस्तत्र वाच्यालंङ्कृतयः स्फुटाः ॥
व्यङ्ग्यस्य प्रतिभामात्रे वाच्यार्थानुगमेऽपि वा ।
न ध्वनिर्यत्र वा तस्य प्राधान्यं न प्रतीयते ॥
तत्परावेव शब्दायौ यत्र ध्वङ्ग्यं प्रति स्थितौ ।
ध्वनेः, स एव विषयो मन्तव्यः सङ्करोऽभिमतः ॥

तस्मान्न ध्वनेरन्तर्भावः ।

आवृष्ट करके नचाते हुये खेलते ही, इसी कारण अपने आप को सहृदय मानने से दुःखी जन तुमको जड़ (शीतल) कहता है। परन्तु मैं ऐसा समझता हूँ कि उसको जड़ (मूर्ख) कहना भी उसकी स्तुति है, क्योंकि उससे तुम्हारे साथ उनकी समानता (मूर्खता) की सम्भावना होती है।

इस पद्य में किसी वीतराग महापुरुष का उदार चरित प्रतीयमान है, जो कि अत्यधिक विद्वान् और गुणवान् होते हुये भी अपने गुणों को प्रकाशित न करने के कारण लोग द्वारा मूर्ख समझा जाता है। यहाँ अप्रस्तुत वाच्य चन्द्रमा के वृत्तान्त की अपेक्षा प्रस्तुत प्रतीयमान महापुरुष का लोकोत्तर चरित अधिक् चमत्कारजनक है और वही प्रधान है। अतः प्रतीयमान अर्थ के प्रधान होने से यह ध्वनि (वस्तुध्वनि) है। इसको अलंकार न कह कर ध्वनि ही कहेंगे।

इस प्रकार ध्वनिकार यह सिद्ध करते हैं कि अप्रस्तुत प्रतीका के सामान्य विशेष भाव एव निमित्तनिमित्तभाव भेदों में वाच्य और प्रतीयमान अर्थों में प्रतीयमान अर्थ का प्राधान्य न होने से ध्वनि नहीं है। परन्तु सारूप्य भेद में जहाँ प्रतीयमान अर्थ की प्रधानता है, वहाँ ध्वनि होगी और जहाँ प्रधानता नहीं है, वहाँ वह अलंकारमात्र ही होगा।

अलङ्कारों में ध्वनि का समावेश नहीं हो सकता, इस तथ्य का ध्वनिकार ने विस्तृत रूप से युक्तियों द्वारा प्रतिपादित किया है। अपने इस प्रतिपादन को वे अब संक्षेप से श्लोकों में कहते हैं—

हिन्वी अर्थ—इस सब कथन का सारांश यह है—

जिन समासोक्ति आदि अलङ्कारों में व्यङ्ग्य अर्थ वाच्य अर्थ का अनुगमन करते हुये प्राधान्य रूप से विवक्षित नहीं होने, वे समासोक्ति आदि अलङ्कार स्फुट रूप से वाच्यालङ्कार हैं।

जिन अलङ्कारों में व्यङ्ग्य अर्थ का आभासमात्र होता है या वे वाच्य अर्थ का अनुगमन करने वाले होते हैं और उनका प्राधान्य प्रतीत नहीं होता, वहाँ भी ध्वनि नहीं है।

जहाँ वाच्य अर्थ और वाचक शब्द व्यङ्ग्य अर्थ के प्रति उत्तर होकर ही स्थित होते हैं, अर्थात् जहाँ व्यङ्ग्य अर्थ की प्रधानता होती है, उसको ही ध्वनि वा विषय समझना चाहिये। परन्तु सङ्कर को छोड़कर। अर्थात् सङ्कर ध्वनि का विषय नहीं होता।

इस कारण ध्वनि का अन्तर्भाव अलङ्कार आदियों से नहीं हो सकता।

तदयमत्र सक्षेप — इस पद की व्याख्या करते हुए अभिनवगुप्त वा बचन है कि वृत्ति में जो आदि पद का ग्रहण किया गया है, उससे व्याजस्तुति आदि उन सब अलङ्कारों का ग्रहण कर लेना चाहिये, जिनमें व्यङ्ग्य अर्थ वा अनुप्रवेश सम्भावित है—

“उद्देशे यदादिग्रहणं कृतं समासोक्तित्थं द्वन्द्वे तेन व्याजस्तुतिप्रभृतिरलङ्कार-वर्गोऽपि सम्भाव्यमानव्यङ्ग्यानुप्रवेश सम्भावितः। तत्र सवन साधारणमुनर दातुमुप-क्रमते—तदयमत्रेति।

प्रतिभामात्रे—इस पद का अर्थ है कि जहाँ व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति स्पष्ट नहीं है, उसका आभासमान है। इसको अभिनवगुप्त ने इस प्रकार स्पष्ट किया है—

“यथोपमादौ क्लिप्ताप्रतीतिः”

इसी भाव को ध्वनिवार ने दूसरे उद्योत में स्पष्ट किया है—

यत्र प्रतीयमानोऽथ प्रक्लिप्तत्वेन भासते।

वाच्यस्याङ्गतया धापि नास्यासी गोचरोऽभवे ॥२३१॥

वाच्यार्थानुगमे—इसको अभिनवगुप्त ने इस प्रकार स्पष्ट किया है—

“वाच्येनावेनानुगमं समं प्राधान्यम् अग्रस्तुप्रतशसायागित्यर्थः।”

जहाँ व्यङ्ग्य अर्थ का प्राधान्य वाच्य अर्थ के समान होता है, जैसा कि—
अग्रस्तुप्रणसा अलङ्कार में है।

इस प्रकार दूसरे श्लोक में कहा गया है—जहाँ व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति क्लिप्त हो, वाच्य के साथ समप्राधान्य हो, अथवा अस्पष्ट प्राधान्य हो, वहाँ ध्वनि नहीं होती।

सङ्करोऽभिमत — जहाँ सङ्कर अलङ्कार है, वहाँ ध्वनि नहीं होगी। इस पद की व्याख्या अभिनवगुप्त ने इस प्रकार की है—

“सङ्करेणालङ्कारानुवेशसम्भावनाया उज्जिभ इत्यर्थः। सङ्करालङ्कारेणेति त्वसत्। अन्यालङ्कारोपलक्षणत्वे हि क्लिप्तं स्यात्”।

सङ्कर से अर्थात् समासोक्ति आदि अलङ्कारों के अनुप्रवेश की सम्भावना से रहित होने से उज्जिभ शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ ‘सङ्करालङ्कार से’ यह व्याख्या करना ठीक नहीं है। दूसरे अलङ्कारों का उपलक्षण मानने पर यह व्याख्यान क्लिप्त हो जायेगा।

सङ्कर अलङ्कार में ध्वनि का निषेध आनन्दवर्धन ने वृत्ति में ही स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है—

“अपि च सङ्करालङ्कारेऽपि क्वचित् सङ्करोक्तिरेव ध्वनिमभावना निरावरोति”।

इतश्च नान्तर्भाव । यत् काव्यविशेषोऽङ्गी ध्वनिरिति कथित । तस्य पुनरङ्गानि अलङ्कारा गुणा वृत्तयश्चेति प्रतिपादयिष्यन्ते । न चावयव एव पृथग्भूतोऽवयवीति प्रसिद्ध । अपृथग्भावे तु तदङ्गत्व तस्य । न तु तत्त्वमव । यत्रापि तत्त्व तत्रापि ध्वनेमहाविषयत्वात् न तन्निष्ठात्वमेव ।

‘सूरिभि कथित’ इति चिद्वदुपज्ञेयमुक्ति, न तु यथाकञ्चित् प्रवृत्तेति प्रतिपाद्यते ।

पिछले प्रकरण म ध्वनिवार न यह प्रतिपादित किया ह कि अलङ्कार आदि म ध्वनि का अतभाव नहीं हो सकता । इगको प्रतिपादित करन क निय व पुन एक और युक्ति दत हैं—

हिंदी अर्थ—और इस कारण भी ध्वनि का अतर्भाव अलङ्कार आदि मे नहीं हो सकता, क्योंकि ध्वनि को काव्यविशेष अङ्गी कहा गया है । आगे यह भी प्रतिपादित किया जायेगा कि अलङ्कार, गुण और वृत्तिया उस काव्य के अङ्ग हैं । यह बात प्रसिद्ध है कि अवयव ही पृथक् होकर अवयवी नहीं कहा जाता । अपृथक् होने पर अर्थात् ध्वनि से अलग रूप मे स्थित न होने पर वे अलङ्कार आदि ध्वनि के अङ्ग ही होते हैं । उनका ताव (अङ्गीरूप होना) नहीं होता । जहाँ कहीं तत्त्व (अङ्गीरूप से होना) होता भी है वहाँ भी ध्वनि के महाविषय होने से उसकी तनिष्ठाता (अलङ्कार मे अतर्भाव होना) नहीं हो सकती ।

ध्वनिवार न अलङ्कार आदि म ध्वनि के अतभाव न हाने की एक और युक्ति दी है कि ध्वनि अङ्गी है तथा अलङ्कार, गुण और वृत्तियाँ उसकी अङ्गरूप है । ये अलङ्कार आदि ध्वनि स अलग हाकर उभी प्रकार अङ्गी नहीं हो सकते जिस प्रकार कोई अवयव अपन अवयवी से पृथक् होकर अवयवी नहीं कहा सकते । ध्वनि के साथ रहने पर ये सदा ध्वनि व अङ्गरूप म रहते हैं तथा य अङ्गी नहीं हो सकते । परन्तु कभी-कभी वे अङ्गीरूप म भी हो सकते हैं, जैसे कि ‘अमघामिन विसन्ध , माता अत्र निमज्जति नस्य वा न भवति रोप आदि पर्यायोक्त क उदाहरणा म है । परन्तु ध्वनि क महाविषय (अधिक स्थानो म होना उन स्थाना के अतिरिक्त अय स्थाना पर भी होता होने से ध्वनि का अतर्भाव उनम नहीं किया जा सकता । इसके विपरीत इन स्थितिया मे वे अलङ्कार ही ध्वनि व विषय हाग और वहा ध्वनि का एक भेद अलङ्कारध्वनि होगा ।

ध्वनि काव्य के लक्षण (कारिका १३) म ध्वनिकात् न सूरिभि कथित पदो का प्रयोग किया है । इसके अभिप्राय का व स्पष्ट करते हैं—

हिंदी अर्थ—विद्वानो ने कहा है, इसका अभिप्राय है कि यह ध्वनि सिद्धांत विद्वानो के मत के अनुसार (विद्वन्मतमूलक) है जो ही जैसे तैसे (अप्रामाणिक रूप से अपनी कल्पना के अनुसार ही) नहीं चल पाया है, जो इसका प्रतिपादन किया जा रहा है ।

प्रथमे हि विद्वांसो वैयाकरणा, ध्याकरणमूलत्वात् सर्वविद्यानाम् ।
ते च श्रूयमाणेषु वर्णेषु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति । तथैवान्यैस्तन्मतानुसारिभिः
सूरभिः काव्यतत्त्वायं दशभिर्वाच्यवाचकसम्मिश्रः शब्दात्मा काव्यमिति
व्यपदेशयो व्यवञ्जकत्वसाम्याद्ध्वनिरित्युक्तम् ।

ध्वनिकारक कथन का अभिप्राय यह है कि ध्वनि का प्रयोग हमने अपनी कल्पना से ही नहीं कर दिया है अपितु प्राचीन ज्ञान से ही विद्वानों ने, वैयाकरणों ने इसका प्रतिपादन किया है, इसीलिये इस सिद्धान्त का ध्वनिविरोधिया को खण्डन नहीं करना चाहिये, अपितु इस पर विश्वास करना चाहिये ।

विद्वदुपज्ञा—इस पद की व्युत्पत्ति का प्रकार से ही सक्ती है—‘विदुषाम् उपज्ञा’ (तत्पुरुष समास) और ‘विद्वद्गुण उपज्ञा प्रथम उपक्रमो यस्या उक्ते सा (बहुव्रीहि समास) । अभिनवगुप्त का कथन है कि इसमें बहुव्रीहि समास मानना चाहिये । यदि यह तत्पुरुष समास होता तो इसमें “उपज्ञोपक्रम तदाद्याचिरव्यासायाम्” (पा० २४२१) नियम से नपु सक्लिङ्ग होता, जैसे कि ‘पाणिन्युपज्ञमकालक व्याकरणम्’ में हुआ है ।

अब ध्वनिकार विद्वानों, वैयाकरणों द्वारा ध्वनि सिद्धान्त के प्रतिपादन का उल्लेख करते हैं—

हिन्दो अर्थ—प्रथम (सयसे प्रमुख) विद्वान् वैयाकरण हैं, क्योंकि व्याकरण सभी विद्याओं का मूल है । वे वैयाकरण सुनाई देने वाले वर्णों में ध्वनि है, इस प्रकार से व्यवहार करते हैं । उसी प्रकार से उन वैयाकरणों के मत का अनुसरण करने वाले काव्यतत्त्वायं दशों द्वारा विद्वानों ने भी (१) वाच्य, (२) वाचक (६) सम्मिश्र—व्यङ्ग्य अर्थ (४) शब्दात्मा—व्यञ्जना ध्यापार और (५) काव्य पद से व्यवहार्य अर्थान् काव्य, इन पाञ्चों को व्यवञ्जकत्व की समानता के कारण ध्वनि इस प्रकार से कहा है ।

प्रथमे हि विद्वांसो वैयाकरणा—वैयाकरणों को सबसे प्रमुख विद्वान् माना गया है, क्योंकि सभी विद्याओं का मूल व्याकरण है । सभी ग्रन्थ किसी भाषा में लिखे जाते हैं । इस भाषा को समझने के लिये व्याकरण का ज्ञान अनिवार्य है । अतः व्याकरण सबसे प्रमुख है । जैसा कि कहा गया है—

उपामनीय यत्नन शास्त्र व्याकरणं महत् ।

प्रदीपभूत सदाता विद्याना यदवस्थितम् ॥

वाक्यपदीय में व्याकरण और वैयाकरणों की प्रशंसा इस प्रकार की गई है—

इदमाद्य पदस्थान मुक्तिभोपान पर्वणाम् ।
 इय सा मोक्षमाणानामजिह्वा राजपद्धति ॥
 रूपान्तरेण त देवा विचरन्ति महीतले ।
 ये व्याकरणसंस्कारपवित्रित मुरस्या नरा ॥

ॐ:

ते च श्रूयमाणेषु वर्णेषु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति—वैयाकरणो वा कथन है कि श्रूयमाण वर्णों में ध्वनि होती है तथा उसी के द्वारा हमको शब्द से अर्थ का बोध होता है। यह ध्वनि या वैयाकरणा का स्फोट शब्द के अर्थ का ज्ञान कराता है। आलङ्कारिका की ध्वनि वा वैयाकरणा के स्फोट के साथ साम्य है। वैयाकरणा के स्फोट के सिद्धान्त को समझने के लिये सुनन की प्रक्रिया एवं तदनन्तर अर्थ की अभिव्यक्ति की प्रक्रिया को समझ लेना आवश्यक है।

जब कोई शब्द उत्पन्न होता है, तो वह आद्य रूप में श्रुतिगोचर नहीं होता। यह उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है, परन्तु नष्ट हान से पूर्व दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार दूसरा शब्द तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पाचवे का उत्पन्न करते जाते हैं। इसको 'बीचीमन्तानन्याय' कहते हैं। जिन प्रकार किसी जलाशय में एक कबड को डाल देने पर एक छोटी सी गोलाकार लहर उत्पन्न होती है, जो एक के बाद दूसरी गोलाकार लहरों को उत्पन्न करके सारे जलाशय को व्याप्त कर लेती है, उसी प्रकार से उत्पन्न शब्द अपने उत्पत्ति स्थान के चारों ओर एक शब्दतरंग के चक्र को उत्पन्न करता है और यह बढ़ते बढ़ते सुदूर आकाश क्षेत्र में व्याप्त हो जाता है। इस प्रकार से उत्पन्न य तरंगचक्र घट्टानुरणरूप होते हैं। जिस प्रकार घण्टे के बजने के पश्चात् भी कुछ समय तक उनका घनुरणन (गुञ्जन) बना रहता है, उसी प्रकार की यह स्थिति है और घट्टानुरणरूप होने के कारण इसको ध्वनि कहते हैं।

शब्द, जिनको कि हम सुनते हैं, तीन प्रकार के होते हैं—सयोगज, विभागज और शब्दज। दो वस्तुओं के सयोग से उत्पन्न होने वाले शब्द सयोगज हैं, जैसे कि घण्टे पर मू गरी के सयोग से घण्टे का शब्द उत्पन्न होता है। वियोग में उत्पन्न शब्द वियोगज है, जैसे कि कागज को पाइन से शब्द उत्पन्न होता है। प्रारम्भिक शब्द की उत्पत्ति सयोगज या वियोगज है। परन्तु य प्रारम्भिक शब्द श्रोता को श्रुतिगोचर नहीं होने परन्तु उन शब्दों से आकाशीय क्षेत्र में जो तरङ्गा के रूप में शब्दधारा उत्पन्न होती है, वही श्रोता के पास प्रदेश में आकर श्रुतिगोचर होती है। यह शब्द ही शब्दज है तथा शब्दज शब्द ही गुप्त देते हैं। यद्यपि घण्टे का जा प्राय शब्द है यह श्रुतिगोचर नहीं है, किन्तु उससे उत्पन्न एक उगवे महेश शब्दज शब्द ही श्रुतिगोचर होते हैं। य आद्य शब्द, जो कि सयोगज या वियोगज है, स्वयं नष्ट हो जाते हैं। अनित्यतावादी नैयायिका के अनुसार इन आद्य शब्दों का विनाश होता है एवं नित्यतावादी वैयाकरण इनका निरोध मानते हैं। सयोग या वियोग से उत्पन्न

आद्य शब्दों को वैयाकरणों ने स्फोट कहा है, उससे उत्पन्न शब्दों को ध्वनि कहा है, जैसा कि भर्तृहरि का कथन है—

य सयोगविभागाभ्या पररौग्पजन्यते ।

स स्फोट शब्दजा शब्दा ध्वनयोऽर्ज्यदाहृता ॥

वरणा अर्थात् जिह्वा आदि स्थानों के सयोग और वियोग से जो उत्पन्न होता है, वह शब्द स्फोट है, शब्दों से उत्पन्न शब्दों को दूसरा न ध्वनि कहा है ।

इस प्रकार जो आद्य शब्द हैं, वैयाकरण उनको स्फोट कहते हैं । तदनन्तर जो शब्द शब्दज हैं, वे श्रूयमान हैं उनको वैयाकरण नाद कहते हैं ।

शब्द से अर्थ की अभिव्यक्ति किस प्रकार होती है, इसके लिये वैयाकरणों ने 'स्फोटवाद' की कल्पना की है । 'स्फोट' पद का अर्थ है—स्फुटयति अर्थ ध्वनक्ति स स्फोट', अथवा स्फुटित अर्थ यस्मात् स स्फोट, । नैयायिकों के अनुसार शब्द उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाता है, एवं वैयाकरणों के अनुसार इसका तिरोभाव ही जाता है । इस सम्बन्ध में पतञ्जलि का कथन है—

एकैकवर्णवर्णित्वाच् वाच, उच्चरितप्रध्वसित्वाच्च वर्णानाम् ।

एकैकवर्णवर्तिनी वाक्, न द्वौ वर्णौ युगपदुच्चारयति ।

तद् यथा—गौरित्युक्ते यावद् गकारे वाक् प्रवतत तावत् नौकारे न विराजनीये । यावदौकारे न गकारे न विसर्जनीये । यावद् विसर्जनीय न गकार नीसार । उच्चरितप्रध्वसित्वाच्च वर्णानाम् । उच्चारित प्रध्वस्तश्च । अथापर प्रयुज्यत न वर्णो वर्णस्य सहाय ।

अर्थात् वाणी द्वारा एक-एक वर्ण का प्रवतन करने से और उच्चारण किये गये वर्णों का प्रध्वस होने से । वाणी एक-एक वर्णों का प्रवतन करती है, एक साथ दो वर्णों का उच्चारण नहीं करती । वह इस प्रकार से है—'गौ' का उच्चारण करने पर जब वाणी 'गू' का उच्चारण करती है, तो 'गौ' और विसर्ग के लिये प्रवर्तित नहीं होती है । जब 'गौ' का उच्चारण करती है, तो 'गू' और 'गौ' के लिये प्रवर्तित नहीं होती । जब 'विसर्ग' का उच्चारण करती है, तो 'गू' और 'गौ' के लिये प्रवर्तित नहीं होती, क्योंकि वर्णों का उच्चारण होते ही प्रध्वस हो जाता है । वर्ण उच्चरित हुआ और प्रध्वस्त हो गया । इसके लिये दूसरा इसप्रकार प्रयोग करता है—वर्ण वर्ण का सहायक नहीं होता ।

इस प्रकार वर्णों का एक साथ उच्चारण न होने से सम्पूर्ण शब्द एक वाक्य का बोध किस प्रकार होगा ? यह प्रश्न उपस्थित होता है । इसका समाधान वैयाकरणों ने स्फोटवाद के द्वारा किया है । उनका कथन है कि श्रूयमाण वर्णों के विच्छिन्न हो जाने पर भी उनके अनुभव से उत्पन्न सन्धार के साथ अन्तिम वर्ण के श्रवण में बुद्धि में समस्त वर्णों का समुदायरूप एवं नि य शब्द अभिव्यक्त होता है । इनको वैयाकरणस्फोट कहते हैं । इसकी संस्कृत में व्याख्या इस प्रकार है—

“पूर्वपूर्ववर्णानुभवजनितसस्वारसहृतान्तिमवर्णश्रवणेन स्फोटो व्यज्यते ।”

वैयाकरण जब शब्द को नित्य बहत् हैं तब उनका अभिप्राय हमी ‘स्फोट’ रूप की नित्यता से है। जिन प्रकार अनेक वर्णों के समुदाय रूप पद की अभिव्यक्ति वर्णों द्वारा होती है, उसी प्रकार अनेक पदों के समुदाय रूप वाक्य की अभिव्यक्ति वर्णों द्वारा होती है। इस प्रकार वैयाकरण ने छोट प्रकार के स्फोटों की कल्पना की है—वर्णस्फोट, पदस्फोट, वाक्यस्फोट, अक्षरपदस्फोट, अक्षरवाक्यस्फोट, वर्णगतस्फोट, पदगतस्फोट और वाक्यगतस्फोट।

इस प्रकार श्रूयमाण वर्ण, जो कि ‘नाद’ शब्द से भी वाच्य हैं, अन्तिम बुद्धि से नितरा ग्राह्य स्फोट को भी अभिव्यञ्जित करने वाले हैं, इनको ध्वनि कहा गया है। भर्तृहरि ने भी इस प्रकार कहा है—

प्रत्ययैरनुपायेषैर्ग्रहणानुगुणैस्तथा ।

ध्वनिप्रकाशिते शब्दे स्वरूपमवधार्यते ॥

जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती, परन्तु जो स्फोट के ग्रहण करने के लिये अनुकूल हैं, ऐसे प्रत्ययों से शब्द में ध्वनि के प्रकाशित हो जाने पर उसके स्वरूप का अवधारण किया जाता है। महाभाष्य के पक्षश आह्विक म प्रतीत पद के अर्थ को व्यक्त करने वाली वस्तु को ध्वनि कहा गया है—

“अथवा प्रतीतपदार्थको लोनेध्वनि शब्द इत्युच्यते ।”

आलकारिका ने वैयाकरणों के मत का अनुसरण करते हुए ही वाक्य में ध्वनि पद का व्यवहार किया है, आचार्य मम्मट ने भी “वाक्यप्रवाश” में इगवा समर्थन किया। उत्तम वाक्य का लक्षण बनाने हुये वे कहते हैं—

“दुर्गोपाकरणं प्रधानभूतस्फोटरूपव्यङ्ग्यध्वञ्जवरय शब्दस्य ध्वनिगिति व्यवहार इत, तन्मन्तन्गतानुसारिभिरन्यैरपि न्यग्भासितवाच्यव्यङ्ग्यध्वञ्जनशमस्य शब्दार्थयुगतस्य ।”

सर्षवान्येस्तन्मतानुसारिभिध्वनिस्त्वुक्त — ध्वनिकार का कथन है कि वैयाकरणों के मत का अनुसरण करते हुये ही आलकारिकों ने वाक्य में ध्वनि शब्द का व्यवहार किया था। वैयाकरणों ने तो शब्द में ही ध्वनि को माना था, परन्तु ध्वनिकार ने प्रतिपादित किया कि वाक्य में वाच्य, वाचक, व्यङ्ग्य अर्थ, व्यञ्जना व्यापारण इनका समुदाय रूप वाक्य, या वाक्य को ध्वनि की गजा दी जा सकती है।

(१) वाक्य—वाक्य अर्थ को ध्वनि कहा जा सकता है, क्योंकि यह व्यङ्ग्य अर्थ को अभिव्यक्त करने में समर्थ होता है।

(२) वाचक—वाक्य शब्द को भी ध्वनि कहा जा सकता है, क्योंकि यह भी व्यङ्ग्य अर्थ को अभिव्यक्त करने में समर्थ है।

(३) व्यङ्ग्य अर्थ—अन्तिम पद से स्पष्ट है कि व्यङ्ग्य अर्थ भी ध्वनि

नचैवंविधस्य ध्वनेर्वक्ष्यमाणप्रभेदतद्भेदसङ्कलनया महाविषयस्य यत् प्रकाशन तदप्रसिद्धालङ्कारविशेषमात्रप्रतिपादनेन न तुल्यमिति तद्भावित-चेतसा युक्त एव सरम्भ । न च तेषु कथञ्चिदीप्यर्या कलुषितशेमुपोक्तवमा विष्करणीयम् । तदेव ध्वनेरभाववादिन. प्रत्युक्ता ।

है, क्यावि यह ध्वनित होता है । सम्मिश्र पद की व्याख्या अभिनवगुप्त ने इस प्रकार की है—

‘सम्मिश्रयते विभावानुभावसवनया’ जो विभाव अनुभाव से समिश्रित होता है, वह व्यङ्ग्य अर्थ भी ध्वनि है ।

(४) व्यञ्जना धारापार—शब्दात्मा पद से प्रवृत्त है कि व्यञ्जना व्यापार भी ध्वनि है । इसकी व्याख्या इस प्रकार है— शब्दन शब्द शब्दव्यापार, न चासौ अभिधादिरूप, अपि त्वात्मभूत, सोऽपि ध्वननध्वनि । शब्दनशब्द, अर्थात् शब्द का व्यापार यहाँ अभिधा आदि नहीं है, अपितु आत्मभूत व्यञ्जना व्यापार है । यह अभिधा, तात्पर्य लक्षणा व्यापारों से भिन्न है । यह भी ध्वनन व्युत्पत्ति के अनुसार ध्वनि है ।

(५) काव्यविशेष—‘वाच्यमिति व्यपदेश्यतया’ पद से यह प्रवृत्त है कि जिस काव्य में पूर्वाक्त ध्वनिचतुष्टय की स्थिति विद्यमान है, वह वाच्य भी ध्वनि है ।

व्यङ्ग्यध्वञ्जकसाम्यात्—ये पाञ्चा ही ध्वनि हैं इसने लिये ध्वनिकार अन्त में युक्ति देते हैं—‘व्यङ्ग्यध्वञ्जकसाम्यात् ।’ क्योंकि पाञ्चा म व्यङ्ग्यध्वञ्जक-भाव समान रूप से रहता है अतः य शब्द ध्वनि कहनाते हैं ।

इसप्रकार अभाववादी ध्वनिविराधिया की सुत्तिया वा सण्डन करने और ध्वनि की सत्ता की प्रतिपादित करने ध्वनिवार अपने बचन व औचित्य की प्रतिपादित करते हैं—

हिन्दी अर्थ— इस प्रकार की ध्वनि का प्रकाशन जो कि आगे कहे जाने वाले भेदों और इनके प्रभेदों के सङ्कलन से अत्यधिक व्यापक (महाविषय) है, अप्रसिद्ध अलङ्कारविशेष मात्र के प्रतिपादन के सहश नहीं हैं, इसलिये उस ध्वनि के प्रति भावित बिना जाने सहृदयों का उत्साहानुत्साह (सरम्भ) उत्पन्न हो है । अतः उन ध्वनि-धादियों के प्रति किसी प्रकार की ईर्ष्या से क्लुषित चित्तवृत्ति की प्रवृत्त नहीं करना चाहिये । तो इस प्रकार ध्वनि के अभाववादियों के मतों का निराकरण कर दिया ।

एवविषयध्वने—इस प्रकार ध्वनि का । जिस ध्वनि का अस्तित्व एव वाच्य अर्थ तथा अलंकारों से पृथक्व प्रतिपादित किया जा चुका है, तथा जिसका लक्षण वह दिया गया है ।

अस्ति ध्वनिः । स चासावविवक्षितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्चे-
ति द्विविधः सामान्येन ।

वक्ष्यमाणप्रभेदतद्भेदकलनया—वक्ष्यमाणानां प्रभेदानां मुख्यभेदानां तेषां
मुख्यभेदानां च भेदानाम् अत्रान्तरभेदानां च मङ्गलानया गणनया ।

महाविषयस्य—अशेषलक्ष्यव्यापिनः । सभी लक्ष्या म व्याप्त रहन वाले ।

अप्रसिद्धालङ्कारविशेषमात्रप्रतिपादनेन—अप्रसिद्धा ये अत्रङ्कारा तेषां विशेष-
स्य मात्रस्य प्रतिपादनेन । यहाँ विशेष शब्द वा वचन अलङ्कारों के अव्यापकत्व
को और मात्र शब्द वा वचन उनके अङ्गित्व के अभाव को प्रकट करता है ।

तद्भावितचेतमाम्—तेन ध्वनिना भावितानि अधिवाहितानि चेतामि येषां
तेषाम् ।

सरम्म—उत्साहानानिश्चय ।

बलुपितशेषुपीकत्वम्—बलुपितशेषुपीकता यस्य तस्य भाव तत्त्वम् । क्योंकि
ध्वनि के अस्तित्व की सिद्धि के लिये दो गई युक्तियाँ दृढ़ और ठोस हैं, अतः ध्वनिवा-
दियों के प्रति ईर्ष्या करना उचित नहीं है ।

तदेव ध्वनोस्तावदमात्रकादिनः प्रत्युक्ता—एग प्रकार से ध्वनिभार ने इस
प्रकरण में ध्वनि के अभाववादियों के तीनों पक्षा की युक्तियों का खण्डन करके उनका
प्रत्युत्तर दे दिया है ।

ध्वनि के अस्तित्व को सिद्ध करके ध्वनिभार उनसे दो मुख्य भेदों को प्रदर्शित
करते हैं—

हिन्दो अर्थ—ध्वनि का अस्तित्व है । और यह सामान्य रूप से अविवक्षित-
वाच्य और विवक्षितान्यपरवाच्य भेद से दो प्रकार का है ।

ध्वनिभार ने ध्वनि के प्रथम दो भेद दिखाये हैं—

(१) अविवक्षितवाच्य—लक्षणाम्नाध्वनि अविवक्षितवाच्य ध्वनि है । “अविव-
क्षित तस्य वाच्यं मुग्धार्थं यत्र स, जिगम वाच्यं अर्थो विवक्षा नहीं होती । मुख्य
वाच्य अर्थ के वापित होने से जगम लक्ष्य अर्थ विवक्षित होता है, अतः दूसरी लक्षणाम्ना-
म्ना भी रहते हैं । दूसरे सम्बन्ध में मम्मन् ने कहा है—

‘लक्षणाम्नाम्नाध्वन्यङ्गप्रत्यापाने गणैव अविवक्षित वाच्यं यत्र स ‘ध्वनो’
इत्युपादाद् ध्वनिर्गिरीय ।’

(२) विवक्षितान्यपरवाच्य—अनिष्पाम्नाध्वनि जो विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि
रहते हैं । ‘विवक्षितम् अनिष्पाम्नाध्वन्यङ्गिष्ठं च वाच्यं यत्र स’ जहाँ वाच्य अर्थ
विवक्षित होना पर भी अनिष्पाम्नाध्वनि के प्रतिनिष्ठ होता है, वह विवक्षितान्यपरवाच्य
ध्वनि है ।

तत्राद्यस्योदाहरणम्—

सुवर्णपुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरपास्त्रयः ।

शूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम् ॥

द्वितीयस्यापि—

शिखरिणी यव नु नाम कियच्चिरं किमभिधानमसावकरोत्तपः ।

सुमुखी येन तवाधरपाटल दशति बिम्बमुखे शुक्रशावक ॥१३॥

सामान्येन—यद्यपि ध्वनि के वस्तु, अर्थात् और रसादि के भेद से तीन मुख्य भेद किये गये हैं, तथापि वाच्य म इमके दो मुख्य भेद—अविवक्षितवाच्य और विवक्षिता-यपरवाच्य किये गये हैं और यह ध्वनि इन दो मुख्य भेदों के अनुसार परिगणित की गई है ।

ध्वनि के दो प्रमुख भेदों की वृत्त उदाहरण वहे जाते हैं—

हिन्दी अर्थ—उनमे से पहले का (अविवक्षितवाच्य का) उदाहरण यह है—

सुवर्णं रूप पुष्पों वाली पृथिवी का चयन तीन प्रकार के पुरुष करते हैं—
पहला शूर, दूसरा विद्वान् और तीसरा यह जो उसका सेवन करता जानता है ।

इस श्लोक म पृथिवी न तो कोई वृक्ष या लता है और नाही इसमे पुष्प विवक्षित होते हैं, जिनका कि चयन किया जाता है । अतः इसका वाच्य अर्थ सङ्गत न होने से मुखार्थवाधा उपस्थित होती है । अभिधा व्यापार के सङ्गत न होने से लक्षणा का प्रयोग करना होता है । लक्षणा द्वारा 'सुवर्णपुष्प' शब्द का अर्थ 'विपुल धन' और 'चयन का अर्थ समृद्धि का अनायास उपाजन लक्ष्य अर्थ हावे । इस लक्षणा का प्रयोजन होगा—शूर, कृतविद्य और सवा म विवक्षण पुरपा का प्राशस्त्य । यह प्रयोजन व्यञ्जक अर्थ है, जो कि स्वपदनाथ्य न हात्र सुन्दर नायिका के बुचबनन के समान सौन्दर्यातिशय स सम्पन्ना ह । इस प्रकार लक्षणा मूल होने के कारण यह अविवक्षितवाच्य ध्वनि है । इस पद की व्याख्या म अभिधा, लक्षणा, तात्पर्य और व्यञ्जना, ये चारो वृत्तियाँ वाय करती हैं । यहाँ मुख्य रूप से श द व्यञ्जन है तथा सहायरी रूप से अर्थ भी व्यञ्जक है ।

अभिनवगुप्त न यहाँ 'सुवर्णपुष्पा' का विग्रह 'सुवर्णानि पुष्पति पुष्पति या सा' किया है । इस प्रकार का विग्रह करने पर सुवर्ण उपपद होने से "वम्वयण्" सूत्र से 'अण्' प्रत्यय होकर 'टिड्ढाण्' सूत्र से डीप् प्रत्यय होकर 'सुवर्णपुष्पी' रूप बनगा, सुवर्णपुष्पा नहीं । अतः यहाँ उपपद सामान्य रूप म विग्रह करना उचित नहीं । यदि यहाँ सुवर्णमपुष्प यस्या सा, इस प्रकार यद्ग्रीहि गमाम के रूप मे विग्रह किया जाये, तो 'सुवर्णपुष्पा' रूप बन मनेगा । रगिनये यहाँ यही विग्रह करना उचित होगा ।

अविवक्षितवाच्यध्वनि का उदाहरण प्रस्तुत करने विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि का उदाहरण देने हैं—

हिन्दी अर्थ—दूसरे का उदाहरण इस प्रकार है—

हे सुन्दर मुख वाली ! इस शुक्रशावक ने किस पर्वत पर, कितनी देर तक, कौनसी तपस्या की थी, जितने कारण यह तुम्हारे अधर से समान ताल रग के बिम्ब-फल को काट रहा है ।

इस पद्य में नायिका के अघर को प्राप्त करने में सौभाग्य का अतिशय, एवं उसके आस्वादन की अभिलाषा व्यञ्जित होती है। 'क्व शिखरिणि' से व्यञ्जित है कि शीर्षवत आदि पवित्र पर्वत धाम भी तपस्या का यह फल नहीं दे सकते। 'वियच्चिरम्' का अभिप्राय है कि इस तपस्या के लिये बल्प आदि की अर्वाधि बहुत कम है। 'तिमभिधानम्' का अभिप्राय है कि यह फल पञ्चानि आदि तप से भी प्राप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार नायिका के अघर को प्राप्त करने में सौभाग्य का अतिशय अभिव्यक्त होकर कामुक नायक अपनी प्रमिता के रक्तवर्ण के अघर का आस्वादन करने की कामना अभिव्यक्त कर रहा है।

'तवाघरपाटनम्' पद में 'तव' और 'अघर' का समास नहीं किया गया। कुछ का विचार है कि छन्द के अनुरोध से ऐसा नहीं हुआ। परन्तु अभिनवगुप्त ने इस समास के न होने में विशेष व्यङ्ग्य की अभिव्यञ्जना मानी है। 'तव' का 'अघर' के साथ समास होने पर यह 'अघर' का विशेषण हा जाता और उसकी प्रधानता नहीं रहती। इस समास के न होने से शुकशावक की रसज्ञता अभिव्यक्त होती है कि वह उस फल का आस्वादन कर रहा है, उसको खाकर पेट नहीं भर रहा। नायक भी नायिका के अघर का उसी प्रकार आस्वादन करना चाहता है।

अभिनवगुप्त का कथन है कि विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि में अभिधा, तात्पर्य एवं ध्वनन, ये तीन ही व्यापार होते हैं। मुख्यतः वाधा आदि के न होने से इसमें लक्षणा व्यापार नहीं है। इसके साथ ही उनका यह भी कहना है कि यदि इसमें लक्षणा का उपयोग किया भी जावे और इस प्रकार चार व्यापार माने भी जावें, तो भी इसका अविवक्षितवाच्य ध्वनि में भेद रहेगा। कारण यह है कि पहले उदाहरण में व्यञ्जना व्यापार में लक्षणा ही प्रधान साकारिणी है जबकि इस विवक्षितान्यपरवाच्य-ध्वनि के उदाहरण में व्यङ्ग्य की प्रतीति मुख्य रूप से अभिधा एवं तात्पर्य वृत्ति की सहकारिता से होती है ॥१३॥

इस स्थान पर यह शङ्का उत्पन्न होती है कि ध्वनिकार ने ग्रन्थ के प्रारम्भ में ध्वनिविरोधिया के तीन मत प्रस्तुत किये थे—अभाववादी, भक्तिवादी, अलक्षणीयतावादी। ध्वनिकार ने अभाववादिया का खण्डन करके ध्वनि के दो भेद किये, तदनन्तर भक्तिवादियों और अलक्षणीयतावादियों का खण्डन किया, अर्थात् प्रकरण के अनुसार उनको चाहिये था कि पहले तीनों ध्वनिविरोधी मतों का खण्डन करते, तदनन्तर ध्वनि के भेद प्रस्तुत करके उनके उदाहरण देने। इसमें यह ध्यान देने योग्य है कि भक्तिवादियों एवं अलक्षणीयतावादियों के मतों का खण्डन करने से पूर्व ध्वनि के दो भेद एवं उनके उदाहरण देकर ध्वनिकार इनके आधार पर उन दोनों मतों का खण्डन करेगा।

यदभ्युक्तं भवित्ध्वनिरिति, तत्प्रतिसमाधीयते—

✓ भक्त्या विभक्तिं नैकत्वं रूपभेदादयं ध्वनिः ।

अयमुक्तप्रकारो ध्वनिर्भक्त्या नैकत्वं विभक्तिं भिन्नरूपत्वात् । ताच्य-
व्यतिरिक्तस्यार्थस्य वाच्यवाचकाभ्यां तात्पर्येण प्रकाशनं यत्र व्यङ्ग्यप्रा-
धान्ये स ध्वनिः । उपचारमात्रं तु भक्तिः ।

ध्वनिकार अथ ध्वनिविरोधियों के दूसरे मत भक्तिवाद का खण्डन करते हैं—

हिन्दी अर्थ—यह जो कहा गया है कि भक्ति ही ध्वनि है, उसका समाधान किया जाता है—

रूप में भेद होने के कारण यह ध्वनि भक्ति के साथ एकत्व को प्राप्त नहीं हो सकती ।

यह उक्त प्रकार की ध्वनि भिन्नरूप वाली होने के कारण भक्ति के एकत्व को धारण नहीं कर सकती । जहाँ वाच्य और वाचक के द्वारा वाच्य के भिन्न अर्थ का तात्पर्य के द्वारा प्रकाशन किया जाता है, वहाँ व्यङ्ग्य अर्थ के प्रधान होने पर ध्वनि होती है । भक्ति तो उपचारमात्र है ।

जिस प्रकार ध्वनिकार ने अभाववादियों के तीन विकल्पों को प्रस्तुत करके उनका खण्डन किया है, उसी प्रकार वे भक्तिवाद के तीन विकल्प प्रस्तुत करके उनका खण्डन करते हैं ।

(१) ध्वनि को भक्ति से अभिन्न कहने का पहला अभिप्राय यह हो सकता है कि क्या ध्वनि भक्ति का पर्याय हो सकती है ? जैसे घट और बलश परस्पर पर्यायवाची शब्द है ।

(२) क्या भक्ति ध्वनि का लक्षण हो सकती है ? जैसे पृथिवी का लक्षण है—जिस द्रव्य में पृथिवीत्व है, वह पृथिवी है । अथवा “गन्धवती पृथिवी” जो द्रव्य गन्धवान् है, वह पृथिवी है । किसी वस्तु के असाधारण धर्म को कहना अथवा उसको समान जातीय एवं असमानजातीय वस्तुओं से पृथक् करना लक्षण है (लक्षणत्वसाधारणधर्मवचनम्, अथवा समानासमानजातीयव्यवच्छेदो हि लक्षणार्थः) । वैयक्तिक दर्शन के अनुसार नौ द्रव्य हैं—पृथिवी, अग्नि, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन । इन सजातीय द्रव्यों में से गन्ध या पृथिवीत्व केवल पृथिवी में है तथा यह गन्ध या पृथिवीत्व पृथिवी के असमानजातीय गुण, वस्त्र, समवाय आदि में नहीं है । अतः पृथिवी का लक्षण ‘गन्धवती’ या ‘पृथिवीत्ववती’ इसको समान जातीय एवं असमानजातीय वस्तुओं से पृथक् करता है । अतः यह पृथिवी का लक्षण है । क्या भक्ति भी ध्वनि का इसी प्रकार से लक्षण है ?

(३) क्या भक्ति ध्वनि का उपलक्षण है ? जैसे ‘वाक्वत्त्व’ देवदत्त के घर का उपलक्षण है । उपलक्षण का अभिप्राय है—‘व्यावर्तनम् अतन्तमान विधेयान्वयि उप-

मा चेतत् स्याद् भक्तिर्लक्षणं ध्वनेरित्याह—

अतिव्याप्तेरथाव्याप्तेर्न चासौ लक्ष्यते तथा ॥१४॥

लक्षणम् ।" अर्थात् जिसके द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु वा अन्य वस्तुधा से पृथक् दिखाया जा सके, जो प्रतिपाद्य न रहा हो, परन्तु भदा विद्यमान न रहता हो, उसका उपलक्षण कहते हैं। जैसे "वाक्वद् देवदत्तस्य गृहम् ।" इसका अभिप्राय यह है कि दो व्यक्ति साथ साथ जा रहे थे। मार्ग में देवदत्त का घर पड़ा, जिस पर बट्टन से कौय बैठे थे। दोनों में एक ने पूछा कि देवदत्त का कौन सा घर था। दूसरे ने उत्तर दिया कि जिस घर पर कौये बैठे थे, वही देवदत्त का घर था यद्यपि वाद में उस घर पर कौय नहीं भी हो सकते हैं। इस प्रकार 'वाक्वत्त्व' देवदत्त के घर का अन्य घरों से विभेद प्रकट करता है, तथा उसका उपलक्षण है। जो धर्म किसी वस्तु में सदा विद्यमान रहे, वह विशेषण कहलाता है तथा जो सदा विद्यमान न रहे, वह उपलक्षण कहलाता है। क्या भक्ति ध्वनि का उभो प्रकार से उपलक्षण है जिस प्रकार 'वाक्वत्त्व' देवदत्त के घर का उपलक्षण है।

इस प्रकार भक्तिवादिया के तीन विद्वानों की कल्पना करके ध्वनिवार पहले विकल्प का खण्डन करते हैं—भक्ति ध्वनि का पर्याय नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों का रूप भिन्न है।

ध्वनि का रूप पहले बताया जा चुका है कि यह पाञ्च प्रकार से ही सक्तो है—वाच्य में, वाचक में, व्यङ्ग्य में, व्यञ्जना व्यापार में और का व्यविशेष में। परन्तु भक्ति का रूप इससे भिन्न है। भक्ति तो केवल उपचार मात्र है, किन्तु ध्वनि वहाँ है जहाँ वाच्य और वाचक द्वारा तात्पर्य रूप में वाच्य में अतिरिक्त व्यङ्ग्य अर्थ का प्रकाशन हो, तथा वह व्यङ्ग्य अर्थ प्रधान हो। इस प्रकार भक्ति और ध्वनि के रूपा में भिन्नता होने से ये दोनों पर्याय नहीं हो सकते।

तात्पर्य—'विधास्तिवाभनया प्रयोजनत्वेन।' तात्पर्य का अभिप्राय है कि जो अन्तिम अर्थ प्रयोजन के रूप में अन्तिम रूप में विवक्षित है।

उपचारमात्रम्—“उपचारो गुणवृत्तिर्लक्षणा । उपचरणमतिशयितो व्यवहार, इत्यर्थः ।" उपचार पद का अभिप्राय है गौण रूप से प्रयोग करना या लक्षणा। अभिनवगुप्त के अनुसार अतिशयित व्यवहार के उपचरण कहते हैं। सक्तित अर्थ को छोड़कर उससे सम्पन्न अर्थ का बोध होना अतिशयित व्यवहार या उपचार है। उपचार का लक्षण यह भी हो सकता है—“अतच्छब्दस्य तच्छब्देनाभिधानमुपचारः” उपचार पद का प्रयोग साहित्य में गुणवृत्ति या लक्षणा के लिय किया गया है।

यहाँ मात्र पद के प्रयोग का अभिप्राय यह है कि लक्षणा व्यापार से अतिरिक्त प्रयोजन उद्योतनरूप चौथा व्यञ्जना व्यापार वस्तुस्थिति के साथ सम्भव हुआ भी उपयुक्तमान न हान के कारण आदर या पात्र न होकर नहीं के तुल्य है।

हिन्दी अर्थ—यह भी नहीं कह सकते कि भक्तिध्वनि का लक्षण है। क्योंकि—

अतिव्याप्ति तथा अव्याप्ति दोष होने के कारण भक्ति से ध्वनि लक्षित नहीं हो सकती ॥१४॥

नैव भवत्या ध्वनिलक्ष्यते । कथम् ? अतिव्याप्तेत्याप्तेश्च । तत्राति-
व्याप्तिध्वनिव्यतिरिक्तेऽपि विषये भवतेः सम्भवात् । यत्र हि वृङ्गभ्रूतं
महत् सौष्ठव नास्ति, तत्राप्युपचरितशब्दवृत्त्या प्रसिद्धचतुरोधप्रवर्तितध्व-
न्यहाराः कथयो दृश्यन्ते । यथा—

भक्तिवादियो के प्रथम विकल्प “भक्ति और ध्वनि पर्यायवाची है” का खण्डन
करके ध्वनिकार दूसरे विकल्प का, “भक्ति ध्वनि का लक्षण है” इसका खण्डन
करते हैं—

भक्ति से ध्वनि लक्षित नहीं होती है । कैसे ? अतिव्याप्ति और अव्याप्ति
दोष होने से । इससे अतिव्याप्ति दोष इस प्रकार है कि ध्वनि से भिन्न विषय में भी
भक्ति सम्भव हो सकती है । क्योंकि जहाँ व्यङ्ग्यभ्रूत महान् काव्यसौन्दर्य नहीं है,
वहाँ भी उपचरित शब्द व्यापार (गौणी लक्षणा व्यापार) के द्वारा कवि जन प्रसिद्धि के
अनुरोध से व्यवहारों को प्रवर्तित करते हुये देखे जाते हैं । जैसे—

ध्वनिकार का कथन है कि भक्ति को ध्वनि का लक्षण दो कारणों से नहीं माना
जा सकता है—(१) अतिव्याप्ति एव (२) अव्याप्ति दोष होने से । लक्षण में तीन दोष
हो सकते हैं—(१) असम्भवता, (२) अतिव्याप्ति और अव्याप्ति ।

✓(१) यदि वह लक्षण लक्ष्य वस्तु में उपस्थित न हो तो यह असम्भवता दोष
है ।

(२) यदि वह लक्षण लक्ष्य वस्तु में भिन्न वस्तुओं में भी हो तो यह अतिव्या-
प्ति दोष है ।

✓(३) यदि वह लक्षण लक्ष्य वस्तु में कहीं हों और कहीं न हों, तब यह
अव्याप्ति दोष है ।

भक्ति को ध्वनि का लक्षण मानने में अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोष उत्पन्न
हो जाते हैं, अतः इसको ध्वनि का लक्षण स्वीकार नहीं किया जा सकता । अनेक
स्थलों पर, जहाँ ध्वनि नहीं है वहाँ भी भक्ति सम्भव हो सकती है । यद्यपि यह युक्ति
दी जा सकती है कि भक्ति (गौणी लक्षणा) में प्रयोजन (व्यङ्ग्य अर्थ) मदा विद्यमान
रहता है, क्योंकि यह प्रयोजन पर ही आधारित है, तथापि ध्वनि नहीं है जहाँ व्यङ्ग्य
अर्थ की प्रधानता हो, व्यङ्ग्य अर्थ का चमत्कार अधिक् हो । परन्तु अनेक स्थलों में
वाक्यों में यह देखा गया है कि प्रयोजन (व्यङ्ग्य अर्थ) का अधिक् चमत्कार
नहीं भी होता । कवि साधुशिव शब्दों का इतने प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि इनका
प्रयोग प्राचीन परम्परा में प्रचलित है । वे यह विचार नहीं करते कि इनके प्रयोग
से काव्य के सौन्दर्य में वृद्धि होगी या नहीं । इन अशुभानुसारा में काव्य में भक्ति के
होने पर भी ध्वनि नहीं होगी । यदि भक्ति को ध्वनि का लक्षण मान लिया जावे तो
इन वाक्यों में भक्ति के होने पर भी ध्वनि अवश्य होनी चाहिये । परन्तु ऐसा नहीं है ।
जैसे—

✓ परिम्लानं पीनस्तनजघनसङ्गादुभयतः
तनोर्मध्यस्थान्तः परिमिलनमप्राप्य हरितम् ।
इदं व्यस्तन्यासं इत्यनुजलताक्षेपवलनः
कृशाङ्ग्याः सन्तापं वदति विसिनीपत्रशयनम् ॥

तथा—

चुम्बिज्जइ सञ्चहुत्तं अवरुन्धिज्जइ सहस्सहुत्तम्मि ।
विरमिञ्च पुणोरमिज्जइ पिञ्चो जणोणस्थि पुनरत्तम् ॥
(चुम्बयते शतकृत्वोऽवरुध्यते सहस्रकृत्वः ।
विरम्य पुना रम्यते प्रियो जनो नास्ति पुनरुक्तम् ॥)

यह पद्य श्रीहर्षकृत 'रत्नावली' नाटिका से उद्धृत किया गया है। लताकुञ्ज से मदनशय्या को छोड़कर सागरिका चली गई है। इस शय्या की अवस्था को देख-
कर सागरिका की मदनपीडा का अनुमान करके राजा उदयन विदूषक से कहता है—

हिन्दी अर्थ—यह कमलिनो के पत्तो की शय्या मोटे स्तनो और जघनो के सम्पर्क के कारण दोनों ओर मे मुरभाई हुई है, शरीर के मध्यभाग में सम्पर्क को प्राप्त न करने से हरी है और शिथिल भुजलताओं के इधर उधर फंक्ने तथा मरोडने के कारण अस्तव्यस्त हो गई है, अतः यह उस कृशाङ्गी के सन्ताप को कह रही है।

'वदति' पद का वाच्य अर्थ है—व्यक्त वाणी को कहना (वद व्यक्ताया वाचि)। परन्तु 'विसिनीपत्रशयन' के अचेतन होने के कारण यह वाच्य अर्थ बाधित होता है। वाच्य अर्थ के बाधित होने से मुख्य अर्थ से सम्बन्धित लक्ष्य अर्थ 'प्रकट करती है (प्रकटयति), लक्षणा द्वारा लक्षित होता है।

यहाँ यह युक्ति दी जा सकती है कि 'प्रकटयति' पद का प्रयोग न करके 'वदति' पद के प्रयोग करने का प्रयोजन स्फुटीकरण प्रतीति है, जो कि व्यङ्ग्य अर्थ है। अतः व्यङ्ग्य अर्थ के होने से यह ध्वनि काव्य हुआ। परन्तु यह युक्ति सारहीन है। ध्वनि वही होती है, जहाँ व्यङ्ग्य अर्थ में चारुत्वप्रतीति होती है। इस प्रयोजन की प्रतीति में कोई चारुत्व नाही है और नाही इससे किसी प्रकार से वाच्य के सौन्दर्य में वृद्धि होती है। यदि 'वदति' के स्थान पर 'प्रकटयति' पद का प्रयोग किया जाता, तो भी वाच्य में किसी प्रकार का अचारुत्व नहीं आता और अभिधा द्वारा ही कवि के प्रयोजन की सिद्धि हो जाती। इस प्रकार यहाँ ध्वनि न होने पर भी भक्ति है। यदि भक्ति को ध्वनि का लक्षण मान लिया जाता तो यहाँ भी ध्वनि माननी पडती। इम-
लिये ध्वनि से भिन्न स्थान पर भक्ति के अतिव्याप्त होने की सम्भावना से उसको ध्वनि का लक्षण नहीं माना जा सकता।

हिन्दी अर्थ—उसी प्रकार से—

प्रियजन संकडो बार धुम्घन किया जाता है, हजारो बार आतिङ्गन किया जाता है और एक एक कर पुनः पुनः रमण किया जाता है, तो भी वह पुनरुक्त नहीं होता।

तथा—

कुविभ्राश्रो पसन्नाश्रो श्रोरण्णमुहीश्रो विहसमाणाश्रो ।
जह गहिश्रो तह हिअअं हरन्ति उच्चिन्तमहिलाश्रो ॥
(कुपिता प्रसन्ना श्रवरुदितमुख्यो विहसन्त्यः ।
यथा गृहीतास्तथा हृदयं हरन्ति स्वरिण्यो महिलाः ॥)

तथा—

अज्जाए पहारो णवलदाए दिण्णो पिएण थणवट्टे ।
मिउओ कि दूसहो जाओ हिअए सवत्तीणम् ॥
(भार्यायाः प्रहारो नवलतया दत्तः प्रियेण स्तनपृष्ठे ।
मृदुकोऽपि दुस्सह इव जातो हृदये सपत्नीनाम् ॥)

यहाँ 'पुनरुक्त' पद का वाच्य अथ वाधित होता है, क्योंकि उसी वाच्य का पुन पुन होना पुनरुक्त ही है। अत मुख्य अर्थ के वाधित होने से लक्ष्य अर्थ—'अनुपादेयता, अरुचिकरता' लक्षित होता है। यहाँ भी प्रयोजन 'अतिशयफलशालित्व' के प्रधान न होने के कारण यह वाच्य ध्वनि नहीं है। अत अतिव्याप्ति दोष के कारण भक्ति को ध्वनि का लक्षण नहीं कहा जा सकता।

हिन्दी अर्थ—उसी प्रकार से—

नाराज होनी हुई, प्रसन्न होती हुई, रोती हुई या हसती हुई स्वरिणी स्त्रियाँ जैसे भी ग्रहण करें वैसे ही हृदय का हरण कर लेती हैं।

यहाँ 'गृहीता' और 'हरन्ति' पदा के वाच्य अथ वाधित है, क्योंकि हृदय का न तो ग्रहण किया जा सकता है और न हरण किया जा सकता है। अत इन पदा से प्रमण लक्ष्य अर्थ 'उपादेयता' और 'अधीनता' लक्षित होते हैं। 'गृहीत' पद के प्रयोग का प्रयोजन 'आममात्तरण' और 'हरन्ति' पद के प्रयोग का प्रयोजन 'अत्यधिक विवश होना' है। परन्तु इन प्रयोजना (व्यङ्ग्य अर्थों) की प्रधानता न होने में यहाँ ध्वनि नहीं है। यदि भक्ति को ध्वनि का लक्षण मान लेते तो यहाँ लक्षणा होने से इस वाच्य को भी ध्वनि वाच्य मानना पड़ना। इसलिये अतिव्याप्ति दोष होने में भक्ति को ध्वनि का लक्षण नहीं माना जा सकता।

हिन्दी अर्थ—उसी प्रकार से—

कनिष्ठा भार्या के स्तनों पर प्रिय के द्वारा नवलता से दिया गया प्रहार बोलत होता हुआ भी सीतो के हृदय में बुरगह हो गया।

यहाँ 'दत्त' पद का वाक्याय वाधित है। दाता का लक्षण है—'स्वस्व-वनि-वृत्तिपूर्वक परस्व-बोधादन दानम्'। विमी वस्तु में अपने अधिकार को छोड़कर उम पर दूसरे का अधिकार करा देना दान है। 'दत्त' पद का 'दान देना' अर्थ वाधित होने से यहाँ इस पद में 'नवलत्व' हाता (गमन होता) इस लक्ष्य अर्थ का वाच्य होता है। इसमें भी भाग्यानिशय की प्रतीति प्रयोजन है। इस पद में प्रयोजन (व्यङ्ग्य

तथा—

परार्थे य पीडामनुभवति भङ्गेऽपि मधुरो
यदीयः सर्वेषामिह खलु विकारोऽप्यभिमतः ।
न सम्प्राप्तो वृद्धि यदि स भृशमक्षेत्रपतितः
किमिक्षोर्दोषोऽसौ न पुनरगुणायामरुभुवः ॥

अत्रेशुपक्षेऽनुभवतिशब्दः ।

न चैवद्विधः कदाचिदपि ध्वनेर्द्विधः ॥१४॥

अर्थ) के प्रधान न होने से ध्वनि नहीं है । भक्ति को ध्वनि लक्षण मानने पर यहाँ भी ध्वनि माननी पड़ती । इसलिये अतिव्याप्ति दोष होने से भक्ति को ध्वनि का लक्षण नहीं माना जा सकता ।

हिन्दी अर्थ—उसी प्रकार से—

इस पद्य के दो अर्थ इक्षु पक्ष में और सज्जन पक्ष में सङ्गत होते हैं । इक्षु पक्ष में—जो दूसरो के लिये कोल्हू में पेला जाता है, तोड़ा जाने पर भी मधुर होता है, जिससे बने हुये सभी पदार्थ गुड, शकर आदि यहाँ सबको अच्छे लगते हैं, यदि वह किसी ऊसर खेत में पड़ कर वृद्धि को प्राप्त नहीं होता, तो वह इक्षु का दोष नहीं है, अपितु उस रेतीली भूमि का दोष है ।

सज्जन पक्ष में—जो दूसरे व्यक्तियों के लिये पीडा को सहन करता है, अपमानित होने पर भी जिसका व्यवहार मधुर रहता है जिसके शोध आदि विकार भी यहाँ सबको अच्छे लगते हैं, वह सज्जन व्यक्ति भी यदि अयोग्य स्थान में पड़ा हुआ उन्नति को प्राप्त नहीं करता तो वह उसका दोष नहीं है, अपितु उस निर्गुण स्थान का दोष है ।

इस पद्य में इक्षु पक्ष के अर्थ में 'अनुभवति' पद नाक्त है ।

यहाँ 'अनुभवति' पद का मुख्य अर्थ बाधित है क्योंकि अचेतन होने से वह पीडा का अनुभव नहीं कर सकता । अतः यहाँ लक्षणा द्वारा लक्ष्य अर्थ 'कोल्हू में पेला जाना' लक्षित होता है । इसका प्रयोजन 'पीडयमानत्व' की प्रतीति है । प्रयोजन (व्यङ्ग्य अर्थ) के प्रधान न होने से यहाँ ध्वनि नहीं है । यदि भक्ति को ध्वनि का लक्षण मान लेते तो यहाँ भी ध्वनि माननी पड़ती । अतः अतिव्याप्ति दोष होने के कारण भक्ति को ध्वनि का लक्षण नहीं माना जा सकता ।

प्रतिपक्षी शक्य कर सकते हैं कि उक्त पद्या में प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति होने से ध्वनि होगी, उसी का ध्वनिकार उत्तर दते हैं—

हिन्दी अर्थ—इस प्रकार का काव्य कभी भी ध्वनि का विषय नहीं हो सकता ।

ध्वनि तहाँ होती है, जहाँ व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति का प्राधान्य होता है । इन काव्यों में प्रयोजन का प्राधान्य नहीं है, अतः ये ध्वनि काव्य नहीं हैं ॥१४॥

अलङ्कारशास्त्रियों के अनुसार लक्षणा दो प्रकार की होती है—रूढा और प्रयोजनवती। रूढा लक्षणा में भक्ति—अर्थात् लक्षणा तो रहती है, परन्तु इसमें प्रयोजन रूप व्यङ्ग्य अर्थ वा अभाव होता है। प्रयोजनवती लक्षणा में प्रयोजन व्यङ्ग्य तो होता है, परन्तु इसकी प्रतीति लक्षणा से नहीं, अपितु व्यञ्जना से होती है।

✓ ध्वनिकार ने यह प्रतिपादित किया है कि प्रयोजनवती लक्षणा में ध्वनि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यदि वहाँ प्रयोजन (व्यङ्ग्य अर्थ) वा चास्त्व प्रधान है तो वहाँ ध्वनि होगी, परन्तु यदि वह प्रधान नहीं है तो ध्वनि नहीं होगी। इसके विपरीत रूढा लक्षणा में प्रयोजन होता ही नहीं, अतः वह भी ध्वनि का विषय नहीं हो सकती। इस कथन को ध्वनिकार ने 'लावण्य' आदि शब्दा का उदाहरण द्वारा स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है।

'लावण्य' पद का विग्रह है—लक्षणस्य भाव लावण्यम्'। परन्तु 'लावण्य' पद का प्रयोग लक्षणसमुक्त के अर्थ में नहीं किया जाता। यह पद सौन्दर्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है और इसी अर्थ में रूढ या प्रसिद्ध हो गया है। इसी प्रकार के अन्य बहुत से शब्द—अनुलोम, प्रतिबल, कुशल आदि हैं, जो मुख्य वाच्य अर्थ को छोड़कर लक्ष्य अर्थ का कथन करते हैं। इनमें उपचरित शब्दवृत्ति = लक्षणा तो है, परन्तु वहाँ प्रयोजन नहीं है, जिसको लक्ष्य करके लक्षणा का प्रयोग हुआ हो और उसके द्वारा वहाँ ध्वनि का व्यवहार हो सकता हो। अभिनवगुप्त का कथन है कि रूढ होने से ही इनमें लक्षणा के तीन हेतुओं—मुख्यार्थवादा, मुख्यार्थयोग और प्रयोजन की अपेक्षा नहीं है तथा इन शब्दों से अभिधा के सदृश ही अर्थ की प्रतीति होती है। इसके लिये वे कुमारिलभट्ट की युक्ति देते हैं—

“निरूढा लक्षणा काश्चित् सामर्थ्यादिभिधानवत्”

निरूढा लक्षणार्थे अपने सामर्थ्य से अभिधा के समान अर्थ का बोध कराती है।

इस कारण इन रूढा लक्षणाओं में लावण्य आदि पदों द्वारा प्रयोजन (व्यङ्ग्य अर्थ) की प्रतीति न होने से ध्वनि का व्यवहार नहीं हो सकता।

इस सम्बन्ध में एक शका यह उत्पन्न होती है कि लावण्य आदि पदों के प्रयोग में भी व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति है। जैसे—‘देवडितिलुणाहि पलुवम्मिगमिज्वालणु-ज्ज्वल गुमरिफेत्तपरण्य’ में लावण्य शब्द के होने पर भी प्रतीयमान अर्थ की अभिव्यक्ति है।

इसका उत्तर भी ध्वनिकार ने दिया है—यह ठीक है कि इन स्थलों पर लावण्य आदि पदों के होने पर भी प्रतीयमान अर्थ अभिव्यक्त होता है। परन्तु यहाँ प्रतीयमान अर्थ प्रतीत होने पर भी यह प्रतीति लावण्य पद के द्वारा नहीं, अपितु पनारान्तर से है।

अपि च ^{प्रयोजन}

मुख्यां वृत्तिं परित्यज्य गुणवृत्त्यार्थदर्शनम् ।

यदुद्दिश्य फलं तत्र शब्दो नैव स्वलद्गति ॥१७॥

तत्र हि चारुत्वातिशयविशिष्टार्थप्रकाशनलक्षणे प्रयोजने कर्त्तव्ये यदि शब्दस्यामुच्यता, तदा तस्य प्रयोगे दुष्टत्वं स्यात् । न चैवम् ॥१७॥

समग्र वाच्य के अर्थ के बोधित होने पर यह प्रतीयमान अर्थ व्यञ्जना व्यापार द्वारा बोधित होता है कि प्रियतमा वा मुख ही समस्त आशाया का प्रकाशक है । इस प्रकार इन स्थलों में व्यञ्जना व्यापार द्वारा व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति हुई है । लक्षणा द्वारा नहीं ॥१६॥

रूढा लक्षणा में व्यङ्ग्य अर्थ न होने से ध्वनि नहीं हो सकती, इस तथ्य को प्रतिपादित करके ध्वनिवार यह सिद्ध करते हैं कि प्रयोजनवती लक्षणा में भी प्रयोजन (व्यङ्ग्य अर्थ) की प्रतीति लक्षणा द्वारा नहीं होती ।

हिन्दी अर्थ—और भी—

जिस (शैत्य पावनत्व आदि) फल को लक्ष्य करके मुख्य अग्निधा व्यापार को छोड़कर गुणवृत्ति (लक्षणा व्यापार) द्वारा अर्थ का बोध कराया जाता है, उस फलरूप अर्थ का बोध कराने में शब्द स्वलद्गति पर्याप्त बाधितार्थ नहीं है ॥१७॥

यद्यपि यदि वहाँ चारुत्व के अतिशय से विशिष्ट अर्थ के प्रकाशन रूप प्रयोजन के सम्पादन में शब्द की अमुक्यता अर्थात् बाधितार्थता हो जाये तो शब्द का प्रयोग करने में ही दोष उपस्थित हो जायेगा । परन्तु ऐसा नहीं है ।

अभिप्राय यह है कि दूसरे प्रकार की लक्षणा प्रयोजनवती लक्षणा होती है । इसमें प्रयोजन की प्रतीति के लिये लक्षणा द्वारा अर्थ का बोध होता है । परन्तु प्रयोजन की प्रतीति लक्षणा द्वारा नहीं, अपितु व्यञ्जना द्वारा होती है । लक्षणा का प्रयोग वहाँ इसलिये नहीं होता, क्योंकि प्रयोजन रूप व्यङ्ग्य अर्थ वहाँ बाधित नहीं है ।

इसको उदाहरण के द्वारा इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है—

“गङ्गाया घोष” पद में ‘गङ्गा’ का वाच्य अर्थ ‘गङ्गा का प्रवाह’ है, जो कि बाधित होता है, क्योंकि गङ्गा के प्रवाह में घोष की उपस्थिति नहीं हो सकती । अतः ‘गङ्गा’ पद में ‘गङ्गातट’ अर्थ लक्षणा द्वारा निघा जाता है । ‘गङ्गातट’ इस लक्ष्य अर्थ का मुख्य अर्थ में सामीप्य सम्बन्ध है । इस प्रकार वहाँ लक्षणा के प्रयोग के लिये दो हेतु—मुख्यार्थबाध और मुख्यार्थयोग उन्मिष्य हैं । तीसरा हेतु—प्रयोजन भी होना चाहिये । प्रयोजन यह है कि ‘गङ्गायाम् घोष’ पद में घोष में गङ्गा के गुण शीतलत्व, पावनत्व आदि धर्मों की प्रतीति होती है । यदि वक्ता का प्रयोजन इन धर्मों की

प्रतीति कराना न होता, तो वह 'गङ्गातटे घोप' ही कह सकता था। उसको गङ्गाया घोप' कहने की आवश्यकता नहीं थी।

इस उदाहरण में पहले 'अभिधा द्वारा वाच्य अर्थ की प्रतीति होती है। तदनन्तर वाच्य अर्थ के वाधित होने पर लक्षणा द्वारा लक्ष्य अर्थ की प्रतीति होती है। तदनन्तर व्यञ्जना द्वारा व्यङ्ग्य अर्थ प्रयोजन की प्रतीति हाती है। यहाँ व्यञ्जना की अनिवार्यता है, इस विषय में बहुत विवाद है। लक्षणावादियों का कथन है कि यहाँ प्रयोजन रूप व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति भी लक्षणा द्वारा हो जावेगी। उसके लिये व्यञ्जना वृत्ति को मानने की आवश्यकता नहीं है। इसका उत्तर ध्वनिवार ने यह दिया है कि लक्षणा का प्रयोग वही होता है, जहाँ अर्थ की प्रतीति वाधित होती है, अर्थात् शब्द स्वलद्वगति हो। परन्तु यहाँ प्रयोजन की प्रतीति होने में किसी प्रकार की वाधरता नहीं है, अतः यह लक्षणा का विषय नहीं है। इस तथ्य का अभिनवगुप्त ने इस प्रकार स्पष्ट किया है—

“न चासौ लक्षणव, यत स्वलन्ती वाधकव्यापारेण विधुरीक्रियमाणा गतिरवबोधनशक्तियस्य शब्दस्य तदीयो व्यापारो लक्षणा। न च प्रयोजनमवगमयत शब्दस्य वाधकयोग। तथाभावे तत्रापि निमित्तान्तरस्य प्रयोजनान्तरस्य चावेपणेनानवस्थानात्। तेन नाय लक्षणलक्षणाया विषयः।”

प्रयोजना की प्रतीति लक्षणा से हो सकती है, इसका खण्डन आचार्य मम्मट ने प्रबल युक्तियों द्वारा 'वाच्यप्रकाश' में किया है। वे लिखते हैं—

यस्य प्रतीतिमाधातु लक्षणा समुपास्यते ।
फले शब्दवगम्येऽन व्यञ्जनात् परा क्रिया ॥
नाभिधा समयाभावाद् हेत्वभावात् लक्षणा ।
लक्ष्य न मुख्य नाप्यत्र बाधा योग फलन नो ॥
न प्रयोजनमतस्मिन् न च शब्द स्वलद्वगति ।
एवमप्यनवस्था स्याद् या मन्शयकारिणी ॥

वाच्यप्रकाश २ १४-१६ ॥

जिस प्रयोजन रूप फल की प्रतीति कराने के लिये लक्षणा का प्रयोग किया जाता है, शब्दमात्र से बोधित होन वाले उस फल की प्रतीति में व्यञ्जना से अतिरिक्त दूसरा व्यापार नहीं है। इस प्रयोजन के प्रति साक्षात् संकेत का अभाव होने से अभिधा व्यापार नहीं हो सकता और हेतुत्रय के अभाव के कारण लक्षणा नहीं हो सकती। हेतुत्रय की अनुपस्थिति इस प्रकार है—यहाँ लक्ष्य अर्थ मुख्य अर्थ नहीं है और नाही यह लक्ष्य अर्थ वाधित होता है, नाही लक्ष्य अर्थ का प्रयोजन रूप अर्थ से कोई सम्बन्ध है, नाही प्रयोजन को लक्ष्य अर्थ मानने पर अन्य कोई प्रयोजन प्रतीत होना है और नाही शब्द स्वलद्वगति है। यदि प्रयोजन का लक्ष्य अर्थ मानकर किसी अन्य प्रयोजन की कल्पना की जावे तो इसमें अनवस्था दोष उत्पन्न हो जावेगा, जो मूल लक्षणा का ही विनाश कर देगा।

इस प्रकार लक्षणा मूल व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति में लक्षणा व्यापार को न मान कर व्यञ्जना व्यापार को स्वीकार करना ही होगा। इस कारण ध्वनि के व्यञ्जना व्यापार मूल होने से भक्ति को उमका लक्षण नहीं कहा जा सकता ॥१॥

तस्मात्—

वाचकत्वाश्रयेणैव गुणवृत्तिर्व्यवस्थिता ।

व्यञ्जकत्वंकमूलस्यध्वनेः स्याल्लक्षणं कथम् ॥१८॥

मय तस्मादन्यो ध्वनिः, अन्या च गुणवृत्तिः ✓

अध्याप्तिरप्यस्य लक्षणस्या । न हि ध्वनिप्रभेदो विवक्षितान्यपर-
वाच्यलक्षणः, अन्ये च बहवः प्रकाराः भक्त्या व्याप्यन्ते । तस्माद् भक्तिर-
लक्षणम् ॥१८॥

अपने कथन का उपसंहार करते हुये ध्वनिकार कहते हैं—

हिन्दी अर्थ—इसलिये—

गुणवृत्ति (भक्ति, लक्षणा) वाचकत्व (अभिधा व्यापार) का आश्रय लेकर ही
अवस्थित है । इसलिये वह ध्वनि का, जिसका एकमात्र मूल व्यञ्जना व्यापार है, लक्षण
कैसे हो सकती है ॥१८॥

अतः ध्वनि भिन्न है और गुणवृत्ति भिन्न है ।

वाचकत्वाश्रयेण—लक्षणा सदा वाचकत्व (अभिधा व्यापार) का आश्रय लेकर
अपना व्यापार करती है । प्रथम अभिधा द्वारा मुख्य अर्थ उपस्थित होता है, उसके
वाधित होने पर लक्षणा द्वारा मुख्य अर्थ से सम्बन्धित लक्ष्य अर्थ का बोध होता है ।
अतः समालोचको ने लक्षणा को अभिधा की पूछ कहा है । परन्तु व्यञ्जना को अपने
व्यापार के लिये न अभिधा की अपेक्षा है और न लक्षणा की । इसी को 'वाच्यप्रकाश'
में मम्मट ने इस प्रकार स्पष्ट किया है—

“यथा च समयमव्यपेक्षा भिधा तथा मुद्रार्थवाधादि नयसमयविशेषमन्येना
लक्षणा । अत एवाभिधापुच्छभूता सेत्याहुः । न च लक्षणात्मकमव ध्वनन, तदनुगमन
तस्य दर्शनात् । न च तदनुगतमेव, अभिधावलम्बनेनापि तस्य भावान् । न चोभयानुमायैव,
अवाचकवर्णानुसारेणापि तस्य दृष्टे । न च शब्दानुमायैव, अशब्दात्मकनेत्रनिभागाव-
लोकनादिगतत्वेनापि तस्य प्रसिद्धे । इति, अभिधातान्यर्थलक्षणाल्यव्यापारप्रयातिवर्ती
ध्वननादिपर्यायो व्यापारोऽनपह्नवनीय एव ।” पञ्चम उल्लास ।

भक्ति को ध्वनि का लक्षण नहीं कहा जा सकता, इसने लिये ध्वनिकार ने दोष
अतिव्याप्ति और अव्याप्ति बताये थे । इस लक्षण में अतिव्याप्ति के दोष का प्रति-
पादन करके वे अव्याप्ति दोष को उद्घाटित करने हैं ।

हिन्दी अर्थ—भक्ति को ध्वनि का लक्षण कहने में अव्याप्ति दोष भी है ।
विवक्षितान्यपरवाच्य नामक ध्वनि का भेद (अभिधामूल ध्वनि) तथा ध्वनि के अन्य
अनेक प्रकार के भेद भक्ति से व्याप्त नहीं हैं । इसलिये भक्ति ध्वनि का लक्षण नहीं
है ॥१८॥

वस्यच्चिद् ध्वनिभेदस्य सा तु स्यादुपलक्षणम् ।

सा पुनर्भक्तिर्वक्ष्यमाणप्रभेदमध्यादग्यतमस्य भेदस्य यदि नामोपलक्षणतया सम्भाव्येत । यदि च गुणवृत्त्यैव ध्वनितर्लक्ष्यत इत्युच्यते, तदाभिधा-
व्यापारेण तदितरोऽलङ्कारवर्गः समग्र एव लक्ष्यत इति प्रत्येकमलङ्काराणां
लक्षणकरणवैयर्थ्यप्रसङ्गः ।

भक्ति को ध्वनि वा लक्ष्य मानन म अव्याप्ति दोष उत्पन्न है । ध्वनि के दो
मुख्य भेद है—अविवक्षितवाच्य एव विवक्षितान्यपरवाच्य । अविवक्षितवाच्य ध्वनि में
तो लक्षणा है, परन्तु विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि में लक्षणा का लेशमान भी नहीं है ।
विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि के भेदों प्रभेदों, असलक्ष्यमध्यङ्गच, रमध्वनि, भावध्वनि
आदि में मुख्यार्थ की वाधा उपस्थित न होने से लक्षणा व्यापार नहीं होगा, अतः वहाँ
भक्ति कैसे हो सकती है? इस कथन को अभिनवगुप्त ने इस प्रकार स्पष्ट किया है—

‘एवमतिव्याप्तैरथाव्याप्तेर्न चासी लक्ष्यते तथा’—इति कारिकागतामति-
व्याप्ति व्याख्याय अव्याप्ति व्याचष्टे—अव्याप्तिरप्स्येति । अस्य गुणवृत्तिरूपस्य ।
यत्र-यत्र ध्वनिस्तत्र तत्र यदि भक्तिर्भवेत्, न स्यादव्याप्ति । न चैवम् । अविवक्षित-
वाच्येऽस्ति भक्ति—सुवर्णपुष्पामित्यादौ ‘शिखरिणी’ इत्यादौ तु सा कथम् ।’

“इस प्रकार ‘अतिव्याप्ति और अव्याप्ति के कारण वह ध्वनि भक्ति से लक्षित
नहीं हो सकती’ इस कारिकागत अतिव्याप्ति की व्याख्या करके अव्याप्ति की व्याख्या
करते हैं—इसकी अव्याप्ति भी है । ‘अस्य’ का अभिप्राय है—गुणवृत्ति रूप भक्ति
की । यदि यह व्याप्ति मान ली जावे—‘जहाँ-जहाँ ध्वनि है, वहाँ-वहाँ भक्ति है’, तो
यह अव्याप्ति नहीं होगी । परन्तु ऐसा नहीं है । ‘सुवर्णपुष्पाम्’ आदि अविवक्षित
वाच्य ध्वनि के उदाहरणों में तो भक्ति है । परन्तु ‘शिखरिणी क्व नु नाम त्रियञ्चि-
रम्’ आदि विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि के उदाहरणों में भक्ति नहीं है । इसलिये
अव्याप्ति दोष होने से भक्ति को ध्वनि का लक्षण कैसे कहा जा सकता है ? ॥१६॥

भक्तिवादियों के दो विकला—(१) ‘भक्ति ध्वनि वा पर्याय्य है (२) भक्ति
ध्वनि का लक्षण है’ का खण्डन करके ध्वनिकार अथ तीसरे विकल्प—‘भक्ति ध्वनि
का उपलक्षण है’ का खण्डन करते हैं—

हिन्दी अर्थ—वह भक्ति ध्वनि के किसी विशेष भेद का उपलक्षण हो
सकती है ।

आगे ध्वनि के अनेक भेद कहे जायेंगे, उन भेदों में से किसी भेद का यह भक्ति
उपलक्षण हो सकती है, इसकी सम्भावना की जा सकती है । अर्थात् सम्पूर्ण ध्वनि का
यह उपलक्षण नहीं हो सकती । यदि कहा जावे कि गुणवृत्ति से ही सम्पूर्ण ध्वनि
लक्षित होती है, तो अभिधा व्यापार से ही उससे भिन्न सम्पूर्ण अलङ्कार भी लक्षित
हो सकते और इस प्रकार प्रत्येक अलङ्कार का अलग अलग लक्षण करना व्यर्थ
हो जायेगा ।

भक्तियादियों का तीसरा विबल्य यह हो सकता है कि भक्ति ध्वनि का
उपलक्षण हो सकती है । यह ठीक है कि ध्वनि और भक्ति एक रूप नहीं हैं तथा
भक्ति का ध्वनि का लक्षण भी नहीं रखा जा सकता । परन्तु वह उपलक्षण हो सकती
है, क्योंकि जहाँ ध्वनि है, वहाँ भक्ति है ।

येऽपि सहृदयहृदयसंबन्धमनारयेयमेव ध्वनेरात्मानमात्मनासिपुस्तेऽपि न परीक्ष्यवादिनः । यत् उक्तया नीत्या वक्ष्यमाणया च ध्वनेः सामान्यविशेषलक्षणे प्रतिपादितेऽपि यत्नारयेयत्वं तत् सर्वेषामेव वस्तूनां तत्प्रसवतम् । यदि पुनर्ध्वनेरतिशयोक्त्याऽनया काव्यान्तरातिशायि तं स्वरूपमाख्यायते तत्तेऽपि युक्त्याभिधायिन एव ॥१६॥

इति श्रीराजानकानन्दवर्धनाचार्यविरचिते ध्वन्यालोके

प्रथम उद्योतः ।

इसकी व्याख्या अभिनवगुप्त ने इस प्रकार की है—

‘या भूद्वाऽपूर्वोन्मीलन पूर्वोन्मीलितमवास्माभि सम्यङ् निरूपित, तथापि वो दोष इत्यभिप्रायेणह—किं चेत्यादि ।

यदि भक्तिवादी यह कहते हैं कि ध्वनि का उन्मीलन पहले ही आचार्यों द्वारा किया जा चुका है, तथा उन्मीलन अपूर्व वस्तु का नहीं है, तो उनकी बात ठीक हो सकती है । उसका ध्वनिवादी विरोध कहाँ करते हैं । ध्वनिवादियों ने तो उसका सम्यक निरूपण किया है । ध्वनिवादियों का अपूर्व उन्मीलन के प्रति उनका आग्रह नहीं है । यदि यह पहले से उन्मीलित है, तो उनका अभीष्ट बिना प्रयास के ही सम्पन्न हो जाता है ।

प्रथम उद्योत के प्रारम्भ में आनन्दवर्धन ने ध्वनिविरोधियों के तीन पक्ष प्रस्तुत किये थे—अभाववादी, भक्तिवादी और अलक्षणीयतावादी । यहाँ तक उन्होंने प्रथम दो पक्षों—अभाववादियों और भक्तिवादियों का युक्तिपूर्वक खण्डन किया है । अब वे तीसरे अलक्षणीयतावादियों के पक्ष का भी निराकरण कर रहे हैं—

हिन्दी श्रयं—जिन भी विद्वानों ने सहृदय जनों के हृदयों द्वारा संबन्ध ध्वनि की आत्मा को अनाद्येय (अवर्णनीय या अलक्षणीय) कहा है, वे भी परीक्षा करके ऐसा नहीं कहते क्योंकि पहले कहे गये एव आगे कहे जाने वाले प्रकार से ध्वनि के सामान्य एव विशेष लक्षणों के प्रतिपादित किये जाने पर भी यदि ध्वनि को अनाद्येय कहा जा सकता है, तो यह अनाद्येयत्व सभी वस्तुओं में प्राप्त होगा । पुन यदि वे विद्वान् इस अनिशयोक्ति के द्वारा ध्वनि के श्रय काव्यों को अतिशयित करने वाले स्वरूप को कहते हैं, तो वे भी ठीक ही कहते हैं ।

ध्वनिकार ने अलक्षणीयतावादियों का, जो कि ध्वनि को अनाद्येय कहते हैं, इस प्रकार खण्डन किया है, हमने ध्वनि का दो प्रकार से लक्षण किया है—सामान्य रूप से और विशेष रूप से । यहाँ ‘उक्तया नीत्या’ का अभिप्राय प्रथम उद्योत में कहे गये ध्वनि के सामान्य लक्षण “वयार्थं शब्दो वा०” (कारिका १३) से है, एव ‘वक्ष्यमाणया नीत्या’ से अभिप्राय है कि आगे दूसरे उद्योत में ध्वनि के विशेष भेद प्रभेद कहे जायेंगे । ध्वनिकार का बयन है कि उन्होंने प्रथम उद्योत में ध्वनि के सामान्य लक्षण को कह दिया है तथा दूसरे उद्योत में व ध्वनि के विशेष, भेदा-प्रभेदों के लक्षण कहे । इस अवस्था में ध्वनि को अनाद्येय (अलक्षणीय) बँस कहा जा सकता है । यदि अलक्षणीयतावादी इससे अब भी अनाद्येय कहते हैं, तो सभी वस्तुमें अनाद्येय होगी ।

इस प्रसङ्ग में एव शब्दा हो सकती है कि ध्वनिकार ने अभाववादियों एव भक्तिवादियों के खण्डन के नियम कारिकाओं की रचना करने उनकी व्याख्या वृत्ति में

की है, परन्तु अलक्षणीयतावादियों के पक्ष के खण्डन के लिये कारिका की रचना नहीं है, केवल वृत्ति में ही इस पक्ष का खण्डन किया गया है। इसका उत्तर अभिनवगुप्त ने इस प्रकार दिया है—

‘एव त्रिप्रकारमभाववाद भवेयन्तर्भूतता च निराहुवंता अलक्षणीयत्वमेतन्मध्ये निराकृतमेव । अत एव मूलकारिका साक्षात्तनिराकरणार्था न श्रूयते । वृत्तिकृत्तु निराकृतमपि प्रमेयशय्यापूरणाय कण्ठेन तत्पक्षमनूय निराकरोति—येऽप्यादिना ।’

इस प्रकार तीन प्रकार के अभाववाद का और भवित से ध्वनि के अन्तर्भावित होने का खण्डन करने, इनके मध्य में ही ध्वनि के अलक्षणीयत्व का खण्डन कर दिया है। इसी कारण उस अलक्षणीयत्व का साक्षात् रूप से खण्डन करने के लिये मूल-कारिका श्रुत नहीं है। परन्तु प्रमेय (खण्डन के योग्य तीन पक्ष) के सन्निवेश को पूरा करने के लिये निराकृत भी उस पक्ष को (अलक्षणीयतावाद को) शब्दा से वह कर ‘येऽपि’ इत्यादि शब्दों से उसका निराकरण किया है।

ध्वनिकार ने ध्वनि के अनारभ्यत्व का एक हेतु भी प्रस्तुत किया है। उनका कथन है। कि यदि कोई वस्तु अतिशय गुणान्वित होती है, तो भी उसको अनारभ्यत्व, अवर्णनीय वह दिया जाता है, जैसे वेदान्ती परब्रह्म को ‘तान्यधराणि हृदयं किमपि स्फुरन्ति’, ‘न शक्यत वर्णयितुं मिरा तदा’ आदि पदा से अतिवंचनीय कहते हैं। यदि अलक्षणीयतावादियों ने इस प्रकार की अतिशयोक्ति के द्वारा ध्वनि को अनारभ्यत्व कहा है और वे इसके स्वरूप को अन्य वाक्यों से उत्प्रेष्य मानते हैं, तो वे भी ठीक हैं। ध्वनि का अनारभ्यत्व के सम्बन्ध में आनन्दवचन का कथन है कि ध्वनि का यह अनारभ्यत्व भासित होता है, परन्तु उसका लक्षण किया जा सकता है, जो कि उन्होंने किया है। इस कथन को वे तृतीय उद्योत के अन्त में वृत्ति भाग में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं—

अनाभ्यवागभासित्व निर्वाच्यार्थतया ध्वने ।

न लक्षण लक्षण तु गाधीयोऽस्य यथोदितम् ॥

अतिशयोक्त्या—वृत्ति में बड़े शब्द अतिशयोक्ति पद से अतिशयोक्ति अलंकार का ग्रहण नहीं किया जाना चाहिये, अपितु यहाँ अतिशय पद का अर्थ है—जो वचनगोचर न होकर मनसे ध्येष्ट रूप में विद्यमान है।

ध्वन्यालोका की तोचन टीका पर टीका करते हुये उत्तुङ्गोदय ने अपनी बौमुदी टीका में इनको इस प्रकार स्पष्ट किया है—

अतिशयोक्तिरनाभ्यवाग्द्वार इति न मन्तव्यमित्याह अनाभ्येतोक्तयेति । अतिशयो वचनगोचरातिवर्तित्वरूपोऽत्रविवक्षितः । तस्योक्तिरतिशयोक्तिः ।

इस प्रसङ्ग में अतिशयोक्ति पद से अतिशयोक्ति अलंकार को नहीं समझना चाहिये। इसीलिये यहाँ ‘अनाभ्येतोक्ति’ पद को कश्चात् ग्राह्य है। यहाँ अतिशय का अर्थ—‘वचनो के विषय को अतिशय करने वाला’ विवक्षित है। उसका कथन अतिशयोक्ति है ॥१६॥

इति डाक्टरोपाप्यलङ्कृतकृष्णकुमारकृतध्वन्यालोकस्य ध्वन्यालोकस्य प्रथम उद्योत.

द्वितीय उद्योतः

एवमविवक्षितवाच्य-विवक्षितान्यपरवाच्यत्वेन ध्वनिद्विप्रकार
प्रकाशित । तत्राविवक्षितवाच्यस्य प्रभेदप्रतिपादनापेक्षमुच्यते—

अर्थान्तरे सङ्क्रमितमत्यन्त वा तिरस्कृतम् ।

अविवक्षितवाच्यस्य ध्वनेर्वाच्य द्विधा मतम् ॥१॥

तथाविधाम्या च ताम्या व्यङ्ग्यस्यैव विशेष

प्रथम उद्योत में वृत्ति में ध्वनिकार ने ध्वनि के दो भेद बताया हैं । इस उद्योत में ध्वनि के भेदा का बर्णन करने के लिये ध्वनिकार पहले अविवक्षितवाच्य ध्वनि का भेद कहते हैं—

हिंदी अर्थ—इस प्रकार अविवक्षितवाच्य और विवक्षितान्यपरवाच्य के रूप में ध्वनि को दो प्रकार का प्रकाशित किया था । उनमें से अविवक्षितवाच्य ध्वनि के प्रभेदों के प्रतिपादन के लिये यह कहा जाता है—

अविवक्षितवाच्य ध्वनि का वाच्य अर्थ दो प्रकार का माना गया है—

अर्थान्तर में सङ्क्रमित एवं अत्यन्त तिरस्कृत ॥१॥

उस प्रकार के उन दोनों अर्थान्तरसङ्क्रमित और अत्यन्ततिरस्कृत ध्वनियों में व्यङ्ग्य अर्थ का ही विशेष उत्कथ सम्पादित होता है ।

अविवक्षितवाच्य ध्वनि में वाच्य अर्थ अविवक्षित है अर्थात् वाच्य अर्थ के बाधित होने पर लक्षणा द्वारा लक्ष्य अर्थ की प्रतीति होती है और तदनन्तर व्यञ्जना द्वारा व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति होती है । अर्थान्तरसङ्क्रमित' पद में गिच प्रथम के प्रयोग से उनका प्रयोजक कर्ता अपक्षित है और वह लक्षणा व्यापार है । अर्थात् लक्षणा के द्वारा वाच्य अर्थ दूसरे अर्थ में सङ्क्रमित हो जाता है । इसी प्रकार की अवस्था अर्थान्तर तिरस्कृत में भी है जब कि लक्षणा द्वारा वाच्य अर्थ का अर्थान्तर तिरस्कार अत्यधिक परित्याग होता है ।

यद्यपि अविवक्षित वाच्य ध्वनि में वाच्य अर्थ अविवक्षित है वह अर्थान्तर में सङ्क्रमित या अर्थान्तर तिरस्कृत है और इन्हीं दो प्रकारों से इस ध्वनि के दो भेद किये गये हैं तथापि इन वाच्य अर्थों से ही इन ध्वनियों में व्यङ्ग्य अर्थ का प्रतिपादन होता है । ध्वनि के व्यङ्ग्यभाव होने पर भी अविवक्षितवाच्य ध्वनि के दो भेदों को वाच्य अर्थ के दो भेदों द्वारा करने का अभिप्राय यही है कि इनमें व्यङ्ग्य अर्थ का प्रतिपादन लक्ष्य अर्थ द्वारा नहीं अपितु वाच्य अर्थ द्वारा किया जाता है ।

अविवक्षितवाच्य ध्वनि मे प्रयोजक सहवारी लक्षणा है, अत इस ध्वनि को लक्षणामूल ध्वनि कहा गया है । इसकी व्याख्या मम्मट ने इस प्रकार की है—

“लक्षणामूलगूढव्यङ्ग्यप्राधान्ये सत्येव अविवक्षित वाच्यम्”

यत्र स ध्वनौ इत्यनुवादाद् ध्वनिरिति ज्ञेय ” ।

जिस ध्वनि मे लक्षणामूल गूढ व्यङ्ग्य की प्रधानता होने पर ही वाच्य अविवक्षित वाच्य है, वह ध्वनि अविवक्षित वाच्य है । इस प्रकार इस ध्वनि की पाँच विशेषताये होती है—

- (१) वाच्य अर्थ अविवक्षित होता है ।
- (२) व्यङ्ग्य अर्थ लक्षणामूलक होता है ।
- (३) व्यङ्ग्य अर्थ गूढ होता है ।
- (४) व्यङ्ग्य अर्थ की प्रधानता होती है ।
- (५) व्यङ्ग्य अर्थ का उत्कर्ष (प्रतिपादन) वाच्य अर्थ द्वारा होता है ।

अविवक्षितवाच्य ध्वनि लक्षणामूलक है तथा लक्षणा के प्रभाव से इसमें वाच्य अर्थ अर्थान्तरसन्नमित या अत्यन्त तिरस्कृत होता है, इसलिये इस प्रसङ्ग मे लक्षणा व्यापार को साक्षेप मे समझ लेना उचित होगा ।

लक्षणा के स्वरूप का निरूपण काव्यप्रकाशकार ने इस प्रकार किया है ।

मुख्यार्थबाधे तद्योगे रुद्धितोऽथ प्रयोजनात् ।

अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्सालक्षणारोपिता क्रिया ॥ (काव्यप्रवाश २६ ॥)

मुख्य अर्थ (वाच्य अर्थ) के बाधित होने पर रुद्धि या प्रयोजन के कारण मुख्य अर्थ से सम्बन्धित अन्य लक्ष्य अर्थ की प्रतीति जिस शब्द व्यापार से होती है, वह लक्षणा व्यापार है और वह आरोपित शब्द व्यापार है ।

इसका अर्थ है कि लक्षणा द्वारा मुख्य अर्थ से सम्बद्ध अर्थ की ही प्रतीति हो सकती है, असम्बद्ध की नहीं । यह सम्बन्ध ६ प्रकार का हो सकता है—सादृश्य, सयोग, सामीप्य, समवाय, वंपरीत्य और क्रियायोग । इनमे सादृश्य सम्बन्ध होने पर गौणी लक्षणा तथा अन्य सम्बन्ध होने पर शुद्ध लक्षणा होती है ।

अवान्तर भेद से लक्षणा के दो अन्य भेद आनद्धाकारिका ने किये हैं—

स्वसिद्धये पराक्षेप परार्थं स्वसमर्पणम् ।

उपादान लक्षण चेत्युक्ता शुद्धैव सा द्विधा ॥ काव्यप्रवाश २१० ॥

जहाँ मुख्य अर्थ अपने सिद्धि के लिये दूसरे अर्थ का साक्षेप कर लेता है, इसको उपादान लक्षणा कहते हैं और जहाँ दूसरे अर्थ की सिद्धि के लिये मुख्य अर्थ अपने आपका परित्याग कर देता है, उसको लक्षण-लक्षणा कहते हैं । यह दोनों ही प्रकार की लक्षणा शुद्धा कहलाती है । उपादान लक्षणा और लक्षण-लक्षणा के उदाहरण क्रमशः ‘कुन्ता’ प्रविशन्ति’ एव ‘गङ्गाया घोष’ है । इन दोनों उदाहरणों के द्वारा ‘अर्थान्तरसन्नमित’ और ‘अत्यन्ततिरस्कृत’ भेदों को स्पष्ट किया जा सकता है ।

तत्रार्थान्तरसक्रमितवाच्यो यथा—

स्निग्धदयामलकान्तिलिप्तवियतो वेल्लद्वलाकाधना.

वाताः शीकरिणः पयोदसुहृदामानन्दकेकाः कलाः ।

काम सन्तु दृढं कठोरहृदयो रामोऽस्मि सर्वे सहे

वंदेही तु कथं भविष्यति ह हा हा देवि धीरा भव ॥

इत्यत्र रामशब्द । अनेन हि व्यङ्ग्यचधमन्तिरपरिणतः संज्ञी प्रत्याप्यते, न सञ्ज्ञिमात्रम् ।

कुन्ता प्रांबशन्ति—इस वाक्य में अचेतन कुन्ता में प्रवेश क्रिया असम्भव है, अतः मुख्य अर्थ 'कुत' बाधित होता है। इसलिये 'कुन्त' मुख्य अर्थ से सम्बद्ध लक्ष्य अर्थ 'कुन्तधारी पुर्य' लक्षित होता है। इस अर्थ का करने में मुख्य अर्थ 'कुन्त' ने अपने सम्पूर्ण अर्थ का परित्याग नहीं किया, अपितु अपने से सम्बन्ध 'कुन्तधारी पुर्य' का आक्षेप कर लिया। यह उपादान लक्षणा है। इसको 'अजहत्स्वार्था' लक्षणा भी कहते हैं, क्योंकि वाच्य अर्थ का इसमें परित्याग नहीं होता।

अर्थान्तरसक्रमित वाच्य ध्वनि में भी उपादान लक्षणा होती है। इसमें वाच्य अर्थ का सम्पूर्ण परित्याग नहीं होता, अपितु यह अपने अर्थ से सम्बद्ध दूसरे अर्थ में सक्रमित हो जाता है।

गङ्गायां घोष—इस वाक्य में गङ्गा के प्रवाह में घोष की उपस्थिति असम्भव है, अतः गङ्गा पद का मुख्य अर्थ 'गंगा का प्रवाह' बाधित होता है। इसलिये 'गंगा का प्रवाह' इस मुख्य अर्थ द्वारा सामीप्य सम्बन्ध से सम्बन्धित 'तट' यह लक्ष्य अर्थ लक्षित किया जाता है। इस अर्थ को करने में 'गङ्गा' पद के मुख्य अर्थ ने अपने को सम्पूर्ण रूप से परित्याग करके 'तट' अर्थ को सम्पादित किया। यह लक्षण-लक्षणा है। इसको 'जहत्स्वार्था' लक्षणा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वाच्य अर्थ 'गंगा का प्रवाह' का सम्पूर्ण रूप में परित्याग कर दिया गया है।

अत्यन्ततिरस्वृत वाच्य ध्वनि में भी लक्षण-लक्षणा होती है। इसमें वाच्य अर्थ का सम्पूर्ण रूप में परित्याग होता है। वाच्य अर्थ का सम्पूर्ण रूप में परित्याग ही उसका अत्यन्त तिरस्कार है।

इस प्रकार अविबक्षित वाच्य ध्वनि के मूल में लक्षणा वृत्ति सहकारी है तथा इनके भेदो-अर्थान्तरसक्रमित और अत्यन्त तिरस्वृत के मूल में क्रमशः उपादान लक्षणा और सञ्ज्ञण लक्षणा है।

अविबक्षित वाच्य ध्वनि के दो भेदों को बताकर इनके उदाहरण कहते हैं—

हिन्दी अर्थ—इसमें से अर्थान्तर सक्रमित वाच्य का उदाहरण है, जैसे—

स्निग्ध और इयामल कान्ति से आकाश को लिप्त कर देने वाले और एक-एकियों को विहार कराने वाले मेघ छाये हैं, सीतल जलधरों से मुक्त पवन बह रहे हैं, मेघों के मित्र मयूरों की आनन्द से नरी अव्यक्त मयूर बूँदें सुनाई दे रही हैं। ये सभी बातें (कामवधक) चाहे प्रचुर हो, मैं तो दृढ़ कठोर हृदय वाला राम हूँ। इन सबको सहन कर लूँगा। परन्तु विदेहपुत्री सीता की कौसी अवस्था होगी? हा, हा, हे देवि, तुम धैर्य धारण करो।

इस उदाहरण में राम शब्द अर्थान्तरसक्रमित वाच्य है। इस राम शब्द से केवल राम नाम के व्यक्ति का ही बोध नहीं होता, अपि व्यङ्ग्य चधमं (दुःख को सहन करना) से विशिष्ट राम नाम के व्यक्ति का बोध होता है।

यया च ममैव विषमबाणलीलायाम्—

ताला जाअन्ति गुणा जाला वे सहिअएहि घेपन्ति ।

रइ किरणानुगहिआइँ होन्ति कमलाइँ कमलाइँ ॥

तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहृदयैगू ह्यन्ते ।

रविकिरणानुगृहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि ॥)

इत्यत्र द्वितीयः कमलशब्दः ।

इस उदाहरण में 'मेघों का आकाश में व्याप्त होना' आदि उद्दीपन विभावों द्वारा राम विप्रलम्भ चोतित होता है तथा इससे राम के हृदय का अत्यधिक कष्ट व्यक्त है । परन्तु राम इस कष्ट को इसलिये सहन कर सकते हैं, क्योंकि वे पिता के अत्यन्त वियोग राज्य त्याग, वनवास, चीवर धारण, स्त्रीहरण आदि अनेक दुःखों को सहन करने से अत्यधिक कठोर हृदय वाले हो गये हैं । क्योंकि राम स्वयं इस पद्य का कह रहे हैं, अतः 'राम' पद का वाच्य अर्थ बाधित होने से 'दुःखसहिष्णुविशिष्ट राम' अर्थ का आक्षेप किया जाता है । इस प्रकार वाच्य अर्थ के अर्थान्तर में सन्नमित होने से यहाँ अर्थान्तरसन्नमित अविबक्षितवाच्य ध्वनि है । इसमें राम का विप्रलम्भ शृङ्गार व्यङ्ग्य है, जो कि वाच्य एवं लक्ष्य अर्थ अपेक्षा अधिक चमत्कारी है ।

अर्थान्तरसन्नमित का एक उदाहरण देकर ध्वनिकार ने इसका दूसरा उदाहरण अपनी ही एक कृति 'विषमबाणलीला' से दिया है—

हिन्दी अर्थ—और जैसे कि मेरी ही कृति विषम बाणलीला में है—

गुण तब गुण होते हैं, जब वे सहृदयों द्वारा स्वीकार किये जाते हैं । सूर्य की किरणों में अनुगृहीत होने पर ही कमल कमल होते हैं ।

यहाँ दूसरा कमल शब्द अर्थान्तरसन्नमित है ।

इस उदाहरण में दूसरे 'कमल' पर का वाच्य अर्थ बाधित है,

अतः इससे विनासादिगुणविशिष्ट कमल' अर्थ लक्षित होता है और इसमें चारुत्व का अतिशय व्यङ्ग्य है । वाच्य अर्थ 'कमल' के अर्थान्तर में 'विनासादिगुण-विशिष्ट कमल' अर्थ से सन्नमित हो जाने के कारण यह अर्थान्तरसन्नमित अविबक्षित-वाच्य ध्वनि का उदाहरण होता है ॥१॥

दा पद्यों द्वारा अर्थान्तरसन्नमितवाच्य ध्वनि के उदाहरण दिखलाकर आनन्द-वर्धन अब दो पद्यों से अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि के उदाहरणों को प्रदर्शित करते हैं ।

अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यो यथादिकचेर्बाल्मीकेः—

रविसक्रान्तसौभाग्यस्तुपारावृतमण्डलः ।

निःश्वासान्ध इवादशश्चन्द्रमा न प्रकाशते ॥इति ॥

अत्रान्धशब्दः ।

गम्रण च मत्तमेह धारालुलिअञ्जुणाइँ अ वणाइँ ।

गिरहंकारमिअंका हरन्ति नीलाओ वि णिसाओ ॥

(गगनं च मत्तमेघ धारालुलिताजुं नानि च वनानि ।

निरहङ्कारमृगाङ्का हरन्ति नीला अपि निशाः ॥)

अत्रमत्तनिरहङ्कारशब्दो ॥१॥

हिन्दी अर्थ—अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य का उदाहरण, जैसे कि आदि कवि बाल्मीकि का है—

सूर्य में जिसका सौभाग्य सन्निहित हो गया है ऐसा और तुपार से आवृत घेरे वाला चन्द्रमा उसी प्रकार से प्रकाशित नहीं हो रहा, जैसे कि निश्वास से मलिन दर्पण प्रकाशित नहीं होता ।

यहाँ अन्ध शब्द अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि है ।

यह श्लोक पञ्चवटी में हेमन्त का वर्णन करते हुये राम ने पढ़ा है । इस पद्य में 'अन्ध' शब्द का वाच्य अर्थ बाधित होता है । नेत्र से हीन व्यक्ति को 'अन्ध' कहा जाता है । चन्द्रमा या दर्पण में अन्धत्व अनुपपन्न होने से मुख्य अर्थ बाधित होकर चन्द्रमा में और दर्पण में पदार्थों की स्पुटीकरण की असमर्थता लक्षित होती है और अप्रकाशातिशय व्यङ्ग्य है । इस उदाहरण में 'अन्ध' के वाच्य अर्थ व सर्वथा निराकरण करने, अत्यन्ततिरस्कृत होने से अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि है ।

अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि का दूसरा उदाहरण—

हिन्दी अर्थ—मदमाते मेघों से भरा आकाश, धारासार वर्षा से आन्दोलित अजुंन यज्ञों वाले घन और गर्वहीन चन्द्रमा वाली काली रातों भी मन का हरण कर लेती हैं ।

यहाँ मत्त और निरहङ्कार शब्दों में अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि है ।

मदिरा के पान करने से उत्पन्न क्षीवता 'मत्त' पद का मुख्य अर्थ है और सौन्दर्य आदि के कारण उत्पन्न घमण्ड 'अहङ्कार' पद का मुख्य अर्थ है । ये दोनों विशेषतायें चेतन में हो सकती हैं । मेघों में मत्तता तथा चन्द्रमा में अहङ्कार की सम्भावना न होने से मुख्य अर्थ बाधित होता है । इस प्रकार यह मत्त शब्द से सादृश्य सम्बन्ध से मेघों में असमञ्जकारित्व, दुर्निवारत्व आदि धर्म लक्षित होते हैं । निरहङ्कार पद से चन्द्रमा में पारतन्त्र्य, विच्छेद्यत्व, उदय होने की इच्छा का त्याग आदि धर्म लक्षित होते हैं । इसप्रकार वाच्य अर्थ का सर्वथा त्याग हो जाने के कारण यहाँ अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि है ॥१॥

असंलक्ष्यक्रमोद्योतः क्रमेण द्योतितः परः ।

विवक्षिताभिधेयस्य ध्वनेरात्मा द्विधा मतः ॥२॥

मुख्यतया प्रकाशमानो व्यङ्ग्योऽर्थो ध्वनेरात्मा । स च वाच्यार्था-
पेक्षया फश्चिदलक्ष्यक्रमतया प्रकाशते फश्चित् क्रमेणेति द्विधा मतः ॥२॥

अविवक्षितवाच्य ध्वनि के भेदो को प्रदर्शित करने ध्वनिकार अब विवक्षितान्य-
परवाच्य ध्वनि के भेदो का निरूपण करने हैं—

हिन्दी अर्थ—जिस ध्वनि में वाच्य अर्थ विवक्षित है, उस ध्वनि का आत्मा
दो प्रकार का होता है—एक तो वह जिसमें वाच्य व्यङ्ग्य अर्थों का क्रम लक्षित नहीं
होता, दूसरा वह जिसमें यह क्रम लक्षित हो जाता है । इसमें पहले को असंलक्ष्यक्रम-
व्यङ्ग्य और दूसरे को संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य कहते हैं ॥२॥

वाच्य में जो व्यङ्ग्य अर्थ प्रधान रूप से प्रकाशित होता है, वह ही ध्वनि का
आत्मा है । वह कोई तो वाच्य अर्थ की अपेक्षा से असंलक्ष्यक्रमरूप होकर प्रकाशित
होता है और कोई क्रम से प्रकाशित होता है, इस तरह से दो प्रकार का माना
गया है ।

ध्वनि के दो भेद—अविवक्षित वाच्य तथा विवक्षितान्यपरवाच्य नाम से किये
गये हैं । इनमें पहला भेद लक्षणामूल है, क्योंकि इसमें लक्षणा की सहायता से वाच्य
अर्थ से व्यङ्ग्य अर्थ का प्रतीति होती है । दूसरा भेद, विवक्षितान्यपरवाच्य अभिधा-
मूल है । इसमें अभिधा द्वारा वाच्य अर्थ का बोध होता है तथा उससे व्यङ्ग्य अर्थ
की प्रतीति दो प्रकार से हो सकती है—() दोनों अर्थों की प्रतीति के मध्य इतना
क्रम अन्तर होता है, कि यह प्रतीति नहीं होता और वाच्य तथा व्यङ्ग्य अर्थ एक साथ
होते प्रतीति होते हैं । इनको असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य कहते हैं । इनमें अन्तर तो है परन्तु
प्रतीति न होने से अक्रम कहा गया है जैसा कि मम्मट ने कहा है—

“अलक्ष्येति न खलु विभावानुभावव्यभिचारिण एव रस, अपितु रसस्तीरित्यस्ति
क्रम, स तु लाघवान्न लक्ष्यते” । काव्यप्रवाश चतुर्थ उल्लास ॥

असंलक्ष्य का यह अभिप्राय नहीं है कि विभाव और व्यभिचारी भाव ही रस
हैं, अपितु रस उनसे निष्पन्न होता है, इस प्रकार क्रम तो है, परन्तु शीघ्रता के कारण
वह लक्षित नहीं होता । असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि को सामान्य रूप से रसादि ध्वनि
भी कहा जाता है । इसके भेद आगे कहे जायेंगे ।

(२) वाच्य और व्यङ्ग्य अर्थों की प्रतीति में समय का अन्तर यदि लक्षित हो
जाये तो यह संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि है । इस ध्वनि के प्रधान रूप से दो भेद हैं—
वस्तु ध्वनि और अलङ्कार ध्वनि । इनके भेद अगले प्रकरणों में समुचित स्थान पर
कहे जायेंगे ॥२॥

1381
17
80
1039
2517

1) संस्कृत अलङ्कारात्मिका समाप्तिशाल
अनिरुद्ध जोशी. अजंठा प्रकाशन
द्वय लोकात्मिका जि. १। म. लोका
जोशी. मणिवाडकर

2) भाषा आदि भाषाशास्त्र
श्री. राजेन्द्राडकर

054.01

॥३॥

वेनावभासमानो

र आचार्य भव

आदि भेद से अनेक
त्व (प्रधान रूप) से
प्रतीत होता है।

‘व’ पाठ है, जिसका
आदि की प्रतीति वाच्य
गुप्त की लोचन टीका
‘सह + इव’ सन्धिच्छेद
पि क्रमस्य व्याख्याता।
प्रतीति में क्रम तो है,

ध्वानकार न प्रातपात्स्य...
पर प्रतीत नहीं होता, इसलिये इसको असंलक्ष्यक्रम ध्वनि कहते हैं। जिस प्रकार कमल
के १०० पत्तों को एक बार सुई से छेदने पर उनके पृथक् पृथक् छेदन का क्रम लक्षित
नहीं होता (उत्पलशतपत्रव्यतिभेदवत् लाघवात् न संलक्ष्यते), उसी प्रकार वाच्य अर्थ एवं
रस की प्रतीति का क्रम लक्षित नहीं होता।

ध्वनिकार ने रस आदि को प्रधान होने पर ही इनको रसादिध्वनि कहा है।
जब रस आदि प्रधान रूप से न हो, तब वहाँ रसवद् आदि अलङ्कार होते हैं। इस
तथ्य को अगली कारिकाओं (४ और ५) में अधिक स्पष्ट किया गया है। रसवद् आदि
अलङ्कारों का स्पष्टीकरण अगली कारिकाओं की व्याख्या में किया गया है। इस
प्रसङ्ग में रसों का तथा उनकी निष्पत्ति का विवेचन करना उपयुक्त होगा।

(१) रस-प्रक्रिया—

रस शब्द की व्युत्पत्ति है—रस्यते आस्वाद्यते इति रसः। जिसका आस्वादन
किया जाता है, वह रस है। यह रस की अनुभूति अखण्ड आनन्द रूप होती है।
‘साहित्यदर्पण’ में इस अनुभूति का वर्णन इस प्रकार है—

सत्त्वोद्भूतकादखण्डस्वप्रवाशानन्दचिन्मयः।

वेदान्तरस्यर्भान्न्यो ब्रह्मास्वादसहोदरः ॥

लोकोत्तरचमत्कारप्राणः कंचित्तु प्रमातृभिः।

स्वाकारवदभिन्न्स्वेनायमास्वाद्यते रसः ॥ सा०

असंलक्ष्यक्रमोद्योतः क्रमेण द्योतितः परः ।

विवक्षिताभिधेयस्य ध्वनेरात्मा द्विधा मतः ॥२॥

मुख्यतया प्रकाशमानो व्यङ्ग्योऽर्थो ध्वनेरात्मा । स च वाच्यार्था-
पेक्षया कश्चिदलक्ष्यक्रमतया प्रकाशते कश्चित् क्रमेणेति द्विधा मत ॥२॥

अविवक्षितवाच्य ध्वनि के भेदों को प्रदर्शित करके ध्वनिकार अब विवक्षितान्य-
परवाच्य ध्वनि के भेदों का निरूपण करते हैं—

हिन्दी अर्थ—जिस ध्वनि में वाच्य अर्थ विरक्षित है, उस ध्वनि का आत्मा
दो प्रकार का होता है—एक तो वह जिसमें वाच्य व्यङ्ग्य अर्थों का क्रम लक्षित नहीं
होता, दूसरा वह जिसमें यह क्रम लक्षित हो जाता है । इसमें पहले को असंलक्ष्यक्रम-
व्यङ्ग्य और दूसरे को संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य कहते हैं ॥२॥

वाच्य में जो व्यङ्ग्य अर्थ प्रधान रूप से प्रकाशित होता है, वह ही ध्वनि का
आत्मा है । वह कोई तो वाच्य अर्थों की अपेक्षा से अलक्ष्यक्रमरूप होकर प्रकाशित
होता है और कोई क्रम से प्रकाशित होता है, इस तरह से दो प्रकार का माना
गया है ।

ध्वनि के दो भेद—अविवक्षित वाच्य तथा विवक्षितान्यपरवाच्य नाम से किये
गये हैं । इनमें पहला भेद लक्षणा मूल है, क्योंकि इसमें लक्षणा की सहायता से वाच्य
अर्थ से व्यङ्ग्य अर्थ का प्रतीति होती है । दूसरा भेद, विवक्षितान्यपरवाच्य अभिधा-
मूल है । इसमें अभिधा द्वारा वाच्य अर्थ का बोध होता है तथा उससे व्यङ्ग्य अर्थ
की प्रतीति दो प्रकार से हो सकती है—() दोनों अर्थों की प्रतीति के मध्य इतना
क्रम अन्तर होता है, कि यह प्रतीति नहीं होता और वाच्य तथा व्यङ्ग्य अर्थ एक साथ
होते प्रतीत होते हैं । इनको अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य कहते हैं । इनमें अन्तर तो है परन्तु
प्रतीति न होने से अक्रम कहा गया है जैसा कि मम्मट ने कहा है—

‘अलक्ष्येति न खलु विभावानुभावव्यभिचारिण एव रस, अपितु रसस्तेरित्यस्ति
श्रम, स तु लाघवान्न लक्ष्यते’ । काव्यप्रकाश चतुर्थ उल्लास ॥

अलक्ष्य का यह अभिप्राय नहीं है कि विभाव और व्यभिचारी भाव ही रस
हैं, अपितु रस उनसे निष्पन्न होता है, रस प्रकार क्रम तो है, परन्तु शीघ्रता के कारण
वह लक्षित नहीं होता । असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि की सामान्य रूप से रसादि ध्वनि
भी कहा जाता है । इसके भेद आगे कहे जायेंगे ।

(२) वाच्य और व्यङ्ग्य अर्थों की प्रतीति में समय का अन्तर यदि लक्षित हो
जाये तो यह संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि है । इस ध्वनि के प्रधान रूप से दो भेद हैं—
वस्तु ध्वनि और श्रवण ध्वनि । इनके भेद अगले प्रकरणों में समुचित स्थान पर
कहे जायेंगे ॥२॥

तत्र—

रसभावतदाभासतत्प्रशान्तयादिरक्रमः ।

ध्वनेरात्माङ्गीभावेन भासमानो व्यवस्थितः ॥३॥

रसादिरर्थो हि सहेव वाच्येनावभासते । स चाङ्गीत्वेनावभासमानो ध्वनेरात्मा ॥३॥

विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि के दो मुख्य भेदों को कहकर आचार्य अब असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि (अक्रम) ध्वनि का निरूपण करते हैं ।

हिन्दी अर्थ—उन दोनों में से—

अक्रम ध्वनि रस, भाव, रसाभास, भावाभास भावशान्ति आदि भेद से अनेक प्रकार का होता है । इसमें ध्वनि के आत्मारूप रस आदि अङ्गीभाव (प्रधान रूप) से प्रतीत होते हुये स्थित होते हैं ॥३॥

रस आदि रूप अर्थ वाच्य अर्थ के साथ ही निष्पन्न होता हुआ प्रतीत होता है । और अङ्गी रूप से भासमान होता हुआ वह ही ध्वनि का आत्मा है ।

सहेव—‘ध्वन्यालोक’ के निर्णयसागरीय स्वररूप में ‘सहेव’ पाठ है, जिसका सन्धि विच्छेद ‘सह+एव’ होता है । इसका अर्थ है कि रस आदि की प्रतीति वाच्य अर्थ के साथ ही होती है । चिन्तु यह पाठ भ्रमपूर्ण है । अभिनवगुप्त की लोचन टीका से ‘सहेव’ पाठ ही अधिक सगत प्रतीत होता है, क्योंकि उन्होंने ‘सह+इव’ सन्धिच्छेद करके इसकी व्याख्या की है—इव शब्देनासलक्ष्यताविद्यमानत्वेऽपि क्रमस्य व्याख्याता । ध्वनिकार ने प्रतिपादित किया है कि वाच्य और रस आदि की प्रतीति में क्रम तो है, पर प्रतीत नहीं होता, इसलिये इसको असलक्ष्यक्रम ध्वनि कहते हैं । जिस प्रकार कमल के १०० पत्तों को एव बार सुई से छेदने पर उनके पृथक् पृथक् छेदन का क्रम लक्षित नहीं होता (उत्पलशतपत्रव्यतिभेदवत् लाघवात् न सलक्ष्यते), उसी प्रकार वाच्य अर्थ एव रस की प्रतीति का क्रम लक्षित नहीं होता ।

ध्वनिकार ने रस आदि को प्रधान होने पर ही इनको रसादिध्वनि कहा है । जब रस आदि प्रधान रूप से न हो, तब वहाँ रसवद् आदि अलङ्कार होते हैं । इस तथ्य को अगली कारिकाओं (४ और ५) में अधिक स्पष्ट किया गया है । रसवद् आदि अलङ्कारों का स्पष्टीकरण अगली कारिकाओं की व्याख्या में किया गया है । इस प्रसङ्ग में रसा का तथा उनकी निष्पत्ति का विवेचन करना उपयुक्त होगा ।

(१) रस प्रक्रिया—

रस शब्द की व्युत्पत्ति है—रस्यते आस्वाद्यते इति रसः । जिसका आस्वादन किया जाता है, वह रस है । यह रस की अनुभूति अखण्ड आनन्द रूप होती है ।

‘साहित्यदर्पण’ में इस अनुभूति का वर्णन इस प्रकार है—

सत्त्वोद्भूतनादखण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मयः ।

वेदान्तरस्यशून्यो ब्रह्मास्वादसहोदरः ॥

लोकोत्तरचमत्कारप्राण-वैश्वित्तु प्रमातृभिः ।

स्वाकारवदभिन्नत्वेनायमास्वाद्यते रसः ॥ सा० द० ३२-३॥

ही सबसे अधिक युक्ति सगत है। रस प्रक्रिया को समझने के लिये इन मतों की समीक्षा सक्षेप से प्रस्तुत करना यहाँ उपयोगी होगा।

(क) भट्टलोल्लट—भट्टलोल्लट के मत को 'उत्पत्तिवाद' कहा जाता है। उन्होंने 'सयोगात्' का अर्थ 'उत्पाद्य-उत्पादक भावात्' और 'निष्पत्ति' का अर्थ उत्पत्ति किया है। उनकी व्याख्या का सारांश इस प्रकार है—

ललना, उद्यान आदि आलम्बन और उद्दीपन विभाव हैं। इनसे राम आदि में रति आदि भावों की उत्पत्ति अर्थात् उद्बोधन होता है। तदनन्तर कटाक्ष, भुजक्षेप आदि कार्यरूप अनुभावों से रामगत रति आदि प्रतीति के योग्य हो जाते हैं और निर्वेद आदि सहकारी भावों से ये रति आदि भाव पुष्ट होते हैं। ये रति आदि भाव राम आदि पात्रों के हृदय में रहते हैं। जब कोई अभिनेता राम आदि पात्रों का रूप रखकर राम का अभिनय करता है, तो सामाजिक उसमें रामत्व का आरोप कर लेते हैं, अर्थात् उसी को राम समझते हैं। इस प्रकार यह राम आदि गत रति सामाजिकों को नट में प्रतीत होती हुई उनके हृदयों में विशेष प्रकार के चमत्कार का आधान करती है और रस की पदवी को धारण करती है।

भट्टलोल्लट के इस उत्पत्तिवाद में दोष यह है कि रस की निष्पत्ति राम आदि अनुभावों में है एवं राम आदि पात्रों का अभिनय करने वाले अभिनेताओं में भी गौण रूप से निहित है। इस अवस्था में रस की निष्पत्ति सामाजिकों के हृदय में नहीं हो सकती और वे रस का आस्वादन नहीं कर सकेंगे। यदि उनमें रस की स्थिति मानी भी जावे, तो यह भ्रान्तिमात्र होगी तथा काव्य आदि अमोत्पादक होने से उपादेय न हो सकेंगे। परन्तु काव्य आदि से रसानुभूति होती है, यह सामाजिकों के हृदयों के अनुभव से प्रत्यक्ष सिद्ध है।

(ख) श्रीशङ्कुक—भट्टलोल्लट की विवेचना में उपर्युक्त दोष का अनुभव करके श्रीशङ्कुक ने रस को अनुमान का विषय सिद्ध करने का प्रयत्न किया। उनका मत 'अनुमितिवाद' कहलाता है। उन्होंने 'सयोगात्' का अर्थ 'अनुमाप्य-अनुभापक सम्बन्धात्' तथा 'निष्पत्ति' का अर्थ 'अनुमिति' किया। इस मत की व्याख्या निम्न प्रकार से हा सकती है—

सामाजिक किसी अभिनेता को राम का अभिनय करते देखता है। तब वह उस नट को ही राम समझ लेता है। परन्तु इस अवस्था में नट में जो राम की प्रतीति है, वह ज्ञान विलक्षण है। यह ज्ञान न तो सम्यक् ज्ञान है, न सशय ज्ञान है, न मिथ्या-ज्ञान है और सादृश्यमात्र की प्रतीति है। परन्तु यह प्रतीति 'चित्रतुरगन्याय' की प्रतीति है। जिस प्रकार चित्र में घोड़े को देखकर उस चित्र के वस्तुतः घोड़ा न होते हुये भी यह घोड़ा है, इस प्रकार की प्रतीति होती है, उसी प्रकार अभिनय में राम के उपस्थित न होते हुये भी राम का अभिनय करने वाले अभिनेता में सामाजिक को राम की प्रतीति होती है। जब सामाजिक उस अभिनेता को ही राम समझ लेता है तो शिष्टा और अभ्यास करने की कुशलता के कारण उसमें कृत्रिम विभाव, अनुभाव

श्रीर ध्यभिचारी भावो यो भी वह कृत्रिम नहीं समभता श्रीर उनके द्वारा वह अभिनेता मे रति आदि स्थायी भावों का अनुमान करता है । रति आदि भावों का यह अनुमान अन्य शास्त्रोक्त अनुमानों से विलक्षण होता है, क्योंकि सामान्य अनुमिति परोक्ष ज्ञान पर आश्रित है, जबकि यह अनुमिति प्रत्यक्षात्मक है । इस प्रकार रति आदि स्थायी भावों के अभिनेताओं मे न होने पर भी सामाजिक अपने हृदय मे निहित वासना के द्वारा उन भावों का अभिनेताओं मे अनुमान करते हुये रस का आस्वादन करते हैं ।

शङ्कुक के इस अनुमितिवाद मे कुछ दोष हैं—(१) शङ्कुक ने जिन विभाव आदियों को अनुमिति का हेतु बनाया है, वे कल्पित, कृत्रिम हैं । इस कारण अभिनेताओं मे रस का अनुमान भी कर लिया जावे तो यह चमत्कारजनक नहीं होगा । (२) सहृदय जनों मे रस का प्रत्यक्ष अनुभव ही सिद्ध होता है, अनुमान नहीं । (३) यदि सामाजिक को यह निश्चय हो जाये कि ये सीता आदि विभाव कृत्रिम हैं तो उसको रति आदि भावों की अनुमिति न हो सकने से रसानुभूति भी नहीं होगी ।

(ग) भट्टनायक—रस की निष्पत्ति के सम्बन्ध मे भट्टनायक ने अन्य आचार्यों के मतों का खण्डन करते अपने पक्ष की स्थापना की । इनका मत 'भुक्तिवाद' कहलाता है । आचार्य मम्मट के शब्दों मे भट्टनायक ने अन्य आचार्यों का खण्डन इस प्रकार किया है—

“न ताटस्थ्येन नात्मगतत्वेन रस प्रतीयते नोत्पद्यते नाभिव्यज्यते ।”

भट्टनायक के अनुसार रस की स्थिति न तो तटस्थ (पात्र या अभिनेता) मे होती है और न आत्मगत (सामाजिकगत) होती है । यदि रस को राम आदि पात्रगत या अभिनेतागत मान लें तो उसका सामाजिक के हृदय के साथ सम्बन्ध नहीं बन सकेगा, क्योंकि वे सामाजिक के लिये तटस्थ होने से निष्प्रयोजन है । यदि रस को आत्मगत (सामाजिकगत) मान लें तो यह भी सङ्गत नहीं होगा, क्योंकि रस की निष्पत्ति सीता आदि विभावों के द्वारा होती है । ये सीता आदि राम के प्रति तो विभाव हो सकते हैं, परन्तु सामाजिकों के प्रति नहीं । इसके साथ ही सीता आदि के प्रति पूज्य बुद्धि होने से उनको सामाजिक किसी भी अवस्था मे विभाव आदि के रूप मे स्वीकार नहीं कर सकेगा । इस प्रकार रस की स्थिति न तो तटस्थगत (राम आदि पात्रगत या अभिनेतागत) है और न आत्मगत (सामाजिकगत) है । इसके अतिरिक्त रस की न तो इनमे प्रतीति (अनुमिति) होती है, न उत्पत्ति होती है और न अभिव्यक्ति होती है । इन तीन पदों द्वारा भट्टनायक ने श्रीशङ्कुक के अनुमितिवाद, भट्टलोल्लट के उत्पत्तिवाद और अभिनवगुप्त के अभिव्यक्तिवाद का खण्डन किया है । अनुमिति उस वस्तु की होती है, जो कि प्रत्यक्ष आदि द्वारा पूर्व अनुभूत हो । वाक्य या नाटक मे पूर्व अनुभव की स्थिति न होने से रस की अनुमिति नहीं हो सकती । यदि रस के उत्पत्तिवाद को मान लिया जावे तो करुण आदि रसों के दुःखोत्पादक होने से उनके प्रति प्रवृत्ति नहीं होगी । रस की अभिव्यक्ति भी नहीं हो सकती । अभिव्यक्ति उस वस्तु की होती है, जो पूर्वसिद्ध हो । रस तो एक प्रकार की अनुभूति

है, जो अनुभव के समय के पहले या बाद में अस्तित्व में नहीं रहती। सहृदयो के हृदयो में रस के वासनारूप में रहने के सिद्धान्त को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे रससामग्री की उत्कृष्टता निकृष्टता का भी बोध होगा। अतः रस को अनुमित, उत्पत्ति एवं अभिव्यक्ति का विषय भी नहीं माना जा सकता।

रस की निष्पत्ति के लिये भट्टनायक ने रससूत्र के 'सयोगात्' पद का अर्थ भोज्य-भोजकसम्बन्धात्' और निष्पत्ति का अर्थ 'भुक्ति' किया। उन्होंने कहा कि वाच्यवाचक शब्दों में एक तो अभिधा व्यापार होता है, तथा उससे भिन्न दो अन्य व्यापार भावकत्व और भोजकत्व होने हैं। इनमें अभिधा व्यापार वाच्यविषयक, भावकत्व व्यापार रसादिविषयक और भोजकत्व व्यापार सहृदयविषयक होता है। केवल अभिधा व्यापार को मानने पर रसनिष्ठ काव्य का तन्त्र आदि शास्त्रों से तथा श्लेष आदि अलङ्कारों से कोई भेद नहीं रहेगा। अतः अभिधा से अतिरिक्त भावकत्व और भोजकत्व व्यापार मानने होंगे।

भट्टनायक ने यह प्रतिपादित किया कि अभिधा द्वारा काव्य के अर्थ को जानने के अनन्तर उससे विलक्षण भावभाव व्यापार के द्वारा विभाव आदि का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण का अभिप्राय यह है कि राम, सीता आदि पात्र अपने विशिष्ट अंश का परित्याग करके साधारण नायक नायिका आदि रूप में रह जाते हैं। राम और सीता में दो दो अंश हैं, विशिष्ट अंश रामत्व और सीतात्व, साधारण अंश-नायकत्व और नायिकात्व। भावकत्व व्यापार के द्वारा साधारणीकरण होने से राम और सीता का रामत्व एवं सीतात्वविशिष्ट अंश परित्यक्त होकर वे केवल साधारण नायक-नायिकामात्र रह जाते हैं। इस प्रकार साधारणीकरण द्वारा रस आदि के भावित हो जाने पर तीसरे भोजकत्व व्यापार से स्थायी भाव का भोग निष्पन्न होता है। यह भोग चित्त के द्रुति विस्तर एवं विकास रूप है, रजस् और तमस् के वैचित्र्य से अनुविद्ध सत्त्वमय है, निज चेतनस्वरूप है, परम आनन्दरूप है और परब्रह्मास्वाद के सदृश है। वही प्रधान अंश सिद्धरूप है। भट्टनायक की रसानुभूति (भोग) के स्वरूप का उल्लेख अभिनवगुप्त ने निम्न शब्दों में किया है—

भाविते च रसे तस्य भोग योजुभवस्मरणप्रतिपत्तिभ्यो विलक्षण एव द्रुति-विस्तरविकासात्मा रजस्तमोर्वैचित्र्यानुविद्धसत्त्वमयनिजचित्स्वभावनिवृत्तिविश्रांतिलक्षण परब्रह्मास्वादसविधः । स एव च प्रधानभूताऽऽश सिद्धरूप इति ।'

(घ) अभिनवगुप्त—भट्टनायक ने रस की निष्पत्ति के लिये 'भुक्तिवाद' के रूप में जो विवेचना प्रस्तुत की थी, वह भी सब आचार्यों को स्वीकृत नहीं हुई। भट्टनायक के साधारणीकरण व्यापार को स्वीकार करके भी अन्य आचार्यों ने भावकत्व और भोजकत्व व्यापार को अनावश्यक माना। अभिनवगुप्त का कहना है कि भावकत्व और भोजकत्व व्यापार न तो आवश्यक ही हैं और न प्रामाणिक ही हैं। व्यञ्जना व्यापार से ही रस की निष्पत्ति हो जानी है। अभिनवगुप्त ने 'सयोगात्' का अर्थ

अभिव्यङ्ग्यमभिव्यञ्जकभावात्' तथा 'निष्पत्ति' वा अयं 'अभिव्यक्ति' किया हैं। अभिनवगुप्त के प्रतिपादन को कुछ मुख्य विशेषतायें इस प्रकार हैं—

(i) सामाजिकों के हृदय में स्थायी भाव वासनारूप से सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहता है। सौख्य जीवन में खलना, उद्यान, बटाक्ष आदि द्वारा जिन्होंने रति आदि स्थायी भावों के अनुमान करने में जितनी अधिक कुशलता प्राप्त करली हैं, उनमें यह वासना उतनी ही अधिक विकसित रूप में रहती है।

(ii) लोक में रति आदि भावों के जो कारण, कार्य और सहकारी हैं, वे ही पाठ्य में अलौकिक विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव कहलाते हैं।

(iii) वाक्य की अलौकिक अभिव्यञ्जना शक्ति के कारण विभाव आदि का साधारणीकरण हो जाता है। उनमें स्वकीयत्व, परकीयत्व एवं उपेक्षणीयत्व का भाव नष्ट हो जाता है। इस प्रकार राम एवं सीता में रामत्व एवं सीतात्व का भाव नष्ट होकर युवकत्व एवं युवतीत्व का भाव अवशिष्ट रह जाता है।

(iv) साधारणीकरण हो जाने के कारण प्रमाता (सामाजिक) के चित्त की सीमाओं के बन्धन नहीं रहते तथा उसकी चित्तवृत्ति अपरिमित हो जाती है। इससे रति आदि भावों का भी साधारणीकरण हो जाता है तथा इस साधारणीकरण को सभी सहृदय अनुभव करते हैं।

(v) सामाजिक को यह रसानुभूति अपने से अभिन्न अनुभूत होती है, तब भी वह अपने अन्दर रस की चर्चणा करता हुआ अनुभव करता है। इस प्रकार यह अभिव्यक्त स्थायीभाव ही रस है।

(vi) रस का रूप केवल आस्वाद्यमान है। जब तक विभाव आदि रहते हैं, तभी तक इसकी अनुभूति होती है। विभावादिकी यह प्रतीति अलग-अलग रूप से नहीं होती, अपितु अखण्डात्मक रूप से होती है। जिसप्रकार इलायची, काली मिर्च, मिश्री, केसर आदि पदार्थों से निर्मित पानक में उन समस्त वस्तुओं से विलक्षण एक स्वाद होता है, उसी प्रकार विभावादिक से पृथक् रूप अलौकिक रस का आस्वादन होता है।

(v) रस का आस्वादन अलौकिक है। यह हृदय में प्रविष्ट होता सा प्रतीत होता है, अपने अतिरिक्त अन्य सभी ज्ञानों को यह तिरोहित कर देता है और ब्रह्मज्ञान से आनन्द का अनुभव कराता है।

(vi) रस न तो कार्य है, न कारण है। यह कार्य भी है, कारण भी है। यह न तो ज्ञान है, न ज्ञेय है। यह ज्ञान भी है, और ज्ञेय भी है। इसकी अनुभूति सविकल्पक भी नहीं है, निर्विकल्पक भी नहीं है। यह सविकल्पक भी है, निर्विकल्पक भी है। इसप्रकार यह अलौकिक ही है।

(२) विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव—

भरतमुनि ने कहा है—

'विभावानुभावव्यभिचारीसयोगाद् रसनिष्पत्ति ।'

विभाव, अनुभाव एव व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये विभाव, अनुभाव एव व्यभिचारी भाव क्या हैं, इसका संक्षिप्त निरूपण करना यहाँ उपयोगी होगा।

(क) विभाव—

‘साहित्यदर्पण’ में विभाव का निम्न लक्षण दिया गया है—

रत्याद्युद्बोधका लोके विभावा काव्यनाट्ययो ।

आलम्बनोद्दीपनाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्मृतौ ॥३२६॥

लोक में जो पदार्थ रति आदि को उद्बोधित करते हैं, उनको काव्य और नाटक में विभाव कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं—आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव।

आलम्बन विभाव—

आलम्बनो नायकादिस्तमालम्ब्य रसोद्गमात् ॥ सा० द० ३२६॥

नायक, नायिका आदि पात्र आलम्बन विभाव कहलाते हैं, क्योंकि उनके आलम्बन से ही रस का उद्गम होता है।

उद्दीपन विभाव—

उद्दीपनविभावास्ते रसमुद्दीपयन्ति ये ।

आलम्बनस्य चेष्टाद्या देशकालादयस्तथा ॥ सा० द० ३२७॥

जो विभाव रस को उद्दीप्त करते हैं, वे उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। ये उद्दीपन विभाव भी दो प्रकार के होते हैं—एक वे जिनका सम्बन्ध नायक, नायिका आदि पात्रों की चेष्टाओं, रूप, बोली, पहनावा आदि से होता है। दूसरे वे हैं, जिनका सम्बन्ध देश काल आदि, उद्यान, चन्द्रोदय, पर्वत, नदी, वन, वसन्त ऋतु आदि से होता है।

आलम्बन विभावों से स्थायी भाव उद्बुद्ध होकर पुनः यह उद्दीपन विभावों से उद्दीप्त होता है।

(ख) अनुभाव—

उद्बुद्धं वारणं स्वं स्वैर्बहिर्भाव प्रकाशयन् ।

लोके य कार्यरूप सोऽनुभाव काव्यनाट्यो ॥ सा० द० ३२८॥

उन विभाव आदि कारणों से उद्बुद्ध हुये अपने रति आदि भावों को प्रकाशित करने वाला लोकात्तम जो कार्य है, वह काव्य और नाटक में अनुभाव कहलाता है। विभावों द्वारा रति आदि स्थायी भावों के उद्बुद्ध होने पर चेष्टाओं अनुभाव कहलाती है। क्योंकि स्थायी भाव के उद्बुद्ध होने के अनन्तर ये प्रकट होते हैं तथा रति आदि भावों को व्यक्त करते हैं, अतः इनको अनुभाव कहते हैं (अनु परचात् भवन्ति भावयन्ति वा इति अनुभावाः)।

ये अनुभाव दो प्रकार के होते हैं—(१) जो कि नायक, नायिका आदि की शरीर की चेष्टाओं के रूप में होते हैं, यथा—बटाण, भुजसैप, म्मिन आदि। (२) जो

नायक, आदि के मन के विकारों के कारण उत्पन्न होते हैं। इनको सात्त्विक अनुभाव कहते हैं। सात्त्विक अनुभावों की संख्या ७ बही गई है—

स्तम्भ स्वेदोऽथ रोमाञ्च स्वरभङ्गोऽपवेपथु ।

वैदर्यमश्रुप्रलय इत्यष्टौ सात्त्विका स्मृता ॥ सा० द० ३ १३५ ॥

स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्च, स्वर का टूटना, कम्पन, विवर्णता, अश्रु और मूर्च्छा ये आठ सात्त्विक अनुभाव हैं।

व्यभिचारी भाव—

व्यभिचारी भाव स्थिर न रहने वाली चित्तवृत्तियाँ हैं, जो कि विभाव और अनुभाव की अपेक्षा से विभिन्न रसों में अनुकूल होकर विचरण करते हैं। एक रस में अनेक व्यभिचारी भावों की और एक व्यभिचारी भाव की अनेक रसों में उपस्थिति होती है। इसका लक्षण भरत ने इस प्रकार दिया है—

“विविधभाभिमुख्येन रसेषु चरन्तीति व्यभिचारिण ।”

नाट्यशास्त्र सप्तम अध्याय ॥

‘दशरूपक’ में व्यभिचारी भावों की परिभाषा इस प्रकार है—

विशेषादाभिमुख्येन चरन्तो व्यभिचारिण ।

(ग) भावसन्धि—

स्थायिगुणमग्ननिर्मग्ना कल्लोला इव वारिधौ ॥ ४ ८ ॥

जो रस के प्रति उन्मुख होकर विशेष रूप से विचरण करते हैं और स्थायीभाव में इसप्रकार डूबते उतराते हैं, जिस प्रकार समुद्र में लहरें, वे व्यभिचारी भाव कहलाते हैं।

व्यभिचारी भावों की संख्या ३३ गिनी गई है—

निर्वेदग्लानिशङ्काह्यास्तथाऽसूया मदश्रमा ।

आलस्य चैव दैय च चिन्ता मोह स्मृतिर्घृति ॥

श्रीडा चपलता हर्ष आवेगो जडता तथा ।

गर्वोविपाद श्रौत्सुक्य निद्राऽपस्मार एव च ॥

सुप्त प्रबोधोऽमर्षश्चाप्यवहि यमयोप्रता ।

मतिर्व्याधिस्तथोन्मादस्तथा मरणमेव च ॥

मासश्चैव वितर्कश्च विज्ञेया व्यभिचारिण ।

यत्रस्त्रिंशदमी भावा सनाख्यातास्तु नामत ॥

वाव्यप्रकाश ३ ३१-३४ ॥

कौन से व्यभिचारी भाव किस रस के साथ सम्बन्धित रहते हैं, इसकी गणना आचार्यों ने की है। विस्तार के भय से उसको यहाँ नहीं दिया जा रहा। इन ३३ के अतिरिक्त, स्थायी भाव भी कभी कभी व्यभिचारी भाव हो जाते हैं। जैसे शृंगार

श्रीर वीर मे हास, हास्य, करण और शान्त म वीर आदि । 'ध्वन्यालोक' मे अगले प्रकरणो मे इसका विस्तृत वर्णन है ।

(४) स्थायी भाव—

व्यभिचारी भावो से विपरीत स्थायीभाव हैं । ये वासना के रूप म दीर्घकाल तक मनुष्या के हृदय म चित्तवृत्तिया के रूप म स्थिर रहते हैं । स्थायीभाव का लक्षण इस प्रकार किया गया है—

विस्मदा अविस्मदा वा य तिरोघातुमक्षया ।

आस्वादाद्भ्रुकन्दोपतो भाव स्थायीति सम्मत ॥ सा० द० ३ १७४ ॥

जिस भाव का न तो कोई प्रतिकूल भाव और ना ही कोई अनुकूल भाव तिराहित कर सकता है उसको स्थायी भाव कहते हैं । यह रस के आस्वादन के अनुकरण का बंद है ।

मनुष्य जो बुद्ध देखता, सुनता या अनुभव करता है उसका सस्कार मन पर स्थिर हो जाता है । इस सस्कार को वासना भी कहते हैं । साहित्यशास्त्र म स्थायी भावो का निरूपण मनोवैज्ञानिक आधार पर किया गया है । ये मनोविज्ञान मे वर्णित मनोवेगो के समान हैं । सभी प्राणियो म प्रेम आदि की प्रवृत्तियां रहती हैं । किसी मे कोई प्रवृत्ति उत्कट होती है एव किसी म कोई । प्राचीन आचार्यों ने इन प्रवृत्तियो का वर्गीकरण करने का प्रयत्न किया । रस प्रक्रिया म इन स्थायी भावो की सख्या कही चार, कही आठ, कही नौ और कही दस है । सामान्यत, ८ स्थायी भाव गिनाये गये हैं—

रतिर्हासिरच शोकश्च श्रोयोत्साहो भय त था ।

जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावा प्रवृत्तिता ॥

वाक्यप्रकाश ४ ३० ॥

'वाक्यप्रकाश' म निर्वेद को भी स्थायी भावो म परिगणित करके शान्त को नवम रस माना गया है—

निर्वेदस्याविभावोऽस्ति शातोऽपि नवमो रस ॥

वाक्यप्रकाश ४ ३१ ॥

परन्तु विश्वनाथ ने शातरस का स्थायी भाव 'शम' माना है । उसन वसन्त को स्थायीभाव मानकर वत्सल को दशम रस कहा है—

स्पुट चमत्कारितया वत्सल च रस विदु ।

स्थायी वत्सलतास्नेहः पुत्राद्यालम्बनं मतम् ॥ सा० द० ३ २२१ ॥

परन्तु मम्मट ने पुत्र विषय प्रेम को भाव माना है, रस नहीं ।

(५) रसों की सख्या—

इन विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावो के संयोग से अभिव्यक्त स्थायीभाव ही रस है । अत जिनने स्थायीभाव होने, रसो की सख्या भी उतनी ही होगी । भरतमुनि ने रसो की सख्या ८ गिनाई है—

शृङ्गारहास्यवराहरोद्रवीरभयान्त ।

वीभत्तान्द्रुतमश्री भेग्यष्टौ नाट्ये रसा स्मृता ॥

शृङ्गार, हास्य, वरण, रोद्र, वीर, भयान्त, वीभत्त और घट्टुत ये ८ रस नाट्य में होते हैं ।

आचार्य मम्मट ने निवेद यो स्थायीभाव मानवर शान्त यो नवम रस कहा है । परन्तु कुछ आचार्यों ने शान्त रस का स्थायीभाव शम कहा है । अनेक आचार्य भक्ति और वत्सन को भी रस मानते हैं । रूपगोस्वामी ने 'भक्तिरसामृतसिन्धु और 'उज्ज्वलनीलमणि' में भक्ति रस का विस्तार से वर्णन किया है । परन्तु आचार्य मम्मट तथा अन्य विद्वान् भक्ति और वत्सन को भाव में परिगणित करते हैं । आचार्य हेमचन्द्र ने 'वाय्यानुशामन' में लिखा है—

“स्नेहो भक्तिर्वा मल्यमिति हि रतेरेव विशेषा ।”

शान्त रस के सम्बन्ध में भी कुछ विवाद है । कुछ आचार्यों का कथन है कि शान्त रस ही सबता है, परन्तु यह नाट्य में नहीं होना चाहिये । 'दशरूपक' में लिखा है—

शममपि केचित प्राहु प्रष्टिनाट्येषु नैतस्य ।

निर्वेदादिरताद्रूप्यादस्थायी स्वदते कथम् ॥

वैरस्यायैव तत्प्योपस्तेनाष्टौ स्थायिनो मता ॥४ ३५-३६॥

इस पर धनिक ने निम्न टीका लिखी है—

“इह शान्तरस प्रतिवादिनामनेकधा विप्रतिपत्तय । केचिदाहु नास्त्येव शान्तो रस, तस्याचार्येण विभावाद्यप्रतिपादनालक्षणावरेणात् । अन्ये तु वस्तुस्तस्याभाव वर्णयन्ति । अनादिवालप्रवाहायानरागद्वेषयोरुच्छेत्तुमशक्यत्वात् । अन्ये तु वीरवीभत्तादावन्तर्भाव वर्णयन्ति । यथा तथा अस्तु । सर्वथा नाट्यादावभिनयात्मनि स्थायित्वमस्माभि शमस्य निषिध्यते । तस्य समस्तव्यापारप्रविलयरूपस्याभिनयायोगात् । यत्तु वैशिचन्नागानन्दादौ शमस्य स्थायित्वमुपवर्णित तत्तु मलयवत्यनुरागेण प्राप्रवन्धवृत्तेन, विद्याधरचक्रवर्तित्वप्राप्य विरुद्धम् । न ह्यनेकानुवायविभावालम्यनी विषयानुरागाद्युपलब्धौ । अतो दयावीरोत्साहस्यैव तत्र स्थायित्वम् ।

विरुद्धाविरुद्धाविच्छेदित्वस्य निर्वेदादीनामभावादस्थायित्वम् । अत एव ते चिन्तादिस्वस्वव्यभिचार्यन्तरिता अपि परिपाप नीयमाना वैरस्यमावहन्ति ।’

धनञ्जय और धनिक के ऊपर लिखे गये कथन से शान्त रस की नाट्यो में निषिद्धता के निम्न कारण शक्य होते हैं—

(क) भरतमुनि ने शान्त रस के विभाव आदि का प्रतिपादन नहीं किया ।

(ख) रागद्वेष का सर्वथा नाश हो जाने पर ही शम स्थायी भाव को स्थिति होती है । अनादि काल से चले आ रहे राग और द्वेष का सर्वथा विनाश असम्भव होने से शम स्थायी भाव नहीं हो सकेगा और शान्त रस भी नहीं होगा ।

(ग) शान्त रस का अन्तर्भाव कुछ आचार्य वीर, बीभत्स आदि रसों में करते हैं।

(घ) अभिनयात्मक नाट्यों में शम का सर्वथा निषेध है, क्योंकि समस्त व्यापारों का विलय करने वाले शम का अभिनय नहीं हो सकता।

(ङ) नागानन्द नाटक शम स्थायी भाव प्रधान नहीं है, अपितु उसमें दयावीर रस का उत्साह ही स्थायी भाव ही है।

(च) स्थायी भाव को विरुद्ध एवं अविरुद्ध भावों से अविच्छेदी कहा गया है। निर्वेद आदि में यह स्थिति नहीं है, अतः वे स्थायी भाव न होकर सञ्चारी ही हैं।

(छ) नाटकों में शम का परिपोष विरसता उत्पन्न करने वाला होगा। अतः कम से कम नाटकों में शान्त रस की स्थिति नहीं ही होनी चाहिये।

(६) रसों में प्रधानता—

आचार्यों ने कुछ रसों को अन्य रसों की अपेक्षा अधिक प्रधानता दी है और एक या अनेक रसों का मूल माना है। भोज ने 'शृङ्गारप्रकाश' में शृङ्गार रस को सबसे प्रमुख सिद्ध किया है—

“शृङ्गारमेव रसनाद् रसमामनाम्”

भवभूति 'उत्तररामचरित' में करण रम को सब रसों का मूल प्रतिपादित करते हैं—

“एको रस वरण एव निमित्तभेदात्।”

नारायण पण्डित ने अद्भुत रस को एक अभिनवगुप्त ने शान्त रस को प्रधानता दी है।

रसों की प्रधानता एवं अग्रधानता का आधार चित्तवृत्ति को बनाया जाना चाहिये। अन्तःकरण में अनादि काल से सचित वासनाओं या सस्वारों को ही वर्गीकृत करके स्थायी भावों का नाम दिया गया है। अतः रस के आस्वाद के समय चित्तवृत्ति की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर रसों की प्रधानता या अग्रधानता निश्चित की जा सकती है। दशरूपककार के अनुसार ये चित्तवृत्तियाँ चार प्रकार की हो सकती हैं—विकास विस्तार, शोभ और विशेष। शृङ्गार के अनुभव के समय विकास, वीर रस के अनुभव के समय विस्तार, बीभत्स की अनुभूति के समय शोभ और रौद्र रस की अनुभूति के समय विशेष की अवस्था होती है, अतः ये चार रस प्रधान हैं, एवं अन्य चार रस इनसे उत्पन्न होते हैं। शृङ्गार से हास्य, वीर से अद्भुत, बीभत्स से भयानक और रौद्र से करण रम उत्पन्न होता है। इनको 'दशरूपक' में इस प्रकार वर्णित किया गया है—

“स्वाद का व्यापसम्भेदादामानन्दमनुद्भव।

विकासविस्तारशोभविशेषं च अनुविध ॥

शृङ्गारवीरवीरभोगोद्रेणु माग शमात् ।
हास्याद्भ्रुसभयोत्सर्पंकरणाना त एव हि ॥
घातस्तज्जग्यता तेषामन एवावधारणम् ॥”

भरत ने एग प्रमङ्ग मे निम्न श्लोक लिखा है—

शृङ्गारादि भवेदास्यो रौद्राच्च करणो रस ।
वीराच्चैवाद्भ्रुसंन्यत्तिर्वीभत्साच्च भयानक ॥

शृङ्गार से हास्य, रौद्र से करण, वीर से भ्रुत्त और वीभत्स से भयानक रस की उत्पत्ति होती है ।

(७) रसों का परस्पर विरोध एव उत्तम परिहार—

काव्यों में सम्पादित रसों में परस्पर विरोध की सम्भावना भी कल्पित की गई है । कुछ रस परस्पर विरोधी होते हैं कुछ नहीं होते । जैसे शृङ्गार का करण, वीभत्स आदि के साथ विरोध माना गया है और वीर का भयानक के साथ ।

रसों का यह विरोध तीन प्रकार का हो सकता है—आलम्बन के ऐक्य से, आश्रय के ऐक्य से और नैरन्तर्य के ऐक्य से । ‘साहित्य दर्पण’ में इसका विशद विवेचन है—

“इह सन्तु रसाना विरोधिताया अविरोधितायाश्च त्रिधा व्यवस्था । कयोश्चि-
दालम्बनैक्येन, कयोश्चिदश्रयैक्येन, कयोश्चित्तरन्तर्येणेति । तत्र वीरशृङ्गारयोरालम्बनै-
क्येन विरोध । तथा हास्यरौद्रवीभत्सै सम्भोगस्य । वीरकरणरौद्रादिभिर्विप्रलम्बस्य ।
आश्रयैक्येन च वीरभयानकयो । विभावैक्याभ्यां शातशृङ्गारयो ।

रसों की विरोधिता या अविरोधिता की तीन प्रकार की व्यवस्था हो सकती है । विन्ही आलम्बन के ऐक्य से, विन्ही का आश्रय के ऐक्य से और विन्ही का नैरन्तर्य से विरोध होता है । वीर और शृङ्गार से रस में आलम्बन के ऐक्य से विरोध है । इसी प्रकार से सम्भोग शृङ्गार का हास्य, रौद्र और वीभत्स रस से विरोध है । विप्रलम्ब शृङ्गार का वीर, करण और रौद्र आदि से विरोध है । वीर और भयानक का आश्रय के ऐक्य से विरोध है । शांत और शृङ्गार का नैरन्तर्य के द्वारा विरोध होता है ।

रसों के निबन्धन के सम्यग्ध में ध्वनिवार का कथन है कि काव्य एक रस की शृङ्गी के रूप में तथा अन्य रसों को उसके शृङ्गी रूप में निबन्धित करना चाहिये । रस के विरोध एव उसके परिहार का विशद विवेचन ध्वनिवार ने यद्यपि तीसरे उद्योत में किया है, तथापि यहाँ संक्षेप से विरोध परिहार के कुछ उपाय लिखना सगत होगा—

(क) आलम्बन के ऐक्य से विरोधी रसों का निबन्धन नहीं करना चाहिये ।

(ख) आश्रय की एका द्वारा विरोध होने पर उन रसों को भिन्न भिन्न आश्रय में निबन्धित करना चाहिये—

विरुद्धं काश्रयो यस्तु विरोधी स्थायिनो भवेत् ।

स विभिन्नाश्रय कार्यस्तस्य पोषेऽप्यदोषता ॥ ध्वन्यालोक ३ २५ ॥

(ग) नैरन्तर्यं के द्वारा विरोध होने पर दोनों रसों के मध्य में दोनों रसों के अविरोधी किसी रस का निबन्धन करना चाहिये—

एकाश्रयत्वेनिर्दोषोनैरन्तर्यं विरोधवान् ।

रसान्तरव्यवधिना रसो व्यङ्ग्यो मुमेषमा ॥ ध्वन्यालोक ३ २६ ॥

(घ) निम्न अवस्थाओं में विरोधी रसों में भी परस्पर विरोधभाव नहीं रहता—

स्मर्यमाणो विरुद्धोऽपि साम्मेनाथ विवक्षित ।

अङ्गिन्यङ्गत्वमापन्नौ यौ तौ न दुष्टौ परस्परम् ॥

वाक्यप्रकाश ७, ६५ ॥

दो विरुद्ध रसों का स्मरणात्मक वर्णन हो, दोनों परस्पर सम भाव से विवक्षित हों (उनमें गुण प्राधानभाव न हो), अथवा एक रस दूसरे का अङ्ग बन गया हो अथवा दोनों विरोधी रस अन्य का अङ्ग बन गये हों, तो उनमें विरोधिता का दोष नहीं रहता ।

रसों के परस्पर विरोध तथा उसके परिहार की वाक्य ग्रन्थों में उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया गया है । अधिक विस्तार के भय से उनको यहाँ प्रस्तुत नहीं किया गया ।

(घ) भाव—

असलक्ष्यत्रमव्यङ्ग्य नामक ध्वनि वाक्य के भेदों में रस के अनन्तर भाव का स्थान है । भाव का लक्षण आदि ध्वनिभार ने नहीं दिया । उत्तरवर्ती ग्रन्थों में इसका विशद विवेचन है । 'साहित्यदर्पण' में भाव का लक्षण निम्न है—

सञ्चारिण प्रधानानि देवादिविषया रति ।

उद्बुद्धमात्र स्थायी च भाव इत्यभिधीयते ॥ ३ २६० ॥

भाव की स्थिति चार प्रकार से हो सकती है—(क) व्याभिवारो भाव यदि प्रधान रूप से प्रतीयमान हो, (ख) देवता आदि विषयक रति । आदि पद से गुरु, मुनि, नृप आदि ग्रहण किये जाते हैं । मम्मट न पुत्र का भी इसमें ग्रहण किया है तथा पुत्र विषयक रति को भाव माना है । परन्तु विश्वनाथ ने पुत्रविषयक रति में बतल रस कहा है । (ग) स्थायी भाव, त्रिगुणा वि उद्बोधन मात्र हुआ हो, परिपोष नहीं हुआ हो जैसे—

(ख) व्याभिवारो भाव—(प्रधान रूप से प्रतीयमान)—

एव यादिनि देवयौ पार्श्वे पिनुरधोमुखी ।

सौतानमलपत्राणि गणयामास पार्वती ॥

इसमें अवहिषा नामक व्याभिवारो भाव प्रधान रूप से प्रतीयमान है ।

(ख) देवता आदि विषयक रति—

वण्ठकोणविनिविष्टमीश ते बालवूटमपि मे महामृतम् ।

अप्युपात्तममृत भवद्भवपुर्भेदवृत्ति यदि मे न रोचते ॥

इसमें शिव विषयक रति भाव के प्रतीयमान होने से भाव की स्थिति है ।

(ग) उद्बुद्धमात्र स्यायी—

हरस्तुकिञ्चित् परिवृत्तधैर्यश्चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशि ।

उमामुखे विम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि ॥

इसमें शिव का पार्वतीविषयक रति भाव उद्बुद्ध तो हुआ है, परन्तु वह परिपोष को प्राप्त होकर रस स्थिति में परिणत नहीं हुआ ।

(६) रसाभास और भावाभास—

यदि रस और भाव अनुचित रूप से प्रवृत्त हो तो उनको रसाभास एव भावाभास कहते हैं—

“तदामासा अनौचित्यप्रवर्तिता ।” काव्यप्रकाश ४ ३६ ॥

यथा—

(क) रसाभास—

स्तुय क वामानि धणमपि विनता य न रमसे

विलेभे क प्राणाद् रणमखमुखे य मृगयसे ।

सुलग्ने को जात शशिमुखि यमालिङ्गसि बलात्

तप श्री कस्यैपा मदननगरि ध्यापसि तु यम् ॥

यहाँ सुन्दरी का अनेक कामुक विषयक रति भाव व्यञ्जित होने से शृङ्गार रस अनुचित रूप से प्रवर्तित है, अतः रसाभास है।

(ख) भावाभास—

एकमुधाकरमुखी तरलायताक्षी सास्मेरपीवनरङ्गितविध्रमाक्षी ।

तत्किं करोमि विदधे कथमत्र भेशो तत्स्वीकृतिव्यतिकरे क इवाम्युपाय ॥

यह रावण की सीता के प्रति उक्ति है, जिसमें चिन्ता नामक व्यभिचारी भाव प्रधानयता प्रतीयमान है। सीता के प्रति रावण की चिन्ता के अनुचित होने से यहाँ भावाभास की स्थिति है।

(१०) भावशान्ति, भावोदय, भावसन्धि और भावशबलता—

भाव की यह स्थिति निम्न प्रकार से है—

भावस्य शान्ताबुदये सन्धिमिश्रितयो ब्रमात् ।

भावस्य शान्तिरुदये सन्धि शबलता यता ॥ सा० द० ३ २६७ ॥

भाव की शान्ति होन पर भावशान्ति, उदय होने पर भावोदय, भावा की सन्धि होने पर भावसन्धि तथा अनेक भावा के सम्मिश्रित होने पर भावशबलता की स्थिति होनी है।

(क) भावशान्ति—

सुतनु जहिहि कोप पश्य पादानत मा
न खलु तव कदाचित कोप एवविधोऽभूत् ।
इति निगदति नाथे तिर्यगामोतिताश्या
नयनजनमनल्प मुक्तमुक्त न किञ्चित् ॥

यहाँ प्रधान रूप से प्रतीयमान ईर्ष्या नामक सञ्चारी भाव की शान्ति अश्रु गिराने से अभिव्यक्त हुई है, अतः भावशान्ति है ।

(ख) भावोदय—

चरणपतनप्रत्याख्यानात् प्रसादपराड्मुखे
निभृतवितवाचारेत्युक्त्वा रूपा परुपीकृते ।
व्रजति रमणे निःश्वस्योच्चै स्तनस्थितहस्ताया
नयनसलिलच्छन्ना दृष्टि सखीपु निवेशिता ॥

यहाँ प्रधान रूप से प्रतीयमान विपाद नामक सञ्चारी भाव का उदय प्रतीत होता है, अतः भावोदय है ।

(ग) भावसन्धि—

नयनयुगासेचनक मानसवृत्त्यापि दुष्प्रापम् ।
रूपमिदं मदिराश्या मदयति हृदयं दुनोति च मे ॥

यहाँ प्रधान रूप से प्रतीयमान हर्ष और विपाद नामक व्यभिचारी भावों की सन्धि होने से भावसन्धि की स्थिति है ।

(घ) भावशबलता—

क्वाकार्यं शशलक्ष्मणं क्व च कुल भूयोऽपि दृश्येत सा
दोषाणां प्रशमाय मे श्रुतमहो कोपेऽपि वान्तं मुक्तम् ।
किं बह्यन्त्यपकल्मषा कृतधियं स्वप्नेऽपि सा दुर्लभा
चेतः स्वास्थ्यमुपैहि क खलु युवा धन्योऽधर घास्यति ॥

यहाँ प्रधान रूप से प्रतीयमान वितक, श्रौत्सुव्य, मति, स्मरण, शङ्का, दैन्य, धृति और चिन्ता नामक व्यभिचारी भावों का क्रमशः सम्मिश्रण होने के कारण भावशबलता की स्थिति है ।

इस प्रकार दूसरे उद्योत की तीसरी कारिका में ध्वनिकार ने यह प्रदर्शित किया है कि जहाँ रस, भाव, रसान्भाव, भावशान्ति, भावोदय, भावसन्धि और भावशबलता प्रधान रूप से प्रतीयमान होते हैं, वह असलक्ष्यत्रमव्यङ्ग्य ध्वनि है ॥३॥

असलक्ष्यत्रमव्यङ्ग्य ध्वनि का विषय निर्धारित करके ध्वनिकार यह प्रतिपादित करते हैं कि जहाँ रसादि प्रधान रूप से विवक्षित होते हैं, वही ध्वनि है । जहाँ प्रधान रूप से विवक्षित नहीं है, वहाँ रसवत् आदि अलङ्कार होते हैं । इस प्रकार ध्वनि का विषय रसवत् आदि अलङ्कारों से पृथक् है—

इदानीं रसवदलङ्कारादलक्ष्यक्रमद्योतनात्मनो ध्वनेर्विभक्तो विषय इति प्रदर्शयते—

वाच्यवाचकचारुत्वहेतूना विधिधात्मनाम् ।

रसादिपरता यत्र सध्वनेर्विषयो मतः ॥४॥

रस भाव-तदाभास-तत्प्रशमलक्षणं मुख्यमर्थमनुवर्तमाना यत्र शब्दार्था-लङ्कारा गुणाश्च परस्पर ध्वन्यपेक्षया विभिन्नरूपा व्यस्थितास्तत्र काव्ये ध्वनिरिति व्यपदेश्यः ॥४॥

प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे यत्राङ्गन्तु रसादयः ।

काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः ॥५॥

यद्यपि रसवदलङ्कारस्यान्यर्देशितो विषयस्तथापि यस्मिन् काव्ये प्रधानतयाऽन्योऽर्थो वाक्यार्थो भूतस्तस्य चाङ्गभूता ये रसादयस्ते रसादेर-लङ्कारस्य विभया इति मामकीनः पक्षः । तद् यथा चाटुषु प्रयोऽलङ्कारस्य वाक्यार्थत्वेऽपि रसादयोऽङ्गभूता दृश्यन्ते ।

हिन्दी अर्थ—अब अलक्ष्यक्रमध्यङ्गघरूप ध्वनि का विषय रसवत् आदि अलङ्कारों से पृथक् है, इसको प्रदर्शित किया जाता है—

जहाँ विविध प्रकार के वाच्य और वाचक के चारुत्व के हेतु अलङ्कार आदि रसादिपरक हों, रस आदि के ही अङ्गभूत हो, वह ही ध्वनि का विषय है ॥४॥

जहाँ शब्दालंकार, अर्थालंकार और गुण रस, भाव, रसामास, मावामास और भावप्रशमरूप मुख्य अर्थ का अनुगमन करते हुये परस्पर और ध्वनि की अपेक्षा से स्वतन्त्र रूप में रहते हुये व्यवस्थित होते हैं, वह ध्वनिकाव्य होता है ।

भाव यह है कि जिस काव्य में रस आदि मुख्य रूप से प्रतीयमान एवं विवक्षित हैं, वह ध्वनि काव्य है इसमें अलङ्कार और गुण रस आदि के अनुगामी होने हैं तथा वाच्य और वाचक द्वारा उनकी शोभा को बढ़ाते हैं ॥४॥

रसादि ध्वनि की प्रदर्शित करने रसवद् आदि अलङ्कारों की स्थिति प्रदर्शित की जाती है—

हिन्दी अर्थ—दूसरे स्थानों पर जहाँ वाच्य का अर्थ (रस आदि से भिन्न वस्तु या अलङ्कार) प्रधान होता है और रस आदि उससे अङ्ग होते हैं, वहाँ रसवद् आदि अलङ्कार होते हैं, ऐसा मेरा (ध्वनिकार का) विचार है ॥५॥

यद्यपि अन्य आचार्यों ने रसवद् आदि अलङ्कारों के विषय को प्रदर्शित किया है, तथापि जिन काव्य में अन्य वाक्यार्थ (वस्तु या अलङ्कार) प्रधान होता है और रस आदि उसके अङ्ग होते हैं, वह रसवद् आदि अलङ्कारों का विषय है, वह मेरा पक्ष है । वह ऐसा है जैसे, चाटु वचनों में प्रिय अलङ्कार के मुख्य वाक्यार्थ होने पर भी वहाँ रस आदि इसके अङ्ग रूप में दृष्टिगोचर होते हैं ।

इस प्रकरण में ध्वन्यालोककार ने यह प्रदर्शित किया है कि रसध्वनि और रसवद् अलङ्कार में भेद है, यद्यपि प्राचीन आचार्यों ने रसध्वनि का समावेश रसवद्

अलङ्कार में करने का प्रयास किया हो वस्तुतः रसध्वनि और रसवद् अलङ्कार की स्थिति भिन्न भिन्न है। जहाँ रस प्रधानतया प्रतीयमान होता है, वहाँ रसध्वनि होती है और जहाँ रस अन्य किसी का अङ्ग हो जाता है, वहाँ रसवद् अलङ्कार होता है।

रस आदि अलङ्कार—

रसवद् आदि अलङ्कार के विषय में प्राचीन आचार्यों में कुछ मतभेद दिखाई देते हैं। इसका सकेत ध्वनिकार ने कारिका में “भे मतः” लिखकर और वृत्ति में “मामकीन पक्ष” लिखकर किया है। रसवद् अलङ्कारों के सम्बन्ध में निम्न बातें ज्ञातव्य हैं—

(१) रसवद् आदि अलङ्कार चार हैं—रसवद्, प्रेय ऊर्जस्वि और समाहित। इनमें रस के अङ्ग होने पर प्रेयोज्ज्वलङ्कार, रसाभास और भावाभास के अङ्ग होने पर ऊर्जस्वि अलङ्कार तथा भावशान्ति आदि के अङ्ग होने पर समाहित अलङ्कार होता है। अनेक आचार्यों के मत में भावशान्ति के अङ्ग होने पर समाहित अलङ्कार, भावोदय के अङ्ग होने पर भावोदय अलङ्कार, भावसन्धि के अङ्ग होने पर भावशबलता अलङ्कार होता है।

(२) भामह ने चाटु उक्तियों में प्रेयोज्ज्वलङ्कार माना है। उसका विग्रह होगा “प्रेयान् अलङ्कारो यत्र”, जहाँ अतिशय प्रिय व्यक्ति अलङ्कार या वर्णन का विषय हो।

(३) उद्भट ने प्रेयोज्ज्वलङ्कार को भाव अलङ्कार नाम दिया है, क्योंकि यहाँ प्रेम से भाव का उपलक्षण है।

(४) उत्तरवर्ती आचार्यों ने रसवद् आदि की अलङ्कारों में गणना नहीं की, जबकि आनन्दवर्धन और अभिनवगुप्त ने इनको अलङ्कार कहा है। मम्मट ने रसवद् आदि का अलङ्कार इसलिये नहीं माना होगा कि क्योंकि इसका अलङ्कार का लक्षण इनमें घटित नहीं होता। मम्मटकृत अलङ्कार का लक्षण इस प्रकार है—

उपकुर्वन्ति त सन्त येऽङ्गद्वारेण जातुचितः।

हारादिवदलङ्कारास्तेऽनुप्रासोपमादयः ॥ का० प्र० ८ ६७ ॥

अलङ्कार वाच्य और वाचक का उपकार करते हैं तथा उसके द्वारा रस आदि का उपकार करते हैं। यह आवश्यक नहीं कि वे रस आदि का उपकार निश्चय रूप से करें ही। इसके विपरीत रसवद् अलङ्कार साक्षात् रूप से रस का उपकार करता है। अतः मम्मट ने रसवद् आदि की गणना अलङ्कारों में नहीं की। उसने इनको अपराङ्ग नामक गुणीभूत व्यञ्जय के भेदों में माना है।

(५) आनन्दवर्धन तथा अभिनवगुप्त ने रसवद् आदि की अलङ्कारों में गणना क्यों की, इसके दो हेतु दिये जा सकते हैं—

(क) प्राचीन आचार्यों ने रसवद् आदि अलङ्कारों को प्रदर्शित किया है। वे रसध्वनि को भी इसी के अन्तर्गत समाविष्ट मानते थे। प्राचीन आचार्यों के रसवद् अलङ्कारों से रसध्वनि का भेद प्रदर्शित करने के लिये ध्वनिकार ने रसध्वनि एव रसवद् आदि अलङ्कारों की पृथक् सत्ता स्पष्ट की और प्राचीन आलंकारिकों के मत का आदर करते हुये रसवद् आदि को भी रसोपकारक होने के कारण अलङ्कार मान लिया।

स च रसादिरलङ्काराः शुद्ध सङ्कीर्णो वा । तत्राद्यो यथा—
 किं हास्येन न मे प्रयास्यसि पुनः प्राप्तश्चिराद्दर्शनं
 केय निष्करणं प्रवासरुचिता केनासि दूरीकृतः ।
 स्वप्नान्तेष्विति ते वदन् प्रियतमव्यासक्तकण्ठग्रहो
 बुद्ध्वा रोदिति रिक्तबाहुवल्लयस्तार रिपुस्त्रीजनः ॥

(ख) ध्वनिकार और लोचनकार दोनों का ही यह मत है कि अलङ्कार का प्रधान कार्य काव्य में सौन्दर्य का आधान करना है। रसवद् आदि भी क्योंकि काव्य में सौन्दर्य का आधान करते हैं, अतः इनको अलङ्कार माना जा सकता है। लोचनकार की निम्न पक्तियों से यह स्पष्ट है—

“चन्द्रादिना वस्तुना यथा वस्त्वन्तरं वदनाद्यलङ्कितं प्रयते तदुपमितत्वेन चास्तथा-
 वभासात् । तथा रसेनापि वस्तु वा रसान्तरं बोधस्त्वत्तं सुन्दरं भवति इति रसस्यापि वस्तु-
 न् इवालङ्कारत्वे को विरोधः ।

(६) क्योंकि ध्वनिकार ने रसवद् अलङ्कार एवं गुणीभूत व्यङ्ग्य दोनों का ही वर्णन किया है, अतः यह समझा जा सकता है कि वे रसादि के अपराङ्ग होने पर रसवद् आदि अलङ्कार एवं वस्तु और अलङ्कार के अपराङ्ग होने पर गुणीभूत व्यङ्ग्य की स्थिति मानते होंगे।

(७) कुछ आचार्य रसवद् आदि अलङ्कार एवं गुणीभूत व्यङ्ग्य में यह भेद करते हैं कि जहाँ चेतन वस्तुमें वाक्यार्थीभूत होती है, वहाँ रसवद् आदि अलङ्कार होने हैं और जहाँ अचेतन वस्तुमें वाक्यार्थीभूत होती है, वहाँ गुणीभूत व्यङ्ग्य काव्य होना है। परन्तु ध्वनिकार ने ऐसी स्थिति का सङ्गठन किया है।

रसवद् अलङ्कार की स्थिति का निरूपण करते ध्वनिकार उसमें शुद्ध और सङ्कीर्ण, दो भेद करते हैं—

हिन्दी अर्थ—और वह रसवद् आदि अलङ्कार शुद्ध और सङ्कीर्ण भेद से दो प्रकार का होता है। उनमें पहला शुद्ध है, जैसे कि—

इस हसी करने से क्या साम ? मेरे पास से अब पुन नहीं जाओगे। चिर-
 काल के बाद दर्शन प्राप्त हुये हैं। हे निर्दयी ! तुम्हारी वह प्रवास में रुचि क्यों है ?
 तुमको किसने दूर कर दिया है ? इस प्रकार स्वप्न में प्रियतम के कण्ठ में आनिङ्गन
 को करके, पुन स्वप्न के समाप्त हो जाने पर जागकर रिक्त बाहुवल्लय वाली शत्रुओं
 की स्त्रियों ऊँचे स्वर से रदन करती हैं।

ध्वनिकार ने रसवद् अलङ्कार के शुद्ध और सङ्कीर्ण जो दो भेद किये हैं, उनमें शुद्ध का अभिप्राय है—जो अन्य अङ्गभूत रस से या अलङ्कार से मिश्रित नहीं है (रसातरेणाङ्गभूतेनालङ्कारान्तरेण वा न मिश्र)। सङ्कीर्ण का अभिप्राय है जो अङ्गभूत अन्य रस से या अन्य अलङ्कार से मिश्रित होता है (मामिश्रस्तु सङ्कीर्ण)।

इत्यत्र करुणस्य शुद्धस्याङ्गभावात् स्पष्टमेव रसवदलङ्कारत्वम् ।
एवमेवविधे विषये रसान्तराणां स्पष्ट एवाङ्गभावः ।

सङ्कीर्णो रसादिरङ्गभूतो यथा—

क्षिप्तो हस्तावलग्नः प्रसभमभिहतोऽप्याददानोऽशुकान्त
गुह्यन् केशेष्वपास्तश्चरणनिपतितो नेक्षितः सम्भ्रमेण ।
श्रान्तिङ्गन् योऽवधूतस्त्रिपुरयुवतिभिः साश्रुनेत्रोत्पलाभिः ॥
कामीवाद्वापराधः स दहतु दुरित शाम्भवो वः शराग्निः ॥

इत्यत्र त्रिपुरप्रभावातिशयस्य वाक्यार्थत्वे ईर्ष्याविप्रलम्भस्य श्लेश-
सहितस्याङ्गभाव इति ।

शुद्ध रसवद् भलङ्कार के उदाहरण म उसकी स्थिति प्रदर्शित करत है—

हिन्दी अर्थ—यहाँ शुद्ध करुण रस के अङ्गरूप होने के कारण रसवद् भलङ्कार है । इस प्रकार ऐसे अन्य उदाहरणों में भी अन्य रसों का अङ्गभाव स्पष्ट है ।

यह श्लोक किसी कवि ने उस राजा की स्तुति के लिये गाया है, जिम्ने अपने शत्रुओं का विनाश कर दिया है । यहाँ स्वप्न में प्रियतम के दर्शन और जागने पर उसके अदर्शन से अभिव्यक्त शोक स्थायीभावरूप करुण रस शुद्ध है, क्योंकि यह किसी रसान्तर या भलङ्कारान्तर से मिश्रित नहीं है । रस वाक्य का मुख्य अर्थ है—हे राजन् ? तुम्हने शत्रुओं का विनाश कर दिया है । शत्रुओं के विनाश रूप मुख्य अर्थ का शुद्ध करुण रस अङ्ग (उपकारक) है । अतः यहाँ शुद्ध रसवद् भलङ्कार है ।

शुद्ध रसवद् भलङ्कार का उदाहरण देकर सङ्कीर्ण रसवद् भलङ्कार का उदाहरण देते हैं—

सङ्कीर्ण रस आदि भी अङ्गभूत होता है, जैसे—

तत्कालीन ही अपराध करने वाले कामी पुरुष के समान शिव की यह बाणों से उत्पन्न अग्नि तुम्हारे दुखों को जला दे, जो कि नेत्र रूप कमलों में आँसुओं को भरे हुये त्रिपुर की युवतियों द्वारा भिँटका जाता हुआ भी हाथों में लग जाता है, (जिस प्रकार कामी पुरुष भिँटका जाने पर भी नायिका के हाथ को पकड़ लेता है), बलपूर्वक दूर फेंका जाता हुआ भी वस्त्र के छोर को पकड़ लेता है (जिस प्रकार कामी पुरुष नायिका द्वारा प्रहार किया जाने पर भी उसके आंचल के बिनारे को पकड़ लेता है), हटाया जाता हुआ भी बेशों को पकड़ लेता है (जिस प्रकार कामी पुरुष नायिका द्वारा तिरस्कृत किया जाता हुआ भी उसके केशों में उसल जाता है), घबराहट के कारण न देखा जाता हुआ भी पैरों में लग जाता है (जिस प्रकार कामी पुरुष नायिका द्वारा शोध के कारण न देखने पर उसके पैरों में गिर जाता है और दूर फेंका जाता हुआ भी सौरासीर में सन जाता है (जिस प्रकार कामी पुरुष तिरस्कृत होने पर भी नायिका का प्रसन्न होकर लेता है)।

यहाँ श्लेष अलङ्कार से मिश्रित ईर्ष्या युक्त विप्रलम्भ तथा करुणा रस वाक्यार्थ-भूत महादेव के प्रतिशय प्रभाव के अङ्ग हो जाते हैं ।

प्रस्तुत श्लोक में शिव द्वारा तारकामुर के नगर त्रिपुर के दाह का वाचन है, जो कि एक पौराणिक कथा है । तारकामुर के तीन पुत्र—तारकाश, विष्णुनाथ और कामनोचन हुये । तीनों ने घोरतप करके ब्रह्मा और शिव की प्रार्थना करके अत्रिणा के तीनों पुरों पर अधिकार किया । तदनन्तर मद्मत्त होकर वे अनेकविध अत्याचार करने लगे । तब देवताओं की प्रार्थना पर शिव ने एक ही वाण में तीनों को जला दिया । इस कारण शिव को त्रिपुरारि भी कहते हैं ।

एवंविध एव रसवदाद्यलङ्कारस्य न्याय्यो विषयः । अत एव क्षेत्र्या-
विप्रलम्भकरुणयोरङ्गत्वेन व्यवस्थानात् समावेशो न दोषः ।

यत्र हि रसस्य वाक्यार्थोभावस्तत्र कथमलङ्कारत्वम् ? अलङ्कारो
हि चास्तवहेतु प्रसिद्धः । न त्वसावात्म्येदात्मनश्चास्तवहेतुः । तथा चायमत्र
सक्षेपः—

रसभावादितात्पर्यमाश्रित्य विनिवेशनम् ।

अलङ्कृतीना सर्वा सामलङ्कारत्वसाधनम् ॥

तस्माद् यत्र रसादयो वाक्यार्थोभूताः स सर्वः न रसादेरलङ्कारस्य
विषयः, स ध्वनेः प्रभेदः । तस्योपमादयोऽलङ्काराः । यत्र तु प्राधान्येनार्थान्ति-
रस्य वाक्यार्थोभावे रसादिभिश्चास्तवनिष्पत्तिः श्रियते, स रसादेरलङ्कार-
ताया विषयः ।

इस उदाहरण में कवि का मुख्य अभिप्राय शिव के प्रतिशय प्रभाव का वर्णन
करना है, जो कि वाक्यार्थ है । श्लोक में श्लेष अलङ्कार है, क्योंकि इसकी सगति
कामी के अर्थ में और शिव के वाण से उत्पन्न अग्नि के अर्थ में है । इसमें ईर्ष्यामिश्रित
विप्रलम्भ शृङ्गार तथा करुण रस अभिव्यक्त होते हैं, जो कि श्लेष से मिश्रित होने से
सङ्कीर्ण है । इस प्रकार श्लेष से मिश्रित ईर्ष्या विप्रलम्भ तथा करुण रसों के शिव के
प्रभावातिशय रूप वाक्यार्थ का अङ्ग होने के कारण यहाँ सक्तीर्ण रसवद् अलङ्कार है ।

इस उदाहरण को और भी स्पष्ट करते हैं—

हिन्दी अर्थ—इस प्रकार का उदाहरण ही रसवद् आदि अलङ्कार का उचित
विषय है । इसलिये ईर्ष्याविप्रलम्भ और करुण रस के अङ्ग रूप में ध्वनित होने से
इन दोनों का यहाँ समावेश करना दोष नहीं है ।

भाव यह है कि विप्रलम्भ शृङ्गार एव वर्णन रस का आलम्बन के ऐक्य से
विरोध है परन्तु ये दोनों समाभाव से विवाहित होकर वाक्यार्थोभूत शिव के प्रभावाति-
शय के अङ्ग बन गये हैं, अतः यहाँ रसविरोधरूप दोष नहीं है ।

रसवद् अलङ्कार के शुद्ध और सक्तीर्ण भेदों को कहकर ध्वनिवार पुन रस
और रसवद् अलङ्कार के भेद को स्पष्ट करते हैं ।

हिन्दी अर्थ—जहाँ रस का वाक्यार्थोभाव है, अर्थात् जहाँ वह वाक्य के प्रधान
अर्थ के रूप में प्रतीयमान होता है, वहाँ वह अलङ्कार कैसे हो सकता है ? अलङ्कार
तो चास्त्व के हेतु के रूप में प्रसिद्ध है, अतः वह रस स्वयं ही अपने चास्त्व का हेतु
नहीं हो सकता और इस विषय में यह सारांश है—

रस, भाव आदि के तात्पर्य का आश्रय लेकर, उन्हीं को प्रधान मानकर तब
अलङ्कारों के अलङ्कारत्व का साधन होता है ।

इस कारण से जहाँ रस आदि वाक्यार्थोभूत होते हैं, वह सब रसवद् आदि
अलङ्कार का विषय नहीं होता । वह तो ध्वनि का ही भेद है । उपमा आदि अलङ्कार
उस रस को अलङ्कृत करने वाले हैं । परन्तु जहाँ कोई दूसरा अर्थ प्रधान रूप से
वाक्यार्थोभूत होता है और उसके उपकारक के रूप में रस आदि द्वारा चास्त्व की
निष्पत्ति होती है, वह रसवद् आदि के अलङ्कारत्व का विषय होता है ।

एव ध्वने, उपमादीनाम्, रसवदलङ्कारस्य च विभक्तविषयता भवति । यदि तु चेतनाना वाक्यार्थोभावो रसाद्यलकारस्य विषय इत्युच्यते, तर्हि उपमादीना प्रविरलविषयता निविषयता वाभिहिता स्यात्) यस्मादचेतनवस्तुवृत्ते वाक्यार्थोभूते पुनश्चेतनवस्तुवृत्तान्तयोजनया यथा कथञ्चिद् भवितव्यम् । अथ सत्यामपि तस्य यत्राचेतनाना वाक्यार्थोभावो नासौ रसवदलङ्कारस्य विषय इत्युच्यते, तन्महतः काव्यप्रबन्धस्य रसनिधानभूतस्य नीरसत्वमभिहितं स्यात् ।

भाव यह कि यदि काव्य में रस प्रधान रूप से व्यञ्ज्य है तो वह रसध्वनि होगी और उपमा आदि अलङ्कार उसके उपकारक होंगे । यदि उसमें रस की स्थिति गौण है और वह अन्य वाक्याय का उपकारक है तो वह रसवदलङ्कार बहलायगा ।

इसके काव्य की आत्मा होने के कारण उपमा आदि अलङ्कार उसको अलङ्कृत कैसे करेंगे ? यह प्रश्न उपस्थित होता है । इसका उत्तर अभिनवगुप्त ने इस प्रकार दिया है—यद्यपि उपमा के द्वारा वाच्य अर्थ को अलङ्कृत किया जाता है, तथापि व्यञ्ज्य अर्थ के अभिव्यञ्जन के सामर्थ्य का आधान उसमें होने से वह रसरूप ध्वनि को अलङ्कृत करती है, अतः ध्वनि ही अलङ्कार्य है । जिस प्रकार शरीर के साथ रहने वाले स्वर्णकुण्डल आदि शरीर को अलङ्कृत करते हुये भी विशेष प्रकार की चिन्तियों के सामर्थ्य से आत्मा को अलङ्कृत करते हैं, उसी प्रकार उपमा आदि अलङ्कार वाच्य अर्थ को अलङ्कृत करते हुये काव्य की आत्मा रसध्वनि का उपकार करते हैं । यदि स्वर्णकुण्डल आदि अलङ्कार केवल शरीर को ही अलङ्कृत करते तो अचेतन शव को भी वे अलङ्कृत करते । परन्तु अचेतन शरीर की अलङ्कारा से चारवनिप्पत्ति नहीं होती, क्योंकि उसमें आत्मा का अभाव है । इस प्रकार चित्तवृत्तियों के सामर्थ्य से अलङ्कारों की उपयोगिता होती है जिस प्रकार स्वर्ण के अलङ्कार सजाती के लिये हास्यास्पद ही हैं, इसी प्रकार से काव्य में भी अलङ्कारों के नियोजन के समय रस के औचित्य का ध्यान रखना आवश्यक है । अथवा वह काव्य हास्यास्पद होगा ।

इस प्रकार ध्वनिकार ने ध्वनि, उपमा आदि अलङ्कारों तथा रसवद् आदि अलङ्कारों की काव्य में स्थिति को स्पष्ट करके उनकी परस्पर भिन्नता को स्पष्ट किया है ।

हिन्दी अर्थ—इस प्रकार ध्वनि का, उपमा आदि अलङ्कारों का और रसवद् आदि अलङ्कारों का विषय अलग अलग है, यह सिद्ध होता है । यदि यह कहा जाये कि चेतन वस्तुओं के वृत्तान्त के वाक्यार्थोभूत होने पर वह रसवद् आदि अलङ्कारों का विषय होता है, तो उपमा अलङ्कारों का विषय बहुत कम होगा या बिलगुल विषय नहीं होगा । क्योंकि जहाँ जहाँ अचेतन वस्तु का वृत्तान्त वाक्यार्थोभूत होता है, वहाँ किसी न किसी रूप में चेतन वस्तु के वृत्तान्त की योजना भी होती है । यदि किसी काव्य में चेतन वस्तु के वृत्तान्त की योजना होने पर भी अचेतन वस्तु के वृत्तान्त की योजना वाक्यार्थोभूत हो और उसमें रसवद् आदि अलङ्कार के विषयवत् का नियेष कर दिया जावे, तो यह कहा जायेगा कि रस का निधानभूत बहुत बड़ा काव्य का अंग नीरस है ।

यथा—

तरङ्गभ्रूभङ्गा क्षुभितविहगध्रेणिरसना
विकर्षन्ती फेनं वसनामिव सरम्भशियिलम् ।
यथाविद्धं याति स्वलितमभिसन्धाय बहुशो
नदीरूपेणोयं ध्रुवमसहना सा परिणता ॥

ध्वनि, उपमा आदि अलङ्कार और रसवद् आदि अलङ्कारों की भिन्नता को संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है—

(१) जहाँ रस आदि की प्रतीति प्रधान रूप से होती है और वह किसी अन्य का उपकारक नहीं होता, वह रसध्वनि का विषय है ।

(२) जहाँ प्रधान रस अलङ्कार्य है, दूसरा रस अङ्गभूत है, एवं उपमा आदि अलङ्कार स्वतन्त्र रूप से स्थित हैं, वह उपमा आदि अलङ्कारों का विषय है ।

(३) जहाँ रस आदि अन्य अर्थ के उपकारक के रूप में, अङ्गरूप में स्थित रहते हैं, वह रसवद् आदि अलङ्कारों का विषय है ।

बुद्ध आचार्य उपमा आदि अलङ्कार तथा रसवद् आदि अलङ्कारों के भेद को दूसरी प्रकार से कहते हैं । उनका कहना है कि जहाँ चेतन वस्तु की योजना वाक्यार्थी-भूत होती है, वहाँ रसवद् आदि अलङ्कारों की स्थिति होती है और जहाँ अचेतन वस्तु को योजना वाक्यार्थीभूत होती है, वह उपमा आदि अलङ्कारों का विषय होता है । परन्तु ध्वनिकार इस कथन को स्वीकार नहीं करते । अपने पक्ष की पुष्टि के लिये वे निम्न युक्तियाँ देते हैं—

(१) यदि चेतन वस्तु के वृत्तान्त की योजना के वाक्यार्थीभूत होने पर सर्वत्र रसवद् आदि अलङ्कारों की स्थिति को माना जावे तो उपमा आदि अलङ्कारों का विषय या तो अत्यल्प हो जायेगा अथवा सर्वथा नहीं रहेगा ।

(२) अचेतन वस्तु के वृत्तान्त की योजना के वाक्यार्थीभूत होने पर भी उसमें किसी न किसी प्रकार से चेतन वस्तु के वृत्तान्त की योजना भी अवश्य रहती है ।

(३) यदि यह कहा जावे कि किसी काव्य में चेतन वस्तु के वृत्तान्त की योजना होने पर भी उसमें अचेतन वस्तु के वृत्तान्त का वाक्यार्थीभाव है, तथा इस अवस्था में यह काव्य रसवद् अलङ्कार का विषय नहीं है, तो इस अवस्था को स्वीकार करने पर इसके निधानभूत काव्य के एक बड़े अंश को रसविहीन मानना पड़ेगा । हम किसी काव्य को नीरस तभी कहेंगे, जबकि उसमें इसकी अभिव्यक्ति सर्वथा नहीं है । परन्तु यदि किसी काव्य में रस की स्थिति रसवद् अलङ्कार के रूप में है, तो भी उसको नीरस नहीं कहा जा सकेगा, अपितु यह अवश्य कहा जायेगा कि इस काव्य में रस अङ्गरूप में है ।

इस कारण उपमा आदि और रसवद् आदि अलङ्कारों में चेतन-अचेतन वस्तुओं के वृत्तान्त की योजना के आधार पर भेद नहीं किया जा सकता । ध्वनिकार अपने कथन की पुष्टि के लिये कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं—

हिन्दी अर्थ—जैसे—

तरङ्गरूपी मावो की मङ्गिमाघो से युक्त, कलबल करते हुये पक्षियों की पक्ति-रूपी करघनी से युक्त, शोध के आवेश से शायिल घस्त्र के समान भाग को खींचती हुई जो यह नदी बार बार टोकर को लाकर कुटिल घाल से चली जा रही है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे अपराधों को न सहन करने वाली वह उर्वशी निरक्षय रूप से नदी के रूप में परिणत हो गई है ।

यथा वा—

तन्वी मेघजलार्द्रपल्लवतया धौताधरेवाश्रुभिः
 शून्येवाभरणं स्वकालविरहाद् विश्रान्तपुष्पोद्गमा ।
 चिन्ता भौनभिवाश्रिता मधुकृता शब्दैर्विना लक्ष्यते
 । चण्डी मामवधूय पादपतितं जातानुतापेव सा ॥

यथा वा—

तेषा गोपवधूविलाससुहृदां राधारहसाक्षिणां
 क्षेमं भद्र कलिन्दशैलतनयातीरे लतावेशमनाम् ।
 विच्छिन्ने स्मरतल्पकल्पनमृदुच्छेदोपयोगेऽधुना
 ते जाने जरठीभवन्ति विगलन्नीलद्विषयः पल्लवाः ॥

इत्येवमादौ विषयेऽचेतनाना वाक्यार्थोभावेऽपि चेतनवस्तुवृत्तान्तयोजनाऽस्त्येव । अथ यत्र चेतनवस्तुवृत्तान्तयोजनाऽस्ति तत्ररसादिरलङ्कारः । तदेवं सत्युपमादयो निर्विषयाः प्रविरलविषयाः वा स्युः । यस्मान्नास्त्येवासावचेतनवस्तुवृत्तान्तो यत्र चेतनवस्तुवृत्तान्तयोचना नास्त्यन्ततो विभावत्वेन । तस्मादङ्गत्वेन च रसादीनामलङ्कारता । य पुनरङ्गी रसो भावो वा सर्वाकारमलङ्कार्यं स ध्वनेरात्मेति ॥५॥

अथवा जंसे—

यह मानिनी तन्वी उर्वशी परो पर गिरे हुये मेरा तिरस्कार करके मानों पश्चात्ताप से युक्त होती हुई, मेघ के जल से पल्लवों के गीला हो जाने के कारण मानों भ्रामुष्यों से धो दिये गये अंधर वाली, अपना समय अर्थात् वसन्त ऋतु के न रहने से पुष्पों के उद्गम से रहित हो जाने के कारण भ्रामूषण से रहित सी होती हुई एव सीरो के शब्दों के अभाव में चिन्ता और भोग को आश्रित होती हुई (लता के समान) सी लक्षित होती है ।

इन दोनों श्लोकों में नदी और लता के वर्णन करने के तात्पर्य से कवि ने विरहपीडित पुरुरवा की उन्माद की उक्तियों को कहा है ।

अथवा जंसे—

हे भद्र ! गोपियों के विलासों के मिश्र और राधा की एकान्त क्रीडाओं के साक्षी यमुना नदी के किनारे विद्यमान लतागृहों की कुशलता तो है ? अथवा अथ तो कामशय्या के बनाने के लिये कोमल किसलयों के तोड़ने का उपयोग न रहने पर वे पल्लव श्यामल चान्ति से रहित होते हुये पुराने पड़ जाते होंगे ।

वृष्ण ने इस श्लोक में लताकुञ्जों का कुशल पूछने के निमित्त से अपने उन दिनों के विलासों का स्मरण किया है ।

इस प्रकार के उदाहरणों में यद्यपि अचेतन नदी, लता और लताकुञ्ज वस्तुओं का वाक्यार्थोभाव है, अर्थात् ये अर्थ ही प्रधान रूप से विवक्षित हैं, तथापि इनमें चेतन वस्तुओं के वृत्तान्त की योजना, पुरुरवा का उन्माद व्यक्त करना और वृष्ण का कामकेतियों का स्मरण करना, है ही । और यदि यह कहा जाये कि जहाँ चेतन वस्तुओं के वृत्तान्त की योजना है, वहाँ रसवद् भावि अलङ्कार ही होते हैं, तो इस प्रकार मानने पर उपमा आदि अलङ्कारों का विषय या तो रहेगा ही नहीं या अत्यल्प

विञ्च—

तमर्थमवलम्बन्ते येऽङ्गिनं ते गुणाः रमृताः ।

अङ्गाश्रितास्त्वलङ्कारा मन्तव्या कटकादिवत् ॥६॥

ये तमर्थं रसादिलक्षणमङ्गिनं सन्तमवलम्बन्ते ते गुणाः शौर्यादिवत् ।

वाच्यवाचकलक्षणान्यङ्गानि पुनस्तदाश्रिताऽलङ्कारा मन्तव्याः कटकादिवत् ॥६॥

हो जायेगा, क्योंकि अचेतन वस्तुओं का ऐसा वृत्तान्त नहीं मिलेगा, जिसमें चेतन वस्तुओं के वृत्तान्त की योजना अन्ततः विभाव रूप न हो। अर्थात् वह योजना मान ही जायगी। इस कारण यह स्वीकार करना चाहिये कि जहाँ रस आदि अङ्गरूप से रहते हैं, वहाँ वे अलङ्कार के रूप में होते हैं और जहाँ रस या भाव अङ्गी रूप में होता है, वह सभी प्रकार से अलङ्कार्य है और ध्वनि का आत्मारूप है।

इस प्रकार इस प्रकरण में ध्वनिकार ने उपमा आदि अलङ्कारों एवं रसवद आदि अलङ्कारों के विषय के भेद को स्पष्ट किया कि जहाँ रस आदि अङ्ग के रूप में रहते हैं तथा वाक्यार्थिभूत नहीं होते वह रसवद आदि अलङ्कार है और जहाँ वाक्यार्थिभूत होते हैं, अङ्गी रूप से रहते हैं वह रसादि ध्वनि है। उपमा आदि अलङ्कारों एवं रसवद आदि अलङ्कारों के विषय का भेद चेतन-अचेतन वस्तुओं के वृत्तान्त के वाक्यार्थिभाव के आधार पर नहीं करना चाहिये, क्योंकि अचेतन वस्तु के वृत्तान्त में चेतन वस्तु के वृत्तान्त की योजना मिल ही जाती है। अतः उपमा आदि अलङ्कारों का विषय या तो रहेगा ही नहीं या अत्यल्प होगा। अथवा अचेतनपरक काव्य को सदा रसरहित मानना होगा ॥५॥

‘रसध्वनि, उपमा आदि अलङ्कार एवं रसवद आदि अलङ्कारों का विषयविभाग करके ध्वनिकार गुण और अलङ्कार का विषय विभाग कर रहे हैं।

गुण और अलङ्कार का भेद—

हिन्दी अर्थ—और भी—

जो उस अङ्गी रूप अर्थ का (प्रधानतया प्रतीयमान रस का) अवलम्बन करते हैं, वे गुण कहलाते हैं। परन्तु जो अङ्ग का (वाच्य वाचक का) आश्रय लेते हैं, उनको कङ्कण आदि के समान अलङ्कार समझना चाहिये ॥६॥

जो रस आदि लक्षण वाले अङ्गी रूप से स्थित रस का आश्रय लेते हैं, वे शौर्य आदि के समान गुण कहलाते हैं। पुनः जो वाच्य वाचक लक्षण वाले अङ्गी का आश्रय लेते हैं, उनको कटक आदि के समान अलङ्कार मानना चाहिये ॥६॥

काव्य की विवेचना के प्रारम्भिक काल से ही गुणों के स्वल्प पर विचार होता रहा है। भरतमुनि ने माधुर्य और औदार्य नामक गुणों का उल्लेख किया था तथा भोज का स्वरूप बताया था। भामह, दण्डी, वामन आदि आचार्यों ने गुण और अलङ्कारों के स्वरूप की विवेचना की थी। भामह और दण्डी ने इनके भेद का ठीक

प्रकार से भेद स्पष्ट नहीं किया था, परन्तु वामन ने इनके भेद को स्पष्ट करने का प्रयास किया। ध्वनिवादी आचार्यों ने प्राचीन अलङ्कारिकों के मन्तव्यों को स्वीकार न करते हुये गुण और अलङ्कारों के स्वरूप की विवेचना करके इनके भेद को स्पष्ट किया। इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम ध्वनिकार का उल्लेख किया जाता है। आनन्दवर्धन के अनुसार काव्य में गुणों की स्थिति उसी प्रकार की है, जिस प्रकार शरीर में शौर्य आदि गुणों की है और अलङ्कारों की स्थिति कुण्डल आदि अलङ्कारों के समान है। तदनन्तर मम्मट, विश्वनाथ आदि आचार्यों ने भी आनन्दवर्धन का अनुकरण करते हुये गुणों और अलङ्कारों के स्वरूप का विवेचन किया था। मम्मट ने गुण और अलङ्कारों के स्वरूप का विवेचन इस प्रकार किया—

गुण—

ये रसस्याङ्गिनो धर्मा शौर्यादय इवात्मन ।

उत्कर्णहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणा ॥ का० प्र० ८ ६६॥

आत्मा के शौर्य आदि धर्मों के समान जो काव्य के अङ्गीभूत रस के धर्म हैं, रस के उत्कर्ष के हेतु हैं और रस के साथ नियत रूप से स्थित रहते हैं, वे गुण हैं।

अलङ्कार—

उपकुर्वन्ति त सन्त येऽङ्गहारेण जातुचित् ।

हारदिवदलङ्कारास्तेऽनुप्रासापमादय ॥ का० प्र० ८ ६७॥

जो वाच्य-वाचक-रूप अङ्ग के द्वारा विद्यमान उस रस का कभी (नियत रूप से नहीं) उपकार करते हैं, वे शरीर को अलङ्कृत करने वाले हार आदि अलङ्कारों के समान उपमा आदि अलङ्कार हैं।

मम्मट के इस लक्षण से गुण और अलङ्कार में निम्न भेद दृष्टिगोचर होते हैं—

(१) गुण काव्य के आत्मभूत रस के धर्म होते हैं, परन्तु अलङ्कार काव्य के शरीर शब्द और अर्थ का अलङ्कृत करते हैं।

(२) गुण रस का साक्षात् रूप से उपकार करते हैं, परन्तु अलङ्कार रस का शब्द और अर्थ के माध्यम से उपकार करते हैं।

(३) रस के साथ गुणों की स्थिति अविनाभाव सम्बन्ध से रहती है। रस के होने पर गुण भी अवश्य होते हैं। वे रस के नियत रूप से धर्म हैं। परन्तु अलङ्कारों की स्थिति ऐसी नहीं है। रस के होने पर अलङ्कार हो भी सकते हैं, तथा नहीं भी हो सकते। अलङ्कारों के होने पर रस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। रस के बिना गुणों की स्थिति नहीं होती।

(४) गुण विद्यमान रस का नियत रूप से उपकार करते हैं, अलङ्कार रस के होने पर उसका उपकार कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते।

गुण और अलङ्कार के भेदों के सम्बन्ध में प्राचीन आचार्यों में भामह और वामन का मत द्रष्टव्य है।

भामह का मत—

भामह के विवरण में भट्टोज्झट ने गुण और अलङ्कारों में स्पष्ट भेद को स्वीकार नहीं किया। उनका कथन था कि इनमें कोई वास्तविक भेद नहीं है। लौकिक शौर्य आदि गुणों और कुण्डल आदि अलङ्कारों में तो भेद है, क्योंकि शौर्य आदि गुण आत्मा में सम्बन्ध से रहते हैं एव कुण्डल आदि अलङ्कार सयोग सम्बन्ध से रहते हैं। परन्तु काव्य में श्रोज आदि गुण और अनुप्रास आदि अलङ्कार दोनों समवाय सम्बन्ध से रहते हैं। अतः काव्य में गुणों और अलङ्कारों में भेद नहीं किया जा सकता। भट्टोज्झट के इस कथन को मम्मट ने इन शब्दों में कहा है—

“एव च समवायवृत्त्या शौर्यादयः सयोगवृत्त्या तु हारादयः इत्यस्तु गुणालङ्कारणा भेदः, श्रोज प्रभृतीनामनुप्रासोपमादीनां चोभयेषामपि समवायवृत्त्या स्थितिरिति गड्ढलिवाप्रवाहेर्नैवा भेदः ॥ का० प्र० अष्टम उल्लास ॥

जिस प्रकार शौर्य आदि गुण समवाय वृत्ति से रहते हैं और हार आदि अलङ्कार सयोग वृत्ति से रहते हैं, यह ही गुणों और अलङ्कारों में भेद है, यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि काव्य में श्रोज आदि गुणों एव उपमा आदि अलङ्कारों, दोनों की ही स्थिति समवाय रूप से रहती है। अतः गुण और अलङ्कारों में भेद करना भेदबाल है। वस्तुतः इनमें भेद नहीं है।

परन्तु मम्मट ने एव अन्य ध्वनिवादी आचार्यों ने गुणों को रसनिष्ठ धर्म मानकर तथा अलङ्कारों को शब्दार्थनिष्ठ अलङ्कार मानकर इनके भेद का प्रतिपादन किया है।

वामन का मत—

वामन ने गुणों और अलङ्कारों में भेद तो प्रतिपादित किया, परन्तु वह इस भेद को दूसरे रूप में कहता है। मम्मट ने वामन के मत को निम्न प्रकार से उद्धृत किया है—

“काव्यशोभाया कर्तारो धर्मा गुणास्तदतिशयहेतवस्त्वलङ्काराः”

का० प्र० अष्टम उल्लास ॥

काव्य की शोभा के विधायक धर्म गुण कहलाते हैं और उस शोभा में वृद्धि करने वाले धर्म अलङ्कार हैं। इस प्रकार वे गुण और अलङ्कार दोनों को शब्दार्थनिष्ठ धर्म मानते हैं। रीतिवादी आचार्य वामन ने काव्य की आत्मा रीति को माना है (रीतिरात्मा काव्यस्य)। मम्मट ने वामन के रीति सिद्धान्त के आधार पर ही उसके इस मन्तव्य का खण्डन किया। उन्होंने कहा कि गुणों को शब्दार्थनिष्ठ मानने पर क्या आप काव्य का व्यवहार गुणों के समस्त समुदाय से करेंगे अथवा कुछ गुणों से। यदि काव्य का व्यवहार समस्त गुणों से होता है, तो मौड़ी और पाञ्चाली रीति, जिनमें समस्त गुण नहीं होते, काव्य की आत्मा कैसे हो सकेगी। यदि यह मान लिया जावे कि कुछ गुणों से काव्य का व्यवहार हो जाता है तो—

तथा च—

शृङ्गार एव मधुर पर प्रह्लादनो रस ।
तन्मय काव्यमाश्रित्य माधुय प्रतिष्ठति ॥७॥

शृङ्गार एव रसान्तरापेक्षया मधुर प्रह्लादहेतुत्वात् । तत्प्रकाशनपर-
पंतया काव्यस्य स माधुयलक्षणो गुण । श्रव्यत्व पुनरोजसोऽपि
रणमिति ॥७॥

अत्रावत्र प्रज्वलन्त्यग्निरुर्ध्वं प्राज्य प्रोद्यन्तु नस्यप धूम

इत्यादि वाक्या मे ओजगुण की उपस्थिति हान स काव्य का व्यवहार मानना
। भाव यह है कि वामन ने तीन रीतिया मानी हैं—वंदनी गौडी और पाञ्चाली
म समस्त गुण होते ह । गौडी ओजगुण प्रधान है तथा पाञ्चाली मधुर गुण प्रधान
म काव्य की शाखा का आधायक धम मान लन पर यह प्रश्न उपस्थित होगा
मी गुणा का समुदाय होने पर ही काव्य हाता है या एक एक गुण की उपस्थिति म
व्य होता है ? यदि यह माना जाव कि समस्त गुणा का समुदाय होन पर ही
होता है तो गौडी और पाञ्चाली रीति म जिनम समस्त गुण नहीं होते,
का अस्तित्व कैस सिद्ध हो सवेगा । यदि यह माना त्रिया जाव कि एक एक गुण
पस्थिति म भी काव्यव हो सकता है ता अत्रावत्र आदि वाक्या मे जहाँ कि
व नहीं है ओज गुण की उपस्थिति म काव्यव मानना पडगा अत्र वामन द्वारा
त गुण और अत्रङ्कारा का भन् ठीक नहीं है ॥६॥

गुणा और अत्रङ्कारा के भेद का निरूपण करके धर्मिनार ने मधुर गुण की
ते का बताया है—

हिं दी श्रय—और इसी से—

शृङ्गार रस ही सबसे अधिक आनन्ददायक मधुर रस है । उस शृङ्गारमय
प का आश्रय लेकर माधुय प्रतिष्ठित होना है ॥७॥

श्रय रसों की अपेक्षा शृङ्गार रस ही मधुर होता है । योकि यह आनन्दजनक
उस शृङ्गार रस को प्रकाशित करन चाल शब्द और श्रय से युक्त होने के कारण
काव्य का माधुय लक्षण वाला गुण है । श्रव्यत्व तो ओज वर भी साधारण धम
अर्थात् श्रव्यत्व तो माधुय के समान ओज मे भी रहता है ।

शृङ्गार रस को सबसे अधिक आनन्ददायक रस माना गया है । अत इसनी
नेकार न पर प्रह्लादन विशाषण दिया । रति की भावना अविच्छिन्न रूप से
ो देवता मनुष्य और पशु पक्षिया म विद्यमाना रहती ह । सयासी आदि विरक्त
। म भी यह भावना दृष्टिगोचर होता है । अत रति भाव व समान कोई भी भाव
यसवादी नहीं है । इसलिय इसका मधुर कहा गया ह । जिन प्रकार शकरा का
र रस विवेकी अविषेयी, रागी स्वस्थ सभी का हृद्य प्रतात होता है उसी प्रकार
ङ्गार रस सभी के लिय हृद्य ह । काव्य की आत्मा रूप उस शृङ्गार रस का यह
र रस आश्रय लेकर रहता है ।

शृङ्गारे विप्रलम्भाख्ये करणे च प्रकर्षवत् ।

माधुर्यमाद्रता याति यतस्तत्राधिक मन ॥८॥

विप्रलम्भशृङ्गारकरणयोस्तु माधुर्यमेव प्रकर्षवत् । सहृदयहृदया-

वर्जनातिशयनिमित्तात्वादिति ॥८॥

रौद्रादयो रसा दीप्त्या लक्ष्यन्ते काव्यवर्तिन ।

तदव्यक्तिहेतु शब्दार्थावाधित्यौजो व्यवस्थितम् ॥९॥

श्रव्यत्व पुनरोजसोऽपि साधारणम्—वृत्ति म यह वाक्य भामहवृत्त मधुर के लक्षण का निषेध करने के लिये लिखा गया है । भामह ने इस प्रकार लिखा है—

‘श्रव्य नातिसमस्तायशब्द मधुरमिष्यते भामह २ २ ३ ।

मधुर का लक्षण है कि जो श्रवणीय हो और जिसम शब्द अधिक समास बाने न हो ।

ध्वनिवार के मत में मधुर के लक्षण में श्रव्यत्व को भेदक रूप में रखना उचित नहीं । इसका खण्डन करने के लिये उन्होंने कहा कि श्रव्यत्व तो श्रोत्रोगुण में भी होता है, जैसे कि यो य शब्द विभक्ति० परम श्रोत्र गुण होने पर और मधुर गुण न होने पर भी श्रव्यत्व है ॥७॥

शृङ्गार में मधुर गुण का प्रतिपादन करके ध्वनिवार विप्रलम्भ शृङ्गार और करण रस में मधुर गुण के अतिशय का प्रतिपादन करते हैं—

हिंदी अर्थ—यह माधुर्य विप्रलम्भ शृङ्गार में और करण रस में अधिक उत्कृष्ट से युक्त होता है, क्योंकि वहाँ मन अधिक आद्रता का प्राप्त होता है ॥८॥

विप्रलम्भ शृङ्गार और करण रसों में तो माधुर्य ही प्रकृष्ट से युक्त होता है । क्योंकि यह सहृदयों के हृदयों को अतिशय से आकर्षित करता है ।

वहने का आभ्रप्राय यह है कि सम्भोग शृङ्गार की अपेक्षा विप्रलम्भ शृङ्गार में मधुरता अधिब हाती है एवं विप्रलम्भ शृङ्गार की प्रपञ्चा करण रस में अधिक मधुरता होती है । अर्थात् सम्भोग शृङ्गार विप्रलम्भ शृङ्गार एवं करण रस के अभिव्यञ्जक वण नमश्च मधुर मधुरतर मधुरतम होत है । मधुरत्व के प्रमश अधिक होने का हनु यह है कि इन रसों का आस्वादन में सामाजिकों का हृदय स्वाभाविक अनावशयुक्त वाठिय को रोष आदि कारण से उत्पन्न दीप्तरूपता को और विस्मय राग आदि से उत्पन्न रागिता को धाड़ देता है ॥८॥

शृङ्गार और करण रस में मधुर गुण का प्रतिपादन करके ध्वनिवार प्रतिपादित करते हैं कि रौद्र आदि बठोर रसों में श्रोत्र गुण की स्थिति होती है—

हिंदी अर्थ—काव्य में रहने वाले रौद्र आदि रस दीप्ति से लक्षित होते हैं । उन रौद्र आदि रसों को अभिव्यक्त करने वाले शब्द और अर्थ का आश्रय तब श्रोत्र गुण व्यवस्थित रहता है ॥९॥

रौद्रादयो हि रसाः परां दीप्तिमुज्ज्वलतां जनयन्तीति लक्षणया त एव दीप्तिरित्युच्यते । तत्प्रकाशनपरः शब्दो दीर्घसमासरचनालङ्कृतं वाच्यम् ।

यथा—

सञ्चन्द्रजभ्रमितचण्डगदाभिघात-
सञ्चूर्णितोर्युगलस्य सुयोधनस्य ।
स्त्यानापविद्धघनशोणितशोणपाणि-
रुत्तंसपिप्यति कचास्तत्र देवि भीमः ॥

तत्प्रकाशनपरश्चाथोऽनपेक्षितदीर्घसमासरचनः प्रसन्न वाचकाभि-
धेयः ।

यद्यपि रौद्र आदि रस अत्यधिक दीप्ति को उज्ज्वलता को उत्पन्न करते हैं, अतः लक्षणा से उनको ही दीप्ति कहा जाता है । उन रौद्र आदि रसों का प्रकाशक शब्द और दीर्घ समासों की रचना से अलङ्कृत वाक्य भी दीप्ति है ।

श्लोक गुण रौद्र आदि रसों का उपकार करता है । आदि पद से वीर और अद्भुत रसों का ग्रहण किया जाता है ।

दीप्ति—“प्रतिपत्तुहूँ देवेविवासविस्तारप्रज्ज्वलनस्वभावा दीप्ति ।”

सामाजिक या सहृदय के हृदय में विकास, विस्तार और प्रज्ज्वलन की अवस्था का अभिव्यक्त होना दीप्ति है । यह मुख्य रूप से ‘श्लोक’ पद से कही जाती है । रौद्र आदि रस परम दीप्ति को उत्पन्न करते हैं, अतः लक्षणा से उनको भी दीप्ति कहा देते हैं । इसी प्रकार से रौद्र रस को अभिव्यक्त करने वाले शब्द को भी दीप्ति कहा देते हैं और रौद्र रस का अभिव्यञ्जक दीर्घसमासयुक्त रचना से अलङ्कृत वाक्य भी दीप्ति कहा जाता है । इस प्रकार रौद्रादि रस, रौद्रादि रसों के अभिव्यञ्जक शब्द और रौद्रादि रसों के अभिव्यञ्जक वाक्य सभी को दीप्ति कहा गया है ।

आचार्य अभिनवगुप्त व अनुसार यहाँ लक्षित लक्षणा से ही शब्द और वाक्य को दीप्ति कहा गया है ।

रौद्र रस के व्यञ्जक शब्द और वाक्य का उदाहरण—

हिन्दी अर्थ—जैसे—

हे देवि ! कङ्कती हुई भुजाओं से घुमाई गई भयानक गदा के प्रहार से घूर-घूर की गई दोनों जाँघों वाले सुयोधन के बहकर जमे दृष्टे घने रक्त से लाल हाथों वाला यह भीम तुम्हारे केशों को बाँधेगा ।

इस पद्य में रौद्र के अभिव्यञ्जक शब्द और दीर्घ समास युक्त रचना श्लोकगुण के अभिव्यञ्जक हैं ।

। उस रौद्र रस को अभिव्यक्त करने वाला अर्थ जो कि दीर्घ समास में रचित रचना वाला है तथा प्रसाद गुण युक्त वाक्य में अभिधेय है, वह भी दीप्ति कहा जाता है ।

यथा—

यो यः शस्त्रं विभति स्वभुजगुरुमदः पाण्डवीनां चमूनां
यो यः पाञ्चालगोत्रे शिशुरधिकवयाः गर्भशय्यां गतो वा ।
यो यस्तत्कर्मसाक्षी चरति मयि रणे यश्च यश्च प्रतीपः
क्रोधान्धस्तस्य तस्य स्वयमपि जगतामन्तकस्यान्तकोऽहम् ॥

इत्यादौ द्वयोरोजस्त्वम् ॥६॥

समर्पकत्वं काव्यस्य यत्तु सर्वरसान् प्रति ।

स प्रसादो गुणो ज्ञेयः सर्वरससाधारणत्रियः ॥१०॥

प्रसादस्तु स्वच्छता शब्दायंयोः । स च सर्वरससाधारणो गुणः । सर्वर-
चनासाधारणश्च । व्यङ्ग्यायपि क्षयैव मुख्यतया व्यवस्थितो मन्तव्यः ॥१०॥

जैसे—

पाण्डवों की सेनाओं में अपनी मुजाओं पर अत्यधिक मद करने वाला जो जो योद्धा शस्त्र को धारण करता है, पाञ्चाल गोत्र में जो जो शिशु है या अधिक प्रायु का है या अभी गर्भ की अन्नस्या में पडा है, जो जो व्यक्ति उस कर्म का (द्रोण के वध का) साक्षी है, और जो जो व्यक्ति रणक्षेत्र में विचरण करते हुये मेरे विरुद्ध रहने वाला है, क्रोध से अन्धा हुआ मैं उसका अन्त करने वाला हूँ, चाहे वह स्वयं सप्तर का अन्त करने वाला क्यों न हो ।

इन दोनों पद्यों में ओज गुण की अभिव्यक्ति है ।

पहले उदाहरण में रौद्र रस के अभिव्यञ्जक शब्द से और दीर्घ समास युक्त रचना से ओज गुण की अभिव्यक्ति हुई है । दूसरे उदाहरण में यद्यपि वाचक शब्द प्रसाद गुणयुक्त है और दीर्घ समास रचना है, तो भी रौद्र रस के प्रवाशक अर्थ से ओज गुण अभिव्यक्त हुआ है ॥६॥

मधुर और ओज के आश्रय को कहकर अब प्रसाद गुण के आश्रय को कहा जाता है—

हिन्दी अर्थ—काव्य का सब रसों के प्रति जो समर्पकत्व है, अर्थात् जो सर्व सहृदयों के हृदयों में तुरन्त व्यापक हो जाता है, जो रसों में और रचनाओं में साधारण रूप से रहने वाला है, उसको प्रसाद गुण समझना चाहिये ॥१०॥

शब्द और अर्थ की स्वच्छता प्रसाद है । वह प्रसाद गुण सब रसों का साधारण गुण है और सब रचनाओं में सामान्यरूप से रहता है । वह व्यङ्ग्य अर्थ की अपेक्षा से मुख्य रूप से व्यवस्थित रहता है, ऐसा मानना चाहिये ।

ध्वनिकार ने इस प्रसङ्ग में यह प्रतिपादित किया है कि काव्य में तीन गुण होते हैं तथा वे वाच्य-वाचक के उपकार के माध्यम से विभिन्न रसों में व्यवस्थित होते हैं । उत्तरवर्ती आचार्यों ने ध्वनिकार के इस मत के आधार पर ही अपनी गुण व्यवस्था का प्रसाद खडा किया था । इस सम्बन्ध में आचार्य मम्मट का दृष्टिकोण जानना उपयोगी होगा ।

मम्मट ने रसा म गुणा की स्थिति इस प्रकार कही है—

आह्लादनत्व माधुर्यं शृङ्गारे द्रुतिवारणम् ।
 वरुणे विप्रलम्भ तच्छान्ते चातिशयान्वितम् ॥
 दीप्त्यात्मविस्तृतेहेतुरोजो वीररसस्थिति ।
 वीभत्सरीरसयोतव्याधिक्य क्रमेण च ॥
 शुष्केन्धनाग्निवत् स्वच्छजलवत्सहसैव य ।
 व्याप्नोत्यन्यत्प्रसादोऽसौ सर्वत्र विहितस्थिति ॥

का० प्र० ८ ६८-७०॥

मधुर रस आह्लाद उत्पन्न करने वाला है तथा शृङ्गार रस म द्रुति का कारण है । करुण, विप्रलम्भ और शान्त म उसका और भी अतिशय होता है । दीप्ति रूप आत्मा के विस्तार का हेतु आज गुण है । वह वीर इसम स्थित होता है और वीभत्स एव रीद्र रस म क्रमश उसका और भी आधिक्य रहता है । सूख ईंधन म लकड़ी के समान और स्वच्छ वस्त्र म जल के समान वह प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त हो जाता है और उसकी स्थिति सब रसा म होती है । मम्मट के इस वर्णन के अनुसार रसो म गुणो की स्थिति इस प्रकार है—

मधुर—सयोग शृङ्गार विप्रलम्भ शृङ्गार, करुण और शान्त ।

ओज—वीर वीभत्स और रीद्र ।

प्रसाद—सभी रस

इस प्रसङ्ग में यह ध्यान देन योग्य है कि हास्य, भयानक और अद्भुत रस का उल्लेख नहीं है । वस्तुतः ये अग्रधान रस हैं, इन कारण इनका अन्तर्भाव प्रधान रसों के द्वारा किया जा सकता है । इस सम्बन्ध म अभिनवगुप्त का कथन है—

“हास्यस्य शृङ्गाराङ्गतया माधुर्यं प्रवृष्टं विकामधमतया चोजोऽपि प्रवृष्ट-
 मिति साम्य द्वयो । भयानकस्य भग्नचित्तवृत्तिस्वभावत्व पि विभावस्य दीप्ततया ओज
 प्रवृष्टं माधुयमल्पम् । वीभत्सेऽप्यवम् । शांते तु विभाववैचिण्यात् कदाचिदोज प्रवृष्ट
 कदाचिन्माधुयमिति विभाग ।”

हास्य रस क शृङ्गार रस का अङ्ग होन के कारण इसम माधुर्यं प्रवृष्ट हाना है और इसके विकासधर्मी होने क कारण ओज भी प्रवृष्ट होता है । इस प्रकार ये दोनों गुण हास्य म समान रूप से रह सकते हैं । भयानक रस में चित्तवृत्ति क भग्न हो जाने पर भी विभाव के दीप्त होन क कारण ओज प्रवृष्ट होता है तथा माधुर्यं अल्प होता है । वीभत्स रस म भी ऐसा ही है । शांत रस म विभाव की निचित्रता के कारण कभी ओज प्रवृष्ट हाना है तथा कभी माधुय प्रवृष्ट होता है । रसा म गुणो की स्थिति का विभाजन इन प्रकार करना चाहिये ।

रु बुद्ध्यास्थावारा का मत है कि हास्य में मदा माधुय की प्रधानता होती है और भयानक एव अद्भुत म ओज की ।

इस प्रकरण में यह भी ध्यान देने योग्य है कि ध्वनिकार ने मधुर, श्लो ज और प्रसाद व ये तीन गुण प्रतिपादित किये हैं तथा उत्तरवर्ती ध्वनिवादी आचार्यों ने ध्वनिकार के इन मत का समर्थन किया है। परन्तु पूर्ववर्ती तथा पश्चाद्वर्ती अनेक आचार्य गुणों की सख्या इससे बहुत अधिक प्रतिपादित करते हैं। इस सम्बन्ध में वामन का मत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वामन ने दस शब्दगुण और दस अर्थगुणों का प्रतिपादन किया है। परन्तु मम्मट ने वामन के दस शब्दगुणों का अन्तर्भाव तीन गुणों में कर दिया है और अर्थगुणों को स्वीकार ही नहीं किया। उसके अनुसार वामनाक्त कुछ गुण तो इन गुणों के अन्तर्भूत हो जाते हैं, कुछ दोष अभाव मात्र है और कुछ दोष रूप हैं—
वेचिदन्तर्भवन्त्येषु दोषत्यागात्परं धिता ।

अन्य भजन्तिदोषत्व बुधचिन्न ततो दश ॥ का० प्र० ८ ७२॥

मम्मट ने वामन के दस शब्दगुणों और दस अर्थगुणों के सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त इस प्रकार प्रतिपादित किया है।

| गुणों के नाम | गुणों के लक्षण | अन्तर्भाव |
|-------------------|---|--------------------------------|
| (क) शब्द गुण | | |
| (१) श्लेष | बहुनामपि पदानामवपदवद्भासमानत्मा (अनेक पदों में एक पद के समान प्रतीत होना रूप) | श्लो ज में |
| (२) प्रसाद | श्लो जमिश्रित शिथिलता (श्लो ज से मिश्रित शिथिलता रूप) | श्लो ज में |
| (३) समता | मागभेदरूपा (वैदर्भी आदि रीति में भेद न करने रूप) | वही दोष है |
| (४) माधुर्य | पृथक्पदत्वरूप (पदा का पृथक् पृथक् रखना, उसमें समासों का अभाव) | माधुर्य में |
| (५) उदारता | विवटत्वलक्षणा (पदों की विवटता अर्थात् विच्छेद के कारण नृत्यप्रापता) | श्लो ज में |
| (६) अर्थव्याप्तिः | भ्रंष्टिर्नि अर्थज्ञानम् (गुरस्त अर्थ का बोध हो जाना) | प्रसाद में |
| (७) सुकुमारता | कष्टत्वग्राम्यत्वयोर्दुष्टताभिधानात्तन्नि- राकरणेनापारुष्यरूपम् (कष्टत्व और ग्राम्यत्व दोषों को बतलाने के कारण उनका निराकरण करके पारुष्य का अभाव) | दोष का अभावमात्र |
| (८) श्लो ज | बन्धवैकटयम् (रचनाश्लो में विवट पदों की बाधना) | श्लो ज में |
| (९) कान्ति | श्लो ज्वल्यात्पा (उज्वलतात्प होना) | |
| (१०) समाधि | धारोहावरोहनमरूप (धाक्य में आराह और अवरोह के क्रम को बनाये रखन रूप) | दोष का अभावमात्र श्लो ज में |

अर्थगुण

(१) प्रोज

श्लोक पाञ्च प्रकार का है—

(१) पदार्थे वाक्यरचनम्
(पद के त्रिये वाक्य की रचना करना)(२) वाक्यार्थे च पदाभिधा
(वाक्य के लिये पद की रचना करना)(३) व्यास
(संक्षिप्त को विस्तार से कहना)(४) समान
(विस्तृत को संक्षेप से कहना)(५) साभिप्रायत्वम्
(अभिप्रायगमित वचनों को कहना)

विचित्रतामात्र होना

(२) प्रसाद

अर्थरैमत्यात्मा
(अबिन्न पदत्व का निराकरण करके
अर्थ की निमलता)अपुष्टार्थत्व दोष का
अभावमात्र होना

(३) भाद्युर्ष

उक्तिर्निश्चयम्
(उक्ति की विचिनतामात्र)अधिकपदत्व दोष का
अभावमात्र

(४) मुकुमारता

अपाश्रयरूपम्
(कटोरता का न होना)अनवीर्यत्व दोष
का अभाव

(५) दृढात्ता

अग्राम्यत्व रूपा
(ग्राम्यत्व दोष का न होना)अमङ्गल रूप
अश्लील दोष
का अभाव

(६) अर्थव्यक्ति

यस्तुम्बगावस्फुवरूपा
(स्वभावोक्ति अलंकार द्वारा वस्तु के स्वभाव
का विशद वर्णन)ग्राम्य दोष का
अभाव स्वभावो-
क्ति अलंकार में

(७) वान्ति

दीप्तरमन्वरूपा
(रसध्वनि शौर गुणीभूतव्यङ्ग्य में रस का
प्रतीयमान होना)रसध्वनि शौर
गुणीभूतव्यङ्ग्य
वाच्य में

(८) श्लेष

अमनोदृष्टिपानुन्वणोत्पत्तिषोऽपत्तनत्मा
(अम के उल्लेखन की अस्फुटता को युक्ति-
पूर्वक मिला देना)

विचित्रतामात्र

(९) समता

अविषम्यरूपा
(विषमता का न होना)
अयोनि अन्यच्छायायोनि इति द्विविध.विषमताएव दोष
का अभाव

(१०) समाधि

अर्थदृष्टिरूपा
(अर्थ का दर्शनरूप, जो कि दो प्रकार का है—
(१) जो कवि की प्रतिभा से स्वयं उद्भूत
हो, प्राचीन कवि द्वारा न कहा गया हो,
(२) प्राचीन कवियों के भावों को अन्य
प्रकार से कहना)

अर्थदर्शनमात्र

श्रुतिदुष्टादयो दोषा अनित्या ये च दर्शिताः ।

ध्वन्यात्मन्येव शृङ्गारे ते हेया इत्युदाहृताः ॥११॥

अनित्या दोषाश्च ये श्रुतिदुष्टादयः सूचितास्तेऽपि न वाच्येऽग्रथं-
मात्रे न च व्यङ्ग्ये शृङ्गारव्यतिरेकिणि, शृङ्गारे वा ध्वनेरनात्मभूते ।
किन्तु हि ध्वन्यात्मन्येव शृङ्गारेऽङ्गितया व्यङ्ग्ये ते हेया इत्युदाहृताः ।
अन्यथा हि तेषामनित्यदोषतैव न स्यात् ॥११॥

इस प्रकार ध्वनिकार ने यह प्रतिपादन किया है कि गुण तीन ही होते हैं तथा ये वाच्य-वाचक के माध्यम से रस का नित्य रूप से उपकार करते हैं । अङ्गीभूत रस से उपकार करते हैं । यह अङ्गीभूत रस के आश्रित धर्म गुण है तथा वाच्य-वाचक के चारुत्व हेतु अलङ्कार हैं ॥१०॥

गुणों और अलङ्कारों का विभेद दिखाकर ध्वनिकार रसादिध्वनि के क्षेत्र में अनित्य दोषों की व्यवस्था देते हैं—

हिन्दी अर्थ—श्रुतिदुष्ट आदि जो अनित्य दोष प्रदर्शित किये गये हैं, ध्वनि की आत्मारूप शृङ्गार में वे दोष त्याज्य कहे गये हैं ॥११॥

जो श्रुतिदुष्ट आदि अनित्य दोष प्राचीन आचार्यों ने सूचित किये हैं, वे न तो अर्थमान वाच्य में होते हैं नार्हों शृङ्गार के अतिरिक्त अन्य किसी व्यङ्ग्य में होते हैं, और नार्हों ध्वनि के अनात्मभूत शृङ्गारों में होते हैं किन्तु वे दोष अङ्गीरूप से व्यङ्ग्य होने वाले ध्वन्यात्मक शृङ्गार में ही त्याज्य कहे गये हैं । अन्यथा इनकी अनित्यता ही नहीं होगी ।

श्रुतिदुष्ट आदि अनित्य दोष—प्राचीन आचार्यों ने, भामह ने काव्य में चार श्रुतिदुष्ट आदि अनित्य दोष बताये हैं—

श्रुतिदुष्टायंदुष्टत्वे कल्पनादुष्टमित्यपि ।

श्रुतिवष्ट तथैवाहुर्वाचा दोष चतुर्विधम् ॥

श्रुतिदुष्ट, अर्थदुष्ट, कल्पनादुष्ट, श्रुतिवष्ट ये चार प्रकार के वाणियों के दोष

हैं ।

(१) श्रुतिदुष्ट—वामन आदि असभ्य स्मृति को उत्पन्न करने वाले ।

अर्थदुष्ट—वाक्यार्थ के बल से अश्लील अर्थ का बोध कराने वाले । जैसे—

“छिद्रान्वेषी महास्तब्धो घातार्थबोपसर्पिणि ।”

छिद्र का अन्वेषण करने वाला और महान् स्तब्ध व्यक्ति केवल घात के लिये ही पहुँचता है । यहाँ ‘छिद्रान्वेषी’ पद से अश्लील अर्थ का बोध होना है ।

कल्पनादुष्ट—दो पदों की कल्पना से दुष्ट अर्थ का प्रतीत होना । जैसे—

“रचिम् कुर ।”

यहाँ दो पदों का पृथक् पृथक् अर्थ दोषरहित है, परन्तु मिलाने पर मध्य में निर्मित ‘विडु’ पद कास्मीरी आदि भाषाओं में अश्लील अर्थ का बोधक है ।

एवमसंलक्ष्यक्रमद्योत्यो ध्वनेरात्मा प्रदर्शितः सामान्येन ।

तस्याङ्गानां प्रभेदा ये प्रभेदा स्वगताश्च ये ।

तेषामानन्त्यमन्योन्यसम्बन्धपरिकल्पने ॥१२॥

अङ्गितया ध्वङ्गुथो रसादिविद्वक्षितान्यपरवाच्यस्य ध्वनेरेक आत्मा य उक्तस्तस्याङ्गानां वाच्यवाचकानुपातिनामलङ्काराणा निरवधयो ये च स्वगतास्तस्याङ्गिनोऽर्थस्य रसभावतदाभासतत्प्रशमलक्षणा विभावानुभाव-व्यभिचारिप्रतिपादनसहिता अनन्ताः स्वाश्रयापेक्षया निःसीमानो विशेषास्तेषामन्योन्यसम्बन्धपरिकल्पने क्रियमाणे कस्मिन्चिदन्यतमस्यापि रसस्य प्रकाराः परिसंख्यातुं न शक्यन्ते, किमुत सर्वेषाम् ।

(४) धृतिदृष्ट—सुनन में बहु कठार शब्द का प्रयोग करना । जैसे—

“अधाक्षीन्, अक्षीत्मीत्, नृणोडि आदि ।”

याचायं वा वयन है कि प्राचीन याचार्या ने धृतिदृष्ट आदि चार दोषों में जो अनित्यता प्रतिपादित की है, वह तभी सिद्ध हो सकती है, जबकि हम अङ्गीभूत रस में रसध्वनि और अङ्गीभूत रस में रसवद् अलंकार की स्थिति माने । य दाप अङ्गीभूत शृङ्गार रसध्वनि में ही दाप है, अन्यत्र दाप नहीं है । इसीलिये इनकी अनित्यता सिद्ध होती है । वाच्य अर्थमात्र में, शृङ्गाररहित व्यङ्ग्य में अर्थत् रौद्र आदि रसध्वनि में अथवा शृङ्गार रसका व्यङ्ग्य ध्वन्यात्मक न होने की स्थिति में इस प्रकार का वयन दोष नहीं होता । केवल ध्वन्यात्मक शृङ्गार रस के अङ्गीरूप से व्यङ्ग्य होने पर ही ये वयन दोष की स्थिति में होने हैं । अतः रसध्वनि और रसवद् अलंकार की पृथक् स्थिति स्वीकार करनी चाहिये ।

असलक्ष्यक्रमध्वङ्ग्य ध्वनि वा सामान्य लक्षण प्रदर्शित करके ध्वनिवार उसके भेदों का निदर्शन करते हैं—

हिन्दी अर्थ—इसप्रकार ध्वनि के भेद असलक्ष्यक्रमध्वङ्ग्य वा रसरूप सामान्य रूप से प्रदर्शित कर दिया है ॥११॥

उस असलक्ष्यक्रमध्वङ्ग्य ध्वनि के अङ्गों (अलङ्कार आदि) के जो अनेक भेद हैं, तथा उसके स्वगत भेद रस, भाव, रसामास, भावाभास आदि जो अनेक भेद हैं, उनकी परस्पर सम्बन्ध की कल्पना होने पर उन भेदों की अनन्तता होती है ॥१२॥

विद्वक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि वा अङ्गी (प्रधान) रूप से ध्वङ्ग्य जो रसादिरूप एक आत्मा कहा गया है, उसके अङ्गों, वाच्य-वाचक के कारण होने वाले अलङ्कारों के जो अपरिमित भेद हैं और जो उस अङ्गीरूप रस अर्थ के स्वगत भेद रस, भाव, रसामास, भावाभास भावप्रशम नाम वाले भेद हैं और जो उनके विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों की प्रतिपादन के सहित अपने अनन्त आश्रयों की अपेक्षा निःसीम भेद हैं, उनके परस्पर सम्बन्ध की कल्पना करने पर सिंगी एक ही रस के प्रकारों की गिना नहीं जा सकता, सबका ही पहना ही क्या है !

तथाहि शृङ्गारस्याङ्गिनस्तावदाद्यौ द्वौ भेदौ—सम्भोगो विप्रल-
म्भश्च । सम्भोगस्य च परस्परप्रेमदर्शनसुरतविहरणादिलक्षणा. प्रकाराः ।
विप्रलम्भस्याप्यभिलाषेर्व्याविरहप्रवासविप्रलम्भादयः । तेषां च प्रत्येकं
विभावानुभावव्यभिचारिभेदाः । तेषां च देशकालाद्याश्रयायस्थाभेद इति
स्वगतभेदापेक्षयैकाय तस्यापरिमेयत्वम् । किं पुनरङ्गप्रभेदकल्पनायाम् ।
ते ह्यङ्गप्रभेदा प्रत्येकमङ्गप्रभेदसम्बन्धपरिकल्पने क्रियमाणे सत्यानन्त्य-
मेवोपयान्ति ॥१२॥

पहले कहा जा चुका है कि ध्वनि क दो भेद है—अविधितवाच्य और विधित-
तान्यपरवाच्य । इनमें विधिततान्यपरवाच्य ध्वनि व दो भेद हैं—असलक्ष्यमव्यङ्ग्य
और सलक्ष्यमव्यङ्ग्य । असलक्ष्यमव्यङ्ग्य व सामान्य स्वरूप को बताकर ध्वनिकार
इसके भेदों का वर्णन कर रहे हैं । इसके भेदा का दो प्रकार स कहा जा सकता है—
(१) अङ्गीभूत वाच्यवाचकत्वात्वे हेतु अलङ्कार व भेदा व अन्योन्य सम्बन्ध द्वारा, जो
कि असीमित सत्याम हैं । (२) स्वागत रस के विभिन्न भेदा एव भाव आदि के
विभिन्न भेदा तथा उनसे प्रतिपादक विभाव, अनुभाव एव व्यभिचारी भावा के असलक्ष्य
भेदों के परस्पर सम्बन्ध के द्वारा, जिससे कि इस ध्वनि काव्य के भेदा की सख्या
असलक्ष्य हो जाती है । इनमें एक रसध्वनि के भेदा की सत्या को गिनना ही असम्भव
है, सबको गिना जाने की सम्भावना तो कैसे की जा सकती है ?

हिन्दी अर्थ—जैसे कि—अङ्गीभूत शृङ्गार रस के पहले दो भेद हैं—सम्भोग
शृङ्गार और विप्रलम्भ शृङ्गार । सम्भोग शृङ्गार के परस्पर प्रेम से दर्शन, सुरत,
विहरण आदि लक्षण वाले अनेक प्रकार हैं । विप्रलम्भ शृङ्गार के भी अमिलाप,
ईर्ष्या, विरह, प्रवास, विप्रलम्भ आदि अनेक भेद हैं । उनके भी प्रत्येक विभाव
अनुभाव और व्यभिचारी भाव से भेद होते हैं । उनके भी देश, काल आदि के
आश्रय के और अवस्था के भेद होते हैं । इस प्रकार स्वगत भेदों की अपेक्षा से ही उस
एक रस की असलक्ष्यता हो जाती है । उसके अङ्गी अलङ्कार आदियों के भेदों की पुन
कल्पना करने पर तो इस असलक्ष्यता का तो कहना ही क्या है ? अङ्गी के ये भेद
प्रत्येक अङ्गी (रस) के प्रभेदों के साथ सम्बन्ध की कल्पना करने पर अनन्तता की ही
प्राप्त होते हैं ।

ध्वनिकार का मन्तव्य है कि रसध्वनि के अङ्गी के भेदों की एव स्वगत भेदों
की कल्पना करने पर इसके अनन्त भेद होते हैं । शृङ्गार रस-ध्वनि के भेदा
का कुछ निदर्शन यहाँ किया गया है । शृङ्गार के दो स्वगत भेद हैं सम्भोग और विप्रल-
म्भ । नायक-नायिका का मिलन सम्भोग शृङ्गार है । आपस में प्रेम से एक दूसरे को
देखना सुरत (आलिङ्गन आदि के भेद से सुरत ६४ प्रकार का होता है), उद्यान आदि में
विहार करना आदि भेद से यह अनेक प्रकार का हो सकता है) नायक-नायिका का एक
दूसरे से विमुक्त होना विप्रलम्भ शृङ्गार है । यह भी अनेक प्रकार का है—अभिनाय
विप्रलम्भ = नायक और नायिका में एक दूसरे के प्रति जीवितसर्वस्य रूप रति उत्पन्न

दिङ्मात्रं तूच्यते येन व्युत्पन्नानां सचेतसाम् ।

बुद्धि रसादितालोका सर्वत्रैव भविष्यति ॥१३॥

दिङ्मात्रकथनेन हि व्युत्पन्नानां सहृदयानामेकत्रापि रसभेदे सहालङ्कारैरङ्गाङ्गि भावपरिज्ञानादासादितालोकाबुद्धिःसर्वत्रैव भविष्यति ॥१३॥

हो जाने पर भी परिस्थितिवश मिलन न होना । ईर्ष्याविप्रलम्भ-ईर्ष्या आदि के कारण खण्डिता नायिका के प्रणय का खण्डित होना । विरहविप्रलम्भ = खण्डिता नायिका को प्रसन्न करने का उद्योग करने पर भी उसका प्रसन्न न होकर पश्चात्ताप में पड़े रहना । प्रवामविप्रलम्भ = प्रियतम के परदेस चले जाने पर नायक नायिका का वियोग होना । आदि के यहाँ शापहेतुक विप्रलम्भ ग्रहण होता है, शाप के कारण नायक-नायिका का संयोग न होना । मम्मट ने विप्रलम्भ के ५ निश्चित भेदों— अभिलाप, विरह, ईर्ष्या, प्रवास और शापहेतुक की गणना की है । अभिनवगुप्त ने विप्रलम्भ में वञ्चना को भी हेतु माना है । क्योंकि वञ्चना में अभिलषित विषय प्राप्त नहीं होता । तदनन्तर इनमें से प्रत्येक की अपने विभिन्न कारण रूप विभावों के भेद से, कार्यरूप अनेक अनुभावों के भेद से तथा ३३ व्यभिचारी भावों के भेद से अनेकता होती है । तदनन्तर इनके वन, पर्वत, नगर उद्यान, नदी, आदि स्थानों के भेद से, समय-दिन, रात्रि, प्रात साय, मध्याह्न, विभिन्न ऋतु आदि के आश्रय के एव अवस्था के भेद से असंख्येयता होती है । उन भेदों में से प्रत्येक के साथ अङ्गभूत अलंकारों का भी अन्यान्य सम्बन्ध स्थापित कर लिया जावे तो एक शृङ्गार रसध्वनि के ही इतने भेद हो जाते हैं, जिनको गिना नहीं जा सकता । सभी के भेदों की गणना करना तो असम्भव ही है । अतः शृङ्गार रसध्वनि का उदाहरण देकर आचार्य ने दिशामात्र प्रदर्शित कर दी है ॥१२॥

हिन्दी अर्थ—यहाँ दिशामात्र की ही वह दिया गया है, जिससे व्युत्पन्न सहृदयों की बुद्धि सब स्थानों पर प्रकाश को प्राप्त करने वाली होगी ॥१३॥

इस दिशामात्र का कथन करने से व्युत्पन्न सहृदयों की बुद्धि रस के एक ही भेद में अलङ्कारों के साथ अङ्गाङ्गिभाव के ज्ञान को प्राप्त करने से सब स्थानों पर प्रकाश को प्राप्त करने वाली होगी ।

अभिप्राय यह है कि रसादि ध्वनि के सभी भेदों को कहना असम्भव है । दिशानिर्देश के लिये कुछ भेद बह दिये हैं । इससे बुद्धिमान् सहृदय जन इसके सम्पूर्ण स्वरूप और भेदों की कल्पना स्वयं कर सकते हैं ।

तत्र—

शृङ्गाररयाङ्गिनो यत्नादेकरूपानुबन्धवान् ।

सर्वेष्वेव प्रभेदेषु नानुप्रासः प्रकाशकः ॥१४॥

शृङ्गिनो हि शृङ्गारस्य ये उच्यताः प्रभेदास्तेषु सर्वेष्वेकप्रकारानुबन्धितया प्रवृत्तोऽनुप्रासो न ध्यञ्जक । शृङ्गिन इत्यनेनाङ्गसूतस्य 'शृङ्गारस्यैकरूपानुबन्धयानुप्रासनिबन्धने कामचारमाह ॥१४॥

असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि के भेदों के दिशामात्र का ब्यथन करके ध्वनिवार शृङ्गार रस म अनुप्रास अलकार के निबन्धन के औचित्य के सम्बन्ध में कहते हैं—

हिन्दी अर्थ—उस असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि में—

शृङ्गीभूत (प्रधानभूत) शृङ्गार रस के सभी प्रभेदों में प्रयत्नपूर्वक एक ही प्रकार से निरन्तर निबद्ध होता हुआ अनुप्रास अलङ्कार रस का अमिध्यञ्जक नहीं होता ॥१४॥

प्रधानभूत शृङ्गार रस के जो प्रभेद कहे गये हैं, उन सब भेदों में एक ही प्रकार से निरन्तर निबद्ध होने पर अनुप्रास अलङ्कार उसका ध्यञ्जक नहीं होता । यहाँ 'शृङ्गिन' (प्रधानभूत का) कहने का अभिप्राय यह है कि जब शृङ्गार रस अग्रभूत होता है (गुणोभूत या रसवद् अलकार), उस अवस्था में एक रूप से निरन्तर अनुप्रास का निबन्धन करने में कवि की अपनी इच्छा है ।

अनुप्रास वाचवालाङ्कार है तथा यह वाच्य के द्वारा विद्यमान रस को अलङ्कृत करता है । यह ठीक है कि बोलम माधुर्याभिव्यञ्जक वर्णों वा अनुप्रास शृङ्गार रस को अलङ्कृत करता है, परन्तु यदि निरन्तर रूप से अनुप्रास का प्रयत्नपूर्वक निबद्ध किया जाये, तो वह उबाने वाला होकर रमनग वा कारण हो सकता है ।

यत्नात्—कारिका में 'यत्नात्' पद का प्रयोग दर्शनिये किया गया है कि अनुप्रास की योजना प्रयत्नपूर्वक नहीं लेनी चाहिये । यदि सहज रूप से अनुप्रास का समायोजन हो जाता है तो उसमें दोष नहीं है ।

एकरूपानुबन्धवान्—इस पद का अभिप्राय है कि अनुप्रास निरन्तर एकमात्र नहीं होना चाहिये । यदि अनुप्रास को सुन्दर रूप में विभिन्न रूपों में नियोजित किया जावे, तो इसमें दोष नहीं होगा और यह शृङ्गार रस को अलङ्कृत करेगा ।

शृङ्गिन—रगादि की प्राप्ति प्रथा होने पर भी अनुप्रास का यह निबन्धन दोषयुक्त होगा । रगादि के अङ्ग होने पर यह दोषयुक्त नहीं होगा ॥१४॥

शृङ्गार रस म अनुप्रास के निबन्धन को निषिद्ध करने समक प्रादि मन्दातङ्कारों को निषिद्ध करने हैं—

ध्वन्यात्मभूते शृङ्गारे यमकादिनिबन्धनम् ।

शक्तावपि प्रमादित्वं विप्रलम्भे विशेषतः ॥१५॥

ध्वनेरात्मभूतः शृङ्गारस्तात्पर्येण वाच्यवाचकाभ्याः प्रकाशयमान-
स्तस्मिन् यमकादीनां यमकप्रकाराणां निबन्धनं दुष्करशब्दभङ्गश्लेषादीनां
शरतावपि प्रमादित्वम् ।

प्रमादित्वमित्यनेन एतद्दर्शयते काकतालीयेन कदाचिन् कस्यचिदेकस्य
यमकादेर्निष्पत्तावपि भ्रूम्नात्रकारान्तरवद् रसाङ्गत्वेन निबन्धो न कर्तव्य
इति । विप्रलम्भे विशेषत इत्यनेन विप्रलम्भे सौकुमार्यातिशयः स्यात्प्यते ।
तस्मिन् द्योत्ये यमकादेरङ्गस्य निबन्धो नियमान्न कर्तव्य इति ॥१५॥

हिन्दी अर्थ—ध्वनि के आत्माभूत शृङ्गार रस में, और विशेष रूप से
विप्रलम्भ शृङ्गार में यमक आदि अलंकारों का निबन्धन करना सामर्थ्य होने पर भी
कवि के प्रमाद का सूचक है ॥१५॥

ध्वनि के आत्मभूत शृङ्गार रस में, जो कि तात्पर्य रूप से शब्द और अर्थ के
द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है, यमक आदि अलंकारों का और यमक के प्रकार के
एकल शब्दश्लेष, समझरलक्ष्य आदि अलंकारों का निबन्धन करना सामर्थ्य होने पर
भी कवि का प्रमादित्व सूचक है ।

प्रमादित्व पद से यह सूचित होता है कि यदि कभी काकतालीय न्याय से किसी
एक यमक आदि की रचना हो भी जावे, तो भी दूसरे अलंकारों के समान इस
अलंकार की रचना इस के अङ्ग के रूप में वाहुल्य से नहीं करनी चाहिये । 'विप्रलम्भे
विशेषतः' इन पदों से यह व्यक्त होता है कि विप्रलम्भ शृङ्गार में अतिशय सुकुमारता
होती है । विप्रलम्भ शृङ्गार के द्योतित होने पर यमक आदि अलंकारों का निबन्धन
रस के अङ्ग के रूप में नियमित नहीं करना चाहिये ।

ध्वनिवार के कथा का अभिप्राय यह है कि शृङ्गार रस और विशेषतः
विप्रलम्भ शृङ्गार रस अति सुकुमार होता है । उसमें यमक आदि अलंकारों की
प्रयत्नपूर्वक नियोजित करने से उनमें कठोरता आ सकती है । अतः इस विषय में कवि
को प्रमाद करना उचित नहीं ।

कारिका में 'यमकादि' पद के आदि से अभिप्राय है कि यमक के प्रकार से
अन्य अलंकारों का भी निबन्धन नहीं होना चाहिये । आदि शब्द के चार अर्थ होते
हैं—

आदिशब्द तु मेधावी चतुर्वर्थेषु भाषते ।

प्रकारे च व्यवस्थाया मामीधेऽनयवे तथा ॥

यहाँ आदि शब्द का प्रयोग सादृश्य के अर्थ में है । यमक के सदृश दुष्कर
शब्दालंकारों का निबन्धन नहीं होना चाहिये ।

दुष्परशब्दमङ्गलैवादीनाम—दुष्पर से अभिप्राय मुरजवध, चक्रवध आदि अनङ्कार है। शब्दभङ्गरेप स अभिप्राय है कि अक्षरान्त का निवर्तन दोषावह नहीं है। शब्दकाय भी यदि विनष्ट हो तो दाप उत्पन्न करता है। यदि यह सरन है तो दोषावह नहीं है।

इस प्रकार म शृङ्गार रस म बुद्ध अनवारो व निवर्तन को नियमित किया गया है, अतः सक्षप स उन अनवारा के स्वरूप का समझना उपयोगी होगा।

(१) यमक अलङ्कार—

सत्यथे पृथग्धाया स्वरव्यञ्जन सहते ।

ब्रमण तनैवावृत्ति यमक विनिगद्यत ॥ मा० द० १०८ ॥

साथक होने पर भिन्न भिन्न अथ वाचे स्वर और व्यञ्जना के समुदाय की यदि उसी प्रम से आवृत्ति हो तो यन् यमक अनवार होता है। यथा—

नवपनाशपनाशवन पर स्पुटपरागपरागत पङ्कजम ।

मृदुताततातमनानयात स मुरभि मुरभि मुमनाभरै ॥

यहाँ पनाश पलाश पराग पराग तात ततात और मुरभि मुरभिम् की आवृत्ति होने से यमक अलवार है।

(२) पद्मवध—


कुछ अलवार चित्र कहनात हैं जिनम पद्मवध लङ्गवध मुरजवध, चक्रवध, गोमूत्रिया सबोभद्र आदि आवृत्तियाँ प्रयत्नपूर्वक बनाए जाती हैं। इनम दिङ्मान्तिशान के निये पद्मवध का लक्षण किया जाता है—

वर्णिका च न्यमन्त्रेव द्विभु विद्विभु च ।

प्रया भो द्विभु व्रयान्प्लान्ममुज ॥ मरस्वतीवण्ठाभरण ॥

अच्छन्दन पद्मवध म त्व वण वर्णिका (बीजवाप) म रण और दिशा तथा विदिशात्रा म दो दा वण रस। दिशा विदिशात्रा म रस वर्णों का अनुनाम प्रतिनोम पाठ होना चाय। यथा—भागते प्रतिभासार स नाताहताविभा।

भाजिता मा शुभा यदि देपभाव त सभा ॥



(३) शब्दसमञ्ज श्लेष—

श्लेष अलङ्कार दो प्रकार का होता है—शब्दश्लेष और अर्थश्लेष । ध्वनिकार ने शृङ्गार रस की योजना में शब्दश्लेष के निवन्धन का निषेध किया है इसका उदाहरण इस प्रकार है—

वाच्यभेदेन भिन्ना यद् युगपद् भाषणस्पृश ।

श्लिष्यन्ति शब्दा श्लेषोऽसावक्षरादिभिरष्टधा ॥ वा० प्र० ६ ८४ ॥

अर्थ के भेद के कारण भिन्न भिन्न होते हुए भी शब्द जहाँ एक ही भाषण के विषय होकर क्लिष्ट हो जाते हैं, वह श्लेष अलङ्कार है । अक्षर आदि के भेद से वह आठ प्रकार का है ।

शब्दश्लेष को आचार्यों ने पुनः तीन भागों में विभक्त किया है—

१. पुनस्त्रिधा भङ्गोऽथाभङ्गस्तदुभयात्मक ॥ सा० द० १०.१२॥

वह पुनः सभङ्ग, अभङ्ग एवं उभयात्मक रूप से तीन प्रकार का है । जहाँ पदों को तोड़कर दोनों पक्षों का अलग अलग अन्वय बनाया जावे, वहाँ सभङ्गश्लेष होता है जहाँ पदों को तोड़े बिना ही अन्वय बनाया जावे, वहाँ अभङ्गश्लेष है उभयात्मक स्थिति होने पर उभयात्मक श्लेष होता है ।

यथा—

येन ध्वस्तमनोभवेन बलिजित्वाय पुरा स्त्रीवृत्तो
यश्चोद्भूतभुजङ्गहारवलयो गङ्गा च योऽधारयत् ।
यस्याहः शशिमच्छिरोरुह इति स्तुत्य च नामामरा
पायात्स स्वयमन्धकक्षयैरस्ता सर्वदोमाधव ॥

इस पद्य को विश्वनाथ ने सभङ्ग, अभङ्ग एवं उभयात्मक श्लेष के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है । इस पद्य में एत ही उच्चारण में विष्णु और शिव की स्तुति की गई है ।

विष्णु पक्ष में—स सर्वद माधव स्ता पायात्, येन अभवेन अन ध्वस्तम्, पुरा बलिजित्वाय स्त्रीवृत्त, य च उद्भूतभुजङ्गहा, रलय, य अग गा च आधारयत्, यस्य च शशिमच्छिरोरुह इति स्तुत्य नाम अमरा आह, स्वयम् अन्धकक्षयैरस्ता ।

सब बुद्ध देने वाले वे तक्षमीपति विष्णु तुम्हारी रक्षा करें, जन्म न लेने वाले जिसने शकटामुर का विनाश किया था, जिसने पहले समुद्रमन्थन के समय बलि को जीतने वाले शरीर को स्त्री रूप (मोहिनी रूप) में परिवर्तित कर लिया था, जिसने वृष्ण रूप में उच्छृंखल कालिय नाग का दमन किया था, जो श्रुतियों के शब्दों का रहस्य है, जिसने वृष्ण रूप में गोवर्धन पर्वत को धीरे बच्छप रूप में पृथिवी को धारण किया था, जिसने चन्द्रमा के नायक राहु के शिर को बाटने वाले स्तुत्य नाम का उच्चारण देवता करते हैं, और जिसने स्वयं यादवों (अन्धकारों) के निवास का या विनाश का सम्पादन किया था ।

रसाङ्गत्वे च तस्य लक्षणमपृथग्यत्ननिर्धेत्यमिति । यो रसं बन्धु-
मध्यवसितस्य फवेरलङ्कारस्ता वासनामत्सूह्य यत्नान्तरमास्थितस्य
निष्पद्यते स न रसाङ्गमिति । यमके च प्रबन्धेन बुद्धिपूर्वकं धियमाणे
नियमेनैव यत्नान्तरपरिग्रहं प्रापतति शब्दविशेषान्वेषणरूप ।

अलङ्कारान्तरेष्वपि तत्तुल्यमिति चेत् नैवम् । अलङ्कारान्तराणि
हि निरूप्यमाणदुर्घटनान्यपि रससमाहितचेतसः प्रतिभावतः फवेरहम्पूर्विकया
परापतन्ति । यथा कादम्बर्यां कादम्बरीदर्शनावसरे । यथा च मायाराम-
शिशरोदर्शनेन विह्वलाया सीतादेव्या सीता ।

नियोजन के नियम यदि कवि पृथक् से प्रयत्न करता है, तो वह उचित नहीं है । इससे
रस के प्रात्यादन में विघ्न उत्पन्न होगा है ।

हिन्दी अर्थ—अलङ्कार के रस के अङ्ग होने में उसका लक्षण है—बिना किसी
पृथक् यत्न के निष्पन्न होना (अपृथग्यत्ननिर्धेत्येव) । रस का निष्पन्न करने का
उद्योग करने वाले कवि को उस रसनिष्पन्न की वासना का प्रतिबन्धन करके जो
अलङ्कार दूसरे अतिरिक्त प्रयत्न करने पर निष्पन्न होता है, वह अलङ्कार रस का
अङ्ग नहीं है । यमक अलङ्कार की रचना निरन्तर यत्नपूर्वक बुद्धि का प्रयोग करके
नियम से की जाती है अतः उसके लिये शब्द विशेष की लोचन एवं सूतरा अतिरिक्त
प्रयत्न अवश्य करना पड़ता है ।

युक्तं चैतत्, यतो रसा वाच्यविशेषैरेवाक्षेप्तव्याः तत्प्रतिपादकंश्च शब्दः । तत्प्रकाशिनो वाच्यविशेषा एव रूपकादयोऽलङ्काराः । तस्मान्न तेषां बहिरङ्गत्व रसाभिध्यक्तौ । यमकदुष्परभागेषु तु तत् स्थितमेव ।

यत्तु रसयन्ति वागिच्छिद् यमकादीनि दृश्यन्ते, तत्र रसादीनामङ्गता, यमकादीनां त्वङ्गितय । रसाभासे चाङ्गत्वमप्यविरुद्धम् । अङ्गिताया तु व्यङ्ग्ये रसे नाङ्गत्व पृथग्प्रयत्ननिर्वर्त्याद् यमकादेः ।

प्रतिपक्षी यह आगङ्गा वर गन्ते है कि जिस प्रकार यमक आदि अलङ्कार यत्नान्तरमाध्य है, उस प्रकार अन्य अलङ्कार भी यत्नान्तरसाध्य हो सकते हैं । इसलिये रसध्वनि में अलङ्कारों का निवेशन रमचर्चणा में विघ्न करने वाला हो जायगा । इसका उत्तर ध्वनिवार देते हैं कि यह ठीक है कि वाच्य को पहचान उसमें नियोजित अलङ्कारों की रचना एसी पतीत होती है कि उसका लिम्बा बहुत कठिन है । परन्तु जो कवि रस के प्रति समाहित मन वाले हैं तथा प्रतिभाशाली हैं, जब वे काव्यों में इसकी योजना करते हैं तो अलङ्कार बिना किसी प्रयत्न के उनकी रचनाओं में निहित हो जाते हैं । उन अलङ्कारों के नियोजन के लिये वे अलग से प्रयत्न नहीं करते । इससे उदाहरण के रूप में ध्वनिकार ने 'कादम्बरी' काव्य के कादम्बरी के दर्शन के प्रसङ्ग को श्रीर 'सैतुवन्ध' के उस प्रसङ्ग को जबकि राम के नकली सिर को देखकर सीता विह्वल हो गई है, उद्धृत किया है । वे पून युक्ति देने हैं—

हिन्दी अर्थ—श्रीर यह ठीक ही है, रसों की व्यञ्जना क्योंकि वाच्यविशेषों से श्रीर वाच्यविशेष को प्रतिपादित करने वाले शब्दों से ही होती है । उन वाच्यविशेषों को प्रकाशित करने वाले रूपक आदि अलङ्कार वाच्यविशेष ही हैं । इस कारण से रस की अभिव्यक्ति में ये रूपक आदि अलङ्कार बहिरंग नहीं हैं । यमक आदि अलङ्कारों के सदृश दुष्पर (यत्नान्तरसाध्य) भाग में वह बाहिरङ्गता होती ही है ।

रसों की अभिव्यञ्जना वाच्यविशेष से तथा वाच्य अर्थ के प्रतिपादक शब्दों से होती है । इस प्रकार रस की अभिव्यञ्जना के प्रधान हेतु वाच्य अर्थ है । रूपक आदि अलङ्कार भी वाच्य अर्थ को प्रकाशित करते हैं, अतः वे भी वाच्यविशेष हैं । इस प्रकार वे रस के उपकारक होने से बहिरंग नहीं होंगे । यमक आदि अलङ्कारों में यह स्थिति नहीं है, अतः वे रस के लिये बहिरंग होंगे ।

प्रश्न पुनः उपस्थित होता है कि अनेक रसनिष्ठ वाच्यों में भी यमक आदि अलङ्कार दृष्टिगोचर होते हैं, उनमें अलङ्कारों की स्थिति को क्या कहा जावे ? इसका उत्तर है—

हिन्दी अर्थ—श्रीर जो कुछ यमक आदि अलङ्कार रससहित भी देखे जाते हैं, परन्तु वहाँ रस आदि प्रधान नहीं होते अपितु यमक आदि के अङ्गरूप में रहते हैं, वहाँ यमक आदि की ही अङ्गिता (प्रधानता) होती है । रस भास में यमक आदि को अङ्ग मानने में भी कोई विरुद्धता नहीं है । परन्तु जहाँ रस अङ्गी रूप से (प्रधान रूप से) व्यञ्जित हो रहा हो, वहाँ यमक आदि अलङ्कार पृथक् प्रयत्नों से सम्पादित होने के कारण उस रस के अङ्ग नहीं हो सकते ।

अस्यैवार्थस्य संग्रहश्लोका —

रसवन्ति हि वस्तूनि सालङ्काराणि फानिचित् ।
 एकेनैव प्रयत्नेन निर्वर्त्यन्ते महाकवे ॥
 यमकादिनिबन्धे तु पृथग्यत्नोऽस्य जायते ।
 शक्तस्यापि रसेऽङ्गत्वं तस्मादेषां न विद्यते ॥
 रसाभासाङ्गभावस्तु यमकादेर्न वार्यते ।
 ध्वन्यात्मभूते शृङ्गारे त्वङ्गता नोपपद्यते ॥१६॥
 इदानीं ध्वन्यात्मभूतस्य शृङ्गारस्य व्यञ्जकोऽलङ्कारवर्गं आख्यायते—
 ध्वन्यात्मभूते शृङ्गारे समीक्ष्य विनिवेशितः ।
 रूपकादिरलङ्कारवर्ग एति यथार्थताम् ॥१७॥

जिन स्थानों पर यमक आदि अलङ्कारों की रचना है, उनमें भी रस की निष्पत्ति देखी जा सकती है। परन्तु वहाँ रस प्रधान न होने से रसध्वनि नहीं होगी, परन्तु यमक आदि अलङ्कारों की प्रधानता होती है। वाच्यशास्त्री ऐसे वाच्य को चित्र-वाच्य कहते हैं, क्योंकि कवि वा प्रधान उद्देश्य रस की अभिव्यञ्जना नहीं है, अपितु यमक आदि अलङ्कारों की रचना के कौशल को प्रदर्शित करना है। रसाभाव ध्वनि में ध्वनिवार ने कवि को यह स्वतन्त्रता दी है कि वह अङ्ग के रूप में यमक आदि अलङ्कारों का निवेशन कर सकता है। परन्तु रसध्वनि आदि अलङ्कार यत्नान्तरमाध्य होने के कारण अङ्ग रूप में नियोजित नहीं हो सकते।

यमक आदि अलङ्कारों के विषय में ध्वनिवार ने गद्य में जो कुछ कहा है, उसी की पुष्टि के लिये श्लोक से उमने श्लोकों की रचना की है—

हिन्दी अर्थ—इसी अर्थ को प्रतिपादित करने वाले सग्रह श्लोक हैं—

रस से युक्त वस्तुयें (वाच्य), जो कुछ अलङ्कारों से युक्त होती हैं, ये महाकवि के एक ही प्रयत्न द्वारा सम्पादित की जाती हैं। इस वाच्य में यमक आदि अलङ्कारों के निबन्धन में कवि को समर्थ होते हुए भी पृथक् प्रयत्न करना पड़ता है, अतः ये अलङ्कार रसध्वनि के अङ्ग नहीं बनते। रसामास ध्वनि में यमक आदि की अङ्गरूप से निष्पादित करने का विरोध नहीं है। परन्तु ध्वनि के आत्मभूत शृङ्गार रस में इन यमक आदि अलङ्कारों का अङ्गत्व उचित नहीं है ॥१६॥

शृङ्गार आदि रसों के नियोजन में यमक आदि अलङ्कारों का निर्णय करने इनमें उपादेय अलङ्कारों का ध्यान किया जाता है—

हिन्दी अर्थ—अथ ध्वनि के आत्मभूत शृङ्गार रस का व्यञ्जक अलङ्कार वर्ग कहा जाता है—

ध्वनि के आत्मभूत शृङ्गाररस में समीक्षा करके (सोच समझकर उचित रूप से निवेशित किया गया यमक आदि अलङ्कारों का समूह यथायथा ही प्राप्त करना है (वाच्य का हेतु होता है) ॥१७॥

अलङ्कारो हि बाह्यालङ्कारसाम्प्रदायिन्श्चारत्त्वहेतुरच्यते ।
वाच्यालङ्कारवर्गश्च रूपकादिर्वाचानुक्तो, वक्ष्यते च कंदिचद्, अलङ्काराणाम-
नन्तत्वात्, स सर्वोऽपि यदि समीक्ष्य विनिवेश्यते तदलक्ष्यप्रमव्यङ्ग्यस्य
ध्वनेरङ्गिनः सर्वस्यैव चारत्त्वहेतुनिष्पद्यते ॥१७॥

एसा चास्य विनिवेशने समीक्षा—

द्विवक्षा तत्परत्वेन नाङ्गित्वेन कदाचन ।

काले च ग्रहणत्यागी नाति निर्वहर्णपिता ॥१८॥

निर्व्यूढाद्यपि चाङ्गत्वे यत्नेन प्रत्यवेक्षणम् ।

रूपकादिरलङ्कारवर्गस्याङ्गत्वसाधनम् ॥१९॥

बाह्य शुषुष्ठा आदि अलङ्कारो के समान होने से वाच्य का अलङ्कार अङ्गी
रस का चारत्व हेतु फहा जाता है । वाच्य अलङ्कारो का सम्पूर्ण समूह, जितना कि
प्राचीन आचार्यों ने रूपक आदि के रूप में वर्णन किया है, और जो आगे किन्हीं
आचार्यों द्वारा वर्णन किया जायेगा, क्योंकि अलङ्कार अनन्त हैं, उस सबको यदि
समीक्षा करके विनिवेशित किया जावे तो वह सब प्रधानभूत सम्पूर्ण अलक्ष्यप्रमव्यङ्ग्य
ध्वनि का चारत्वहेतु निष्पन्न होता है ॥१७॥

भाव यह है कि रूपक आदि वाच्य अलङ्कार रसध्वनि के सौन्दर्य के हेतु होते
हैं । ये अलङ्कार प्राचीन भामह आदि आचार्यों द्वारा चारत्वहेतु कहे गये हैं, अतः रस
के भी चारत्वहेतु हो सकते हैं । वाच्य अलङ्कार अनन्त हैं । कुछ रूपक आदि अलङ्कारो
का वर्णन भामह आदि आचार्य कर चुके हैं, और कुछ का वर्णन भविष्य में अन्य
आचार्य करेंगे । ये सभी अलङ्कार रस के अङ्गरूप में रह सकते हैं । परन्तु ये रस के
चारत्वहेतु तभी होंगे, जबकि इनका विनिवेशन समीक्षा करके उचित रूप में किया
जावे ।

समीक्ष्य—ध्वनितार ने वाच्यालङ्कारो को रस का चारत्वहेतु उसी अवस्था
में स्वीकार किया है, जबकि उसका निवेशन समीक्षा करके किया जावे । समीक्षा
करने का अभिप्राय यह है कि उनको उचित रूप से निवेशित किया जाये । समीक्षा
की व्याख्या ध्वनितार ने अगली दो वारिकाओं में की है ॥१७॥

हिन्दी अर्थ—इस रूपकादि वर्ग के विनिवेशन में समीक्षा यह है—

रूपकादि को विवक्षा उस रस के परत्य से ही होनी चाहिये, अङ्गीरूप में
कमी नहीं होनी चाहिये । समय पर उसका ग्रहण करना चाहिये और समय पर उसका
त्याग कर देना चाहिये । उसके निर्वहण की अत्यधिक दूर तक इच्छा नहीं होनी
चाहिये । अलङ्कार का निर्वहण हो जाने पर भी धनपूर्वक यह देखना चाहिये कि वह
अङ्गरूप में रहे । इस प्रकार रूपक आदि अलङ्कारो के अङ्गत्व का साधन होता
है ॥१८, १९॥

रसबन्धेष्व्वावृतमना कविर्यमलङ्कार तदङ्गतया विवक्षति । यथा—
 चालपाङ्गा वृष्टि स्पृशःस बहुशो वेपथुमतीं
 रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदु कर्णान्तिकचर ।
 करौ व्याधुन्वन्त्या पिबसि रतिसर्वस्वमधर
 वय तत्वान्वेषान्मधुकर हतास्त्व खलु कृती ॥
 अत्र हि भ्रमरस्वभावोक्तिरलङ्कारो रसानुगुण ।

रसध्वनि म रूपक आदि अलङ्कारों के निवेशन की समीक्षा छ प्रकार से की जाती है—

(१) रूपक आदि अलङ्कारों का जो ब्यक्त किया जाव, वह सदा रस के निमित्त से उसके अङ्ग रूप ही करना चाहिये ।

(२) रूपक आदि अलङ्कारों का निवेशन अङ्गी रूप म कभी नहीं करना चाहिये ।

(३) इन अलङ्कारों के अङ्ग रूप म विवक्षित होन पर भी अक्सर के अनुसार ही इनका ग्रहण करना चाहिये ।

(४) अक्सर के अनुरूप इनका त्याग भी कर देना चाहिये ।

(५) रस के निर्वाह म दत्तचित्त होना हुआ कवि उस अलङ्कार का बहुत दूर तक निर्वाह करने की इच्छा न करे ।

(६) अलङ्कारों का निर्वाह हो जाने पर भी कवि को इस बात के लिये सदा सावधान रहना चाहिये कि वे अङ्ग रूप म ही रहें ।

अलङ्कारों के विनिवेशन की समीक्षा करके अब आचार्य समीक्षा के प्रत्येक अङ्ग के उदाहरण प्रस्तुत करेंगे । छ अङ्गों के छ उदाहरण हैं । प्रत्येक उदाहरण से पूर्व के पद— यमरङ्कार तदङ्गतया विवक्षति, 'नाङ्गित्वेनति न प्राधान्येन', 'यमवसरे गुह्यति नानवसरे', 'गुहीतमपि यमवसरे त्यजति', 'य च नात्यन्त निर्वो-
 दुमिच्छति' और 'य यत्नादङ्गित्वेन प्रत्यवेक्षत' अगले पद—'स एवमुपनिबध्य-
 मानोजलङ्कारो रसाभिव्यक्तिहेतु कवेर्भवति' से मिनकर एक लम्बे महावाच्य को बनाते हैं । प्रथम पद की सङ्गति अन्तिम पद स लगती है तथा मध्य म उदाहरण दिये गये हैं ।

(१) रस के नियोजन मे आदर से युक्त मन वाला कवि जिस अङ्गुसार को जत रस के अङ्ग रूप से कहना चाहता है उसका उदाहरण । जैसे—

हे मधुकर ! तुम इस शकुन्तला को बापती हुई घञ्चल कटाशों वाली हृदि का बहुत अधिक स्पर्श कर रहे हो, रहस्य को निवेदन करने वाले के समान कान के समीप विचरण करते हुये कोमलता से गुनगुनाते हो, हाथों को इपर उपर भटकती हुई इस शकुन्तला के प्रेम के सर्वस्व अक्षर का पान करते हो । हम तो तप्य को (यथायं बात को कि यह शकुन्तला क्षत्रिय से विवाह के योग्य है या नहीं) खोजने में ही मारे गये हैं । तुम वस्तुतः सौभाग्यशाली हो ।
 यहाँ भ्रमर के स्वभाव का बहान करने रूप स्वभावोक्ति अलङ्कार रस के अनुगुण हैं ।

नाङ्गित्वेनेति न प्राधान्येन । कदाचिद् रसादितात्पर्येण विवक्षितो-
ऽपि ह्यलङ्कारः कश्चिदङ्गित्वेन विवक्षितो दृश्यते । यथा—

चक्राभिघातप्रसभाज्ञयैव चकार यो राहुयधूजनस्य ।

आलिङ्गनोद्दामविलासवन्ध्यं रतोत्सवं चुम्बनमात्रदोषम् ॥

अत्र हि पर्यायोक्तस्याङ्गित्वेन विवक्षा रसादितात्पर्ये सत्यपीति ।

यह श्लोक कण्व के तपोवन में बाटिका के सिञ्चन में लगी हुई शकुन्तला को छिपकर देखने वाले दुष्यन्त द्वारा कहा गया है, जबकि शकुन्तला ने ऊपर एक भँवरा मडरा रहा है ।

इस पद्य से कवि में दुष्यन्त की शकुन्तला के प्रति रति को व्यक्त किया है कि वह शकुन्तला के नेत्र प्रान्तों का स्पर्श करना चाहता है, वह उससे प्रेम निवेदन करना चाहता है और उसके अघर का पान करना चाहता है । इसमें भ्रमर के स्वाभाविक कार्य का वर्णन करने से स्वभावोक्ति अलङ्कार भी है । यह स्वाभावोक्ति अलङ्कार शृङ्गार का उपचारक होकर उसके अङ्ग रूप में स्थित है ।

(२) हिन्दी अर्थ—'नाङ्गित्वेन' पद का अर्थ है कि अलङ्कार का नियोजन प्रधान रूप से नहीं करना चाहिये । कभी कोई अलङ्कार रस आदि के तात्पर्य से विवक्षित होता हुआ भी अङ्गी रूप से विवक्षित देखा जाता है । जैसे—

हिन्दी अर्थ—विष्णु ने चक्र के प्रहार रूप अपनी प्रथम आना से ही राहु को पत्निधी के मुरत के उत्सव को आलिङ्गनो के उद्दाम विलास से रहित तथा चुम्बन-मात्रावशिष्ट कर दिया ।

यहाँ रसादि के तात्पर्य होने पर भी पर्यायोक्त अलङ्कार की अङ्गी रूप से विवक्षा है ।

इस श्लोक में समुद्रमन्थन के समय की उत घटना का वर्णन है, जबकि राहु नामक दैत्य ने देवताओं का सा रूप बनाकर और देवताओं की पक्ति में बैठकर मोहिनी रूप धारी विष्णु के हाथ से अमृत का पान कर लिया था । राहु ने दैत्यत्व को जानकर विष्णु ने तुरत ही उसका मिर चत्र से काट दिया । अमृत का पान करने से दो टुकड़ों में विभक्त होने पर भी वह मरा नहीं । उसका मिर राहु तथा धड़ बेलु के नाम से प्रसिद्ध हुआ ।

इस पद में विष्णु द्वारा चत्र-प्रहार से राहु की पत्नियों के लिये पति के आलिङ्गन का निषेध करने से और रतोत्सव चुम्बनमात्र रह जाने से उनके मिर का कट जाना व्यक्त होता है । इस प्रकार राहु के मिर के कटने को प्रकारान्तर से कहने से यहाँ पर्यायोक्त अलङ्कार है ।

यद्यपि यहाँ विष्णु के पराक्रम के प्रतिशय का वर्णन करने में और रस व्यक्त हुआ है तथा यहाँ अर्थ यहाँ प्रधान है, तथापि पर्यायोक्त अलङ्कार की यही प्रधान रूप से विवक्षा है ।

अङ्गत्वेन विवक्षितमपि यमवसरे गृह्णाति नानवसरे । अथवसरे
गृहीतिर्यथा—

उद्दामोत्कलिकां विपाण्डुररुचं प्रारब्धजुम्भां क्षणा-
दायासं श्वसनोद्गमेरविरलैरातन्वतीमात्मनः ।
अद्योद्यानलतामिमां समदनां नारीमिवान्यां ध्रुवं
पश्यन् कोपविपाटलद्युति मुखं देव्याः करिष्याम्यहम् ॥

इत्यत्र उपमा श्लेषस्य ।

गृहीतमपि यमवसरे त्यजति तद्रसानुगुणतयालङ्कारान्तरापेक्षया ।

यथा—

यहाँ यह शङ्का उत्पन्न होती है कि यदि रस पद्य में पर्यायोक्त अलङ्कार ही प्रधान रूप से विवक्षित है, रस आदि नहीं, तो यह कैसे कहा गया कि "रस आदि में 'तात्पर्य होने पर भी' । ऐसा नहीं है । यहाँ विष्णु के प्रताप का वर्णन करना विवक्षित है । परन्तु वह चारुत्व वा हेतु नहीं है । चारुत्व वा हेतु तो पर्यायोक्त ही है । यद्यपि इस काव्य में किसी दोष की आशङ्का नहीं करनी चाहिये तथापि यह एक प्रकार का दृष्टान्त है—कभी-कभी अङ्गभूत अलङ्कार भी प्रकृत पोषणीय वस्तु के स्वरूप को तिरस्कृत कर देता है । इस प्रकार उसमें कभी कभी अनौचित्य आ जाता है । इसी को ग्रन्थकार आगे कहेंगे—महात्माओं के दोष को उद्घाटित करना अपना ही दोष है, अतः दोष के उदाहरण के रूपों में इसको नहीं दिया गया । (पृष्ठ २०६ पर) ।

(३) अङ्ग के रूप में विवक्षित होने पर भी जिस अलङ्कार को अथवसरे में ही ग्रहण करता है, अथवसरे न होने पर नहीं । अथवसरे पर ग्रहण करना, जैसे—

प्रचुरमात्रा में कल्पियों से युक्त होती हुई (नारी पक्ष में—प्रबल उत्कण्ठा से युक्त), कल्पियों के कारण श्वेत कान्ति वाली (नारी पक्ष में—गोरे बर्ण की), विकसित होती हुई (नारी पक्ष में—जंभाई लेती हुई), निरन्तर वायु के झोंकों से उस समय कम्पित होती हुई (नारी पक्ष में—लम्बी साँसों को निरन्तर लेकर उस समय अपने कण्ठ को प्रकट करती हुई), मदन नामक वृक्ष से लिपटी हुई (काम के आवेश से युक्त होती हुई इस उद्यान की लता को परकीया नारी के समान देखता हुआ मैं निरचय रूप से देवी विलासयती के मुख को क्रोध से लाल कान्ति वाला कर दूँगा । यहाँ उपमा-श्लेष के ग्रहण का अथवसरे है ।

यह श्लोक 'रत्नावली' नाटिका का है, जबकि दोहद विशेष के प्रयोग से नव-मालिका को पुष्टिपत देस कर राजा उदयन अपने विदूषक से इस उक्ति को बह रहा है । इसमें लता और नारी में उपमेव-उपमान भाव होने से उपमा अलङ्कार है तथा 'समदनाम्' शक्ति विन्द्य विशेषणों में श्लेष अलङ्कार है । श्लोक का तात्पर्य ईर्ष्यावि-प्रलम्भ की अभिव्यक्ति में है । अथवसरे के अनु रूप होने के कारण बहि ने ईर्ष्याविप्रलम्भ के चारुत्व के लिये अङ्ग रूप में श्लेष और उपमा को ग्रहण किया है ।

(४) ग्रहण किये गये भी उस अलङ्कार को उस रस के अनुगुण अलङ्कारान्तर की अपेक्षा से छोड़ देता है । जैसे—

रक्तस्त्वं नवपल्लवरहमपि श्लाघ्यैः प्रियाया गुणै—
 त्वामायासित शिलीमुखा स्मरधनुमुक्ता. सखे मामपि ।
 कान्तापादतलाहतिस्तवमुदे तद्वन्ममाप्यावयोः
 सर्वं तुल्यमशोक केवलमहं धात्वा सशोकः कृतः ॥

अत्र हि प्रबन्धप्रवृत्तौऽपि श्लेषो व्यतिरेकविवक्षया त्यज्यमानो रस-
 विशेषं पुष्पाति ।

हे अशोक वृक्ष ! तुम अपने नवीन पल्लवों से ताल (रक्त) हो रहे हो, मैं भी अपनी प्रिया के गुणों के प्रति अनुरक्त (रक्त) हो रहा हूँ । तुम्हारे पास भरि (शिलीमुख) आते हैं और हे मित्र ! मेरे पास भी कानदेव के धनुष से छोड़े गये बाण (शिलीमुख) आते हैं । रमणियों (कान्ता) के पँरों का प्रहार करना तुम्हारे विकसित होने के लिये (मुदे) होता है और प्रियतमा (कान्ता) के पँरों का प्रहार मेरी प्रसन्नता के लिये (मुदे) होता है । हम दोनों में सब कुछ समान है । केवल विधाता ने मुझको शोक सहित बना दिया है । (मैं शोकसहित = अशोक हूँ और तुम शोकरहित (अशोक) हो ।

इस पद्य में यद्यपि 'रक्तस्त्व' आदि पदों से प्रबन्ध में श्लेषभ्रलङ्कार का प्रयोग किया जा रहा था, तथापि व्यतिरेक की विवक्षा से परित्यक्त होता हुआ वह रस विशेष (विप्रलम्भ शृङ्गार) को पुष्ट करता है ।

यह पद्य भी 'रत्नावली' नाटिका का है । सागरिका के विरह से पीड़ित उदयन अशोक के वृक्ष को लक्ष्य करके पहले तो श्लेष के द्वारा उसके साथ अपने साहस्य का कथन करते हैं तथा अन्त में व्यतिरेक के द्वारा भेद बताते हैं । इसमें यद्यपि पद्य के तृतीय पाद तक श्लेष का नियोजन चल रहा है, तथापि विप्रलम्भ शृङ्गार के उपचारक व्यतिरेक भ्रलङ्कार के नियोजन की अपक्षा से कवि ने उसका नियोजन चतुर्थ पाद में नहीं किया, वहाँ व्यतिरेक भ्रलङ्कार को नियोजित किया । इस प्रकार अवसर न होने के कारण श्लेष का परित्याग करना भी यहाँ विप्रलम्भ शृङ्गार को पुष्ट कर रहा है ।

इस प्रसङ्ग में ध्वनिकार ने एक विवाद प्रस्तुत किया है । भ्रलकारों का सम्बन्ध दो प्रकार से होता है—समृष्टि और सवर । जहाँ दो भ्रलङ्कार स्वतन्त्र रूप से एक वाक्य में रहते हैं, वहाँ समृष्टि होती है तथा यह कहा जा सकता है कि इस वाक्य में दो भ्रलङ्कारों का सम्मिश्रण है । जहाँ दो भ्रलङ्कार एक ही वाक्य में परस्पर इस प्रकार मिल जाव कि उनको पृथक् न किया जा सके, उसको सवर कहते हैं । प्राचीन भ्रलकारिकों का कथन है कि सवर में दो भ्रलङ्कारों की पृथक् स्थिति नहीं रहती, अपितु दोनों भ्रलङ्कार मिल कर एक हो जाते हैं । प्रस्तुत पद्य में प्राचीन भ्रलकारिकों के पक्ष को प्रस्तुत करके ध्वनिकार ने उनका खण्डन करके अपने पक्ष का सम्पादन किया है । प्राचीन भ्रलकारिकों का पक्ष है कि प्रस्तुत पद्य में दो भ्रलङ्कार स्वतन्त्र रूप से नहीं हैं, अपितु श्लेष और व्यतिरेक के सवर से श्लेष व्यतिरेक लक्षण नामक भ्रलङ्कार है । इसलिये यहाँ भ्रलङ्कारान्तर की विवक्षा से प्रथम उचित भ्रलङ्कार के परित्याग का प्रश्न उभयन्त नहीं होता । ध्वनिकार का पक्ष है कि यहाँ श्लेष और व्यतिरेक की सत्ता स्वतन्त्र रूप से विद्यमान है तथा यहाँ इन दोनों की समृष्टि है । इस स्थिति को प्रयोग-
 सार के रूप में प्रस्तुत करते हैं—

नात्रालङ्कारद्वयसन्निपातः, किन्तु हि, अलङ्कारान्तरमेव श्लेषव्यतिरेकलक्षणं नरसिंहवदिति चेत् ? न । तस्य प्रकारान्तरेण व्यवस्थापनात् । यत्र हि श्लेषविषय एव शब्दे प्रकारान्तरेण व्यतिरेकप्रतीतिर्जायते, स तस्य विषयः । यथा—

“सहरिर्नाम्ना देवः सहरिर्वरतुरगनिवहेन”

इत्यादौ ।

अत्र ह्यन्य एव शब्दः श्लेषस्य विषयोऽन्यश्च व्यतिरेकस्य । यदि चैवंविधे विषयेऽलङ्कारान्तरत्वकल्पना क्रियते तत्समृष्टेर्विषयापहार एव स्यात् । श्लेषमुखेनैवात्र व्यतिरेकस्यात्मलाभ इति नायं समृष्टेर्विषय इति चेत् ? न । व्यतिरेकस्य प्रकारान्तरेणापि दर्शनात् । यथा—

हिन्दी अर्थ—

पूर्वपक्षी—यहाँ दो अलङ्कारों का सन्निपात नहीं है ।

ध्वनिकार—तो क्या है ?

पूर्वपक्षी—नरसिंह के समान यहाँ श्लेष और व्यतिरेक को मिलाकर श्लेष-

व्यतिरेक नाम का दूसरा अलङ्कार है । जिस प्रकार आधा शरीर मनुष्य वा मिलकर एक शरीर नरसिंह का बना, उसी प्रकार श्लेष और व्यतिरेक को मिलाकर श्लेष-व्यतिरेक नाम वाला दूसरा अलङ्कार (एकाधयानुप्रवेशसङ्कर) हो जायेगा ।

ध्वनिकार—ऐसा नहीं है । उस एकाधयानुप्रवेश सङ्कर अलङ्कार की स्थिति दूसरे प्रकार से होती है । जहाँ श्लेष अलङ्कार के विषयभूत श्लेष शब्द में ही प्रथमान्तर से व्यतिरेक अलङ्कार की प्रतीति होती है, यह ही उसका विषय है । एकाधयानुप्रवेश सङ्कर वहाँ होता है जहाँ एक ही पद में दो अलङ्कारों की प्रतीति होती है (एकग्रहि विषयेऽलङ्कारद्वयप्रतिभोल्लास सङ्कर—अभिनवगुप्त) । जैसे—

“यह देव तो नाममात्र से ‘सहरि’ है और यह देव थोड़े घोड़ों के समूह के कारण सहरि है ।”

इत्यादि उदाहरणों में श्लेष और व्यतिरेक अलङ्कार दोनों एक ही पद ‘सहरि’ में आधित हैं, घन यहाँ श्लेष और व्यतिरेक का एकाधयानुप्रवेश सङ्कर है ।

यहाँ “रक्तस्त्वं नवपल्लवैः” पद्य में श्लेष का विषय अन्य (रक्त आदि पद) हैं और व्यतिरेक का विषय अन्य पद (समोक् और धमोक्) हैं । घन एकाधयानुप्रवेशसङ्कर नहीं हो सकता । यदि इस प्रकार के विषय में भी दूसरे अलङ्कार (एकाधयानुप्रवेशसङ्कर) की बल्पना की जावे तो समृष्टि के विषय का ही अपहार हो जायगा । अर्थात् वही भी अलङ्कारों की समृष्टि नहीं हो सकेगी ।

हिन्दी अर्थ—पूर्वपक्षी—श्लेष के द्वारा ही यहाँ व्यतिरेक अलङ्कार की सिद्धि होती है, घन. यह समृष्टि नहीं है । अर्थात्—यदि यहाँ एकाधयानुप्रवेशसङ्कर न माना जावे तो अज्ञानिभाव सङ्कर होगा । इसका कारण यह है कि व्यतिरेक अलङ्कार उपमागर्भ होता

नो कल्पापाययाधोरद्वययदत्तत्कमाधरस्यापि शम्भा
 गाढोद्गोर्णोज्ज्वलधोरहनि न रहिता नो तमः फज्जलेन ।
 प्राप्तोत्पत्तिः पतद्भ्रान्न पुनपरपगता भोषमुष्णसियदो घो
 यतिः सेवान्यरूपा मुखयतु निखिलद्वीपद्वीपस्य दीप्तिः ॥
 अत्रहि साम्प्रप्रचप्रतिपादनं विनैव व्यतिरेको दक्षित ।

नाप्रश्लेषमात्राच्चारत्वनिष्पत्तिरस्तीति श्लेषस्य व्यतिरेकाद्भूत्वेनैव
 विपक्षित्यात् न स्वतोऽलङ्काररतेऽपि न चाच्यम् । अत एवविधे विपक्षे
 साम्प्रमात्रादपि सुप्रतिपादिताच्चारत्वं दृश्यत एव । यथा—

ही धीर उपमा (गजा उदयन धीर अर्धोऽथ वृधा मे साम्प्र) । यही श्लेष के द्वारा ही प्रतीत
 होती है, अत श्लेष अलङ्कार व्यतिरेक अलङ्कार वा अनुप्राहक है । इन दोनों म अनुप्रा-
 हकानुप्राहकभाव होने से अङ्गातिभाव सङ्कर होगा ।

ध्वनिकार—नहीं, ऐसा नहीं है । व्यतिरेक अलङ्कार को उपमागर्भ ही कहा
 जावे, उपमा के द्वारा ही उत्तरी निष्पत्ति ही, ऐसा नहीं है, क्योंकि व्यतिरेक अलङ्कार
 प्रसारान्तर से भी, उपमा के बिना भी देगा जाता है । जैसे—

सम्पूर्ण द्वीपों को प्रकाशित करने वाले भगवान् सूर्य को सोचोत्तर दीप्ति रूप
 शक्ती, जो कि निर्दयता से पर्वतों या भी दत्त करने वाले प्रलयरासीन वायु से भी
 नहीं भुञ्जाई जा सकती, जो दिन में अत्यधिक उज्ज्वल प्रकाश को देने वाली है,
 अन्धकार रूपी राजस से रहित नहीं है, अर्थात् उससे रहित है, पतङ्ग (सूर्य) से वह
 उत्पत्ति को प्राप्त करती है, परन्तु पतङ्ग (कीड़े) से यह बुझती नहीं है, वह आपकी
 सुखी करे ।

यही शौक्विक उपमान दीपक की वक्ती की अगशा उपमेय सूर्य की दीप्ति रूप
 शक्ती में गुणों का अतिशय विराया गया है, अत व्यतिरेक अलङ्कार है ।

इस उदाहरण में साम्प्र के फथन के बिना ही व्यतिरेक अलङ्कार दिखाया
 गया है ।

भाव यह है कि जब उपमा प्रतीपमान होती है, स्वशब्दवाच्य नहीं होती, तभी
 वह व्यतिरेक अलङ्कार की अनुप्राहिणी होती है । इस "रक्तस्त्वम्" उदाहरण में,
 श्लेषोपमा के स्व शब्दवाच्य होने के कारण इसको व्यतिरेक वा अनुप्राहक मानने की
 आवश्यकता नहीं है । अत इस उदाहरण में श्लेष और व्यतिरेक वा सङ्कर नहीं है,
 समुष्टि ही है ।

हिन्दी अर्थ—पूर्वपक्षी—इन "रक्तस्त्वम्" उदाहरण में श्लेषमात्र से चारुत्व
 की निष्पत्ति नहीं होती, अत श्लेष अलङ्कार व्यतिरेक के अङ्ग रूप में ही विवक्षित है,
 उसमें स्वत अलङ्कारत्व नहीं है ।

पूर्वपक्षियों का कथन है कि यह ठीक है कि "नो कल्पापाययाधो" उदाहरण,
 में साम्प्र को प्रदर्शित क्रिये बिना व्यतिरेक अलङ्कार है, परन्तु "रक्तस्त्वम्" उदाहरण
 में तो श्लेषोपमा द्वारा ही व्यतिरेक की निष्पत्ति होती है । क्योंकि यहाँ व्यतिरेक के
 बिना अनेके श्लेषोपमा से चारुत्व की निष्पत्ति नहीं होती अत श्लेषोपमा को स्वतन्त्र
 अलङ्कार नहीं मान सकते । श्लेषोपमा से उपकृत व्यतिरेक ही यहाँ चारुत्व की निष्पन्न
 करता है, इसलिये इस उदाहरण में श्लेष और उपमा वा अङ्गातिभाव सङ्कर है ।
 समुष्टि नहीं है ।

हिन्दी अर्थ—ध्वनिकार—ऐसा कहना ठीक नहीं है कि बिना व्यतिरेक के केवल
 श्लेषोपमा से चारुत्व की निष्पत्ति नहीं है अत इस उदाहरण में श्लेष अलङ्कार के

आश्रन्दा स्तनितैर्विलोचनजलान्यश्रान्तधाराम्बुभि—
स्तद्विच्छेदभुवश्च शोकशिखिनस्तुल्यास्तडिद्विभ्रमे ।
श्रन्तमै दयितामुखं तव शशी वृत्तिः समवाययो
स्तत् किं मामनिश सखे जलधर त्व दग्धुमेयोद्यतः ॥
इत्यादौ ।

रसनिर्वहणैकतानहृदयो यञ्च नात्यन्तं निर्वोढुमिच्छति । यथा—

व्यतिरेक वेगनुग्राहक के रूप में होने से अज्ञाङ्गिभाव सङ्कर है । वस्तुतः यहाँ श्लेष स्वतन्त्र अलङ्कार है और व्यतिरेक का वह अङ्ग नहीं है । श्लेष अङ्कार से भी यहाँ चास्त्व की निष्पत्ति है । क्याकि इस प्रकार के विषय में (व्यतिरेक में) केवल साम्य मात्र के अच्छी प्रकार से प्रतिपादन करने से (श्लेष के बिना) वह चास्त्व दृष्टिगोचर होताही है । जैसे कि—

हे मित्र मेघ ! मेरे विषोग जनित आश्रन्दन तुम्हारी गजनाभो के समान हैं, आँखों से बहने वाले आँसू तुम्हारे निरन्तर बरसने वाली जल की धाराओं के समान हैं, उस प्रियतमा के विषोग से उत्पन्न होने वाली शोकरूपी अग्निर्वा तुम्हारे विजलियों के विलासों के समान हैं, मेरे हृदय के अन्दर प्रियतमा का मुख है और तुम्हारे अन्दर चन्द्रमा छिपा है । इस प्रकार हम दोनों की वृत्ति समान ही है । तो तुम किस कारण से बिन रात मुझको जलाने के लिये उद्यत हो रहे हो ।

इत्यादि उदाहरणों में श्लेष में रहित साम्य का चास्त्व है । इस पद्य के पहले तीन चरणों में वक्ता ने अपना और मेघ का साम्य प्रदर्शित किया है एवं चौथे चरण में व्यतिरेक दिगाया है । यह साम्य श्लेष के बिना ही है और व्यतिरेक का अङ्ग नहीं है अतः स्वयं चास्त्व का हेतु है । इसलिये यह पटना कि इस प्रकार के उदाहरणों में श्लेषोपमा व्यतिरेक का अङ्ग है, या व्यतिरेक उपमागर्भ ही होता है, अतः "रसस्त्वमू०" में अज्ञाङ्गिभाव-सङ्कर है ठीक नहीं । इसमें श्लेष और उपमा की समृष्टि ही माननी चाहिये ? इसलिये इस उदाहरण में पद्य तीन चरणों में प्रदर्शित होने वाले श्लेष का, चतुर्थ चरण में व्यतिरेक की अगत्या में परित्याग किया गया है, वह ठीक ही है ।

(५) रस के निवृत्त में एकाग्रमन वक्ता यदि जिनका अत्यधिक दूर तक निर्वाह करता नहीं चाहता । जैसे—

कोपात् कोमललोलघाहुलतिकापाशेन बद्ध्वा दृढं
नीत्वा चासनिकेतन दपितया साय सखीना पुर ।
भूयो नंबमिति स्खलत्कलगिरा ससूच्य दुश्चेष्टितं
धन्यो हन्यत एव निह्नुत्तिपरः प्रेयान् रुदया हसन् ॥

अत्र हि रूपकमाक्षिप्तमनिर्घूढे पर रसपुष्टये ।

निर्वाहुमिष्टमपि य यत्नादङ्गत्वेन प्रत्यवेक्षते । यथा—

श्यामास्वङ्गं चकितहरिणीप्रेक्षणे दृष्टिपात
गण्डच्छाया शशिनि शिखिना वर्हभारेषु केशान् ।

उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिषु भ्रूविलासान्
हन्तैकस्य क्वचिदपि न ते भीरु सादृश्यमस्ति ॥

इत्यादी

कोप के कारण अपनी कोमल और चञ्चल याहुरूपी सताओ के पास से हटती से बाँधकर, अपने निवास स्थान पर ले जाकर और सायकाल अपनी सखियों के सामने उसकी (प्रियतम की) दुश्चेष्टाओ का वर्णन करके, पुन तुम ऐसा नहीं करोगे, इस प्रकार लडलडाती हुई मधुर वाणी से कहने वाली रोती हुई प्रियतमा से, अपनी दुश्चेष्टाओं को छिपाता हुआ और हसता हुआ यह सोभाग्यशाली प्रियतम पीटा ही जाता है ।

इस उदाहरण में कवि ने 'बाहुलतिकापाशेन' पद के द्वारा रूपन भ्रनङ्कार का प्रारम्भ तो किया था, परन्तु शृङ्गार रस के पोषण के लिये दूर तक उसका निर्वाह नहीं किया ।

रूपन आदि की ममीभा के पाच प्रकार का वर्णन करके छठा प्रकार कहते हैं ।

(६) निर्वाह करने के लिये दृष्ट होने पर भी यह भङ्गरूप में ही रहे, इसका प्रयत्नपूर्वक ध्यान रखता है । जैसे—

हे भीरु ! मैं तुम्हारे अङ्गों को श्यामा सताओ में, दृष्टिपात को चकित हरि-
नियों की चितवन में, गारो की वाति की चञ्चला में, केशों की मयूरों के पुच्छनमूह
में, भ्रूविलासों की नदी की पतली पतली तरङ्गों में देख रहा हूँ । परन्तु खेद है कि
कहाँ भी एक स्थान पर स्थित तुम्हारा सा दृश्य दिखाई नहीं दे रहा है ।

इस उदाहरण में तद्भावाध्यायारारूप (एक वस्तु के भाव को दूसरी वस्तु में आरोपित करना, जैसे प्रियतमा व अङ्ग का श्यामानता में आरोप करना) उत्प्रेक्षा का अन्त तक निर्वाह किया गया है, परन्तु यह ध्यान रखा गया है कि वह भङ्ग रूप में रहे । अतः यहाँ भङ्गरूप में रहती हुई यह प्रत्येका विप्रश्न शृङ्गार रस का पोषण ही करती है ।

स एवमुपनिबध्यमानोऽलङ्कारो रसाभिव्यक्तिहेतुः कवेर्भवति । उक्त-
प्रकारातिशये तु नियमेनैव रसभङ्गहेतुः सम्पद्यते । लक्ष्यं च तथाविधं
महाकविप्रबन्धेष्वपि दृश्यते बहुशः । तत्तु सूक्तिसहस्रद्योतित्वात्मनां महात्म-
नां दोषोद्घोषणमात्मन एव दूषणं भवतीति न विभज्य दर्शितम् ।

किन्तु रूपकादेरलङ्कारवर्गस्य येयं व्यञ्जकत्वे रसादिविषये लक्षण-
दिग्दर्शिता तामनुसरन् स्वयं चान्यलक्षणमुत्प्रेक्षमाणो यद्यलक्ष्यक्रमप्रतिभ-
मनन्तरोक्तमेनं ध्वनेरात्मानमुपनिबध्नाति सुकविः समाहितचेतास्तवा
तस्यात्मलाभो भवति महोयानिति ॥१६॥

हिन्दी अर्थ—इस प्रकार से नियत किया जाता हुआ ही वह अलङ्कार कवि
के रस की अभिव्यक्ति का हेतु होता है । उक्त प्रकार का उत्संघन करने पर तो वह
नियम से रस के भङ्ग का ही हेतु होता है । इस प्रकार का लक्ष्य (रसभङ्ग के
उदाहरण) बहुत बार महाकवियों के प्रबन्धों में भी देला जाता है । परन्तु हजारों
सूक्तियों की रचनाओं द्वारा अपनी प्रतिभा को द्योतित करने वाले उन महात्मा कवियों
के दोषों को उद्घाटित करना अपने ही दोष को प्रकट करना है । अतः उसका
विभाग करके (महाकवियों की प्रबोधयुक्त रचना या उदाहरण देकर) नहीं दिलाया
है ।

भाव यह है कि ध्वनिवार ने रसध्वनि के नियोजन के रसों के उपरालक के
रूप में रूपक आदि अलङ्कारों के विनिवेगन में समीक्षा के रूप में जिन ६ हेतुओं को
बढ़ा है, उनमें अनुसार अलङ्कारों का विनिवेगन रस की अभिव्यक्ति का हेतु है तथा
उससे भिन्न प्रकार से अलङ्कारों का विनिवेगन रस के भङ्ग का निश्चित रूप से कारण
होगा । ध्वनिवार ने यहाँ जितने भी उदाहरण दिये हैं, वे अलङ्कारों का समीक्षापूर्वक
विनिवेगन करने के हैं । इस प्रकार के भी अनेक उदाहरण प्रमुदाहरण के रूप में दिये
जा सकते हैं, जिनमें अलङ्कारों का विनिवेगन इन हेतुओं का उल्लेखनारो ही है तथा
यहाँ रसभङ्ग हुआ है । ध्वनिवार का कथन है कि महाकवियों के प्रबन्धों में भी इस
प्रकार के रसभङ्ग उदाहरण बहुत बार देने जाते हैं, परन्तु महान् पुण्यों के दोषों को
प्रदर्शित करना उचित न होने के कारण उनको यहाँ प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

हिन्दी अर्थ—किन्तु रस आदि के विषय में रूपक आदि अलङ्कारों के वर्ग की
ओ यह सभ्य की रसा दिग्दर्श है, उगका अनुसरण करता हुआ और उगका अनुसरण
करते हुये स्वयं भी अर्थ सभ्य की उपदेश करता हुआ उत्तम कवि यदि समाहितचित्त
होकर प्रबोधयुक्त रूप ध्वनि का और आगे बढ़े गये वाच्य की आत्मान्य ध्वनि
का साक्ष्यानी से निरन्तर करता है, तो उगको बहुत बढ़ा प्राप्तमान होता है,
अर्थात् यह महारवि पद को प्राप्त करता है ॥१६॥

ध्वनिकार की इस वृत्ति में 'अन्वलक्षणम्' की व्याख्या अभिनवगुप्त ने इस प्रकार की है—'परिधाप्रकारमित्यर्थं, तद्यथावस रेत्यक्तस्यापि पुनर्ग्रहणमित्यादि ।' इस के उपवाग्व के रूप में ध्वनिकार ने जो ६ लक्षण (हेतु) कहे हैं, उनसे अन्य प्रकार के लक्षण भी हो सकते हैं । जैसे—अवसर के अनुसार छोड़े गये भी अलङ्कार का पुनर्ग्रहण करना । उदाहरण के रूप में अभिनवगुप्त का स्वरचित यह पद्य है—

शीताशोरमृतच्छटा यदि करा वस्मान्मनो मे भृश
सप्लुप्यन्त्यथ वा नवकूटपटलीसवाससन्दूषिता ।

किं प्राणान्न हरन्त्युत प्रियतमासञ्जल्पमन्वाक्षरै—
रक्ष्यन्ते किमु मोहमेमि हहहा नो वेधि केय गति ॥

यदि चन्द्रमा की किरणें अमृतरूप हैं, तो किस वारण से वे मेरे मन को अत्यधिक भुलस रही हैं ? यदि कालकूट विप के वे समूह साथ रहने से दूषित हो गई हैं, तो मेरे प्राणों का हरण क्यों नहीं कर लेती ? यदि प्रियतमा के साथ वार्तालाप रूपी मन्त्रों के अक्षरों से इनकी रक्षा की जाती है तो मैं मूर्खित क्यों हो जाता हूँ । हाय हाय ! मैं नहीं जानता कि मेरी यह अवस्था कौनसी है ?

यहाँ रूपक मन्द्हे और निदर्शना अलङ्कारों का अवसर के अनुसार परित्याग करके उनको पुनर्ग्रहण किया गया है ॥१८८॥

सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनि—

प्रारम्भ में ध्वनि के दो भेद किये गये थे—अविवक्षितवाच्य (लक्षणाभूल) ध्वनि और विवक्षितान्यपरवाच्य (अभिधामूल ध्वनि) । इनमें अविवक्षितवाच्य ध्वनि के अर्थान्तरसन्नमित और अत्यन्ततिरस्वृत दो भेद किये गये एवं विवक्षितापरवाच्य ध्वनि के असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य और सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य दो भेद किये गये ।

असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य की विवेचना यहाँ तब की जा चुकी है । अब सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य की विवेचना की जा रही है ।

सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य के प्रारम्भ में दो भेद किये गये हैं—शब्दशक्त्युद्भव और अर्थशक्त्युद्भव । आचार्यों ने शब्द और अर्थ के समन्वय से उभयशक्त्युद्भव ध्वनि के तीसरे भेद को भी बताया है ।

"शब्दार्थोभयशक्त्युपस्तिषथा स कथितो ध्वनि ।" का० प्र० ४ ३८॥

शब्दार्थोभयशक्त्युये व्यङ्ग्येऽनुस्वानमन्त्रिभे ।

ध्वनितलेश्यक्रमव्यङ्ग्यस्तिषथिष कथितो बुधै ॥ सा० द० ४ ६ ॥

परन्तु ध्वन्यालोक के इस दूगर उद्योत में आचार्यों आनन्दवर्धन ने सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य के दो ही भेद कहे हैं ।

आचार्यों ने सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य के भेदा प्रभेदों को कुल मिलाकर १५ गिना है । शब्दशक्त्युद्भव के दो भेद, अर्थशक्त्युद्भव के १२ भेद और उभयशक्त्युद्भव का एक भेद । ध्वनि के भेदा की गणना गामाय रूप में इस प्रकार की जा सकती है—

क्रमेण प्रतिभात्यात्मा योऽस्यानुस्वानसन्निभः ।

शब्दार्थशक्तिमूलत्वात् सोऽपि द्वेषा व्यवस्थित ॥२०॥

अस्य विवक्षितान्यपरवाच्यस्य ध्वनेः सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यघत्वादनुरण-
नप्रत्ययो य आत्मा सोऽपि शब्दशक्तिमूलोऽर्थशक्तिमूलश्चेति द्विप्रकारः ॥२०॥

ध्वन्यालोक में ध्वनि के भेदों की विवेचना इतनी अधिक वैज्ञानिक नहीं है। ध्वन्यालोक के आधार पर ध्वनि के भेदों की गणना करते हुए भी मम्मट ने इसको अधिक वैज्ञानिक रूप दिया है। अभिनवगुप्त ने १६ भेदों की गणना की थी। अन्तर यह है कि उन्होंने ध्वन्यालोक के आधार पर शब्दशक्त्युद्भव वा एक भेद (अलङ्कार-ध्वनि) माना है और उभयशक्त्युद्भव की गणना नहीं की। साहित्यदर्पणकार ने मम्मट का अनुसरण करते हुये ध्वनि के १८ भेद किये हैं (तदष्टधा ध्वनि ४९)।

‘ध्वन्यालोक’ में ध्वनि के भेदों की गणना का निश्चित प्रकार नहीं है। उन्होंने शब्दशक्त्युद्भव ध्वनि का एक ही भेद (अलङ्कार ध्वनि) वर्णित किया है। उभयशक्त्युद्भव यद्यपि ध्वनिकार ने पृथक् रूप से नहीं दिखाया, तथापि २३ वीं वारिका की वृत्ति में ‘शब्दार्थशक्त्या’ पद के द्वारा तथा इसके उदाहरण ‘उभयशक्त्या पदो से सूचित होता है कि वे इस भेद की स्वीकार अवश्य करते थे। अर्थशक्त्युद्भव में ध्वनिकार ने दो ही प्रमुखभेदों—स्वतः सम्भवी एव कविप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीर करके पुनः उसके वस्तु और अलङ्कार की दृष्टि से भेद किये हैं। परन्तु २४ वीं वारिका की वृत्ति में ‘कवे कविनिबद्धस्य वा वस्तु प्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीर एक’ लिखकर उन्होंने इन प्रभेदों की स्वीकार अवश्य किया है।

मम्मट ने ध्वनिकार के ‘कविप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीर को दो भागों में कवि-प्रौढोक्तिमात्रसिद्ध तथा कविनिबद्धकतुप्रौढोक्तिमात्रसिद्ध में विभक्त करके इसको अधिक विस्तृत एवं वैज्ञानिक रूप दिया है।

अब यहाँ सर्वप्रथम ध्वनिकार द्वारा प्रदर्शित सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि के दो प्रमुख भेदों—शब्दशक्तिमूल और अर्थशक्तिमूल का वर्णन किया जा रहा है।

हिन्दी अर्थ—अनुस्वान (अनुरणन) के सदृश प्रतीत होने वाला इस ध्वनि का जो दूसरा आत्मा (स्वरूप) है, वह शब्दशक्तिमूलक और अर्थशक्तिमूलक होने से दो प्रकार से व्यवस्थित होता है ॥२०॥

इस विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि का जो दूसरा स्वरूप (आत्मा) है, वह वाच्य और व्यङ्ग्य अर्थ के क्रम के सक्षित होने के कारण अनुरणन के तुल्य होता है और वह शब्दशक्तिमूल और अर्थशक्तिमूल दो प्रकार का होता है।

अनुस्वान—घण्टा बजने के अनन्तर भी कुछ समय तक उसकी ध्वनि की गूँज सुनाई देती रहती है। इसी को अनुस्वान या अनुरणन करते हैं। विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि में भी वाच्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति का नाम घण्टाध्वनि के समान है।

ननु शब्दशक्त्या यत्रार्थान्तरं प्रकाशते स यदि ध्वने. प्रकार उच्यते तदिदानीं श्लेषस्य विषय एवापहृतः स्यात् ।

नापहृत इत्याह—

आक्षिप्त एवालङ्कार शब्दशक्त्या प्रकाशते ।

यस्मिन्ननुक्त. शब्देन शब्दक्त्युद्भवोहि स. ॥२१॥

यस्मादलङ्कारो न वस्तुमात्र यस्मिन् काव्ये शब्दशक्त्या प्रकाशते, संशयशक्त्युद्भवो ध्वनिरित्यस्माक विवक्षितम् । वस्तुद्वये च शब्दशक्त्याप्रकाशमाने श्लेष. । यथा—

जिस प्रकार घण्टा घजन पर पहले घण्टे की ध्वनि सुनाई देती है और उसके बाद उसकी गुँज की प्रतीति होती है उसी प्रकार शब्दशक्तिमूलध्वनि म पहले वाच्य अर्थ सुनाई देता और तदनन्तर व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति होती है ।

शब्दशक्तिमूल ध्वनि मे श्लेष अलङ्कार के विलय को आशङ्का—

यहाँ एक आशङ्का उत्पन्न होती है—श्लेष अलङ्कार वहाँ होता है, जहाँ एक ही शब्द से अनेक अर्थों की प्रतीति है । शब्दशक्तिमूल में भी एक शब्द से अनेक अर्थों की प्रतीति कही गई है, अतः श्लेष अलङ्कार का विषय शब्दशक्तिमूलध्वनि म ही विलीन हो जायेगा ।

हिन्दी अर्थ—यदि यह कहा जावे कि शब्द की शक्ति मे अन्य अर्थ जब प्रकाशित होता है, तो वह ध्वनि का एक प्रकार है, तो अब श्लेष के विषय का ही अलङ्कार हो जायगा, अर्थात् जिन स्थानों मे श्लेष अलङ्कार कहा जाता है, वहाँ शब्दशक्तिमूलध्वनि होगी ॥२०॥

इसका उत्तर ध्वनिकार देते हैं—

हिन्दी अर्थ—नहीं, अपहृत नहीं होगा । इसी बात को करते हैं—

जिस काव्य मे अलङ्कार शब्दशक्ति के द्वारा आक्षिप्त होकर प्रतीयमान होता है और शब्द से उक्त नहीं होता, वह शब्दशक्त्युद्भव ध्वनि है ॥२१॥

हमारे कहने का अन्तिमार्थ यह है कि जिस काव्य मे शब्दशक्ति के द्वारा अलङ्कार, न कि वस्तुमात्र, प्रतीयमान होता है, वह शब्दशक्त्युद्भव ध्वनि है । वो वस्तुओं के शब्दशक्ति से प्रकाशित होने पर श्लेष होता है ।

शब्दशक्त्युद्भव ध्वनि के दो भेद कहे गये हैं—अलङ्कारध्वनि और वस्तुध्वनि अलङ्कार ध्वनि में श्लेष ध्वनि के सम्बन्ध में विवाद है । पूर्वपक्षिया या कथन है कि अलङ्कार ध्वनि को स्वीकार नहीं किया जा सकता । अलङ्कार ध्वनि वहाँ होती है जहाँ शब्दशक्ति से अर्थान्तर प्रतीति होकर अलङ्कार की प्रतीति होती है । शब्दशक्ति से अर्थान्तर की प्रतीति होने पर अलङ्कार होगा । अतः अस्मिन्ननुक्त अलङ्कार ध्वनि को मानने पर श्लेष अलङ्कार का विषय नहीं रहेगा । इसका उत्तर ध्वनिकार ने इस प्रकार दिया है ।

जिस काव्य में शब्दशक्ति के द्वारा अलङ्कार प्रतीयमान होता है, स्वशब्द द्वारा कथित होकर वाच्य नहीं होता और यह प्रतीति वस्तुमात्र के रूप में होकर अलङ्कार के रूप में ही होती है, वहाँ शब्दव्युद्भव अलङ्कार ध्वनि होती है। जहाँ शब्दशक्ति के द्वारा साक्षात् रूप से दो वस्तुमात्र की प्रतीति होती है, अलङ्कार की नहीं, वहाँ श्लेष अलङ्कार होता है। जैसे कि 'येन ध्वस्तमनोभवेन' में दो वस्तुमात्र अर्थ विष्णु और शिव की प्रतीति होने से श्लेष अलङ्कार है। अलङ्कार ध्वनि नहीं।

आक्षिप्त — ध्वनिकार ने कारिका में उस अवस्था में शब्दशक्तिमूल अलङ्कार ध्वनि मानी है, जहाँ अलङ्कार आक्षिप्त हो और शब्द के द्वारा उक्त (वाच्य) न हो। जहाँ अलङ्कार वाच्य होता है, वहाँ ध्वनि नहीं होगी। अलङ्कार की वाच्यता में ध्वनि नहीं होगी, इसके ध्वनिकार ने अनेक उदाहरण दिये हैं।

संस्कृत भाषा में बहुत से शब्द अनेकार्थक हैं। जहाँ इन अनेकार्थक शब्दों से एक से अधिक अर्थों का बोध अभिधा द्वारा होता है तो वे अर्थ वाच्य होते हैं और इस अवस्था में श्लेष अलङ्कार होता है। परन्तु सामान्य रूप से भाषा में और वाच्य में अनेक हेतुओं द्वारा शब्द का एक ही अर्थ नियन्त्रित हो जाता है तथा वहाँ एक ही अर्थ का बोध होता है। इन हेतुओं का समग्र भर्तृहरि के 'वाक्यपदीय' नामक व्याकरण ग्रन्थ में बिया गया है। मम्मट आदि अलङ्कारिकों ने शब्दवृत्तियों के स्वरूप को समझते हुए भर्तृहरि की उन कारिकाओं को उद्धृत किया है। वे कारिकाएँ निम्न हैं—

सयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता ।

अर्थ प्रकरण लिङ्ग शब्दस्यान्यस्य सन्निधि ।

सामर्थ्यमौचित्ये देश कालो व्यक्ति स्वरादयः ।

शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः ॥

शब्द के वाच्य अर्थ का निर्णय न होने की अवस्था में सयोग, विप्रयोग, साहचर्य, विरोधिता, अर्थ, प्रकरण, लिङ्ग, अन्य शब्द का सामीप्य, सामर्थ्य, औचित्य, देश, काल, व्यक्ति (स्त्री-पुरुष-नपुंसक लिंग)। स्वर, अभिनय आदि विवक्षित अर्थ विशेष को जतलाने में हेतु है।

परन्तु वाच्य में अनेक बार प्रकरण आदि द्वारा एक अर्थ के नियन्त्रित हो जाने पर भी दूसरे अर्थ का बोध होता है। इस द्वितीय अर्थ की प्रतीति अभिधा द्वारा नहीं होती, परन्तु व्यञ्जना द्वारा होती है। व्यञ्जना द्वारा दूसरे अर्थ की प्रतीति ही उस अर्थ का आक्षिप्त होना है। इस प्रकार जिस स्थान पर प्रकरण द्वारा नियन्त्रित न होने के कारण अभिधा द्वारा एक शब्द से अनेक अर्थों की प्रतीति हो, वहाँ दोनों अर्थ वाच्य होते हैं और श्लेष अलङ्कार होता है। परन्तु जहाँ प्रकरण आदि द्वारा शब्द के एक अर्थ में नियन्त्रित हो जाने पर भी दूसरे अर्थ की प्रतीति होती है, तो वह दूसरा अर्थ व्यञ्जना द्वारा प्रतीत होता है। यह व्यञ्जय या आक्षिप्त अर्थ है।

येन ध्वस्तमनोभवेन बलिजित्कायः पुरास्त्रीकृतो
 यश्चोद्बृत्तभुजङ्गहारवलयो गङ्गां योऽधारयत् ।
 यस्याहुः शशिमच्छिरोहर इति स्तुत्यं च नामामराः
 पायात् स स्वयमन्धकक्षयकरस्त्वां सर्वदोभाधवः ॥

इसी तथ्य को व्यक्त करते हुये मानन्दवर्धन आक्षिप्त एवालङ्कारः कारिका में कहा है कि जब दूसरा अलङ्कार रूप अर्थ आक्षिप्त हो और स्वशब्द से अनुक्त होने के कारण वाच्य न हो, तो वहाँ उस अलङ्कार के व्यङ्ग्य होने के कारण अलङ्कार ध्वनि होगी परन्तु जहाँ वह दूसरा अर्थ आक्षिप्त नहीं होगा, व्यङ्ग्य नहीं होगा, वहाँ श्लेष अलङ्कार ही होगा। जैसे कि अगले "येन ध्वस्तमनोभवेन०" "तस्या विनापि हारेण०", "श्लाघ्याशेषतनुम्०", "अमिमरतिमलसहृदयताम्०", "चमहिप्रमाण०" में और 'दृष्ट्या केशव गोपरागहृतया०' उदाहरणों में श्लेष अलङ्कार है। परन्तु "उन्नत. प्रोल्लसदार." आदि में प्रकरण आदि द्वारा अभिधा के अर्थ में नियन्त्रित हो जाने के कारण द्वितीय अर्थ की प्रतीति व्यञ्जना से होती है और यहाँ शब्दशक्तयुद्भव ध्वनि है। इन उदाहरणों को इनके प्रसङ्ग में स्पष्ट किया जावेगा।

अथ येन 'ध्वस्तमनोभवेन' उदाहरण में श्लेष अलङ्कार के विषय को स्पष्ट करते हैं—

हिन्दी अर्थ—विष्णु पक्ष में—अमवेन येन अमः ध्वस्तम्, पुरा बलिजित्कायः स्त्रीकृतः, यः च उद्बृत्तभुजङ्गहा, खलप, य गाम् अग च आधारयत् यस्य शशिमच्छिरोहर इति स्तुत्यं नाम अपराः आहुः, स्वयम् अन्धकक्षयकरः सर्वदः सः माधवः त्वां पायात् ।

अजन्मा जिस विष्णु ने शकटासुर का विनाश किया था, पहले समुद्रमन्थन के समय बलि को जीतने वाले शरीर को स्त्री रूप में परिवर्तित किया था, जिसने उद्दृष्ट कालिय नाग का दमन किया था, जिसने पृथिवी और गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, जिसका राहु के सिर को बाटने वाले स्तुत्य नाम का देवता उच्चारण करते हैं, स्वयं पादवों का विनाश करने वाले या पादवों का धर बनाने वाले और सब कुछ देने वाले ये माधव (सन्मी के पति विष्णु) तुम्हारी रक्षा करें।

शिव पक्ष में—ध्वस्तमनोभवेन येन पुरा बलिजित्कायः अस्त्रीकृतः, यः च उद्बृत्तभुजङ्गहारवलयः, य च यङ्गाम् आधारयत्, यस्य शशिमच्छिरोहरः हरः इति स्तुत्यं नाम अपराः आहुः, स्वयम् अन्धकक्षयकरः स उमाधव. त्वां सर्वदा पायात् । कामदेव का विनाश करने वाले जिस शिव ने त्रिपुरदाह के समय बलि को जीतने वाली विष्णु के शरीर को अस्त्र बनाया था, जो उद्दृष्ट साँपों को हार और खलप के रूप में धारण करता है, जिसने गंगा को धारण किया था, जिसके अजन्मा को सिर पर धारण करने वाले तथा हर इस स्तुत्य नाम को देवता उच्चारण करते हैं, स्वयं अन्धकामुर विनाश करने वाले ये पावती के पति शिव तुम्हारी सदा रक्षा करें।

नन्यलङ्कारान्तरप्रतिभायामपि श्लेषव्यपदेशो भवतीति दर्शित
भट्टोज्जुटेन । तत् पुनरपि शब्दशक्तिमूलो ध्वनिनिरवकाशः इत्याशङ्क्ये
दमुक्तम्—'आक्षिप्तः' इति ।

तदयमर्थः—यत्र शब्दशक्त्या साक्षादलङ्कारान्तरं वाच्यं सत् प्रतिभा-
सत्तेस सर्वः श्लेषविषयः । यत्र तु शब्दशक्त्या सामर्थ्याक्षिप्तं वाच्यव्यतिरिक्तं
व्यङ्ग्यमेवालङ्कारान्तरं प्रकाशते, स ध्वनेविषयः ।

यहाँ दोनो ही वस्तुरूप अर्थ शब्दशक्ति से एक साथ प्रकाशित हो रहें हैं, तथा
कोई अलङ्कार प्रतीत नहीं हो रहा, इसलिये यहाँ श्लेष अलङ्कार है, शब्दशक्त्युद्भव
ध्वनि नहीं है ।

इस स्थल पर भट्टोज्जुट ने कथन से उत्पन्न शङ्का को प्रदर्शित करके ध्वनि-
कार उसका उत्तर देते हैं—

हिन्दी अर्थ—भट्टोज्जुट ने प्रदर्शित किया है कि जहाँ दूसरा अलङ्कार भी प्रतीत
होता है, केवल वस्तुद्वय ही नहीं, वहाँ भी श्लेष अलङ्कार होता है । इसलिए शब्द
शक्तिमूल ध्वनि का अवकाश नहीं है, अर्थात् ध्वनि के इस भेद को स्वीकार नहीं
करना चाहिये ।

भट्टोज्जुट के इस आक्षेप की आशङ्का करके ही कारिका में 'आक्षिप्त' पद
बहा गया है ।

इसका यह अर्थ हुआ कि शब्दशक्ति से जहाँ साक्षात् रूप से दूसरा अलङ्कार
वाच्य रूप में (होकर श्वशब्द से व्यक्त होकर) प्रतीत होता है, वह सब श्लेष अलङ्कार
का ही विषय है । परन्तु जहा व्यङ्ग्य अर्थ के रूप में दूसरा अलङ्कार शब्दशक्ति के
सामर्थ्य द्वारा आक्षिप्त होता है और वाच्य अर्थ से भिन्न होता है, वह ध्वनि का
विषय होता है ।

प्राचीन अलङ्कारवादियों का कथन था कि ध्वनि के शब्दशक्त्युद्भव भेद को
मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सब श्लेष अलङ्कार ही है । ध्वनिकार ने
इसका उत्तर दिया था कि यदि साक्षात्शब्दशक्ति से वस्तुमात्र दो अर्थों का एक साथ
बोध होता है तो यह श्लेष अलङ्कार का विषय है, जैसे कि "यत्तद्वस्तुमनोभवेत्"
श्लोक में है, और जहाँ शब्दशक्ति के सामर्थ्य से दूसरे अलङ्कार की प्रतीति वाच्यरूप
में हो, वह भी श्लेष का विषय होगा । परन्तु जहाँ शब्दशक्ति के सामर्थ्य से दूसरा
अलङ्कार आक्षिप्त होता है और यह वाच्य के रूप में नहीं, अर्थात् व्यङ्ग्य रूप में
होता है, वह ध्वनि का ही विषय है ।

ध्वनिकार अब शब्दशक्ति से वाच्य रूप में प्रतीत होने वाले अलङ्कारान्तर का
उदाहरण देते हैं—

शब्दशक्त्या साक्षादलङ्कारान्तरप्रतिभा यथा—
तस्या विनापि हारेण निसर्गादेव हारिणौ ।
जनयामासतु कस्य विस्मय न पयोधरो ॥

अत्र शृङ्गारव्यभिचारी विस्मयाख्यो भाव साक्षाद विरोधालङ्कारश्च
प्रतिभासते इति विरोधच्छायानुप्राहिण श्लेषस्याय विषय । न त्वनुस्वानो-
पमव्यङ्ग्यस्य ध्वने । अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यस्य तु ध्वनेर्वाच्येन श्लेषेण विरोधेन
वा व्यञ्जितस्य विषय एव ।

हिंदी अर्थ—शब्दशक्ति से साक्षात् दूसरे अलङ्कार की प्रतीति जसे—

हार के बिना भी स्वभाव से ही हार से युक्त (मन का हरण करने वाले) उसके
पयोधरो ने किस व्यक्ति से विस्मय को उत्पन्न नहीं किया ।

हारेण विनापि हारिणौ = हार के बिना भी जो हारयुक्त है, इस प्रकार
विरोध होने पर हारिणौ पद का अर्थ मन को हरण करने वाले किया जाता है और
विरोध का परिहार होता है । मत यहाँ विरोध अलङ्कार वाच्य है ।

हिंदी अर्थ—यहाँ शृङ्गार रस विस्मय नाम का व्यभिचारी भाव और विरोध
अलङ्कार साक्षात् वाच्य अर्थ के रूप में प्रतिभासित हो रहे हैं । इस प्रकार यह काव्य
विरोध की छाया से अनुगृहीत श्लेष अलङ्कार का विषय है अनुस्वान सदृश व्यङ्ग्य रूप
ध्वनि का नहीं । परन्तु यह वाच्य रूप श्लेष या विरोध से व्यञ्जित होने वाले अलक्ष्य
अमध्यङ्ग्य ध्वनि का तो विषय हो ही सकता है ।

अभिप्राय यह है कि इसमें विरोध अलङ्कार के या श्लेष अलङ्कार के वाच्य
होने से विरोध या श्लेष अलङ्कार है और अश्लेषयुद्धव ध्वनि नहीं है । परन्तु यहाँ
वाच्य श्लेष अथवा विरोध अलङ्कार के द्वारा अद्भुत रस, की अभिव्यक्ति होती है और
यहाँ अलक्ष्यअमध्यङ्ग्य ध्वनि है ।

वृत्ति में श्लेषण विरोधन वा म वा पद की व्याख्या अभिनवगुप्त ने इस प्रकार
की है— वाग्रहणन श्लेषविरोधसङ्करानङ्कारात्प्रमिति दशमिति, अनुग्रहयोगादेवतरत्याग
ग्रहणनिमित्ताभावो हि वा मन्वेन सूच्यते । वा पद के ग्रहण से यह दिखाना है कि यहाँ
श्लेष और विरोध के सङ्कर से सङ्कर अलङ्कार है । इनमें अनुप्राह्य अनुप्राह्य भाव के
परस्पर एक के ग्रहण या त्याग के निमित्त का अभाव है, यह सूचित होना है ।

यथा ममैव—

इलाध्याशेषतनु सुदर्शनकरः सर्वाङ्गलीलाजित—
 स्त्रैलोक्यां चरणारविन्दललितेनाक्रान्तलोको हरिः ।
 विभ्राणां मुखमिन्दुरूपमखिलं चन्द्रात्मचक्षुर्दधत्
 स्थाने यां स्वतनोरपश्यदधिकां सावरु विमणी वोऽवतात् ॥
 अत्र वाच्यतयैव व्यतिरेकच्छायानुग्राही श्लेषः प्रतीयते । यथा च—
 अमिभरतिमलसहृदयतां प्रलयं भूच्छा तमः शरीरसादम् ।
 मरणं च जलदभुजगर्जं प्रसह्य क्रुहते विष वियोगिनीनाम् ॥

शब्दशक्ति के सामर्थ्य से वाच्यतया प्रतीत होने वाले दूसरे अलंकार का उदाहरण—

हिन्दी अर्थ—जैसे कि मेरे ही—

सुदर्शनकर, चरणारविन्दललितेनाक्रान्तलोक चन्द्रात्मचक्षु दधत् हरि इलाध्या-
 शेषतनु, सर्वाङ्गलीलाजितत्रैलोक्याम्, अखिलम् इन्दुरूप मुख विभ्राणां या स्थाने
 स्वतनो अधिवाम् अपश्यत् सा रुविमणी व अवतात् ।

केवल सुन्दर हाथ वाले (सुदर्शन चक्र को हाथ में धारण करने वाले), सुन्दर
 चरणरूपी कमल से (पादविक्षेप से) तीनों लोकों को आक्रान्त करने वाले, चन्द्ररूप नेत्र
 को धारण करने वाले (जिनका केवल एक नेत्र ही चन्द्र है। पौराणिक वर्णनों के अनु-
 सार चन्द्र और सूर्य को विष्णु नेत्र समझा जाता है विष्णु ने प्रशस्तनीय
 समस्त शरीर वाली) सभी अङ्गों के सौन्दर्य से तीनों लोकों को जीतने वाली, सम्पूर्ण
 चन्द्र रूप मुख को धारण करने वाली जिन रुविमणी को उचित ही अपने शरीर से
 अधिक श्रेष्ठ देखा था, वे रुविमणी भाव की रक्षा करें ।

यहाँ व्यतिरेक की छाया को पुष्ट करने वाला श्लेष वाच्य रूप से ही प्रतीत
 होता है ।

इस पद्य में 'स्वतनोरपश्यदधिकाम्' में व्यतिरेक अलङ्कार आधिपत नहीं है,
 अपितु 'अधिक' पद से उक्त होने के कारण वाच्य ही है । इस प्रकार इस पद्य में श्लेष
 और व्यतिरेक दोनों के वाच्य होने से अलङ्कार ध्वनि नहीं होगी ।

और जैसे—

मेघरूप सपं से उत्पन्न होने वाला विष (विष के दो अर्थ हैं—जल और जहर)
 विरहिणो युवतियों में चक्कर भ्रान्त, उदासीनता, हृदय की बेवनी, इन्द्रियों का कार्य न
 करना, भ्रष्टा, धार्मिकों में अंधेरा, शरीर का मुन्न हो जाना और मरण, इन विकारों को
 यत्पूर्वक उत्पन्न कर देता है ।

यथा वा—

चमहिअमाणसकञ्चणपङ्कुअणिम्महिअपरिमला जस्स ।

अखडिअदानपसारा बाहुप्पलिहा द्विअ गइदा ॥

(खण्डितमानसकाञ्चनपङ्कुजनिर्मथितपरिमता यस्य ।

अखण्डितदानप्रसारा बाहुपरिधा इव गजेन्द्रा ॥)

अत्र रूपकच्छायानुप्राही श्लेषो वाच्यतयंवावभासते ।

स चाक्षिप्तोऽलङ्कारो यत्र पुन शब्दान्तरेणाभिहितस्वरूपस्तत्र न शब्दशक्त्युद्भवानुरणनरूपव्यङ्ग्यध्वनिविकार । तत्र वक्रोक्त्यादिवाच्यालङ्कारव्यवहार एव । यथा—

विप शब्द के जल और जहर दो अर्थ हैं । यदि यहाँ प्रवरण आदि के द्वारा अभिधा का नियन्त्रण होता तो इसका एक ही अर्थ 'जल' वाच्य होता । परन्तु 'जलद-भुजग' इस रूपक में भुजग पद द्वारा विप अर्थ भी वाच्य हो जाता है और अभिधा दोनों अर्थों को बोधित कराती है । इस प्रकार 'जलदभुजग' में रूपक और इसके सामर्थ्य से विप में श्लेष दोनों ही अलङ्कार वाच्य हैं । 'अग्नि' पद से लेकर 'भरण' पद तक के पदा का अर्थ दोनों अर्थों में समान है ।

अथवा जैसे—

निराश (तोड़े गये) शत्रुओं के मानस रूपी (मानसरोवर के) स्वयं कमलों को निमथित करके यश सौरभ से युक्त और निरतर (दान और मदजल) का प्रसार करने वाले जिस राजा के बाहुदण्ड श्रेष्ठ हाथिया के समान हैं ।

यहाँ रूपक की छाया को अनुगृहीत करने वाला श्लेष अलङ्कार वाच्य रूप में ही प्रतीत होता है ।

यहां खण्डित मानस परिमल और दान शब्दा का वाच्य अर्थ प्रवरण के कारण निराश, मन यश और दान अर्थ में नियन्त्रित होन पर भी गजेन्द्र शब्द का सामर्थ्य से तोड़े गये मानसरोवर सुगन्ध और मदजन अर्थ में समत होता है । इस प्रकार दोनों अर्थ अभिधा की शक्तिस बोधिन हान से वाच्य हैं । अभिधा का व्यापार तोड़ना आदि अर्थों को प्रतिपात्ति करने भी समाप्त नही होता और निराश आदि अर्थों को बोधित कराता ही है । इसीनिय रूपक की छाया की छाया को अनुगृहीत करने वाला श्लेष अलङ्कार भी वाच्य ही है ।

हिंदी अर्थ—और वह आक्षिप्त अलङ्कार यदि शब्दान्तर से पुनः अभिहित हो जाता है तो यहाँ भी शब्दशक्त्युद्भव अनुरणनरूपव्यङ्ग्यध्वनि का व्यवहार नहीं होता । यहाँ वक्रोक्ति आदि वाच्य अलङ्कार का ही व्यवहार होता है ।

'भाषान' पद का अर्थ की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया गया था कि यहाँ अभिधा को नियन्त्रित करने वान प्रवरण आदि हेतु विद्यमान हात्र है यहाँ अभिधा का एक अर्थ में नियन्त्रित हा जान का कारण दूसरे अर्थ की व्युत्पत्ति में अभिधा का व्यापार

दृष्ट्या केशवगोपरागहृतया किञ्चिन्न दृष्टं मया
तेनैव स्वलितास्मि नाथ पतितां किन्नाम नालम्बसे ।
एकस्त्वं विपमेषु खिन्नमनसां सर्वावलानां गति-
गोप्यैवं गदितः सलेशमवताद् गोष्ठे हरिवंश्चिरम् ॥

एवंजातीयकः सर्व एव भवतु काम वाच्यश्लेषस्य विषयः ।

यत्र तु सामर्थ्याक्षिप्तं सदलङ्कारान्तरं शब्दशक्त्या प्रकाशते स सर्व
एव ध्वनेविषयः । यथा—

नही होता । दूसरा अर्थ वहाँ व्यञ्जना द्वारा प्रतीत होता है और वह आक्षिप्त बहलाता है । परन्तु यदि वहाँ कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जावे, किसी ऐसे शब्द का प्रयोग कर दिया जावे कि अभिधा को नियन्त्रित करने वाले प्रवरण आदि शक्ति वा अपहरण हो जावे, तब वह अभिधा शक्ति बाधित होती हुई भी दूसरे अर्थ का बोध करा देगी तथा वह दूसरा अर्थ भी वाच्य होगा । इस अवस्था में दूसरा अर्थ रूप अलङ्कार वाच्य होगा ध्वनि नहीं । इसी को स्पष्ट करने के लिये ध्वनिकार ने कहा कि यदि कोई अलङ्कार आक्षिप्त (व्यङ्ग्य) भी है, परन्तु वाद में शब्दान्तर से अभिहित हो जाता है, तो वहाँ शब्दशक्त्युद्भव अनुरणनरूप व्यङ्ग्य ध्वनि नहीं रहती । इन अवस्थाओं में वनोक्ति आदि अलङ्कार वाच्य ही होते हैं । इसको उदाहरण से पुष्ट करते हैं—

हिन्दी अर्थ—

जैसे—

हे केशव ! गोओं के द्वारा उड़ाई गई धूलि के कारण दृष्टि वा हरण हो जाने से मैंने कुछ भी नहीं देखा था, हे स्वामिन् ! इस कारण फिसल कर गिरी हुई मुझ को सहारा क्यों नहीं देते हो । ऊबड़ खाबड़ भागों में दुखी मन वाले सब निबल जनो की तुम अकेले ही गति हो । इस प्रकार गोओं के द्वारा गोशाला में लेश के साथ (दुष्यं-सूचक शब्दों में) कहे गये हरि तुम्हारी चिरबाल तक रखा करें ।

हिन्दी अर्थ—जहाँ शब्दशक्ति के द्वारा सामर्थ्य से आक्षिप्त होकर दूसरा अलङ्कार प्रकाशित होता है, वह सब ध्वनि का ही विषय है । जैसे—

इस पद्य में लेश के द्वारा गोपी ने अपने हृदय की भान्तरिक अभिलाषा व्यक्त की है । वह इस प्रकार है—

केशव नायक गोप के प्रति अनुराग से दृष्टि (सदसद्विषय) के हरण कर लिये जाने के कारण मैंने कुछ भी नहीं देखा था (विचार किया था) । इस कारण हे स्वामिन् ! (१) त्रिप्रत धर्म से मैं अप्रष्ट हो गई हूँ । अब इन पतिता को आप सहारा क्यों नहीं देते, (पतिभाव से ग्रहण क्यों नहीं करते) । कामदेव से पीड़ित मन वाली सभी भवलाभा (स्त्रियों) की तुम ही एकमात्र गति हो (कामनाओं को पूरा करने वाले हो) । इस प्रकार से गोशाला में गोपी के द्वारा लेश के साथ कहे गये हरि आप की रखा करें ।

अत्रान्तरे कुसुमसमययुगमुपसंहरन्नजृम्भत श्लोकमाभिधानः फुल्लम-
ल्लिकाधवलाट्टहासो महाकालः" ।

इस प्रकार के सभी उदाहरण वाच्य श्लेष अलङ्कार के ही विषय होंगे ।

इस पद्य में 'शेखरगोपरागहृतया', 'स्खलिता', 'पतिता', विषमेषुस्त्रिनमनसाम्' आदि पद अनेकार्थक हैं । यदि यहाँ 'सलेश' पद का प्रयोग न होता तो प्रकरण आदि हेतु के सामर्थ्य से इस पद्य का पहला अर्थ वाच्य होता तथा यदि दूसरे अर्थ की प्रतीति होती तो वह व्यङ्ग्य या आश्रित होती । इस प्रकार यहाँ शब्दशक्तिमूलक अलङ्कार ध्वनि होती । परन्तु 'सलेश' पद के प्रयोग ने प्रकरण आदि की नियामक शक्ति का अपहरण कर लिया और दूसरे अर्थ शब्दान्तर से अभिहित हो गये । इसलिये यहाँ अलङ्कार ध्वनि न होकर श्लेष अलङ्कार ही होगा । इसीलिये ध्वनिहार ने कहा कि इस प्रकार के स्थल वाच्य श्लेष अलङ्कार के ही विषय होंगे । परन्तु जहाँ दूसरा अलङ्कार शब्दशक्ति के सामर्थ्य से आश्रित होकर प्रकाशित होता है, वह सब ध्वनि का विषय होगा । इसी को स्पष्ट करते हैं—

इसी बीच में कुसुमों के समय के युगल का (पुष्पों की समृद्धि वाले वसन्त ऋतु के दो महीनों का) उपसंहार करता हुआ और विकसित मल्लिकाघों (जूही के पुष्पों) से अट्टालिकाघों को ध्वलित करने वाले हास (विकास) से युक्त प्रीप्सु नाम का महाकाल प्रकट हुआ ।

इससे दूसरा अर्थ इस प्रकार व्यञ्जित होता है—

इसी समय में कामदेव और वसन्त ऋतु के युगल को समाप्त करते हुये और लिली हुई मल्लिकाघों के समान शुभ्र अट्टहास करने वाले महाकाल (भगवान् शिव) प्रकट हुये ।

यहाँ प्रकरण आदि के सामर्थ्य से ऋतु के वर्णन में वाच्य अर्थ सङ्गत होता है । परन्तु महाकाल शब्द की सामर्थ्य से यहाँ शिव के पद्य में भी द्वितीय अर्थ की प्रतीति होती है, जो कि व्यङ्ग्य है । इससे जिन और प्रीप्सु ऋतु में सादृश्य की अनिव्यञ्जना होकर उपमा अलङ्कार व्यञ्जित होता है । अतः यहाँ शब्दशक्तिमूल ध्वनि है ।

शब्दशक्ति से द्वितीय अर्थ की अभिव्यक्ति की प्रक्रिया किम प्रकार होगी है, इस सम्बन्ध में अनेक मत हैं, जिनका उल्लेख अन्निराजमुनि ने किया है ।

(१) कुछ विद्वानों के अनुसार—महाकाल शिव अर्थ में रुढ़ है तथा प्रीप्सु ऋतु के पद्य में योग्य है । यद्यपि योग्य अर्थ की अनेका रुढ़ अधिक मुख्य होता है, तथापि अन्तराह्न में प्रकरण के कारण प्रीप्सु ऋतु अर्थ ही ध्वनित होता है । अतः यहाँ अनिधेय वाच्य अर्थ प्रीप्सु ऋतु है । परन्तु अध्येताओं के लिये महाकाल पद का रुढ़ अर्थ शिव अर्थ प्रसिद्ध है । अतः अनिधेयशक्ति के प्रकरण के द्वारा नियन्त्रित हो जाने पर भी यहाँ ध्वनित व्यापार द्वारा अन्तराह्न शिव अर्थ की भी प्रतीति हो जाती है । यह व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति शब्दशक्तिमूल ध्वनि है ।

(२) दूसरे विद्वानों का बयान है कि यहाँ सभी अर्थों की प्रतीति अभिधा द्वारा ही होती है। परन्तु यहाँ अभिधा के दो व्यापार हैं तथा यह अभिधा दो हो जाती है। पहली अभिधा से प्रवरण आदि के सामर्थ्य से वाच्य ऋतु के पक्ष में अर्थ बोधित है। अब प्रवरण आदि द्वारा क्योंकि 'महावाच' का ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में अर्थ नियन्त्रित हो गया है, अतः दूसरी अभिधा कार्य करती है। ग्रीष्म ऋतु का भीषण देवता विशेष शिव से सादृश्य होने से सहकारित्व के प्रभाव से शिवरूप अर्थ भी विदित होता है। यहाँ क्योंकि यह दूसरी अभिधा सहकारी रूप से सहारा लेकर दूसरे अर्थ को बोधित करती है, अतः इसको ध्वननरूप कहा जाता है।

(३) कुछ समालोचक कहते हैं—श्लेष में दो भिन्न-भिन्न शब्द एक साथ सश्लिष्ट हो जाते हैं। जैसे "सर्वदोमाधव" में 'सर्वदा उमाधव' तथा 'सर्वद माधव' दो शब्द मश्लिष्ट होने से शब्दश्लेष है और "अन्धकशयकर" में ये शब्द इसी प्रकार से दो बार आवृत्त होते हुये भी एक स्थान पर सश्लिष्ट होते हैं। इनमें दो अर्थों की प्रतीति के लिये हमें इनकी पुनः आवृत्त करना पड़ता है। जैसे 'सर्वदोमाधव' से शिव अर्थ करने में पहले 'सर्वदा उमाधव' पद लायेंगे तथा पुनः विष्णु अर्थ करने में 'सर्वद माधव' पद लायेंगे। इसी प्रकार 'अन्धकशयकर' में इन पदों से एक बार शिव के पक्ष में अर्थ करने पुनः विष्णु के पक्ष में अर्थ करने के लिये इनको दुबारा आवृत्त करेंगे। यह स्थिति इसी प्रकार की है जैसे दो प्रश्नों 'क इतो धावति' और 'कीदृश इतो धावति' का उत्तर एक ही वाक्य 'श्वेतो धावति' होगा। पहले प्रश्न का उत्तर होगा— 'श्वेता इतो धावति' और दूसरे प्रश्न का उत्तर 'श्वेतो धावति' होगा। इस प्रकार के व्यापारों में यदि दूसरा अर्थ करने के लिये प्रवरण आदि हेतुओं की बाधा के बिना ही पद आवृत्त हो जायें, तो यह अर्थ अभिधा व्यापार से ही हो जावेगा। परन्तु यदि प्रवरण आदि की बाधा हो तो पदों की आवृत्ति ध्वनन व्यापार से होती है और वह दूसरा अर्थ व्यङ्ग्य हो जाता है।

(४) कुछ समालोचकों का मत है कि प्रथम प्राकरणिक अर्थ का बोध अभिधा से होता है, अतः वह वाच्य अर्थ है। इसके बाद प्रवरण आदि द्वारा अभिधा नियन्त्रित हो जाती है। परन्तु इस अवस्था में भी सादृश्य आदि के सामर्थ्य से अभिधा शक्ति पुनः उज्जीवित होकर दूसरे अर्थ का बोध कराती है तथा दूसरा अर्थ भी वाच्य होता है। दूसरे अर्थ की प्रतीति के अनन्तर पहले एक दूसरे अर्थ में साम्य प्रतीति होने से उनमें उपमान-उपमेय आदि भावों की कल्पना की जाती है। यह कल्पना ही व्यञ्जना वृत्ति का विषय है और इस कल्पना में जिस अलङ्कार की छाया होती है, वह अलङ्कार ध्वनि का विषय होता है। अतः "कुसुमसमययुगमुपसहरत्" में शिव और ग्रीष्म ऋतु में उपमान-उपमेय भाव की कल्पना होने से उपमालङ्कार ध्वनि है।

यथा च—

उन्नतः प्रोल्लसद्धारः कालागुरुमलीमसः ।

पयोधरभरस्तन्ध्याः क न चक्रोऽभिलाषिणम् ॥

यथा वा—

दत्तानन्दाः प्रजानां समुच्चितसमयाकृष्टसृष्टः पयोभिः,

पूर्वाह्णे विप्रकीर्णा दिशि दिशि विरमत्याह्नि सहारभाजः ।

दीप्ताशीर्दीर्घदु.खप्रभवभवभयोदन्वदुत्तारनावो,

गावो वः पावनाना परमपरिमिता प्रीतिमुत्पादयन्तु ॥

शब्दशक्ति से सामर्थ्याक्षिप्त अलङ्कारान्तर का दूसरा उदाहरण—

हिन्दी अर्थ—घोर जैसे—

ऊपर को उठा हुआ, हार से शोभायमान होता हुआ, काले अंगर के लेप से कृष्ण बरों का होता हुआ, तन्वी युवती के पयोधरों का भार किसको अभिलाषी नहीं बना देता ।

इस पद्य में शब्दशक्ति के सामर्थ्य से दूसरा अर्थ मेघ के पक्ष में इस प्रकार आक्षिप्त होता है—

ऊपर को उठता हुआ, जल की धारा से या विद्युत् की धारा से शोभायमान होता हुआ और काले अंगर के समान कृष्ण बरों का मेघों का समूह किस शक्ति को तन्वी युवती के लिये अभिलाषी नहीं बना देता ।

यहाँ प्रकरण आदि के सामर्थ्य से नियन्त्रित अभिधा द्वारा पद्य का अर्थ तत्वी के स्तनभार को बोधित करता है, जो कि वाच्य अर्थ है । इसके अतिरिक्त शब्दशक्ति के सामर्थ्य से 'पयोधर भर' का दूसरा मेघ अर्थ आक्षिप्त होता है । इससे स्तन और मेघ में साम्य की कल्पना होने से शब्दशक्तिमूल उपमा ध्वनि है । अतः यह पद्य श्लेषालङ्कार का नहीं, अपितु ध्वनि का विषय है ।

शब्दशक्ति के सामर्थ्य से आक्षिप्त अलङ्कारान्तर का तीसरा उदाहरण—

हिन्दी अर्थ—अथवा जैसे—

समुच्चित समय में (घोष काल में) आकृष्ट करके (समुद्र आदि से जल के वाष्पों के रूप में) प्रदान किये गये (अर्थरूप में) कल्लों में प्रस्तापों को आनन्द देने वाली, प्रातःकाल के समय प्रत्येक दिशा में फैल जाने वाली और दिन के समाप्त होने पर अपने आपको समेट लेने वाली, लम्बे दुःख के कारण मृत सत्तार के भयहपी समुद्र को पार कराने के लिये नौकाहय, पवित्र करने वालों में सर्वश्रेष्ठ सूर्य की किरणों आपके लिये अपरिमित प्रतन्नता को उत्पन्न करें ।

यहाँ 'गाव' पद में दूसरे अर्थ 'गौर्य' का आशेष होकर निम्न अर्थ प्रवृत्त होता है—

एषूदाहरणेषु शब्दशक्त्या प्रकाशमाने सत्यप्राकरणिकेऽर्थान्तरे, वाक्यस्यासम्बद्धार्याभिधायित्वं मा प्रसाङ्क्षीदित्यप्राकरणिकप्राकरणिकार्थ-योत्पमानोपमेयभावः कल्पयितव्यः । सामर्थ्यादित्यर्थ्याक्षिप्तोऽयं श्लेषो न शब्दोपासृष्ट इति विभिन्न एव श्लेषादनुस्वानोपमव्यङ्ग्यस्य ध्वनेविषयः ।

उचित समय पर (दोहन से पूर्व समय में) आवृष्ट करके (अथवा में चढाकर) प्रदान किये गये दूध से प्रजा को आन्नद देने वाली, प्रातःकाल में प्रत्येक दिशा में (चरने के लिये) बिखरी हुई और दिन के समाप्त होने पर एकत्रित हो जाने वाली (घर लौटने के लिये), दीर्घकालव्यापी दुःख के उत्पन्न करने वाला ससार के भयरूपी समुद्र की नौकारूप (पीराणिक बरानों के अनुसार) गौश्रो का पालन धर्म का अंग है, जो भवसागर से पार उतारता है और पवित्र करने वालों में श्रेष्ठ (गौश्रो को पवित्र करने वाला समझा जाता है) गौय तुमको असमीत प्रसन्नता प्रदान करें ।

यहाँ प्रकरण के सामर्थ्य से अभिधा के नियन्त्रित होने से 'गाव' का वाच्य अर्थ 'किरण' है । परन्तु वाच्य के सामर्थ्य से यहाँ 'गाव' का अर्थ 'गौय' भी आक्षिप्त होता है, जो कि व्यङ्ग्य अर्थ है । इससे सूर्य की किरण और गौश्रो में उपमान-उपमेय भाव की कल्पना होती है अतः यह शब्दशक्तिमूल अलङ्कारध्वनि है ।

इन उदाहरणों में शब्दशक्ति से अप्राकरणिक दूसरे अर्थ के प्रकाशित होने पर वाच्य की असम्बद्धार्य बोधकता प्रसक्त न हो, इस कारण अप्राकरणिक और प्राकरणिक अर्थों में उपमानोपमेय भाव की कल्पना भरनी चाहिये । यह श्लेष शब्द सामर्थ्य से आक्षिप्त है, न कि शब्दनिष्ठ है, अतः अनुस्वानोपमव्यङ्ग्य ध्वनि का विषय श्लेष अलङ्कार से भिन्न ही है ।

शब्दशक्तिमूल और श्लेष अलङ्कार के विषय का भिन्नता प्रदर्शित करने के लिये पहले आचार्य ने ६ उदाहरण "येन ध्वस्तमनोभवेत्" से लेकर 'दृष्ट्या केशवगोपरागहृतया' तक) श्लेष अलङ्कार के विषय के उद्धृत किये । तदनन्तर उन्होंने तीन उदाहरण ("अत्रान्तरे वृसुमसमययुगम्", "उग्रस प्रोल्लङ्कारः" और "दत्ता-नन्दा प्रजानाम्") शब्दशक्तिमूल ध्वनि के विषय के दिये । आचार्य का कहना है कि इनमें अभिधा द्वारा प्राकरणिक अर्थ का बोध होता है और प्रकरण के सामर्थ्य से अभिधा उस प्राकरणिक अर्थ में नियन्त्रित हो जाती है । तदनन्तर शब्द की शक्ति के सामर्थ्य से व्यञ्जना द्वारा अप्राकरणिक अर्थ का भी बोध होता है । अब यह अर्थ क्या कि अप्राकरणिक है, इसलिये वाक्य से असम्बद्ध प्रतीत होगा । इस अर्थ की वाक्य से असम्बद्धता प्रतीत न हो, अतः प्राकरणिक और अप्राकरणिक अर्थों में उपमान-उपमेय भाव की कल्पना कर लेनी चाहिये । इस प्रकार प्रस्तुत वाच्यार्थ उपमेय और अप्रस्तुत व्यङ्ग्य अर्थ उपमान होगा । द्वितीय अर्थ के वाच्य न होने से, शब्दनिष्ठ न होने एवं व्यङ्ग्य होने से यह श्लेष अलङ्कार का विषय नहीं होगा, अपितु शब्दशक्तिमूल ध्वनि का विषय होगा ।

अन्येऽपि चालङ्काराः शब्दशक्तिमूलानुस्वानरूपव्यङ्ग्ये ध्वनी सम्भवन्त्येव । तथा हि विरोधोऽपि शब्दशक्तिमूलानुस्वानरूपो दृश्यते । यथा स्थाण्वीश्वराख्यजनपदवर्णने भट्टयाणस्य—

“यत्र च मातङ्गगामिन्य, शीलवत्यश्च, गीर्यो विभवरताश्च, श्यामा पश्चरागिण्यश्च, धवलद्विजशुचिचदना मदिरामोदिश्वसनाश्च प्रमदा ” ।

दूसरे अलङ्कारो का शक्तिमूल विषयत्व—

हिन्दी अर्थ—शब्दशक्तिमूल अनुस्वानरूपव्यङ्ग्य ध्वनि में दूसरे अलकार भी सम्भव हो सकते हैं । जैसा कि विरोध भी शब्दशक्तिमूल अनुस्वानरूप दृष्टिगोचर होता है । जैसा कि बाणभट्ट के स्थाण्वीश्वर नामक जनपद का वर्णन करने में है—

श्रीर जहाँ नारियाँ गजगामिनी तथा सदाचारिणी हैं (मातङ्ग अर्थात् चाण्डालो में गमन करने वाली एव शीलवती । इस अर्थ में विरोध है । परन्तु मातङ्गगामिनी का अर्थ गजगामिनी करने पर विरोध नहीं रहता), गौरे वण की है और ऐश्वर्य सम्पन्न हैं (गौरी अर्थात् पार्वती हैं तथा विभव अर्थात् शिव से मिला व्यक्ति के प्रति अनुरक्त हैं । इस अर्थ में विरोध है । परन्तु गौरी का अर्थ गौरे वर्ण की तथा विभव का अर्थ ऐश्वर्य करने पर विरोध नहीं रहता ।) यौवनवती युवती हैं तथा पश्चराग मंगियों को धारण करने वाली हैं । श्याम वर्ण की हैं और लाल कमल के समान रंग वाली हैं । इस अर्थ में विरोध है । परन्तु श्यामा का अर्थ यौवनमध्यस्था युवती और पश्चराग का अर्थ पश्चराग मणि करने पर यह विरोध नहीं रहता), निर्मल बाँतो से युक्त उज्ज्वल मुख वाली और मदिरा से सुगन्धित श्वास वाली हैं (निर्मल छात्रों के समान पवित्र मुख वाली और मदिरा की गन्ध से युक्त श्वास वाली हैं । इसमें विरोध है । परन्तु द्विज का अर्थ दास करने पर विरोध नहीं रहता) ।

आनन्दवधन ने यह उदाहरण बाणभट्ट के 'हृषिकर्षित' से उद्धृत किया है । परन्तु यह उद्धरण पूरा नहीं है । उसमें "प्रमदा" से पूर्व इतने पद और हैं—

“चन्द्रकान्तवपुष शिरीषकोमलाङ्गघञ्च, अशुभजङ्गम्या कञ्चुविन्ध्यश्च, पृथुकलत्रधिया दरिद्रमध्यकलिताश्च, लावण्यवत्यो मधुभाषिण्यश्च, अग्रमत्ता प्रसन्नोज्ज्वलरागाश्च, अशौतुका प्रोढाश्च ” ।

परन्तु आचार्य वा इस उदाहरण को प्रस्तुत करने का उद्देश्य इतने से ही पूरा हो गया होगा, इसीलिये उन्होंने शेष अक्ष को छोड़ दिया । परन्तु कुछ सस्वरणों में इस अवशिष्ट अक्ष को कोष्ठक के अन्दर देकर प्रकाशित कर दिया गया है ।

इस उदाहरण में शब्द के सामर्थ्य से आक्षिप्त विरोध अलकार व्यञ्जित होता है । अतः यह शब्दशक्तिमूल अनुस्वानामव्यङ्ग्य ध्वनि है ।

यहाँ एक शब्दा उत्पन्न होती है कि इस उदाहरण में विरोध अलकार अथवा उसकी छाया का अनुप्राहक श्लेष वाच्य है अतः यह शब्दशक्तिमूल ध्वनि नहीं है । इसका विवेचन ध्वनिकार ने इस प्रकार किया है—

अत्र हि वाच्यो विरोधस्तच्छायानुप्राही वा श्लेषोऽयमिति न शक्यं
वक्तुम् । साक्षाच्छब्देन विरोधालङ्कारस्य प्रकाशितत्वात् । यत्र हि साक्षा-
च्छब्दावेदितो विरोधालङ्कारस्तत्र हि श्लिष्टोक्तौ वाच्यालङ्कारस्य
विरोधस्य श्लेषस्य वा विषयत्वम् । यथा तत्रैव—

‘समवाय इव विरोधिनां पदार्थानाम् । तथाहि—सन्निहितबालान्ध-
कारापि भास्वन्मूर्तिः’ । इत्यादौ ।

यथा वा ममैव—

सर्वकेशरणमक्षयमघोशमीशं धिया हरिं कृष्णम् ।

चतुरात्मानं निष्क्रियमरिमथन नमत चक्रधरम् ॥

हिन्दी अर्थ—यहाँ विरोध अलंकार या उसकी छाया का अनुप्राहक श्लेष
अलंकार वाच्य है, यह नहीं कहा जा सकता । कारण यह है कि यहाँ विरोध अलंकार
को साक्षात् शब्द द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया । क्योंकि जहाँ विरोध अलंकार का
साक्षात् शब्द द्वारा कथन किया जाता है, वहाँ उक्ति के श्लिष्ट होने पर विरोध या
श्लेष वाच्य अलंकार का विषय होगा । जैसे कि यहाँ पर—

वहने का तात्पर्य यह है कि इस उदाहरण में विरोध को या उसकी छाया
के अनुप्राहक श्लेष को वाच्य नहीं समझा जा सकता । अलंकार का वाच्यत्व तब
होता, जबकि उसका कथन साक्षात् शब्द से किया जाता । परन्तु “यत्र च मातङ्गान्य ०”
उदाहरण में विरोध के साक्षात् शब्द से कथित न होने से वह वाच्य नहीं है । विरोध
का वाच्यत्व उसी प्रकार में निम्न स्थल पर है—

हिन्दी अर्थ—विरोधी पदार्थों का समुदाय सा था । जैसेकि- बाल रूप अन्ध-
कार से युक्त होते हुये भी चमकती हुई मूर्ति वाला था, इस प्रकार विरोध है ।
परन्तु अन्धकार रूप काले बालों से युक्त होता हुआ और चमकते हुये स्वरूप वाला था
यह अर्थ करने पर विरोध नहीं रहता ।

इत्यादि में विरोध या विरोध की छाया का अनुप्राहक श्लेष अलंकार वाच्य
है । यहाँ ‘समवाय इव विरोधिना’ कहकर विरोध के स्वशब्द से भावेदित किया गया
है । तदनन्तर अपि शब्द ने विरोध को वाच्य बना दिया है । परन्तु “यत्र च मातङ्गा-
मिन्य शीलवत्यश्व ०” में इन पदों के न होने के कारण विरोध को या विरोध की
छाया के अनुप्राहक श्लेष को वाच्य नहीं कहा जा सकता ।

एक शब्दा और हो सकती है । ‘सन्निहितबालान्धकारापि भास्वन्मूर्ति’ में यदि
‘अपि’ शब्द विरोध का वाचक है, तो ‘यत्र च मातङ्गामिन्य शीलवत्यश्व’ में ‘च’
पद को विरोध का वाचक मान लेना चाहिये । इन उदाहरणों में ‘च’ पद का पुन
पुन प्रयोग विरोध को वाच्यता को सूचित करता है, व्यङ्ग्यता को नहीं । समालोचकों
को इस अरुचि को ध्यान में रखकर शब्दशक्तिमूल विरोध ध्वनि का दूसरा उदाहरण
ध्वनिवार देते हैं—

हिन्दी अर्थ—जैसा कि मेरी रचना में है—

जो भगवान्—सबके एकमात्र शरण (धर) हैं और क्षय (धर) नहीं हैं, बुद्धि के
स्वामी (धी + ईश) नहीं है और बुद्धियों के स्वामी हैं, हरे वरुण के (हरि) हैं और बालें
(कृष्ण) वरुण के हैं, पराश्रम से युक्त (चतुरात्मा) हैं और निष्क्रिय हैं, अरों से युक्त
चक्र का मयन करने वाले हैं और चक्र को धारण करने वाले हैं ।

अत्र हि शब्दशक्तिमूलानुस्वानरूपो विरोधः स्फुटमेव प्रतीयते । एवं-
धिघो ध्यतिरेकोऽपि दृश्यते । यथा मर्मव—

खं येऽप्युज्ज्वलयन्ति तूनतमसो ये वा नखोद्भासिनो
ये पुष्पान्ति सरोरुहश्रियमपि क्षिप्ताब्जभासदच ये ।
ये मूर्धस्ववभासिनः क्षितिभृतां ये चामराणां शिरां-
स्युत्क्रामन्त्युभयेऽपि ते विनपतेः पादाः श्रिये सन्तु वः ॥

भगवान् के इस स्वल्प-वर्णन में विरोध प्रतीत होता है । परन्तु निम्न प्रकार से अर्थ करने पर विरोध नहीं होगा—

सबके एवमात्र शरण है और अविनाशी हैं, सम्पूर्ण तिलोत्ती के स्वामी हैं और बुद्धियों के स्वामी हैं, विष्णुस्वरूप (हरि) हैं और शृणु स्वरूप हैं । सर्वज्ञस्वरूप हैं और निष्क्रिय हैं, शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं और चक्र को धारण करने वाले हैं ।

यहाँ शब्दशक्तिमूल अनुस्वानरूप विरोध ध्वनि स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है ।

शब्दशक्तिमूल विरोध ध्वनि का उदाहरण—

हिन्दी अर्थ—इस प्रकार की शब्दशक्तिमूल ध्यतिरेक ध्वनि भी दृष्टिगोचर होती है । जैसे कि मेरी ही रचना में है—

सूर्य के वे दोनों ही प्रकार के पाद (किरणरूप पाद और चरणरूप पाद) तुम्हारे कल्याण के लिये होंगे । दोनों के गुणों का वर्णन करते हैं—अन्धकार का विनाश करने वाले (किरणरूप पाद) आकाश को अत्यधिक प्रकाशमान करते हैं तथा (चरणरूप पाद) नक्षों से सुशोभित हैं (आकाश को उद्भासित नहीं करते), जो (किरणरूप पाद) कमलों को शोभा को पुष्ट करते हैं तथा (चरणरूप पाद) कमलों की शोभा को तिरस्कृत करते हैं, जो (किरणरूप पाद) पर्वतों के शिखरों पर प्रकाशित होते हैं अथवा राजाओं के शिरों पर अवभासित होते हैं, और जो (चरणरूप पाद) देवताओं के शिरों का भी (प्रभाम के समान) अतिश्रमण करते हैं ।

इस पद्य में सूर्य के दो प्रकार के पादों (किरणों एवं चरणों) का वर्णन किया गया है । इसमें चरणरूपी पाद नखोद्भासी, कमलों की शान्ति को तिरस्कृत करने वाले और देवताओं के शिरों का अतिश्रमण करने वाले हैं । इन पादों की अज्ञेया में किरणरूपी पाद आकाश को प्रकाशित करने वाले, कमलों की शोभा को पुष्ट करने वाले और पर्वतों के शिखरों को अवभासित करने वाले होने के कारण अतिश्रमण गुण वाले हैं । अतः यहाँ ध्यतिरेक ध्वनिकार के व्यञ्जित होने में शब्दशक्तिमूल अनुस्वानुपम ध्यतिरेक ध्वनि है । यहाँ 'नखोद्भासिनः' आदि पदों की सामर्थ्य में विरोध ध्वनि भी हो सकती है ।

एवमन्येऽपि शब्दशक्तिमूलानुस्वानरपध्यङ्गध्वनिप्रकाराः सन्ति
ते सहृदये. स्वयमनुसर्तव्याः । इह तु ग्रन्थविस्तरभयान्न तत्प्रपञ्चः
कृतः ॥२१॥

हिन्दी अर्थ—इस प्रकार शब्दशक्तिमूलक अनुस्वानरूप ध्यङ्गध्वनि के और
भी अनेक प्रकार हो सकते हैं । सहृदयो को स्वयं उनका अनुसन्धान करना चाहिये ।
ग्रन्थ के विस्तार के भय से यहाँ उनका विस्तृत प्रतिपादन नहीं किया गया ।

आचार्य आनन्दवर्धन ने शब्दशक्तिमूलक अनुस्वानरूप उपमा, विराध और
व्यतिरेक अलङ्कार ध्वनियों के उदाहरण दिये हैं । उनका कहना है कि इस प्रकार से
अनेक अलङ्कार ध्वनि रूप हो सकते हैं । यदि उन सभी का यहाँ वर्णन किया जाता तो
ग्रन्थ का विस्तार बहुत अधिक हो जाता । इसलिये उनका विस्तृत प्रतिपादन यहाँ नहीं
किया गया । सहृदय स्वयं ही काव्या में उनका अनुसन्धान कर सकते हैं ।

विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि के दो भेद किये गये थे—असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य और
सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य । पहले रसादि रूप असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि की विवेचना करके
आचार्य ने सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि का विवेचन किया । इसके उन्होंने दो भेद किये—
शब्दशक्त्युद्भव और अर्थशक्त्युद्भव । उत्तरवर्ती आचार्यों ने शब्द और अर्थ की शक्ति
का समन्वय करके उभयशक्त्युद्भव ध्वनि का भी विभाजन किया है तथा सलक्ष्यक्रम-
व्यङ्ग्य को तीन प्रकार का वर्गीकृत किया है । उत्तरवर्ती आचार्यों ने शब्दशक्त्युद्भव
के दो भेद किये—वस्तु ध्वनि और अलङ्कार ध्वनि । परन्तु 'ध्वन्यालोक' में यहाँ इस
प्रकरण में आचार्य ने अलङ्कार ध्वनि का ही विवेचन किया है । वस्तुध्वनि का नहीं ।
आचार्य विश्वेश्वर ने अपनी 'ध्वन्यालोक' की टीका में इसका हेतु यह दिया है कि—
“अलङ्कार ध्वनि के स्पष्टीकरण के लिये जो इतना अधिक प्रयत्न ग्रन्थकार ने किया,
वह सम्भवतः उसने विवादास्पद स्वरूप और महत्व को ध्यान में रखकर किया है ।
वस्तु ध्वनि के अधिक स्पष्ट और विवादास्पद होने के कारण ही उसका विवेचन नहीं
किया है । (आचार्य विश्वेश्वर की ध्वन्यालोक की हिन्दी व्याख्या-द्वितीय संस्करण-२०२८
वि० पृ० १३१) ।

परन्तु यह हेतु कुछ सगत प्रतीत नहीं होता । सम्भवतः आचार्य आनन्दवर्धन
शब्दशक्तिमूल वस्तु ध्वनि को स्वीकार ही नहीं करते थे । उन्होंने अलङ्कारध्वनि की
विवेचना में स्वयं लिखा है “जिस काव्य में केवल अलङ्कार ही, वस्तुमात्र नहीं, शब्द-
शक्ति से प्रकाशित होता है वही शब्दशक्त्युद्भव ध्वनि विवक्षित है । वस्तुध्वनि के शब्द-
शक्ति से प्रकाशित होने पर श्लेष अलङ्कार ही होता है । (यस्मादाङ्कारो न वस्तुमात्र
यस्मिन् काव्ये शब्दशक्त्या प्रकाशते स शब्दशक्त्युद्भवो ध्वनिरित्यस्मात् विवक्षितम् ।
वस्तुध्वने च शब्दशक्त्या प्रकाशमाने श्लेषे ।)

अर्थशक्त्युद्भवस्त्वन्यो यत्रार्थः स प्रकाशते ।

यस्तात्पर्येण वस्त्वन्यद् व्यनक्त्युक्तिं विना स्वतः ॥२२॥

यथार्थः स्वसामर्थ्यादर्थान्तरमभिव्यनक्ति शब्दव्यापारं विनैव सोऽर्थशक्त्युद्भवो नामानुस्वानोपमव्यङ्ग्यो ध्वनिः ।

इससे स्पष्ट होता है कि शब्दशक्त्युद्भव वस्तुध्वनि को स्वीकार न करने के कारण ही आचार्य धानन्दवर्धन ने इसकी विवेचना नहीं की होगी । अभिनवगुप्त ने भी ध्वनि के भेदों की गणना करते हुये शब्दशक्त्युद्भव ध्वनि को एक ही भेद माना है । उसके अन्य विभाजन नहीं किये । इससे प्रतीत होता है कि वे भी शब्दशक्त्युद्भव वस्तु ध्वनि को नहीं मानते होंगे ॥२१॥

शब्दशक्त्युद्भव ध्वनि की विवेचना करके आचार्य अब शब्दशक्त्युद्भव ध्वनि की विवेचना करते हैं—

अर्थशक्त्युद्भव नाम को दूसरी ध्वनि यह है जहाँ यह अर्थ (अभिप्राय से बोधित अर्थ) अभिप्राय शब्दव्यापार के बिना ही स्वतः तात्पर्य से दूसरी वस्तु को प्रकाशित करे ॥२२॥

जहाँ अर्थ (वाच्य अर्थ) शब्द के व्यापार के बिना ही अपने सामर्थ्य से दूसरे अर्थ को व्यञ्जित कर देता है, वह अर्थशक्त्युद्भव नामक अनुस्वानोपमव्यङ्ग्य ध्वनि है ।

तात्पर्येण—यहाँ 'तात्पर्य' का अभिप्राय भाट्ट मीमांसकों की तात्पर्या वृत्ति से नहीं है, जो कि अभिप्राय वृत्ति के पदों के अर्थ में क्षीण हो जाने के कारण वाक्यार्थ-संगति को तात्पर्या वृत्ति से मानते हैं, अपितु इसको व्यञ्जना व्यापार वा ग्राह्य समझना चाहिये । तात्पर्य पद का प्रयोग अभिप्राय वृत्ति के निराकरण के लिये किया गया है कि उस व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति अभिप्राय में नहीं होती । वह अभिप्राय वृत्ति तो वाच्य अर्थ की प्रतीति के अनन्तर ही क्षीण हो जाती है ।

उक्ति विना—शब्दव्यापार के बिना वह व्यङ्ग्य अर्थ स्वशब्दवाच्य नहीं है । 'उक्ति विना' पद से यही सूचित होता है ।

इस प्रकार में ध्वनिकार ने अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि के स्वरूप तथा भेदों की विवेचना की है । उत्तरवर्ती मम्मट आदि आचार्यों ने अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि के १० भेद किये हैं । 'ध्वन्यालोचन' में भी इसी प्रकार के भेद दिखाये गये हैं, परन्तु वे उनसे स्पष्ट नहीं हैं । इस अर्थ में अर्थशक्त्युद्भव के दो मुख्य भेद—प्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नगरीर एवं स्वयमम्भवी हैं । मम्मट ने प्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नगरीर को एक ही भेद न मानकर दो भेदों में परिचलित करके तीन भेद दिये—कविप्रौढोक्तिमात्रनिष्ठ, कविनिष्ठ-धकृप्रौढोक्तिमात्रनिष्ठ और स्वयमम्भवी । धानन्दवर्धन ने प्रथम दो भेदों को एक भेद प्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नगरीर के अन्तर्गत गणित कर दिया है । अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि का उदाहरण देते हैं—

यथा—

एवंवादिनि देवपौ पादवै पितुरधोमुखी ।

लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती ॥

अत्र हि लीलाकमलपत्रगणनमुपसर्जनीकृतस्वरूप शब्दव्यापारं
विनैवार्थान्तरं व्यभिचारिभावलक्षणं प्रकाशयति ।

न चायमलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यस्यैव ध्वनेविषयः । यतो यत्र साक्षाच्छब्द-
निवेदितेभ्यो विभावानुभावव्यभिचारिभ्यो रसादीनां प्रतीतिः स तस्य
केवलस्य मार्गः ।

हिन्दी अर्थ—जैसे कि—

देवपि के इस प्रकार कहने पर पिता के समीप नीचे मुख किये बंठी हुई
पार्वती लीलाकमल की पल्लुडियो को गिनने लगी ।

यहाँ लीला कमल की पल्लुडियो की गणना अपने स्वरूप को उपसर्जनीकृत
करके (गुणीभूत करके) शब्द के व्यापार के बिना ही व्यभिचारीभाव लक्षणा रूप दूसरे
अर्थ को अभिव्यक्त करती है ।

इस पद्य में 'लीलाकमलपत्रगणना' इस अर्थ के कवि ने पार्वती के मन में
उत्पन्न लज्जा या अवहित्या का भाव व्यक्त किया है । यह भाव अभिधा शब्दव्यापार
से अभिव्यञ्जित नहीं है, अपितु व्यङ्ग्य है । इसलिये यह अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि का
विषय है ।

लोचनकार की व्याख्या के अनुसार इस पद्य में अभिव्यक्त व्यभिचारीभाव
(अर्थान्तरमिति लज्जात्मकम्), परन्तु विश्वनाथ ने इसमें अवहित्या नामक व्यभिचारी
भाव बताया है । अवहित्या का लक्षण है—

“भयगौरवलज्जादेहंपाद्यावारगुप्तिरवहित्या । व्यापारान्तरासक्तिरन्यथाभाषण-
विलोकनादिवरी ।”

भय, गौरव, लज्जा, हर्ष आदि के कारण आकारगोपन को अवहित्या कहते हैं ।
इससे व्यक्ति दूसरे व्यापार, अन्यथा भाषण, अन्यथा विलोकन आदि करने लगता है ।
इस प्रकार लज्जा का समावेश भी अवहित्या में हो जाता है ।

यहाँ यह शङ्का उत्पन्न होती है कि इस पद्य में लज्जा या अवहित्या नामक
व्यभिचारी भाव से शृङ्गार रस की प्रतीति है, अतः यह उदाहरण असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य
ध्वनि का होना चाहिये । इसका उत्तर ग्रन्थकार देते हैं—

हिन्दी अर्थ—यह अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि का ही विषय नहीं है । क्योंकि
जहाँ साक्षात् शब्द से निवेदित विभाव, अनुभाव और व्यभिचारीभावों से रस आदि
की प्रतीति होती है, इस असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि का केवल यह मार्ग है ।

यथा कुमारसम्भवे मधुप्रसङ्गे वसन्तपुष्पाभरण वहन्त्या देव्या
आगमनादिवर्णन मनोभवशरसन्धानपर्यन्त शम्भोश्च परिवृत्तधैर्यस्य चेष्टा-
विशेषवर्णनादि साक्षाच्छब्दनिवेदितम् ।

इह तु सामर्थ्याक्षिप्तव्यभिचारिमुखेन रसप्रतीतिः । तस्मादय-
मन्यो ध्वने. प्रकार' ।

अलक्ष्यत्रमव्यङ्ग्य ध्वनि वही होती है, जहाँ साक्षात् शब्दों से कथित विभाव
अनुभाव और व्यभिचारी भावों से रस की प्रतीति होती है । इसके उदाहरण में ध्वनि-
कार ने 'कुमारसम्भव' के एक प्रसङ्ग को उद्धृत किया है—

हिन्दी अर्थ—जिस प्रकार 'कुमारसम्भव' में वसन्त ऋतु के प्रसङ्ग में वासन्ती
पुष्पों के आमूपणों को धारण किये हुये देवी पार्वती के आगमन आदि के वर्णन से
प्रारम्भ करके कामदेव के शरसन्धान पर्यन्त का वर्णन और धैर्यच्युत शिव की विरोध
चेष्टाओं का वर्णन साक्षात् शब्दों से निवेदित है ।

ये वर्णन इस प्रकार हैं—

निर्वाणभूयिष्ठमयास्य वीर्यं सन्धुक्षयन्तीव वपुर्गुणेन ।

अनुप्रयाता वनदेवताभिरदृश्यत स्यावरराजकन्या ॥

यहाँ आलम्बन और उद्दीपन विभावों का सम्पूर्ण वर्णन रस की प्रतीति के
योग्य है ।

प्रतिग्रहीतु प्रणयिप्रियत्वात्त्रिलोचनस्तामुपचक्रमे च ।

समोहन नाम च पुष्पघन्वा घनुष्यमोघ समघत बाणम् ॥

इसके द्वारा विभाव का उपयोग कहा गया है ।

हरस्तु विञ्चित् परिवृत्तधैर्यश्चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशि ।

उमामुञ्चे विम्बफलाघरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि ॥

यहाँ पार्वती के पहले से ही शिव के प्रति आसक्त होने के कारण और अब
शिव के पार्वती के प्रति उन्मुख होने के कारण एव प्रणयी के प्रति पक्षपात होने के
कारण प्रगाढ़ होने हुये रतिरूप स्थायीभाव के औसुक्य, आवेग, चापल्य, हर्ष आदि
व्यभिचारी भावों के अनुभावा को प्रकाशित किया गया है । इस प्रकार विभाव और
अनुभावों की चवणा ही व्यभिचारी भावों की चवणा में पर्यवसित होती है । व्यभि-
चारी भावों के परतन्त्र होने के कारण इनकी विश्रान्ति मात्रा घागे के समान स्थायी-
भाव में होने से यहाँ असलक्ष्यत्रमव्यङ्ग्य ध्वनि है । इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि
जहाँ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारीभाव साक्षात् रूप से रस की प्रतीति कराते
हैं वहाँ असलक्ष्यत्रमव्यङ्ग्य ध्वनि होती है । परन्तु यहाँ "एववादिनि देवपौ०" में
ऐसी स्थिति नहीं है—

हिन्दी अर्थ—यहाँ तो सामर्थ्य से आक्षिप्त व्यभिचारी भावों के द्वारा रस की
प्रतीति होती है । इसलिये यह ध्वनि का प्रकार दूसरा ही है ।

यत्र च शब्दव्यापारसहायोऽर्थोऽर्थान्तरस्य व्यञ्जकत्वेनोपादीयते,
स नास्य ध्वनेर्विषय । यथा—

सङ्केतकालमनसं चिटं ज्ञात्वा विदग्धया ।

हसन्नेत्रार्पिताकूलं लीलापद्मं निमीलितम् ॥

अत्र लीलाकमलनिमीलनस्य व्यञ्जकत्वमुक्तयैव निवेदितम् ॥२२॥

तथा च—

शब्दार्थशक्त्याक्षिप्तोऽपि व्यञ्जघोऽर्थं कविना पुनः ।

यत्राविष्टिक्रयते स्वोक्त्या सान्येवालङ्कृतिध्वने ॥२३॥

“एववादिनि देवपौ०” पद्य में साक्षात् शब्द से निवेदित विभाव आदि से रस की प्रतीति नहीं है, अपितु शब्द से सामर्थ्य से आक्षिप्त व्यभिचारी भाव से है। कमल के पत्ता का गिनना एव नीचे को मुख कर लेना कुमारियों के लिये लज्जा के कारण ही नहीं, अपितु अन्य कारणों से भी हो सकता है। परन्तु यहाँ पूर्ववृत्त तपश्चर्या आदि के वृत्तान्त का स्मरण करने से पावती में ये व्यापार लज्जा की प्रतीति कराते हैं। इस प्रकार लज्जा की प्रतीति में ब्रमव्यङ्ग्यता लक्षित होती है। अतः लज्जा रूप व्यभिचारी भाव के लक्षितब्रमव्यङ्ग्य होने से यहाँ सन्ध्यब्रमव्यङ्ग्य ध्वनि होगी, असलक्ष्यब्रमव्यङ्ग्य नहीं।

ध्वनिवार की इस विवेचना से यह प्रतीत होता है कि रस आदि सदा व्यङ्ग्य ही होते हैं, पर वे सदा असलक्ष्यब्रमव्यङ्ग्य भी हो सकते हैं। परन्तु उत्तरवर्ती आचार्यों ने रसध्वनि को असलक्ष्यब्रमव्यङ्ग्य ही माना है।

अब कारिका के ‘उक्ति विना’ पद का स्पष्टीकरण करने के लिये ध्वनिवार कहते हैं—

हिन्दी अर्थ—घोर जहाँ वाच्य अर्थ शब्दव्यापार की सहायता से दूररे अर्थ के व्यञ्जक के रूप में उपपन्न होता है, वहाँ भी अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि का विषय नहीं होता जैसे—

चिट के सहेत के समय को जानने के मन को समझकर सगुर नादिका ने हंसाते हुये नेत्रों से अपना अभिप्राय प्रकट करके लीलाकमल को निमीलित कर दिया।

यहाँ लीलाकमल के निमीलन का व्यञ्जकत्व उक्ति द्वारा ही निवेदित कर दिया गया है ॥२२॥

लीलाकमल के निमीलन से ‘गुर्याम्न का समय मिलन के लिये है’ अर्थ व्यञ्जित होता है। यद्यपि यह अर्थ व्यङ्ग्य है, क्योंकि पद्य में स्थित किसी पद का यह वाच्य अर्थ नहीं है, तथापि ‘नेत्रार्पिताकूलम्’ पद के व्यापार द्वारा यह अर्थ व्यक्त हो जाता है। अतः वाच्य अर्थ क्योंकि इस शब्दव्यापार की सहायता से व्यङ्ग्य अर्थ का अभिव्यक्त करना है, अतः यहाँ ध्वनि नहीं है ॥२२॥

ध्वनिवार का मन्तव्य है कि यदि व्यङ्ग्य अर्थ भी यदि द्वागपुन अपने अर्थों से कह दिया जाता है, तो वह ध्वनि नहीं होगा—

हिन्दी अर्थ—घोर इसी प्रकार से—

शब्द, अर्थ या शब्दावयव की शक्ति में आक्षिप्त किया गया भी व्यङ्ग्य अर्थ यदि कवि के द्वारा अपने उक्ति से जहाँ प्रकटित कर दिया जाता है, वहाँ ध्वनि में निम्न घोर कोई अन्य ही अलङ्कार होगा ॥२३॥

शब्दशक्त्या, अर्थशक्त्या, शब्दार्थशक्त्या वाक्षिप्तोऽपि व्यङ्ग्योऽर्थः
कविना पुनर्यत्र स्वोक्त्या प्रकाशोक्तिर्यते, सोऽस्मादनुस्वानोपमव्यङ्ग्याद्
ध्वनेरन्य एवालङ्कारः । असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यचरय वा ध्वनेः सति सम्भवे स
तादृगन्योऽलङ्काराः ।

तत्र शब्दशक्त्या यथा—

वत्से मा गा विषादं श्वसनमुरुजवं सन्त्यजोध्वंप्रवृत्त
कम्पः को वा गुरुस्ते भवतु बलभिवा जृम्भितेनात्र याहि ।
प्रत्यार्यानां सुराणामितिभयशमनच्छन्ना कारयित्वा
यस्मै लक्ष्मीमदाद्द्व. स दहतु दुरितं मन्यमूढां पयोधिः ॥

शब्द की शक्ति से, अर्थ की शक्ति से, या शब्दाप की शक्ति से प्रकाशित किया गया भी व्यङ्ग्य अर्थ कवि के द्वारा जहाँ पुन अपनी उक्ति से प्रकाशित किया जाता है, वह इस अनुस्वानोपमव्यङ्ग्य ध्वनि से मिन कोई अन्य ही विलक्षण अलङ्कार होता है । अथवा असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि के सम्भव होने पर वह इस प्रकार का अन्य ही अलङ्कार होता है ।

अभिप्राय यह है कि यदि काव्य में कोई अर्थ शब्द के सामर्थ्य से, अर्थ के सामर्थ्य से या शब्दार्थ के सामर्थ्य से आक्षिप्त होकर व्यङ्ग्य रूप से प्रतीत हो रहा है, परन्तु कवि तुरन्त ही उसको अपने शब्दों से भी निवेदित कर दे तो वह ध्वनि नहीं रहेगा, अपितु श्लेष आदि वाच्य अलङ्कार का विषय होगा । यह स्थिति अनुस्वानोपमा-रूप सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनि में ही नहीं है, अपितु असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य रसादिध्वनि में भी है । ध्वनि स्वशब्दवाच्यता को सहन नहीं कर सकती । व्यङ्ग्य अर्थ के स्वशब्द-वाच्य को सहन नहीं कर सकती । व्यङ्ग्य अर्थ के स्वशब्दवाच्य हो जाने पर उसकी प्रधानता नष्ट हो जाती है और वहाँ श्लेष आदि अलङ्कारों की प्रधानता हो जाती है । व्यङ्ग्य के गुणीभूत हो जाने से काव्य ध्वनिकाव्य नहीं होगा ।

कारिका में 'शब्दार्थशक्त्या' पद से यह स्पष्ट हो जाता है कि ध्वनिकार सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि के तीन भेदों—शब्दशक्तिमूल, अर्थशक्तिमूल और उभयशक्ति-मूल को स्वीकार करते थे । इस पद का विग्रह इस प्रकार किया जा सकता है—
शब्दश्व अर्थश्व = शब्दाथौ । शब्दाथौ च शब्दार्थश्व शब्दाथौ । तेषा शक्त्या" ।

शब्दार्थ शक्ति से आक्षिप्त व्यङ्ग्य अर्थ के स्वशब्दवाच्य होने पर उसमें ध्वनित्व के अभाव के उदाहरणों को ध्वनिकार क्रमशः प्रस्तुत करते हैं—

हिन्दी अर्थ—(१) उसमें शब्दशक्ति से, जैसे—

समुद्रमन्यन के समय मन्यन के भय से ध्याकुल एवं विष्णु की कामना करती हुई लक्ष्मी के प्रति समुद्र के ये सान्त्वना वचन हैं—

हे पुत्रि ! बुझ को प्राप्त मत हो (विष को खाने वाले मयानक शिव के पास मत जाओ), तीव्र गति वाले तथा ऊपर को उठते हुए श्वासों को छोड़ दो (तीव्र गति वाले मयानक वायु देवता को और ऊपर की ओर गतिशील ज्वालाओं वाले अग्नि देवता को छोड़ दो), तुम्हें बहुत अधिक कम्पन क्यों है (क जल पति इति कम्प देवता को छोड़ दो), तुम्हें बहुत अधिक कम्पन क्यों है (क जल पति इति कम्प वरुण, कः प्रजापति ब्रह्मा वा । वरुण और ब्रह्मा तो तुम्हारे गुरु के समान हैं), बल को तोड़ देने वाली जम्माइयों को रोक लो (ऐश्वर्य से मत इन्द्र से बस करो) । इस प्रकार भय को शान्त करने के बहाने से देवताओं का प्रत्याख्यान करा कर समुद्र ने मन्यन से डरी हुई लक्ष्मी को जिस विष्णु के लिये प्रदान किया था, वे विष्णु आप सबके कष्टों को दूर करें ।

अर्थशक्त्या यथा—

श्रम्वा शैतेऽत्र वृद्धा परिणतवयसामग्रणीरत्र तातो
नि.शेषागारकमश्रमशिथिलतनुः कुम्भदासी तथात्र ।
अस्मिन् पापाहमेका कतिपयदिवसप्रोषितप्राणनाया
पान्थायेत्य तरुण्या कथितमवसरध्याहृतिव्याजपूर्वम् ॥

उभयशक्त्या यथा—

“दृष्ट्या केशवगोपरागहृतया” इत्यादौ ॥२३॥

इस पद्य के पूर्वार्द्ध में देवताओं के प्रत्याख्यान का बोधक अर्थ व्यङ्ग्य था । परन्तु उत्तरार्ध में ‘अभयशमनछप्रना सुराणा प्रत्याख्यान कारयित्वा’ पदों से यह अर्थ स्वशब्दवाच्य हो गया । अतः यहाँ ध्वनि नहीं रही । यहाँ श्लेष अलङ्कार ही होगा ।

कारयित्वा—यह पद ‘वृ’ धातु से प्रेरणार्थक अर्थ में ‘णिच्’ प्रत्यय करने निष्पन्न हुआ है । इसका अभिप्राय यह है कि समुद्र ने स्वयं लक्ष्मी में विष्णु को प्राप्त करने की कामना उत्पन्न नहीं की । अपितु लक्ष्मी, जो कि विष्णु को प्राप्त करने की कामना लेकर समुद्र से अघतीर्ण हुई थी, परन्तु मन्थन से उत्पन्न विशाल सहरो को तथा अनेक देवताओं को देखकर विमूढ़ हो रही थी, उनकी विष्णु की कामना का समुद्र ने समर्थन किया था ।

शब्दशक्ति में आक्षिप्त व्यङ्ग्य अर्थ की स्वशब्दवाच्यता का अर्थशक्ति से आक्षिप्त व्यङ्ग्य अर्थ का उदाहरण देते हैं—

हिन्दी अर्थ—(२) अर्थशक्ति में, जैसे—

बूढ़ा माता यहाँ सोती है, बूढ़ों में भी अरण्यी पिता यहाँ सोते हैं और तारे घर का कार्य करने से परिश्रम से शिथिल शरीर वाली पानी मरने वाली बारी यहाँ सोती है । कुछ दिनों से जिसके प्राणनाय परदेश गये दृष्टे हैं, ऐसी पापिनी अनेकी में यहाँ सोती हैं । उस तरुणी ने अवसर के बहने के बहाने से उस पथिक से इस प्रकार कह दिया ।

यहाँ श्रोत्र के पढ़ने तीन चरणों में तरुणी की पथिक में भोग करने की इच्छा तथा उम भोग के लिये मुन्दर अवसर रूप व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति हो रही है । परन्तु चौथे चरण में ‘अवसरध्याहृतिव्याजपूर्वम्’ पद से यह व्यङ्ग्य अर्थ स्वशब्दवाच्य हो जाता है । अतः यहाँ ध्वनि का अवसर नहीं रह जाता, अतितु व्यङ्ग्य के गुणीभूत हो जाने से यह अलङ्कार प्रधान हो जाता है ।

शब्दशक्ति एवं अर्थशक्ति में आक्षिप्त व्यङ्ग्य की स्वशब्दवाच्यता का उदाहरण देते हैं—

हिन्दी अर्थ—(३) उमशक्ति में जैसे—

“दृष्ट्या केशवगोपरागहृतया” पद्य को ध्वनि के अविषय ‘एव इत्येव अलङ्कार के विषय के उदाहरण के रूप में पृष्ठ १८१ पर उद्धृत किया जा चुका है ॥२३॥

प्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरः सम्भवी स्वतः ।

अर्थोऽपि द्विविधो ज्ञेयो वस्तुनोजन्यस्य दीपकः ॥२४॥

अर्थशक्त्युद्भवानुरणनरूपव्यङ्ग्ये ध्वनी यो व्यञ्जकोऽर्थं उक्तस्त-
स्यापि द्वौ प्रकारौ, कवेः कविनिबद्धस्य वा वस्तुः प्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्न-
शरीर एकः, स्वत सम्भवी च द्वितीयः ।

इस उदाहरण में शब्दशक्ति से और अर्थशक्ति से व्यङ्ग्य अर्थ का आक्षेप किया जाकर वह स्वशब्दवाच्य हो जाता है, अतः ध्वनि नहीं है। इसकी व्याख्या अभिनव-
गुप्त ने इस प्रकार की है—

‘शब्दशक्तिस्तावद् गोपागादिशब्दश्लेषवशात् । अर्थशक्तिस्तु प्रकरणवशात् ।
यावदन राधारमणस्याखिलतरणीजनच्छन्नानुरागगरिमास्पदव न विदित तावदर्धान्तर-
स्याप्रतीते सलेशमिति चात्र स्वोक्तिः ।’

‘गोपराग’ आदि शब्दों में श्लेष के कारण यहाँ शब्दशक्ति के सामर्थ्य से व्यङ्ग्य अर्थ (गोपी की कृष्ण के प्रति कामभावना) की प्रतीति होती है। प्रकरण के द्वारा अर्थशक्ति के सामर्थ्य से भी व्यङ्ग्य अर्थ (गोपी की कृष्ण के प्रति कामभावना) की यहाँ प्रतीति होती है। क्योंकि जब तक यह विदित न हो कि राधारमण कृष्ण में समस्त युवतियों के प्रति प्रच्छन्न राग की गरिमा है, तब तक अर्थान्तर (गोपी कामभावना) की प्रतीति नहीं होगी। इस प्रकार शब्द और अर्थ दोनों की शक्ति से व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति होती है। परन्तु यह व्यङ्ग्य अर्थ ‘सलेशम्’ पद से स्वशब्द-वाच्य हो जाता है। इसलिये यहाँ ध्वनि न होकर श्लेष अलङ्कार ही होगा ॥२३॥

इस प्रकार अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि का सामान्य लक्षण करके ध्वनिकार अब उसके भेदों का कथन करते हैं—

हिन्दी अर्थ—अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि में अन्य (व्यङ्ग्य) अर्थ का प्रकाशक अर्थ भी दो प्रकार का होता है—प्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीर और स्वतः सम्भवी ॥२४॥

अर्थशक्त्युद्भव अनुरणनरूपव्यङ्ग्य ध्वनि में जो व्यञ्जक अर्थ कहा गया है, उसके भी दो प्रकार होते हैं—कवि अथवा कार्य निबद्ध वक्ता की प्रौढ उक्तिमान से निष्पन्न शरीर वाला एक और स्वतःसम्भवी दूसरा ।

अर्थशक्त्युद्भव सलक्ष्यत्रमध्वनि के ध्वनिकार ने दो मुख्य भेद दिखाये हैं। इसमें प्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीर के उन्होंने वृत्ति में पुनः दो भेद किये हैं—कवि की प्रौढोक्ति से निष्पन्न अथवा कवि द्वारा निबद्ध वक्ता की प्रौढोक्ति से निष्पन्न। उत्तर-कालीन आचार्यों ने अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि के सीधे ही तीन भेद—कविप्रौढोक्तिसिद्ध, कविनिबद्धप्रौढोक्तिसिद्ध और स्वत सम्भवी किये हैं ।

कविप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरो यथा—

सज्जेहि सुरहिमासो ण दाव अप्पेइ जुअइजणलबल्लमुहे ।

अहिणवसहआरमुहे णअपल्लवपत्तले अणंगस्स शरे ॥

(सज्जयति सुरभिमासो न तावदप्यति युवतिजनलक्ष्यमुखान् ।

अभिनवसहकारमुखान्नवपल्लवपत्रलाननङ्गस्य शरान् ॥)

कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरो यथोदाहृतमेव "शिल्लरिणि इत्यादि ।

प्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीर—प्रवर्षण उठ सम्पादयितव्येन वस्तुना प्राप्त तत्तुशल प्रौढ । सम्पादन के योग्य वस्तु द्वारा प्राप्त वस्तु की रचना में कुशल । अथवा—उक्तिरपि समर्पयितव्यस्वत्पणोचिता प्रौढैत्युच्यते । समर्पयितव्य वस्तु के अर्पण करने में उचित उक्ति भी प्रौढा कहलाती है । उसके द्वारा निष्पन्न रूप वाला अर्थ प्रौढोक्तिनिष्पन्नशरीर होगा । जहाँ कवि साक्षात् रूप से स्वयं उस उक्ति को बहेगा, तो वह कविप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीर होगा । जहाँ कवि अपने वाक्य के किसी पात्र द्वारा उक्ति को कहलवायेगा, वहाँ कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीर होगा । तीनों उदाहरणों को ध्वनिवार प्रमश प्रस्तुत करते हैं—

हिन्दी अर्थ—(१) कवि की प्रौढ उक्ति से निष्पन्न रूप वाला व्यञ्जक अर्थ जैसे कि—

वसन्त मास युवतियों को लक्ष्य करने वाले अग्रभागों से युक्त, नवीन पल्लवों के पत्तों से युक्त नवीन आम्र प्रभृति फलमदेव के बाणों को तँपार तो कर रहा है, परन्तु, उनकी अमी प्रहार के लिये कामदेव को अर्पित नहीं कर रहा ।

वसन्त बाणों का रचयिता, कामदेव उन बाणों का प्रयोक्ता, युवतियाँ उन बाणों का लक्ष्य और आम्रमञ्जरी आदि बाण हैं । लोक में इस प्रकार की स्थिति यद्यपि नहीं है, तथापि कवि की इस प्रौढ उक्ति से यह व्यञ्जित होता है कि वसन्त ऋतु में आम की मञ्जरियाँ तिलने लगी हैं और इसमें युवतियाँ में प्रमश गाढ़ और गाढ़तर काम का उन्माद आरम्भ होने वाला है । इस प्रकार यहाँ कवि की प्रौढोक्ति से व्यञ्ज्य अर्थ की निष्पत्ति होती है ।

(२) कवि द्वारा निबद्ध वक्ता की प्रौढ उक्ति से निष्पन्न रूप वाला व्यञ्जक अर्थ— जैसे कि पहले उदाहरण दिया जा चुका है— "शिल्लरिणि", इत्यादि । यह उदाहरण पहले उद्योत में दिया जा चुका है, जो इस प्रकार है—

शिल्लरिणि वत्र नु नाम विचन्विर विमभियानमगावकरोत्तप ।

सुमुत्ति मेन तवापरपाटन दग्गति विम्बवन शुवशावक ॥

'अधरपाटन विम्बवन शुवशावक दग्गति' नायक द्वारा नायिका से कहे गए इस वाक्य से नायक की नायिका के अधर की आत्वादन की आर्वासा व्यञ्जित होती

यथा वा—

साअरविद्विष्णुजोठवणहत्थालम्बं समुण्णमन्तेहिम् ।
अठभुट्टाण विअ मम्महस्स दिण्णं तुह थणेहिम् ॥
(सादरचित्तीर्णयौवनहस्तावलम्बं समुन्नमदन्याम् ।
अभ्युत्थानमिव मन्मथस्य दत्त तव स्तनान्याम् ॥)

स्वतः सम्भवी य औचित्येन बहिरपि सम्भाव्यमानसद्भावो न केवलं भणितिवशेनैवाभिनिष्पन्नशरीरः । यथोदाहृतम्—‘एववादिनि’ इत्यादि ।

है। कवि ने यह व्यञ्जकता अपने द्वारा निबद्ध वक्ता की प्रौढ उक्ति द्वारा प्रस्तुत की है, अतः यह कविनिबद्धवचनप्रौढोक्तिनिष्पन्नशरीर है। इसी का एक और उदाहरण दिया जाता है—

हिन्दी अर्थ—अथवा जंमे—

आदर के साथ यौवन के द्वारा सहारा दिये गये और ऊपर को उठते हुये तुम्हारे स्तनो ने मानो कामदेव का उठकर स्वागत सा किया है ।

स्तन यहाँ प्रधानभूत है और उनसे भी अधिक गौरवशाली कामदेव है, जो कि उनके द्वारा स्वागत किया जा रहा है। यौवन इन दोनों के परिचारक के रूप में है। इस प्रकार के उक्तिवैचित्र्य से यह अर्थ अभिव्यञ्जित होता है कि तुम्हारे स्तनो को देखने से किसमे काम की अवस्था की वृद्धि नहीं होती। यदि यहाँ यह कहा जाता कि यौवन के कारण तुम्हारे स्तन उन्नत हो गये हैं, तो इसमें व्यञ्जकता नहीं होती।

इस प्रकार यहाँ कवि द्वारा निबद्ध वक्ता की प्रौढोक्ति से व्यञ्ज्य अर्थ की निष्पन्नता होती है ।

(३) स्वतः सम्भवी अर्थशक्तिमूल ध्वनि का विवेचन अब ध्वनिवार करते हैं—

हिन्दी अर्थ—स्वतः सम्भवी व्यञ्जक अर्थ वह होता है जिसकी सम्भावना बाहर भी (कवि के कल्पनालोक से बाहर लौकिक जगत् में) औचित्य रूप से रहती है और जिसका स्वरूप केवल कवि की उक्तियों से ही निष्पन्न नहीं होता। जंसा कि पहले उदाहरण में दिया गया है—‘एव वादिनि’ आदि ।

अविवाहित वन्य में विवाह के प्रसङ्गों से लज्जा का आविर्भाव केवल कवि की कल्पना में ही नहीं होता, परन्तु कवि की कल्पना से बाहर लोक में भी उचित रूप से देखा जाता है। अतः ‘एववादिनि’ उदाहरण से पावती में अभिव्यक्त लज्जा नामक व्यभिचारी भाव स्वतः सम्भवी अर्थशक्तिमूल ध्वनि है ।

स्वतः सम्भवी अर्थशक्तिमूल ध्वनि का ही एक और उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है—

यया वा—

सिहिपिच्छकण्णपूरा जात्रा वाहस्स गध्विरी भमइ ।
 मुक्ताफलरइपसाहणाण मज्जे सवत्तीण ॥
 (शिखिपिच्छकण्णपूरा जाया व्याघस्य गर्विणी भ्रमति ।
 मुक्ताफलरचितप्रसाधनानां मध्ये सपत्नीनाम् ॥) ॥२४॥
 अर्थशक्तेरलङ्कारो यत्राप्यन्यः प्रतीयते ।
 अनुस्वानोपमव्यङ्ग्यः स प्रकारोऽपरो ध्वनेः ॥२५॥

वाच्यलङ्कारव्यतिरिक्ततो यत्रान्योऽङ्कारोऽर्थसामर्थ्यात् प्रतीयमानो-
 ऽवभासते सोऽर्थशक्त्युद्भवो नामानुस्वानरूपव्यङ्ग्योऽन्यो ध्वनिः ॥२५॥
 तस्य प्रविरलविषयत्वभाशङ्क्येदमुच्यते—

हिन्दी अर्थ—अथवा जैसे—

मोर पहलू का कर्णाभूषण पहने हुए व्याघ की (नवीन) पत्नी मोतियों से प्रसाधन को करने वाली सौती के मध्य में गर्वित होती हुई घूमती है ।

यहाँ नवीन पत्नी के सौभाग्य वा अतिशय व्यङ्ग्य है । उसका भाव यह है कि जब तुम सौती के सौभाग्य का समय था, तब तो यह व्याघ हाथियों का शिकार करता था, जिससे तुमको मोती प्राप्त होने थे । अब मेरे प्रति आसक्त होने से इसको बाहर निरलने का अवकाश ही नहीं मिलता, जिससे कि मैं मोरपक्ष के कर्णाभूषण ही पहन सकती हूँ । इससे उस नवीन पत्नी के सौभाग्य वा अतिशय व्यक्त होता है ।

यह व्यङ्ग्य अर्थ केवल कवि की कल्पना की ही वस्तु नहीं है, परन्तु वास्तविक लोक में भी इसका अस्तित्व सम्भव है । अतः यहाँ स्वतः सम्भवी अर्थशक्तिमूल ध्वनि है ॥२४॥

अर्थशक्तिमूल ध्वनि के अब तक जितने भी उदाहरण दिये गये हैं उनमें वस्तु व्यङ्ग्य है । इस प्रकार ये वस्तुध्वनि के उदाहरण हैं । अन्य ध्वनिकार अलङ्कार ध्वनि का वर्णन करते हैं ।

हिन्दी अर्थ—जहाँ भी अर्थ शक्ति से दूसरा अन्य अलङ्कार प्रतीत होता है, वह अनुस्वानोपमव्यङ्ग्य नाम का ध्वनि का दूसरा प्रकार है ॥२५॥

भाव यह है कि केवल शब्दशक्ति से ही अन्य अलङ्कार प्रतीत नहीं होना, अपितु अर्थशक्ति से भी प्रतीत होना है । अर्थशक्ति से केवल वस्तुरूप अर्थ ही प्रतीत नहीं होता । अपितु अन्य अलङ्कार रूप अर्थ भी प्रतीत होता है । कारिका में अन्य पद का अभिप्राय है कि जो वाच्य अलङ्कार से भिन्न प्रतीयमान अलङ्कार है । अन्य पद की व्याख्या ध्वनिकार वृत्ति में करते हैं—

हिन्दी अर्थ—वाच्य अलङ्कार से भिन्न दूसरा अलङ्कार (प्रतीयमान अलङ्कार) जहाँ अर्थ के सामर्थ्य से प्रतीत होता हुआ अवभासित होता है, वह अर्थशक्त्युद्भव नाम का अनुस्वानरूपव्यङ्ग्य ध्वनि का अन्य प्रकार है ॥२५॥

अनेक समालोचकों ने आशङ्क्य प्रकट की कि उस अलङ्कारध्वनि का विषय कम होगा । इसका उत्तर आचार्य देते हैं—

रूपकादिरलङ्कारवर्गो यो वाच्यता ध्वितः ।

स सर्वो गम्यमानत्वं विभ्रद् नूम्ना प्रदर्शितः ॥२६॥

अन्यत्र वाच्यत्वेन प्रसिद्धो यो रूपकादिरलङ्कारः सोऽन्यत्र प्रतीय-
मानतया बाहुल्येन प्रदर्शितस्तत्र भवद्भिर्भट्टोद्भूटादिभिः । तथा च ससन्देहादि-
षूपमारूपकातिशयोक्तौना प्रकाशमानत्वं प्रदर्शितमित्यलङ्कारान्तरस्मा-
लङ्कारान्तरे व्यङ्ग्यत्वं न यत्नप्रतिपाद्यम् ॥२६॥

हिन्दी अर्थ—उस अलङ्कार ध्वनि के विषय की विरलता को आशङ्का करके यह कहा जाता है—

रूपक आदि अलङ्कारो का वर्ग, जो कि वाच्यता का आशय लेता है, वह सारा वर्ग गम्यमान होता हुआ बहुत विस्तार से दिखाया गया है ॥२६॥

जो रूपक आदि अलङ्कार अन्य स्थलो पर वाच्य रूप में प्रसिद्ध हैं, उन्हीं को आशङ्का मट्टोद्भूट आदि विद्वानों ने दूसरे स्थलो पर प्रतीयमान रूप में बाहुल्य से प्रदर्शित किया है । और इस प्रकार से सन्देह आदि अलङ्कारो में उपमा, रूपक और अतिशयोक्ति अलङ्कारो का प्रकाशित होना (प्रतीयमान होना) दिखाया गया है । इस प्रकार अलङ्कारान्तर में व्यङ्ग्य रूप से प्रकाशित होना यत्नसाध्य नहीं है ।

कुछ समालोचको ने यह आशङ्का प्रकट की कि शब्दशक्ति से श्लेष अलङ्कार के प्रतीयमान होने की सम्भावना की जा सकती है, परन्तु अर्थशक्ति से कौनसा अलङ्कार प्रतीत होगा । यदि होगा तो भी बहुत अल्प होगा । इसका उत्तर ध्वनिकार ने 'कारिका के सर्व प्रदर्शित' पदों से दिया कि सभी वाच्य अलङ्कार प्रतीयमान ही सकते हैं । उनका कथन है कि यह बात हम ही नहीं कह रहे, परन्तु प्राचीन अलङ्कार-शास्त्री मट्टोद्भूट आदि आचार्यों ने भी यह प्रतिपादित किया है कि जो अलङ्कार एक स्थान पर वाच्य है, वे भी दूसरे स्थानों पर प्रतीयमान हो सकते हैं । जैसे सन्देह आदि अलङ्कारों में उपमा, रूपक और अतिशयोक्ति अलङ्कार प्रतीयमान रहते हैं । इसकी अभिनवगुप्त ने इस प्रकार से स्पष्ट किया है—

उपमाने न तत्त्व च भेद च वदत पुन ।

ससन्देह वच स्तुत्यं ससन्देह विदुषंथा ॥

तस्या पाणिरय नु मास्तबलत्पद्मालि पल्लव ॥

सन्देह अलङ्कार में उपमान के साथ उपमेय के अभेद को और पुन भेद को जो सन्देह से युक्त बनाकर कहा जाता है, वह उपमेय की स्तुति के लिये ससन्देह कहा जाता है, ऐसा जानते हैं । जैसे—

उस नायिका का यह हाथ क्या वायु से चञ्चल पत्तों की मद्गुनिया वाला पल्लव है ।

इस सन्देह अलङ्कारो में उपमा या रूपक अलङ्कार ध्वनित होता है । इसके अनिश्चित अतिशयोक्ति को प्रायः सभी अलङ्कारों में ध्वन्यमान समझा जाना है ।

इयत्पुनरुच्यत एद—

अलङ्कारान्तरस्यापि प्रतीतो यत्र भासने ।

तत्परत्वं न वाच्यस्य नासौ मार्गो ध्वनेर्मतः ॥२७॥

अलङ्कारान्तरेषु त्वनुरणनरूपालङ्कारप्रतीतो सत्यामपि यत्र वाच्यस्य व्यङ्ग्यप्रतिपादनौमुख्येन चारुत्वं न प्रकाशते नासौ ध्वनेर्मार्गः । तथा च दीपकादायलङ्कारे उपमाया गम्यमानत्वेऽपि तत्परत्वेन चारुत्वस्यायाव्यवस्थानान्न ध्वनिः उपदेश ।

इस प्रकार से सन्देह अलङ्कार में उपमा, रूपक और अतिशयोक्ति अलङ्कारों के प्रतीयमान होने से यह सिद्ध है कि एक अलङ्कार में दूसरा अलङ्कार प्रतीयमान हो सकता है ॥२६॥

यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि यदि प्राचीन भट्टोद्भट आदि विद्वानों ने ही अलङ्कार में अलङ्कारान्तर की प्रतीयमानता प्रतिपादित कर दी है, तो आपका उसको करने में क्या प्रयोजन है? इसका उत्तर देते हैं—

हिन्दी अर्थ—इतनी बात को हम पुनः कहते हैं—

एक वाच्य अलङ्कार से दूसरे व्यङ्ग्य अलङ्कार की प्रतीति होने पर भी यदि वह वाच्य अलङ्कार तत्पर नहीं है, अर्थात् प्रतीयमान अलङ्कार को मुख्यतया प्रतीत नहीं करता है, तो उसको ध्वनि का मार्ग नहीं माना जा सकता ॥२७॥

अलङ्कारान्तरो में अनुरणनरूप अलङ्कारान्तर की प्रतीति होने पर भी जहाँ वाच्य अलङ्कार का व्यङ्ग्य अलङ्कार के प्रति प्रतिपादन के औमुख्य से चारुत्व प्रकाशित नहीं होता, वह ध्वनिमार्ग नहीं है, जैसे कि दीपक अलङ्कार में उपमा के प्रतीयमान होने पर भी उस उपमा के प्रति दीपक अलङ्कार के तत्पर रूप से, अर्थात् उपमा को प्रधान एवं दीपक को गौण मानकर, चारुत्व की व्यवस्था न होने से वहाँ ध्वनि का व्यवहार नहीं होता ।

प्रश्न यह उपस्थित होता है कि प्राचीन भट्टोद्भट आदि आचार्यों ने वाच्य अलङ्कारान्तर में अन्य अलङ्कार का व्यङ्ग्यत्व प्रतिपादित कर दिया है, जैसे कि सन्देह आदि अलङ्कारों में उपमा, रूपक और अतिशयोक्ति अलङ्कार व्यङ्ग्य होते हैं । इन अलङ्कारों में ध्वनिकार ने जो वाच्य अलङ्कारान्तर में व्यङ्ग्य अलङ्कारान्तर को प्रतिपादित कर रहे हैं, इसमें क्या लाभ है ?

ध्वनिकार का मुख्य उद्देश्य प्रतीयमान अर्थ को नहीं, अपितु ध्वनि को प्रतिपादित करना है । ध्वनि वही होती है, जहाँ वाच्य की अपेक्षा प्रतीयमान अर्थ का चारुत्व निष्पन्न होता हो । वाच्य अलङ्कार से अन्य व्यङ्ग्य अलङ्कार की प्रतीति होने मात्र से वहाँ ध्वनि प्रतिपादित नहीं होती । ध्वनि वहाँ ही होगी, जहाँ वाच्य अलङ्कार व्यङ्ग्य अलङ्कार के तत्पर होगा, अर्थात् वाच्य अलङ्कार की अपेक्षा व्यङ्ग्य

यथा—

चन्द्रमऊर्णहि णिसा णलिनी कमलोह कुसुमगुच्छोह लत्रा ।
हंसेह सरअसोहा कव्वकहा सज्जनेह गरइ गरई ॥
(चन्द्रमयूखेनिशा नलिनीकमल कुसुमगुच्छंलता ।
हंसंशारदशोभा काव्यकथा सज्जने क्रियत गुर्वो ॥)

इत्यादिवृत्तभागभंत्वेऽपि सति वाच्यालङ्कारमुखेनैव चारुत्व व्यव-
तिष्ठते न व्यङ्ग्यचालङ्कारतात्पर्येण । तस्मात्तत्र वाच्यालङ्कारमुखेनैव
काव्यव्यपदेशो ग्याय्य ।

यत्र तु व्यङ्ग्यपरत्वेनैव वाच्यस्य व्यवस्थान तत्र व्यङ्ग्यमुखेनैव
व्यपदेशो युक्तः । यथा—

प्राप्तश्रीरे एकस्मात् पुनरपि मीय तं मन्यखेद विदध्या-
न्निद्रामप्यस्य पूर्वामिनलसमनसो नैव सम्भाषयामि ।

सेतुं बध्नातिः भूयः किमिति च सकलद्वीपनाथानुयात—

स्त्वय्यायाते वितर्कानिति दधत इवाभाति कम्पः पयोधेः ॥

अलङ्कार की प्रधानता होगी । इसीलिये ध्वनिकार न कारिका में कहा है कि—वाच्य
अलङ्कार से व्यङ्ग्य अलङ्कार की प्रतीति होने पर भी यदि वाच्य अलङ्कार तत्पर
नहीं है, तो वह ध्वनि का विषय नहीं है । उदाहरण के रूप में उन्होंने दीपक अलङ्कार
की लिया है, जिसमें उपमा गम्यमान होती है । परन्तु उपमा के गम्यमान होने पर
भी वहाँ उसके द्वारा चारुत्व की निष्पन्नता नहीं है । अपितु वाच्य दीपक अलङ्कार
के द्वारा ही है । अतः वहाँ ध्वनि नहीं होगी । इसी को आचार्य उदाहरण द्वारा स्पष्ट
करते हैं ।

हिन्दी अर्थ—जैसे चन्द्रमा की किरणों से रात्रि, कमलों से कमलिनी, पुष्पों के
गुच्छों से लता, हंसों से शरद ऋतु की शोभा, और सज्जनो द्वारा काव्यकथा गौरवा-
न्वित की जाती है ।

इत्यादि काव्यों में दीपक अलङ्कार के उपमागर्भित होने पर भी वाच्य दीपक
अलङ्कार के द्वारा ही चारुत्व की व्यवस्था होती है, उसके व्यङ्ग्य उपमा अलङ्कार के
तात्पर्य से नहीं । अतः वहाँ वाच्य दीपक अलङ्कार के द्वारा ही काव्य का
व्यवहार करना युक्तिसंगत है ।

इस उदाहरण में 'गुर्वी क्रियते', इस एक क्रिया का अन्वय अनेक कारणों के
साथ होने से दीपक अलङ्कार है । यह दीपक अलङ्कार उपमा गर्भ है और इससे उपमा
व्यञ्जित होती है । तथापि यहाँ काव्य का मौन्द्य मुख्य रूप से दीपक अलङ्कार से
निष्पन्न हो रहा है, उपमा से नहीं । अतः यह ध्वनिकाव्य नहीं होगा, चित्रकाव्य ही
होगा ।

हिन्दी अर्थ—जहाँ वाच्य की व्यवस्था व्यङ्ग्यपरत्व की होगी, वहाँ पर ही
व्यङ्ग्य अलङ्कार के अनुसार काव्य का व्यवहार होगा, अर्थात् वहाँ ध्वनिकाव्य
रचना उचित है । जैसे कि—

(१) इसको लक्ष्मी तो पहले से ही प्राप्त है, फिर भी वहाँ मुझमें यह मन्यने के
सेद को उत्पन्न न कर दे । अलक्ष्य से रहित मन वाले इसमें पृष्ठ के समान मींद
की भी सम्भावना नहीं कर रहा है । समस्त द्वीपों के राजाओं से अनुगत यह क्या
फिर पुल चाधेगा ? इस प्रकार हे राजन ! तुम्हारे आने पर दिविष सन्देशों को धारण
करते हृषे समुद्र कम्पित सा प्रतीत हो रहा है ।

यथा वा ममं व—

लावण्यकान्तिपरिपूरितदिङ्मुखेऽस्मिन्
स्मेरेऽधुना तव मुखे तरलापताक्षि ।
क्षोभं यदेति न मनागपि तेन मन्ये
सुव्यक्तमेव जलराशिरयं पयोधिः ॥

ध्वनिवाच्य वही होगा, जहाँ व्यङ्ग्य अलङ्कार प्रधान रूप से तथा वाच्य अलङ्कार तत्पर रूप से होगा, इसी को स्पष्ट करते हैं—

समुद्र में चन्द्रोदय आदि के कारण स्वाभाविक रूप से कम्प है, परन्तु राजा के विष्णु के कार्यों का मन्देह उत्पन्न कराकर इस समुद्र में भयजनित कम्प की सम्भावना की गई है। अतः यहाँ सन्देह से अनुप्राणित उत्प्रेक्षा के होने से इनका अङ्गाङ्गिभाव सङ्कर है। यह वाच्य अलङ्कार है। इससे राजा और विष्णु की एकरूपता के ध्वनित होने से रूपक अलङ्कार ध्वनित होता है। यहाँ वाच्य सन्देहोत्प्रेक्षा सक्कर की अपेक्षा रूपक अलङ्कार का चास्त्व प्रधान है, तथा सक्कर वाच्य अलङ्कार तत्पर है। अतः यह अर्थशक्तिमूल अलङ्कारध्वनि है।

इस स्थल पर वृत्ति के 'यत्र... तत्र' पदों की व्याख्या करते हुये अभिनवगुप्त का कथन है कि 'व्यङ्ग्य के द्वारा वहाँ वाच्य का व्यवहार होता है।' इससे तीन रूप हो सकते हैं—(१) कभी वाच्य अलङ्कार व्यङ्ग्य अलङ्कार को व्यक्त करता है, वही (२) वाच्य अलङ्कार का एव सद्भाव होता है और वही (३) वाच्य अलङ्कार भी नहीं होता। ग्रन्थकार ने इन्हीं के आधार पर आगे उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। उत्तरवर्ती आचार्यों ने ध्वनिार के इन्हीं उदाहरणों के आधार अर्थशक्तिमूल ध्वनि के १२ भेद किये हैं, जो इस प्रकार हैं—कवि प्रौढोक्तिमिद्ध, कविनिबद्धकृतप्रौढोक्तिमिद्ध एव स्वतः सम्भवी ये तीन प्रमुख भेद हैं तथा प्रत्येक भेद के चार भेद हैं—वस्तु से अलङ्कार-व्यङ्ग्य, अलङ्कार से वस्तुव्यङ्ग्य, वस्तु से वस्तु व्यङ्ग्य और अलङ्कार से अलङ्कार व्यङ्ग्य। प्रस्तुत ग्रन्थ में कहे जाने वाले उदाहरणों में इन भेदों का ध्यान रखना उचित होगा। 'प्राप्तश्रीरेप कम्पाद्' उदाहरण में कवि प्रौढोक्तिमिद्ध वाच्य अलङ्कार से रूपक अलङ्कार व्यञ्जित हुआ है। अतः यहाँ अलङ्कार के अलङ्कारान्तर ध्वनि है।

(२) कविनिबद्धकृतप्रौढोक्तिमिद्ध अलङ्कार में अलङ्कारध्वनि का उदाहरण—
जैसे कि मेरी ही रचना में है—

हे चञ्चल और बड़ी-बड़ी छाँसों वाली प्रिये ! लावण्य और कान्ति में दिगन्तरों को भर देने वाले तुम्हारे मुख के मुस्कराहट से युक्त होने पर भी, जो कि इस समुद्र में थोड़ा सा भी क्षोभ नहीं हो रहा, इससे यह अच्युती प्रकार स्पष्ट है कि यह समुद्र निरा जलराशि है (जलराशि है)।

इत्येवं विधे विधयेऽनुरणनरूपरूपकाश्रयेण काव्यचास्त्वव्यवस्थानाद्
रूपकध्वनिरिति ध्वपदेशो न्याय्यः ।

उपमाध्वनियंथा—

वीराण रमइ घुसिणरुणम्मि ण तथा पिआयणुच्छङ्गे ।

दिट्ठी रिउगअकुंभत्थलम्मि जह बहलसिन्दूरे ॥

(वीराणा रमते घुसृणारुणे न तथा प्रियास्तनोत्सङ्गे ।

दृष्टी रिपुगजकुम्भस्थले यथा बहलसिन्दूरे ॥)

यहाँ समुद्र को 'लडयोरभेद' नियम से जड़ (मूर्ख बुद्धिवाला) कहा गया है । तुम्हारे मुखरूपी पूर्ण चंद्रमा को देखकर उसम मदन विकार रूप क्षोभ उत्पन्न न होने से वह निरा जड़बुद्धि है । उसम मौन्दय को समझने तथा अनुभव करने की क्षमता नहीं है ।

यह उक्ति कवि द्वारा निबद्ध नायक की है । जलराशि में 'लडयोरभेद' नियम से दो अर्थ होकर श्लेष अलंकार है । इस श्लेष अलंकार से नायिका के मुख पर पूर्ण चन्द्र का आरोप व्यञ्जित होता है । इस प्रकार यहाँ वाच्य श्लेष अलंकार से व्यञ्ज्य रूपक अलंकार की अभिव्यञ्जना होती है । इसके साथ ही वाच्य में व्यञ्ज्य रूपक अलंकार का सौन्दर्य प्रधान है । इसलिये यहाँ कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध अलंकार से अलंकार ध्वनि है । इसी की व्याख्या वृत्ति में है—

हिन्दी अर्थ—इस प्रकार के विषय (उदाहरण) में अनुरणनरूप रूपक का आश्रय लेकर काव्य का चास्त्व की व्यवस्था होने से यहाँ रूपक ध्वनि का व्यवहार होना युक्तिसंगत है ।

(३) स्वत सम्भवी अलंकार से अलंकारध्वनि (उपमा) का उदाहरण—जैसे कि उपमाध्वनि है—

वीर मनुष्यो की दृष्टि कुड्डुम से लाल रङ्गे प्रिया के स्तनों के उत्सङ्ग में उतनी नहीं रमती, जितनी कि बहुत अधिक सिन्दूर से पुते शत्रुओं के हाथियों के कुम्भस्थल में आनन्द पाती है ।

सजी धजी प्रियतमा के आश्वासन में लगे रहना और तुरन्त ही युद्ध के लिये शीघ्रता करना, इस प्रकार दृष्टि के दोलायमान होना पर भी युद्ध में ही त्वरा का प्रतिशय है, इस प्रकार यहाँ व्यतिरेकात्तद्धार है । कवि की यह कल्पना वाच्य में ही सत्य नहीं है, अपितु लोक में भी सत्य है, अतः यह व्यतिरेक स्वत सम्भवी है । इस व्यतिरेक के द्वारा गजकुम्भस्थल और प्रिया के स्तना में सादृश्य भी अभिव्यञ्जित होता है । इस प्रकार इस पद्य में स्वत सम्भवी वाच्य व्यतिरेक अत्तद्धार से व्यञ्जित होने वाली उपमा से प्रधानतया चास्त्व की निष्पत्ति है । इसलिये यहाँ स्वत सम्भवी अत्तद्धार से अलंकारध्वनि है ।

यथा वा मर्मव विषमवाणलीलायामसुरपराश्रमणे कामदेवस्य—
 तं ताण सिरिसहोअररअणाहरणम्मि हिअअमेवकरसम् ।
 बिम्बाहरे पिआणं णिजेसिअं कुसुमवाणेन ॥
 (तत्ते पा श्रीसहोदररत्नाहरणे हृदयमेकरसम् ।
 बिम्बाधरे प्रियाणा निवेशितं कुसुमवाणेन ॥)

आक्षेपध्वनिर्यथा—

स वक्तुमखिलान् शक्तो ह्यग्रीवाश्रितान् गुणान् ।
 योऽम्बुकुम्भः परिच्छेदं ज्ञातुं शक्तो महोदधे ॥
 अत्रातिशयोक्त्या ह्यग्रीवगुणानामवर्णनीयताप्रतिपादनरूपस्यासा-
 धारणतद्विशेषप्रकाशनपरस्य आक्षेपस्य प्रकाशनम् ।
 अर्थान्तरन्यासध्वनि शब्दशक्तिमूलानुरणनरूपव्यङ्ग्योऽर्थशक्तिमूला-
 नुरणनरूपव्यङ्ग्यश्च सम्भवति । तत्राद्यस्योदाहरणम्—

(४) कविप्रौढोक्तिसिद्ध अलङ्कार से अलङ्कार (उपमा) ध्वनि—

जैसे कि मेरी ही रचना 'विषमवाणलीला' में कामदेव के पराश्रम का वर्णन करने में है—

लक्ष्मी के सहोदर (साय उत्पन्न होने वाले) रत्नों के आहरण में एकरस उन (असुरों) के हृदय को कामदेव ने प्रियाओं के बिम्ब रूपी अधर में निवेशित कर दिया ।

उन असुरों का हृदय विजय की इच्छा की अग्नि से अत्यधिक प्रज्वलित हो रहा था, इस प्रकार यहाँ अतिशयोक्ति अलङ्कार है । इस अतिशयोक्ति से उपमा व्यञ्जित होती है कि बिम्बाधर सारे रत्नों के तुल्य हैं । इस उपमा में ही इस काव्य के चाक्षुष की निष्पत्ति है । अतः यहाँ कविप्रौढोक्तिसिद्ध अलङ्कार से अलङ्कार (उपमा) ध्वनि है ।

(५) कविप्रौढोक्तिसिद्ध अलङ्कार से अलङ्कार (आक्षेप) ध्वनि—

आक्षेप ध्वनि का उदाहरण, जैसे—

ह्यग्रीव के आश्रित सभी गुणों का वर्णन करने में 'वह ही समर्थ हो सकता है, जो पानी के घड़ों से नाप कर समुद्र के परिमाण को जान सकता है ।

इस पद्य में अतिशयोक्ति अलङ्कार वाच्य अलङ्कार है । इस अतिशयोक्ति अलङ्कार से ह्यग्रीव के समस्त गुणों की अवर्णनीयता प्रतिपादित होती है और उसकी असाधारण विशेषताओं का प्रकाशन होता है । आक्षेप अलङ्कार वहाँ होता है, जहाँ इष्ट का प्रतिषेध किया जाता है । इस प्रकार यहाँ गुणों की अवर्णनीयता का प्रतिपादन ही आक्षेप है, क्योंकि कवि का इष्ट गुणों का वर्णन करना है । यह आक्षेप ही यहाँ मुख्यतया चाक्षुष का निष्पादक है । इस प्रकार इस पद्य में कविप्रौढोक्तिसिद्ध अलङ्कार (व्यतिरेक) से अलङ्कार (आक्षेप) ध्वनि है ।

अर्थान्तरन्यास ध्वनि—

अर्थान्तरन्यास ध्वनि दो प्रकार की हो सकती है—शब्दशक्तिमूल अनुरणनरूप व्यङ्ग्य और अर्थशक्तिमूल अनुरणनरूप व्यङ्ग्य । उनमें से पहले का उदाहरण—

दैव्याएत्तन्मि फले किं कीरइ एत्तिगं पुणा भणिमो ।

ककिल्लपल्लवाः पल्लवाणं ण सरिच्छ ॥

(दैवायत्ते फले किं क्रियतामेतावत् पुनर्भणामः ।

रक्ताशोकपल्लवा पल्लवानामन्येषा न सदृशाः ॥)

पदप्रकाशश्चायं ध्वनिरिति वाक्यस्यार्थान्तरतात्पर्येऽपि सति न विरोधः ।

यद्यपि शब्दशक्तिमूल ध्वनि का विवेचन और उदाहरणों का प्रदर्शन ग्रन्थकार पहले कर चुके हैं और इस प्रकरण में अर्थशक्तिमूल ध्वनि की विवेचना की जा रही है, तथापि अर्थान्तरन्यास ध्वनि के शब्दशक्तिमूल एवं अर्थशक्तिमूल दोनों प्रकार का होना से दोनों के उदाहरण ग्रन्थकार ने इस स्थल पर दे दिये हैं । पहले शब्दशक्तिमूल अनुकरणरूप अर्थान्तरन्यासध्वनि का उदाहरण देते हैं—

(६) शब्दशक्तिमूल अर्थान्तरन्यासध्वनि का उदाहरण—

विघाता के आधीन फल होता है, इसमें क्या किया जावे ? तो भी इतना तो पुन कहते हैं कि रक्त अशोक के पल्लव अन्य पल्लवों के समान नहीं होते ।

यह ध्वनि पदप्रकाश है, इसलिये वाक्य के अर्थान्तर (अप्रस्तुतप्रशसा) में तात्पर्य होने पर भी विरोध नहीं है ।

भाव यह है कि यहाँ अर्थान्तरन्यास और अप्रस्तुतप्रशसा दो ध्वनि हो सकती हैं । सामान्य विशेष के समर्थ-समर्थक भाव से होने पर अर्थान्तरन्यास होता है और अप्रस्तुत के अभिव्यञ्जित होने पर अप्रस्तुतप्रशसा होता है ।

इस पद्य में, अशोक का पल्लव आदि अन्य वृक्षों के पल्लवों के समान नहीं है और अत्यधिक हृद्य है, अभिधा यही समाप्त हो जाती है । इस अभिधेय अर्थ के द्वारा अर्थान्तरन्यास की अभिव्यक्ति इस प्रकार है—सामान्य यह है=लोकोत्तर विजयेच्छा और उसका उपाय करने में प्रवृत्त व्यक्ति को भी उसका समग्रपद वदाचित् प्राप्त न भी होता । विशेष है—अन्य पल्लवों द्वारा विघाता की रचना के कारण रक्त अशोक के पल्लवों का मादृश्यरूप फल न प्राप्त करना । इस प्रकार विशेष से सामान्य का समर्थन रूप अर्थान्तरन्यास अलङ्कार अभिव्यञ्जित होता है, जो कि प्रथमलया चाग्लव का हेतु है । यह अर्थान्तरन्यास 'फले' पद से अभिव्यञ्जित होता है, अतः शब्दशक्तिमूल है ।

यहाँ अप्रस्तुतप्रशसा भी हो सकती है । इस अवस्था में रक्ताशोक वृक्षान्त अप्रस्तुत होगा और लोकोत्तर प्रयत्न करने पर भी विषय रहन वाले व्यञ्जित वा वृक्षान्त प्रस्तुत होगा । इस अप्रस्तुत वृक्षान्त से प्रस्तुत वृक्षान्त के अभिव्यञ्जित होने से अप्रस्तुतप्रशसा ध्वनि भी है । इस कारण यह शङ्का उत्पन्न होती है कि यहाँ शब्दशक्तिमूल अर्थान्तरन्यास ध्वनि है अथवा अप्रस्तुतप्रशसा ध्वनि है ।

द्वितीयस्योदाहरणम्—

हिअ अट्टा विअ मणुं अवरुणमुहं हि मं पसाअन्त ।

अवरद्धस्स वि ण हु दे पटुंजाणअ रोसिउं सक्कम् ॥

(हृदयस्थापितमन्युमपरोपमुखीमपि मा प्रसादयन् ।

अपराद्धस्यापि न खलु ते बहुज रोपितुं शक्यम् ॥)

अत्र हि वाच्यविशेषेण सापराद्धस्यापि बहुजस्य कोपः क्तुंमशक्य इति समर्थकं सामान्यमन्वितमन्यत्तात्पर्येण प्रकाशते ।

वस्तुतः अर्थान्तरन्यासध्वनि 'फले' इस पद से प्रकाशित होती है, अतः वह पदप्रवाश है। अप्रस्तुतप्रशसाध्वनि का प्रकाशन सम्पूर्ण वाक्य से होता है, अतः वह वाक्यप्रवाश है। अर्थान्तरन्यास के पदप्रकाश होने और अप्रस्तुतप्रशसा के वाक्यप्रवाश होने से इन दोनों की भी उपस्थिति से कोई विरोध नहीं होता। इसीलिये ध्वनिवार ने कहा कि यह अर्थान्तरन्यासध्वनि पदप्रवाश है, इसलिये वाक्य का अर्थान्तर (अप्रस्तुत-प्रशसा) में तात्पर्य होने पर भी विरोध नहीं है। तथापि यहाँ अर्थान्तरन्यासध्वनि प्रधान है, ऐसा अभिनवगुप्त का मत है—

तत्रापि पुन फलपदोपात्तसमर्थकसमर्थकभावप्राधान्यमेव भातीत्यर्थान्तरन्यासध्वनिरेवायमिति भावः ।”

भाव यह है कि उन दोनों में भी पुन. फल पद से उपात्त समर्थकसमर्थकभाव का ही प्राधान्य प्रतीत होता है, अतः यह अर्थान्तरन्यासध्वनि ही है।

(७) अर्थशक्तिमूल अर्थान्तरन्यासध्वनि का उदाहरण—

दूसरे का उदाहरण है—

हृदय में क्रोध को स्थापित किये भी मुख पर क्रोध को प्रकट न करने वाली मुक्त को बनाते हुये, हे बहुज ! अपराधी होते हुये भी तुम पर क्रोध नहीं किया जा सकता ।

यहाँ वाच्य विशेष के द्वारा अपराधी होते हुये या बहुज पर क्रोध नहीं किया जा सकता, यह समर्थक सामान्य तात्पर्य से अन्य विशेष को प्रकाशित करता है। इस लिये यहाँ अर्थान्तरन्यासध्वनि है।

इस पद्य में वाच्य द्वारा यह प्रतीति—'तुम समझदार हो अतः अपराधी होते हुये भी तुम पर क्रोध नहीं किया जा सकता' विशेष है। 'किसी भी समझदार व्यक्ति पर उसके अपराधी होते हुये भी क्रोध करना सम्भव नहीं है,' यह सामान्य है। सामान्य से विशेष का यहाँ समर्थन अभिव्यञ्जित होता है, अर्थात् सामान्य यहाँ विशेष के समर्थक के रूप में व्यक्त होता है और यही अभिव्यक्ति चमत्कारजनक है। अतः यहाँ अर्थशक्तिमूल अर्थान्तरन्यासध्वनि है।

व्यतिरेकध्वनिरप्युभयरूप सम्भवति । तत्राद्यस्योदाहरणप्राप्त-
प्रदांशतमेव । द्वितीयस्योदाहरण यथा—

जाएज्ज वणुद्देशे खुज्ज विवन्न पाअचो गदिअवत्तो ।

मा माणुसम्मि लोए ताएअकरसो दरिद्दो अ ॥

(जायेय वनोद्देशे कुब्ज एव पादपो गलितपत्र ।

मा मानुषे लोके त्यागंकरसो दरिद्रश्च ॥)

अत्र हि त्यागंकरसस्य दरिद्रस्य जन्माभिनन्दन त्रुटितपत्रकुब्जपादप-
जन्माभिनन्दन च साक्षाच्छब्दवाच्यम् । तथाविधादपि पादपात् तादृशस्य
पुस उपमानोपमेयत्वप्रतीतिपूर्वक शोच्यतायामाधिक्यतात्पर्येण प्रकाश-
यति ।

उत्प्रेक्षाध्वनिर्यथा—

चन्दनासक्तभुजगनि श्वासानिलमूर्च्छित ।

मूर्च्छंयत्येष पथिकान् मधो मलयमारुत ॥

व्यतिरेक ध्वनि—

व्यतिरेक ध्वनि भी दो प्रकार की सम्भव होती है (शब्दशक्तिमूल और अर्थ
शक्तिमूल) । उनमें से पहले का (शब्दशक्तिमूल का) उदाहरण पहले ही दिला दिया
गया है (स येऽप्युज्ज्वलयति० पृष्ठ १६६ पर) । दूसरे का (अर्थशक्त्युद्बोध का)
उदाहरण यह है, जैसे—

(८) अर्थशक्तिमूल व्यतिरेकध्वनि का उदाहरण—

एकात घन के प्रदेश में गिरे हुये पत्ते वाला कुबड़ा वृक्ष होकर ही उत्पन्न हो
जाऊ, परंतु मनुष्यों के समाज में एकमात्र त्याग में परायण तथा दरिद्र होकर उत्पन्न
न होऊ ।

इस पद्य में त्याग में एकमात्र परायण दरिद्र के जन्म का अभिनन्दन न करना
और त्रुटितपत्र एव कुबड़े वृक्ष के जन्म का अभिनन्दन करना ये दोनों अर्थ साक्षात्
शब्दों से वाच्य हैं । इस प्रकार के भी वृक्ष से उस प्रकार के पुद्गल में उपमान-उपमेय
भाव की प्रतीति होती है और उससे तात्पर्य रूप से उस प्रकार के पुद्गल की शोचनी
यता के अधिक्य की व्यञ्जना होती है । इस प्रकार यहाँ व्यतिरेक अलङ्कार ध्वनि है ।

इस उदाहरण में कोई वाच्य अलङ्कार नहीं है । इसरूपे यहाँ स्वतःसम्भवों
वस्तु से व्यतिरेक ध्वनि है ।

(९) अर्थशक्ति उत्प्रेक्षाध्वनि का उदाहरण—

उत्प्रेक्षा ध्वनि है जैसे—

बदन के वृक्षों पर लिये हुये तपों की निश्वास की वायु से मूर्च्छित होता
हुआ (मूर्च्छि को प्राप्त करता हुआ) यह मलय पवन बसन्त ऋतु में पथिकों को मूर्च्छित
करता है ।

अत्र हि मधौ मलयमारुतस्य पथिकमूर्च्छाकारित्वंमन्मथोन्मायदायि-
स्वेनैव । तत्तु चन्दनासक्तभुजगनिःश्यासानिलमूर्च्छितत्वेनोत्प्रेक्षितमित्युत्प्रे-
क्षा साक्षादनुक्तापि वाक्यार्थसामर्थ्यादनुरणनरूपा लक्ष्यते । न चैवविधे
विषये इवादिशब्दप्रयोगमन्तरेणासम्बद्धतैवेति शक्यते वक्तुम् । गमकत्वा-
दन्यत्रापि तदप्रयोगे तदर्थविगतिदर्शनात् ।

यहाँ निश्चय से वसन्त ऋतु में मलय पवन द्वारा पथिकों को मूर्च्छित करना
काम के उन्माद को प्रदान करने से ही होता है । उसकी यहाँ चन्दन पर लिपटे हुए
सर्पों के निश्वास की वायु के वृद्धिगत होने रूप हेतु के रूप में उत्प्रेक्षा की गई है ।
इस प्रकार यह उत्प्रेक्षा साक्षात् शब्दों से (इव आदि से) अनुक्त होती हुई भी वाक्य के
अर्थ के सामर्थ्य से अनुरणनरूप प्रतीत होती है । यह नहीं कहा जा सकता कि इसप्रकार
के विषय में इव आदि शब्दों के प्रयोग के बिना उत्प्रेक्षा असम्बद्ध है, अर्थात् उनका
सम्बन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि गमक होने के कारण (वाच्य अर्थ के) अन्य स्थानों
पर भी इव आदि का प्रयोग न होने पर उस अर्थ (उत्प्रेक्षा) की प्रतीति दृष्टिगोचर
होती है । जैसे—

वस्तुतः वसन्त ऋतु में मलय पवन काम का उद्दीपन होने से पथिकों को मूर्च्छित
करता है । परन्तु यहाँ यह सम्भावना की गई है कि मलय प्रदेश से आने के कारण
इसमें चन्दन से लिपटे सर्पों के निश्वासों के मिल जाने के कारण विषैलापन मित गया
है, अतः यह पथिकों को मूर्च्छित करता है । इस प्रकार यहाँ हेतुरूप उत्प्रेक्षा की
सम्भावना के व्यञ्जित होने से उत्प्रेक्षाध्वनि है । इसने साथ यहाँ इस हेतु की सम्भावना
भी व्यञ्जित होती है कि मलय पवन से पथिकों को मूर्च्छा अर्थात् अर्थों को भी धीरे-धीरे करके
मूर्च्छित कर सकती है । इस प्रकार यह दो प्रकार की उत्प्रेक्षा है । इस उत्प्रेक्षा का
कथन 'इव' आदि पदों से नहीं हुआ, अपितु यह वाच्य अर्थ के सामर्थ्य से अनुरणनरूप
से व्यञ्जित है । अतः यहाँ कविप्रौढोक्तिमिदं वस्तु से अर्थशक्तिमूल उत्प्रेक्षा ध्वनि है ।

यहाँ यह शङ्का उत्पन्न होती है कि 'इव' आदि पदों के प्रयुक्त होने पर उत्प्रेक्षा
व्यञ्जित होती है क्योंकि इनका प्रयोग न होने पर उत्प्रेक्षा असम्बद्ध होगी । ध्वनिवाद
का मत है कि इस प्रकार से नहीं कहा जा सकता । यहाँ गमक के द्वारा (बोद्धा की
प्रतिभा के सहयोग से चन्दनासक्त आदि विशेषणों के द्वारा) इव आदि पदों का प्रयोग
किये बिना भी उत्प्रेक्षारूप अर्थ का बोध हो गया है । अन्य अनेक स्थानों पर भी इव
आदि के प्रयोग के बिना भी उत्प्रेक्षा व्यञ्जित होती हुई दिखाई देती है ।

(१०) इव के प्रयोग के बिना उत्प्रेक्षा की अभिव्यक्ति का उदाहरण । जैसे कि—

यथा—

ईसाकलुसस्स वि तुह मुहस्स ण पुण्णिमाचन्द्रो ।
अञ्ज सरिसत्तण पविऊण अङ्ग विअ ण माइ ॥
(ईर्ष्याकलुषस्यापि तव मुखस्य नन्वेप पूर्णिमाचन्द्रः ।
अद्य सदृशत्व प्राप्याङ्ग एव न माति ॥)

यथा वा—

त्रासाकुल परिपतन् परितो निकेतान्
पुम्भिर्न कंश्चिदपि धन्विभिरन्वबन्धि ।
तस्थौ तथापि न मृगः क्वचिदङ्गनाभि—
राकर्णपूर्णनयनेषु हतेक्षणश्रीः ॥

ईर्ष्या से मलिन होते हुये भी तुम्हारे मुख के सादृश्य को पाकर आज यह पूर्णिमा का चन्द्रमा निश्चय से अपने अङ्गो मे समा नहीं रहा है ।

पूर्णिमा का चन्द्रमा स्वामाविक रूप से सब दिशाओ को प्रकाशित करता है । परन्तु यहाँ कवि ने चन्द्रमा के इस व्यवहार के लिये 'सुन्दरी के मुख की सादृश्यप्राप्ति' हेतु की कल्पना की है । यह उत्प्रेक्षा इव आदि शब्दों से वाच्य न होने के कारण व्यङ्ग्य है और यहाँ कविप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तु से अर्थशक्तिमूल उत्प्रेक्षाध्वनि है ।

यहाँ कोई समालोचक कह सकता है कि पद्य के 'ननु' पद द्वारा वितर्क रूप उत्प्रेक्षा का अभिधान होने से उत्प्रेक्षा वाच्य है, व्यङ्ग्य नहीं । तो उनके सन्तोष के लिये ध्वनिकार दूसरा उदाहरण देते हैं—

(११) अथवा जैसे—

भय से व्याकुल होते हुये और घरों के चारों ओर दौड़ते हुये मृग का किन्हीं भी धनुर्धारी पुरुषों ने पीछा नहीं किया । तो भी वह मृग कहीं अङ्गनाओं द्वारा कानो पर्यन्त खींचे गये नयनरूपी बाणों के प्रहार से बिनष्ट आँखों की शोभा वाला होकर ही नहीं ठहरा ।

कवि ने यहाँ मृग के न ठहरने के हेतु की कल्पना की है कि वह मानो इसलिये नहीं ठहरा, क्योंकि अङ्गनाओं के काल पर्यन्त खींचे गये कटाक्ष रूपी बाणों ने उसके आँखों की कान्ति को नष्ट कर दिया था । इस हेतु के इव आदि शब्दों द्वारा वाच्य न होने पर भी उसकी व्यञ्जना शब्द के सामर्थ्य से हो जाती है । अतः यहाँ कविप्रौढोक्तिनिबद्ध वस्तु से अर्थशक्तिमूल उत्प्रेक्षाध्वनि है ।

पहले यह शङ्का की गई थी कि उत्प्रेक्षा की अभिव्यञ्जना 'इव' आदि पदों के सामर्थ्य से होती है, क्योंकि इव आदि का प्रयोग न करने पर उत्प्रेक्षा की सम्भावना भ्रमसम्बद्धता प्रतीत होगी । उसके उत्तर के रूप में प्रथकार ने "ईसाकलुसस्स०" और "त्रासाकुल परिपतन्०" उदाहरण दिये कि यहाँ 'इव' आदि पदों के बिना भी उत्प्रेक्षा व्यञ्जित हुई है, अतः "चन्दनासक्त०" उदाहरण में भी 'इव' आदि पदों का प्रयोग न होने पर भी उत्प्रेक्षा की व्यञ्जना है । परन्तु इन उदाहरणों में भी पुनः भ्रमसम्बद्धता के दोष का आरोप किया जा सकता है । इसका उत्तर देने के लिये ध्वनिकार कहते हैं—

शब्दाध्ययपवहारे च प्रसिद्धिरेव प्रमाणम् ।

श्लेषध्वनिर्यथा—

रम्या इति प्राप्तवतीः पताकाः रागं विविक्ता इति वर्धयन्तीः ।

यस्यामसेधन्त नमद्वलीकाः सम वधूभिर्बलभीर्युवानः ॥

अत्र वधूभिः सह बलभीरसेवस्तेति वाक्यार्थप्रतीतिरनन्तरं वध्व इव बलम्य इति श्लेषप्रतीतिरशाब्दाऽप्यर्थसामर्थ्यान्मुह्यत्वेन वर्तते ।

यथासंख्यध्वनिर्यथा—

अङ्कुरितः पल्लवितः कोरकितः पुष्पितश्च सहकारः ।

अङ्कुरितः पल्लवितः कोरकितः पुष्पितश्च हृदि मदनः ।

हिन्दी अर्थ—शब्द और अर्थ के ध्वन्यहार में प्रसिद्धि (सहृदयों का अनुभव) ही अर्थ की प्रतीति में प्रमाण है ।

भाव यह है कि 'इव' के द्वारा ही उत्प्रेक्षा की व्यञ्जना होती है, अथवा इसके अभाव में भी व्यञ्जित हो जाती है, इसमें सहृदयों का अनुभव ही प्रमाण है । उस अनुभव से यहाँ 'इव' आदि पदों में अभाव में भी उत्प्रेक्षा की प्रतीति हो जाती है तथा यहाँ असम्बन्धार्थवत्ता नहीं होगी ।

(१२) अर्थशक्तिमूल श्लेषध्वनि का उदाहरण—

श्लेषध्वनि है, जैसे—

जिस द्वारिका नाम की नगरी में युवकगण, ये सुन्दर हैं इस प्रसिद्धि को प्राप्त करती हुई, ये पवित्र हैं इस प्रकार अनुराग को बढ़ाने वाली और भुंकी हुई त्रिवली से युक्त धनुषों के साथ, रमणीय होने के कारण ध्वजाओं को प्राप्त करती हुई, एकान्त स्थान है इस कारण काम को उदीप्त करती हुई और भुंके हुये धनुषों वाली बलमियों का (गुप्त कमरो का) सेवन करते थे ।

यहाँ 'धनुषों के साथ बलमियों का सेवन करते थे', इस वाक्यार्थ की प्रतीति के अनन्तर धनुषों के समान बलमियाँ हैं, यह श्लेष की प्रतीति होती है । यह श्लेष की प्रतीति शब्दजनित न होकर भी अर्थ के सामर्थ्य से मुख्य रूप से व्यक्त होती है ।

यहाँ यह जड़का है कि 'समम्' पद का अर्थ 'समान' भी होता है । अतः 'वधूभिः सम बलभी', बलभियाँ वधुओं के समान हैं, यह अर्थ होकर उपमा वाच्य होगी । यह ठीक है । परन्तु उपमा की अभिव्यक्ति श्लेष के सामर्थ्य से है । वह श्लेष अभिधा से आक्षिप्त नहीं है, अपितु अर्थ के सौन्दर्य के सामर्थ्य से आक्षिप्त है अतः श्लेष यहाँ व्यङ्ग्य ही है । इसी कारण अन्वयार ने वृत्ति में 'वध्व इव बलम्य' कह कर भी यहाँ उपमाध्वनि प्रतिपादित नहीं की लक्ष्य श्लेषध्वनि ही यहाँ प्रतिपादित की गई है ।

(१३) अर्थशक्तिमूल यथासम्बन्धध्वनि भी होती है ।

यथासम्बन्धध्वनि है, जैसे—

ग्राम के बुझ में पहले अङ्कुर आये, फिर पल्लव आये, फिर बलियाँ आई और तदनन्तर वह पुष्पित हुआ । इसी क्रम से कामदेव अङ्कुरित हुआ, पल्लवित हुआ, कोरकित हुआ और पुष्पित हुआ ।

एवमन्येऽप्यलङ्काराः यथायोगं योजनीयाः ॥२७॥

अत्र हि ययोद्देशमनूद्देशे यच्चारुत्वमनुरणनरूप, मदनविशेषणभूता-
ङ्कुरितादिशब्दगतं तन्मदनसहकारयोस्तुल्ययोगितासमुच्चयलक्षणाद्
ध्यादतिरिच्यमानमालक्ष्यते ।

यहाँ उद्देश (प्रथमक्रम) का अनूद्देश (द्वितीय क्रम) में जो अनुरणन रूप मदन के विशेषणभूत अङ्कुरित आदि शब्दों का चारुत्व है, वह मदन और सहकार के तुल्य-योगिता या समुच्चयरूप वाच्य अलङ्कार से अधिक उत्कृष्ट दिखाई देता है ।

इस पद्य में प्रस्तुत मदन और सहकार में समान धर्म का कथन करने से तुल्ययोगिता अलङ्कार है (नियताना सकृद्धर्म साधुनस्तुल्ययोगिता) और शृङ्गार रस की सिद्धि के लिये एक हेतु होने पर भी अनेक हेतुओं का कथन करने से समुच्चय अलङ्कार है (तत्सिद्धिहेतावेकस्मिन् यत्रान्यत्तत्कार भवेत् । समुच्चयोऽसौ) । ये दोनों अलङ्कार यहाँ वाच्य हैं । परन्तु इन अलङ्कारों के अर्थसामर्थ्य से अभिव्यक्त यथासंख्य अलङ्कार का यहाँ चारुत्व अधिक है । इसलिये यहाँ स्वतः सम्भवी अलङ्कार से यथासंख्य अलङ्कार-ध्वनि है ।

इस प्रकार कुछ अलङ्कारों का ध्वनित्व प्रतिपादित करके ग्रन्थकार कहते हैं कि यह ध्वनित्व अन्य अलङ्कारों में भी हो सकता है—

हिन्दी अर्थ—इस प्रकार अन्य अलङ्कार भी यथोचित रूप से योजित कर लेने चाहियें ।

भाव यह है कि सभी अलङ्कारों की ध्वन्यमानता दृष्टिगोचर होती है । कुछ के उदाहरण ग्रन्थकार ने दे दिये हैं । अन्य अलङ्कारों के ध्वनित्व का नियोजन सहृदयों को स्वयं करना चाहिये । अभिनवगुप्त ने कुछ अलङ्कारों के ध्वनित्व को उदाहरण द्वारा प्रस्तुत किया है । उनको संक्षेप से यहाँ लिखना उचित होगा—

(१) दीपकध्वनि—

या भवन्तमनल पवनो वा वारणो मदक्ल परशुर्वा
वज्रमिन्द्रकरविप्रसृत वा स्वस्ति तेऽस्तुलतया सह वृक्ष ॥

यहाँ ये सब पदार्थ तुमको 'मत वाधित करें' यह क्रियारूप अर्थ अभिव्यक्त होता है, इस क्रिया का अनेक कारणों के साथ सम्बन्ध होने से दीपक अलङ्कार के चारुत्व की निष्पत्ति है । अतः यहाँ दीपकध्वनि है ।

(२) अप्रस्तुप्रकासाध्वनि—

दृण्डुल्वन्तो मरिसिंहि कण्ठमरुलिभाई वेप्रइवणाइ ।
माउइदुमुमसिच्छ भमर भमन्तोण पाविसिंहि ॥

एवमलङ्कारध्वनिमागं व्युत्पाद्य तस्य प्रयोजनवत्तां स्थापयितुमिद-
मुच्यते—

शरीरोकरणं येषां वाच्यत्वेन ध्वनिस्थितम् ।

तेऽलङ्काराः परां छायां यांति ध्वन्यङ्गतां गताः ॥२८॥

प्रिततम के साथ घूमती हुई किसी नायिका ने अमर को लक्ष्य करके यह उक्ति कही । अमर के अग्रस्तुत वृत्तान्त से वह प्रियतमा को धूर्त स्त्रियो के पास जाने के सम्बन्ध में उलाहना देकर प्रस्तुत वृत्तान्त को अभिव्यञ्जित कर रही है । अतः यहाँ अग्रस्तुतप्रगसाध्वनि है ।

(३) अपह्नुतिध्वनि—

य बालागुरुपत्न्यभङ्गरचनावासैवसारायते

गौराङ्गीकुचकुम्भभूरिसुभगाभोगे सुधाधामनि ।

विच्छेदानन्ददीपितोत्कवनिताचेतोधिष्यसोद्भव

सन्ताप विनिरीपुरेप विततैरङ्गनैताङ्गि स्मर ॥

चन्द्रमा के मध्य में यह बलरुध्र नहीं है, अपितु विरहिणी यनिता के हृदय में उत्पन्न ज्वाला से प्रजित शान्ति वाले कामदेव का आकार है, इस प्रकार प्रस्तुत वस्तु के अपह्नव के व्यङ्ग्य होने में अपह्नुतिध्वनि है । इस पद्य में सन्देहघोर उपमेयोपमाध्वनि भी है ।

अभिनवगुप्त का कथन है कि इत अलङ्कारध्वनियो के मकर और सगृष्टि भी हो सकते हैं, जिनका नि यथोचित रूप से विचार कर लेना चाहिये । यहाँ उदाहरण के रूप में उन्होंने अपने ही एक पद्य को उद्धृत किया है—

केतिवन्दनितस्य विभ्रममघोरुं यं वमन्ते दृष्टौ

भङ्गीभङ्गुखामकामुं वगिद भ्रनमं वमंत्रम ।

भाषानेर्जि विनारवारपमहो वरनाम्बुजम्मागव ।

साय मुन्दरि वेपसन्त्रिजगतीमारस्त्वमेवाहृति ॥

इस पद्य में धनिमयोतिध्वनि, विभाषाध्वनि, तुल्ययोगिताध्वनि, ये तीन ध्वनियो है । इस प्रकार सभी अलङ्कार ध्वनि के अङ्ग हो सकते हैं ।

यथायोगम्—वृत्ति में 'यथायोगम्' का अभिप्राय यह है कि वहाँ अलङ्कार घोर वही वग्नध्वनि होती है ॥२७॥

प्राचीन आचार्यों ने जिन अलङ्कारों का प्रतिपादन किया था, उनमें व्यङ्ग्यपद्य के प्रतिपादन का लाभ क्या है, इसकी प्रयोजनवता की प्राचकार करते हैं—

हिन्दी धर्मा—इस प्रकार अलङ्कार ध्वनि के मार्ग का प्रतिपादन करते, धर्माणु उसका विलुप्त रूप से विवेचन करते उसकी प्रयोजनवता की बनाने के लिये यह कहा जाता है—

जिन अलङ्कारों का वाच्य अर्थवा में शरीरोकरण ध्वनिस्थित नहीं है, ध्वनि के अङ्ग होकर वे अलङ्कार परम साधक की प्राप्ति होते हैं ॥२८॥

ध्वन्यङ्गता चोभाभ्या प्रकारान्या व्यञ्जकत्वेन व्यञ्ज्यत्वेन च । तत्रेह प्रकरणाद् व्यञ्ज्यत्वेनेत्यवगन्तव्यम् । व्यञ्ज्यत्वेऽप्यनङ्काराणा प्राधान्यविवक्षायामेव सत्या ध्वनावन्त पात । इतरथा तु गुणीभूतव्यञ्ज्यत्व प्रतिपादयिष्यते ॥२८॥

अङ्गित्वेन व्यञ्ज्यतायामपि अलङ्काराणा द्वयो गति । कदाचिद वस्तुमात्रेण व्यञ्ज्यते कदाचिदलङ्कारेण । तत्र—

शरीरीकरण—शरीररूप होना अर्थात् वाक्य के शरीर का ही एक अङ्ग बन जाना । शरीररूप प्रस्तुत से अर्थान्तररूप होने के कारण शरीर भिन का शरार का अङ्ग बन जाना । जिस प्रकार बटक कुण्डन आदि अलङ्कार शरीर स भिन होते हुये भी शरीर पर धारण करने पर उसके अङ्ग बन कर परम शोभा को उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार वाक्य रूप म स्थित होते हुये अलङ्कार वाक्य का शरीर न होने हुये भी कवि की प्रतिभा द्वारा अनामास ही वाक्य के शरीर के रूप म नियोजित हो जाते हैं । वे ही अलङ्कार जब ध्वनि का अङ्ग बनते हैं व्यञ्ज्यरूपता को प्राप्त करते हैं तो वाक्य म परम चारुत्व को प्राप्त कराने हैं ।

अलङ्कारो की ध्वन्यङ्गता किस प्रकार होती है—इसको बताते हैं—

हिंदी अर्थ—अलङ्कारों की ध्वन्यङ्गता दो प्रकार से होती है—व्यञ्जकत्व रूप से और व्यञ्ज्यत्व रूप से । । यहाँ इस प्रकरण में अलङ्कारो का व्यञ्ज्यत्व ही समझना चाहिये । व्यञ्ज्य रूप होने पर ही अलङ्कार ध्वनि होंगे । परन्तु अलङ्कारों के व्यञ्ज्यरूप से होने पर भी जब उनकी विवक्षा प्रधान रूप से होती है तभी उनका ध्वनि में अंतर्भाव होता है । अथवा, प्रधान रूप से विवक्षा न होने पर, अङ्ग रूप म रहने पर वहाँ गुणीभूतव्यञ्ज्य पाव्य होगा, इसका आगे प्रतिपादन किया जायेगा ॥२८॥

भाव यह है कि अलङ्कारो के व्यञ्ज्य होने पर भी जब वे वाक्य अर्थ की अपेक्षा प्रधान रूप से विवक्षित होंगे अङ्गीरूप होंगे या उनमें ही चान्द्र के निष्पान की विवक्षा होगी तभी उनको ध्वनि कहा जा सकेगा । दूसरी अवस्था म, अर्थात् उनका प्रधान रूप से विवक्षित न होने पर व्यञ्ज्य अलङ्कार के माध्यम से चारुत्व की परिसमाप्ति वाक्य अर्थ म ही होने पर गुणीभूतव्यञ्ज्य वाक्य होगा ॥२८॥

अलङ्कारों के अङ्गी रूप से (प्रधान रूप से) व्यञ्ज्य होने पर भी उसकी अवस्था दो प्रकार की हो सकती है—जमी तो वे अलङ्कार वाक्य वस्तुमात्र से व्यञ्जित होते हैं और जमी वाक्य अलङ्कार के द्वारा ।

इन बातों अवस्थाओं म अलङ्कार ध्वनि का रूप क्या होगा इसको बताने—

उनम स—

व्यज्यन्ते वस्तुमात्रेण द्वितीय उद्योत यदात्रङ्कतयस्तवा ।

ध्रुवं ध्वन्यङ्गता तासाम्,

अत्र हेतु—

काव्यवृत्तस्तदाश्रयात् ॥२६॥

यस्मात् तत्र तथाविधव्यङ्ग्यचालङ्कारपरत्वेन काव्यं प्रवृत्तम् । अन्य-
था तु तद् वाक्यमात्रमेव स्यात् ॥२६॥

तासामेवालङ्कृतीनाम्—

अलङ्कारान्तरव्यङ्ग्यभावे,

पुन —

ध्वन्यङ्गता भवेत् ।

चास्तवोत्कर्षतो व्यङ्ग्यप्रधान्य यदि लक्ष्यते ॥३०॥

हिन्दी अर्थ—जब वस्तुमात्र के द्वारा अलङ्कार अभिव्यक्त होते हैं, तब उनकी ध्वन्यङ्गता (प्रधान रूप से स्थित होना) निश्चित है ।

इसमें कारण है—

काव्य का आधार इसके ही (अङ्गीभूत अलङ्कार के ही) आधित है ॥२६॥

उसको ध्वनिकाव्य मानने का हेतु यह है, क्योंकि इस प्रकार के व्यङ्ग्य अलङ्कार के तात्पर्य से, उसकी रचना करने के लिये ही वह काव्य प्रवृत्त हुआ था । अन्यथा वह वाक्य मात्र ही होगा । उस अलङ्कार की ध्वनि रूप में अभिव्यक्ति के लिये ही यदि काव्य की रचना करता है । यदि वह अलङ्कार ध्वनि नहीं है, तो वह काव्य नहीं होगा अपितु साधारण काव्य गुणविहीन वाक्यमात्र होगा ॥२६॥

ध्वन्यता—ध्वनिभेदत्वमित्यर्थ । ध्वन्यङ्गता के अभिप्राय ध्वनि का भेद होना है ।

वस्तुमात्र से अलङ्कारों के व्यङ्ग्यत्व की अवस्था को कह कर अन्यकार अलङ्कारों से अलङ्कारों के व्यङ्ग्यत्व की अवस्था को कहते —

हिन्दी अर्थ—उन ही अलङ्कारों के—

अलङ्कारान्तर से व्यङ्ग्य होने पर—

पुन —

ध्वन्यङ्गता होती है । अर्थात् वे भेद होते हैं, यदि उनमें चास्त्व के उत्कर्ष से व्यङ्ग्य की प्रधानता सञ्चित होती है तो ॥३०॥

अलङ्कार द्वारा अलङ्कार के व्यङ्ग्य होने पर वहाँ अलङ्कार ध्वनि होगी । परन्तु ध्वनि तभी हाँगी, जबकि व्यङ्ग्य अलङ्कार के प्राधान्य की विवक्षा होगी ।

भाव यह है कि जब वस्तुमात्र से अलङ्कार व्यङ्ग्य होता है तो वहाँ वह व्यङ्ग्य अलङ्कार निश्चित रूप से अलङ्कारध्वनि है । जब अलङ्कार से अलङ्कार व्यङ्ग्य होता है तो वह व्यङ्ग्य अलङ्कार प्रधानतया विवक्षित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता । यदि व्यङ्ग्य अलङ्कार प्रधानतया विवक्षित है, तो वह ध्वन्यङ्ग है । यदि वह

उक्तं ह्येतत्—चास्तवोत्कर्षनिबन्धना वाच्यव्यङ्ग्ययो प्राधान्यवि-
वक्षा इति । वस्तुमात्रव्यङ्ग्यत्वे चालङ्काराणामनन्तरोपदाशित्तम्य एवोदाह-
रणेभ्यो विषय उन्नेयः । तदेवमर्थमात्रेणालङ्कारविशेषरूपेण वाच्येन प्रत्य-
न्तरस्यालङ्कारस्य वा प्रकाशने चास्तवोत्कर्षनिबन्धने सति प्राधान्येऽर्थशक्त-
युद्भवानुरणनरूपव्यङ्ग्यो ध्वनिरवगन्तव्यः ॥३०॥

प्रधानतया विवक्षित नहीं है तो ध्वन्यङ्ग भी नहीं है । इसी तथ्य को ध्वनिवार पुन
वृत्ति में स्पष्ट करते हैं—

हिन्दो अर्थ—श्लोकि यह कहा गया है—वाच्य और व्यङ्ग्य के प्राधान्य को
विवक्षा उनके चास्त्व के उत्कर्ष के कारण ही होती है । अलंकारों के वस्तुमात्र से
व्यङ्ग्य होने पर उनके विषय को अभी ही दिखाये गये उदाहरणों से समझ लेना
चाहिये । तो इस प्रकार अर्थमात्र (वस्तुमात्र) से अथवा अलंकारविशेष रूप अर्थ से
अर्थान्तरभूत अलंकार के अभिव्यक्त होने पर यदि वहाँ प्रधान रूप से चास्त्व के उत्कर्ष
का निबन्धन है तो यहाँ अर्थशक्तयुद्भव अनुरणनरूपव्यङ्ग्य ध्वनि को समझना
चाहिये ।

इस प्रकार ध्वनिवार ने अनुरणनरूप ध्वनि के भेदा का यहाँ प्रतिपादन
किया है । इसको अभिनवगुप्त ने निम्न शब्दों में कहा है—

'तदेवमिति । व्यङ्ग्यस्य व्यञ्जकस्य च प्रत्येकं वस्तुलङ्काररूपतया द्विप्रकार-
त्वाच्चतुर्विधोऽयमर्थशक्तयुद्भव इति तात्पर्यम् ।'

व्यङ्ग्य और व्यञ्जक के प्रत्येक के वस्तु और अलंकार दो प्रकार का होने
से अर्थशक्तयुद्भव ध्वनि चार प्रकार की होती है, यह तात्पर्य है । ध्वनि के भेदों की
गणना अभिनवगुप्त ने निम्न प्रकार में की है—

"प्रथिर्वा त्रिवाच्यो विवक्षिताऽपरवाच्य इति द्वौ मूलभेदौ । चावस्य द्वौभेदौ—
अत्यन्ततिरस्वृत्वाच्योऽर्थांतरसामितवाच्यश्च । द्वितीयस्य द्वौ भेदौ—अतथ्यप्रमोक्षुर
पानरूपश्च । प्रथमोऽन्तर्भेदः । द्वितीया द्विविधः—शब्दशक्तिमूर्तोऽर्थशक्तिमूलश्च ।
पश्चिमसिद्धिविधः—शक्तिप्रोक्षितवृत्तगरीरः, शक्तिनिबद्धकतृप्रोक्षितगरीरः स्वनः
सम्भवी च । ते च प्रत्येकं व्यङ्ग्यव्यञ्जकयोग्योक्तभेदनयनं चतुर्ष्वेति द्वादशविधोऽर्थशक्ति-
मूलः । अथावगतवारी भेदा इति पौडशः मुख्यभेदाः । ते च पदवाच्यप्रमाणन प्रत्येकं
द्विविधा कथ्यन्ते अतएव तस्यचतुर्ष्वेति द्वादशशक्तिगणनाप्रवृत्तप्रमाणनेन पञ्चविंश-
त्वेन ।"

एवं ध्वनेः प्रभेदान् प्रतिपाद्य तदाभासविवेकं कर्तुं मुच्यते—

यत्र प्रतीयमानोऽर्थः प्रमित्पटत्वेन भासते ।

वाच्यस्याङ्गतया वापि नास्यासौ गोचरो ध्वनेः ॥३१॥

द्वितीयोऽपि प्रतीयमानः स्फुटोऽस्फुटश्च । तत्र य एव स्फुटः शब्दशक्त-

याऽर्थशक्त्या वा प्रकाशते स एव ध्वनेर्मागो नेतरः । स्फुटोऽपि योऽभिधेयस्या-

ङ्गत्वेन प्रतीयमानोऽवभासते सोऽस्यानुरणनरूपव्यङ्ग्यस्य ध्वनेरगोचरः ।

शब्दशक्तिमूल और अर्थशक्तिमूल । दूसरे (अर्थशक्तिमूल) के तीन प्रकार हैं—कवि-
प्रौढोक्तिवृत्तशरीर, कविनिबद्धवतृप्रौढिकवृत्तशरीर और स्वत सम्भवी । और ये तीनों
प्रत्येक व्यङ्ग्य-व्यञ्जक के भेद से कहे गये प्रकार से चार प्रकार के हैं । इस प्रकार
अर्थशक्तिमूलध्वनि १२ प्रकार की है । पहले चारो भेदों को मिलाकर ध्वनि के १६
मुख्य भेद हैं । पद और वाक्य की प्रकाशता से ये प्रत्येक दो प्रकार के कहे जायेंगे ।
वर्ण, पद, वाक्य, सघटना और ध्वनि की प्रकाशता के भेद से अलक्ष्यक्रमध्वनि के ३५
भेद हैं ।

अभिनवगुप्त ने ध्वनि के मुख्य भेद १६ किये । परन्तु उत्तरवर्ती मम्मट आदि
आदि आचार्यों ने १२ भेद किये । मम्मट ने उभय शक्तिमूल को एक भेद माना तथा
शब्दशक्तिमूल के दो भेद—वस्तुध्वनि और अलवारध्वनि करके दो भेदों की वृद्धि
की । इसप्रकार ध्वनि के मुख्य भेद १८ हुये ॥३०॥

पहले कहा जा चुका है कि प्रतीयमान अर्थ के प्रधानतया व्यङ्ग्य होने पर
ध्वनि होती है एक प्रधानतया व्यङ्ग्य न होने पर व्यङ्ग्य वाक्य होता है उसी को
समझाने के लिये ध्वनिवार यहाँ इसप्रकार कहते हैं—

हिन्दी अर्थ—इस प्रकार ध्वनि के प्रभेदों का प्रतिपादन करके उसके आभास
(ध्वन्याभास या गुणीभूतव्यङ्ग्य) को समझाने के लिये यह कहते हैं—

जहाँ प्रतीयमान अर्थ प्रकटाट रूप से (अस्फुट रूप से) ध्रुवमासित होता है
अथवा जो वाच्य अर्थ के अङ्ग के रूप में ध्रुवमासित होता है, वह ध्वनि का दियय
नहीं होता ॥३१॥

दूसरा प्रतीयमान अर्थ भी दो प्रकार से हो सकता है—स्फुट और अस्फुट । इनमें
जो स्फुट प्रतीयमान अर्थ है, वह ही जब शब्दशक्ति के द्वारा या अर्थशक्ति के द्वारा
प्रकाशित किया जाता है, तो वह ही ध्वनि का माग होता है, दूसरा नहीं ।

कहने का अभिप्राय यह है कि प्रतीयमान अर्थ जब स्फुट रूप से प्रकाशित हो
प्रधान रूप से प्रतीत हो, तभी वह ध्वनि होना है । यदि वह अस्फुट रूप से प्रकाशित
हो या, वाच्य अर्थ के अङ्ग के रूप में प्रतीत हो तो वह ध्वनि नहीं होगा, गुणीभूत-
व्यङ्ग्य वाक्य ही होगा ।

यथा—

(कमलाभ्रराणं मलिना हंसा उड्डाविभ्रा ण भ्र पिउच्छा ।

केण कि गामतडाए अब्भं उत्ताणभ्रं फलिहम् ॥

कमलाकरा न मलिना हंसा उड्डायिता न च पितृष्वसः ।

केनापि ग्रामतडागे भ्रभ्रमुत्तानितं क्षिप्तम् ॥)

अत्र हि प्रतीयमानस्य मुग्धवध्वा जलधर प्रतिबिम्बदर्शनस्य वाच्या-
ङ्गत्वमेव ।

एवं विधेविषयेऽन्यत्रापि यत्र व्यङ्ग्यमापेक्षया वाच्यस्य चास्तवोत्कर्ष-
प्रतीत्या प्राधान्यमवसीयते तत्र व्यङ्ग्यस्याङ्गत्वेन प्रतीतेर्ध्वनेरविषयत्वम् ।
यथा—

वाणीर कुडंगोड्डीणसउणि कोलाहलं सुणतीए ।

घरकम्म वावडाए बहुए सीअंति अंगाइं ॥

(वाणीर कुञ्जोड्डीणसकुनिकोलाहलं शृण्वन्त्या. ।

गृहकर्मव्यापृताया वध्वाः सीदन्त्यङ्गानि ॥)

जैसे—हे दुआ जी ! देखो, जलाशय भी मलिन नहीं हूये हैं और न हम ही उड़ाये गये हैं । किसी ने मेघों को उलटा करके गाव के तालाब में डाल दिया है ।

यह प्रतीयमान अर्थ जो कि भोली नववधू द्वारा मेघ के प्रतिबिम्ब का दर्शन रूप है, वह वाच्य अर्थ का अङ्ग ही है ।

भाव यह है कि किसी भोली नववधू ने जलाशय के अन्दर प्रतिबिम्बित होते हूये मेघ को देखा । उसने समझा कि इसमें आकाश को ही किसी ने उलटा करके डाल दिया है । उसे आश्चर्य हुआ कि यदि आकाश को उलटा करके डाला गया है तो जलाशय को मलिन हो जाना चाहिये और हमें तो उड जाना चाहिये । परन्तु ऐसा नहीं हुआ । इसी बात को वह अपनी दुआसास से कह रही है ।

इस उक्ति में प्रतीयमान अर्थ है—मुग्धवधू द्वारा मेघ के प्रतिबिम्ब का देखना और इससे विस्मय की प्रतीति यह अर्थ वाच्य अर्थ-वधू का भोला भोला होना, इसका अङ्ग है अर्थात् इस वाच्य अर्थ के चारव वा उन्वय करता है । इसलिये प्रतीयमान अर्थ ध्वनि नहीं, गुणीभूतव्यङ्ग्य है ।

हिन्दी अर्थ—इस प्रकार के विषय से और दूसरे स्थान पर भी, जहाँ व्यङ्ग्य अर्थ की अपेक्षा वाच्य अर्थ के चाश्व के उत्कर्ष की प्रतीति होगी है, और वाच्य अर्थ का चाश्व प्रधान रूप से प्रतीत होता है, वहाँ व्यङ्ग्य अर्थ की अङ्गत्व (अप्रमान) रूप से प्रतीति होने के कारण वह ध्वनि का विषय नहीं होता जैसे कि—

हिन्दी अर्थ—बैत की लताओं के कुञ्ज से उड़ते हूये परिधियों के कोलाहल को सुनती हुई और घर के कामकाज में लगी हुई वधू के अङ्ग शिथिल हो रहे हैं ।

एवंविधो हि विषयः प्रायेण गुणीभूतव्यङ्ग्यसौदाहरणेन निर्देश्यते ।
 यत्र तु प्रकरणादि प्रतिपत्त्या निर्धारितविशेषो वाच्योऽर्थः पुनः
 प्रतीयमानाङ्गवेनैवावभासते सोऽस्यैवानुरणनरूपव्यङ्ग्यस्य ध्वनेर्मागः ।
 यथा—

उच्चिणसु पडिञ्च कुसुम मा धुण सेहालिञ्चं हालिञ्चसुह्ले ।
 अह दे विसमविरावो ससुरेण सुग्रो बलञ्चसुह्लो ॥
 (उच्चिचनु पतितं कुसुमं मा धुनीहि शेफालिका हालिकस्तुपे ।
 एष ते विषयविरावः श्वसुरेण श्रुतो बलयशब्दः ॥)

किसी वधू ने अपने प्रणयी से मिलने का स्थान बेत की लताओं वा कुञ्ज नियत किया था, परन्तु घर के कामकाज में फंसी वह वधू सास की उपस्थिति के कारण ठीक समय पर नहीं पहुँच सकी, जबकि उसका प्रणयी वहाँ पहुँच गया। पक्षियों के कोलाहल की ध्वनि प्रणयी के वहाँ पहुँचने की सूचना देती है एवं वधू के सवेत स्थल पर न पहुँच सकने की मजबूरी की सूचना घर के काम में फंसी होने से मिलती है। यहाँ व्यङ्ग्य अर्थ—‘प्रणयी सवेत स्थल पर पहुँचकर लताकुञ्ज में प्रविष्ट हो गया है’ की अपेक्षा वाच्य अर्थ—‘वधू के अङ्ग मदनावस्था के कारण शिथिल हो रहे हैं’ अधिक सुन्दर है, इस प्रकार प्रतीयमान अर्थ के अप्रधान होने से और वाच्य अर्थ के अधिक चारत्व निष्पन्न होकर उसके प्रधान होने से यह काव्य गुणीभूतव्यङ्ग्य होगा। आचार्य मम्मट और विश्वनाथ ने इस पद्य को असुन्दर नामक गुणीभूतव्यङ्ग्य के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है।

हिन्दी अर्थ—इस प्रकार का विषय प्रायः गुणीभूतव्यङ्ग्य काव्य के उदाहरण के रूप में दिखाया जायेगा।

क्योंकि इस पद्य में व्यङ्ग्य अर्थ की अपेक्षा वाच्य अर्थ अधिक सुन्दर होता है, व्यङ्ग्य अर्थ वाच्य अर्थ का अङ्ग बनकर उसके चारत्व की निष्पत्ति का हेतु होता है, अतः यह पद्य गुणीभूतव्यङ्ग्य काव्य का उदाहरण होगा।

हिन्दी अर्थ—परन्तु जहाँ प्रवरण आदि की प्रतीति होकर विशेष अर्थ का निर्धारण करने वाला वाच्य अर्थ पुनः प्रतीयमान अर्थ के अङ्ग के रूप में ही अवभासित होता है, वह इस अनुरणनरूपव्यङ्ग्य ध्वनि का ही माग है।

भाव यह है कि यदि किसी काव्य में वाच्य अर्थ की अपेक्षा प्रतीयमान अर्थ कम सुन्दर हो, परन्तु प्रवरण आदि के परिज्ञान से अन्य विशेष प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति वाच्य के सामर्थ्य से हो तो वह वाच्य अर्थ उस विशेष प्रतीयमान अर्थ का अङ्ग प्रतीत होता है और वहाँ अनुरणनरूपव्यङ्ग्य ध्वनि होती है।

हिन्दी अर्थ—जैसे—

हे किसान की पुत्रवधू! नीचे गिरे दूधे फूलों को ही चुनो, शेफालिका की लता को हिलाओ नहीं। तीव्र शब्द बरने वाले या कठिनाई उत्पन्न करने वाले तुम्हारे कङ्कण के इस शब्द को समुद्र में मुन लिया है।

अत्र ह्यविनयपतिना सह रममाणा सखी बहिष्कृतवलयकलकलया सख्या प्रतिबोध्यते । एतदपेक्षणीय वाच्यार्थं प्रतिपत्तये । प्रतिपत्तने च वाच्येऽर्थे तस्याविनयप्रच्छादनतात्पर्येणाभिधीयमानत्वात्पुनर्यद्वाङ्मत्त्वमेवेत्यस्मिन्ननुरणनरूपव्यङ्ग्यध्वनावन्तर्भाव ॥३१॥

एव विवक्षितवाच्यस्य ध्वनेस्तदाभासविवेके प्रस्तुते सत्यविवक्षित-वाच्यस्यापि त कर्तुमाह—

इस पद में वाच्य अर्थ से यह प्रतीयमान अर्थ निष्पन्न होता है कि समुर शेफालिका का लता की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करता है और उसके हिलाने आदि से कुपित होता है । यह प्रतीयमान अर्थ विपयविराव रूप वाच्य अर्थ की पुष्टि करता है अतः वाच्य अर्थ का अङ्ग ही है । परन्तु प्रकरण आदि के द्वारा पुनः इस प्रतीयमान अर्थ की भी प्रतीति होती है कि कोई किसान बधू अपने किसी धृष्ट प्रमी से रतिब्रीडा कर रही है । परन्तु उसके कङ्कन की ध्वनि बाहर सुनाई देती है । सखी की रक्षा करने एक उसके अविनय को छिपाने के लिये सखी इस पद्य को कह रही है जिससे यह अर्थ प्रतीत होता है कि किसानबधू किसी गुप्त प्रणयी से केलि नहीं कर रही अपितु शेफालिका के पुष्प चुन रही है । यहा प्रकरण आदि की प्रतीति स प्रतीत होने वाले इस प्रतीयमान अर्थ का वाच्य अर्थ अङ्ग हो जाता है अतः यह अनुरणनरूप-व्यङ्ग्यध्वनि वाच्य है । इसी तथ्य को आनन्दवचन वृत्ति में स्पष्ट करते हैं—

हिंदी अर्थ—यहाँ किसी धृष्ट प्रमी से रमण करती हुई सखी को बाहर से कङ्कन के शब्द को सुनने वाली सखी सावधान करती है । वाच्य अर्थ को जानने के लिये यह प्रतीयमान अर्थ अपेक्षित है । वाच्य अर्थ क विदित हो जाने पर उस वाच्य अर्थ के अविनय (परपुरुष से रमण करना) के छिपाने के तात्पर्य से कहा जाने के कारण यह पुनः व्यङ्ग्य अर्थ का ही अङ्ग हो जाता है । अतः इसका अनुकरणरूप व्यङ्ग्यध्वनि वाच्य में अन्तर्भाव होता है ।

प्रकरणादिप्रतिपत्त्या—प्रकरणम आदिस्य शब्दांतरसन्निधानसामर्थ्यालिङ्गादे स्तदवगमादेव । यहाँ प्रकरण आदि द्वारा व सर्व शब्दसन्निधि सामर्थ्य लिङ्ग आदि हेतु ग्रहण करने चाहियें जो अभिधा व नियंत्रण में विशेष अर्थ व व्यक्ति हेतु हैं । इनका उल्लेख पीछे किया गया है ॥३१॥

लक्षणामूल ध्वनि का गुणीभूतव्यङ्ग्यध्वत्व

इस प्रकरण में अर्थकार ने विवक्षितवाच्य ध्वनि का तदामास (गुणीभूतव्यङ्ग्यध्वत्व) प्रदर्शित किया है । इसलिये प्रकरण से प्राप्त होने के कारण वे लक्षणामूल ध्वनि का भी तदामास (गुणीभूतव्यङ्ग्यध्वत्व) प्रदर्शित कर रहे हैं—

हिंदी अर्थ—इस प्रकार विवक्षितवाच्य ध्वनि के तदामास (ध्वयामास गुणीभूतव्यङ्ग्यध्वत्व) के विवेक के प्रस्तुत होने पर अविवक्षित वाच्य ध्वनि का भी यह करने के लिये (गुणीभूतव्यङ्ग्यध्वत्व प्रस्तुत करने के लिये) कहते हैं—

अव्युत्पत्तेरशक्तेर्वा निबन्धो यः स्खलद्गतेः ।

शब्दस्य स च न ज्ञेयः सूरिभिर्विषयो ध्वने ॥३२॥

स्खलद्गतेरुपचरितस्य शब्दस्य अव्युत्पत्तेरशक्तेर्वा निबन्धो यः स च न ध्वनेविषयः ॥३२॥

व्युत्पत्ति (प्रतिभा) या शक्ति (काव्यनिर्माणसामर्थ्य) के अभाव में स्खलद्गति (बाधितविषय, लाक्षणिक या गौण) शब्द का जो निबन्धन है, विद्वानो को उसे ध्वनि का विषय नहीं समझना चाहिये ॥३२॥

व्युत्पत्ति या शक्ति के न होने से स्खलद्गति अर्थात् उपचरित शब्द का जो निबन्धन है, वह ध्वनि का विषय नहीं होता ।

यहाँ व्युत्पत्ति पद का अर्थ काव्य की रचना करने की प्रतिभा, शक्ति वा अर्थ काव्य की रचना करने की असाधारण्य और स्खलद्गति पद का अर्थ लाक्षणिक शब्द है । भाव यह है कि जब कवि में प्रतिभा और शक्ति की न्यूनता हो और उसके कारण वह लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग करके काव्य की रचना करे, तो वह काव्य ध्वनि नहीं होगा अर्थात् गुणीभूतव्यङ्ग्य ही होगा । ध्वनिवार ने लक्षणाभूल गुणीभूतव्यङ्ग्य काव्य के उदाहरण नहीं दिये हैं । अभिनवगुप्त ने इसके उदाहरण दिये हैं, जिनको प्रस्तुत करना उपयोगी होगा । अव्युत्पत्ति के कारण लाक्षणिक एव गौण शब्दों के प्रयोग का उदाहरण—

प्रेह्यत्प्रेमप्रबन्धप्रचुरपरिचये प्रौढसीमन्तिनीना

चित्ताकाशावकाशे विहरति सतत य स सौभाग्यभूमि ॥

प्रौढ महिलाओं के स्फुरित होते हुए प्रचुर प्रेम के बाँधने के परिचय वाले मन के आकाशरूप अवकाश में जो निरन्तर विहार करता है, वह ही सौभाग्य का स्थान है ।

यहाँ अनुप्रास के प्रति रसिक होने के कारण कवि ने प्रतिभा की कमी से 'प्रेह्यत्' इस लाक्षणिक पद का और 'चित्ताकाश' इस गौण पद का प्रयोग किया है । इसमें लक्षणाभूल व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति होने पर भी उसका पर्यवसान चारु न होने से यह ध्वनि नहीं है ।

अशक्ति का अभिप्राय है वृत्तपूर्ति आदि में अग्रमर्थना । जैसे—

विषमवाण्डकुटुम्बकसञ्चयप्रवर वारिनिधौ पतता त्वया ।

चलतरङ्गविधूणितभाजने विचलतात्मनि बुद्धयमये वृता ॥

कामदेव के कुटुम्ब के समुदाय में सबसे श्रेष्ठ (चन्द्र) समुद्र में गिरते हुए तुमने चञ्चल तरङ्गों में हिलते हुए पात्र में बुद्धयमय अपने स्वयं में विचलता उत्पन्न कर दी ।

यहाँ 'विषमवाण्डकुटुम्बकसञ्चयप्रवर' पद से लक्षणा द्वारा 'चन्द्र' अर्थ लक्षित होता है, 'भाजन, पद से 'आशय' अर्थ लक्षित होता है और 'बुद्धयमय' पद में 'विचल'

यतः—

सर्वेष्वेव प्रभेदेषु स्फुटत्वेनावभासनम् ।

यद् व्यङ्ग्यस्याङ्गिभूतस्य तत् पूर्णं ध्वनिलक्षणम् ॥३३॥

तच्चोदाहृतविषयमेव ॥३३॥

इति श्रीराजानकानन्दवर्धनाचार्यं विरचितेध्वन्यालोके
द्वितीय उद्योतः

अर्थ लक्षित होता है । इन सब पदों का प्रयोग कवि ने व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति के लिये नहीं, अपितु छन्दपूर्ति के लिये अधिक रिया है । अतः छन्दपूर्ति आदि की असमर्थता के कारण ही इस काव्य में सौन्दर्यातिशय की निष्पन्नता नहीं हुई और यह काव्य ध्वनि नहीं होगा ॥३२॥

ध्वनि एव तदाभास की विवेचना करके अन्त में उपसहार रूप में ग्रन्थवार कहते हैं—

हिन्दी अर्थ—क्योंकि—

ध्वनि के इन सभी प्रभेदों में जब अङ्गीभूत (प्रधानभूत) व्यङ्ग्य अर्थ की स्फुट रूप से प्रतीति होती है, वह ही ध्वनि का पूर्ण लक्षण है ॥३३॥

उसके विषय के उदाहरण दिये ही जा चुके हैं ॥३३॥

इति डाक्टरोपाध्यालङ्कृत कृष्णकुमारकृत व्याख्यायुतस्य
ध्वन्यालोकस्य द्वितीय उद्योतः

— समाप्त —

परिशिष्ट १

ध्वन्यालोकगतपारिकार्थसूची

| पारिकार्थं | उद्योत | सख्या | पृष्ठ |
|--|--------|-------|-------|
| मङ्गाश्रितास्त्रयङ्कारा मन्तव्या षट्वादिवत् | २ | ६ | १४२ |
| प्रतिध्याप्तरवाध्याध्नेर्न चासौ लक्ष्यते तथा | १ | १४ | ६६ |
| अनुभ्यानोपमव्यङ्ग्य स प्रवारोऽणरोध्वने | २ | २५ | २०४ |
| अपृथग्यत्ननिर्वृत्यं सोऽनङ्कारो ध्वनी मतः | २ | १६ | १६१ |
| अर्षंशक्तेरलङ्कारो यथाप्यन्य प्रतीयते | २ | २५ | २०४ |
| अर्षंशक्युद्भवस्त्वन्वो यत्रार्थं स प्रकाशते | २ | २२ | १६५ |
| अर्षान्तर सत्रमितमत्यन्त वातिरस्कृतम् | २ | १ | ११३ |
| अर्षोऽपि द्विविधो ज्ञेयो वस्तुनोऽन्यस्य दीपक- | २ | २४ | २०१ |
| अलङ्कारान्तरव्यङ्ग्यभावे ध्वन्यङ्गता भवेत् | २ | ३० | २२१ |
| अलङ्कारान्तरस्यापि प्रतीतो यत्र भासते | २ | २७ | २०६ |
| अलोवसामान्यमभिध्वनक्ति परिस्फुरन्त | | | |
| प्रतिभाविशेषम् | १ | ६ | ५४ |
| अविवक्षितवाच्यस्य ध्वनेर्वाच्य द्विधामतम् | २ | १ | ११३ |
| अभ्युत्पत्तेरशक्तेर्वा निबन्धो य स्वलदगते | २ | ३२ | २२६ |
| असलक्ष्यप्रभोद्योत ब्रमेण द्योतित पर- | २ | २ | ११८ |
| आक्षिप्त एवालङ्कार शब्दशक्त्या प्रकाशते | २ | २१ | १७६ |
| आलोकार्थी यथा दीपशिखाया मलवान् जन- | १ | ६ | ६० |
| उक्त्यन्तरेणशक्य यत् तच्चास्तत् प्रकाशयन् | १ | १५ | १०४ |
| कस्यचिद्ध्वनिभेदस्य सा तु स्यादुपलक्षणम् | १ | १६ | १०६ |
| वाले च ग्रहणत्यागी नातिनिर्वहणीयता | २ | १८ | १६६ |
| वाच्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्षं समाभ्यातपूर्वं- | | | |
| स्तस्याभाव जगदुरपरे भाक्तमाहस्तमन्ये | १ | १ | ३ |
| वाच्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिक्वे पुरा | १ | ५ | ५२ |
| काव्येवस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मति | २ | ५ | १३४ |
| केचिद् वाचा स्थितमविषये तत्स्वमूचुस्तदीय | | | |
| तेन श्रुम सहृदयमन प्रीतये तत्स्वरूपम् | १ | १ | ३ |
| त्रमेण प्रतिभात्यात्मा योऽनुत्स्वानसन्निभ | २ | २० | १७८ |
| श्रीञ्चन्द्रविद्योगोत्थ श्लोक श्लोक्त्वमागत | १ | ५ | ५२ |
| चास्तत्रोत्पत्तो व्यङ्ग्यप्रप्राधान्य यदि लक्ष्यते | २ | ३० | २२० |

| कारिकाद्धं | उद्योत | सख्या | पृष्ठ |
|---|--------|-------|-------|
| तत्परत्व न वाच्यस्य नासौ मार्गो ध्वनेर्मत | २ | २७ | २०६ |
| तत्र वाच्य-प्रसिद्धो य प्रकारैरुपमादिभि | १ | ३ | २४ |
| तद्रुपायतया तद्वदर्थे वाच्ये तदाहृत | १ | ६ | ६० |
| तद्वत् सचेतसा सोऽर्थो वाच्याथविमुखात्मनाम | १ | १२ | ६२ |
| तदव्यक्तिहेतू शल्यार्थावाश्रियोजो व्यवस्थितम | २ | ६ | १४७ |
| तमय काव्यमाश्रित्य माधुर्यं प्रतिष्ठित | २ | ७ | १४५ |
| तमधमवन्म्वन्ते येऽङ्गिन ते गुणा स्मृता | २ | ६ | १४२ |
| तस्याङ्गाना प्रभेदा ये प्रभेदा स्वगताश्च ये | २ | १२ | १५४ |
| तेऽलङ्कारा परा छाया यति ध्वयङ्गता गता | २ | २८ | २१८ |
| तेषामानन्त्यमयोन्यसम्बन्धपरिकल्पने | २ | १२ | १५४ |
| दिङ् मात्र तूच्यते येन व्युत्पन्नाना सचेतसाम् | २ | १३ | १५६ |
| ध्रुव ध्वयङ्गता तासा काव्यवृत्तस्तदाश्रयात् | २ | २८ | २२० |
| ध्वनेरात्माङ्गिभावेन भासमानो व्यवस्थित | २ | ३ | ११६ |
| ध्वयत्तमेव शृङ्गारे ते हेया इत्युदाहृता | २ | ११ | १५३ |
| ध्वयात्मभूते शृङ्गारे यमकादिनिबन्धनम् | २ | २५ | १५८ |
| ध्वन्यामभूते शृङ्गारे समीक्ष्य विनिवेशित | २ | १७ | १६५ |
| निर्व्यूढावपि चाङ्गत्वे यत्नेन प्रयवेक्षणम | २ | १६ | १६६ |
| प्रतीयमान पुनरयदेव वस्त्वस्ति वाणीषु | | | |
| महाकवीतम | १ | ४ | २५ |
| प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे यत्राङ्गन्तु रसादय | २ | ५ | १३४ |
| प्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीर सम्भवीस्वत | २ | २४ | २०१ |
| बहुधा व्याकृत सोऽन्यं ततो नेह प्रतयते | १ | ३ | २४ |
| बुद्धिरासादित्तोका सवन्त्रैव भविष्यति | २ | १३ | १५६ |
| बुद्धौ तत्वाथर्दाशिया भट्टित्वेवावभासते | १ | १२ | ६२ |
| भक्त्या विभक्ति नैकत्व रूपभेदादय ध्वनि | १ | १४ | ६८ |
| माधुर्यमात्र ता याति यतस्तत्रापिक मन | २ | ८ | १४७ |
| मूल्या वृत्ति परित्यज्य गुणवृत्त्याथदशनम् | १ | १७ | १०६ |
| यत् तत् प्रसिद्धावयवातिरिक्त विभाति | | | |
| लावण्यमिवाङ्गनास्तु | १ | ४ | २५ |
| यन्त प्रत्यभिज्ञयो तौ शब्दायो महावके | १ | ८ | ५८ |
| यत्र प्रतीयमानोऽय प्रम्लिष्टत्वेन भासते | २ | ३१ | २२२ |
| यत्राय शब्दो वा तमयमुपसजनीकृतस्वाधी | १ | १३ | ६३ |
| यत्राविष्टिरयते स्वस्व्या सान्यवालङ्कृतिध्वने | २ | २३ | १६८ |
| यथा पदापहरण वाक्याथ सम्प्रतीयत | १ | १० | ६१ |

| कारिका | उद्योत | सख्या | पृष्ठ |
|---|--------|-------|-------|
| यथा व्यापारनिष्पत्तौ पदार्थो न विभाव्यते | १ | ११ | ६२ |
| यदुद्दिश्य फल तत्र शब्दो नैव स्वल्पद्वयति | १ | १७ | १०६ |
| यदव्यङ्ग्यस्वाङ्गिभूतस्य तत पूर्णं ध्वनिलक्षणम् | २ | ३३ | २२७ |
| पस्तात्पमैण वस्तुवन्द्यं ध्वनकत्पुक्तिं विना स्वतः- | २ | २२ | १६५ |
| यस्मिन्ननुक्तं शब्देन शब्दशक्त्युद्भवो हि स | २ | २१ | १७६ |
| योऽयं सहृदयश्लाघ्य काव्यात्मति व्यवस्थिते | १ | ७ | २१ |
| रसभावतदाभासतत्प्रशान्त्यादिरागम | २ | ३ | ११६ |
| रसाक्षिप्ततया यस्य बन्ध शक्यनियोभवेत् | २ | १६ | १६१ |
| रसादिपरता यत्र स ध्वनेविषयो मत | २ | ४ | १३३ |
| रूढा य विषयऽन्यत्र शब्दा स्वविषयादपि | १ | १६ | १०४ |
| रूपनादिरलङ्कारवर्गं एति यथार्थताम् | ३ | १७ | १६५ |
| रूपनादिरलङ्कारवर्गस्याङ्गत्वसाधनम् | २ | १६ | १६६ |
| रूपकादिलङ्कारवर्गो यो वाच्यता श्रित | २ | २६ | २०४ |
| रौद्रादयो रसादीण्या लक्ष्यन्ते काव्यवतिन | २ | ६ | १४७ |
| लक्षणैर्ऽर्थं कृते चास्य पक्षसिद्धिरेव न | १ | १६ | ११० |
| लावण्याद्या प्रयुक्तास्ते न भवन्ति पद ध्वने | १ | १६ | १०४ |
| वाचकत्वाध्वयार्थैव गुणवृत्तिव्यवस्थिता | १ | १८ | १०८ |
| वाच्यप्रतीयमानागौ तस्य भेदावुभौ स्मृतौ | १ | २ | २१ |
| वाच्यवाचकचारुत्वहेतूना विविधात्मनाम् | २ | ४ | १३३ |
| वाच्यस्याङ्गतया वापि नास्यासौ गोचरो ध्वने | २ | ३१ | २२७ |
| वाच्यायपूर्विका तद्वत् प्रतिपत्तस्य वस्तुन | १ | १० | ६१ |
| विवक्षा तपरत्वेन नाङ्गित्वेन कदाचन | २ | १८ | १६६ |
| विवक्षिताभिधेयस्य ध्वनेरात्मा द्विधा मत | २ | २ | ११८ |
| वेद्यते स तु वाच्यार्थतत्त्वज्ञैरेव वेदलम् | १ | ७ | ४६ |
| व्यङ्ग्यं काव्यविशेष स ध्वनिरिति मूरिभिर्ऽप्यित | १ | १३ | ६३ |
| व्यङ्ग्ये वस्तुमात्रेण यदावङ्ग्यतयस्तदा | २ | २६ | २२१ |
| व्यङ्ग्यत्वैवमूलस्य ध्वन स्मात्प्रसङ्ग कथम् | २ | १८ | १०८ |
| शक्तावपि प्रमादित्व विप्रलम्भे विशेषत | २ | १५ | १५८ |
| शब्दस्य स च न ज्ञेय मूरिभिर्विषयोध्वन | २ | ३२ | २२६ |
| शब्दार्थशक्तिमूलत्वान् सोऽपि द्वेषा व्यवस्थित | २ | २० | १७८ |
| शब्दाध्वन्याभिप्तोऽपि व्यङ्ग्योऽप्येव विना पुन | २ | २३ | १६८ |
| शब्दाध्वनासनजानमात्रेणैव न वेद्यत | १ | ७ | ४६ |
| शब्दो व्यङ्ग्यवता विद्मद्ध्यन्मुक्ते विषयीभवेत् | १ | १५ | १०४ |
| शरीरीकरणं येषा वाच्यत्वे न व्यवस्थितम् | २ | २८ | २१८ |

| कारिका | उद्योत | सख्या | पृष्ठ |
|---|--------|-------|-------|
| शृङ्गारस्थाङ्गिनो यत्नादेन म्पातुवन्यवान् | २ | १४ | १५७ |
| शृङ्गार एव मधुरः परः प्रह्लादनो रस | २ | ७ | १४३ |
| शृङ्गारे विप्रलम्भास्ये करुणे च प्रकर्षवत् | २ | ८ | १४७ |
| श्रुतिदुष्टादयो दोषा अनित्या ये च दर्शिता | २ | ११ | १५३ |
| स प्रसादो गुणो ज्ञेयः सर्वसाधारणक्रिय | २ | १० | १४९ |
| समर्पकत्व काव्यस्य यत्तु सर्वरसान् प्रति | २ | १० | १४९ |
| सरस्वती स्वादुतदर्थवस्तु नि ध्यन्दमाना | | | |
| महता कवीनाम् | १ | ६ | ५४ |
| सर्वेष्वेव प्रभेदेषु नानुप्रास प्रकाशक | २ | १४ | १५७ |
| सर्वेष्वेव प्रभेदेषु स्फुटत्वेनावभासतम् | २ | ३६ | २२७ |
| स सर्वो गम्यमानत्व विघ्नद् भूम्ना प्रदर्शित | २ | २६ | २०५ |
| सोऽर्थस्तद्व्यक्तिसामर्थ्ययोगी शब्दश्चकश्चन | १ | ८ | ५८ |
| स्वसामर्थ्यवशेनैव वाक्यार्थं प्रथयन्नपि | १ | ११ | ६२ |

—०—

परिशिष्ट २

ध्वन्यालोकवृत्तिगतकारिकासूची

| कारिका | उद्योत | पृष्ठ |
|--|--------|-------|
| तत्परावेव शब्दाधौ यत्र व्यङ्ग्यं प्रति स्थितौ । | | |
| ध्वने स एव विषयो मन्तव्यः सङ्करोज्जितः | १ | ८० |
| यमकादिनिबन्धे तु पृथग्यतोऽस्य जायते । | | |
| शक्तस्यापि रसेऽङ्गत्वं तस्मादेवा न विद्यते ॥ | २ | १६५ |
| यस्मिन्नस्ति न वस्तु विञ्चन मनश्प्रह्लादि सालङ्कृति | | |
| ध्युत्पन्ने रचित न चैव वचनैर्वङ्गोक्तिशून्यं च यत् । | | |
| काव्यं तद् ध्वनिना समन्वितमिति प्रीत्या प्रशस्तं जडो | | |
| नो विद्योऽभिदधाति किं सुमतिना पृष्टं स्वम्प ध्वने ॥ | १ | १३ |
| रसाभावादित्यात्यर्थमाश्रित्य विनिवेशनम् । | | |
| प्रतङ्कृतीनां सर्वासामलङ्कारत्वमाधनम् ॥ | २ | १३८ |
| रगवन्ति हि वस्तूनि सालङ्काराणि यानिचित् । | | |
| एकेनेव प्रपन्नेन निवर्त्तन्ने महामवे ॥ | २ | १६४ |
| रसाभागाङ्गभावस्तु यमकादेर्न धार्यते । | | |
| ध्वन्यात्मभूने शृङ्गारे त्वङ्गतानोपपद्यते ॥ | २ | १६४ |

| | | |
|--|---|----|
| व्यङ्ग्यव्यञ्जकसम्बन्ध निबन्धनतया ध्वनेः । वाच्ययाचकचाश्वहैत्वन्त.पातिता कुतः ॥ | १ | ६६ |
| व्यङ्ग्य य प्रतिभामात्रे वाच्यायानुगमेऽपि वा । न ध्वनिर्यत्र वा तस्य प्राधान्यं न प्रतीयते ॥ | १ | ६७ |
| व्यङ्ग्यस्य यत्राप्राधान्य वाच्यमात्रानुयायितः । समाप्तोक्तयादमस्तत्र वाच्यालङ्घ्यतयः स्फुटाः ॥ | १ | ६७ |
| स्वेच्छावेसरिण स्वच्छस्वच्छायायासितेन्दवः । श्रायन्ता वो मधुरिपोः प्रपन्नातिच्छिदो नरवाः ॥ | १ | १ |

परिशिष्ट ३

ध्वन्यालोकगतोदाहरणश्लोकानुक्रमणिका

| श्लोक | उद्योत | पृष्ठ |
|-----------------------------------|--------|-------|
| अङ्कुरित पल्लविन कोरकित' | २ | २१६ |
| अमुरागवती मन्ध्या | १ | ७३ |
| अम्बा शेतेऽत्र वृद्धा परिपतवयसा | २ | २०० |
| आश्रन्दा स्तनिर्तवितोचनजला | २ | १७३ |
| आहूतोऽपि सहायै. ओमित्युक्त्वा | १ | ७५ |
| ईर्ष्याकलुपस्यापि तव मुखस्य | २ | २१५ |
| उच्चिन्तु पतित कुसुम मा धुनिहि | २ | २२५ |
| उदामोत्वलिवा विपाण्डुररक्षम् | २ | १६६ |
| उन्नत प्रोल्लसद्धार | २ | १८६ |
| उपोद्धराणेन विलोलतारक तपा पृहीतम् | १ | ६६ |
| एव वादिनि देवपौ | २ | १६६ |
| कपोले पत्राली करतलनिरोधेन निहिता | २ | १६२ |
| कमलाकरा न मलिना ह्या उद्घायिता | २ | २२३ |
| कस्य वा न भवति रोप दृष्ट्वा | १ | ३५ |
| किं हास्येन न मे प्रयास्यमि पुन. | २ | १३६ |
| कुपिता प्रमन्ना अवनदिनमुन्वो | १ | १०२ |
| कोपात् कोमल गोलवाहूलनिकापाशेन | २ | १७५ |
| शिप्यो हस्तावतग्न प्रसभमभिहृतां | २ | १३७ |

| श्लोक | उद्योत | पृष्ठ |
|---|--------|-------|
| खं येऽयुज्ज्वलयन्ति खूनतमसो | २ | १६३ |
| खण्डितमानसवाञ्छनपङ्कज | २ | १८५ |
| गगनं च मत्तनघ धारालुलिता | २ | ११७ |
| षक्राभिघातप्रसभाज्ञयैव | २ | १६८ |
| चञ्चद्भुजध्रामितचञ्जगदाभिघात | २ | १४८ |
| चन्दनासक्तभुजग | २ | २१३ |
| चन्द्रमयूरवीनिशा नलिनी कमलं | २ | २०७ |
| चलापाङ्गा दृष्टि स्पृशसि बहुशो वेपनुमतीम् | २ | १६७ |
| चुम्ब्यते शतदृत्वोऽवस्थ्यते | १ | १०१ |
| जायेय वनोद्देशे कुब्ज एव | २ | २१३ |
| तत्तं पा श्रीसहोदरत्नाहरणे | २ | २१० |
| तदा जायन्ते गुणा यदा ते | २ | ११६ |
| तन्वीमेधजलाद्रपल्लवतया | २ | १४१ |
| तरङ्गभ्रूभङ्गा क्षुभितविह्वलश्रेणिरशना | २ | १४० |
| तम्या विनापि हारेण | २ | १८३ |
| तेषा गोपवधूविलासुहृदा राधारहं | २ | १४२ |
| त्रासाकुल परिपतन् परिनी निवेतान् | २ | २१५ |
| दत्तानन्दा प्रजाना समुचितसमया | २ | १८६ |
| दृष्टया केशवगोपरागहृतया | २ | १८६ |
| देवायत्तं फले किं त्रियताम् | २ | २११ |
| नो कल्पापायवायोरदयरदयरदलत् | २ | १७२ |
| परार्थे य पीडामनुभवति भङ्गोऽपि मधुरो | १ | १०३ |
| परिभ्रान पीनस्तनजघनसङ्गादुभयत | १ | १०१ |
| प्राप्तश्रीरेष कस्मात् पुनरपि मयितम् | २ | २०८ |
| प्रार्थये तावत् प्रसीद निवर्तस्व | १ | ३३ |
| भार्याया प्रहारी नवलतया दत्त | १ | १०२ |
| भ्रम धार्मिक विस्रब्ध स शुनको | १ | २६ |
| भ्रमिभरतिमलसहृदयतां प्रलयम् | २ | १८४ |
| मा निषाद प्रतिष्ठा त्वम् | १ | ५३ |
| येन ध्वस्तमनोभवेन पुरुजित्वाय | २ | १८१ |
| यो य शस्त्र विभति स्वभुजगुरमद | २ | १४८ |
| रक्तस्त्व नवपल्लवैरहमपि श्लाघ्यै. | २ | १७६ |
| रम्या इति प्राप्तवती पताना | २ | २१६ |
| रविसत्रान्तसौभाग्य | १ | ११७ |

| श्लोक | उद्योत | पृष्ठ |
|---|--------|-------|
| लावण्यकान्तिपरिपूरितदिङ्मुखेऽस्मिन् | २ | २०८ |
| वत्से मा गा विपादं श्वसनमुखजवम् | २ | १६६ |
| वाणीरकुञ्जोद्डीनशकुनिकोलाहलम् | २ | २२३ |
| वीराणा रमते धुमृषारुणे न तथा | २ | २०६ |
| व्रज ममैवैकस्या भवन्तु | १ | ३२ |
| शिखरिणि क्व नु नाम कियच्चिरम् | १ | ६६ |
| शिलिपिच्छकणंपूरा जाया | २ | २०४ |
| श्यामास्वङ्ग चकितहरिणीप्रोक्षणे दृष्टिपातम् | २ | १७४ |
| श्लाघ्याशेषतनु सुदर्शनकरः | २ | १८४ |
| श्वश्रू रव निमग्जति अथाहम् | १ | ३१ |
| सङ्कोतमालमनसम् | २ | १६८ |
| सज्जयति सुरभिमासो न तावदपयति | २ | २०२ |
| सर्वेशरणमक्षमधीशमीशम् | २ | १६२ |
| स वक्तुमखिलान् शक्तो | २ | २१० |
| स हरिर्नाम्ना देवः सह्रिर्वरतुरुरानिवहेन | २ | १७१ |
| सादरवितीर्णयोवनहस्तावलम्बम् | २ | २०३ |
| सुवर्णपुष्पा पृथिवीम् | १ | ६६ |
| स्निग्धश्यामलकान्तिलिप्तवियतो | २ | ११५ |
| हृदयस्यापितमन्युमपरोपमुन्वीमपि | २ | २१२ |

—०—

पारशिष्ट ४

धन्यालोकद्वयाख्या में उद्धृत ग्रन्थ लेखकों की कारिकायें

| कारिका | संस्कृत या ग्रन्थ | उद्योत | पृष्ठ |
|---|-------------------|--------|-------|
| अतस्तज्जन्यता तेषामत एवावधारणम् । | दशरूपक | २ | १३० |
| अपि हारादमेतस्य वस्तुनोऽन्यस्य या स्तुतिः । | | | |
| अप्रस्तुतप्रशंसा सा त्रिविधा परिवीरिता ॥ | भामह | १ | ८३ |
| अपह्नतिरभीष्टस्य विन्धिदन्तगतोपमा | भामह | १ | ७५ |
| अप्रस्तुतप्रशंसा या मा सैव प्रस्तुतप्रशंसा । | | | |
| कार्यं निमित्तं सामान्ये विशेषे प्रस्तुते यदि । | | | |
| तदन्यस्य वचस्तुत्ये तुभ्यस्येति च पश्यथा ॥ | मम्मट | १ | ८४ |

| कारिका | लेखक या ग्रन्थ | उद्योत | पृष्ठ |
|--|----------------|--------|-------|
| अयोगमन्ययोग वा चात्यन्तायोगमेव च । | | | |
| व्यवच्छिन्नति धर्मस्य एवकारस्त्रिधा मत ॥ | | २ | १४६ |
| आदिशब्द तु मेघावी चतुर्ष्वेषु भापते । | | | |
| प्रकारे च व्यत्रस्याया सामीप्येऽवयवे तथा ॥ | | २ | १५८ |
| आलम्बनो नायकादिस्तभालम्ब्य रसोद्गमात् ॥ | विश्वनाथ | २ | १२५ |
| आह्लादकव माधुर्यं शृङ्गारे द्रुतिकारणम् । | | | |
| वर्ण विप्रलम्भे तच्छ्रान्ते चातिशयान्वितम् ॥ | मम्मट | २ | १५० |
| इदमाद्यं पदस्थानं मुक्तिसोपानपर्वणाम् । | | | |
| इयं सा मोक्षमाणानामजिह्वा राजपद्धतिः ॥ | भट्टहरि | १ | ६१ |
| उद्गीपनविभावास्ते रसमुद्गीपयन्ति ये । | | | |
| आलम्बनस्य चेष्टाद्या देशकालादयस्तथा ॥ | विश्वनाथ | २ | १२५ |
| उद्बुद्धं कारणं स्वै स्वैर्बहिर्भाव प्रकाशयन् । | | | |
| लोके य कार्यरूप सोऽनुभाव काव्यनाट्ययो ॥ | विश्वनाथ | २ | १२५ |
| उपकुर्वन्ति तं सन्त येऽङ्गद्वारेण जातुचितु । | | | |
| हारादिवदलङ्कारास्तेऽनुप्रासोपमादयः ॥ | मम्मट | २ | १४१ |
| उपमाने न तत्त्व च भेद च वदत पुन । | | | |
| ससन्देह वच स्तुत्यं ससन्देह विदुर्यथा | अभिनवगुप्त | २ | २०५ |
| उपासनीय यत्नेन शास्त्र व्याकरणं महत् । | | | |
| प्रदीपभूत सर्वासा विद्याना यदवस्थितम् ॥ | | १ | ६० |
| एवदेशस्य विगमे या गुणान्तरसस्तुति । | | | |
| विशेषप्रथनायासौ विशेषोक्तिरिति स्मृता ॥ | भामह | १ | ७६ |
| कर्णिकाया न्यसेदेक द्वे द्वे दिक्षु विदिक्षु च । | | | |
| प्रवेशनिर्गमौ दिक्षु कुर्याद्विष्टदलांश्वुजे ॥ | भोज | २ | १५६ |
| कारणान्यकार्याणि सहकारीणि यानि च । | | | |
| रत्यादे रत्यादिनो लोके तानि चेन्नाट्यकाव्यो | मम्मट | २ | १२० |
| केचिदन्तर्भवन्त्यपु दोषत्यागत्परे श्रिता । | | | |
| अन्ये भर्जा त दोषत्व कुत्रचित् ततो दश ॥ | मम्मट | २ | १५१ |
| तदाभासा अनीचित्यप्रवर्तिता ॥ | मम्मट | २ | १३२ |
| तथा संज्ञा स रि ग म प ध नीत्यपरा मता | सङ्गीतरत्नाकर | १ | |
| सैस्तैरप्युपयाचितैरपनतस्तन्वया स्थिताऽप्यन्तिके | | | |
| कान्तो लोकसमान एवमपरिज्ञातो न रन्तु यथा । | | | |
| स्त्रीस्वैरप्य तयानवेक्षितगुण स्वात्मापि विश्वेश्वरो | | | |
| नैवाल निजवैभवाय तदियं तत्प्रत्यभिज्ञोदिता ॥ | उत्पलपादाचार्य | १ | |

| कारिका | लेखक वा ग्रन्थ | उद्योत | पृष्ठ |
|---|----------------|--------|-------|
| प्रासश्चैव वितर्कश्च विज्ञेया ध्वभिचारिण । | | | |
| त्रयस्त्रिंशदमी भावा समाख्यातास्तु नामत ॥ मम्मट | | २ | १२६ |
| दीप्यात्मविस्मृतेर्हेतुरा जो वीररसस्थिति । | | | |
| वीभत्सरोद्गरसयोस्तस्याधिक्य क्रमेण च ॥ मम्मट | | २ | १५० |
| द्वाविंशति केचिदुदाहरन्ति श्रुती श्रुतिज्ञानविचारदक्षा । | | | |
| पट्पण्डिभिश्चा खलु केचिदासामानन्त्यमेव प्रति- पादयन्ति ॥ सङ्गीतरत्नावर १ | | | |
| न प्रयोजनमेतस्मिन् न च शब्द स्तलद्वयति । | | | |
| एवमत्यनवस्था स्याद् या मूलशयवारिणी ॥ मम्मट | | १ | १०७ |
| नाभिधा समयभावाद् हेत्वभावान्न लक्षणा । | | | |
| लक्ष्य न मुख्य नाप्यत्र बाधो योग फलेन नो ॥ मम्मट | | १ | १०७ |
| निरुद्धा लक्षणा वाश्चित् सामर्थ्यादिभिधानवत् ॥ कुमारिलभट्ट | | १ | १०५ |
| निर्वेदग्लानिश्च ह्युत्थास्तथाऽभूया मदधमा । | | | |
| आलस्य चैव दैन्य च चिन्तामोह स्मृतिर्भूति ॥ मम्मट | | २ | १२६ |
| निर्वेदस्यापिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः ॥ मम्मट | | २ | १२७ |
| परस्पररोपकारेण यत्रालङ्कृतपः स्थिता । | | | |
| स्वातन्त्र्येणा मलाभ नो लभन्ते सोऽपि सङ्कर ॥ भामह | | १ | ८१ |
| पर्यायोक्त यदन्येन प्रवारेणाभिधीयते । | | | |
| वाच्यवाचववृत्तिभ्या भ्रूयन्तेनावगमात्मना ॥ भामह | | १ | ७७ |
| पर्यायोक्त यदा भङ्गभा गम्यमेवाभिधीयते ॥ विश्वनाथ | | १ | ७७ |
| पर्यायोक्त विना वाच्यवाचवत्त्वेन यद्वचः ॥ मम्मट | | १ | ७७ |
| पुनस्त्रिधा सभङ्गश्चामङ्गोऽस्तदुभयात्मवः ॥ विश्वनाथ | | २ | १६० |
| प्रतिषेध इवेष्टस्य यो विरोधाभिहित्तया । | | | |
| वक्ष्यमाणोक्तविषय स धार्क्ष्यो द्विधा मतः ॥ भामह | | १ | ७१ |
| प्रत्यवेरनुपास्येयैर्ग्रहणानुग्रहगीस्तया । | | | |
| ध्वनिप्रवामिते शब्दे स्वरूपमवधारयन्ते ॥ भर्तृहरि | | १ | ६३ |
| प्रथमश्रवणाच्छब्द श्रूयन्ते ह्रस्वमात्रवः । | | | |
| स श्रुति मन्परिज्ञेया स्वरावयवदक्षणा ॥ मगीतरत्नावर | | १ | |
| प्रयोजनेन महिन लक्षणोप न मुख्ये । | | | |
| ज्ञातस्य विषयोऽह्यन्य पत्रमन्यदुदाहृतम् ॥ मम्मट | | १ | |
| भावस्य शान्तावृद्धये गन्धिभिश्चिन्तयो जमात् । | | | |
| भावस्य शान्तिरदस्य गन्धि इवदना मना ॥ विश्वनाथ | | २ | १२२ |
| मुख्याधवाधे तदयोगे रुदितोऽप्रयोजनान् । | | | |
| अन्योऽर्थो सद्यन्ते यत्सावशाणारोपिता त्रिधा मम्मट | | २ | ११६ |

| कारिका | लेखक या ग्रन्थ | उद्योत | पृष्ठ |
|--|----------------|--------|---------|
| य सयोगविभागाभ्या वरणरूपजन्यते । | | | |
| स स्फोट शब्दजा शब्दा ध्वनयोऽन्वैरुदाहृता ॥ भर्तृहरि | | १ | ६२ |
| यत्रोक्ती गम्यतेऽप्यो, धंस्तत्समाविशेषण । | | | |
| सा समासोक्तिरुदिता सक्षिप्तार्थतया वुर्ध ॥ भामह | | १ | ७० |
| यद्येत एवालङ्कारा परस्परद्विमिश्रिता । | | | |
| तदापृथगलङ्कारौ समृष्टि सङ्करस्तथा ॥ विश्वनाथ | | १ | ८० |
| यस्य प्रतीतिमाधातु लक्षणा समुपास्यते । | | | |
| फले शब्दैकगम्येऽत्र व्यञ्जनान्ना परा क्रिया ॥ मम्मट | | १ | १०७ |
| ये रसस्याङ्गिनो धर्मा शौर्यादय इवात्मन । | | | |
| उत्कर्षहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणा ॥ मम्मट | | २ | १४१ |
| रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भय तथा । | | | |
| जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावा प्रकीर्तिता ॥ मम्मट | | २ | १२० |
| रत्याधुद्वोधका लोके विभावा काव्यनाटययो । | | | |
| आलम्बनोद्दीपनाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्मृतौ ॥ विश्वनाथ | | २ | १२५ |
| रूपान्तरेण ते देवा विचरन्ति महीतले । | | | |
| ये व्याकरणसंस्कारपवित्रितमुक्ता नराः ॥ भर्तृहरि | | १ | ६१ |
| लोकोत्तरधमत्कारप्राण कैश्चित् प्रमातृभि । | | | |
| स्वाकाररदभिन्नत्वेनायमास्वाद्यते रस ॥ विश्वनाथ | | २ | ११६ |
| वाच्यभेदेन भिन्न यद् युगपद्भाषणस्पृश । | | | |
| श्लिष्यन्ति शब्दा श्लेषोऽसावक्षरादिभिरष्टधा ॥ मम्मट | | २ | १६० |
| विभाजा श्रुतुभावास्तत ऋष्यन्ते व्यभिचारिण । | | | |
| व्यक्तं सर्तविभावाद्यं स्थायीभावो रस स्मृत ॥ मम्मट | | १ | १२० |
| विभावानुभावव्यभिचारिसयोगाद् रसनिरूपति | भरत | २ | १२०-१२४ |
| विभावेनानुभावेन व्यक्त सञ्चारिणा तथा । | | | |
| रसतामेति रत्यादि स्थायी भाव नषेत्तसाम ॥ विश्वनाथ | | २ | १२० |
| विरुद्धा अविरुद्धा वा य तिरोगानुमशमा । | | | |
| आस्वादादङ्गुरखन्दोऽसौ भाव स्थायीति सम्मत ॥ विश्वनाथ | | २ | १२३ |
| विरुद्धलङ्कारोल्लेखे सम तद्बुद्धयसम्भवे । | | | |
| एकस्य च ग्रहे न्यायदोषाभावे च सङ्कर ॥ विश्वनाथ | | १ | ८० |
| विविधमाभियुज्येन रसेषु चरन्तीति व्यभिचारिण ॥ भरत | | २ | १२६ |
| विकोपादाभियुज्येन चरन्ती व्यभिचारिण । | | | |
| स्थायीन्युमग्ननिर्मन्ता बल्लोना इव वारिधौ ॥ दशरूप | | २ | १२६ |
| विशेषोक्तिरखण्डेषु वारिणषु फलावच ॥ मम्मट | | १ | ७६ |

| वारिका | लेखक या ग्रन्थ | उद्योत | पृष्ठ |
|--|----------------|--------|-------|
| श्रीडा चपलता हर्षं ध्रावेगो जडता तथा । | | | |
| गर्वो विषाद श्रौत्सुक्य निद्राऽपस्मार एव च ॥ | मम्मट | २ | १२६ |
| व्यावर्तकमवर्तमान विधेयान्वच्छुपलक्षणम् ॥ | | १ | ६८ |
| शममपि केचित् प्राहु पुष्टिर्नाट्येषु नैतस्य । | | | |
| निर्वेदादिरताद्रूप्यादस्थापी स्वदते कथम् । | | | |
| चैरस्पर्यव ततोपस्तेनाष्टौ स्थायिनो मता ॥ | दशरूपक | २ | १०८ |
| शब्दार्थवत्संलङ्कारा वाक्य एकत्र वर्तित । | | | |
| सङ्करश्चैकवाक्याश प्रवेशाद् वाभिधीयते ॥ | भामह | १ | ८१ |
| शब्दार्थोभयशक्युत्पत्तिस्त्रिधा स कथितो ध्वनि ॥ | मम्मट | २ | १७७ |
| शब्दार्थोभयशक्युत्पत्ते ध्यङ्गधेऽनुस्वानरात्रिभे । | | | |
| ध्वनिलक्षणप्रमव्यङ्ग्यस्त्रिविध कथितो युभै ॥ | शिवनाथ | २ | १७७ |
| शृङ्गारवीरवीभत्सरोद्रेषु मनस प्रमात् । | | | |
| हास्याद्ग तभयोः कर्षकरणात् त एव हि ॥ | दशरूपक | २ | १३० |
| शृङ्गारहास्यकरणरोद्रवीरभयानका । | | | |
| धीमसाद्गुतसती चेत्यष्टौ नाट्य रसा स्मृता ॥ | भरत | २ | १२८ |
| शृङ्गाणद्धि भवेद्भास्यो रौद्राच्च करणो रम । | | | |
| वीराच्यैवाद्गुतोपतिर्वीभत्साच्च भयानक ॥ | भरत | २ | १३० |
| शुष्केऽन्यनाग्निवत् स्वच्छजलवत्सहस्रं य । | | | |
| व्याप्तौत्यन्यत्प्रसादोऽसौ सर्वत्र विहितस्थिति ॥ | मम्मट | २ | १४० |
| ध्वय नातिसमस्तायेगन्द मधुरमिष्यते ॥ | भामह | २ | १४७ |
| श्रुतिभ्य स्यु स्वरा षट्कर्षभगान्धारमध्यमा । | | | |
| पञ्चमी धैवतश्चाय निषाद इति सप्त ते ॥ | मङ्गीनरनारर | १ | |
| श्रुत्यन्तरभावी य स्निग्धोऽनुरणनात्मक । | | | |
| स्वतो रञ्जयति धानुश्चिन म स्वर उच्यते ॥ | मङ्गीनरनारर | १ | |
| श्रुतिदुष्टार्थदुष्टे च कल्पनादुष्टमिष्यति । | | | |
| श्रुतिवष्ट तर्षवाहुषांशं दीप क्षनुविषम् । | भामह | २ | १४३ |
| सयोगो विप्रयोगश्च गाह्वर्यं विरोधिता । | | | |
| धर्मं प्रकरणे विद्म शब्दस्यान्वयस्य गन्निधि ॥ | भर्तृहरि | २ | १८० |
| सहृद्गतिस्तु धर्मस्य प्रवृत्ताप्रवृत्तात्मनाम् । | | | |
| सैव त्रियामु बहुधोषु वारकम्यदि दीपकम् ॥ | मम्मट | १ | ७४ |
| मञ्चारिणः प्रधानानि देवादिविषया गति । | | | |
| उद्बुद्धमात्रस्यापी च भाव इत्यभिधीयते ॥ | शिवनाथ | २ | १३१ |
| मन्त्रे पृथगर्थाणां स्वरव्यञ्जनमहर्षे । | | | |
| मन्त्रे तर्नादाविति दमक त्रिनिन्दते ॥ | मम्मट | २ | १४२ |

| कारिका | लेखक या ग्रन्थ | उद्योत | पृष्ठ |
|---|----------------|--------|-------|
| सत्वोद्रेकादस्रण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मय । | | | |
| वेद्यातरस्पर्शशूयो ब्रह्मास्वादसहोदर ॥ | विश्वनाथ | २ | ११६ |
| सामर्थ्यमौचिती देश कालो व्यक्त स्वरादय ॥ | | | |
| शब्दाथस्यानवच्छेदे विशेषव्यक्तिहेतव ॥ | भर्तृहरि | २ | १८० |
| मुप्त प्रबोधोऽमपश्चाप्यवहित्यमयोग्रता । | | | |
| मतिव्याधिस्तथो मादस्तथा मरणमव च ॥ | मम्मट | २ | १२६ |
| स्तम्भ स्वेदोऽथ रोमाञ्च स्वरभङ्गोऽथ वेपथु । | | | |
| वैवर्ष्यमश्रुप्रलय इत्यष्टौ सात्त्विका स्मृता ॥ | विश्वनाथ | २ | १०६ |
| स्नेहो भक्तिर्वात्सल्यमिति हि रतेरेव विशेषा ॥ | हेमचन्द्र | २ | १२८ |
| स्फुट चमत्कारितया वत्सल च रस विदु । | | | |
| स्यायी वत्सलनास्नेह पुत्राद्यालम्बन मतम् ॥ | विश्वनाथ | २ | १२७ |
| स्मयमाणो विरुद्धोऽपि साम्येनाथ विवक्षित । | | | |
| अङ्गिन्यङ्गत्वमापन्नौ यौ तौ न दुष्टो परस्परम् ॥ | मम्मट | २ | १३१ |
| स्वसिद्धये पराक्षेप परार्थ स्वसमपणम् । | | | |
| उपादान लक्षण चेत्युक्ता शुद्धैव सा द्विधा ॥ | मम्मट | २ | ११४ |
| स्वाद काव्याथसम्भेदादात्मानन्दसमुद्भव । | | | |
| विकाशविस्तरक्षोभविक्षेपै स चतुर्विध ॥ | दशरूपक | २ | १२६ |

-----o-----

परिशिष्ट-५

ध्वन्यालोकध्याएया मे उद्धृत उदाहरणश्लोकसूची

| श्लोक | उद्योत | पृष्ठ |
|------------------------------------|--------|-------|
| अद्रावत्र प्रज्ज्वलत्यग्निरुर्ध्वं | २ | १४५ |
| अह त्वा यदि नेक्षेय | १ | ७१ |
| अहो ससारनैर्घृण्यम | १ | ८५ |
| एतत्तस्य मुखात् क्रियकमलिनीपत्रे | १ | ८५ |
| एववादिनि देवयो | २ | १३१ |
| ऐन्द्र धनु पाण्डुपयोधरेण | १ | ७३ |
| कण्ठकोणविनिविष्टमीश ते | २ | १३२ |
| कपूर् र इव दग्धोऽपि | १ | ७६ |
| केलिबन्दलितस्य विभ्रममधोर्धुर्वम् | २ | २१८ |
| क्वाकार्यं शरालक्ष्मण यत्र च कुन्म | २ | १३३ |
| गृहेष्वध्वमु वा नाग्नम् | १ | ७८ |

| श्लोक | उद्योत | पृष्ठ |
|---|--------|----------|
| चरणभननप्रयाग्यानात् प्रमाद पराङ्मुगे | २ | १३३ |
| द्विद्रावेषी महास्तब्धो | २ | १५३ |
| दण्डुत्नन्तो भरिमिति | २ | २१७ |
| दस्या पाणिरय नु मारनचनत्पत्राङ्गुलि पत्नव | २ | २०५ |
| तस्याश्चेन्मुपमस्ति सौम्यमुभगम् | १ | ७२ |
| तुल्योदयावसानत्वाद् | १ | ८१ |
| नयनयुगासेचनव मानसवृत्त्या | २ | १३३ |
| नवपनाशपलाशवन पुर | २ | १५६ |
| निर्वाणभूयिष्ठमद्यास्य बीयम् | २ | १६६ |
| नेय विरोति भृङ्गानी | १ | ७५ |
| प्रतिग्रहीतु प्रणयप्रियत्वात् | २ | १६६ |
| प्रवालनीलोत्पलनिविशेषम् | १ | ८१ |
| प्राणा येन समपितास्तव बलाद् | १ | ८६ |
| प्रेङ्गुत्प्रेमप्रबन्धप्रचुरपरिचये | २ | २२६ |
| भवति न गुणानुराग खलानाम् | १ | ८२ |
| भाषघ्रात हठाञ्जनस्य हृदयान्याक्रम्य | १ | ८६ |
| भ्रामते प्रतिभापार रसाभाताहताविभा | २ | १५६ |
| भो भो किमकाण्ड एव पतितस्त्वम् | १ | ७२ |
| मणि शाणोत्लीड समरविजयी | १ | ७५ |
| मा भवन्तमनलः पवनो वा | २ | २१७ |
| य कालागुरुषत्रभङ्ग रचनावासकसारायत | २ | २१७ |
| येन ध्वस्तमनोभवेन बलिजित्काम | २ | १६० |
| ये यान्यभ्युदये प्रीतिम् | १ | ८५ |
| राकामुधावरमुखी तरलायताक्षी | २ | १३३ |
| विग्रमवाण्डकुटुम्बवसञ्चयप्रवर | २ | २२६ |
| शत्रुच्छेदहृदेच्छस्य | १ | ७८ |
| शशिवदनाऽसितसरसिजनयना | १ | ८० |
| शिखरिणि क्व नु नाम कियच्चिचरम् | २ | २०२ |
| शीताशोरमृतच्छटा यदि वरा कस्मान्मनो मे भ्रूणम् | २ | १७६ |
| स एकस्त्रीणि जयति | १ | ७६ |
| सुतनु जडिहि कोप पश्य पादानत माम् | २ | १३३ |
| स्तुम व वामाक्षि क्षणमपि विना य न रमसे | २ | १२२ |
| स्तोकैरान्नीतमायीत | २ | १६१ |
| स्मर स्मरमिव प्रिय रसयसे यमालिङ्गनात् | १ | ८१ |
| स्वर्गमपारिजात कौस्तुभलक्ष्मीरहितम् | १ | ८६ |
| हरस्तु किञ्चित् परिवृत्तधैय | २ | १३२, १६७ |